

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार
गारन्टी योजना की
निष्पादन लेखापरीक्षा

संघ सरकार (सिविल)
ग्रामीण विकास मंत्रालय
2013 की प्रतिवेदन सं. 6
(निष्पादन लेखापरीक्षा)

विषयसूची

क्र.सं./ पैरा सं.	विषय	पृष्ठ
	प्राक्कथन कार्यकारी सारांश	v vii
अध्याय 1	महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना- विहंगावलोकन	01
अध्याय 2	लेखापरीक्षा दृष्टिकोण, पूर्व लेखापरीक्षा निष्कर्ष तथा वर्तमान लेखापरीक्षा निष्कर्षों का संगठन	07
2.1	लेखापरीक्षा दृष्टिकोण	07
2.2	पूर्व लेखापरीक्षा निष्कर्ष	10
2.3	पूर्व निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	11
2.4	वर्तमान लेखापरीक्षा निष्कर्षों का संगठन	13
2.5	आभार प्रकट	13
अध्याय 3	नियोजन	15
3.1	प्रस्तावना	15
3.2	वार्षिक कार्य योजना/विकास योजना	15
3.3	श्रम बजट के वास्तविक निष्पादन में कमी	19
3.4	वार्षिक योजना से बाहर निष्पादित कार्य	20
3.5	वार्षिक योजनाओं के निष्पादन में कमी	21
3.6	जिला अभियंत्र योजना की तैयारी	22
अध्याय 4	क्षमता निर्माण	23
4.1	प्रस्तावना	23
4.2	राज्य सरकार नियमावली	23
4.3	रोजगार गारंटी परिषद के कार्य तथा गठन	24
4.4	कार्मिक सहायता	25
4.5	तकनीकी सहायता	27
4.6	प्रशिक्षण	28
4.7	सूचना, शिक्षा तथा संचार (सू.शि.सं.) गतिविधियाँ	29
अध्याय 5	वित्तीय प्रबंधन	31
5.1	प्रस्तावना	31
5.2	योजना के अंतर्गत वित्तीय स्थिति	31

क्र.सं./ पैरा सं.	विषय	पृष्ठ
	5.3 राज्यों को निधियों की अप्राधिकृत निमुक्ति 32	
	5.4 अनुवर्ती वित्तीय वर्ष हेतु निधियों का निर्गम 35	
	5.5 अव्ययित का समायोजन किए बिना मंत्रालय द्वारा निधियों का आधिक्य निर्गम 36	
	5.6 केन्द्र द्वारा निधियों का अधिक निर्गम 37	
	5.7 अन्य अनियमितताएं - कर्नाटक द्वारा व्यय का अनियमित दावा 38	
	5.8 राज्य अंश का कम निर्गम 38	
	5.9 राज्य के अंश के निर्गम में विलम्ब 39	
	5.10 रा.रो.गा. निधि का गैर-सृजन 39	
	5.11 सं.ग्रा.रो.यो. तथा रा.का.खा. का. से निधियों का गैर-अंतरण 40	
	5.12 ब्याज आय का उपयोग 41	
	5.13 प्रशासनिक व्ययों में अनियमितताएं 41	
	5.14 अस्वीकार्य मदों पर व्यय तथा निधियों का विपथन 42	
	5.15 लेखे में न लिया गया व्यय अथवा निधियों का दुर्विनियोजन 43	
	5.16 लेखाओं का मासिक वर्गकरण 43	
	5.17 लेखाओं का निर्धारित फार्मेट 44	
अध्याय 6 जॉब कार्डों का पंजीकरण एवं जारी करना		45
6.1 प्रस्तावना		45
6.2 परिवार सर्वेक्षण		45
6.3 जॉब कार्ड जारी करना		46
6.4 जॉब कार्ड एवं रोजगार से संबंधित अभिलेखों का अनुरक्षण		49
6.5 रोजगार गारंटी दिवस		50
6.6 राज्य विशिष्ट अभ्युक्तियां		50
अध्याय 7 रोजगार सृजन एवं मजदूरी भुगतान		53
7.1 प्रस्तावना		53
7.2 रोजगार एवं बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने में विलम्ब		53
7.3 मजदूरी का भुगतान		56
7.4 मेट्रस की तैनाती		62
7.5 मस्टर रोल में अनियमितताएं		62
अध्याय 8 निर्माण कार्य		73
8.1 प्रस्तावना		73
8.2 मजदूरी-सामग्री अनुपात		73
8.3 अस्वीकार्य निर्माण कार्य		75
8.4 अयोग्य लाभार्थियों की निजी भूमि पर निर्माण कार्य		77

क्र.सं./ पैरा सं.	विषय	पृष्ठ
	8.5 अपसर्जित/निष्फल निर्माण कार्य	77
	8.6 वृक्षारोपण कार्यों का अनुरक्षण	78
	8.7 स्थायी परिसम्पत्तियों का सुजन	79
	8.8 प्रापण प्रक्रियाएं	80
	8.9 त्रुटिपूर्ण भण्डार अनुरक्षण पद्धतियां	83
	8.10 प्रत्येक कार्य हेतु विशिष्ट संख्या	83
	8.11 ग्राम पंचायतों को तकनीकी सहायता	83
	8.12 ठेकेदारों का उपयोग	84
	8.13 मशीनरी का उपयोग	84
	8.14 निर्माण-कार्यों की पूर्व संस्थीकृति	85
	8.15 पारदर्शिता आवश्यकताएं	85
	8.16 दरों की अनुसूची (द.अ.)	85
	8.17 मापन पुस्तिकाएं	86
	8.18 कार्यस्थल सुविधाएं	86
	8.19 परियोजना समापन रिपोर्ट	86
	8.20 संदिग्ध दुर्विनियोजन	87
	8.21 अधिनियम के उल्लंघन में ₹ 1,935.49 करोड़ का व्यय	84
अध्याय 9 अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण		89
9.1 प्रस्तावना		89
9.2 अभिसरण गतिविधियों का अभाव		89
9.3 खराब ढंग से निष्पादित अभिसरण गतिविधियां		91
अध्याय 10 अभिलेखों का अनुरक्षण		95
10.1 प्रस्तावना		95
10.2 अभिलेखों का गैर-अनुरक्षण		96
10.3 अभिलेखों का गलत अनुरक्षण		98
10.4 अभिलेखों में अन्य अपर्याप्ताएं		100
10.5 मॉनीटरिंग सूचना प्रणाली (मॉ.सू.प्र.)		101
अध्याय 11 मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन क्रियाविधि		103
11.1 मानीटरिंग तथा मूल्यांकन ढांचा		103
11.2 केन्द्रीय मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन		104
11.3 राज्य स्तरीय मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन		108
11.4 फील्ड स्तर पर कार्यों का आंतरिक सत्यापन		109
11.5 राज्य तथा जिला गुणवत्ता परिवेक्षकों की नियुक्ति		110
11.6 सरकर्ता तथा मॉनीटरिंग समितियां		110

क्र.सं./ पैरा सं.	विषय	पृष्ठ
11.7 पारदर्शिता तथा जवाबदेही		111
11.8 सामाजिक लेखापरीक्षा		111
11.9 शिकायत निवारण क्रियाविधि		114
11.10 नागरिक घोषणा पत्र		115
11.11 प्रभाव निर्धारण		115
अध्याय 12 नरेगासॉफ्ट की सू.प्रौ. लेखापरीक्षा		117
12.1 प्रस्तावना		117
12.2 सू.प्रौ. लेखापरीक्षा के उद्देश्य		118
12.3 सू.प्रौ. लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली		118
12.4 लेखापरीक्षा निष्कर्ष		119
अध्याय 13 लाभार्थी सर्वेक्षण के निष्कर्ष		129
अध्याय 14 निष्कर्ष		139
अनुबंध		145

प्राक्तकथन

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगस) के कार्यान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणामों को शामिल करते हुए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन को संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

निष्पादन लेखापरीक्षा में अप्रैल 2007 से मार्च 2012 की अवधि को शामिल किया। ग्रामीण विकास मंत्रालय, राज्य सरकारों तथा जिले, ब्लाक एवं पंचायत स्तरीय कार्यालयों से संबंधित अभिलेखों की फील्ड लेखापरीक्षा फरवरी से सितम्बर 2012 के बीच की गई थी।

कार्यकारी सारांश

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) प्रत्येक परिवार, जिनके व्यस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल कार्य करना चाहते हैं, को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का मजदूरी रोजगार की गारंटी प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य के साथ बनाया गया था। अधिनियम प्रारम्भ में 2 फरवरी 2006 से 200 जिलों में लागू हुआ तथा 1 अप्रैल 2008 तक सभी जिलों को शामिल करने हेतु इसका विस्तार किया गया था।

यह योजना की दूसरी निष्पादन लेखापरीक्षा है। पहली लेखापरीक्षा 2007-08 में की गई थी। पहली लेखापरीक्षा में शामिल अवधि फरवरी 2006 से मार्च 2007 थी। मनरेगा के कार्यान्वयन की वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा को ग्रामीण विकास मंत्रालय से अनुरोध के जवाब में प्रारम्भ किया गया था तथा इसमें अप्रैल 2007 से मार्च 2012 तक की अवधि को शामिल किया है। योजना के कार्यान्वयन की 28 राज्यों तथा चार सं.शा.क्षे. में 3,848 ग्राम पंचायतों में जांच की गई थी।

निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कार्ष को नीचे दिया गया है:

- योजना के निष्पादन से संबंधित डाटा के विश्लेषण ने दर्शाया कि पिछले दो वर्षों में प्रति ग्रामीण परिवार रोजगार सृजन में काफी गिरावट रही है। प्रति ग्रामीण परिवार रोजगार 2009-10 में 54 दिनों से 2011-12 में 43 दिनों तक कम हुआ। 2011-12 में समाप्त निर्माण कार्यों के अनुपात में भी पर्याप्त गिरावट थी। यह भी देखा गया था कि बिहार, महाराष्ट्र, तथा उत्तर प्रदेश जिनमें 46 प्रतिशत ग्रामीण गरीब हैं, ने केन्द्रीय योजना निधियों का केवल 20 प्रतिशत का ही उपयोग किया। इसने दर्शाया कि गरीबी स्तरों तथा मनरेगा के कार्यान्वयन के बीच सहसंबंध काफी अधिक नहीं थे।
- अधिनियम की धारा 16(3) के अनुसार, ग्राम पंचायतों को ग्राम सभा की सिफारिशों के आधार पर वार्षिक विकास योजना तैयार करनी अपेक्षित थीं। 11 राज्यों तथा एक सं.शा.क्षे. में 1,201 ग्रा.पं. (नमूना जांच की गई सभी ग्रा.पं. का 31 प्रतिशत) में वार्षिक योजनाएं या तो तैयार नहीं की गई थीं या फिर अपूर्ण ढंग से तैयार की थीं।
- 14 राज्यों तथा एक सं.शा.क्षे. में कुल ₹ 1,26,961.11 करोड़ के 129.22 लाख निर्माण कार्यों को वार्षिक योजनाओं में स्वीकृत किया गया था। परंतु लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कुल ₹ 27,792.13 करोड़ के केवल 38.65 लाख निर्माण कार्य (नियोजित निर्माण कार्यों का 30 प्रतिशत) पूर्ण थे जिसने वार्षिक योजनाओं के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण अकार्यकुशलताओं को इंगित किया।

- मनरेगा के अनुसार, राज्यों को इसके कार्यान्वयन हेतु योजनाओं तथा नियमावली को अधिसूचित करना था। तथापि, यह देखा गया था कि अधिनियम के लागू होने के पश्चात सात वर्षों के बीत जाने के बावजूद भी मार्च 2012 तक हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश (पांच राज्य) राज्य सरकारों ने नियमावली तैयार नहीं की थी।
- लेखापरीक्षा ने पाया कि सूचना, शिक्षा तथा संचार (सू.शि.सं.) योजनाओं को 12 राज्यों तथा दो सं.शा.क्षे. में तैयार नहीं किया गया था। सू.शि.सं. निधियों के उपयोग में कमियाँ भी पाई गई थीं। मनरेगा जैसी माँग संचालित योजना में लाभार्थी के अधिकारों की जानकारी इसकी सफलता की महत्वपूर्ण घटक होगी। सू.शि.सं. गतिविधियों के निम्न स्तर का लाभार्थियों के जागरूकता स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव होगा तथा बदले में इसने लाभार्थियों को अपने अधिकारों को पूर्ण रूप से समझने से रोकेगा।
- चार राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर तथा तमिलनाडु) की सरकारों ने समर्पित ग्राम रोजगार सहायकों को नियुक्त नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, नौ राज्यों (असम, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखण्ड) के मामले में आवश्यकताओं के प्रति ग्राम रोजगार सहायकों की निरंतर तथा व्यापक कमियाँ पाई गई थीं। कमियाँ 20 से 93 प्रतिशत के बीच थी।
- मंत्रालय ने सभी शर्तों में ढील दी तथा वित्तीय जवाबदेही के मापदण्डों का उल्लंघन करते हुए मार्च 2011 में राज्यों को ₹ 1,960.45 करोड़ की राशि जारी की। बजटीय प्रावधानों तथा सामान्य वित्तीय नियमावली के उल्लंघन में मंत्रालय द्वारा राज्यों को अनुवर्ती वित्तीय वर्षों में उपयोग हेतु 2008-12 के बीच ₹ 4,072.99 करोड़ की राशि जारी की गई थी। मंत्रालय द्वारा छ: राज्यों को या तो गलत परिकलन के कारण अथवा राज्यों के पास उपलब्ध शेषों पर विचार किए बिना ₹ 2,374.86 करोड़ की अधिक निधियाँ भी जारी की गई थीं।
- छ: राज्यों में 12,455 परिवारों को जॉब कार्ड जारी नहीं किए गए थे। जॉब कार्डों पर फोटोग्राफ धोखाधड़ी तथा अन्यथा-कथन के प्रति महत्वपूर्ण नियंत्रण प्रदर्शित करते हैं। सात राज्यों में 4.33 लाख जॉब कार्डों पर फोटोग्राफ चिपकाई हुई नहीं पाई गई थी। 14 राज्यों में ₹ 36.97 करोड़ की मजदूरी का गैर-भुगतान/कम भुगतान पाया गया था। विलंबित भुगतान के कुछ मामले थे जिनके लिए कोई क्षतिपूर्ति अदा नहीं की गई थी।
- अधिनियम की अनुसूची। निर्धारित करती है कि कार्य के सामग्री घटक कुल कार्य लागत के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए। 12 राज्यों तथा एक सं.शा.क्षे. में सामग्री लागत के निर्धारित अनुपात से अधिक होने के मामले पाए गए थे। नमूना जांच किए मामलों में सामग्री लागत निर्धारित स्तर से ₹ 1,594.37 करोड़ तक अधिक थी।
- 25 राज्यों/सं.शा.क्षे. के नमूना जांच किए जिलों में, कुल ₹ 2,252.43 करोड़ के 1,02,100 अमान्य निर्माण कार्य प्रारम्भ किए गए थे। इन अमान्य निर्माण कार्यों में मिट्टी/कच्ची सड़कों, सीमेंट कंक्रीट सड़कों का निर्माण, मवेशियों तथा अन्य जानवरों हेतु ऊँचे प्लेटफार्मों का निर्माण, नहाने के घाटों का निर्माण आदि शामिल था। कुल ₹ 4,070.76 करोड़ के निर्माण कार्य अधिक समय के बीत जाने के बावजूद भी अपूर्ण थे जिसके परिणामस्वरूप व्यय निष्फल हुआ था।

- 10 राज्यों तथा चार सं.शा.क्षे. में, सरकारों ने सामाजिक लेखापरीक्षा अदालतों को सुगम बनाने के लिए सामाजिक लेखापरीक्षा इकाईयां गठित नहीं की थी तथा 11 राज्यों तथा एक सं.शा.क्षे. में, यह देखा गया कि निर्धारित प्रतिमानों से कुछ ही अर्थपूर्ण सामजिक लेखापरीक्षा संचालित की गई थीं।
- केन्द्रीय स्तर पर मॉनीटरिंग असंतोषजनक थी। केन्द्रीय परिषद अपने अस्तित्व के छः वर्षों के पश्चात भी एक केन्द्रीय मूल्यांकन तथा मॉनीटरिंग प्रणाली को स्थापित करने के अपने सांविधिक अधिदेश को पूरा नहीं कर सकी। किया गया एकमात्र मॉनीटरिंग कार्य, परिषद के सदस्यों द्वारा छः राज्यों के 13 तदर्थ फील्ड दौरों के रूप में था। परिषद द्वारा इन दौरों पर कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई थी।
- विभिन्न प्रकार के अभिलेखों हेतु नमूना जांच की गई सभी ग्रा.पं. में निर्धारित आधारभूत अभिलेखों के गैर-अनुरक्षण तथा गलत अनुरक्षण दोनों से संबंधित कमियाँ 18 से 54 प्रतिशत तक पाई गई थी। अभिलेखों के अनुरक्षण में व्यापक कमियों ने योजना के निर्गमों तथा परिणामों के उपयुक्त सत्यापन की प्रक्रिया को प्रतिबंधित किया।
- मॉ.सू.प्र. में अपलोड डाटा तथा निदेशालय/जि.का.स. के पास अनुरक्षित वास्तविक अभिलेखों/उपलब्ध सूचना के बीच पर्याप्त अंतर थे। डाटा बेस में की गई गलत प्रविष्टियों के अतिरिक्त, कुछ मामले पाए गए थे जिनमें राज्यों ने नियमित आधार पर डाटा की प्रविष्टि नहीं की थीं। इसलिए, योजना के प्रत्यक्ष तथा वित्तीय निष्पादन पर प्र.सू.प्र. डाटा विश्वसनीय नहीं था। इसके अतिरिक्त, मॉ.सू.प्र. दोषपूर्ण कार्यक्रम तर्क तथा अनुपस्थित वैधीकरण नियंत्रण से ग्रसित थी। आधारभूत अभिलेखों के बिना किसी संदर्भ के तथा बिना किसी स्पष्ट आधार के डाटा में हेर-फेर के मामले भी पाए गए थे।

अनुशंसाओं का सार

- सभी स्तरों पर स्टाफ की व्यापक कमी ने प्रतिकूल रूप से योजना के कार्यान्वयन को प्रभावित किया। मंत्रालय द्वारा स्टाफ स्थिति को करीब से मॉनीटर करना चाहिए तथा इस संबंध में कमी को राज्य सरकारों के साथ उठाना चाहिए।
- एक माँग संचालित कार्यक्रम होने से मनरेगस लाभार्थियों को अपने अधिकारों से अवगत होना अपेक्षित करता है। तथापि, सू.शि.सं. व्यय में कमी तथा सू.शि.सं. योजनाओं के गैर-निरूपण ने लाभार्थियों में जागरूकता के सृजन में अंतर को दर्शाया। अच्छी लाभार्थी जागरूकता हेतु सू.शि.सं. गतिविधियों को बढ़ाने की आवश्यकता है।
- लेखाओं का मासिक स्थिति निधियों के उपयोग पर एक महत्वपूर्ण नियंत्रण है। मंत्रालय द्वारा निधियों के निर्गम के दौरान लेखाओं की मासिक स्थिति की प्रगति की जांच की जानी चाहिए।
- एकरूपता के हित में तथा लेखाओं के सरल समेकन हेतु मंत्रालय लेखाओं के एक आदर्श प्रारूप विकसित करने पर विचार करे।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय को निधियों के जारी करने में पारदर्शिता हेतु अपेक्षित नियमावली तथा निर्धारित दिशानिर्देशों का अनुपालन हमेशा सुनिश्चित करना चाहिए।

- लेखापरीक्षा द्वारा सभी राज्यों में बेरोजगारी भत्ते का गैर-भुगतान तथा आवश्यक अभिलेखों का गैर-अनुरक्षण पाया गया था। बेरोजगारी भत्ते के गैर-भुगतान का संभव कारण केन्द्र सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ते को न बाँटा जाना तथा राज्य राजकोष पर कथित भार हो सकता है। लाभार्थियों के हितों की सुरक्षा हेतु मंत्रालय बे-रोजगारी भत्ते की आंशिक प्रतिपूर्ति पर विचार करे। इसके अतिरिक्त, जब बे-रोजगारी भत्ते के गैर-भुगतान का कोई मामला पाया जाए तो दोषी अधिकारियों के प्रति सख्त कार्रवाई की जाए।
- मंत्रालय सख्ती से निर्धारित मजदूरी सामग्री-अनुपात के अनुरक्षण को मॉनीटर करे। राज्य सरकारों को 60:40 के अनुपात से अधिक में व्यय की राशि को उपयोगी बनाने को कहा जाए।
- ग्रा.पं. स्तर पर भौतिक अभिलेखों का अभाव तथा इनका गलत अनुरक्षण योजना की उपलब्धियों के सत्यापन को एक अत्यन्त कठिन कार्य बनाता है; यह निधियों के दुर्विनियोजन के जोखिम को भी बढ़ाता है। ग्रा.पं. स्तर पर अभिलेख अनुरक्षण को सरल और कारगर बनाने की आवश्यकता है। अभिलेख अनुरक्षण को सभी स्तरों पर करीब से मॉनीटर किया जाना चाहिए तथा निधि निर्गम को अभिलेखों के उपयुक्त अनुरक्षण से जोड़ा जाना चाहिए।
- के.रो.गा.प. तथा मंत्रालय को योजना के उचित कार्यान्वयन हेतु इसकी गहन मॉनीटरिंग को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। उन्हें सत्यापन तथा कार्य की लेखापरीक्षा हेतु एक प्रणाली की रूपरेखा तैयार करने की आवश्यकता है।
- मंत्रालय अथवा के.रो.गा.प. योजना का एक राष्ट्र स्तरीय, विस्तृत, स्वतंत्र मूल्यांकन प्रारम्भ करने पर विचार करे।
- मंत्रालय को सॉफ्टवेयर डिजाइन की जाँच तथा कमियों का समाधान तथा नरेंगा सॉफ्ट में आवश्यक बदलाव करने चाहिए। प्रमाणीकरण तथा डाटा प्रविष्टि के समापन के पश्चात डाटा संशोधन हेतु सख्त नियंत्रण स्थापित करने की आवश्यकता है।

अध्याय 1

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना- विहंगावलोकन

1.1 प्रस्तावना

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में अनुमानित किया गया कि भारत में 30 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। यह भी पाया गया कि गरीबों की संख्या में पिछले तीन दशकों में स्पष्टतया कमी हुई थी तथा कुछ बड़े राज्यों जैसे बिहार (झारखण्ड सहित), मध्यप्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित), महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में गरीबों की सम्पूर्ण संख्या में वास्तव में बढ़ोत्तरी हुई थी।

तालिका-1: भारत में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की प्रतिशतता (1973-2004)

वर्ष	ग्रामीण	शहरी	संयुक्त
1973	56.4	49.0	54.9
1983	45.7	40.8	44.5
1993	37.3	32.3	36.0
2004	28.3	25.7	27.5

स्रोत: ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007-12 भाग III

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज ने अभिज्ञान किया कि गरीबी को तीव्र विकास, रोजगार अवसरों में वृद्धि तथा प्रत्यक्ष रूप से लक्षित गरीबी न्यूनीकरण कार्यक्रमों के माध्यम से कम किया जाएगा। इसने इस तथ्य को भी पहचाना कि ग्यारहवीं योजना के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) तीव्र गरीबी न्यूनीकरण का एक मुख्य मोर्चा होगा।

भारत में गरीबी कम करने हेतु रोजगार सृजन कार्यक्रम, हमेशा से महत्वपूर्ण सरकारी हस्तक्षेप रहे हैं। ये कार्यक्रम लोक निर्माण कार्यों पर लघु-अवधि रोजगार सहित अकुशल श्रमिक प्रदान करते हैं। वे इस रणनीति पर आधारित हैं कि ऐसे क्षेत्र जहाँ उच्च बेरोजगार दर तथा कम रोजगार हैं वहाँ ऐसे कार्यक्रम, मुख्यतः मौसमी बेरोजगारी की क्षीण अवधि के दौरान, गरीबी को और अधिक विकृत होने से बचा सकते हैं। इन कार्यक्रमों के द्वारा स्थायी परिसम्पत्तियों के सृजन में यह आशा की जाती है कि इसमें द्वितीय-चरण रोजगार लाभों को उत्पन्न करने की क्षमता है, चूंकि आवश्यक अवसंरचना विकसित की जा चुकी थी।

यद्यपि, रोजगार सृजन कार्यक्रम, केन्द्रीय तथा राज्य स्तर दोनों पर, हमेशा योजना अभिक्रमों का एक मुख्य विषय रहा है, फिर भी 1989 में जवाहर रोजगार योजना के आरम्भ होने में दिए ऐसे कार्यक्रमों का प्रसार बढ़ा। ऐसे

कार्यक्रमों का आकार तथा संख्या दोनों में विस्तार, अंत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) में चरम बिन्दु पर पहुंचाया गया।

मनरेगा को 7 सितम्बर 2005 को अधिसूचित किया गया था। ममनरेगा का उद्देश्य एक ग्रामीण परिवार, के व्यस्क सदस्य जो स्वेच्छा से अकुशल कार्य करना चाहते हैं, को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवसों के वेतन रोजगार की गारंटी प्रदान कर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना था। योजना के महत्वपूर्ण उद्देश्य स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन करना तथा ग्रामीण गरीबों की आजीविका संरचना आधार को सुदृढ़ करना था।

मनरेगा के माध्यम से, सरकार प्रत्येक ग्रामीण परिवार, जो ऐसे कार्य की माँग करता है तथा जिसका व्यस्क सदस्य जो स्वेच्छा से ऐसा कार्य करने के लिए तैयार है, को रोजगार प्रदान करने हेतु वचनबद्ध है। ऐसा कार्य न्यूनतम मजदूरी दर पर तथा जहाँ, तक संभव हो, गाँव के पाँच कि.मी. की एक परिधि के भीतर, जहाँ आवेदनकर्ता रहते हैं, को प्रदान किया गया था। आवेदन की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर ऐसा मजदूरी रोजगार प्रदान करने में विफलता पर आवेदनकर्ता बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने का पात्र था।

अधिनियम के अंतर्गत मुख्य कार्यान्वयन अभिकरण ग्राम पंचायत (ग्रा.पं.) है। मनरेगा नियोजन, कार्यान्वयन, समाजिक लेखापरीक्षा तथा पारदर्शिता में सामुदायिक भागीदारी को भी महत्व देता है। मनरेगा की अन्य मुख्य विशेषता यह है कि यह ठेकेदारों के उपयोग पर सम्पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। मनरेगा के अंतर्गत प्राथमिक कार्यों के रूप में जल संरक्षण, सूखा तथा बाढ़-प्रतिरोध जैसे श्रमिक-बहुतायत कार्यों को महत्व देता है।

1.2 मनरेगस का विस्तार

2006-07 के दौरान चरण-। में देशभर में 200 जिलों में आरम्भ करते हुए, मनरेगस को 2007-08 के दौरान चरण-॥ में अतिरिक्त 130 जिलों तक बढ़ा दिया गया था। 1 अप्रैल 2008 से मनरेगस ने पूरे ग्रामीण भारत का आवरण किया।

चूंकि अधिनियम के अंतर्गत एक जिला अधिसूचित था (अर्थात्, यह मनरेगस के अंतर्गत शामिल था), इसलिए दो विद्यमान योजनाएं, नामतः, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (सं.ग्रा.रो.यो.) तथा राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम (रा.का.ब.अ.यो) का स्वतः ही मनरेगस में विलय हो गया था। अतः, सं.ग्रा.रो.यो. तथा रा.का.ब.अ.का. का 1 अप्रैल 2008 से, मनरेगस के सभी जिलों मो शामिल करने के बाद, से अस्तित्व पूर्णतः समाप्त हो गया।

1.3 निधीयन पद्धति

योजना के कार्यान्वयन हेतु व्यय की अधिकतम राशि को केन्द्र सरकार द्वारा सहायता अनुदान से पूरा किया जाता है। योजना की निधीयन पद्धति को नीचे **तालिका-2** में दर्शाया गया है:


तालिका-2: निधीयन पद्धति

संघटक	केन्द्र की हिस्सेदारी	राज्य की हिस्सेदारी
अकुशल श्रमिकों हेतु मजदूरी	100 प्रतिशत	-
कुशल तथा अर्ध-कुशल श्रमिक हेतु मजदूरी तथा सामग्री की लागत	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत
अन्य संघटक	प्रशासनिक व्यय जैसा कि केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए	आवेदन के 15 दिनों के भीतर मजदूरी रोजगार प्रदान न किए जाने के मामले में देय बेरोजगारी भत्ता
रोजगार गारंटी परिषदें	केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद का प्रशासनिक व्यय	राज्य रोजगार गारंटी परिषद का प्रशासनिक व्यय

1.4 संगठनात्मक ढाँचा

मनरेगास हेतु भारत सरकार (भा.स.) में केन्द्रक मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रा.वि.म.) है। चार्ट-1 योजना के नियोजन, निष्पादन तथा मॉनीटरिंग करने में केन्द्र तथा राज्य स्तर पर विभिन्न प्राधिकरणों की भूमिका को दर्शाता है।

चार्ट-1: मनरेगास का संगठनात्मक ढाँचा



1.5 वित्तीय परिव्यय तथा भौतिक निष्पादन

कुछ निष्पादन मापदण्डों सहित मनरेगस हेतु जारी निधियाँ तथा उनके प्रति सूचित व्यय का सारांश नीचे दिया गया है:


तालिका-3: मनरेगस के निष्पादन मापदण्ड

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
मनरेगस पर व्यय					
कुल व्यय (₹ करोड़ में)	15,856.89	27,250.10	37,905.23	39,377.27	38,034.70
प्रति जिला औसतन व्यय (₹ करोड़ में)	48.05	44.31	61.24	63.61	49.35
प्रति श्रम-दिवस औसतन व्यय (₹ में)	110	126	134	153	176
प्रति श्रम-दिवस औसतन मजदूरी लागत (₹ में)	75	84	90	100	115
सृजित रोजगार के श्रम-दिवस					
कुल (₹ करोड़ में)	143.59	216.32	283.59	257.15	216.34
प्रति ग्रामीण परिवार (दिनों में)	42	48	54	47	43

स्रोत: केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद द्वारा प्रदत्त सूचना

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि पिछले तीन वर्षों में योजना पर व्यय केवल सार्थक रूप से नहीं बढ़ा है, बल्कि 2011-12 में व्यय में गिरावट भी हुई थी। जैसे कि नीचे चार्ट दर्शाता है कि यद्यपि औसत मजदूरी लागत अथवा अदा की गई मजदूरी बढ़ रही थी, ग्रामीण परिवारों को प्राप्त होने वाले लाभ में प्रति परिवार रोजगार प्रदान करने में गिरावट के द्वारा नकारा गया था।


चार्ट 2: औसतन मजदूरी (₹ में) तथा प्रति परिवार रोजगार



स्रोत: केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद द्वारा प्रदत्त सूचना

नीचे दिया गया चार्ट योजना के अंतर्गत प्रदान रोजगार में अनुसूचित जाति (अ.जा.), अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) तथा महिलाएँ वर्ग की हिस्सेदारी को दर्शाता है। डाटा के अनुसार, महिलाओं को पिछले तीन वर्षों के लिए स्पष्ट रूप से 48 प्रतिशत पर प्रदर्शित किया गया है। तथापि, अ.जा. तथा अ.ज.जा. दोनों की हिस्सेदारी में गिरावट की प्रवृत्ति दर्शा रहे थे, जिसमें अ.ज.जा. की हिस्सेदारी में 2007-08 में गिरावट 29 प्रतिशत से 2011-12 में 19 प्रतिशत रही थी।


चार्ट 3: रोजगार सृजन में अ.जा./अ.ज.जा. और महिलाओं की हिस्सेदारी



स्रोत: केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद द्वारा प्रदत्त सूचना

योजना के अंतर्गत शुरू किए गए कार्यों के विश्लेषण से दिखाता है, कि जबकि शुरू किए गए कार्यों की संख्या लगातार बढ़ी थी, 2011-12 में पिछले वर्ष के संदर्भ के साथ पूर्ण किये गये कार्यों की संख्या में 28 प्रतिशत की गिरावट आयी थी और यह 2011-12 में शुरू किये गये कुल कार्यों का 22.5 प्रतिशत था। प्रति परिवार रोजगार सृजन तथा कार्यों को पूरा करने में गिरावट, योजना के प्राथमिक उद्देश्यों अर्थात् जीविका सुरक्षा प्रदान करना तथा परिसम्पत्तियों का सृजन, को प्राप्त करने में एक विक्षुल्य प्रवृत्ति को दर्शाती है।


चार्ट 4: मनरेगस के अंतर्गत शुरू किए गए कार्यों की स्थिति



स्रोत: केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद द्वारा प्रदत्त सूचना

जैसाकि पाया गया, मनरेगस गरीबी उन्मूलन हेतु ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में मुख्य आधार स्तम्भ था। नीचे दिया गया ग्राफ राज्य ग्रामीण गरीबी आंकड़ों (2009-10) के साथ रोजगार प्रदान किए गए परिवारों की औसतन संख्या (2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान) में सहसंबंध स्थापित करता है। एक समग्र स्तर पर एक राज्य में ग्रामीण गरीबों की संख्या तथा मनरेगस के अंतर्गत रोजगार प्रदान किए गए परिवारों की संख्या के बीच सहसंबंध दिखाई देता है। तथापि, इसमें कुछ उल्लेखनीय अपवाद थे। आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में गरीबी स्तरों की तुलना में मनरेगस का अधिक उपयोग किया गया था। उसी समय बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा तथा उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में उनके गरीबी स्तरों की तुलना में मनरेगस के उपयोग में कमी देखी गयी।

चार्ट 5: राज्यों में रोजगार प्रदान किए गए परिवारों की औसतन संख्या तथा गरीबी स्तर



स्रोत: गरीबी पर योजना आयोग का डाटा तथा रोजगार डाटा के लिए नरेगासाफ्ट

मंत्रालय द्वारा व्यय के राज्य वार विश्लेषण ने दर्शाया कि चार राज्यों (आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तथा उत्तर प्रदेश) ने योजना के अंतर्गत किए गए कुल व्यय का 50 प्रतिशत दर्ज किया। यह भी देखा गया था कि तीन राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, बिहार तथा महाराष्ट्र) ने ग्रामीण गरीबों का 46 प्रतिशत दर्ज किया परंतु निधियों का लगभग केवल 20 प्रतिशत का उपयोग किया तथा परिणामस्वरूप योजना के अंतर्गत कुल परिवारों के केवल 20 प्रतिशत को रोजगार प्रदान किया गया। यह दर्शाता है कि राज्य में गरीबी स्तर तथा मनरेगस के कार्यान्वयन के बीच सह-संबंध बहुत कम था। राज्य-वार विवरण अनुबंध-1क में दिए गए हैं।

अध्याय
2

लेखापरीक्षा दृष्टिकोण, पूर्व निष्पादन लेखापरीक्षा तथा वर्तमान लेखापरीक्षा निष्कर्षों का संगठन

2.1 लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

2.1.1 लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नवम्बर 2011 में योजना की लेखापरीक्षा हेतु अनुरोध किया था। योजना के महत्व, वित्तीय परिव्यय तथा प्रभाव को ध्यान में रखते हुए एक निष्पादन लेखापरीक्षा का संचालन किया गया था। लेखापरीक्षा दिशानिर्देश तैयार करने के पश्चात, 01 मई 2012 को ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ एक प्रवेश सम्मेलन किया गया, जिसमें लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली, क्षेत्र, उद्देश्यों तथा मापदण्डों पर चर्चा की गई, इसी के साथ निष्पादन लेखापरीक्षा आरम्भ की गई।

मनरेगास के कार्यान्वयन से संबंधित प्रक्रियाओं की मितव्ययिता, दक्षता तथा प्रभावकारिता का निर्धारण करने हेतु लेखापरीक्षा प्रक्रिया में ग्राम पंचायत (ग्रा.पं.) स्तर पर विभिन्न दस्तावेजों, प्रक्रियाओं और चुने हुए निर्माण कार्यों का निरीक्षण शामिल किया गया था। योजना के संबंध में अन्तिम उपभोक्ता की अनुभूति का पता लगाने हेतु तैयार एक प्रश्नावली की मदद में एक लाभार्थी सर्वेक्षण भी किया गया था। उसी समय पर लेखापरीक्षा ब्लाक, जिला तथा राज्य स्तर पर तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय पर की गई थी। लेखापरीक्षा के निष्कर्ष एवं समेकन तथा लेखापरीक्षा निष्कर्षों के विश्लेषण के पश्चात 24 दिसंबर 2012 को ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रालय के एक दल के साथ एक निर्गम सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें प्रारूप लेखापरीक्षा निष्कर्षों तथा अनुशंसाओं पर चर्चा की गई थी। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों के साथ भी निर्गम सम्मेलन भी किए गए थे जिनमें राज्य-विशिष्ट निष्कर्षों पर चर्चा की गई थीं।

2.1.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह निर्धारित करने हेतु प्रारम्भ की गई थी कि क्या:

- अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु संरचनात्मक तंत्र स्थापित किया गया है तथा केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा पर्याप्त क्षमता निर्माण उपाय किए गए थे;
- कार्य हेतु अपेक्षित माँग का अनुमान लगाने हेतु विभिन्न स्तरों पर परिषेक्ष्य एवं वार्षिक योजना तैयार करने हेतु प्रक्रियाएं, तथा परियोजनाओं की शेल्फ तैयार करना पर्याप्त तथा प्रभावी था;
- केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा निधियाँ अधिनियम और वर्तमान नियमावली के प्रावधानों के अनुपालन में जारी, दर्ज तथा उपयोग की गई थी;
- अधिनियम और नियमावली के अनुपालन में परिवारों के पंजीकरण, जॉब कार्डों के आबंटन तथा रोजगार के आवंटन की प्रक्रिया प्रभावी थी,

- आजीविका सुरक्षा को सुनिश्चित करने के प्राथमिक उद्देश्य को मांग करने पर ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों को 100 दिनों के वार्षिक रोजगार देकर प्रदान किया गया था, तथा मजदूरी जितनी घोषित की गई थी, उतनी अदा की गई थी;
- मनरेगस कार्यों को समयबद्ध तरीके तथा अधिनियम एवं नियमों के अनुपालन में दक्षता तथा प्रभावी रूप से निष्पादित किया गया था तथा स्थायी परिसम्पत्तियाँ का सृजन, अनुरक्षण तथा उचित रूप दर्ज किया गया था।
- योजना का अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के साथ अभिसरण, जैसा कि परिकल्पित था, को मनरेगस योजना के अंतर्गत रोजगार अवसरों को बढ़ाने में प्रभावी रूप से प्राप्त किया गया था;
- विभिन्न स्तरों पर सभी अपेक्षित अभिलेखों का उचित रूप से अनुरक्षण किया गया था तथा मनरेगस सू.प्र.प्र. डाटा यथार्थत विश्वसनीय तथा सामयिक था;
- कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर सभी पण्धारियों को शामिल करके पादर्शिता बनाई गई थी; तथा
- प्रत्येक परिवार स्थानीय श्रमिक बाजार, प्रवसन चक्र तथा सृजित परिसम्पत्तियों की क्षमता पर मनरेगस के प्रभाव का निर्धारण करने हेतु केन्द्रीय तथा राज्य स्तर पर प्रभवी क्रिया तंत्र विद्यमान था।

2.1.3 लेखापरीक्षा मापदण्ड

निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षा मापदण्ड के मुख्य स्रोत थे:

- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम-2005 (अधिनियम) तथा उसके संशोधन;
- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भा.स., द्वारा जारी परिचालनात्मक दिशानिर्देश, 2006 तथा 2008;
- राष्ट्रीय रोजगार गारंटी (केन्द्रीय परिषद) नियमावली, 2006;
- राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि नियमावली, 2006;
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की लेखापरीक्षा नियमावली, 2011;
- योजना के संबंध में ग्रा.वि.म. द्वारा जारी परिपत्र;
- राज्यों द्वारा आंतरिक मानीटरिंग हेतु दिशानिर्देश/जांचसूची, तथा
- राज्य सरकारों/स.शा.क्षे. द्वारा तैयार योजना नियमावली, दरों की अनुसूची तथा निष्पादन संकेतक।
- सामान्य वित्तीय नियमावली (स.वि.नि.), 2005।

2.1.4 लेखापरीक्षा क्षेत्र तथा नमूना

निष्पादन लेखापरीक्षा ने 28 राज्यों तथा चार संघ शासित क्षेत्रों में 2007-08 से 2011-12 तक योजना के अंतर्गत गतिविधियों को शामिल किया। नमूने का चयन अर्थात् जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत (ग्रा.पं.), कार्य एवं लाभार्थी स्तर पर बहु-स्तर सांख्यिकीय नमूना तकनीक का उपयोग करके किया गया था। उपयोग की गई नमूना योजना को चार्ट-6 में दर्शाया गया है।

चार्ट-6: नमूना योजना

जिला स्तर: वि.प्र.स.या.न.* का उपयोग करके, प्रत्येक राज्य को स्तर में विभाजित किया गया था, न्यूनतम दो के तहत प्रत्येक स्तर से 25 प्रतिशत जिले

ब्लॉक स्तर: वि.प्र.सं.या.न.* का उपयोग करके, दो ब्लॉक (उस मामले में जहाँ चयनित जिलों में ब्लॉकों की संख्या 10 से कम है) अथवा तीन ब्लॉक

ग्राम पंचायत स्तर: बि.प्र.सं.आ.सं. का उपयोग करके, प्रत्येक चयनित ब्लॉक से 25% ग्रा.पं. के तहत अधिकतम 10 ग्रा.पं.

कार्य स्तर: बि.प्र.स.या.न* का उपयोग करके प्रत्येक चयनित ग्रा.पं. से 10 कार्य

लाभार्थी स्तर: प्रणालीगत यादृच्छिक नमूना का चयन करके 10 लाभार्थी

*वि.प्र.स.या.न: बिना प्रतिस्थापन सरल यादृच्छक नमूना


बि.प्र.सं.आ.सं.* बिना प्रतिस्थापन संभावित आकार के समानुपात

परिणामतः नमूना योजना का कुल नमूना आकार निम्नानुसार था:

- 28 राज्य तथा चार संघ शासित क्षेत्र;
- 182 जिले;
- चयनित जिलों के भीतर 458 ब्लॉक; तथा
- चयनित ब्लॉकों में 3,848 ग्रा.पं.¹।

चयनित नमूने का व्यौरे अनुबंध-
2क तथा 2ख के रूप में संलग्न हैं। जिलों का विस्तार नीचे मानचित्र में किया गया है। नमूना योजना के अंतर्गत सलेटी रंग में दर्शाए गए जिलों का चयन किया गया था।

मानचित्र 1: नमूना योजना के अंतर्गत चयनित जिले



¹ नागालैण्ड में ग्राम विकास बोर्ड (ग्रा.वि.बो.), मिजोरम में ग्राम परिषद् (ग्रा.प.) लक्ष्यद्वीप में ग्राम द्वीप पंचायत (ग्रा.द्व.प.) अन्य राज्यों में ग्राम पंचायत (ग्रा.प.) के समकक्ष है।

2.2 पूर्व लेखापरीक्षा निष्कर्ष

फरवरी 2006 से मार्च 2007 तक की अवधि हेतु मनरेगस की निष्पादन लेखापरीक्षा 2007-08 में की गई थी तथा निष्कर्षों को 2008 की प्रतिवेदन सं. पी.ए. 11 (संघ सरकार-निष्पादन मूल्यांकन) के माध्यम से संसद को सूचित किया गया था। मुख्य निष्कर्ष निम्नानुसार थे:

- मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 3.81 करोड़ परिवारों को अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था। इनमें से, जबकि 2.12 करोड़ परिवारों ने रोजगार की मांग की थी किन्तु 2006-07 के दौरान 2.10 करोड़ परिवारों का रोजगार प्रदान किया गया था। तथापि, मंत्रालय के आंकड़ों को बिल्कुल विश्वसनीय अथवा प्रमाणनीय नहीं कहा जा सकता क्योंकि विशेषरूप से ग्रा.पं.स्तर पर अनुरक्षित अभिलेख, अपर्याप्त था। कार्य हेतु मांग के केवल आंशिक अभिग्रहण की उच्च संभावना है।
- कार्य हेतु आवेदनों को प्राथमिक रूप से ग्राम पंचायत में प्रस्तुत किया जाना था यद्यपि कार्य हेतु आवेदनों को ब्लॉक के कार्यक्रम अधिकारी को भी प्रस्तुत किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त, 50 प्रतिशत कार्य ग्रा.पं. को आवंटित किया जाना था। इसलिए, माँग किए रोजगार, प्रदत्त रोजगार, सृजित रोजगार के दिनों की संख्या, रोजगार भत्ते की पात्रता आदि के उपयुक्त अभिलेखों का अनुरक्षण करना महत्वपूर्ण था। यह पाया गया था कि ग्रा.पं. तथा ब्लॉक स्तरों पर मूल अभिलेखों का अनुरक्षण कमजोर था जिसके परिणामस्वरूप मांग किए रोजगार, प्रदत्त रोजगार, सृजित रोजगार के दिनों की संख्या, रोजगार भत्ते की पात्रता आदि के आंकड़ों की वास्तविकता को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका। मस्टर रोल के अनुरक्षण में भी पर्याप्त कमियाँ पाई गई थीं।
- जॉब कार्ड पर तस्वीरें, धोखा-धड़ी तथा दुर्विनियोजन के प्रति एक आवश्यक नियंत्रण प्रस्तुत करते हैं। जॉब कार्ड पर फोटोग्राफ चिपकाने में पर्याप्त विलम्ब थे।
- चूंकि कार्य हेतु माँग के आवेदनों को प्रलेखित अथवा दिनांकित नहीं किया, तथा अधिकतर मामलों में ऐसे आवेदनों हेतु दिनांकित प्राप्तियाँ जारी नहीं की गई थीं इसलिए इन मामलों में, बेरोजगारी भत्ते हेतु ग्रामीण परिवारों का पात्रता गैर-सत्यापनीय थी।
- मजदूरी के विलम्बित भुगतान के कई मामले थे, जिनके लिए कोई क्षतिपूर्ति अदा नहीं की गई थी। बेरोजगारी भत्ते के गैर भुगतान के भी उदाहरण थे जो रोजगार मांगकर्ताओं के प्रति देय थे।
- कार्यान्वयन मशीनरी की स्थापना में विशेष रूप से ब्लॉक तथा ग्रा.पं. स्तर पर, पूर्ण कालिक कार्यक्रम अधिकारी को नियुक्त न करना तथा ग्राम रोजगार सेवकों की नियुक्ति न करना, जैसी कमियाँ पाई गई थीं। श्रमशक्ति की यह अपर्याप्तता, विशेष रूप से ग्रा.पं. स्तर पर, ग्रा.पं. स्तर पर अभिलेखों के अनुरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव था जिसने माँग करने पर 100 दिनों के रोजगार की विधिक गांरटी के अनुपालन को सत्यापित करना कठिन बनाया।
- योजना प्रक्रिया में, विशेष रूप से पाँच वर्षीय जिला परिप्रेक्ष्य योजनाओं (जि.प.यो.) में कमियाँ थीं।
- अधिकतर राज्यों ने जिला-वार दरों की अनुसूची तैयार नहीं की थी तथा लो.नि.वि./ग्रामीण विकास विभाग की दरों की अनुसूची को अपनाया था जो के श्रमिकों जैसे कठिन भू-आकृति वैज्ञानिक स्थिति में कमजोर शरीर महिलाओं की द्वारा कार्य के सात घण्टों की न्यूनतम मजदूरी को आवश्यक रूप से सुनिश्चित नहीं करती।

- वित्तीय प्रबंधन तथा इस पर नजर रखने निहित लेखों के मिलान तथा मासिक संचालित करने में विफलता के महत्वपूर्ण मामलों के साथ प्रणाली त्रुटिपूर्ण थी निधियों के विपथन एवं दुर्स्पर्योग तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्रों एवं व्यय ब्यौरों को प्रस्तुत न करने के कई उदाहरण पाए गए थे।
- राज्य, जिले तथा ब्लॉक स्तर पर कार्यों के निरीक्षण की स्थिति खराब थी तथा अधिकतर राज्यों ने राज्य एवं जिला गुणवत्ता मानीटरों को नामित नहीं किया था। कई मामलों में, सामाजिक लेखापरीक्षा अदालते चलाने हेतु वर्ष में दो बार ग्राम सभा भी नहीं की गई थी।

2.3 नि.म.ले.प. की निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के निष्कर्षों के आधार पर ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लोक लेखा समिति को सूचित (फरवरी 2011) की गई अभ्युक्तियों/अनुशंसाओं पर केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा सूचित कार्रवाई:

- सभी राज्य सरकारों ने मनरेगा के प्रावधानों के अनुसार राज्य रोजगार गांरटी परिषद (रा.रो.गा.प.) का गठन किया तथा राज्य ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना का निरूपन किया था।
- मंत्रालय ने योजना के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने हेतु उपायों की अनुशंसा के लिए विभिन्न संचालन समूहों का गठन किया। लेखापरीक्षा द्वारा उजागर त्रुटियों को इन संचालन समूहों द्वारा देखा जाए। संचालन समूहों द्वारा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण पर मंत्रालय अनुवर्ती कार्रवाई करेगा तथा जहाँ आवश्यक हो अधिनियम के साथ-साथ संचालन दिशानिर्देशों में उपयुक्त संशोधन किए जाएंगे।
- भारत सरकार ने मनरेगा को कार्यान्वित करने की वार्षिक लागत के प्रशासनिक व्यय को 4 प्रतिशत से 6 प्रतिशत तक बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की थी। राज्य सरकारों को बढ़े हुए प्रशासनिक व्यय को उस तरीके से उपयोग करने की भी सलाह दी गई थी कि जिलों की आवश्यकताओं पर प्रतिक्रिया करे तथा जो विद्यमान है उसमें मूल्य वृद्धि करे।
- राज्य सरकारों को आवश्यकता के अनुसार संविदात्मक आधार पर स्टाफ नियुक्त करना अनुमत किया गया है।
- राष्ट्रीय स्तर मानीटरों (रा.स्त.मा.) द्वारा मानीटरिंग हेतु प्रारूप को भी निर्धारित किया गया है तथा इसका विभिन्न स्रोतों से प्राप्त प्रतिपुष्टि के अनुसार सभी संबंधित सांविधिक सूचना के अभिग्रहण हेतु नियमित रूप अद्यतन किया जाता है।
- मंत्रालय ने आकाशवाणी के माध्यम से सूचना शिक्षा एवं संचार (सू.शि.सं.) गतिविधियों को सुदृढ़ करने के मामले भी उठाए हैं।
- अधिनियम के अंतर्गत संचालन समूह न्यूनतम निर्धारित मजदूरी के गैर-भुगतान के मामलों को देखेगा। समूह की अनुशंसाओं की प्राप्ति पर मंत्रालय द्वारा उपयुक्त कदम उठाए जाएंगे।
- मंत्रालय ने अपर्याप्त स्टाफ का मामलों डाक विभाग (डा.वि.) तथा वित्तीय सेवाएं विभाग (वि.से.वि.) दोनों के साथ उठाया है। योजना आयोग ने डा.वि. को मनरेगा के अंतर्गत कार्यकर्ताओं को मजदूरी के संवितरण से संबंधित कार्य की बढ़ती प्रमात्रा से निपटने हेतु ग्रामीण डाक घरों में स्टाफ नियुक्ति करने सहित अपनी अवसंरचना को सुदृढ़ करने हेतु निधियाँ संस्वीकृत की हैं।

- मंत्रालय ने राज्य सरकारों को आगम्य क्षेत्रों में, जहाँ डाक घरों एवं बैंकों की पहुँच उपलब्ध नहीं है, व्यवसाय सहसंबंधियों की नियुक्ति को संभावना का अनुवेषण करने हेतु अनुमति प्रदान की है।
- डाक विभाग को प्रति खाता भुगतान के संबंध में यह सूचित किया गया है कि मंत्रालय की पहल के अनुसार वित्त मंत्रालय डाक घर बचत खाते (द्वितीय संशोधित) नियमावली 2008 में बदलाव किए हैं तथा तदनुसार मनरेगस के कार्यकर्ताओं के एकल/संयुक्त खाता खोलने हेतु कोई जमा अपेक्षित नहीं है।
- कार्य के माप के संबंध में संचालन समूहों की अनुशंसाओं की प्राप्ति पर परिचालन दिशानिर्देशों को संशोधित करने हेतु उपयुक्त उपाय किए जाएंगे।
- मंत्रालय के रा.स्त.मा. प्रभाग को यह सुनिश्चित करने हेतु सलाह दी जाएगी कि राष्ट्र स्तरीय मानीटरों ने उनके दौरों के दौरान ग्रा.पं. द्वारा का.अ. को प्रस्तुत दस्तावेजों सहित कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत मासिक प्रगति रिपोर्ट (मा.प्र.रि.) का पुनः से सत्यापन करें।
- सांविधिक प्रावधानों के अनुसार सामाजिक लेखापरीक्षा करने को श्रम बजट में रखांकित प्रक्षेपणों के आधार पर राज्य सरकारों को निधियां जारी करने से पूर्व एक शर्त के रूप में निर्धारित किया गया है। वित्तीय नियमावली, 2009 भी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को केन्द्रीय निधियों की निमुक्ति हेतु एक शर्त के रूप में सांविधिक प्रावधानों के अनुसार सामाजिक लेखापरीक्षा करने को शामिल करेगी।
- मंत्रालय ने राज्य सरकारों/सं.शा.क्षे. को शिकायतों के प्रभावी तथा अविलम्ब रूप से निपटान हेतु लोकपाल कार्यालय की स्थापना के निर्देश भी दिए हैं। इस संबंध में प्रगति की नियमित रूप से मॉनीटर किया जाता है।
- मंत्रालय ने पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व के भाग के रूप में महात्मा गांधी नरेगा के 61 प्रभ्यात नागरिकों को स्वतंत्र मॉनीटरिंग हेतु चयनित किया है।
- राज्यों को एक बार फिर से निर्धारित स्तरों के निरीक्षणों को करने के साथ-साथ जहाँ कहीं सतर्कता मानीटरिंग समिति गठित नहीं है उसे गठित करने की सलाह दी जाएगी।
- इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय स्तर मानीटरों को राज्य सरकारों द्वारा निरीक्षण के निर्धारित स्तरों की अनुपालना का पता लगाने को कहा जाएगा।
- मंत्रालय राज्यों/सं.शा.क्ष. में उनके प्रत्युतर की संभावना का अन्वेषण करने हेतु राज्यों में उत्तर एवं अच्छे अभ्यास का अध्ययन करेगा। इन्हें राज्यों के साथ बाँटा जाएगा तथा नरेगा वैबसाईट पर डाला जाएगा।
- मंत्रालय राज्यों के साथ परामर्श से कार्यान्वयन में बड़े विचलनों के कारणों की जाँच करने हेतु समग्र समीक्षा करेगा तथा उपयुक्त शोधक/उपचारी उपाय करेगा।
- मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श से जनाश्री बीमा योजना के लाभों को महात्मा गांधी नरेगा कार्यकर्ताओं तक विस्तरित किया है तथा राज्यों को जनाश्री बीमा योजना के अंतर्गत कार्यकर्ताओं को शामिल करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।
- मंत्रालय अनुग्रह राशि को उचित रूप से बढ़ाने तथा महात्मा गांधी नरेगा में आवश्यक संशोधन करने हेतु समिति की अनुशंसाओं की जाँच करेगा।

2.4 वर्तमान लेखापरीक्षा निष्कर्षों का संगठन

समग्र लेखापरीक्षा निष्कर्ष - लेखापरीक्षा मामलों का देशव्यापी परिप्रेक्ष्य से विश्लेषित किया गया है तथा विभिन्न राज्यों में निष्कर्षों पर केवल संक्षिप्त सूचना का सार प्रदान किया गया है। इस भाग में लेखापरीक्षा निष्कर्षों को निम्नानुसार 14 विभिन्न अध्यायों में सूचित किया गया है। इस प्रतिवेदन को अध्याय 1 एवं 2 में संक्षिप्त विट्ट्यावलोकन तथा लेखापरीक्षा निष्कर्षों तक पहुंचने हेतु अपनाई गई लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली दी गई है। अध्याय 3 में हमने योजना के योजनागत पहलुओं से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों का वर्णन किया है। अध्याय 4 में योजना के अंतर्गत क्षमता निर्माण में कमियों का ब्यौरा देता है तथा अध्याय 5 योजना के वित्तीय प्रबंधन में अनियमितताओं को प्रकट करता है। अध्याय 6 मामलों से संबंधित प्रक्रियाओं तथा जॉब कार्डों के अनुरक्षण में कमियों को उजागर करता है तथा अध्याय 7 रोजगार सृजन उद्देश्यों का चित्रण करता है। अध्याय 8 मनरेगा के अंतर्गत राज्यों द्वारा प्रारम्भ कार्यों के निष्पादन के अंतर्गत हो रही कमियों को बताता है। अध्याय 9 योजना के अभिसरण पहलुओं को शामिल करता है। अध्याय 10 अभिलेखों के अनुरक्षण में कमियों को उजागर करता है तथा अध्याय 11 योजना की मानीटरिंग तथा मूल्यांकन में कमियों को दर्शता है। एक अलग अध्याय (12) नरेगा सॉफ्ट/सू.प्र.प्र. की सू.प्रौ. लेखापरीक्षा से संबंधित निष्कर्षों को समर्पित किया गया है। अध्याय 13 लाभार्थियों के साथ साक्षात्कारों के निष्कर्षों से संबंधित है। अध्याय 14 निष्पादन लेखापरीक्षा निष्कर्षों को दर्शाता है। राज्य-विशिष्ट विशिष्टताएं अनुबंध-13 में दी गई हैं। इस भाग में, सभी 28 राज्यों के लिए एक विशेष राज्य और चार सं.शा.क्षे. से संबंधित निष्कर्षों का सार प्रस्तुत किया गया है।

2.5 आभार प्रकट

लेखापरीक्षा, निष्पादन लेखापरीक्षा करने के विभिन्न स्तरों पर मंत्रालय, राज्य सरकारों, कार्यान्वयन विभागों तथा उनके अधिकारियों, पंचायती राज अधिकारियों, केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद तथा राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा प्रदान सहयोग तथा सहायता हेतु आभार प्रकट करती है।

3.1 प्रस्तावना

आवेदन की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान करने के दायित्व ने अग्रिम योजना को आवश्यक बनाया। नियोजन प्रक्रिया का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मांगने पर, जिला पहले से ही सृजित रोजगार प्रदान करे (परिचालन दिशा-निर्देशों का पैरा 4.1.1)। कार्य की मांग से पर्याप्त रूप से मेल करने हेतु, कार्य की मात्रा का पूर्व मूल्यांकन जिसकी मांग की जानी है के साथ इस मांग के समय, की आवश्यकता है। अधिनियम एवं दिशा-निर्देश, कार्यान्वन अभिकरणों से अपेक्षा करते हैं कि वह दो प्रकार की योजनाएं बनाए विकास योजना (धारा 16(3)), जो कि एक वार्षिक कार्य योजना है, तथा परिष्कृत योजना (परिचालनात्मक दिशानिर्देशों का पैरा 4.5.1) जो रोजगार सृजन एवं निरंतर विकास के द्वारा कार्य प्राथमिकताओं के साथ गरीबी उन्मूलन की दीर्घकालिक रणनीति को एकीकृत करने का प्रयास करती है।


3.2 वार्षिक कार्य योजना/विकास योजना

वार्षिक कार्य योजना/विकास योजना एक वर्ष में प्रारम्भ की जाने वाली गतिविधियों को चिह्नित करता है। विकास योजना में चार घटकों का शामिल होना आवश्यक है:

- श्रमिकों की मांग का मूल्यांकन;
- कार्य हेतु अनुमानित श्रमिक मांग को पूरा करने के लिए कार्यों की पहचान;
- कार्य एवं मजदूरी की अनुमानित लागत; तथा
- रोजगार सृजन एवं भौतिक सुधारों के रूप में लाभ की अपेक्षा।

चूंकि योजना का कार्यान्वन, ग्राम पंचायत की प्राथमिक जिम्मेदारी है, यह नियोजन की प्रक्रिया में प्राथमिक इकाई भी है। ग्राम पंचायत द्वारा तैयार सभी योजनाओं का मध्यवर्ती समेकन को ब्लॉक स्तर पर किया गया; फिर इन्हें जिला योजना/श्रमिक बजट में समेकित किया जाता है तथा राज्य सरकारों द्वारा मंत्रालय को भेजा जाता है। राज्यों/सं.शा.क्षे. द्वारा प्रस्तुत श्रमिक बजट रोजगार सृजन के मूल्यांकन हेतु एक महत्वपूर्ण उपकरण है तथा आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यों/सं.शा.क्षे. को निधि आवंटन के लिए आधार बनता है। दिशा-निर्देश, वार्षिक योजना को तैयार करने हेतु एक विस्तृत अधिसूची निर्धारित करते हैं जिसका संक्षेप नीचे दिया गया है:

चार्ट 7: वार्षिक योजनाओं की तैयार करने की प्रक्रिया



3.2.1 ग्राम सभा बैठक

ऊपर दिया गया चार्ट-7 दर्शाता है कि नियोजन प्रक्रिया का पहला कदम ग्राम सभाओं की भूमिका से संबंधित है। परिचालनात्मक दिशा-निर्देशों के पैरा 4.4.5 के अनुसार, आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान, अग्रता क्रम, से कार्यान्वयन योग्य कार्यों की पहचान करने हेतु प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को ग्राम सभा होनी चाहिए। इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी कार्यक्रम अधिकारी की है। लेखापरीक्षा ने पाया कि ग्रा.पं. स्तर (अनुबंध-3क) पर वार्षिक योजनाओं के अनुमोदन हेतु तीन राज्यों तथा एक सं.शा.क्षे. अर्थात् कर्नाटक, पंजाब, पश्चिम बंगाल एवं लक्ष्यद्वीप के 231 ग्रा.पं. (नमूना परीक्षित ग्रा.पं. का छ: प्रतिशत) में ग्राम सभा की बैठकें नहीं हुई थीं। इसने इंगित किया कि इन मामलों में तैयार योजनाओं में स्थानीय समुदाय की जरूरतों को सम्मिलित नहीं किया गया था।

3.2.2 ग्रा.पं. स्तर पर योजना को तैयार न किया जाना

अधिनियम की धारा 16(3) के अंतर्गत, ग्राम सभा से वास्तविक आवश्यकता के आधार पर योजना को तैयार करना अपेक्षित था। लेखापरीक्षा ने पाया कि 28 राज्यों तथा चार सं.शा.क्षे. की नमूना जांच की गई कुल 3848 ग्रा.पं. में से अरुणाचल प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, झारखण्ड, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु तथा पुदुचेरी के 11 राज्यों तथा एक सं.शा.क्षे. की 1201 ग्रा.पं. (31 प्रतिशत) में वार्षिक योजनाएं या तो तैयार नहीं की गई थीं या फिर अपूर्ण तरीके से तैयार की गई थीं। अनुबंध-3क में विवरण दिया गया है। आगे, उपरोक्त राज्यों में से तीन राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, गोवा तथा गुजरात की नमूना जांच की गई ग्रा.पं. में से किसी

में भी योजनाएं तैयार नहीं की गई थी। वार्षिक कार्य योजना की अनुपस्थिति, केवल कानूनी तौर पर अनिवार्य 15 दिनों के भीतर रोजगार की मांग को पूरा करना कठिन बना देगा, अपितु इसका परिणाम ऐसे कार्यों का निष्पादन भी हो सकता है जो कि स्थानीय समुदाय के लिए प्राथमिकता न रखते हों।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया (नवम्बर 2012) कि राज्यों से लेखापरीक्षा अभियुक्ति पर टिप्पणी प्रस्तुत करने के लिए कहा जा रहा है।

3.2.3 जिला वार्षिक योजना/श्रम बजट

जिला पंचायत द्वारा ब्लॉक स्तर योजना को समेकित करना एवं श्रमिक बजट के अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को अग्रेषित करना अपेक्षित था। यह पाया गया कि 49 जिलों (सभी नमूना जांच किए गए सभी जिलों में से 26 प्रतिशत) में नौ राज्यों तथा एक सं.शा.क्षे. अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा दादरा एवं नागर हवेली में जिला वार्षिक योजनाएं तैयार नहीं की गई थीं। इन मामलों के विवरण **अनुबंध-3क** में दिए गए हैं।

3.2.4 परियोजनाओं की पर्याप्त संख्या

परियोजनाओं की पर्याप्त संख्या विकास योजना (परिचालनात्मक दिशा-निर्देशों का पैरा 4.2.1) का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि ग्रा.प. के समक्ष कार्य हेतु मांग रखते ही शीघ्रता से कार्यों की शुरूआत करने को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे नियोजित कार्यों की पर्याप्त संख्या आवश्यक है। हमने पाया कि 8 राज्यों तथा दो सं.शा.क्षे. अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दादरा व नागर हवेली एवं पुदुचेरी में 41 जिलों (सभी नमूना परीक्षित सभी जिलों का 22 प्रतिशत) में विकास योजना में परियोजनाओं की पर्याप्त संख्या का ब्लॉक-वार विवरण सम्प्रिलित नहीं था। परियोजनाओं की पर्याप्त संख्या का अभाव, योजना के अंतर्गत एक तदर्थ तरीके से कार्यों के चयन अथवा कार्यों के आरंभ में विलंब के जोखिम से परिपूर्ण थे। परियोजनाओं की पर्याप्त संख्या की अनुपस्थिति के कारण पंजाब में संबंधित समस्या पाई गई जहाँ भुंगा एवं तलवारा ब्लॉक (होशियारपुर जिला) में 52 ग्रा.प्र. ने अप्रैल 2008 से अक्टूबर 2010 के दौरान ₹36.42 लाख लौटा दिए थे क्योंकि वह 2007-08 से 2010-11 में परियोजनाओं की पर्याप्त संख्या की आवश्यकता हेतु जारी अनुदान का उपयोग नहीं कर सके थे। राज्य-वार विवरण **अनुबंध-3क** में दिया गया है।

3.2.5 वार्षिक योजना में प्रक्षेपित रोजगार सृजन का शामिल न किया जाना

परिचालनात्मक दिशा-निर्देशों के पैरा 4.3(iiiक) के अनुसार, लोग दिनों में मापे गए सृजित रोजगार के मामले में अनुमानित लाभ, वार्षिक योजना को तैयार करने हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत होने थे। योजना के अनुमानित श्रमिक मांग को पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 10 राज्यों/सं.शा.क्षे. अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और पुदुचेरी में 58 जिलों (सभी नमूना परीक्षित जिलों का 31 प्रतिशत) में प्रक्षेपित रोजगार सृजन, योजना में शामिल नहीं था। आगे, पांच राज्यों अर्थात् असम, हरियाणा, नागालैंड, पंजाब तथा तमिलनाडु में 12 जिलों (सभी नमूना परीक्षित जिलों का 6.5 प्रतिशत) में परिचालन दिशा-निर्देशों के पैरा 4.2.2(iii) का उल्लंघन में जिला योजनाओं ने प्रत्येक परियोजना पर कुल लागत नहीं दर्शाई थी, विवरण **अनुबंध-3क** में दिए गए हैं।

3.2.6 ग्रा.पं. द्वारा निर्माणकार्य 50 प्रतिशत

ग्रा.पं. द्वारा लागत के अनुसार न्यूनतम 50% कार्यों का निष्पादन किया जाना था (अधिनियम का अनुच्छेद 16 (5))। यह पाया गया कि चार राज्यों अर्थात् बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र एवं पंजाब में 10 जिलों की जिला योजनाओं में, के अंतर्गत अनिवार्य, ग्रा.पं. द्वारा 50 प्रतिशत कार्यों के निष्पादन को सुनिश्चित नहीं किया गया था। नियोजन चरण पर ही हुई भूल को निष्पादन चरण पर नियंत्रण कर पाना अति कठिन होगा। राज्य-वार विवरण अनुबंध-3ख में दिए गए हैं।

3.2.7 नियोजन प्रक्रिया में अन्य विसंगतियां

सिंचित क्षेत्र, ग्राम संयोजकता आदि जैसे स्थायी परिणामों को जिला योजनाओं का भाग होना था (परिचालन दिशा-निर्देशों का पैरा 4.3(iii)g)। यह 13 राज्यों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, नागालैंड, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखण्ड (अनुबंध-3ख) के 87 जिलों के मामले में यह नहीं पाए गए थे (नमूना परीक्षित सभी जिलों का 48 प्रतिशत)। आगे, प्रत्येक नियोजित कार्य को एक अद्वितीय कार्य संहिताओं को नियत किया जाना था। 11 राज्यों/सं.शा.क्षे. अर्थात् असम, बिहार, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखण्ड और लक्ष्मीप में 58 जिलों (नमूना परीक्षित सभी जिलों का 32 प्रतिशत) में यह नियत नहीं थे। आगे, 9 राज्यों अर्थात् असम, बिहार, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, नागालैंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में 67 जिलों (नमूना परीक्षित सभी जिलों का 37 प्रतिशत) में, योजनाओं में फसल ढांचा डाटा का उपयोग नहीं किया गया था। इन मामलों का विवरण अनुबंध-3ख में दिया गया है।

3.2.8 योजना की तैयारी में विलम्ब

परिचालनात्मक दिशा-निर्देश नियत करते हैं कि अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित अनुमोदन के अनुक्रम, विभिन्न स्तरों के मध्य समयबद्ध समन्वय को जरूरी बना देता है, ताकि अधिनियम के मूलभाव एवं अभिप्रेत को अनुरक्षित किया जा सके। इसने आगे नियत किया कि यह कानूनी तौर पर जरूरी है कि किसी भी स्तर पर कार्यों की योजना के अनुमोदन में कोई भी विलम्ब न हो। यह समय अनुसूची का भी प्रावधान करता है जैसा कि ऊपर चार्ट 7 में दर्शाया गया है। तथापि, वार्षिक योजनाओं के प्रस्तुतीकरण में लगातार विलंब हुए थे जैसा कि नीचे तालिका-4 में दर्शाया गया है:

तालिका-4: वार्षिक योजना/श्रमिक बजट के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

वार्षिक योजना प्रस्तुतीकरण	लक्षित तिथि (प्रत्येक वार)	पाई गई अनियमितता	विलंब प्रसार (महीनों में)	लेखापरीक्षा को प्रस्तुत न किए गए अभिलेख/तिथियां
ग्राम पंचायत से ब्लॉक	15 अक्टूबर	5 राज्यों में 197 ग्रा.पं.	1 से 21	9 ¹
ब्लॉक से जिला कार्यक्रम अधिकारी	30 नवम्बर	8 राज्यों में 47 ब्लॉक	1 से 12	9 ²
जिला से राज्य सरकार	31 दिसम्बर	9 राज्यों में 36 जिले	10 दिनों से 11 महीने	4 ³
राज्य से ग्रा.पि.मं.	31 जनवरी	8 राज्य	23 दिनों से 10 महीने	2 ⁴

¹ बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड।

² बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश।

³ छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा।

⁴ गुजरात, कर्नाटक।

विलंब का विवरण **अनुबंध-3ग(i-iv)** में दिए गए है। पाँच राज्यों जहाँ अभिलेख उपलब्ध कराए गए थे वहाँ 197 ग्राम पंचायतों द्वारा 167 दिनों (औसत) के विलम्ब थे। शेष राज्यों/सं.शा.क्षे. में भी जहाँ या तो अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए थे या बिना दिनांकित योजना प्रस्तुत की गई थी, योजना के समायिक प्रस्तुतीकरण के संबंध में किसी आश्वासन का अनुमान नहीं लगाया जा सका।

3.2.9 श्रमिक बजट में अन्य अनियमितताएं

लेखापरीक्षा ने पाया कि श्रमिक बजट की तैयारी तथा प्रस्तुतीकरण से संबंधित राज्य विशिष्ट अनियमितताएं थीं, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

- अरुणाचल प्रदेश ने 2008-09 वर्ष हेतु श्रमिक बजट प्रस्तुत नहीं किया था।
- तीन राज्यों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, गोवा एवं पश्चिम बंगाल ने निर्धारित प्रारूप में श्रमिक बजट प्रस्तुत नहीं किया था।
- तीन राज्यों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं पश्चिम बंगाल के नौ जिलों⁵ ने राज्य रोजगार गारंटी परिद को निर्धारित तिथि अर्थात् प्रत्येक वर्ष के 31 दिसम्बर तक वार्षिक योजनाएं प्रस्तुत नहीं की थीं।
- मध्य प्रदेश के तीन जिलों⁶ ने राज्य सरकार को अपने श्रमिक बजट प्रस्तुत नहीं किए थे।
- ओडिशा में, श्रमिक बजट की तैयारी में ग्रा.पं. शामिल नहीं थीं।
- आन्ध्र प्रदेश में, प्र.सू.प्र. डाटा के आधार पर राज्य स्तर पर श्रमिक बजट को अंतिम रूप दिया गया था तथा जिला स्तर पर तैयार नहीं किया गया था।
- पुदुचेरी में, मनरेगा घरों की प्रक्षेपित संख्या, सं.शा.क्षे. में कुल घरों से अधिक थी, इस प्रकार यह दर्शाया गया है कि श्रमिक बजट, अवास्तविक आधार पर तैयार किया गया है।

मंत्रालय ने बताया कि राज्यों से इन मुद्दों पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए कहा जा रहा था। मंत्रालय ने यह भी बताया कि उसने अनेक बार, पंचायत स्तर पर श्रमिक बजट एवं परियोजनाओं की पर्याप्त संख्या की तैयारी हेतु निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करने की आवश्यकता पर जोर दिया था। इसे आने वाले वित्तीय वर्ष हेतु अग्रिम रूप से तैयार किया जाना था। 24 अगस्त 2012 को, मंत्रालय ने मनरेगा के अंतर्गत कार्यों के नियोजन हेतु रूपरेखा जारी की ताकि एक राज्य में सभी ग्रा.पं. के श्रमिक बजट की प्रक्रिया के समेकन का समापन तथा उसका प्रस्तुतीकरण 31 दिसम्बर तक केन्द्र सरकार के समक्ष हो पाए।

3.3 श्रमिक बजट के वास्तविक निष्पादन में कमी

नियोजन प्रक्रिया की प्रभावकारिता को नियोजित श्रमिक बजट के वास्तविक निष्पादन के समक्ष मापा जाना है। लेखापरीक्षा ने नियोजित रोजगार सृजन के बीच भारी कमियां/विविधताएं पाईं, जैसा कि राज्यों/सं.शा.क्षे. के श्रमिक बजट एवं वास्तविक रोजगार सृजन में दर्शाया गया है। लेखापरीक्षित अवधि में वार्षिक योजना के संदर्भ 13

⁵ अंजव, लोअर दिबंग वैली, पापुमपरे, पश्चिम सिआंग, दिमापुर, मोन, तिऊसंग, दक्षिण 24 परगना, वर्धमान

⁶ अशोक नगर, बालाघाट, दतिया

राज्यों एवं एक सं.शा.क्षे. अर्थात् बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड तथा दादरा व नागर हवेली, में वास्तविक रोजगार सृजन के साथ-साथ 2 से 100 प्रतिशत तक अनुमानित रोजगार में कमी पाई गई थी। विवरण नीचे तालिका में दिए गए हैं:

तालिका-5: राज्यों/सं.शा.क्षे. के नियोजित श्रमिक बजट के वास्तविक निष्पादन में भिन्नताएं

नियोजित रोजगार के समक्ष वास्तविक रोजगार सृजन में कमी		
क्र.सं.	राज्य/सं.शा.क्षे.	प्रतिशत में कमी का प्रसार
1	बिहार	27 to 98
2	छत्तीसगढ़	9 to 31
3	गुजरात	2 to 62
4	हरियाणा	55 to 62
5	हिमाचल प्रदेश	13 to 41
6	झारखण्ड	40 to 59
7	मध्य प्रदेश	27 to 94
8	महाराष्ट्र	30 to 100
9	राजस्थान	13 to 50
10	सिक्किम	46 to 65
11	तमिलनाडु	17 to 59
12	त्रिपुरा	2 to 37
13	उत्तराखण्ड	23 to 61
14	दादरा व नागर हवेली	42 to 96

मंत्रालय ने उत्तर दिया कि मनरेगस एक मांग आधारित योजना है एवं श्रमिक बजट को एक दी गई अवधि में श्रमिक मांग के प्रक्षेपण के आधार पर तैयार किया जाता है, जो कि वर्षा, ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य रोजगार के अवसर, आदि जैसे विभिन्न कारणों के कारण बदल सकते थे। जब कभी मांग हो तब ग्रामीण लोगों को रोजगार प्रदान करना, अधिनियम का मूल उद्देश्य है। ग्रामीण भारत में मांग में कमी तथा वास्तविक प्रक्षेपण अपरिहार्य है जहाँ मानसून तथा अन्य कारणों के कारण रोजगार की मांग बदलती रहती है।

रोजगार सृजन में कमी के कारण उचित नहीं हैं क्योंकि मानसून यह एक नियमित घटना है तथा योजनाएं तदनुसार तैयार की जा सकती हैं। ऐसे राज्यों में जहाँ इस प्रकार की कमी अधिक थी, यह योजना प्रक्रिया में प्रणालीगत कमी को दर्शाती है।

3.4 वार्षिक योजना से बाहर निष्पादित कार्य

लेखापरीक्षा ने पाया कि आठ राज्यों में 25 लेखापरीक्षित जिलों में ₹158.83 करोड़ की राशि के 4907 कार्य, वार्षिक योजनाओं से बाहर के कार्य निष्पादित किए गए। इन कार्यों के विवरण अनुबंध-3घ में दिया गया है। वार्षिक योजनाओं में वर्णित से परे कार्यों का चयन, श्रमिक बजट की अप्रभावकारिता को दर्शाता है।

3.5 वार्षिक योजनाओं के निष्पादन में कमी

लेखापरीक्षा ने पाया कि 14 राज्यों एवं एक सं.शा.क्षे. में ₹ 12,6,961.11 करोड़ की राशि को 129.22 लाख कार्यों की वार्षिक योजनाओं हेतु अनुमोदन किया गया था, लेकिन लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान ₹ 27,792.13 करोड़ की राशि (नियोजित कार्यों का 30 प्रतिशत) द्वारा केवल 38.65 लाख कार्यों को पूरा किया गया था। अनुबंध-3ड में विवरण दर्शाए गए हैं।

मामला अध्ययन: अनुमोदित कार्यों से विचलन

जम्मू व कश्मीर:

सात ब्लॉकों एवं तीन जिलों में यह देखा गया कि नियोजित कार्यों एवं वास्तविक कार्यों में व्यापक अंतर थे। 2007-12 वर्षों के लिए वार्षिक कार्य योजनाओं (वा.का.यो.) में ₹ 2,779.32 लाख की शामिल/अनुमोदित अनुमानित लागत के 2950 कार्यों का तीन जिलों के सात ब्लाकों द्वारा निष्पादन शुरू नहीं किया गया था। इन अनुमोदित कार्यों को आरम्भ नहीं करने के लिए, पर्याप्त निधियों का आवंटन न किए जाने को जिम्मेदार ठहराया गया। ब्लॉक विकास अधिकारी (ब्ला.वि.अ.) द्वारा बताए गए कारण स्वीकार्य नहीं थे क्योंकि संबंधित वर्षों के अंत तक ब्ला.वि.अ. के पास महत्वपूर्ण अंतः शेष उपलब्ध थे। प्र.वि.प. ने 785 अन्य कार्यों की शुरूआत कर दी थी जो कि वा.का.यो. का भाग नहीं थे।

नागालैंड:

- हमने यह भी पाया कि योजना में ₹ 130.59 करोड़ की नियोजित 772 परियोजनाओं के प्रति ₹ 114.56 करोड़ तक के 810 संख्या के कार्यों के पूर्ण होने को रिपोर्ट किया गया था। तथापि, सात नमूना परीक्षित ब्लॉकों में से किसी में भी नियोजित कार्यों का निष्पादन नहीं किया गया था।
- 2007-12 के दौरान ₹ 8.17 करोड़ के 99 वनरोपण एवं वृक्षारोपण के कार्यों के नियोजित निष्पादन में से, 54 नमूना परीक्षित ग्राम विकास बोर्ड (ग्रा.वि.बो.) में ₹ 7.15 करोड़ के केवल 32 कार्य (32 प्रतिशत) पूर्ण हो पाए।
- भूमि विकास हेतु ₹ 15.70 करोड़ की 119 नियोजित परियोजनाओं में से ₹ 3.45 करोड़ की केवल 25 परियोजनाओं (21 प्रतिशत) का निष्पादन हुआ था।

मंत्रालय ने बताया कि वार्षिक योजना को मांग के प्रक्षेपण के आधार पर तैयार किया जाता है, जो कि थोड़ी अधिक ही होती है, ताकि सभी संभावित रोजगार वालों को आवृत्त किया जा सके। वार्षिक योजना के आधार पर तैयार किए जाने वाले परियोजनाओं की प्रर्याप्त संख्या यह नहीं सुझाती कि एक वित्तीय वर्ष में या तो सभी परियोजनाएं शुरू कर दी जाएं या फिर पूरी कर दी जाएं। मनरेगा कार्यों की मांग, वैकल्पिक रोजगार के अवसरों समेत कई कारकों पर निर्भर होती है। तथापि, (क) वार्षिक योजना में शामिल सभी कार्यों की शुरूआत नहीं होती है, तथा (ख) एक वित्तीय वर्ष में शुरू किए गए सभी कार्य समाप्त नहीं होते हैं। मंत्रालय ने कार्य पूरा होने की दर में सुधार करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। निष्पादन समीक्षा समिति की बैठकों एवं राज्यों के साथ क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों में कार्य पूर्णता दर की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। ग्रा.प. एवं ब्लॉकों में दौरा करने वाले क्षेत्राधिकारियों से अनुरोधित है कि वह अधूरे कार्यों पर ध्यान केन्द्रित करें तथा इस मुद्दे को निष्पादन प्राधिकरणों के समक्ष उठाएं।

यह तथ्य कि, योजना के अंतर्गत नियोजित कार्यों में से केवल 30 प्रतिशत पूर्ण हुए थे, योजना की कमी को दर्शाते हैं।

3.6 जिला अभिप्रेत योजना की तैयारी

परिचालनात्मक दिशा-निर्देशों ने अग्रिम नियोजन को सुगम बनाने तथा जिले के लिए एक विकास परिप्रेक्ष्य प्रदान करने (परिचालनात्मक दिशा-निर्देशों का पैरा 4.5.2) हेतु अनुबंध किए। इसका उद्देश्य मनरेगस कार्यों के प्रकारों को पहचानना है तथा इन कार्यों एवं दीर्घ-अवधि रोजगार सृजन और निरंतर विकास के बीच संभावित सहलगनता जिन्हें जिले में प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिए। राज्य रोजगार गारंटी परिषद (रा.रो.गा.प.), मनरेगस के अंतर्गत कार्यान्वित 'अपेक्षाकृत कार्यों' को तय करता है, तथा केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यों के प्रस्तावों की अनुशंसा करता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 17 राज्यों एवं तीन सं.शा.क्षे. में 84 जिलों (नमूना परीक्षित सभी जिलों का 46%) में जि.प.यो. तैयार नहीं की गई थी। जि.प.यो. को तैयार न किए जाने के कारण जिला स्तर पर नियोजन प्रक्रिया की निरंतरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। आगे, जि.प.यो. की तैयारी हेतु मंत्रालय ने 84 जिलों को ₹ 7.60 करोड़ जारी किए, किन्तु केवल ₹ 94.59 लाख का उपयोग किया गया था। विवरण **अनुबंध-3च** में दिए गए हैं।

मंत्रालय ने उत्तर दिया कि उसने राज्य सरकार से इसके कारण प्रदान करने का अनुरोध किया है।

आगे, 13 राज्यों अर्थात् असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड एवं पश्चिम बंगाल के 42 जिलों (नमूना परीक्षित सभी जिलों का 23 प्रतिशत) में जि.प.यो. तैयार किए थे, परन्तु रा.रो.गा.प. से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त नहीं किए गए थे। मंत्रालय ने इन जिलों को ₹ 3.40 करोड़ जारी किए जिसमें से जि.प.यो. को तैयार करने पर केवल ₹ 2.14 करोड़ का व्यय किया गया था। विवरण **अनुबंध-3छ** में दिए गए हैं।

मंत्रालय ने बताया कि अधिनियम, जिला परिप्रेक्ष्य योजना हेतु रा.रो.गा.प. से किसी अनुमोदन को निर्धारित नहीं करता।

यह उत्तर इस तथ्य को नहीं समझता कि रा.रो.गा.प को राज्य स्तर पर, अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय भूमिका प्रदान की गई थी। अधिनियम की धारा 12 के अनुसार योजना के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग हेतु रा.रो.गा.प. भी जिम्मेदार हैं तथा योजना कार्यान्वयन संबंधी सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों को राज्य स्तर पर रा.रो.गा.प. द्वारा किया जाता है।

मामला अध्ययन: नागालैंड में जिला परिप्रेक्ष्य योजना

नागालैंड के तीन जिलों में, जिला परिप्रेक्ष्य योजना की तैयारी में शामिल अभिकरण ने स्थानीय आवश्यकताओं को पहचानने के लिए गांवों के सर्वेक्षण का संचालन नहीं किया था। तथापि, जिला परिप्रेक्ष्य योजना में स्थानीय आवश्यकताओं से संबंधित प्रासंगिक डाटा शामिल नहीं था। मोन जिला में जिला प्राधिकरण के अनुमोदन के बिना ₹ 23.02 लाख अभिकरण को प्रदत्त किए गए थे। राज्य वेबसाइट पर परिप्रेक्ष्य योजनाएं भी अपलोड नहीं की गई थी। अभिकरण ने परिप्रेक्ष्य योजना की प्रक्रिया को मार्च 2009 तक पूर्ण किया।

4.1 प्रस्तावना

किसी भी योजना के समुचित क्रियान्वयन हेतु पहली आवश्यकता यह है कि सभी स्तरों पर योग्यताएं विद्यमान हैं। मनरेगा योजना एक विशाल एवं जटिल योजना, जिसमें अधिकतर कार्यान्वयन गतिविधियाँ को ग्राम पंचायतों द्वारा किए जाने के लिए निचले स्तरों पर क्षमताएं अधिक महत्वपूर्ण हैं। इस तथ्य को अधिनियम एवं परिचालनात्मक दिशानिर्देशों में मान्यता दी गयी थी। क्षमता निर्माण गतिविधियों में आवश्यक नियमावली की घोषणा, अपेक्षित प्रशासनिक संरचनाओं का गठन, इन अवसंरचनाओं में पर्याप्त रूप से कर्मचारियों को भर्ती करना तथा यह सुनिश्चित करना कि कर्मचारी, योजना के समुचित कार्यान्वयन हेतु यथोष्टतः प्रशिक्षित हैं, इनमें शामिल हैं।

योजना की लेखापरीक्षा में कई त्रुटियाँ देखी गयी थीं। इनमें शामिल हैं:

- राज्य योजना के कार्यान्वयन हेतु नियम नहीं बना रहे थे;
- योजना के प्रभावी मॉनीटरिंग हेतु परिषद गठित न होना, तथा;
- अपर्याप्त कर्मचारियों का परिनियोजन, तथा प्रशिक्षण के प्रति पर्याप्त प्रयास एवं संसाधनों का निवेश नहीं होना।

इन्हें नीचे विवेचित किया गया है।

4.2 राज्य सरकार नियमावली

मनरेगा अधिनियम के धारा 32 (1) के अंतर्गत, राज्य सरकारों के पास अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने के लिए नियमावली बनाने की शक्तियाँ हैं। नियमावली, अन्य बातों के साथ, पारदर्शिता तथा जवाबदेही को सुनिश्चित करने, बेरोजगारी भर्तों के भुगतान की नियम एवं शर्तें, राज्य परिषदों की स्थापना, शिकायत निवारण तंत्र तथा लेखा बहियों के अनुरक्षण की प्रणाली के लिए योजना के समुचित कार्यान्वयन हेतु व्यवस्था को निर्धारित कर सकते हैं।

इन नियमों को अधिनियम के लागू होने के एक वर्ष के भीतर अर्थात् फरवरी 2007 तक सूत्रीकरण किया जाना अपेक्षित था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश (पाँच राज्य) की राज्य सरकारों ने अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने के लिए नियमावली को मार्च 2012 तक नहीं बनाया था। इसके अतिरिक्त अस्लाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, मिजोरम तथा सिक्किम (पाँच राज्यों) में नियमावली को सात माह से लेकर चार वर्षों के विलंब के साथ अधिसूचित किया गया था। राज्य-वार स्थिति के बारे अनुबंध-4क में दिया गया है। कर्नाटक, मिजोरम, नागालैण्ड तथा सिक्किम (चार राज्यों) ने नियमावली बना-

ली थी परंतु उनमें सभी प्रावधानों को शामिल नहीं किया गया था, जैसा अधिनियम में अपेक्षित था।

योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ऐसी नियमावलियों का सूत्रीकरण महत्वपूर्ण था। निर्धारित रूपरेखा के अभाव में, ग्रा.पं. ब्लाक तथा जिला स्तरों पर कार्यान्वयन अभिकरण मनमाने ढग से तथा उचित मार्गदर्शन के अभाव में कार्य करेंगी। रोजगार की मांगों तथा स्थायी परिसंपत्तियों के सृजन के प्रति समयबद्ध तरीके से प्रतिक्रिया करने में उन्हें कठिनाई होगी।

मंत्रालय ने बताया कि राज्यों को बेरोजगारी भत्ता नियमावली के सूत्रीकरण, प्रभावकारी शिकायत निवारण के लिए प्रभावी तंत्र की स्थापना, तथा राज्य परिषदों की स्थापना हेतु बार-बार सलाह दी गई थी। राज्यों से योजना के उपयुक्त कार्यान्वयन हेतु अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के अनुपालन हेतु आग्रह भी किया गया था।

4.3 रोजगार गारंटी परिषद के कार्य तथा गठन

अधिनियम की धारा 10 तथा 12 के अन्तर्गत, रोजगार गारंटी परिषदों का गठन केन्द्र एवं राज्य सरकारों दोनों द्वारा किया जाना था। इन परिषदों के मुख्य कार्य में मॉनीटरिंग योजना के कार्यान्वयन का मूल्यांकन, योजना से संबंधित सभी मामलों पर संबंधित सरकारों को परामर्श देना आदि शामिल थे। केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद (के.रो.गा.प.) के कार्यों की इस प्रतिवेदन के अध्याय 10 में विवेचित किए गए हैं।

अधिनियम की धारा 12 के अनुसार, प्रत्येक राज्य को अधिनियम के लागू होने के एक वर्ष के भीतर एक राज्य रोजगार गारंटी परिषद (रा.रो.गा.प.) का गठन करना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, मिजोरम, नागालैण्ड, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल तथा अंडमान व निकोबार आठ राज्य तथा एक सं.शा.क्षे. ने एक से लेकर चार वर्षों के विलंब के साथ परिषद का गठन किया था। दादर और नागर हवेली ने अभी तक परिषद का गठन नहीं किया है (सितम्बर 2012)।

राज्य सरकारों को रा.रो.गा.प. के सदस्य सचिव के रूप में एक अधिकारी, जो आयुक्त के पद से नीचे न हो, को नियुक्त करना था। सदस्य सचिव आयुक्त योजना से संबंधित सभी गतिविधियों के लिए उत्तरदायी होगा। तथापि, असम, कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश (तीन राज्यों) की सरकारों ने किसी अधिकारी की सदस्य सचिव के रूप में नियुक्ति नहीं की थी (मार्च 2012)। इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र, नागालैण्ड तथा पश्चिम बंगाल (तीन राज्यों) के रा.रो.गा.प. ने शिकायत निवारण, सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रणाली को व्यवस्थित करने के लिए किसी तंत्र अथवा किसी अन्य सार्वजनिक जवाबदेही/पारदर्शिता उपाय के लिए कोई कदम नहीं उठाया था, जैसा अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित था। इस प्रकार परिषद के गठन एवं सहायता दोनों में त्रुटियाँ थीं।

मॉनीटरिंग से संबंधित परिषद के कार्यों की चर्चा अध्याय 11 में की गयी है।

मामला अध्ययन- उ.प्र. में रा.रो.गा.प.

उत्तर प्रदेश में रा.रो.गा.प. का गठन 31 मई 2006 को हुआ था। तथापि, रा.रो.गा.प. ने 15 गैर-अधिकारिक सदस्यों को 15 जनवरी 2008 को, इसके गठन के डेढ़ वर्षों बाद, मनोनीत किया गया था। रा.रो.गा.प. नियम न तो बुलायी जाने वाली बैठकों की संख्या निर्धारित करते हैं और न ही बैठकों की गणपूर्ति करते हैं। लेखापरीक्षा ने पाया कि रा.रो.गा.प. की बैठक एक वर्ष में एक या दो बार ही हुई थीं। इस प्रकार, रा.रो.गा.प. अव्यवस्थित तरीके से कार्य कर रहा था।

रा.रो.गा.प. के गठन में विलंब तथा पायी गयी अन्य ब्रुटियों परिषद के कार्य में अधिनियम की परिकल्पना से महत्वपूर्ण अंतराल की ओर संकेत करता है।

मंत्रालय ने उत्तर दिया कि मनरेगा अधिनियम की धारा 12 (1) प्रत्येक राज्य द्वारा अधिनियम के राज्य स्तर पर कार्यान्वयन की नियमित मॉनीटरिंग तथा समीक्षा के प्रयोजन हेतु राज्य रोजगार गारंटी परिषद के गठन की व्यवस्था करता है। यद्यपि अधिनियम राज्य परिषदों के गठन हेतु किसी समय-सीमा तथा एक निश्चित समय सीमा में होने वाली बैठकों की संख्या का निर्धारण नहीं करता, रा.रो.ग्रा.प. की भूमिका के महत्व को देखते हुए मंत्रालय ने सतत रूप से इन विषयों को उठाया था। राज्यों से संबंधित विशिष्ट मुद्दे के लिए, मंत्रालय द्वारा राज्यों से लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का अनुपालन करने के लिए अनुरोध किया जा रहा था।

मंत्रालय का उत्तर विश्वसनीय नहीं था क्योंकि अधिनियम की धारा 4 में प्रावधान है कि, अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक राज्य मनरेगा अधिनियम के तैयार होने के एक वर्ष के अंदर अनुसूची I, का पैराग्राफ 4 में दी गयी न्यूनतम विशेषताओं से पूर्ण एक योजना बनाएगा जो राज्य परिषद की भूमिका को भी शामिल करता था।

4.4 कार्मिक सहायता

अधिनियम, योजना को कार्यान्वयन हेतु पर्याप्त श्रमशक्ति सहायता के महत्व को मान्यता देता है। अधिनियम न केवल राज्य सरकारों से कार्यक्रम समन्वयक तथा कार्यक्रम अधिकारी क्रमशः जिला तथा ब्लाक स्तर पर नियुक्त करने की अपेक्षा रखता है, बल्कि राज्य सरकारों के लिए इन अधिकारियों को योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु आवश्यक कर्मचारी एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना भी अनिवार्य करता है। इसके अतिरिक्त, परिचालनात्मक दिशानिर्देश (पैरा 3.1.1) प्रत्येक ग्रा.पं. में एक ग्राम रोजगार सहायक (ग्रा.रो.स.) की नियुक्ति का सुझाव भी देता है। इन कर्मचारियों के कार्यकलाप नीचे तालिका में दर्शाए गए हैं:

तालिका - 6

पदाधिकारी	कार्य
जिला कार्यक्रम समन्वयक (जि.का.स.)	जि.का.स. जिला स्तर पर यथोचित योजना कार्यान्वयन की सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। वह सूचना प्रसारण, प्रशिक्षण, ब्लाक योजना के समेकन, निधियों के निर्गम व उपयोग, कार्यों के मॉनीटरिंग तथा मासिक प्रगति रिपोर्ट की प्रस्तुति, आदि के लिए भी उत्तरदायी है।
कार्यक्रम अधिकारी (का.अ.)	का.अ. योजना के ब्लाक स्तर पर कार्यान्वयन तथा ग्रा.पं. योजना के समेकन, मॉनीटरिंग व पर्यवेक्षण, शिकायतों के निपटान, ग्रा.प. द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा के संचालन को सुनिश्चित करने, बेरोजगारी भत्ता के भुगतान, आदि हेतु उत्तरदायी है।
ग्राम रोजगार सहायक	ग्रा.प. स्तर पर सभी दस्तावेजों को अनुरक्षण, पंजीकरण की प्रक्रिया की निगरानी, जॉब कार्डों के आवंटन, नौकरी आवेदनों के प्रति दिनांकित रसीदें प्रदान करना, नौकरी आवेदनों की निगरानी, कार्य आवंटन, मजदूरी व बेरोजगारी भत्तों का भुगतान, अपेक्षित ग्राम सभा की बैठकों एवं सामाजिक लेखापरीक्षा के आयोजन को सुनिश्चित करना आदि।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने उद्घाटित किया कि पूर्ण-कालिक समर्पित का.अ. दो राज्यों तथा एक सं.शा.क्षे. अर्थात मणिपुर, उत्तर प्रदेश एवं लक्ष्यद्वीप में नियुक्त नहीं किये गए थे, तथा बिहार में 15 नमूना परीक्षित जिलों में 207 पदों में से 161 पद रिक्त थे। दिशानिर्देश अनुबंधित करते हैं कि यदि एक पूर्ण-कालिक कार्यक्रम अधिकारी नियुक्त नहीं किया जाता, तब कार्यक्रम अधिकारी को सहयोग देने के लिए सहायक कार्यक्रम अधिकारी होना चाहिए। तथापि, मणिपुर एवं राजस्थान में चार एवं आठ नमूना परीक्षित जिलों में क्रमशः नौ तथा 159 सहायक कार्यक्रम अधिकारी के पद रिक्त थे। उत्तर-प्रदेश के राज्य सरकार ने नियमित का.अ. के सहयोग हेतु ₹ 20,000 के मासिक वेतन पर स.का.अ. की नियुक्ति की, परंतु उन्हें ब्लाक कार्यालयों के अलावा अन्य कार्यालयों में नियुक्त किया गया था। इस प्रकार, राज्य में ₹ 15.17 करोड़ अग्राह्य व्यय के रूप में खर्च किया गया जिसमें ₹ 1.43 करोड़ 14 नमूना परीक्षित जिलों में 37 स.का.अ. से संबंधित था।

ग्राम स्तर पर, योजना के कार्यान्वयन में ग्राम पंचायत को सहायता देने के लिए रोजगार सहायक अपेक्षित थे। ग्राम रोजगार सहायक विशेष महत्व इस दृष्टि से प्राप्त कर लेते हैं कि ग्राम पंचायत मनरेगा योजना का केन्द्र बिन्दु हैं। ग्रा.रो.स. की लागत मनरेगा के तहत प्रशासनिक व्यय में पहला दायित्व है। लेखापरीक्षा ने पाया कि अस्साचल प्रदेश, केरल, मणिपुर तथा तमिलनाडु (चार राज्यों) की सरकारों ने समर्पित ग्राम रोजगार सहायकों को नियुक्त नहीं किया था इसके अतिरिक्त नौ राज्यों के मामले में निरंतर एवं व्यापक कमियां देखी गयी थी। कमियों का विस्तार 20 प्रतिशत से लेकर 93 प्रतिशत था। इस मामलों को निम्न तालिका में दिया गया है:

तालिका – 7: ग्राम रोजगार सहायकों की कमी

क्र.सं.	राज्य	वार्षिक	आवश्यक	कमी	कमी की प्रतिशतता
1	असम	243	136	107	44
2	गुजरात*	13,715	5,371	8,344	61
3	हरियाणा	202	54	148	73
4	हिमाचल प्रदेश*	3,243	1,055	2,188	67
5	जम्मू एवं कश्मीर*	4,131	889	3,242	78
6	मध्य प्रदेश*	23,336	6,438	16,898	72
7	पंजाब।	12,776	772	12,004	93
8	उत्तर प्रदेश	15,145	12,050	3,095	20
9	उत्तराखण्ड*	1,811	648	1,163	64

*डाटा पूर्ण राज्य के लिए है, अन्य मामलों में यह नमूना जांच की गई ग्रा.प. के लिए है।

मंत्रालय ने जबाब दिया कि राज्य सरकार को जिला कार्यक्रम अधिकारी तथा कार्यक्रम अधिकार को योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु आवश्यक कर्मचारी तथा तकनीकी सहायता, जैसा आवश्यक हो सकता है, उपलब्ध कराना चाहिए। मंत्रालय ने राज्य सरकारों को, उन्हें कर्मचारी आवश्यकता के मूल्यांकन एवं मनरेगा के विभिन्न स्तरों पर पर्याप्त कर्मचारियों के परिनियोजन में सक्षम करने के लिए परामर्श जारी किए थे। मंत्रालय ने आगे बताया कि इसने, राज्य सरकारों के निर्णय हेतु कुछ लचीलापन देते हुए विशाल प्रशासनिक रूपरेखाओं का सुझाव दिया था। मनरेगा के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों के मद्दनजर, अनुमेय प्रशासनिक व्यय की सीमा चार से छः प्रतिशत तक समर्पित कर्मचारी की भर्ती हेतु बढ़ा दी गयी थी।

दूसरे भाग के निर्गम हेतु अपेक्षित शर्तों के अनुसार, मंत्रालय को भा.स. के निर्देशानुसार पर्याप्त कर्मचारी भर्ती को सुनिश्चित करना था। परंतु कमियों ने दर्शाया है कि मंत्रालय यह करने में असफल रहा। का.अ. तथा ग्राम रोजगार सहायक जैसे आवश्यक पदाधिकारियों की अनुपस्थिति का योजना के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव होगा।

4.5 तकनीकी सहायता

अधिनियम स्थायी संपत्ति के सृजन को योजना के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में चिह्नित किया है। मनरेगा के अंतर्गत मुख्य कार्यान्वयन अभिकरण ग्राम पंचायत है, जिसके पास ऐसी संपत्तियों के सृजनार्थ आवश्यक नियोजन तथा कार्य के निष्पादन के सहयोग हेतु समर्पित तकनीकी संसाधन नहीं थे। इसलिए, परिचालनात्मक दिशानिर्देश राज्य सरकार के लिए कार्य के आंकलन एवं परिमाप में सहायता हेतु जिला एवं ब्लाक स्तर पर मान्यता प्राप्त अभियंताओं के पैनल के गठन के प्रावधान की अपेक्षा भी करते हैं। प्रशासनिक व्यय के लिए सुझाये गये मॉडल ने प्रत्येक 10 ग्राम पंचायतों के लिए एक तकनीकी सहायक को भी सम्मिलित किया। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों को नियोजन की प्रक्रिया, रूप-रेखा बनाने, मॉनीटर करने, मूल्यांकन तथा योजना की गुणवत्ता एवं लागत प्रभावशीलता में सुधार हेतु सहायता प्रदान करने के लिए राज्य तथा जिला स्तर पर तकनीकी संसाधन सहायता प्रणाली को सुनिश्चित करना अपेक्षित था। (परिचालनात्मक दिशानिर्देशों का पैरा 13.3)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, ओडिशा, राजस्थान, त्रिपुरा, तथा पश्चिम बंगाल (16 राज्यों) ने मान्यता प्राप्त अभियंताओं का पैनल नहीं बनाया था असम में, यह पाया गया कि बिना किसी तकनीकी ज्ञान में अभियन्ताओं की प्रमाणित अभियन्ताओं के रूप में नियुक्ति की गई थी लेकिन बाद में छठनी कर दी गई थी। विवरण अनुबंध-4ख में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, असम, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल (10 राज्यों) ने राज्य तथा जिला स्तरों पर तकनीकी संसाधन प्रणालियां गठित नहीं की थी। महाराष्ट्र में, तीन जिलों में अर्थात् अहमदनगर, भण्डारा तथा नान्देड में तकनीकी संसाधन सहायता प्रणाली विद्यमान नहीं थी। विवरण अनुबंध-4ग में दिए गये हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अरुणाचल प्रदेश में पूर्ण-कालिक नियमित तकनीकी सहायता नहीं लगाये गये थे जबकि आठ अन्य राज्यों में नामतः आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू व कश्मीर, मध्य प्रदेश, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में तकनीकी सहायताओं की कमी थी। ओडिशा में तकनीकी सहायता को अन्य योजनाओं का अतिरिक्त कार्य दिया गया था तथा महाराष्ट्र में कनिठ अभियंता को तकनीकी पर्यवेक्षण का अतिरिक्त प्रभार दिया था विवरण अनुबंध-4घ में दिया गया है। अधिदेशित कार्यों के निपटान हेतु समर्पित सहायता कर्मचारियों की अनुपस्थिति का योजना कार्यान्वयन की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

मंत्रालय ने अपने उत्तर बताया कि मनरेगा दिशानिर्देशों सुझाव देते हैं कि राज्य मान्यता प्राप्त अभियंताओं के पैनल एवं तकनीकी संसाधन सहायता समूह की स्थापना कर सकते थे। दिशानिर्देश सभी महत्वपूर्ण अभिकरणों को उनके उत्तरदायित्वों के निर्वहन में प्रशिक्षण का सुझाव भी दिया है, परंतु यह परामर्श, राज्यों को उनके अपने तकनीकी संसाधनों के सुदृढ़ीकरण एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण, यदि आवश्यक हो, के तरीके सुझाने के लिए अभिप्रेत था। प्रखंड एवं ग्राम पंचायतों में तकनीकी कर्मचारियों की कमी की समस्या के निपटान के लिए राज्यों को ग्रामीण परिवारों की प्रति 6000 जनसंख्या पर दो अभियंताओं को नियुक्त करने की अनुमति थी। उत्तर-पूर्वी राज्यों तथा जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखण्ड जैसे पहाड़ी राज्यों में प्रति 3000 ग्रामीण परिवार पर 2

अभियंताओं की नियुक्ति अनुमत थी। लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को इस तथ्य को शामिल करने की आवश्यकता है कि ये केवल सुझायी गयी व्यवस्थाएं थीं और राज्यों के पास उन्हें अपनाने/अनुकूलन करने की नम्यता थी।

तथ्य यही रहता है कि दिशानिर्देश के बावजूद योजना के समुचित कार्यान्वयन हेतु तकनीकी सहायता अपर्याप्त थी। पर्याप्त तकनीकी सहायता का अभाव नियोजन तथा कार्य निष्पादन में प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

4.6 प्रशिक्षण

योजना के कार्यान्वयन में कार्यरत कर्मचारियों का प्रशिक्षण, यह सुनिश्चित करने के लिए लिए कि अधिनियम की परिकल्पना के अनुसार वे अपने दायित्वों का निर्वहन करें, आवश्यक था। इस प्रयोजन हेतु, सभी राज्यों को विनिर्दिष्ट: मनरेगा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण हेतु किसी संस्थान को नियत करना था। परिचालनात्मक दिशानिर्देश प्रावधान करते हैं कि सभी महत्वपूर्ण अभिकरणों को उनके दायित्वों के प्रभावशाली ढंग से निष्पादन हेतु प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक होगा। एक प्रशिक्षण कैलेण्डर बनाया जाना था और विभिन्न पण्धारियों के अनुसार प्रशिक्षण माड्यूलों के विषय-वस्तु एवं प्रक्रिया में तैयार करनी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एक राज्य एवं एक सं.शा.क्षे. (पश्चिम बंगाल तथा अं.नि.द्वी.) में प्रशिक्षण संस्थानों को नियत नहीं किया गया था। 11 राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, कर्नाटक, मेघालय, नागालैण्ड, ओडिशा, सिक्किम, त्रिपुरा तथा उत्तर प्रदेश) में, मुख्य कार्यकर्ताओं को अपर्याप्त प्रशिक्षण दिया गया था। दो राज्यों (जम्मू एवं कश्मीर तथा उत्तराखण्ड) में प्रशिक्षण कैलेण्डर तथा प्रशिक्षण माड्यूल नहीं बनाया गया था।

आगे, यह देखा गया था कि तीन राज्यों तथा एक सं.शा.क्षे. में प्रशिक्षण के लिए गठित निधियों को मार्च 2012 तक अप्रयुक्त पड़ी रही जैसा कि **तालिका 8** में विवरण दिया गया है।

तालिका – 8: अप्रयुक्त प्रशिक्षण निधिया

राज्य/ सं.शा.क्षे. का नाम	निर्गम की अवधि	निर्गम राशि (₹ लाख में)	अप्रयुक्त राशि (₹ लाख में)
पंजाब	2007-08	57.50	38.05
राजस्थान	2007-09	636.99	155.43
उत्तर प्रदेश	2010-11	994	736.58
दादर व नागर हवेली	2007-08	5.00	0.95

इसके अतिरिक्त, दादर एवं नागर हवेली के मामले में 4.05 लाख की निधियों का स्टेशनरी, मुद्रण तथा विडियोग्राफ्री पर विपथन किया गया था।

इस प्रकार, प्रभावी क्षमता निर्माण के इस महत्वपूर्ण उपकरण का अपर्याप्त रूप से उपयोग किया गया था।

चार राज्यों (गोवा, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश) ने पास ग्रा.पं., ब्लाक तथा जिला स्तरों पर 28,343 कर्मचारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम पर 1.97 करोड़ का व्यय किया। तथापि, 21,994 कर्मचारियों को ही प्रशिक्षण

प्रदान किया गया था। इस प्रकार, मुख्य पण्धारियों को प्रशिक्षण देने में कमी थी। विवरण अनुबंध-4च में दिया गया है।

मंत्रालय ने बताया कि मनरेगा के कार्यान्वयन में कार्यरत कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण अनुमेय गतिविधियों में से एक था। राज्यों ने राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (रा.गा.वि.सं.) के सहयोग से कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण कैलेण्डर एवं माड्यूल तैयार किया था। केन्द्र सरकार समय-समय पर मनरेगास के राज्य, जिले, ब्लाक तथा ग्रा.पं. स्तर के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण हेतु रा.गा.वि.सं. को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

तथापि मंत्रालय के प्रयासों के बावजूद, परिचालनात्मक दिशानिर्देशों के अनुसार, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था।

4.7 सूचना, शिक्षा तथा संचार (सू.शि.सं.) गतिविधियाँ

मनरेगास की परिकल्पना एक मांग से संचालित होने वाले रोजगार सृजन कार्यक्रम के रूप में की गयी है। इस प्रकार, संभावित लाभार्थियों एवं अन्य हितधारकों की जागरूकता कुंजी है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे अपनी मांग को वयक्त करने और अपनी हकदारी का दावा करने में सक्षम है। परिचालनात्मक दिशानिर्देश, राज्य सरकार को एक सू.शि.सं. योजना बनाने तथा एक सघन सू.शि.सं. अभ्यास को शुरू करने का प्रावधान करते हैं। इसे सू.शि.सं. की ग्रामीण श्रमिकों, ग्रामीण परिवारों, पी.आर.आई. को लक्षित एवं वंचित क्षेत्रों तथा सीमान्तक के समुदायों की ओर विशेष ध्यान देना होगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दादर व नागर हवेली तथा लक्ष्मीप 12 राज्य तथा दो सं.शा.क्षे. में सू.शि.सं. योजनाएं नहीं बनायी गयी था।

आगे, यह भी देखा गया कि सात राज्यों तथा चार सं.शा.क्षे. के 32 जिलों ने मंत्रालय से सू.शि.सं. गतिविधियों के लिए ₹ 2.57 करोड़ प्राप्त किया। तथापि, इन गतिविधियों के लिए मार्च 2012 तक केवल ₹ 1.59 करोड़ ही व्यय किया गया थ। जैसा अनुबंध-4च में विवरण दिया गया है।

मामला अध्ययन: उत्तर प्रदेश

बलरामपुर जिले में एक ठेकेदार को ₹ 9.77 लाख की अदायगी 2,819 स्थानों पर पैटिंग के लिए की गयी थी। क.अ. द्वारा सत्यापन किये जाने पर, केवल 546 स्थानों पर 1.89 लाख की ही पैटिंग पायी गयी। तथापि, ठेकेदार को इस आधार पर दिया गया कि समय बीतने और बारिश के कारण लिखा गया नारा धुल गया होगा। 2,273 असत्यापित नारा पैटिंग के प्रति ₹ 7.88 लाख की अदायगी अनियमित थी। आगे, लखनऊमें ₹ 1.50 लाख के कैलेण्डर ₹ 31 प्रति कैलेण्डर की दर पर खरीद प्रक्रिया अपनाये बगैर खरीदे गये तथा खरीद हेतु 46.50 लाख का भुगतान किया गया। आपूर्तिकर्ता ने केवल 30.000 कैलेण्डरों की आपूर्ति की गई जिसका परिणाम ₹ 37.20 लाख के अधिक भुगतान में हुआ।

मंत्रालय ने बताया कि इसने सू.शि.सं. के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए, जैसे, कार्यकर्ताओं के मध्य जागरूकता बढ़ाने के लिए नेहरू युवा केन्द्र (ने.यु.के.), अ.पू.प्र. बनाना, सचित्र रूप में कार्यकर्ता पुस्तिका बनाना, टी.वी./रेडियो स्पॉट तैयार करना, प्रशिक्षण फिल्मों को तैयार करना, अच्छे अभ्यासों का प्रसार करने के लिए मनरेगा सम्मेलन का आयोजन, राज्य सरकारों को रोजगार मेला आयोजित करने के लिए सुविधा प्रदान करना, आदि जैसी विभिन्न पहलकदमियां की। मंत्रालय ने राजकीय ग्रामीण विकास संस्थानों/राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थानों को कार्यकर्ताओं में जागरूकता उत्पन्न करने और उनके प्रशिक्षण हेतु नियुक्त किया था। कार्यकर्ताओं के अधिकारों पर स्थानीय भाषाओं में सूचना प्रसार हेतु पर्चे तथा दीवार लेखन के कार्य के लिए प्रोत्साहित किया। नियमित समाचार-पत्र विज्ञापनों, रेल टिकटों, वाणिज्य मेला टिकटों का भी संचार के माध्यम के रूप में उपयोग किया गया। मंत्रालय जिलों एवं राज्यों द्वारा संचालित सू.शि.सं. पहलकदियों की समीक्षा भी कर रहा था।

तथ्य यह रहा कि कई राज्यों ने सू.शि.सं. योजनाओं का सूत्रीकरण नहीं किया था तथा तथा सू.शि.सं. गतिविधियों पर व्यय का स्तर काफी कम था।

योजना को प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित करने के लिए यह आवश्यक है कि अपेक्षित क्षमता का विकास किया जाए और प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित दक्षता सेटों से युक्त पर्याप्त लोग उपलब्ध रहे। लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई कमियों ने इंगित किया कि सभी स्तरों पर योजना कार्यकर्ताओं की क्षमताओं के निर्माण के लिए सतत प्रयास की आवश्यकता थी। मंत्रालय योजना के बेहतर कार्यान्वयन हेतु उपलब्ध क्षमता के सुदृढ़ीकरण के लिए यथोचित उपयुक्त कदम उठाने चाहिए।

अनुशंसाएं:

- सभी स्तरों पर कर्मचारियों की व्यापक कमी, ने योजना के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। मंत्रालय द्वारा कर्मचारियों की कमी को सूक्ष्म रूप से मॉनीटर किया जाना चाहिए तथा इस कारण कमी को राज्य सरकारों के समक्ष उसे उठाया जाना चाहिए।
- मनरेगा एक मांग से संचालित कार्यक्रम होने के कारण लाभर्थियों से अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता होने की अपेक्षा रखता है। तथापि सू.शि.सं. के व्यय में कमी तथा सू.शि.सं. योजना का सूत्रीकरण न होने ने अपेक्षाओं से अंतर की ओर संकेत किया। सू.शि.सं. गतिविधियाँ को बेहतर लाभर्थी जागरूकता की ओर बढ़ने की आवश्यकता है।

अध्याय

5

वित्तीय प्रबंधन

5.1 प्रस्तावना

अधिनियम की धारा 22 योजना का निधियन प्रतिमान निर्धारित करती है जिसका सार नीचे तालिका में प्रस्तुत किया गया है:

तालिका-9: निधियन प्रतिमान


केन्द्र का अंश	राज्य का अंश
अप्रशिक्षित हस्त श्रमिकों की मजदूरी की पूर्ण लागत	-
सामग्री की लागत का 75 प्रतिशत तथा प्रशिक्षित एवं अर्ध-प्रशिक्षित श्रमिकों की मजदूरी	सामग्री की लागत का 25 प्रतिशत तथा प्रशिक्षित एवं अर्ध-प्रशिक्षित श्रमिकों की मजदूरी
प्रशासनिक व्यय जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ कार्यक्रम अधिकारियों एवं उनके सहायक स्टाफ का वेतन एवं भत्ते तथा कार्य स्थल सुविधाओं को शामिल करके निर्धारित किया जाए	उस मामले में देय बेरोजगारी भत्ता जिसमें राज्य सरकार आवेदन के 15 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान नहीं कर सकी
केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद के प्रशासनिक व्यय	राज्य रोजगार गारंटी परिषद के प्रशासनिक व्यय

अधिनियम की धारा 21(1) के अंतर्गत, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा योजना के कार्यान्वयन के उद्देश्य हेतु राज्य रोजगार गारंटी निधि कही जाने वाली एक निधि स्थापित करें। केन्द्रीय अनुदान राज्य रोजगार गारंटी निधि को अथवा जिलों को (राज्यों के मामले में जहां ऐसी निधियां स्थापित नहीं की गई हैं) जारी की गई हैं। इस निधि का उपयोग एवं नियंत्रण/परिक्रामी निधि के रूप में नियमों के अनुरूप एवं अधिनियम के उद्देश्यों के अनुसार इसके उपयोग को सुनिश्चित करके किया जाना चाहिए। केन्द्र सरकार से अनुदान तथा राज्य के परस्पर बकाया अंश को राज्य निधि में डाला जाएगा। परिचालनात्मक दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य रोजगार गारंटी निधि स्थापित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

5.2 योजना के अंतर्गत वित्तीय स्थिति

लेखापरीक्षा की अवधि के लिए बजट अनुमानों, संशोधित अनुमानों तथा वास्तविक व्यय की स्थिति नीचे चार्ट -8 में दर्शाई गई है।

चार्ट -8: बजट एवं व्यय



(स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय)

जैसाकि उपरोक्त चार्ट से देखा जा सकता है कि मनरेगस के अंतर्गत किए जाने वाले व्यय का बजटीय अनुमान पिछले तीन वर्षों से निरंतर अतिप्राक्कलित था। इसके अतिरिक्त, बजट अनुमान तथा वास्तविक व्यय के बीच अंतर बढ़ रहा था। वर्ष 2011-12 में, वास्तविक व्यय, बजट अनुमान का केवल 73 प्रतिशत था।

परिचालनात्मक दिशानिर्देश (पैरा 8.4.1) राज्यों को दो भागों में केन्द्रीय निधियों की निमुक्ति निर्धारित करते हैं। रा.रो.गा.नि. न होने के मामले में राज्य निधियां जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से जिले में अनुरक्षित मनरेगस खाते को जारी की जाती है। राज्य के मामले में जहां राज्य रोजगार गांरटी निधि स्थापित की गई है, निधियों को राज्य स्तर पर अनुरक्षित इस निधि के बैंक खाते में जारी किया जाता है जिसमें से निधियां आगे उस राज्य में जिलों को जारी की जाती हैं। प्रथम भाग जिला श्रम बजट में वर्ष के प्रथम छ: महीनों के लिए (सितम्बर तक) प्रक्षेपित व्यक्ति दिवसों की प्रतिशतता के समानुपाती है। तथापि, यह श्रम बजट में स्वीकृत कुल राशि के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

राज्य सरकार द्वारा अगले वित्तीय वर्ष की निधि आवश्यकताओं के लिए श्रम बजट को अधिक से अधिक प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी तक भारत सरकार को प्रस्तुत किया जाता है। पहले जारी निधियों के 60 प्रतिशत का उपयोग करने के पश्चात राज्य सरकार अगली किस्त हेतु मंत्रालय को आवेदन करेगी। अनुवर्ती निमुक्ति की प्रमात्रा सृजित व्यक्ति दिवसों के संबंध में पिछले निष्पादन तथा निधियों के उपयोग पर आधारित थी।

लेखापरीक्षा के दौरान हमने पाया कि राज्यों/जिलों को निधियां दो से अधिक भागों में जारी की गई थीं। राज्यों/जिलों ने, जब कभी उनका निधि उपयोग उनके पास उपलब्ध निधियों के 60 प्रतिशत तक पहुंचा, मंत्रालय से निधियों हेतु सिफारिश की। चूंकि मनरेगस मांग आधारित योजना है, इसलिए मंत्रालय को राज्यों की मांग को पूरा करना तथा निधियों को दो से अधिक भागों में जारी किया गया था।

5.3 राज्यों को निधियों की अप्राधिकृत निमुक्ति

परिचालनात्मक दिशानिर्देशों (पैरा 8.4.2, 8.4.3 तथा 8.4.4.) सहित सचिव, ग्रामीण विकास द्वारा जारी निर्देश (मई 2010) राज्यों/सं.शा.क्षे. को दो भागों में निधियां जारी करने हेतु शर्त निर्धारित करते हैं। प्रथम भाग जिला श्रम

बजट में वर्ष के प्रथम छ: महीनों के लिए (सितम्बर तक) प्रक्षेपित व्यक्ति दिवसों की प्रतिशतता के समानुपाती होगा। तथापि, यह श्रम बजट में स्वीकृत कुल राशि के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। पहले जारी निधियों का 60 प्रतिशत के उपयोग के पश्चात राज्य सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय को राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि में से अगली किस्त (द्वितीय भाग) हेतु आवेदन करेगा। भागों को जारी करने हेतु शर्तें नीचे बाक्स में दी गई हैं:

(क) प्रथम भाग को जारी करने हेतु शर्तें में निम्न शामिल हैं:

- वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को जिला वार अथ शेष तथा श्रमिक मांग एवं निधि आवश्कता का जिला वार तथा माह-वार प्रक्षेपण
- जिला परिषद की स्वीकृति का प्रमाणपत्र अथवा प्रति प्रदान की जानी चाहिए, जो सांविधिक प्रावधानों की पूर्ति को दर्शाए जिनका श्रम बजट तैयार करते समय ध्यान रखा गया तथा जिनके आधार पर प्रथम भाग जारी किया गया था।
- पिछले से पूर्व वर्ष की लेखारीक्षा प्रतिवेदन (ले.प.प्र.) स्वीकृत श्रम बजट के प्रथम भाग की निमुक्ति के दौरान अपेक्षित होगा।
- सनदी लेखाकार लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को स्वयं प्रमाणित करता है कि उसने देख लिया था, सत्यापित किया था तथा वह संतुष्ट है कि जिले के उपयोग प्रमाणपत्र तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन क्रम में हैं, तथा वित्तीय से कोई विचलन नहीं पाया गया है। वह जिलों की बैंक समाधान विवरणियों को भी देखता तथा सत्यापित करता था। उसे यह प्रमाणित करना भी अपेक्षित था कि ब्लॉक-वार तथा अभिकरण-वार व्यय सत्यापित कर लिया गया था तथा किसी भी अग्रिम को व्यय के रूप में नहीं दर्शाया गया था। उपर्जित व्याज को अलग से दर्शाया गया था तथा कार्यक्रम उपलब्धता में शामिल किया गया था।

(ख) द्वितीय भाग जारी करने की शर्तें:

- | | |
|-----------|---|
| प्रत्यक्ष | <ul style="list-style-type: none"> ■ एम.आई.एस./मासिक प्रगति रिपोर्टों में सूचित वास्तविक निष्पादन की श्रम बजट प्रक्षेपणों के साथ तुलना की गई। |
| वित्तीय | <ul style="list-style-type: none"> ■ कम से कम 60 प्रतिशत उपयोग (अथ शेष सहित) ■ लागत में 60:40 मजदूरी सामग्री अनुपात को सुनिश्चित करता है। अप्रशिक्षित मजदूरी लागत 60 प्रतिशत से अधिक होगी परन्तु सामग्री लागत 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। ■ मजदूरी दर परिवर्तन से पहले केन्द्र को सूचित करना होता है क्योंकि यह केन्द्रीय अंश को प्रभावित करता है। ■ दरों की अनुसूची पर मंत्रालय के निर्देशों का अनुपालन, क्योंकि यह केन्द्रीय अंश को प्रभावित करता है। |

प्रशासनिक

- कर्मचारियों की भर्ती भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार उपयुक्त होनी चाहिए।
- मॉनीटरिंग तथा सतकर्ता: ब्लॉक/जिला/राज्य स्तरों पर 100 प्रतिशत, 10 प्रतिशत तथा 2 प्रतिशत मॉनीटरिंग की गई तथा 100 प्रतिशत नामावलियां सत्यापित की जानी चाहिए।
- एम.आई.एस. पूर्णतः क्रियात्मक होनी चाहिए तथा प्रमाणित मासिक प्रगति रिपोर्टों का प्रस्तुतीकरण।

**पारदर्शिता तथा
लोक उत्तरदायित्व**

- सभी कार्यों की सामाजिक लेखापरीक्षा, शिकायतों का सामयिक निपटान तथा ज्ञानकृत चूककर्त्ताओं के प्रति कार्यवाही, मजदूरी संवितरण हेतु डाक घरों/बैंकों में खाते खोले जाने चाहिए।

अन्य शर्तें

- प्रस्तुत किए जाने वाले वर्तमान वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल को अथ शेष सहित पिछले वर्ष के 31 मार्च तक के उपयोग प्रमाण पत्र
- अब तक जारी केन्द्रीय निधियों की राशि के प्रति राज्य के अंश की निमुक्ति तथा प्राप्ति के संबंध में प्रमाण-पत्र जिसमें राज्य के अंश को स्वीकृत करने वाले आदेश शामिल हो तथा बैंक विवरणी की एक प्रमाणित प्रति जो राज्य के अंश के क्रेडिट को दर्शाए। गैर-विचलन तथा गैर-गबन प्रमाणपत्रों का प्रस्तुतीकरण।
- दर्शाई गई अन्य कोई शर्त

जैसाकि उपरोक्त बाक्स से देखा जा सकता है, कि मंत्रालय ने दोनों भागों को जारी करने हेतु विस्तृत शर्तें निर्धारित की थी। तथापि, यह पाया गया था कि मंत्रालय ने कार्यक्रम के अच्छे हित में बताते हुए तथा राज्यों को कुछ अपेक्षित समय प्रदान करने हेतु उ.प्र. के प्रस्तुतीकरण को छोड़कर 31 मार्च 2011 तक द्वितीय अथवा अनुवर्ती भाग को जारी करने के साथ संलग्न सभी शर्तों में छूट दी (फरवरी 2011)। वर्ष 2011 के शेष दो महीनों (फरवरी तथा मार्च) हेतु निमुक्ति को प्रक्षपित श्रम बजट के मांग शेष के आधार पर की जानी थी। श्रम बजट की शेष राशि जारी करने के अतिरिक्त मंत्रालय ने शेष श्रम बजट का अतिरिक्त 10 प्रतिशत जारी करने का निर्णय भी लिया। इसे वर्तमान वर्ष के उ.प्र. में प्रतिवेदन की अवधि तक वास्तविक निष्पादन के प्रक्षपित श्रम बजट से मेल खाने अथवा न खाने के बावजूद किया गया था।

यह देखा गया था कि ₹1960.45 करोड़ को केवल मार्च 2011 के महीने में जारी किया गया था। इसमें छत्तीसगढ़ (तीन जिले ₹13.06 करोड़), गुजरात (₹ 27.94 करोड़), मध्य प्रदेश (₹ 39.34 करोड़), ओडिशा (₹ 38.55 करोड़) तथा उत्तर प्रदेश (₹ 42.95 करोड़) राज्यों को, इन राज्यों के पिछले निष्पादन पर विचार तथा निमुक्ति हेतु सभी आवश्यक शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किये बिना, अतिरिक्त 10 प्रतिशत के प्रति ₹161.84 करोड़ जारी करना शामिल था।

परिचालनात्मक दिशानिर्देश स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं कि योजना के अंतर्गत केन्द्रीय निधियों की निमुक्ति पूर्वनिर्धारित आवंटनों के बजाए राज्य के प्रस्तावों पर आधारित होती है। इस प्रकार, पिछले भाग के उपयोग को सुनिश्चित किए बिना तथा पिछले निष्पादन की जाचं किए बिना राज्य के प्रस्तावों के 10 प्रतिशत तक आधिक्य में

निधियां जारी करने की मंत्रालय की कार्रवाई अनुपयुक्त प्रतीत होती है। मंत्रालय की कार्रवाई दर्शाती है कि इसका अभिप्रेत योजना के अंतर्गत बजटीय आवंटन को व्यय करना तथा राज्यों की अवशोषी क्षमता पर विचार किए बिना राज्यों को निधियां प्रदान करना था।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया कि वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान, 2010-11 की अंतिम तिमाही तथा अप्रैल 2011 के दौरान श्रम मांग में किसी भी सम्भाव्यता तथा बढ़ोतरी को पूरा करने के प्रति निधियों के पर्याप्त प्रवाह को सुनिश्चित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 की शेष अवधि के दौरान अतिरिक्त 10 % आवश्यकता को जारी करने का निर्णय लिया गया था। इसके अतिरिक्त, बजट अनुमानों/संशोधित अनुमानों तथा राज्यों हेतु स्वीकृत श्रम बजट के अन्दर थी। सा.वि.नि. का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है क्योंकि राज्यों को छूट उन शर्तों पर प्रदान की गई थी जो स्वयं मंत्रालय द्वारा लागू की गयी थी।

मंत्रालय के उत्तर में निम्नलिखित मामलों का निपटान नहीं किया है:

- मंत्रालय की कार्रवाई ने सा.वि.नि. 212(1) का उल्लंघन किया, जिसमें अगर सहायता अनुदानों का निर्गम अनुवर्ती वित्तीय वर्ष हेतु संस्थीकृत कुल राशि के पचास प्रतिशत के अधिक ये में होता है तो पिछले वर्ष में जारी सहायता अनुदान से संबंधित वार्षिक लेखापरीक्षा विवरणी का प्रस्तुतीकरण अपेक्षित है।
- श्रम मांग में किसी भी बढ़ोतरी अथवा राज्यों द्वारा शर्तों में छूट से संबंधित किसी मांग का प्रमाण अभिलेख में नहीं पाया गया था।
- मंत्रालय की कार्रवाई का परिणाम मार्च 2011 की समाप्ति पर भारी अव्ययित शेषों¹ के संचयन में हुआ।

5.4 अनुवर्ती वित्तीय वर्ष हेतु निधियों का निर्गम

मंत्रालय ने, कई मामलों में विभिन्न राज्यों/जिलों को अनुवर्ती वित्तीय वर्ष में प्रक्षिप्त व्यय हेतु वित्तीय वर्ष में असमय निधियां जारी की थी। उपयोग हेतु संसदीय स्वीकृति प्राप्त किए बिना वित्तीय वर्ष में राज्यों/सं.शा.क्षे. को जारी केन्द्रीय निधियों का निर्गम अप्राधिकृत था। यह भी पाया गया था कि ऐसे निर्गम वर्ष के अंत में हुए थे। मंत्रालय द्वारा ऐसे निर्गमों का ब्यौरा तालिका-10 में है।

तालिका-10: आगामी वर्षों हेतु निर्गम

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष में जारी निधियां	वित्तीय वर्ष के दौरान उपयोग हेतु जारी निधियां	जारी राशि	निर्गम की तिथि	राज्य/जिले
2008-09	2009-10	871.08	30.03.2009	94 जिले
2009-10	2010-11	1,201.91	31.03.2010	78 जिले
2011-12	2012-13	2,000.00	15.03.2012	27 जिले
कुल		4,072.99		

¹ छत्तीसगढ़, (बस्तर: ₹43.88 करोड़, कोरिया - ₹ 24.97 करोड़ तथा रायपूर - ₹ 61.45 करोड़), गुजरात - ₹ 429.74 करोड़, मध्य प्रदेश - ₹ 1894.25 करोड़, ओडिशा - ₹ 407.70 करोड़ तथा उत्तर प्रदेश ₹ 1882.22 करोड़)

इस प्रकार, मंत्रालय ने राज्यों/सं.शा.क्षे. को कुल ₹ 4072.99 करोड़ की निधियां अप्राधिकृत रूप से जारी की। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि 2010-11 के वित्तीय वर्ष हेतु उसी प्रतिमान पर मंत्रालय के एकीकृत वित्त विभाग (ए.वि.वि.) द्वारा आपत्ति की गई थी। अनुदानों हेतु मांग पर भारत के नि.म.ले.प. तथा स्थायी समिति से प्रतिकूल टिप्पणियों का निवारण करने हेतु ए.वि.वि. ने वर्ष के अंत के निर्गम में मेल नहीं बिठाया। परिणामस्वरूप, 2010-11 के दौरान निधियों को जारी नहीं किया गया था।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया कि श्रम मांग में बढ़ोतरी को पूरा करने तथा मार्च तथा अप्रैल 2011 के दौरान राज्यों के पास निधियों के पर्याप्त प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए मार्च 2011 के दौरान निधियां जारी की गई थी तथा वित्तीय वर्ष में मार्च के दूसरे पक्ष के दौरान मनरेगास के कार्यान्वयन से उजागर अदत बिलों का आमतौर पर अनुवर्ती वित्तीय वर्ष के अप्रैल के प्रथम पक्ष के दौरान निपटान किया जाना था। इसलिए, पिछले वित्तीय वर्ष के अदत बिलों का निपटान करने हेतु अप्रैल के दौरान निधि का प्रवाह अनिवार्य था। बाद में उसने बताया कि विद्यमान नीति ने राज्यों में निधियों के उचित प्रवाह को स्वीकृत किया तथा मार्च 2011 के दौरान जारी राशि पर पहले ही मत दे दिया था इसलिए राज्य के पास शेष बनाए रखने पर लक्षित निधियों का निर्गम अप्राधिकृत निर्गम नहीं था तथा इसके अतिरिक्त, अगले वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में राज्यों के पास उपलब्ध निधियों के प्रवाह को अव्ययित शेष रूप में माना गया था तथा प्रथम किस्त के प्रति कुल पात्रता से घटाया गया था।

मंत्रालय का उत्तर इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखता है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर निधियों का निर्गम सा.वि.नि. के प्रावधानों तथा बजटीय सिद्धान्तों, जिसमें संसद द्वारा स्वीकृति अपेक्षित है जो केवल वर्तमान वर्ष हेतु किए जाने वाले व्यय के लिए प्रदान की गई है, का उल्लंघन करता है।

5.5 अव्ययित का समायोजन किए बिना मंत्रालय द्वारा निधियों का आधिक्य निर्गम

सा.वि.नि. के नियम 209(6)(iii) के अनुसार, जब परिक्रामी अनुदान एक ही उद्देश्य हेतु उसी संगठन को संस्वीकृत किया जाता है तो अनुवर्ती अनुदान संस्वीकृत करते समय पिछले अनुदानों के अव्ययित शेष का ध्यान रखा जाना चाहिए। दिशानिर्देशों में यह भी अपेक्षित है कि पिछले निर्गमों से किसी भी अव्ययित शेष को निधियों का कोई भी नया निर्गम करते समय समायोजित किया जाए।

हमने पाया कि वर्ष 2010-11 के दौरान, मंत्रालय ने 31 मार्च 2010 को ₹ 10104.71 करोड़ के अव्ययित शेषों को ध्यान में रखे बिना नौ राज्यों को ₹ 6733.25 करोड़ जारी किए जैसाकि **अनुबंध-5क** में उल्लेखित है।

इसी प्रकार, 2011-12 के दौरान मंत्रालय ने 31 मार्च 2011 को ₹ 3758.91 करोड़ के अव्ययित शेष को ध्यान में रखे बिना चार राज्यों को 1 अप्रैल 2011 को ₹ 2440 करोड़ जारी किए। इसे **अनुबंध-5ख** में दर्शाया गया है।

इस प्रकार, सा.वि.नि. के प्रावधानों तथा परिचालनात्मक दिशानिर्देशों के उल्लंघन में 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान ₹ 9173.25 करोड़ का निर्गम अनियमित था।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया कि अव्ययित शेष आंकड़े जिन पर लेखापरीक्षा द्वारा विचार किया गया वे लेखापरीक्षित आकड़े थे। एक समेकित तथा लेखापरीक्षित उ.प्र. की प्राप्ति जो प्रदान वित्तीय वर्ष में राज्य के अव्ययित शेषों को दर्शाते हैं, आमतौर पर अनुवर्ती वित्तीय वर्ष में अक्तूबर माह में अथवा उसके पश्चात प्रस्तुत किए गए थे। उसने यह भी बताया कि निर्गम जिन पर लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति की गई वह प्रथम किस्त के प्रति थे जिसे वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ के दौरान राज्यों द्वारा सूचित अव्ययित शेष के प्रावधानिक आंकड़े के आधार पर जारी किया

गया था तथा लेखापरीक्षित आंकड़ों पर द्वितीय तथा अनुवर्ती भागों को जारी करते समय अगले वित्तीय वर्ष के दौरान विचार किया गया था। मंत्रालय ने अव्ययित शेष आंकड़े, जैसे राज्य द्वारा प्रष्टांकित किए गए थे, पर विचार तथा तदनुसार प्रथम किस्त जारी की। इसके अतिरिक्त निधियां, जो मंत्रालय द्वारा जारी की गई, का कार्यक्रम कार्यान्वयन हेतु उपयोग किया गया था एवं तदनुसार वार्षिक लेखापरीक्षाओं के दौरान शामिल किया गया तथा इसलिए केन्द्रीय अंश के निर्गम को 'आधिक्य निर्गम' के रूप में नहीं मानना चाहिए।

तथापि अभिलेखों में दर्शाया कि मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 की समाप्ति पर क्रमशः ₹ 7,748.10 करोड़ तथा ₹ 3,737.42 करोड़ के अव्ययित शेषों के प्रावधानिक आंकड़ों पर विचार भी नहीं किया था। (अनुबंध-5क तथा 5 ख)।

5.6 केन्द्र द्वारा निधियों का अधिक निर्गम

योजना के अंतर्गत निधियन प्रतिमान के अनुसार, केन्द्रीय अंश को अधिनियम की धारा 22(1) स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया गया है। तथापि लेखापरीक्षा ने पाया कि छ: राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल में मंत्रालय ने राज्यों/जिलों का केन्द्रीय अंश के आधिक्य में कुल ₹ 2374.86 करोड़ की निधियां जारी की। लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए मामलों में, जहां अधिक निर्गम के कारण जैसे केन्द्रीय देयता जिसे अपने बकाया तक सीमित नहीं किया गया था, लंबित देयताओं हेतु निर्गम जिन्हें पहले ही समायोजित कर दिया गया था, अव्ययित शेष का गैर-समायोजन, अंत शेष का कम बताया जाना तथा एक ही अवधि हेतु दो बार निधि आवश्यकताओं को जारी करना उदाहरण शामिल थे। व्यौरै अनुबंध-5ग में दिए गए हैं।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया कि पश्चिम बंगाल, हि.प्र. तथा आन्ध्र प्रदेश के संबंध में कोई गलत परिकलन नहीं था। गुजरात के संबंध में लंबित देयताओं के दावों के रूप में स्वीकृति तथा 2010-11 एवं 2011-12 में उसके निर्गम को अनियमित के रूप में नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि लंबित देयताएं श्रम मांग में अचानक बढ़ोतरी तथा उसको देय उस अवधि में अधिक मजदूरी रोजगार सृजित करने के कारण थे। आगे यह बताया गया कि व्यय किया जा रहा था तथा इसलिए वचनबद्ध देयता के रूप में माना गया जिसके लिए बिल प्रस्तुत किए गए थे परन्तु निपटान/भुगतान बकाया थे इसलिए पात्रता का परिकलन करते समय इस राशि को राज्यों/जिलों द्वारा सूचित कुल अव्ययित शेष में से घटाया गया था।

मंत्रालय का उत्तर सही नहीं था क्योंकि आन्ध्र प्रदेश के संबंध में केन्द्रीय निर्गम को इसी अधिकतम देयता तक सीमित नहीं किया गया था। हिमाचल प्रदेश के मामले में इसके पास उपलब्ध अव्ययित शेषों को निधियां जारी करते समय समायोजित नहीं किया गया था तथा पश्चिम बंगाल के मामले में एक ही अवधि हेतु दो बार निर्गम किए गए थे। गुजरात के संबंध में दोनों वर्षों में लंबित देयताओं को राज्य के पास उपलब्ध निधियों से इसे घटा के समायोजित किया गया था परन्तु फिर इसे अंतिम निर्गम के समय वापस जोड़ दिया गया। यह तथ्य से रक्षाप्राप्त हुआ है कि गुजरात ने ₹ 350 करोड़ की मांग की थी जिसके प्रति मंत्रालय ने ₹ 492.02 करोड़ जारी किए थे।

5.7 अन्य अनियमितताएं - कर्नाटक द्वारा व्यय का अनियमित दावा

08 मार्च 2011 को कर्नाटक राज्य सरकार ने (ई-मेल के माध्यम से) अनुरोध किया कि मंत्रालय अतिरिक्त ₹ 461.22 करोड़ जारी करे क्योंकि यह वित्तीय वर्ष 2009-10 की लंबित देयता से संबंधित है। मंत्रालय ने ₹ 461.22 करोड़ की लंबित देयता को स्वीकार किया तथा बाद में 21 मार्च 2011 को ₹ 400 करोड़ जारी किए।

तथापि, हमने पाया कि ₹ 461.22 करोड़ की ऐसी किसी देयता को राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2009-10 के लिए उ.प्र. तथा वार्षिक लेखाओं में नहीं दर्शाया गया था। वास्तव में राज्य ने 2009-10 की समाप्ति पर ₹ 821.87 करोड़ का अव्ययित शष दर्शाया था। इस प्रकार मंत्रालय ने बिना दस्तावेजों के पर्याप्त जांच किए।

यह भी पाया गया था कि 10 मार्च 2011 को कर्नाटक के पास ₹ 1084.20 करोड़ की निधियों की उपलब्धता थी। इसका सार्थक भाग केन्द्र द्वारा निर्गम से संबंधित था। चूंकि निधि उपलब्धता आधिक्य में थी जिसकी लंबित देयता के रूप में मांग की जा रही थी इसलिए अतिरिक्त राशि जारी करने का कारण अस्पष्ट था।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया कि केन्द्रीय देयता श्रम मांग पर आधारित थी; पात्रताओं का अनुमान उस वर्ष के दौरान सृजित व्यक्ति दिवसों तथा उपयुक्त केन्द्रीय अंश के आधार पर होता था। संबंधित वर्ष में केन्द्रीय अंश कम निर्गम के मामले में इसे कार्यान्वयन अभिकरणों अर्थात् राज्यों/जिलों द्वारा मनरेगा के अंतर्गत देय को चुकाने हेतु अगले वर्ष जारी किया जाना था।

उत्तर मामले के तथ्यों के सुसंगत नहीं है क्योंकि यह एक अनियमित दावा स्वीकार करने में मंत्रालय की कार्यवाही को स्पष्ट नहीं करता है।

5.8 राज्य अंश का कम निर्गम

निधियों के निर्गम से संबंधित राज्य सरकारों के अभिलेखों की जांच ने उजागर किया कि सात राज्यों में राज्य सरकार द्वारा 2007-12 के लिए कुल ₹. 456.55 करोड़ के राज्य के अंश का कम निर्गम किया था। कम निर्गम के ब्यारे अनुबंध-5-घ में दिए गए हैं। राज्यों के अंश में कमी योजना के कार्यान्वयन हेतु निधियों की कुल उपलब्धता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है जिसके फलस्वरूप प्रारम्भ कार्यों तथा राज्यों/स.शा.क्ष. के श्रम बजटों में योजित रोजगार सृजन की प्रमात्रा कम होती है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया कि राज्य के अंश को राज्यों द्वारा प्रस्तुत उ.प्र. तथा ले.प.प्र. की जांच करके निर्धारित किया गया था तथा राज्य द्वारा अपने अंश के प्रति किसी भी कम निर्गम करने के मामले में राज्यों को तुरंत अनुपालन हेतु पत्र लिखे गए थे। यह भी बताया गया था कि मामले पर समय-समय पर श्रम बजट बैठकों, क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों तथा निष्पादन समीक्षा समिति बैठकों में चर्चा की गई थी।

मंत्रालय का उत्तर उपयुक्त नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने राज्य के अंश का कम निर्गम पाया था तथा इसलिए मामले को शोधक कार्रवाई हेतु संबंधित राज्यों के साथ उठाने की आवश्यकता है।

मामला अध्ययनः हरियाणा द्वारा राज्य के अंश का कम निर्गम

भारत सरकार की नीति के अनुसार, राज्य सरकार तथा भा.स. द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरियों में अंतर को राज्य सरकार द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से पूरा किया जाना था। हरियाणा राज्य द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी भा.स. की मजदूरी से अधिक थीं। इसलिए जनवरी 2009 से मार्च 2010 की अवधि हेतु न्यूनतम मजदूरी में अंतर के कारण ₹ 10.06 करोड़ की राशि को राज्य सरकार द्वारा अदा किया जाना अपेक्षित था। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि राशि में अंतर को केन्द्रीय अंश में से समायोजित किया गया था। मंत्रालय ने राज्य सरकार के प्रस्ताव हेतु अपने उत्तर में स्पष्ट किया उच्चतर मजदूरी दर के अतिरिक्त भार को राज्य सरकार द्वारा पूरा करना पड़ेगा। तथापि, कुल ₹ 10.06 करोड़ की निधियों को मंत्रालय द्वारा राज्यों का अनुवर्ती निर्गम से समायोजित नहीं किया गया था। हरियाणा सरकार ने उसके बाद से अंतराल को सुधारा है।

5.9 राज्य के अंश के निर्गम में विलम्ब

परिचालनात्मक दिशानिर्देश (पैरा 8.4.4) राज्यों के अंश को केन्द्रीय सरकार द्वारा अंश के निर्गम के 15 दिनों के भीतर जारी किए जाने की परिकल्पना करते हैं। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करने के लिए है कि सही समय पर कार्यान्वयन अभिकरण के पास निधियां उपलब्ध हैं। लेखापरीक्षा ने पाया कि आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश राज्यों के अंश को निर्धारित 15 दिनों की अवधि के भीतर जारी किया नहीं पाया गया था। इसके अतिरिक्त अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह देखा गया था कि राज्य के अंश का निर्गम बारंबार विलम्बित था। 13 अतिरिक्त राज्यों में 3 से 527 दिनों के बीच के विलम्बों के ब्यौरे अनुबंध 5.5 में दिए गए हैं।

पंजाब राज्य सरकार ने बताया कि राज्य के अंश के निर्गम में विलम्ब वर्ग की समाप्ति पर केन्द्रीय अंश की प्राप्ति के कारण था। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने बताया कि वित्त विभाग से व्यय संस्वीकृति प्राप्त करने की लम्बी प्रक्रिया के कारण कुछ अवसरों पर राज्य के अंश के निर्गम में विलम्ब हुआ। उत्तर प्रत्यायक नहीं है क्योंकि राज्य स्तर पर अच्छा समन्वय राज्य के अंश को जारी करने में विलम्ब से बचा सकता था।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया कि मामले पर उत्तम तथा शीघ्र अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु राज्यों को समय सीमाओं, जैसी कि संस्वीकृति आदेशों में उल्लेखित की गई थी, का अनुपालन करने के निर्देश दिए जा रहे थे।

5.10 रा.रो.गा. निधि का गैर-सृजन

अधिनियम की धारा 21(1) के अंतर्गत राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, योजना के कार्यान्वयन के उद्देश्य हेतु राज्य रोजगार गारंटी (रा.रो.गा.) निधि कही जाने वाली एक निधि की स्थापना करे। राज्य निधि में क्रेडिट हेतु स्थायी राशि को इस प्रकार से तथा ऐसी शर्तों एवं सीमाओं के तहज, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के कार्यान्वयन के उद्देश्य हेतु निर्धारित की गई है, एक परिक्रामी निधि के रूप में व्यय तथा प्रबंधित किया जाना चाहिए। परिचालनात्मक दिशानिर्देश जिला, ब्लॉक तथा ग्राम पंचायत स्तरों पर समान परिक्रामी निधि स्थापित करने का प्रावधान भी करते हैं।

31 मार्च 2012 को, 14 राज्यों एवं चार सं.शा.क्षे. अर्थात् अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दादर एवं नागर हवेली, गोवा, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, केरल लक्ष्यद्वीप, मणीपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैण्ड, पुडुचेरी, सिक्किम, त्रिपुरा तथा उत्तराखण्ड में रा.रो.गा. निधि को सृजन हेतु अधिसूचित नहीं किया गया था अथवा सक्रियात्मक नहीं थी।

इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र में रा.रो.ग्रा. निधि मार्च 2012 में सक्रिय थी। मध्य प्रदेश में रा.रो.ग्रा. निधि को अप्रैल 2009 में अधिसूचित किया गया था परन्तु इसके संचालन हेतु दिशानिर्देशों को तैयार नहीं किया गया था।

ओडिशा में, लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य ने भा.स. द्वारा जारी योजना निधि में से ₹ 3.90 करोड़ का डाकघरों में निवेश करके एक कार्पस निधि सृजित की थी (जून 2006) जिसने एक परिक्रामी निधि सृजित करने के मुख्य उद्देश्य को निष्फल बनाया। उत्तर प्रदेश में निधि को 42 महीनों के विलम्ब से सितम्बर 2009 में स्थापित किया गया था तथा वो भी राज्य सरकार द्वारा बिना अधिसूचना के था।

मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा नागालैण्ड में, जिला, ब्लॉक तथा ग्राम पंचायत स्तर पर परिक्रामी निधियों को अभी भी स्थापित किया जाना था। झारखण्ड में, परिक्रामी निधि को जिला स्तर पर स्थापित किया गया था परन्तु इसे ब्लॉक तथा ग्रा.पं. स्तर पर अभी भी स्थापित किया जाना था। पंजाब में छ: में से तीन चयनित जिलों में जिला ब्लॉक तथा ग्राम पंचायत स्तर पर परिक्रामी निधियों को आपी भी स्थापित किया जाना था। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने मनरेगा के ब्लॉक स्तरीय लेखाओं का परिक्रामी निधियां के रूप में संचालित/अनुरक्षण करने हेतु आदेश जारी किए (अगस्त 2009) तथा निधियों को भी तदनुसार जारी किया गया था परन्तु इन निधियों के संचालन तथा अनुरक्षण हेतु कोई नियमावली तैयार नहीं की गई थी। बाद में नवम्बर 2009 में यह निर्णय लिया गया था कि निधियां प्रत्यक्ष रूप से राज्य निधि से ग्रा.पं. को क्रेडिट की जाएगी तथा इसलिए परिक्रामी निधि को समाप्त कर दिया गया था।

राज्यों/सं.शा.क्षे. में परिक्रामी निधि के अभाव में, भा.स. मनरेगा हेतु केन्द्रीय निधियां सीधे कार्यान्वयन अभिकरणों अर्थात् जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम समन्वयकर्ताओं को जारी की गई थी। जिला कार्यान्वयन प्राधिकारियों को सीधे निधियां जारी करना राज्य स्तर पर प्राधिकरणों द्वारा व्यय के नियंत्रण एवं मॉनीटरिंग में त्रुटियों का कारण बना।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया कि अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत एक रा.रा.गा.नि. को स्थापित करना अनिवार्य नहीं था। निधियों के सुगम प्रवाह को सुनिश्चित करने तथा राज्य स्तर पर एक प्रभावी निधि प्रबंधन प्रणाली स्थापित करने हेतु कार्यान्वयन राज्य संबंधित रा.रो.गा.नि. स्थापित करने हेतु अनुसरण कर रही थी तथा गैर-रा.रो.ग्रा.नि. राज्यों के मामले में जिले को सीधे निधि निर्गम का परिणाम उपयुक्त मॉनीटरिंग में हुआ परन्तु मनरेगा के अंतर्गत जिलों के व्यय पर राज्य का नियंत्रण भी सुनिश्चित किया गया था। डाकघर स्तर पर वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु निधियों का न्यूनतम प्रवाह आवश्यक था क्योंकि देश में ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंक शाखाओं द्वारा पर्याप्त रूप से सेवा प्रदान नहीं की जाती थीं।

मंत्रालय निधियों के परिचालनात्मकता को आगे बढ़ाने हेतु संबंधित राज्य सरकारों के साथ मामला उठा सकता है।

5.11 सं.ग्रा.रो.यो. तथा रा.का.खा. का. से निधियों का गैर-अंतरण

परिचालनात्मक दिशानिर्देशों के अनुसार पहले की राष्ट्रीय कार्य हेतु खाद्य कार्यक्रम (रा.का.हे.खा.का.) तथा सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (सं.ग्रा.रो.यो.) की योजना को 2 फरवरी 2006 से मनरेगा में सम्मिलित कर दिया गया था। इन योजनाओं में शेष निधियों को भी मनरेगा में अंतरित किया गया था।

सात राज्यों अर्थात्, बिहार छत्तीसगढ़, झारखण्ड, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के नमूना जांच किए जिलों में अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि ₹110.22 करोड़ को रा.का.हे.सा.का तथा सं.ग्रा.रो.यो. की योजनाओं से मनरेगा को अभी भी अंतरित किए जाने थे। इसका परिणाम पहले की गैर-क्रियात्मक योजनाओं

के अंतर्गत निधियों के व्यर्थ पड़े रहने में हुआ जिसका मनरेगस में उपयोग किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त, दो राज्यों अर्थात् मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में ₹ 11.72 करोड़ को 5 से 60 महीनों के बीच के विलम्ब से अंतरित किया गया था। गैर-अंतरण तथा विलम्बित अंतरण के ब्यौरे **अनुबंध-5च** में दिए गए हैं।

मंत्रालय ने बताया कि राज्यों को मामलों पर नवीनतम स्थिति प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिए जा रहे थे।

मामला अध्ययन: सं.ग्रा.रो.यो. निधियों के अंतर्गत अनियमित व्यय

2007-08 में, असम के जिलों सहित कामरूप (ग्रामीण) तथा कर्बी अंगलॉग जिलों में कार्यान्वयन अभिकरणों ने अप्रयुक्त शेष को मनरेगस खाते में अंतरित करने के बजाए स्टाफ मकानों का विस्तार, दोपहर के भोजन के चावल खरीदने, गोदाम का किराया तथा आर.सी.सी. स्पन पाईपों की खरीद आदि जैसे अस्वीकार्य कार्यों पर सं.ग्रा.रो.यो. निधि से ₹ 31.07 लाख का व्यय किया।

5.12 ब्याज आय का उपयोग

अनुदान के एक भाग से अनुदानों पर अर्जित ब्याज को योजना के अंतर्गत प्राप्ति के रूप में दर्ज किया जाना है। तथापि लेखापरीक्षा ने पांच राज्यों में पाया कि निधियों पर अर्जित कुल ₹ 1.26 करोड़ के ब्याज को अस्वीकृत मदों पर खर्च किया गया था अथवा रोकड़ बही में प्राप्ति के रूप में दर्ज नहीं किया गया था। ब्यौरे **अनुबंध-5छ** में दिए गए हैं।

लेखापरीक्षा ने आगे उदाहरण पाए जहां निधियां चालू खाते में रखी गई थीं जो ब्याज आय की हानि का कारण बनी। झारखण्ड के नमूना जांच किए जिलों में ₹ 49.78 करोड़ को विभिन्न बैंकों में चालू खातों में रखा गया था जबकि केरल (दो ग्रा.प. में, प्रत्येक पल्लकड़ तथा कोटटयाम जिलों में एक), महाराष्ट्र (सिधुंदुर्ग तथा नांदेड़ जिलों में प्रत्येक में एक ब्लॉक) तथा मिजोरम (लूगांलई- नाथिपण तथा लॉगतलाई - संगाऊ जिले) में निधियां चालू खाते में जमा कराई गई थीं।

इसके अतिरिक्त, केन्द्र तथा राज्य सरकार से प्राप्त निधियों को सावधि अथवा अवधि जमाओं में निवेश नहीं किया जाना था। हमने पाया कि इस अनुबंध के विपरीत कनार्टक के बेलगाम जि.प. तथा बैंगलौर ग्रामीण जि.प. में क्रमशः कुल ₹ 5.00 करोड़ तथा ₹ 30 लाख की निधियों का अवधि जमाओं में निवेश किया गया था।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया कि राज्यों को इस मामलों पर नवीनतम स्थिति प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिए जा रहे थे।

5.13 प्रशासनिक व्ययों में अनियमितताएं

अधिनियम की धारा 22(1)(ग) के अंतर्गत, योजना की कुल लागत की ऐसी प्रतिशतता, जिसे केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए, को प्रशासनिक व्ययों हेतु उपगत की जानी थी, जिसमें कार्यक्रम अधिकारी तथा उसके सहायक स्टाफ आदि के वेतन एवं भत्ते शामिल किया जा सकता था। बाद में मंत्रालय ने स्पष्ट किया (अगस्त 2006) कि प्रशासनिक व्ययों को कार्यक्रम अधिकारी, उसके स्टॉफ के वेतन, ग्रा.प. को सहायता, लेखन सामग्री,

गतिशीलता (नए वाहनों की खरीद सहित) यात्रा, कम्प्यूटरीकरण, प्रशिक्षण, स.श.सं. गतिविधियों, मॉनीटरिंग, सामाजिक लेखापरीक्षाओं पर व्यय तथा लेखापरीक्षा संबंधित व्यय तथा कार्यस्थल सुविधाओं पर उपगत किया जाना था। इसके अतिरिक्त, यह भी स्पष्ट किया गया था कि केन्द्र सरकार केवल निर्धारित सीमांत की सीमा तक (मार्च 2009 तक चार प्रतिशत तथा उसके पश्चात छः प्रतिशत) व्यय को पूरा करेगी। सीमांत से अधिक व्ययों को राज्य सरकार द्वारा पूरा किया जाना था।

5.13.1 अधिक प्रशासनिक व्यय

अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि आठ राज्यों के 24 जिलों (सभी नमूना परीक्षित जिलों का 13 प्रतिशत) तथा दो सं.शा.क्षे. अर्थात् बिहार, झारखण्ड, केरल, महाराष्ट्र, नागालैण्ड, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दादर एवं नागर हवेली तथा लक्ष्मीप में 2007-12 के दौरान निर्धारित प्रतिशतता से कुल ₹ 32.04 करोड़ अधिक का प्रशासनिक व्यय किया गया था जैसाकि अनुबंध-5ज में उल्लेखित है।

5.13.2 प्रशासनिक व्ययों के अंतर्गत अस्वीकार्य व्यय

मणीपुर के चूराचांदपूर में, इम्फाल पूर्व तथा तमेनलौंग जिलों में प्रशासनिक व्ययों हेतु चिन्हित निधि में से ₹ 5.85 करोड़ का व्यय उपायुक्त कार्यालय तथा आवासीय बंगले पर प्रारम्भ निर्माण कार्यों, प्रशिक्षण हाल के निर्माण आदि पर किया गया था। छत्तीसगढ़ के दूर्ग जिले में, जिला समाहर्ता कार्यालय की साज-सूजा, मोबाइल बिलों के भुगतान आदि हेतु ₹ 4.92 लाख को प्रशासनिक शीर्ष से उपगत किया गया था। 2007-12 के दौरान, ओडिशा के बोलानिर तथा भाड़क जिलों में ₹ 14.41 लाख का व्यय जनरेटर, फर्नीचर, कलपूर्जों की खरीद, टेलीफोन बिलों के भुगतान, कार्यालय की जीप की मरम्मत तथा समतलन मशीन की खरीद के प्रति किया गया था जो अस्वीकार्य था।

इसी प्रकार, नागालैण्ड में दीमापुर, मोन तथा तौएगसांग के नमूना जांच किए तीन जि.का.स. में लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रशासनिक व्ययों को प्रभारित व्यय को वाहनों, की खरीद, सिविल कार्यों तथा कम्प्यूटरों जैसी अस्वीकार्य मदों के प्रति उपगत किया गया था। 2007-12 के दौरान, तीन जि.का.स. ने 36 वाहनों की खरीद हेतु ₹ 2.21 करोड़ का व्यय किया। वाहनों की खरीद जैसी मदों तथा एसईजीसी को निधियों के अंतिरण को स्वीकृत वार्षिक लेखाओं में अलग से दर्शाया गया था परन्तु न तो नागालैण्ड सरकार ने और न ही मंत्रालय ने अस्वीकार्य मदों पर व्यय करने से बचने हेतु कोई शोधक कार्रवाई की थी। इसके अतिरिक्त, नागालैण्ड में तीन नमूना जांच किए जि.का.स. ने यह पाया गया था कि नई बिल्डिंग के निर्माण हेतु ₹ 59 लाख का व्यय किया गया था जबकि यह मनरेगस से अस्वीकार्य था।

5.14 अस्वीकार्य मदों पर व्यय तथा निधियों का विपथन

परिचालनात्मक दिशानिर्देशों (पैरा 8.4.4.) के अनुसार, मनरेगस आवंटित निधियों का विपथन तथा अन्य उद्देश्यों हेतु उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, लेखापरीक्षा की अवधि हेतु अभिलेखों की नमूना जांच ने प्रकट किया कि 12 राज्यों में अस्वीकार्य मदों पर कुल ₹25.96 करोड़ की निधियों को उपगत किया गया था जिसे अनुबंध-5झ में उल्लेखित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, पांच राज्यों में मनरेगा योजना के अंतर्गत विनिर्दिष्ट उद्देश्यों से अलग ₹135.02 करोड़ का अपवर्तन किया गया था। राज्य विनिर्दिष्ट निष्कर्षों के ब्यौरे अनुबंध-5ज में दिए गए हैं।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया कि राज्यों को इन मामलों पर नवीनतम स्थिति प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिए जा रहे थे तथा किसी भी अस्वीकार्य प्रशासनिक व्ययों के मामले में राज्यों को मनरेगा खाते में ऐसी राशि को वापस करने को कहा जाएगा।

मामला अध्ययन: राज्य योजना हेतु विपथन

महिलाओं की अच्छी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान राज्य सरकार ने महिलाओं हेतु प्रोत्साहन योजना के रूप में अमृता देवी बिश्नोई योजना प्रारम्भ की जिसने मनरेगा में 100 दिन पूरे किए हैं। 2008-09 के दौरान इस उद्देश्य हेतु किए गए ₹ 48.35 लाख के व्यय को राज्य सरकार द्वारा राज्य के अंश से पूरा किया गया था। यद्यपि इस योजना में महिला की भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु एक अच्छा अभ्यास था परन्तु मनरेगा में ऐसे राज्य विनिर्दिष्ट पहल शक्तियां को वित्तपोषित करने हेतु कोई प्रावधान नहीं था। इस प्रकार, राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से निधियों का विपथन हुआ।

5.15 लेखे में न लिया गया व्यय अथवा निधियों का दुर्विनियोजन

लेखारीक्षा ने मजदूरियों के भुगतान अथवा सामग्री हेतु प्रक्रियाओं में भी वित्तीय अनियमितताएं पाई। आठ राज्यों में, निधियों के संदेहास्पद दुर्विनियोजन के मामले थे क्योंकि भुगतानों से संबंधित सहायक वाउचर अभिलेख में नहीं पाए गए थे। इसमें ₹ 128.23 करोड़ की वित्तीय विचलन थे। इसके अतिरिक्त चार राज्यों अर्थात् असम, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ₹ 5.05 करोड़ के स्पष्ट दुर्विनियोजन के मामले भी पाए गए थे। इन मामलों में या तो विभागीय पूछताछ की गई थी या फिर मामले निर्णायकीन थे। संदेहास्पद दुर्विनियोजन के मामलों के ब्यौरे अनुबंध-5-ट में दिए गए हैं।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया कि राज्यों को मामलों पर नवीनतम स्थिति प्रस्तुत करने के निर्देश दिए जा रहे थे तथा कार्यक्रम निधि में से निधियों के किसी भी दुर्विनियोजन अथवा लेखे में न लिए गए व्यय के मामले में राज्यों को मनरेगा खाते में ऐसी राशि को वापस करने को कहा जाएगा।

5.16 लेखाओं का मासिक वर्गकरण

परिचालनात्मक दिशानिर्देश (पैरा 8.6) लेखाओं के मासिक वर्गीकरण के अभ्यास हेतु प्रावधान करते हैं जिससे कि वित्तीय रिसाव घटाया गया है तथा निधि प्रबंधन में पारदर्शिता एवं यथार्थता सुनिश्चित की जाती है। इसमें यह सत्यापित करना शामिल है कि मनरेगा के अंतर्गत जारी पूर्णधन को तीन शीर्षों अर्थात् धन को विभिन्न स्तरों पर बैंक खातों में रखा गया, कार्यान्वयन अथवा भुगतान अभिकरणों को पेशगियां तथा वास्तविक व्यय के वाउचर के अंतर्गत दर्ज किया गया है। इसके अतिरिक्त लेखाओं के मासिक वर्गकरण के ब्यौरे को पारदर्शिता हेतु मनरेगा की वैबसाईट पर डाला जाना चाहिए।

हमने पाया कि नौ राज्यों अर्थात्, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम तथा उत्तर प्रदेश की नमूना जांच किए गए जिलों, ब्लॉक तथा ग्राम पंचायतों में लेखाओं का मासिक वर्गकरण एकस्पता से नहीं किया गया था। उत्तर प्रदेश के मामले में यह पाया गया था कि 18 नमूना जांच किए जिलों में से 16 में निधियों को मासिक आधार पर दर्ज नहीं किया गया था जैसाकि योजना के अंतर्गत अपेक्षित था। सिक्किम ने अधिनियम के कार्यान्वयन के पांच वर्षों तथा नि.म.ले.प. द्वारा अपने पहले के निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सिफरिशों के तीन वर्षों के पश्चात भी अभी तक प्रणाली प्रारम्भ नहीं की थी।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया कि राज्यों को मामले पर नवीनतम स्थिति प्रस्तुत करने के निर्देश दिए जा रहे थे।

5.17 लेखाओं का निर्धारित फार्मेट

अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकार जिला ब्लॉक तथा ग्राम पंचायत स्तर पर अनुरक्षित किए जाने वाले लेखे के प्रारूप को निर्धारित करने हेतु प्राधिकृत है। लेखापरीक्षा ने पाया कि असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह राज्य सरकारों द्वारा लेखाओं के कोई प्रारूप निर्धारित नहीं किए गए थे। महाराष्ट्र में राज्य सरकार ने लेखाकरण फार्मटों में एकरूपता को बनाए रखने हेतु एक लेखाकरण प्रणाली तैयार करने हेतु सनदी लेखाकारों को निर्देश जारी किए (अप्रैल 2012) परंतु अभी तक लेखाओं का कोई फार्मेट निर्धारित नहीं किया गया था।

मनरेगा, यद्यपि विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित थी, को एक एकल लेखाकरण आस्तिव के रूप में सोचा जा सकेगा यह विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा तैयार लेखे के समेकन तथा एकरूपता को सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक है। ऐसे दृश्यलेख में मंत्रालय को मार्गदर्शन करना चाहिए तथा लेखाओं का एक प्रास्प सेट तैयार करना चाहिए जिसे सभी राज्यों द्वारा अपनाया जा सके।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया कि सुझावों को कार्यान्वयन हेतु दर्ज कर लिया गया था।

अनुशंसाएः:

- लेखाओं का मासिक वर्गकरण निधियों के उपयोग पर एक आवश्यक नियंत्रण है। मंत्रालय द्वारा निधियों के निर्गम के दौरान लेखाओं के मासिक वर्गकरण की प्रगति की जांच की जानी चाहिए।
- एकरूपता के पक्ष में तथा लेखाओं के सुगम समेकन हेतु मंत्रालय लेखाओं का एक प्रारूप प्रारूप विकसित कर सकता है।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय को अपेक्षित नियमों निधियों को जारी करने में पारदर्शिता हेतु निर्धारित दिशानिर्देशों के साथ अनुपालना को निरपवाद रूप से सुनिश्चित करना चाहिए।

अध्याय 6

जॉब कार्डों का पंजीकरण एवं जारी करना

6.1 प्रस्तावना

योजना के अंतर्गत लाभार्थी द्वारा उसके सौ दिनों के रोजगार पाने के अधिकार को सुनिश्चित करने का पहला कदम ग्राम पंचायत के साथ उसका पंजीकरण है। अधिनियम की अधिसूची II के पैराग्राफ 2 के अंतर्गत, ग्राम पंचायत का यह कर्तव्य है कि वह उपयुक्त जांच करने के पश्चात वह परिवारों का पंजीकरण करें तथा जॉब कार्ड जारी करें। पंजीकरण हेतु व्यक्ति द्वारा एक सादे कागज पर ग्रा.पं. को आवेदन किया जा सकता है या वह व्यक्तिगतरूप से उपस्थित होकर मौखिक रूप से आग्रह भी कर सकता है। (परिचालनात्मक दिशानिर्देशों का पैरा 5.2)। परिचालनात्मक दिशानिर्देशों के अनुसार यह भी अपेक्षित है कि लाभार्थियों को आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर जॉब कार्ड जारी किए जाएं। पंजीकरण प्रक्रियाएं, जॉब कार्ड का जारी करना तथा रोजगार आबंटन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को चार्ट-9 में वर्णित किया गया है।

चार्ट-9: पंजीकरण प्रक्रिया, जॉब कार्ड एवं रोजगार आबंटन

पंजीकरण प्रक्रियाएं	<ul style="list-style-type: none"> ■ ग्रा.प. द्वारा इच्छित व्यक्तियों की पहचान हेतु घर-घर सर्वेक्षण संचालित किया जाना ■ ग्रा.प. कार्यालय पर आवेदन द्वारा भी व्यक्ति/परिवार पंजीकरण करवा सकते हैं ■ सभी आवेदन पत्र की जांच 15 दिनों के भीतर की जानी होती है ■ प्रत्येक परिवार हेतु अनन्य पंजीकरण संख्या
जॉब कार्ड	<ul style="list-style-type: none"> ■ आवेदन के 15 दिनों के भीतर ■ व्यस्क सदस्यों की फोटो ■ परिवार के पास हो ■ पांच वाँ हेतु मान्य ■ जोड़ने एवं घटाने का प्रावधान ■ स्थानीय समुदाय/ग्राम सभा की उपस्थिति में, जारी करना, जोड़ना/घटाना किया जाना चाहिए
रोजगार आबंटन गतिविधियां	<ul style="list-style-type: none"> ■ कार्य हेतु आवेदन ग्रा.प. कार्यालय, कार्यस्थल या का.आ. को दिया जा सकता है ■ प्रत्येक आवेदन के लिए दिनांकित प्राप्ति दी जानी होती है ■ आवेदन के 15 दिनों के भीतर रोजगार देना होता है अन्यथा बेरोजगारी भर्ता देना होता है ■ का.आ. यह सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी है कि प्रत्येक आवेदन को रोजगार प्राप्त हो रहा है

6.2 परिवार सर्वेक्षण

परिचालनात्मक दिशानिर्देशों का पैरा 5.2.5 अनुबंधित करता है कि अधिनियम के अंतर्गत अपने आपको पंजीकृत कराने हेतु इच्छुक व्यक्तियों की घर-घर सर्वेक्षण द्वारा पहचान की जानी चाहिए। वार्ड सदस्यों, अ.जा./अ.ज.जा. तथा महिलाओं, ग्राम स्तर पर सरकारी अधिकारी तथा ग्राम पंचायत सचिव को शामिल करते हुए ग्राम पंचायत के

प्रधान की अध्यक्षता में एक टीम द्वारा सर्वेक्षण संचालित किया जाना चाहिए। टीम के सदस्यों को ब्लॉक/जिला स्तर पर अभिविन्यास से अवगत करवाया जाना चाहिए।

6.2.1 घर-घर जाकर सर्वेक्षण नहीं किया गया

लेखापरीक्षा ने पाया कि 16 राज्यों अर्थात्, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मिजोरम, नागालैण्ड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा तथा उत्तर प्रदेश में सात जिलों के गांवों में तथा 1479 ग्रा.पं. (3848 नमूना जांच की गई ग्रा.पं. का 38.43 प्रतिशत) में पंजीकरण हेतु इच्छुक व्यक्तियों की पहचान हेतु घर-घर जाकर सर्वेक्षण का संचालन नहीं किया गया था। राज्य-वार ब्यौरा अनुच्छेद-6क में दिया गया है।

मंत्रालय ने बताया कि घर-घर जाकर सर्वेक्षण की आवश्यकता कार्यक्रम के आरम्भिक वर्षों के दौरान थी। मंत्रालय ने यह भी बताया कि विभिन्न राज्य-सरकारों ने पंजीकरण हेतु अन्य तरीके जैसे कि हैल्पलाइन, इन्फोकियोस्क, डाक घर, विद्यालय तथा आंगनवाड़ी केन्द्र इत्यादि से आवेदन का आरम्भ किया है।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि योजना के आरम्भिक चरणों में ग्राम पंचायतों ने एक बड़ी प्रतिशतता में घर-घर जाकर सर्वेक्षण का संचालन नहीं करवाया था। घर-घर जाकर सर्वेक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई संभावित लाभार्थी बचा न रह जाए तथा लाभार्थियों के अधिकारों के व्यापक संप्रेषण हेतु महत्वपूर्ण है।

6.2.2 पंजीकरण सूची का अद्यतन/प्रदर्शित न करना

परिचालनात्मक दिशानिर्देशों में यह अपेक्षित है कि पंजीकरण सूची को योग्य कामगारों को शामिल कर तथा मृत्यु, प्रवास, सरकारी नौकरी की प्राप्ति आदि के कारण अयोग्य कामगारों को घटा कर, प्रतिवर्ष अद्यतन किया जाए। दिशानिर्देशों में यह भी अपेक्षित है कि अयोग्य पंजीकृत परिवार को सार्वजनिक तौर पर रद्द किया जाए तथा ग्राम सभा में भी घोषित किया जाए। (पैरा 5.2.12 तथा 5.3.5)।

तीन राज्यों अर्थात् नागालैण्ड, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में 219 ग्रा.पं. (नमूना जांच किए गए सभी ग्रा.पं. का 5.69 प्रतिशत) में सूची को अद्यतन नहीं किया गया था। असम, नागालैण्ड, ओडिशा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल (सात राज्य) में तीन ब्लॉकों छः जिलों तथा 763 ग्रा.पं. में (सभी नमूना जांच की ग्रा.पं. का 19.82 प्रतिशत) इसे सार्वजनिक नहीं किया गया था। पंजीकरण सूची को सार्वजनिक न करने की प्रथा असम, ओडिशा, त्रिपुरा तथा उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर फैली थी। ब्यौरा अनुबंध-6ख में दर्शाया गया है।

6.3 जॉब कार्ड जारी करना

परिचालनात्मक दिशानिर्देश अनुबंधित करते हैं कि उचित जांच के उपरांत ग्राम पंचायतों को पंजीकृत लाभार्थियों को जॉब कार्ड जारी करने चाहिए। पंजीकरण हेतु आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर जॉब कार्ड जारी किए जाने थे (पैरा 5.3.2)। व्यस्क सदस्यों के फोटोग्राफ जॉब कार्ड पर चिपकाए जाने थे (पैरा 5.3.3)। इसके अतिरिक्त, जॉब कार्ड में परिवार के सभी व्यस्कों, जो कार्य करने के इच्छुक हैं, के पंजीकरण संख्या, आयु तथा लिंग के विवरण सहित सूचनाएं समाविष्ट की जानी थी जॉब कार्ड उस व्यक्ति की अभिरक्षा में होना चाहिए जिसे यह जारी किया गया है (पैरा 5.3.4)। पारदर्शिता एवं मजदूरों को धोखा-धड़ी से बचाने को सुनिश्चित करने हेतु अच्छी रुप-रेखा वाले जॉब कार्डों का समय से जारी करना आवश्यक है (पैरा 5.3.1)। जॉब कार्डों की वेद्यता पांच वर्ष की थी तथा आवश्यकता अनुसार उनका अद्यतन करना था। इस संबंध में पाई गई अनियमितताओं की चर्चा नीचे की गई है:

6.3.1 जॉब कार्डों का जारी नहीं करना

नमूना जांच की गई इकाईयों में से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, ओडिशा, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश राज्यों (छ: राज्य) में छ: ग्रा.पं., सात ब्लॉकों तथा 11 जिलों में 12,455 पंजीकृत परिवारों के संबंध में जॉब कार्ड जारी नहीं किए गए थे। विवरण तालिका-11 में दिया गया है। जॉब कार्ड की अनुपस्थिति में लाभार्थी 100 दिनों के रोजगार के अपने मूल अधिकार की मांग नहीं कर सकेगा।

तालिका-11 जॉब कार्ड जारी न करना

क्र. सं.	राज्य का नाम	ग्रा.पं./ ब्लॉकों/जिलों की संख्या	पंजीकृत परिवारों की सं.	जारी किए गए रोजगार कार्डों की सं.	जारी न किए गए रोजगार कार्डों की संख्या	टिप्पणियाँ
1	आन्ध्र प्रदेश	6 ग्रा.पं.	--	--	183	183 जॉब कार्डों को जारी किए जाने हेतु कोई अभिलेख लेखापरीक्षा के समय प्रत्युत नहीं किए गए
2	कर्नाटक	8 जिले	14,21,470	14,17,340	4,130	2007-12 के दौरान जारी नहीं किए गए।
3	मणिपुर	1 जिला (पूर्वी इम्फाल)	75,574	70,656	4,918	2009-12 के दौरान जारी नहीं किए गए।
4	ओडिशा	6 ब्लॉक	--	--	1,915	एक वर्ष से चार वर्षों से लम्बित
5	पंजाब	01 जिला	--	--	11	एक वर्ष से दो वर्षों से लम्बित
6	उत्तर प्रदेश	01 जिला 01 ब्लॉक	1,05,369 12,062	1,05,318 10,815	51 1,247	-- --
कुल					12,455	

* मॉ.सू.प्र. के अनुसार आंकड़े

मामला अध्ययन:- परिवारों का गैर-पृथकीकरण

आन्ध्र प्रदेश:

परिचालनात्मक दिशानिर्देशों का पैरा 5.1.3 अनुबंधित करता है कि 'परिवार' से तात्पर्य एक एकल परिवार से है, जिसमें माता, पिता तथा उनके बच्चे तथा परिवार के मुखिया पर पूर्ण रूप से भरपूर या आश्रित कोई व्यक्ति को शामिल किया जा सकता है।

तथापि, तीन चयनित जिलों (रंगारेड्डी, नालगोंडा तथा विजियनगरम) के संबंध में इलैक्ट्रॉनिक डाटा के विश्लेषण ने 20 या अधिक सदस्यों वाले 58 परिवारों तथा 10 से 19 सदस्यों वाले 1,962 परिवारों को उजागर किया। स्पष्ट रूप से, इन मामलों में, परिवारों को एकल परिवारों में उपयुक्त रूप से पृथक नहीं किया गया था। इस प्रकार, प्रति 'परिवार' के कम से कम 100 दिनों के रोजगार के उनके सांविधिक वार्षिक अधिकार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया।

6.3.2 अनेक जॉब कार्ड

चार राज्यों में पाया गया कि एक व्यक्ति के नाम पर कई जॉब कार्ड जारी किए गए थे। बिहार, झारखण्ड, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में 109 ग्रा.पं. तथा एक जिले में 18,325 मामलों में अनेक जॉब कार्डों का जारी करना देखा गया था। बिहार में एक ही व्यक्ति को तीन या चार जॉब कार्ड जारी करने के उदाहरण भी पाए गए थे। विवरण अनुबंध-6ग में दिया गया है। यह मामले निधियों के दुरुपयोग की गंभीर संभावना को को सलाह देते हैं तथा इनकी जांच किए जाने की आवश्यकता है।

मामला अध्ययन: जॉब कार्डों का संभव दुरुपयोग

असम:

जॉब कार्डों के किसी दुरुपयोग से बचाने के लिए दिशानिर्देश अनुबंधित करते हैं कि जॉब कार्ड केवल लाभार्थी की अभिरक्षा में ही होने चाहिए। तीन ग्रा.पं. के अभिलेखों में 428 जॉब कार्डों को परिवार के अलावा अन्य व्यक्ति अर्थात् संबंधित ग्राम पंचायत के सदस्यों/कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किया गया था। ऐसे मामलों में जॉब कार्डों के दुरुपयोग की संभावना से बचा नहीं जा सकता।

6.3.3 जॉब कार्डों को जारी करने में विलम्ब

जॉब कार्ड पंजीकरण हेतु आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर जारी किए जाने होते हैं। यह लाभार्थी द्वारा समय से रोजगार की मांग करने तथा प्राप्त करने को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक है। नमूना जांच की गई इकाईयों में से असम, झारखण्ड, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तथा उत्तर प्रदेश (सात राज्यों) में 28 ग्रा.पं. एक ब्लॉक तथा चार जिलों में 2 से 51 महीनों की देरी से जॉब कार्डों के जारी करने के 12008 मामले पाए गए थे। राज्य वार ब्यौरा अनुबंध-6 घ में दिया गया है।

6.3.4 जॉब कार्डों में अन्य असंगतियां

अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर तथा राजस्थान (सात राज्यों) में 143 ग्रा.पं. तथा 19 जिलों में 4.33 लाख जॉब कार्डों पर आवेदकों के फोटो नहीं चिपकाए गए थे। इसमें से महाराष्ट्र के मामले में अधिक विलम्ब पाए गए थे जहाँ 3.83 लाख जॉब कार्ड फोटो रहित थे। अरुणाचल प्रदेश, असम, तथा मणिपुर (तीन राज्यों) में एक ग्रा.पं. तथा पांच जिलों में परिवार के व्यस्क सदस्यों के संयुक्त फोटोग्राफ 391 जॉब कार्डों पर नहीं चिपकाए गए थे। इसके अतिरिक्त बिहार, झारखण्ड, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश तथा दादर एवं नागर हवेली (चार राज्य और सं.शा.क्षे.) में 125 ग्रा.पं. तथा 13 जिलों में 8717 मामलों में जॉब कार्ड पंजिकाओं पर आवेदक के फोटो नहीं चिपकाए गए थे। मामलों का विवरण अनुबंध-6 छ में दिया गया है।

39,359 मामलों में, बिहार, झारखण्ड तथा राजस्थान (तीन राज्यों) में 59 ग्रा.पं. तथा 13 जिलों में जॉब कार्डों की पंजीकरण संख्या/जारी करने की तिथि नहीं दी गई थी। अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, राजस्थान, उत्तराखण्ड तथा दादर एवं नागर हवेली (छ: राज्य और एक सं.शा.क्षे.) में 190 ग्रा.पं. तथा चार जिलों में 22,302 जॉब कार्डों के संबंध में परिवार के सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं पाए गए थे। इनके अतिरिक्त, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड तथा दादर एवं नागर हवेली (चार राज्य और एक सं.शा.क्षे.) में 137 ग्रा.पं. तथा 17 जिलों में नमूना जांच की गई इकाईयों में से 5002 मामलों में जॉब कार्ड जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर नहीं पाए गए थे। इन मामलों का विवरण अनुबंध-6 छ में दिया गया है।

असम में एक ग्रा.पं. में 840 मामलों में जॉब कार्ड परिवार की अभिरक्षा में नहीं थे। इसके अतिरिक्त, बिहार में 13 जिलों में अन्य अभिलेखों में किए गए भुगतान की प्रविष्टि 523 मामलों में जॉब कार्ड में की गई प्रविष्टि से मेल नहीं खाती थी इन मामलों का ब्यौरा **अनुबंध-6ड** में दिया गया है।

जॉब कार्ड एक मूल दस्तावेज है जिसे लाभार्थी अधिनियम के अंतर्गत काम पाने के अधिकार को लागू करने के लिए प्रयोग कर सकता है। तथापि, जॉब कार्ड तथा उनकी अभिरक्षा से संबंधित बड़े पैमाने पर तथा निरन्तर कमियां जागरूकता तथा सरकारी उदासीनता को दशाती है जिसने योजना कार्यान्वयन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया।

उत्तर में, मंत्रालय ने बताया कि जॉब कार्ड के जारी करने/जारी न करने तथा जॉब कार्ड पर आवेदकों के फोटो चिपकाने से संबंधित मामलों की समीक्षा, निष्पादन समीक्षा समितियों (नि.स.स.) बैठकों, क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों के दौरान तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा राज्य की यात्रा के दौरान राज्य सरकारों के साथ मामलों की नियमित रूप से समीक्षा की गई थी। मंत्रालय ने यह भी बताया कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इंगित किए गए विशिष्ट मामलों के लिए राज्य सरकारों को लेखापरीक्षा अभियुक्तियों पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने हेतु निर्देश जारी किए गये थे।

6.4 जॉब कार्ड एवं रोजगार से संबंधित अभिलेखों का अनुरक्षण

परिवालनात्मक दिशानिर्देशों का पैरा 9.1.1 (iv) अनुबंधित करता है कि ग्राम पंचायत/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जॉब कार्ड आवेदन पंजिका का अनुरक्षण करना अपेक्षित है। पंजिका में आवेदक का नाम, आवेदन प्राप्त करने की तिथि तथा जारी जॉब कार्ड के विवरण प्रदान किए जाने थे। इसमें जॉब कार्ड जारी नहीं किए जाने के कारणों को भी दर्ज किया जाना था।

परिवार के सदस्यों का ब्यौरा जिन्हें जॉब कार्ड जारी किया गया है, उनका ब्यौरा जाब कार्ड पंजिका में दिया जाना है जिसे ग्राम पंचायत/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा अनुरक्षित किया जाना होता है। (परिचालनात्मक दिशानिर्देशों का पैरा 9.1.1(iv))।

इसके अतिरिक्त, परिचालनात्मक दिशानिर्देशों का पैरा 5.2.10 अनुबंधित करता है कि आगे की योजना तैयार करने, नजर रखने तथा अभिलेखन हेतु अंतरिम पंचायत तथा जिला पंचायत को रिपोर्ट करने के उद्देश्य से पंजीकरण की प्रतियों को कार्यक्रम अधिकारी को भेजी जानी होती है। इसे तुरन्त किया जाना चाहिए ताकि कार्यक्रम अधिकारी के पास मांग होने की अवस्था में उसे संसाधनों को मांग के अनुसार प्रबंधन हेतु समेकित अभिलेख उपलब्ध हों।

आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा दादर एवं नागर हवेली (15 राज्य और एक सं.शा.क्षे.) में 1,374 ग्रा.पं. (नमूना जांच किए गए सभी ग्रा.पं. का 35.71 प्रतिशत) तथा 94 ब्लॉकों में जॉब कार्ड रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया था अथवा अनुचित रूप से अनुरक्षण किया गया था।

आन्ध्र प्रदेश, असम, विहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा दादर एवं नागर हवेली (20 राज्य और एक सं.शा.क्षे.) में नमूना जांच की गई इकाईयों में से 1,769 ग्रा.पं. (नमूना जांच किये गये सभी ग्रा.पं. का 45.97 प्रतिशत) तथा 204 ब्लॉकों में जॉब कार्ड पंजिका का अनुरक्षण नहीं/किया गया था अथवा अनुचित रूप से अनुरक्षण किया गया था।

इन पंजिकाओं के अभाव में यह सुनिश्चित करना संभव नहीं था कि सभी लाभार्थी जॉब कार्ड हेतु आवेदन कर पाए थे तथा समय से उन्हें कार्ड जारी किए गए। ओडिशा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल (तीन राज्य) में 442 ग्रा.पं. में जॉब कार्ड पंजीकरण सूची को का.अ. को भी नहीं भेजा गया था। इन परिस्थितियों में का.अ. पंजीकरण प्रक्रिया का उपयुक्त ढंग से मॉनीटरिंग करने में सक्षम नहीं होगा। व्यौरा **अनुबंध-6** च में दिया गया है।

मंत्रालय ने बताया कि यह नियमित रूप से निष्पादन समीक्षा समिति (नि.स.स.) बैठकों, क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा राज्य की यात्रा के दौरान राज्य सरकारों के साथ अभिलेखों के अनुरक्षण की समीक्षा की थी। मंत्रालय ने यह भी बताया कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित किए गए विशिष्ट मामलों के लिए राज्य सरकारों की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने हेतु निर्देश जारी किए जा रहे थे।

6.5 रोजगार गारंटी दिवस

परिचालनात्मक दिशानिर्देश अनुबंधित करते हैं कि प्रत्यके ग्राम पंचायत में कार्य हेतु आवेदन पत्रों के तथा सूचना को उजागर करना कार्य आबंन, मजदूरी का भुगतान तथा बेरोजगारी भत्ते का भुगतान जैसी संबंधित गतिविधियों के लिए सप्ताह के एक विशेष दिन को ('रोजगार गारंटी दिवस' या 'रोजगार दिवस') के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए (परिचालनात्मक दिशानिर्देशों का पैरा 12.2.1) रोजगार गारंटी दिवस की कार्यविधि सूचना को उजागर करने हेतु प्रर्याप्त प्रावधान के साथ खुली आम जगह पर की जानी चाहिए।

नमूना जांच की गई इकाईयों में से अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैण्ड, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा लक्ष्मीप (सात राज्य और एक स.शा.क्षे.) में 798 ग्रा.पं. (नमूना जांच की गई सभी ग्रा.प. का 20.74 प्रतिशत) तथा ग्यारह जिलों में सप्ताह के एक विशेष दिन को रोजगार गारंटी दिवस के रूप में चिह्नित नहीं किया गया था, जैसा कि मनरेगा परिचालनात्मक दिशानिर्देशों में दिया गया था। व्यौरा **अनुबंध-6** छ में दिया गया है।

मंत्रालय ने बताया कि यह राज्य सरकारों से रोजगार गारंटी दिवस का आयोजन करने हेतु नियमित रूप से आग्रह करती है। कुछ राज्य सरकारों द्वारा विद्यालयों, आंगनवाड़ी केन्द्रों आदि में कैम्प लगाकर कार्य आवेदन पत्रों के संसाधन करने के लिए इसी प्रकार के आयोजन किए गए थे।

6.6 राज्य विशिष्ट अभ्युक्तियां

पंजीकरण तथा जॉब कार्ड जारी करने के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों/ अनियमितताओं का राज्यवार सारांश नीचे दिया गया है:

■ अरुणाचल प्रदेश:

- चयनित जिलों में पाँच सौ बीस नमूना जॉब कार्डों ने उजागर किया कि अव्यस्क सदस्यों अर्थात् 18 वर्ष से नीचे, के पंजीकरण के 10 मामले, रोजगार अभिलेख पृष्ठ में प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर के बिना जॉब-कार्ड के 15 मामले, आवेदकों के सात मामलों से जॉब कार्ड से नाम गायब थे यद्यपि मॉ.सू.प्र. पर नामों को डाला गया था।
- जॉब कार्ड पंजीकरण हेतु किसी मौखिक आग्रह को स्वीकार नहीं किया गया था।

■ असम:

- दो ग्रा.पं. (अचालपारा तथा बारका सतगांव) में 623 (90+533) जॉब कार्ड जारी करने के अभिलेख उपलब्ध नहीं थे।
- चिरांग जिले के अंतर्गत एक ब्लॉक में दो मामलों में, दो विभिन्न व्यक्तियों को एक ही नम्बर के जॉब कार्ड जारी किए गए थे।
- एक परिवार को गांव के नामों को अलग दर्शाते हुए दो जॉब कार्ड जारी किए गए थे।
- बेरोजगार ब्लॉक के अंतर्गत दो ग्रा.पं. में, चार मामलों में एक ही परिवार के पति-पत्नी को अलग-अलग जॉब कार्ड जारी किए गए थे।

■ हिमाचल प्रदेश:

- मनरेगस के अन्तर्गत 511 मामलों में 11 ग्रा.पं. द्वारा अव्यस्क लाभार्थियों अर्थात् 18 वर्ष से कम का नामांकन/पंजीकरण किया गया था।

■ झारखण्डः

- पाकुड़ जिले के सीतापहाड़ी ग्रा.पं. में, एक ही व्यक्ति का नाम 18 जॉब कार्ड पर या तो परिवार के मुखिया या परिवार के सदस्य के रूप में पाया गया था।
- टुमका जिले की रामपुर पंचायत में एक व्यक्ति (परिवार का मुखिया) को दो जॉब कार्ड जारी किए गए थे तथा दोनों जॉब कार्डों पर मजदूरी अर्जित की गई थी तथा डाकघर के एक ही खाते में जमा की गई थी।
- पश्चिम सिंधभूम जिले की अरसन्द्रे ग्रा.पं. में, तीन मामलों में एक परिवार को दो जॉब कार्ड जारी किए गए थे तथा दोनों ही जॉब कार्डों पर मजदूरी अर्जित की गई थी और एक ही खाते में जमा की गई थी।

■ कर्नाटकः

- मॉ.सू.प्र. के अनुसार 2009-12 के दौरान नमूना-जांच किए गए आठ जिलों में 262 व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष से कम थी तथा 344 व्यक्ति जो 90 वर्ष के या उससे अधिक के थे, को कार्य पर लगाया गया था तथा क्रमशः ₹ 3.62 लाख तथा ₹ 3.65 लाख का उन्हें भुगतान किया गया था।
- आठ नमूना जिलों के मॉ.सू.प्र. डाटा ने दर्शाया कि 62.81 लाख पंजीकृत व्यक्तियों में से 19.67 लाख व्यक्तियों को हटाने हेतु चिन्हित किया गया था तथा इन मामलों के 93 प्रतिशत में हटाने हेतु कारण 'अन्य' दर्शाया गया था। हटाने हेतु सही कारण के अभाव में इन कार्डों के धोखे से जारी करने की संभावना का निर्धारण नहीं किया जा सका। इनको हटाने हेतु चिन्हित किए जाने से पूर्व 2008-09 से 2011-12 के दौरान इन व्यक्तियों को ₹156.10 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया था।
- पहचान के बाद व्यक्तियों को हटाने हेतु चिन्हित करने में भी विलम्ब था। विलम्ब की अवधि के दौरान, 5622 व्यक्तियों को काम पर लगाया गया तथा ₹50.55 लाख की मजदूरी का भुगतान किया गया। अन्य 204 व्यक्तियों को भी चिन्हित करने के उपरांत काम पर लगाया गया था उन्हें ₹1.55 लाख की मजदूरी का भुगतान किया गया।

- मॉ.सू.प्र. के अनुसार, आठ नमूना जिलों में हटाने हेतु चिन्हित किए गए परिवारों को 14,574 मामलों में जॉब कार्ड जारी किए गए थे।

मामला अध्ययन : कर्नाटक में हटाए गए जॉब कार्डों पर अनियमित भुगतान

मॉ.सू.प्र. डाटा के विश्लेषण ने दर्शाया कि 2008-12 के दौरान, गलत प्रविष्टियों के आधार पर आठ नमूना जिलों में 92,889 जॉब कार्डों तथा 2,32,636 व्यक्तियों को स्थायी रूप से हटाया जा चुका था। तथापि, मॉ.सू.प्र. में उपलब्ध डाटा के अनुसार, हटाने की तिथि तक, स्थायी रूप से हटाए गए कार्डों के संबंध में ₹ 5.27 करोड़ तथा हटाए गए व्यक्तियों के संबंध में ₹ 0.22 करोड़ का वितरण किया गया था। इसके अतिरिक्त, उन व्यक्तियों को जिन्हें स्थायी रूप से हटाया गया था। उन्हें बाद में 2008-12 के द्वारा विभिन्न कार्डों पर लगाया गया था तथा ₹ 3.42 करोड़ की कुल राशि का उन्हें भुगतान भी किया गया था।

■ केरल:

- मालापुरम के तीन ग्रा.पं.¹ में 87 जॉब कार्डों को जारी किया गया दर्शाया गया था किन्तु लाभार्थियों को सौंपा नहीं गया था।

■ ओडिशा:

- केन्द्रापारा जिले के एक ब्लॉक में सभी ग.रे.नी. परिवारों को एक ही दिन में पंजीकृत किया गया था अर्थात् 24 जनवरी 2008 को। राज्य सरकार द्वारा सभी ग.रे.नी. परिवारों के पंजीकरण हेतु निर्देश मार्च 2006 में जारी किए गए थे। अनिच्छुक परिवारों अथवा परिवार जिन्हें रोजगार की आवश्यकता नहीं है के पंजीकरण की सभावना को निर्धारित नहीं किया जा सका।

■ पुडुचेरी:

- समीक्षा की अवधि के दौरान कुल 842 जॉब कार्ड धारकों की मृत्यु हो जाने को सूचित किया गया था जबकि संबंधित ब्लॉकों द्वारा ऐसे पंजीकरण परिवारों को हटाने हेतु सत्यापन की कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

¹ मूरकानन्द नेवैरन्प्प, कीझान्तुर

अध्याय 7

रोजगार सृजन एवं मजदूरी भुगतान

7.1 प्रस्तावना

मनरेगा को लागू करने का प्राथमिक उद्देश्य समस्त ग्रामीण परिवारों के लिए आजीविका-सुरक्षा सुनिश्चित करना था। यह अधिनियम, प्रत्येक परिवार जिनके व्यस्क सदस्य अकुशल श्रमिक का कार्य करने के इच्छुक को, 100 दिनों का रोजगार देने की गारंटी देता है। अधिनियम में सुरक्षित रोजगार की गारंटी के प्रकाश में यह अनिवार्य है कि:

- जिन्हें रोजगार की आवश्यकता है उन्हें समय पर रोजगार प्रदान किया जाए
- ऐसा करना संभव न होने के मामले में अधिनियम के प्रावधान के अनुसार रोजगार भत्ता दिया जाए
- मजदूरी पूरी तथा समय पर दी जाए
- इसमें शामिल प्रक्रिया में पर्याप्त पारदर्शिता हो।

7.2 रोजगार एवं बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने में विलम्ब

परिचालनात्मक दिशानिर्देशों के पैरा 5.4 के अंतर्गत जॉब कार्ड धारक कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत (ग्रा.पं.) को कार्य हेतु लिखित में आवेदन कर सकता है जिस पर ग्रा.पं. उसको एक दिनांकित रसीद जारी करेगी। इसके अतिरिक्त, मनरेगा की धारा 7(1) में परिकल्पित किया गया है कि योजना के अंतर्गत रोजगार प्राप्त करने के उसके आवेदन पत्र की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर यदि किसी आवेदक को ऐसा रोजगार न दिया गया हो, अथवा अग्रिम आवेदन के मामले में तिथि जिससे रोजगार प्राप्त करना चाहता हो, जो भी बाद में हो, से वह दैनिक बेरोजगारी भत्ता पाने का पात्र होगा। इस उद्देश्य के लिए ग्रा.पं. (परिचालनात्मक दिशानिर्देशों के पैरा 9.1.1 (vi)) द्वारा निर्धारित प्रपत्र में एक रोजगार पंजिका का अनुरक्षण करना अपेक्षित था। राज्य सरकार की निधियों से बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जाना था। हमने प्रक्रिया में कई कमियां पाईं।

7.2.1 बेरोजगारी भत्ते का भुगतान न किया जाना

नमूना जांच की गई इकाईयों में से असम, बिहार, छत्तीगढ़, झारखण्ड, केरल, महाराष्ट्र तथा पंजाब (सात राज्यों) में छ: जिलों, एक ब्लॉक तथा 12 ग्रा.पं. में उस तिथि से जिस पर कार्य पाने हेतु अनुरोध किया गया था, से 15 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान नहीं किया गया था। 47,687 मामलों में रोजगार प्रदान करने में 2 से 1,218 दिनों तक का विलम्ब हुआ जैसाकि अनुबंध-7क में दिया गया है। तथापि, इन मामलों में बेरोजगार भत्ते का भुगतान नहीं किया गया था।

प्रत्युत्तर में, मंत्रालय ने बताया कि बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का था। राज्य सरकारों को अधिनियम के अधीन उनके कर्तव्यों से कई बार अवगत कराया गया था। मंत्रालय ने यह भी बताया कि मामला संबंधित राज्य सरकारों को अग्रेषित किया जाएगा।

मामला अध्ययन: बेरोजगारी भत्ते का परिहार्य भुगतान

उत्तर प्रदेश:

सीतापुर जिले के दो ब्लॉकों (मिसरिख तथा पिसवान) में, 860 श्रमिकों ने इस आधार पर कि मई 2007 से अक्टूबर 2007 के दौरान किए गए लिखित अनुरोधों के बावजूद उनको रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया था, बेरोजगारी भत्ते की मांग की। जिला कार्यक्रम समन्वयक (जि.का.स.) द्वारा श्रमिकों के अनुरोधों को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि श्रमिकों को क्षेत्र में चल रही अन्य योजना में कार्य प्रदान किया गया था। श्रमिक संघ ने बेरोजगारी भत्ते के भुगतान हेतु आयुक्त को अपील की। कार्यवाहियों के दौरान जि.का.स. ने बताया कि श्रमिकों को कार्य के लिए बुलाया गया था, लेकिन वे नहीं आए। तथापि, जि.का.स. इस कथन के समर्थन में कोई लिखित प्रमाण प्रस्तुत करने में विफल रहा। अतः आयुक्त ने जि.का.स. को श्रमिकों को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करने का निर्देश दिया। इस प्रकार, ₹ 14.99 लाख के बेरोजगारी भत्ते का परिहार्य भुगतान किया गया था। यह भी पाया गया था कि जि.का.स. द्वारा मनरेगास निधि के शेषों से भुगतान किए गए थे, जबकि बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करना राज्य सरकार का दायित्व था।

मंत्रालय ने बताया कि मामला राज्य सरकार को प्रेषित किया जा रहा था।

7.2.2 अभिलेखों का गैर अनुरक्षण/खराब अनुरक्षण

आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, केरल, मिजोरम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा पुडुचेरी (नौ राज्यों तथा एक सं.शा.क्ष.) में 1,402 ग्रा.पं. (समस्त नमूना जांच की गई ग्रा.पं. के 36.43 प्रतिशत) और मेघालय के आठ ब्लॉकों की ग्रा.पं. में रोजगार की मांग हेतु आवेदनों की दिनांकित रसीद नहीं दी गई थी।

आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दादर व नागर हवेली तथा पुडुचेरी (21 राज्यों तथा दो सं.शा.क्ष.) में 2,068 ग्रा.पं. (समस्त नमूना जांच की गई ग्रा.पं. के 53.74 प्रतिशत) तथा 149 ब्लॉकों में, रोजगार पंजिकाओं का अनुरक्षण/उचित अनुरक्षण नहीं किया गया था जैसा कि परिचालनात्मक दिशानिर्देशों के पैरा 9.1.1(iv) के अधीन अपेक्षित था।

मामला महत्वपूर्ण है चूंकि अभिलेखों के उचित अनुरक्षण के अभाव में बेरोजगारी भत्ते की पात्रता को परिकलित नहीं किया जा सका तथा इस प्रकार, अधिनियम के अनुसार लाभार्थियों को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया। यह चूक भ्रष्ट कर्मचारियों के प्रति उत्तरदायित्व नियत करने की मांग करती है। राज्य-वार विवरण अनुबंध-7ख में दिये गए हैं।

मंत्रालय ने बताया कि उसने ग्राम पंचायत के लेखाओं का पहले ही स.ले./स.ले. फर्म द्वारा प्रमाणन आरंभ कर दिया था तथा इससे आरंभिक स्तर से अभिलेखों का उचित अनुरक्षण करना सरल हो जाएगा। मंत्रालय ने यह भी बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा प्रदत्त विवरण राज्य सरकारों को प्रतिक्रिया तथा पर्याप्त और आवश्यक उपचारी कार्रवाई प्रारम्भ करने हेतु अग्रेषित किए जाएंगे।

7.2.3 विस्तृत राज्य-वार निष्कर्ष

बेरोजगारी भत्ते के भुगतान से संबंधित राज्य विशिष्ट निष्कर्ष/अनियमितताएं नीचे दी गई हैं:

■ बिहारः

- नमूना जांच की गई एक ग्रा.पं. (मधुबनी जिला) में, जॉब कार्ड धारक 105 व्यक्तियों ने रोजगार के लिए आवेदन किया लेकिन उन्हें रोजगार प्रदान नहीं किया गया था। यह पाया गया था कि ग्रा.पं. में कार्यों का निष्पादन कार्य उनके आवेदन की तिथि के पश्चात किया गया था, फिर भी अभी तक उनको किसी बेरोजगारी भत्ते का भुगतान नहीं किया गया था।

■ छत्तीसगढ़ः

- 2009-10 से 2011-12 के दौरान नमूना जांच की गई ग्रा.पं. में 373 परिवारों को रोजगार प्रदान नहीं किया गया था।

■ गुजरातः

- कार्य आरंभ होने से पहले, 15 दिनों के भीतर किसी भी तिथि की प्रविष्टि करके रोजगार मांग हेतु ऑनलाइन प्रविष्टियाँ की गई थीं। यह बेरोजगारी भत्ते के भुगतान से बचने के उद्देश्य से किया गया था।

■ हरियाणाः

- राज्य में योजना के आरम्भ से ही बेरोजगारी भत्ते का भुगतान नहीं किया गया था।

■ उत्तर प्रदेशः

- सभी नमूना जांच किए गए जिलों की 436 ग्रा.पं. (नमूना जांच की गई 460 ग्रा.पं. में से) में कार्य हेतु नए आवेदनों की सूचना पी.ओ. को नियमित रूप से सूचित नहीं की गई थीं। परिणामस्वरूप, पी.ओ. यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि जिन्होंने रोजगार हेतु आवेदन किया उन्हें 15 दिनों के भीतर रोजगार मिला।

■ पश्चिम बंगालः

- 2007-12 के दौरान नमूना जांच किए गए जिलों में 1,10,161 परिवारों, जिन्हें कोई कार्य प्रदान नहीं किया गया था, को बेरोजगारी भत्ता देय था। तथापि, इसके प्रति केवल 218 श्रमिकों को बेरोजगारी भत्ते के रूप में ₹ 83,007 की राशि का ही भुगतान किया गया था तथा वह भी 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान।

इस प्रकार, सात राज्यों में 47,687 श्रमिकों के संबंध में बेरोजगारी भत्ते का गैर-भुगतान पाया गया था तथा 21 राज्यों तथा दो सं.श.क्षे. में भुगतान किए जाने वाले बेरोजगारी भत्ते पुष्टिकरण हेतु के अनिवार्य अभिलेख अनुरक्षित नहीं किए गए थे।

7.3 मजदूरी का भुगतान

परिचालनात्मक दिशानिर्देशों के पैरा 7.1.1 के अनुसार मनरेगा के अंतर्गत कार्य करने वाला प्रत्येक व्यक्ति राज्य सरकार (अथवा किसी संबंधित सक्षम प्राधिकरण) द्वारा खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत नियत न्यूनतम मजदूरी पाने का हकदार था, जब तक अधिनियम के धारा 6(1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा मजदूरी के बारे में अधिसूचना जारी न की गई हो। मजदूरी समय दर अथवा दैनिक दर के अनुसार अदा की जानी थी। परिचालनात्मक दिशानिर्देशों में इसके अतिरिक्त यह भी अनुबंधित किया कि:

- श्रमिक साप्ताहिक आधार पर मजदूरी पाने के हकदार थे, तथा किसी मामले में जिस तिथि को कार्य पूरा किया गया था, उसके पन्द्रह दिनों के भीतर मजदूरी पाने के हकदार थे (मनरेगा की धारा 3(3))। मामले में जिसमें मजदूरी का भुगतान योजना के अंतर्गत निर्दिष्ट अवधि के दौरान नहीं किया जाता तो श्रमिक मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 (मनरेगा अधिनियम की अनुसूची II का पैरा 30) के प्रावधानों के अंतर्गत क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के हकदार थे। क्षतिपूर्ति लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जानी थी।
- अधिनियम की अनुसूची-I के पैरा 6 मजदूरों को मजदूरी दर से कम दर पर भुगतान करने पर रोक लगाता है। अकुशल श्रमिकों के लिए दरों की सारणी (द.स.) इस प्रकार नियत की जानी थी कि नौ घंटे काम करने वाला एक व्यक्ति सामान्यतः मजदूरी दर (मनरेगा अधिनियम की अनुसूची-I का पैराग्राफ 8) के बराबर मजदूरी अर्जित करेगा। जहाँ मजदूरी प्रत्येक रूप से कार्य की प्रमात्रा के साथ सम्बद्ध थी, वहाँ राज्य सरकारों द्वारा मजदूरी प्रत्येक वर्ष विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए राज्य परिषद (मनरेगा अधिनियम की अनुसूची-I का पैरा 7) के परामर्श से निर्धारित दरों की सारणी के अनुसार दी जानी थी।
- मापों को पारदर्शी रूप से दैनिक आधार पर संबंधित व्यक्तियों द्वारा सत्यापन हेतु दर्ज किया जाना था।

7.3.1 मजदूरी का भुगतान न किया जाना

नमूना जांच की गई इकाईयों में से आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल (नौ राज्य) में 24 ग्रा.प., नौ ब्लॉकों, 15 जिलों तथा एक संबद्ध विभाग में, मजदूरों को कार्य पूर्ण होने के 15 दिनों के बाद भी ₹ 9.59 करोड़ की मजदूरी अदा नहीं की गई थी विवरण अनुबंध-7ग में दिए गए हैं।

बिहार (₹ 1.18 करोड़), हरियाणा (₹ 2.07 करोड़), पंजाब (₹ 1.18 करोड़) तथा पश्चिम बंगाल (₹ 5.04 करोड़) के मामलों में भारी राशियां भुगतान हेतु लम्बित पाई गई थी। भुगतान न किए जाने के कारणों के लिए व्यक्तियों के बैंक खाते न खोला जाने तथा निधियों की अनुपलब्धता को उत्तरदायी बताया गया था। इसने प्रणालीगत अकार्यकुशलता को दर्शाया जिसका निदान किए जाने की आवश्यकता है।

मंत्रालय ने बताया कि भुगतान में विलंबों की जांच करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले विभिन्न उपायों के संबंध कई परामर्श जारी की थी। व्यक्तियों के बैंक खाते खोले जाने संबंधी संस्थागत बाधाओं को सरल करने हेतु मंत्रालय ने बैंकिंग कोरेसोन्डेन्ट मॉडल को भी प्रोत्साहित किया था। मंत्रालय ने यह भी बताया कि राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं की पूर्ति के उपरान्त उन्होंने निधियां तुरंत जारी कर दी थी।

7.3.2 मजदूरी पर्चियों का जारी न किया जाना

परिचालनात्मक दिशानिर्देशों के पैरा 7.2.1(xi) में प्रावधान है कि श्रमिकों को देय प्रत्येक भुगतान हेतु कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा राशि तथा अवधि जिसके लिए कार्य किया गया था, को दर्ज करते हुए निर्धारित प्रारूप (परिचालनात्मक दिशानिर्देशों का अनुबंध ब-3 (i)) में श्रमिकों को एक मजदूरी पर्ची जारी की जानी चाहिए। श्रमिकों को राशि केवल मजदूरी पर्ची तथा श्रमिक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा आहरण पर्ची के प्रस्तुतीकरण पर ही वितरित की जानी थी।

असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैण्ड, सिक्किम, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल तथा लक्ष्मीप (14 राज्यों तथा एक सं.शा.क्षे.) में 26 जिलों, 27 ब्लॉकों तथा 1,021 ग्रा.पं. (समस्त नमूना जांच की गई ग्रा.पं. का 26.53 प्रतिशत) में श्रमिकों को कोई मजदूरी पर्ची जारी नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि मजदूरी पर्ची जारी न करने की प्रथा उपरोलेखित सभी 15 राज्यों/सं.शा.क्षे. में व्याप्त थी।

परिणामतः श्रमिकों को, उनके द्वारा किए गए कार्य हेतु, किए गए भुगतान की प्रमाणिकता को लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका। यह समस्त भुगतान प्रक्रिया में रिसाव तथा दुर्विनियोजन को संदेहास्पद प्रस्तुत किया। **विवरण अनुबंध- 7घ** में दिए गए हैं।

मंत्रालय ने बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा उजागर मामले संबंधित राज्य सरकारों को आवश्यक उपचारी कार्रवाई हेतु प्रस्तुत किए जाएंगे।

मामला अध्ययन: लम्बित देयताएं

कर्नाटक:

मार्च 2012 को, ₹ 415.91 करोड़ के 1.36 लाख मर्स्टर रोल बिना भुगतान किए पड़े रहे। इसके अतिरिक्त, ₹ 238.59 करोड़ की लागत की सामग्रियों की आपूर्ति हेतु 82,534 बिलों का भी भुगतान नहीं किया गया था, जिससे ₹ 654.50 करोड़ की कुल देयता बनी। 2008-09 से 2011-12 के दौरान राज्य का कुल व्यय ₹ 6,468.97 करोड़ (मजदूरी पर ₹ 4,092.88 करोड़ तथा सामग्री पर ₹ 2,376.09 करोड़) था। इन बिलों के अतिरिक्त, वर्ष 2009-10 के लिए ₹ 332.72 करोड़ के आपूर्ति बिल तथा मर्स्टर रोल, जिनको नरेगा सॉफ्ट में अभी तक प्रविष्ट नहीं किया गया था, भी मार्च 2012 को भुगतान हेतु लम्बित थे।

मंत्रालय ने मामले को गंभीर माना तथा उसने राज्य सरकारों से उनकी टिप्पणियां मांगी थी।

बिहार:

नमूना जांच किए छ: जिलों में, मजदूरी तथा सामग्री बिलों के लम्बित होने के कारण कुल ₹79.54 करोड़ की देयता सृजित हुई थी। भुगतान की निर्धारित तिथि से विलम्ब एक से चार वर्षों तक के बीच था।

मंत्रालय ने बताया कि मामला जांच तथा उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु राज्य सरकारों को भेजा जा रहा था।

उत्तराखण्डः

नमूना जांच किए गए तीन ब्लॉकों (धौलादेवी, द्वारहाट तथा चक्राता) में, वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 के लिए मजदूरी तथा सामग्री बिलों के लम्बित होने के कारण कुल ₹ 1.73 करोड़ राशि की देयता सृजित हुई थी। राज्य सरकार ने बताया कि निधियों की कमी के कारण देयता उत्पन्न हुई थी।

भुगतान प्रक्रिया में अधिक विलम्बों ने अधिनियम के अंतर्गत गारंटीड रोजगार प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य को नकारा।

7.3.3 मजदूरी का कम भुगतान

किसी भी परिस्थिति में श्रमिकों को, मजदूरी दर से कम मजदूरी नहीं दी जानी चाहिए (मनरेगा अधिनियम की अनुसूची-1 का पैरा 6)। तथापि, नमूना जांच की गई इकाईयों में से असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल (10 राज्यों) में 94 ग्रा.प., 14 ब्लॉकों, 12 जिलों तथा एक सं.वि.¹ में श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी दर से कम मजदूरी अदा की गई थी। लाभार्थियों को कुल ₹ 27.38 करोड़ का कम भुगतान किया गया था। विवरण अनुबंध 7ड में दिए गए हैं। नमूना जांच किए गए आठ जिलों के संबंध में, कर्नाटक (₹ 23.71 करोड़) के मामले में कम भुगतान पाए गए थे। त्रिपुरा के मामले में, राज्य सरकार ने बताया (अगस्त 2012) मजदूरी की बकाया राशियों का भुगतान करने के लिए ₹ 34.50 लाख पहले ही ब्ला.वि.अ. को जारी कर दिए गए थे।

मंत्रालय ने बताया कि मनरेगा अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत, श्रमिकों को उस क्षेत्र के लिए अधिसूचित मजदूरी दर के अनुसार भुगतान किया जाएगा जो क्षेत्र में अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी दर के संबंध में भिन्न-भिन्न हो सकती है।

तथ्य यह था कि राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर संशोधित दरों के अनुसार मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया था।

7.3.4 मजदूरी के भुगतान में विलम्ब के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान न किया जाना

मजदूरी का भुगतान करने में किसी प्रकार का विलम्ब होने की दशा में श्रमिक, मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 के प्रावधानों (मनरेगा, अधिनियम की अनुसूची-II का पैरा 30) के अंतर्गत क्षतिपूर्ति के हकदार थे। तथापि, आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैण्ड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दादर व नागर हवेली तथा पुडुचेरी (21 राज्यों तथा दो के.शा.क्षे.) में 574 ग्रा.प. (समस्त नमूना जांच की गई ग्रा.प. का 14.92 प्रतिशत), 72 ब्लॉकों, 27 जिलों तथा छ: सं.वि. में श्रमिकों को समय पर अर्थात उस तिथि, जिस पर कार्य किया गया था, से पंद्रह दिन के भीतर, ₹ 686.72 करोड़ की मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया था। विवरण अनुबंध-7च में दिए गए हैं। तथापि, उन्हें ऊर दर्शाए गए प्रावधानों के अंतर्गत कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी गई थी।

उक्त मामले अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन संबंधी चिंता का उजागर करते हैं। निर्धारित समय सीमा

¹ संबद्ध विभाग

के भीतर सभी मजदूरों को निर्धारित मजदूरी एवं अन्य देय लाभों का भुगतान को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

मंत्रालय ने बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा रेखांकित किए गए मजदूरी भुगतान में विलम्ब के मामलों को आवश्यक उपचारी कार्रवाई हेतु संबंधित राज्य सरकारों को प्रेषित किया जाएगा।

मामला अध्ययन: ₹69.90 करोड़ राशि के बैंकों को बैंकों/डाक घरों की बजाय सरपंच के पक्ष में अनियमित रूप से जारी करना।

छत्तीसगढ़:

कांकेरी जिले की नरहारपुर जनपद पंचायत तथा बस्तर तथा बाकावंड जनपद पंचायतों के अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि बैंकों/डाकघरों में खाते जॉब कार्ड धारकों के नाम से खोले गए थे। मजदूरी का भुगतान सीधे उनके खातों में किया जाना था। तथापि, 2009-12 के दौरान का.अ. ने मनरेगा में कार्यरत मजदूरों को मजदूरी का भुगतान करने के लिए सरपंचों के पक्ष में कुल ₹ 69.90 करोड़ (नरहारपुरम में ₹ 35.49 करोड़, मकड़ी में ₹ 11.59 करोड़, बस्तर में ₹ 11.26 करोड़ तथा बाकावंड में ₹ 11.56 करोड़) के चैक जारी किए।

भुगतानों ने योजना प्रावधानों का उल्लंघन किया, तथा इसलिए यह अनियमित थे। यह निर्धारित नहीं किया जा सका कि क्या वितरित की गई राशि लक्षित लाभार्थियों तक पहुँची। मामले की आगे जांच किए जाने की आवश्यकता है।

मंत्रालय ने बताया कि मामला जांच हेतु राज्य सरकार को भेजा जा रहा था।

7.3.5 मजदूरी का अनियमित नगद भुगतान

परिचालनात्मक दिशानिर्देशों का पैरा 7.2.1 बैंकों अथवा डाक घरों, जहाँ प्रत्येक श्रमिकों के व्यक्तिगत खाते अथवा संयुक्त खाते (प्रत्येक जॉब कार्ड के लिए एक खाता) खोले जाने थे, के माध्यम से मजदूरी का भुगतान निर्धारित करता है। जिन परिवारों का मुखिया पुरुष है, उन परिवारों की महिला सदस्यों के पृथक व्यक्तिगत खाते खोले जाने थे। सितम्बर 2008 में जारी भा.स. के अनुदेशों के अनुसार श्रमिकों को सितम्बर 2008 के पश्चात मजदूरी का नकद भुगतान नहीं किया जाना था।

नमूना जांच की गई इकाईयों में से आन्ध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मणिपुर, पंजाब तथा राजस्थान (छ: राज्यों) में दो जिलों तथा 55 ग्रा.पं. में भा.स. के अनुदेशों के उल्लंघन में कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा ₹ 16.75 करोड़ का नगद भुगतान किया गया था। मजदूरी का नकद भुगतान योजना निधियों के रिसाव तथा जाली श्रमिकों को भुगतान के खतरे का प्रतिपादक हो सकता है। विवरण अनुबंध-7छ में दिए गए हैं।

मंत्रालय ने बताया कि उसने बैंकों तथा डाकघरों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करने के लिए कई अनुदेश जारी किए थे। मनरेगा के अंतर्गत वित्तीय अंतर्वेशन की प्रगति, बैंकों तथा डाकघरों की सांस्थानिक क्षेत्र की प्रगति से अधिक अच्छी थी, तथा कुछ क्षेत्रों में इन संस्थानों द्वारा इतनी अधिक संख्या में लाभार्थियों के खातों का संचालन करने की क्षमता कम पाई गई थी। मंत्रालय ने आगे बताया कि इस मामले की सभी निपादन समीक्षा समितियों की बैठकों के साथ-साथ अन्य मंचों पर भी गंभीरतापूर्वक समीक्षा की जा रही थी।

मामला अध्ययन: मजदूरी का नकद भुगतान

तमिलनाडु:

सचिव, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज, तमिलनाडु सरकार (त.ना.स.) ने बैंकों के माध्यम से मजदूरी भुगतान की प्रणाली अपनाने पर अपनी आशंका को भा.स. को सूचित किया (दिसम्बर 2007) था। कारण यह थे कि श्रमिकों को बैंक से अपनी मजदूरी लेने के लिए उनकी एक दिन की मजदूरी खोकर बहुत दूर जाना पड़ेगा तथा बैंक पुराने बकायों को उनकी देय राशियों से समायोजित करेगा।

राज्य रोजगार गारंटी परिषद ने तमिलनाडु सरकार (त.ना.स.) को राज्य में मजदूरी के नकद भुगतान की प्रणाली को जारी रखने का निर्देश दिया (मार्च 2008)।

मजदूरी संवितरण के उद्देश्य हेतु गठित ग्राम भुगतान समितियों में अधिकांश सदस्य वे व्यक्ति थे जो योजना के कार्यान्वयन हेतु जिम्मेदार थे अर्थात् प्रधान, उपप्रधान तथा ग्राम पंचायतों के वार्ड सदस्य। परिणामतः नकद में श्रमिकों को भुगतान करने की प्रक्रिया अनाचार के जोखिम से परिपूर्ण थी विशेषकर जब मजदूरी संवितरण अभिकरण तथा योजना कार्यान्वयन अभिकरण एक ही हो।

तमिलनाडु सरकार ने उत्तर दिया कि उसने वर्ष 2012-13 से मजदूरी भुगतान में अनाचार की संभावना को समाप्त करने के लिए श्रमिकों को मजदूरी का संवितरण करने की वर्तमान प्रथा को हटाने तथा मजदूरी संवितरण अभिकरण को कार्यान्वयन अभिकरण से अलग करने का निर्णय लिया था। अब मजदूरी का भुगतान प्रत्येक ब्लॉक में एक ग्रा.पं. में प्रायोगिकी आधार पर बैंकों के माध्यम से किया जा रहा था।

7.3.6 विस्तृत राज्य-वार निष्कर्ष

मजदूरी के भुगतान से संबंधित राज्य विनिर्दिष्ट निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

■ गोवा:

- अगस्त 2011 के लिए 37 लाभार्थियों के संबंध में ₹ 0.36 लाख की मजदूरी 40 दिनों के विलम्ब के उपरान्त अदा की गई थी। ब्लॉक कार्यालय ने बताया कि वह विलम्ब हेतु अदा की जाने वाली किसी क्षतिपूर्ति से अवगत नहीं थे।

■ झारखण्ड:

- 2009-12 की अवधि के दौरान दो ब्लॉकों में विस्तृत क्षेत्र बहुउद्देशीय समिति (वि.क्षे.ब.स.) के माध्यम से ₹ 2.14 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया था। वि.क्षे.ब.स. ने श्रमिकों की मजदूरी से चार से पांच प्रतिशत की दर पर सेवा प्रभारों की कटौती की। परिणामस्वरूप श्रमिकों को ₹ 8.81 लाख की मजदूरी का कम भुगतान हुआ।
- 11 ग्रा.पं. में, 101 जॉब कार्ड धारकों से संबंधित ₹ 1.30 लाख की मजदूरी को डाकघर के केवल 49 खातों में क्रेडिट किया गया था। इस प्रकार, भुगतान प्रक्रिया की जांच किए जाने की आवश्यकता है जिससे अनियमित अथवा जाली भुगतानों को रोका जा सके।

■ केरल:

- एक ग्रा.पं. में, सचिव द्वारा चैक हस्ताक्षरित करने में विलम्ब के कारण ₹12.00 लाख के भुगतान में 71 दिनों तक का विलम्ब हुआ तथा वर्ष 2011-12 से संबंधित ₹ 6.00 लाख के भुगतान को, ब्लॉक पंचायत द्वारा निधियां जारी न करने के कारण मई 2012 तक अदा नहीं किया गया था।
- एक ग्रा.पं. में, 45 मामलों में कार्य का माप दर्ज किए बिना ₹ 12.86 लाख का भुगतान किया गया था।

■ मणिपुर

- इम्फाल पूर्व में नमूना जांच की गई 20 ग्रा.पं. में अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन में 78 निर्माणकार्यों के संबंध में छुट्टियों के लिए ₹ 31.11 लाख का भुगतान किया गया था।

■ लक्ष्मीप:

- नमूना जांच की गई तीन ग्रा.पं. में मजदूरी के भुगतान में 15 से 65 दिनों तक का विलम्ब था।

7.3.7 केन्द्रीय भाग से अप्राधिकृत भुगतान

योजना के अंतर्गत 100 दिनों से अधिक का रोजगार देने की लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जानी थी। केरल, राजस्थान, त्रिपुरा तथा उत्तर प्रदेश (चार राज्यों) के नमूना जांच किए गए 16 जिलों एवं एक ग्रा.पं. में 100 दिनों से अधिक 45.88 लाख श्रम दिवसों के प्रति ₹ 24.48 करोड़ का व्यय, केन्द्रीय भाग में से किया गया था। विवरण तालिका-12 में दिए गए हैं

तालिका-12 केन्द्रीय भाग से अप्राधिकृत भुगतान

क्र. सं.	राज्य का नाम	ग्रा.पं./ब्लॉक/ जिलों की सं.	परिवारों की सं.	अधिक श्रम दिवसों की सं.	अधिक भुगतान की राशि (₹ लाख में)
1	केरल	1 ग्रा.पं.	265	2,960	4.42
2	राजस्थान*	8 जिले	1,72,866	33,84,000	1,196.58
3	त्रिपुरा*	4 जिले	2,80,155	9,84,869	1,022.00
4	उत्तर प्रदेश	4 जिले	85,884	2,15,762	224.94
कुल		1 ग्रा.पं. एवं 16 जिले	5,39,170	45,87,591	2,447.94

* मा.सू.प्र. के अनुसार आंकड़े

इस प्रकार, इन राज्यों में योजना-प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था।

मंत्रालय ने बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा उजागर किए गए मामले, संबंधित राज्य सरकारों को उनकी टिप्पणियों तथा आवश्यक अनुपालन हेतु प्रेषित किए जा रहे थे।

7.4 मेट्रस की तैनाती

प्रत्येक कार्य के लिए, कार्य के पर्यवेक्षण तथा कार्यस्थल पर हाजिरी लगाने के लिए एक मेट्र पदनामित की जाए। महिलाओं के पर्याप्त प्रतिनिधित्व सहित एक निष्पक्ष, पारदर्शी तथा सहभागी प्रक्रिया के द्वारा मेट्रस का चयन किया जाना था। प्रशिक्षित मेट्रस का हर समय एक पर्याप्त "पूल" को सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक गांव में पर्याप्त संख्या में मेट्रस को प्रशिक्षित किया जाना था। कार्यस्थल पर लगाए गए श्रमिकों के प्रति मेट्रस का अनुपात कम से कम 1:50 होना था। इस संबंध में उपयुक्त मानदण्ड राज्य रोजगार गारंटी परिषद के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जाने थे। जब हाजिरी सामान्यतः बन्द हो मेट्रस को 15 दिन के आधार पर कार्य पर बदलते रहना था (परिचालनात्मक दिशानिर्देशों की धारा 6.4.4(i))। मेट्रस का पारिश्रमिक कार्य के सामग्री घटक के अंतर्गत शामिल किया जाना था। लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई थीं:

- नमूना जाँच की गई इकाईयों में से असम, महाराष्ट्र, मिजोरम तथा उत्तराखण्ड (चार राज्यों) में 177 ग्रा.पं. तथा नौ जिलों में मेट्र को नमूना जाँच किए गए कार्यों में नियुक्त नहीं किया गया था। नमूना जाँच किए गए मामलों में से केरल में छ: ग्रा.पं. में मेट्रस को बदला नहीं गया था। इसके अतिरिक्त, पश्चिम बंगाल में 10 ग्रा.पं. में मेट्रस को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था।
- नमूना जाँच की गई इकाईयों में से केरल तथा राजस्थान (दो राज्यों) में एक ग्रा.पं. तथा 11 ब्लॉकों में मेट्रस को दी गई मजदूरी को श्रम घटक के अंतर्गत अकुशल मजदूरी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था, परिणामस्वरूप, सही मजदूरी-सामग्री के अनुपात को परिकलित नहीं किया गया था।

उपरोक्त मामलों के विवरण **अनुबंध-7ज** में हैं।

मंत्रालय ने बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित परिचालनात्मक दिशानिर्देशों के उल्लंघन के मामलों को आवश्यक शोधक कार्रवाई हेतु राज्य सरकारों को प्रेषित किया जाएगा।

7.5 मस्टर रोल में अनियमितताएं

परिचालनात्मक दिशानिर्देशों का पैरा 6.5.1 प्रावधान करता है कि काम आरंभ करने से पूर्व ग्राम पंचायत को कार्यक्रम अधिकारी को सूचित करना था ताकि वह अपेक्षित मस्टर रोल जारी कर सके। प्रत्येक मस्टर रोल की अनन्य पहचान संख्या दी जानी थी तथा कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना था। मस्टर रोल में जॉब कार्ड संख्या, श्रमिक का नाम तथा किए गए काम के दिन दर्शाए जाएंगे। मजदूरों की हाजिरी तथा दी गई मजदूरी को मजदूर के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान सहित प्रत्येक के नाम के सामने दर्शायी जाएगी। मस्टर रोल के अनुक्षण में कई अनियमितताएं पाई गई थीं जैसा कि अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

7.5.1 मस्टर रोल (म.रो.) में हेर-फेर करना

नमूना जाँच की गई इकाईयों में से आन्ध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, नागालैण्ड, ओडिशा तथा उत्तर प्रदेश (10 राज्यों) में 200 ग्रा.पं. तथा पांच ब्लॉकों में, मस्टर रोलों में कटिंग, क्रॉसिंग आउट तथा ओवरराइटिंग पाई गई थी। सुधारों को सत्यापित नहीं किया गया था। इसलिए संबंधित भुगतान निधियों के दुर्विनियोजन के जोखिम से परिपूर्ण थे। राज्य-वार विवरण **अनुबंध-7झ** में दिए गए हैं।

मंत्रालय ने बताया कि मामला जाँच हेतु राज्य सरकारों को भेजा जा रहा था।

मामला अध्ययन: मस्टर रोलों में अनियमितताएं

उत्तराखण्ड:

नमूना जांच किए गए 100 ग्रा.पं. के 899 कार्यों में कुल 10,759 म.रो. की जांच की गई थी। 1,110 मामलों में कटिंग 771 मामलों में ओवरराइटिंग तथा 510 मामलों में सफेद फ्लुइड का प्रयोग पाया गया था म.रो. में ऐसे अप्रमाणित परिवर्तन इन्हें अविश्वसनीय बनाते हैं। इसके अतिरिक्त, 17 मामलों में जॉब कार्ड संख्या दर्ज नहीं की गई थी तथा 2,412 मामलों में जॉब कार्ड धारकों के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान मौजूद नहीं थे। इस प्रकार संबंधित भुगतान संदेहास्पद थे।

मंत्रालय ने बताया कि मामला आवश्यक कार्रवाई हेतु राज्य सरकारों को भेजा जा रहा था।

झारखण्ड में मस्टर रोल में हेर-फेर/ओवर राइटिंग/कटिंग के नमूने



पलामू जिले (झारखण्ड) में लैसलीगंज ब्लॉक की डबरा ग्रा.पं.

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (N. 2008)
मास्टर रौल का प्रपत्र

दिनांक : 25/07/08
संख्या : 23-5-12

संकेत नं. / रोल नं. / नाम	प्रति कले किलो	प्रति कले/ प्रति किलो/ प्रति बैग	1	2	3	4	5	6	7	प्रति किलो की कमी	प्रति किलो की वापरी	प्रति किलो की वापरी का वापर
भिज़ रोल	812	१०५०/११२	8	8	8	8	8	8	8	१६.०	५१३.५०	५१३.५०
लड्डू रोल	824	१०५०/११२	8	8	8	8	8	8	8	१६.०	५१३.५०	५१३.५०
लड्डू/केक/कॉक	393	१०५०/११२	8	8	8	8	8	8	8	१६.०	५१३.५०	५१३.५०
लड्डू/केक/कॉक	401	१०५०/११२	8	8	8	8	8	8	8	१६.०	५१३.५०	५१३.५०
लड्डू/केक/कॉक	412	१०५०/११२	8	8	8	8	8	8	8	१६.०	५१३.५०	५१३.५०
लड्डू/केक/कॉक	806	१०५०/११२	8	8	8	8	8	8	8	१६.०	५१३.५०	५१३.५०
लड्डू/केक/कॉक	417	१०५०/११२	8	8	8	8	8	8	8	१६.०	३१३.६०	३१३.६०
लड्डू/केक/कॉक	395	१०५०/११२	8	8	8	8	8	8	8	१६.०	३१३.६०	३१३.६०
लड्डू/केक/कॉक	386	१०५०/११२	8	8	8	8	8	8	8	१६.०	३१३.६०	३१३.६०
लड्डू/केक	962	१०५०/११२	8	8	8	8	8	8	8	१६.०	५१३.५०	५१३.५०
लड्डू/केक	962	१०५०/११२	8	8	8	8	8	8	8	१६.०	५१३.५०	५१३.५०
लड्डू/केक	932	१०५०/११२	8	8	8	8	8	8	8	१६.०	५१३.५०	५१३.५०
लड्डू/केक	933	१०५०/११२	8	8	8	8	8	8	8	१६.०	५१३.५०	५१३.५०
लड्डू/केक	935	१०५०/११२	8	8	8	8	8	8	8	१६.०	५१३.५०	५१३.५०
लड्डू/केक	139	१०५०/११२	8	8	8	8	8	8	8	१६.०	५१३.५०	५१३.५०
इनिक योग -											५१३.५०	५१३.५०
कृषि वर्षदार - लौहेला - मूल वर्षदार - मूल वर्षदार - बन्द -												
लड्डू रोल												
सामाजिक भुगतान की संरक्षा												
सामाजिक इकाई का वापर - सामाजिक इकाई का वापर - सामाजिक इकाई का वापर												

(कापथे)
(कापथे)
(कापथे)
(कापथे)

गुमला जिले (झारखण्ड) में सिसई ब्लॉक की नगर ग्रा.पं.

दुमका जिले (झारखण्ड) में जारखुनी ब्लॉक की सिंगानी ग्रा.पं.

2013 की प्रतिवेदन सं. 6



7.5.2 संदिग्ध मस्टर रोलों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान

कार्यक्रम अधिकारी (का.अ.) द्वारा क्रमांकित मस्टर रोलों (म.रो.) का अनुरक्षण किया जाना था। कार्य आरंभ होने के बारे में सूचना प्राप्त होने पर कार्यान्वयन अभिकरणों को म.रो. जारी किए जाने थे। यह सुनिश्चित करना की कार्यान्वयन अभिकरणों की जिम्मेदारी थी कि केवल का.अ. से प्राप्त म.रो. का ही निर्माणकार्यों में उपयोग किया गया था। बिहार, गुजरात, झारखण्ड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश (पांच राज्यों) में 25 ग्रा.पं. तथा चार ब्लॉकों में कार्यान्वयन अभिकरणों ने उन म.रो. का उपयोग किया जो का.अ. द्वारा जारी नहीं किए गए थे अथवा म.रो. की फोटोप्रतियों का उपयोग किया गया था। ₹ 25.01 लाख की मजदूरी का भुगतान ऐसे अनाधिकृत मस्टर रोलों पर किया गया था। राज्यवार विवरण तालिका-13 में दिए गए हैं।

तालिका-13 संदिग्ध मस्टर रोल्स के मामले

क्र. सं.	राज्य का नाम	ग्रा.पं./ब्लॉक/जिलों की सं.	मस्टर रोलों की सं.	राशि (₹ लाख में)	अभ्युक्तियां
1	बिहार	6 ग्रा.पं. तथा 3 ब्लॉक	2,461	0.28 ²	म.रो. को उसे जारी होने से पहले/बिना जारी किए/उपयोग किए गए दो कार्यों में एक ही म.रो. का उपयोग किया गया
2	गुजरात	1 ग्रा.पं.	7	1.99	का.अ. द्वारा म.रो. जारी नहीं किए गए (म.रो. की फोटोप्रतियों का उपयोग किया गया था)
3	झारखण्ड	9 ग्रा.पं.	250	9.20	अप्राधिकृत म.रो. के द्वारा भुगतान। (का.अ. के हस्ताक्षर के बिना)
		2 ग्रा.पं.	2	0.14	एक ही म.रो. की दो प्रतियों का उपयोग किया गया था।
4	ओडिशा	1 ब्लॉक	1	0.17	का.अ. द्वारा जारी न किए गए म.रो. का उपयोग किया गया था।
5	उत्तर प्रदेश	7 ग्रा.पं.	201	13.51	का.अ. द्वारा हस्ताक्षरित न किए गए म.रो. का उपयोग किया गया था।
योग		25 ग्रा.पं. तथा 4 ब्लॉक	2,922	25.01	

मंत्रालय ने बताया कि मामला राज्य सरकारों को जांच हेतु भेजा जा रहा था।

² केवल कुछ म.रो. में राशि की गणना की जा सकी।

मामला अध्ययन: निधियों का संदिग्ध दुर्विनियोजन

गुजरात:

जि.ग्रा.वि.प्रा., दाहोद के मस्टर रोल जारी करने वाली पंजिका की संवीक्षा ने प्रकट किया कि फतेपुरा तालुका में उपयोग किए गए निम्नलिखित म.रो. वास्तव में अन्य तालुकाओं को जारी किए गए थे, जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:

तालुका का नाम जिसे म.रो. जारी किए गए	मस्टर रोलों की क्रम संख्या		किया गया भुगतान (₹ करोड़ में)
	से	तक	
धानपुर	46001	56000	1.21
दाहोड़	101001	102500	0.40
	121001	123000	0.13
देवगढबरिया	56001	68000	0.85
गरबदा	116001	118000	0.06
जोलोड़	78001	88000	0.94
योग			3.59

वर्ष 2009-10 के वाउचरों की जाँच ने प्रकट किया कि इन मस्टर रोलों के आधार पर फतेपुरा में कार्यरत श्रमिकों को ₹3.59 करोड़ का भुगतान किया गया था। इसके अतिरिक्त, वाउचरों के साथ मस्टर रोल संलग्न नहीं थे, तथा केवल मस्टर रोल संख्या दर्शा रही सारांश शीटें इसके साथ संलग्न थीं। इस प्रकार, भुगतान संदिग्ध थे।

मंत्रालय ने बताया कि जांच हेतु मामला राज्य सरकारों को भेजा जा रहा था।

7.5.3 म.रो. में काल्पनिक श्रमिकों को कार्य पर लगाकर योजना निधि का संदिग्ध दुर्विनियोजन

परिचालनात्मक दिशानिर्देशों (पैरा 6.4.4) में प्रदत्त है कि कार्यान्वयन अभिकरण यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जॉब कार्ड धारकों जिन्होंने कार्य की मांग की थी, उन्हें कार्य दिया जाना चाहिए। केवल असली श्रमिकों को कार्य स्थल पर लगाया जाना चाहिए तथा उन्हें भुगतान किया जाना चाहिए।

नमूना जांच की गई इकाईयों में से असम, हरियाणा, झारखण्ड, कर्नाटक, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल (आठ राज्यों) में 15 ग्रा.प., चार ब्लॉकों तथा आठ जिलों में यह पाया गया था कि 5,470 काल्पनिक श्रमिकों को ₹ 50.10 लाख का भुगतान किया गया था। इनमें ऐसे मामले शामिल थे, जिसमें उन व्यक्तियों जिनको भुगतान किए गए थे, के नाम मस्टर रोल में नहीं पाए गए थे, या जॉब कार्ड न रखने वाले व्यक्तियों को भुगतान किए गए थे। राज्य-वार विवरण अनुबंध 7ज में दिए गए हैं।

मंत्रालय ने बताया कि मामला उचित जांच हेतु राज्य सरकारों को भेजा जा रहा था।

7.5.4 समान अवधि में विभिन्न मस्टर रोलों के अंतर्गत उन्हीं श्रमिकों को कार्य पर लगाना

परिचालनात्मक दिशानिर्देश (पैरा 6.5) प्रावधान करते हैं कि कार्य स्थल पर मस्टर रोलों का अनुरक्षण करते समय अत्यन्त ईमानदारी तथा सावधानी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी कार्यान्वयन अभिकरण की थी। श्रमिकों का उतनी अवधि, जिसके लिए उन्होंने काम की मांग की थी, के लिए काम पर लगाना चाहिए। आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, ओडिशा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, तथा लक्ष्मीप (12 राज्यों/सं.शा.क्षे.) में 61 ग्रा.पं. 10 ब्लॉकों तथा दो जिलों में उसी अवधि में विभिन्न स्थानों पर 4,553 श्रमिकों की दोहरी नियुक्ति पाई गई थी। ब्यौरे अनुबंध 7ठ में दिए गए हैं।

मामले की जाँच करने तथा उत्तरदायित्व नियत करने की आवश्यकता है।

मंत्रालय ने बताया कि मामला जाँच हेतु राज्य सरकारों को भेजा जा रहा था।

7.5.5 लाभार्थियों/सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर के बिना मजदूरी का भुगतान

परिचालनात्मक दिशानिर्देशों के पैरा 6.4.4 (iii) के अंतर्गत, काम में लगे श्रमिकों की हाजिरी मेट/पर्यवेक्षक द्वारा कार्य स्थल पर ली जानी थी तथा सप्ताह के अंत में कार्य में उनकी स्वीकृति के प्रमाणस्वरूप हस्ताक्षर लिए जाने थे। आन्ध्र प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, मणिपुर, ओडिशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश (तीन राज्यों) में 36 ग्रा.पं., पांच ब्लॉकों तथा एक जिले में ₹ 1.12 करोड़ मस्टर रोलों के माध्यम से अदा किए गए थे लेकिन 9,932 मामलों में भुगतानों की प्राप्ति के प्रमाणस्वरूप कोई हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान नहीं लिया गया था। आन्ध्र प्रदेश, झारखण्ड, तथा तमिलनाडु (तीन राज्यों) में 43 ग्रा.पं. में ₹ 86.43 लाख मस्टर रोलों के माध्यम से अदा किए गए थे लेकिन भुगतानों के सत्यापन हेतु सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर/पारित आदेश/भुगतान हेतु कार्य का प्रमाणित मापन म.रो. के साथ संलग्न नहीं पाया गया था। राज्य-वार विवरण अनुबंध -7ठ में दिए गए हैं।

उपस्थिति पत्रक पर मजदूरों के उचित हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान के अभाव में भुगतानों तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित किए बिना किए गए भुगतानों की वास्तविकता को लेखापरीक्षा में निर्धारित नहीं किया जा सका।

मंत्रालय ने बताया कि मामला जाँच हेतु राज्य सरकारों को भेजा जा रहा था।

7.5.6 मजदूरी का संदिग्ध दुर्विनियोजन

बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, तथा उत्तर प्रदेश (छ: राज्यों) में 33 ग्रा.पं., तीन ब्लॉकों तथा आठ जिलों में मजदूरी के संदिग्ध भुगतान के मामले पाए गए थे। इन मामलों में कुल भुगतान ₹ 12.31 करोड़ का था जैसा कि अनुबंध-7ठ में विवरण दिया गया है।

संदेहास्पद भुगतानों की उपयुक्त रूप से जाँच किए जाने की आवश्यकता है।

मंत्रालय ने बताया कि मामला जाँच हेतु राज्य सरकारों को भेजा जा रहा था।

7.5.7 मस्टर रोल में अपेक्षित विवरण प्रविट नहीं करना

परिचालनात्मक दिशानिर्देशों के पैरा 6.5.1 में प्रावधान है कि मस्टर रोल में जॉब कार्ड संख्या, श्रमिक का नाम तथा कार्य किए गए दिवसों को दर्शाया जाना चाहिए। श्रमिकों की हाजिरी तथा दी गई मजदूरी उनके हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान सहित प्रत्येक के नाम के सामने दर्शाई जाएगी।

नमूना जांच की गई इकाईयों में से बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, मणिपुर, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, तथा लक्ष्मीप (आठ राज्यों तथा एक सं.शा.क्षे.) में 317 ग्रा.पं., चार ब्लॉकों तथा सात जिलों में यह पाया गया था कि म.रो. में अपेक्षित विवरण अर्थात् श्रमिक का नाम, जॉब कार्ड संख्या, कार्य किए गए/अनुपस्थित रहे दिनों, दी गई मजदूरी तथा अनन्य पहचान संख्या आदि अंतर्विट नहीं किए गए थे। विवरण अनुबंध 7ढ़ में दर्शाए गए हैं।

मंत्रालय ने बताया कि मामला जांच तथा अनुपालन हेतु राज्य सरकारों को भेजा जा रहा था।

7.5.8 विस्तृत राज्य-वार निष्कर्ष

मस्टर रोलों से संबंधित राज्य विशिष्ट निष्कर्ष/अनियमितताएं निम्न प्रकार हैं:

■ आन्ध्र प्रदेश:

- तीन जिलों में, विभिन्न कार्यों हेतु एक ही अवधि हेतु दो मस्टर रोलों में एक ही श्रमिक को दर्शाया गया था। इसके अतिरिक्त, दोनों कार्यों के लिए सूचित दिनों की कुल संख्या 40,829 प्रविष्टियों में उपलब्ध दिनों की भौतिक संख्या से अधिक थी।

■ झारखण्ड:

- एक जिले में, उपयोग किए गए मस्टर रोलों (क्रम संख्यां. 163126 से 163876) में श्रमिकों के बैंक/डाक-घर खाता संख्या हेतु कॉलम का मुद्रण नहीं किया गया था।
- तीन जिलों में, मस्टर रोल में दर्शाए गए श्रमदिवस, कनिष्ठ अभियंता द्वारा मापन पुस्तिकाओं में दिए गए श्रमदिवसों के साथ मेल नहीं खा रहे थे।

■ केरल:

- एक ग्रा.पं. में, एक ही जॉब कार्ड धारक के हस्ताक्षर विभिन्न मस्टर रोलों में भिन्न-भिन्न थे।

■ महाराष्ट्र:

- दो ब्लॉकों में, का.अ. से प्राप्त पांच मस्टर रोल लापता थे। सेंटीस म.रो. दीमक लगने से क्षतिग्रस्त बताए गये थे। मस्टर रोल फार्मों के धनराशि सम्बद्ध होने के नाते उन्हें लेखाबद्ध किया जाना चाहिए तथा दुरुपयोग एवं नुकसान से बचाने के लिए इनका उपयुक्त रूप से अनुरक्षण करना चाहिए।

■ नागालैण्ड:

- मस्टर रोलों में भुगतान की प्राप्ति के साथ-साथ हाजिरी के समर्थन में श्रमिकों का पता, लिंग तथा दी गई कुल मजदूरी जैसी सूचना नहीं दर्शाई गई थी। इसके अभाव में पात्र श्रमिकों को मजदूरी के वास्तविक भुगतान को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, यद्यपि मस्टर रोल के सत्यापन हेतु राज्य स्तर पर पांच सदस्यों वाली एक समिति गठित की गई थी (अगस्त 2007), फिर भी 2007-12 के दौरान नमूना जांच की गई ग्रा.पं. में ऐसा कोई सत्यापन नहीं किया गया था।

■ पंजाब:

- 14 ग्रा.पं. में, श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान करने से पहले कार्य का माप नहीं किया गया था। इसे इंगित किए जाने पर का.अ. ने बताया कि यह तकनीकी स्टाफ की कमी के कारण हुआ था।
- एक ग्रा.पं. में, दो जॉब कार्ड धारकों को 21 अगस्त 2007 हेतु मस्टर रोल द्वारा भुगतान किया गया था जबकि कार्य का आरंभ 22 अगस्त 2007 से किया गया था।

■ सिक्किम:

- चार ब्लॉकों तथा आठ ग्रा.पं. में, मस्टर रोलों में प्रविष्टियों को व्हाइटनर फ्लुइट तथा ओवरराइटिंग द्वारा ठीक किया गया था। लेखापरीक्षा में यह पाया गया था कि श्रमिकों की उपस्थिति का किसी प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा सत्यापन नहीं किया गया था, निरीक्षण कर्मचारी का प्रमाणपत्र दर्ज नहीं किया गया था तथा मापन पुस्तिकाओं का मस्टर रोलों के साथ दोतरफा सत्यापन नहीं किया गया था।

■ तमिलनाडु:

- थिमिरी ब्लॉक की एक ग्राम पंचायत (वेम्बी) में, ₹ 12.54 लाख के 46 जाली म.रो. पास किए गए थे। इन म.रो. में केवल एक व्यक्ति द्वारा ही हाजिरी लगाई गई थी तथा हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान जॉब कार्ड पंजिका में दर्ज उन श्रमिकों से मेल नहीं खाते थे जिन्हें भुगतान किया गया था। जि.वि.अ., थिमिरी भुगतान पास करने से पहले मस्टर रोलों की विशुद्धता का सत्यापन करने में विफल रहा। जि.वि.अ., थिमिरी ब्लॉक, ने बताया कि तथ्यों का सत्यापन करने के लिए कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई थी।

■ उत्तर प्रदेश:

- नमूना जांच किए दो ग्रा.पं. तथा एक ब्लॉक में, 97 जॉब कार्ड धारकों के संबंध में 480 श्रम दिवसों के लिए उन श्रमिकों को भुगतान किया गया था जो एक ही तिथि को दो स्थलों पर उपस्थित थे; एक ही कार्य के लिए दो बार भुगतान किया गया; म.रो. में अनुपस्थित दर्शाए गए श्रमिकों को भुगतान किया गया; तथा जॉब कार्ड धारकों द्वारा किए गए वास्तविक कार्य के दिनों की संख्या से अधिक के लिए भुगतान किया गया।

■ पश्चिम बंगाल:

- तीन ग्रा.पं. में, आठ मामले में यह पाया गया था कि बैंक/डाकघर सूचना बुक में दर्शाए गए नाम व राशि, म.रो. तथा रोजगार पंजिका में दर्शाए गए से मेल नहीं खाते थे। इसके अतिरिक्त, एक जिले में 50 मामलों में, एक परिवार से अधिक की मजदूरी का एक ही खाते में भुगतान किया गया था।

■ लक्ष्मीप:

- मस्टर रोल निगर्त पंजिका का अनुरक्षण नहीं किया गया था, तथा दो ग्रा.पं. (अमीनी तथा कवाराती) में उपयोग किए गए मस्टर रोलों को का.अ. द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया था। इस प्रकार, इनके आधार पर उपयोग किए गए म.रो. तथा ग्रा.पं. द्वारा किए गए सभी मजदूरी भुगतान अप्राधिकृत थे। श्रमिकों की हाजिरी के रूप में हस्ताक्षर करने की बजाय "X" अंकित किया गया था। कई मस्टर रोलों में जॉब कार्ड संख्या, दी गई मजदूरी आदि के विवरण दर्ज नहीं किए गए थे, तथा नमूना जांच की गई सभी इकाईयों में ओवरराइटिंग/मिटाना पाया गया था।

- का.अ. द्वारा कार्य समापन तथा कुछ मामलों में कार्य समाप्त होने की तिथि से दो माह के बाद मस्टर रोल जारी किए गए थे। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि कार्य स्थल पर मस्टर रोल अनुरक्षित नहीं किए गए थे। इसलिए इन मस्टर रोलों के आधार पर किए गए भुगतानों के अभिलेख अविश्वसनीय थे।

मामला अध्ययन: ₹ 25.97 करोड़ के व्यय का सत्यापन न किया जाना

हरियाणा:

अतिरिक्त उप-आयुक्त अंबाला न वनरोपण, हर्बल पार्कों के विकास आदि के लिए 2007-12 के दौरान मंडलीय वन अधिकारी (म.व.अ.) को ₹ 25.97 करोड़ जारी किए। संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे। म.व.अ. अम्बाला ने बताया (जून 2012) कि संबंधित अभिलेख बरसात में खराब हो गए थे। अतः इस व्यय को लेखापरीक्षा में प्रमाणित नहीं किया जा सका। तथापि, अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त, अम्बाला द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत (मार्च 2010) निरीक्षण प्रतिवेदन की संवीक्षा से गम्भीर अनियमितताएं प्रकट हुई जिनका सार नीचे दिया गया है:-

- जॉब कार्ड वन विभाग द्वारा स्वयं ही जारी किए गए थे। दो अभिकरण (ग्रा.पं. तथा वन विभाग) ने गांव में जॉब कार्ड जारी किए थे। इन परिस्थितियों के अंतर्गत दोहरे जॉब कार्ड जारी करने के अवसरों को नकारा नहीं जा सकता।
- परिचालनात्मक दिशानिर्देश के पूर्ण उल्लंघन में मस्टर रोल अतिरिक्त उप-आयुक्त, अम्बाला द्वारा जारी किए गए थे।
- वन विभाग द्वारा निष्पादित किए गए निर्माणकार्यों की अनुशंसा किसी भी ग्राम सभा द्वारा नहीं की गई थी।
- वन विभाग द्वारा अक्टूबर 2008 से मार्च 2010 के दौरान ₹ 8.50 करोड़ के नकद आहरण किए गए थे।
- चार गांवों, में वनरोपण पर ₹ 23.83 लाख का व्यय दर्शाया गया था लेकिन अ.उ.आ. ने निरीक्षण के दौरान पाया कि उन गांवों में कोई वृक्षारोपण नहीं किया गया था।
- फिरोजपुर काथ तथा अबुपुर गांवों में ₹ 0.61 लाख (लगभग) की लागत पर जमीनी कार्य, मशीनी साधनों द्वारा कराया जाना पाया गया था, जिसके लिए ₹ 10.43 लाख, रोकड़ बही में मस्टर रोल/मजदूरी के प्रति दर्ज किए गए थे।
- बरारा, होली तथा समलहरी गांवों में 2008-10 के दौरान तीन हर्बल पार्कों के विकास पर ₹ 74.03 लाख का व्यय किया दर्शाया गया था, लेकिन उप-प्रभाग अधिकारी (पं.रा.) द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुसार किया गया वास्तविक व्यय केवल ₹ 11.98 लाख के रूप में निर्धारित किया गया था।

इसके अतिरिक्त प्रतिवेदन पर राज्य सरकार की अंतिम कार्रवाई प्रतीक्षित थी।

मंत्रालय ने बताया कि मामला राज्य सरकारों को मानदण्डों के अनुसार उचित कार्रवाई करने के लिए भेजा जा रहा था।

अनुशंसा:

लेखापरीक्षा द्वारा समस्त राज्यों में बेरोजगारी भत्ते का भुगतान न किया जाना तथा आवश्यक अभिलेखों का अनुरक्षण न किया जाना पाया गया था। बेरोजगारी भत्ते का भुगतान न करने का एक संभावित कारण केन्द्रीय सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ते का न बांटना तथा राज्य राजकोष पर अतिरिक्त भार होना हो सकता है। लाभार्थियों के हितों की सुरक्षा के लिए मंत्रालय बेरोजगारी भत्ते के आंशिक प्रतिपूर्ति पर विचार कर सकता है। इसके अतिरिक्त, बेरोजगारी भत्ते का भुगतान न किए जाने के किसी मामले के पाये जाने पर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए।

8.1 प्रस्तावना

जैसा पहले उल्लेख किया गया है, अधिनियम के दो मुख्य उद्देश्य प्रत्येक परिवार को 100 दिनों का मजदूरी रोजगार, जिनको इसकी आवश्यकता है, प्रदान करना तथा गरीब ग्रामीणों के आजीविका संसाधन आधार को सुदृढ़ करने हेतु स्थायी परिसम्पत्तियों को सृजित करना है। इस संदर्भ में अधिनियम तथा परिचालन दिशानिर्देश प्रारम्भ किये जाने वाले निर्माण कार्यों के लिए कुछ शर्तें अनुबंधित करते हैं:

- सामग्री लागत से मजदूरी का अनुपात 60:40 से कम नहीं होना चाहिए (अधिनियम की अनुसूची 1 का पैरा 9)
- प्राथमिकता-वार स्वीकार्य निर्माण कार्यों की सूची जिन्हें मनरेगास के अंतर्गत प्रारम्भ किया जा सकता है, को वैसा होना चाहिए जैसा अधिनियम में दर्शाया गया हो; (अधिनियम की अनुसूची 1 का पैरा 1ख)
- ठेकेदारों तथा मशीनरी का उपयोग अनुमत नहीं था (अधिनियम की अनुसूची 1 का पैरा 11 एवं 12)
- ग्रा.पं. को निष्पादन हेतु कम से कम 50 प्रतिशत निर्माण-कार्यों का आवंटन (अधिनियम की धारा 16 (5)), तथा
- सभी निर्माण कार्यों के लिए प्रशासनिक तथा तकनीकी संख्यीकृति को गत वर्ष के दिसम्बर तक अग्रिम में प्राप्त किया जाना था। (परिचालनात्मक दिशानिर्देशों का पैरा 6.4.1)।

अनुवर्ती पैराग्राफों में योजना के अंतर्गत निष्पादित निर्माण कार्यों से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई है।

8.2 मजदूरी-सामग्री अनुपात

अधिनियम की अनुसूची 1 में पैरा 9 के अनुसार, योजना के अंतर्गत शामिल प्रशिक्षित तथा अर्द्ध-प्रशिक्षित श्रमिकों की मजदूरियों सहित परियोजनाओं के सामग्री संघटक की लागत परियोजना लागत के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, अधिनियम आवेदकों को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से योजना के अंतर्गत प्रारम्भ किसी भी कार्य के रूप में 'परियोजना' को पारिभासित करता है (अधिनियम की धारा-2 परिभासए)। आवश्यक रूप से, मनरेगास के अंतर्गत प्रारम्भ किसी भी कार्य में अप्रशिक्षित श्रम घटक होने चाहिए जो कार्य की लागत के 60 प्रतिशत से कम न हो।

तथापि, मंत्रालय यह सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त कदम उठाने में विफल रहा कि इस अनुपात को 'परियोजना' स्तर पर कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा बनाए रखा गया। इसके विपरीत मंत्रालय ने, परिचालन दिशानिर्देशों (पैरा 6.2) में यह व्यवस्था देकर कि अपेक्षित 60:40 अनुपात को मुख्य रूप से 'ग्राम पंचायत, ब्लॉक तथा जिला स्तरों पर' लागू किया जाएगा, इस प्रावधान को कमजोर कर दिया था। यह अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में था, जिसमें परियोजना अथवा कार्य स्तर पर अनुपात को बनाए रखा जाना था। परिणामस्वरूप, जिनमें 60:40 मजदूरी-सामग्री अनुपात का उल्लंघन करते हुए बड़ी संख्या में कार्य प्रारम्भ किए गए थे।

आगे, यह देखा गया था कि आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड तथा दादर एवं नागर हवेली (12 राज्यों और एक सं.शा.क्षे.) में नमूना जांच की गई 649 ग्रा.पं. (सभी नमूना जांच की गई ग्रा.पं. का 16.87 प्रतिशत), 18 ब्लॉकों तथा 38 जिलों में सामग्री लागत निर्धारित स्तर से ₹ 1,594.37 करोड़ तक अधिक थी। विवरण **अनुबंध-8क** एवं मामला अध्ययन में दिया गया है।

सामग्री लागत पर अधिक व्यय के कारण आन्ध्र प्रदेश, असम, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा तथा उत्तराखण्ड (सात राज्यों) में 15.03 करोड़ श्रम दिवसों का कम सृजन हुआ। राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध-8क** एवं मामला अध्ययन में दिए गए हैं।

मंत्रालय ने बताया कि 60:40 के मजदूरी सामग्री अनुपात पर अब ग्रा.पं. स्तर पर मई 2012 में अनुसूची में एक संशोधन कर के विचार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, प्र.सू.प्र. (नरेगासॉफ्ट) राज्यों द्वारा आवश्यक कार्यवाई हेतु मजदूरी-सामग्री अनुपात के उल्लंघन पर नियमित 'चेतावनी' जारी करता था। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने राज्य रोजगार गारंटी निधि के लेखाओं तथा अन्य अभिलेखों/दस्तावेजों के आधार पर राज्य के अंश का निर्धारण करने में राज्य को सहायता प्रदान करने के लिए स.ले./स.ले. फर्मों को नियुक्त करने का निर्णय लिया था। राज्यों को मजदूरी-सामग्री अनुपात के उल्लंघन तथा गलत परिकलन हेतु अतिरिक्त देयताओं (उसके अतिरिक्त जो अधिनियम की धारा 22 में अधिशासित है) को वहन करना पड़ेगा।

मंत्रालय ने आगे बताया कि अधिनियम की अनुसूची-1 का पैरा-9 प्रशिक्षित तथा अर्द्ध-प्रशिक्षित श्रमिकों की मजदूरियों के साथ-साथ सामग्रियों के परिकलन के उद्देश्य हेतु किसी भी स्तर पर परियोजनाओं को संकलित करने हेतु लचीलेपन का प्रावधान करता है। इसलिए, ग्राम पंचायत स्तर पर मजदूरी तथा सामग्री के बीच 60:40 के अनुपात का अनुरक्षण अधिनियम के प्रावधानों अथवा अनुसूची का उल्लंघन नहीं है। परिचालन दिशानिर्देश के पैरा 6.2.2 में यह भी निर्धारित किया गया था कि स्थायी परिस्मृतियों के सृजन तथा योजना हेतु साकल्यवादी पद्धति को सुनिश्चित करने हेतु कार्य को परिभाषित करने के लिए एक परियोजना पद्धति को अपनाया जाना चाहिए। यह एक सर्वसमावेशी निर्माण-कार्यों अथवा परियोजना के अंतर्गत गतिविधियों के रूप में निर्माण कार्यों की संख्या को शामिल करने को सक्षम बनाएगी। परियोजना को एक ईकाई के रूप में ब्लॉक के साथ सूत्रित किया जाए जिससे कि कार्यक्रम अधिकारी उप- ब्लॉक स्तरों पर इसके अंतर्गत गतिविधियों को समन्वित कर सकें। जिला स्तर पर अंतः ब्लॉक परियोजनाएं भी बनायीं जाएं।

मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं था, क्योंकि अधिनियम की अनुसूची 1 का पैरा 9 परियोजनाओं को संकलित करने में कोई लचीलापन प्रदान नहीं करता है। अधिनियम स्पष्ट रूप से परियोजना को 'आवेदकों को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से योजना के अंतर्गत प्रारम्भ किसी भी कार्य' के रूप में परिभाषित करता है, जो हस्तक्षेप के तहत नहीं है। संकलन के सिद्धांत को केवल परियोजना जो कई ग्रा.पं. को लाभ पहुंचाती हो, के मामले में लागू किया जा सकता है, जो कि यह नहीं था।

मामला अध्ययन: मध्य प्रदेश

लेखापरीक्षा ने पाया कि 60:40 के मजदूरी सामग्री अनुपात, जैसा कि परिचालनात्मक दिशानिर्देशों में निर्धारित है, को जिला स्तर पर भी बनाए नहीं रखा गया था। 13 नमूना जांच किए जिलों में से 2007-08 के दौरान तीन जिलों (बालाघाट, धार तथा सतना) में ₹ 69.40 करोड़, 2008-09 के दौरान सात जिलों (अशोक नगर, बालाघाट, दतिया, धार, इंदौर, सतना तथा शाहपुर) में ₹ 93.61 करोड़, 2009-10 के दौरान दस जिलों (अशोक नगर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, दतिया, धार, इंदौर, सतना, सेहौर, शाहपुर तथा विदिशा) में ₹ 71.68 करोड़, 2010-11 के दौरान छः जिलों (बालाघाट, धार, खारगोन, सतना, सेहौर तथा विदिशा) में ₹ 63.25 करोड़ तथा 2011-12 के दौरान तीन जिलों (बालाघाट, सतना तथा विदिशा) में ₹ 11.70 करोड़ तक सामग्री लागत निर्धारित स्तर से अधिक थी। निर्धारित मजदूरी-सामग्री का उल्लंघन जैसे सीमेन्ट कंक्रीट सड़कें, कुएं का निर्माण आदि जैसे सामग्री गहन निर्माण कार्यों के कारण हुआ। 309.24 करोड़ का अतिरिक्त व्यय 3.51 करोड़ श्रम-दिवसों द्वारा रोजगार के बराबर था।

8.3 अस्वीकार्य निर्माण कार्य

अधिनियम की अनुसूची 1 में पैराग्राफ 1 ख के अनुसार मनरेगा का केन्द्र-बिंदु नीचे बाक्स में सूचीबद्ध प्राथमिकता के क्रम में निर्माण कार्यों की आठ श्रेणियों पर होना था। इसके अतिरिक्त, परिचालन दिशानिर्देशों को पैरा 6.1.2 व्यवस्था करता है कि अधिनियम के अनुसूची 1 में उल्लिखित सूची से बाहर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने हेतु राज्य सरकार को अनुसूची 1 के पैरा 1(ix) का उपयोग करना चाहिए, जिसके द्वारा अनुसूची में निर्माण-कार्यों की नई श्रेणियों को जोड़ा जा सके। इसके लिए राज्य सरकार के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना अपेक्षित थी।

प्राथमिकता के अनुसार, स्वीकार्य निर्माणकार्यों की सूची

1. जल संरक्षण तथा जल संचयन;
2. सूखा बचाव (वनीकरण तथा वृक्षारोपण को सम्मिलित करते हुए);
3. सूक्ष्म तथा लघु सिंचाई कार्यों सहित सिंचाई नहर;
4. अ.जा. तथा अ.ज.जा. अथवा बी.पी.एल. परिवारों अथवा भूमि-सुधार अथवा इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों आदि से संबंधित परिवारों के स्वामित्व वाली भूमि हेतु सिंचाई सुविधा, बागवानी, वृक्षारोपण तथा भूमि विकास का प्रावधान।
5. टंकियों की गाद-सफाई सहित परम्परागत जल निकायों का नवीकरण;
6. भूमि विकास;
7. जल मग्न क्षेत्रों में जल निकासी सहित बाढ़ नियंत्रण तथा बचाव कार्य; तथा
8. सभी मौसम में पहुँच हेतु ग्रामीण संयोजकता, तथापि, कोई सीमेंट कंक्रीट सड़कें शामिल नहीं की जानी चाहिए (परिचालन दिशानिर्देशों का पैरा 6.1.1)।

अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि 2007-08 से 2011-2012 की अवधि के दौरान 23 राज्यों और दो सं.शा.क्षे. में नमूना जांच किए 940 ग्रा.पं., 45 ब्लाकों तथा 40 जिलों में तथा बिहार एवं उत्तर प्रदेश में दो संबंधित विभागों द्वारा 1,02,100 अस्वीकार्य निर्माण-कार्य प्रारम्भ किए गए थे। इन अस्वीकार्य निर्माण कार्यों में मिट्टी की/कच्ची, सड़कों का निर्माण, सीमेंट कंक्रीट सड़क, मवेशी तथा अन्य जानवरों हेतु उभरे हुए प्लेटफार्म का निर्माण, नहाने के घाटों का निर्माण, सड़कों की मरम्मत, विद्यालयों हेतु चारदीवारियों का निर्माण, एलाम्कुलम मनककल संकरन आवास योजना/इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत घरों के नींव की स्थापना आदि शामिल हैं। इन 1,02,100 निर्माण कार्यों पर व्यय की गई राशि ₹ 2,252.43¹ करोड़ थी। अनियमितताएं आन्ध्र प्रदेश, अस्सीचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह तथा पुडुचेरी (23 राज्यों और दो सं.शा.क्षे.) में पाई गई थीं। राज्य/सं.शा.क्षे.-वार ब्यौरे अनुबंध-8ख में दिए गए हैं।

मंत्रालय ने बताया कि अधिसूचना दिनांक 4 मई 2012 के माध्यम से स्वीकार्य निर्माण कार्यों की सूची में कुछ नए निर्माण कार्य जोड़े गए थे। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय अधिकारी योजना के अंतर्गत मंत्रालय के कर्मचारियों द्वारा फील्ड निरीक्षणों के दौरान ऐसे उल्लंघन पाए गए थे तथा आगे की शोधक कार्रवाई हेतु राज्यों के संज्ञान में लाया गया था।

मंत्रालय का उत्तर सही नहीं है क्योंकि अधिनियम के प्रावधान के उल्लंघन में गैर-अनुमेय निर्माण-कार्य शुरू किये गये थे।

मामला अध्ययन: ₹1.69 करोड़ की लागत वाले अस्वीकार्य निर्माण कार्य का निष्पादन

छत्तीसगढ़:

बस्तर जिले के बस्तर तथा बाकावंड ब्लाक में ₹ 1.69 करोड़ की लागत के 105 मिट्टी-जल संरक्षण निर्माण कार्यों को 2007-09 के दौरान संस्थीकृत किया गया था। कार्य स्थलों के प्रत्यक्ष निरीक्षण पर यह पाया गया था कि संस्थीकृत निर्माण कार्यों के प्रति अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में इन ब्लाकों में विद्यालयों में चारदीवारियों के निर्माण का कार्य किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर, मु.का.अ., जिला परिषद, बस्तर ने बताया (जुलाई 2012) कि दीवार का निर्माण पौधों तथा विद्यालय की इमारत की सुरक्षा हेतु किया गया था तथा यह मृदा तथा जल के संरक्षण हेतु उपयोगी थी।

उत्तर सही नहीं था क्योंकि विद्यालय की चारदीवारी के निर्माण को मिट्टी एवं जल के संरक्षण हेतु निर्माण कार्य के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता था। कार्य स्पष्ट रूप से स्वीकार्य निर्माण कार्यों के क्षेत्र से बाहर था।

¹ मामला अध्ययनों की राशियाँ सम्मिलित हैं।

मामला अध्ययन: आन्ध्र प्रदेश

लेखापरीक्षा ने पाया कि कुरनूल जिले में अल्लागढ़ा तथा धोन ब्लाकों में मु.मं. की बैठक के प्रबंधन हेतु जनवरी 2009 में ₹ 33 लाख का अस्वीकार्य भुगतान किए गए थे। पंडाल, अधिरचना, लाईट, साउंड, कुर्सियों एवं सोफा, फूल की सजावट, परिवहन आदि के लिए सेवाकर सहित जिन प्रतिठानों को भुगतान किये गये थे, वे सेवा कर विभाग से पंजीकृत नहीं थीं। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा में भुगतानों की यथार्थता का सत्यापन नहीं किया जा सका।

8.4 अयोग्य लाभार्थियों की निजी भूमि पर निर्माण कार्य

अधिनियम में स्वीकार्य निर्माण कार्यों की सूची भूमि अ.जा./अ.ज.जा., ग.रे.नी. के परिवारों, भूमि सुधार के लाभार्थियों की भूमि अथवा इं.आ.यो. के अंतर्गत लाभार्थियों की भूमि से संबंधित भूमि पर विकास गतिविधियों को अनुमत करती है। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि असम, गोवा, केरल तथा उत्तर प्रदेश (चार राज्यों) में 61 ग्रा.पं. में निर्माण कार्य अयोग्य लाभार्थियों की भूमि पर किए गए थे अनुबंध-8ग।

मामले पर मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था।

8.5 अपसर्जित/निष्फल निर्माण कार्य

लेखापरीक्षा ने पाया कि 256 ग्रा.पं., 15 ब्लॉकों तथा 13 जिलों में 9,220 निर्माण कार्यों को असम, छत्तीसगढ़, गोवा, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा लक्षद्वीप के 10 राज्यों और एक सं.शा.क्षे. में अपसर्जित किया गया था। इन निर्माण कार्यों पर किया गया ₹ 209.57 करोड़ का व्यय व्यर्थ गया था। अपसर्जन हेतु कारण लोक अवरोधन, निष्पादित भाग की भरमार, भूमि विवाद, वन अनुमति का अभाव आदि थे। इसने संकेत किया कि इन निर्माण कार्यों को पर्याप्त नियोजन के बिना प्रारम्भ किया गया था। ब्यौरे अनुबंध-8घ में दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, यह देखा गया था कि असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, पंजाब तथा राजस्थान के सात राज्यों में 16 ग्रा.पं. में कुल ₹ 2.36 करोड़ के 44 निर्माण-कार्य दोषपूर्ण डिजाईन, भूमि विवादों अथवा खराब निर्माण के कारण किसी काम के न थे। ब्यौरे अनुबंध-8ड़ में दिए गए हैं।

प्रारम्भ किए निर्माण कार्यों को समयोचित प्रकार से पूर्ण किया जाना था जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्थायी समुदाय द्वारा अर्थपूर्ण लाभ प्राप्त किए गए थे। तथापि, यह देखा गया था कि आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखण्ड, कर्नाटक, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा पुडुचेरी के 12 राज्यों और एक सं.शा.क्षे. में 403 ग्रा.पं., 27 ब्लॉकों एवं 20 जिलों में तथा बिहार में तीन संबद्ध विभागों द्वारा कुल ₹ 4,070.76 करोड़ के 7,69,575 निर्माण कार्य एक से पाँच वर्षों बाद भी अपूर्ण थे। निर्माण कार्यों की समाप्ति में अनुचित विलम्ब ने व्यय को निष्फल प्रस्तुत किया। ब्यौरे अनुबंध-8च में दिए गए हैं।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2012) कि पंचायतों तथा संबद्ध विभागों द्वारा नए निर्माण कार्यों के प्रारम्भ को 3 सितम्बर 2012 को जारी एक सलाहकारी द्वारा नियंत्रित किया गया था। नयी प्रणाली के साथ, जैसा कि नरेगासॉफ्ट में भी दर्शाया गया है, मांग पर निर्माण कार्यों के आवंटन के समय प्रणाली केवल अपूर्ण निर्माण कार्यों की सूची प्रदर्शित करेगी। इस प्रकार, श्रमिकों को पहले अपूर्ण निर्माण कार्यों में लगाया जाएगा तथा निर्माण कार्यों की स्वीकृत शेल्फ में से नए कार्य को तभी दर्शाया जाएगा जब कोई अपूर्ण निर्माण कार्य नहीं थे अथवा श्रम माँग अपूर्ण निर्माण कार्यों की श्रम क्षमता से अधिक थी। मंत्रालय ने आगे बताया कि 24 अगस्त 2012 को जारी परामर्श के माध्यम से राज्यों को अलग कार्य विशिष्टता बताकर प्रत्येक वार्षिक खण्ड सहित निर्माण कार्यों (जिन्हें एक वर्ष से अधिक में निपादित किया जाना है) को वार्षिक कार्य तत्वों में बांटे जाने के लिए कहा गया था। इसने आगे स्पष्ट किया कि कुछ निर्माण कार्य मजदूरी तथा सामग्री दरों के संशोधन, जिसने वास्तविक लागत को स्वीकृत अनुमानों से अधिक बढ़ाया, के कारण अपूर्ण रहे थे।

8.6 वृक्षारोपण कार्यों का अनुरक्षण

परिचालनात्मक दिशानिर्देशों के पैरा 6.1.3 के अनुसार, वनरोपित भूमि के संरक्षण सहित योजना के अंतर्गत सृजित परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण को मनरेगास के अंतर्गत स्वीकार्य निर्माण कार्यों के रूप में माना जाना था। अभिलेखों की नमूना जांच ने प्रकट किया कि आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखण्ड, केरल, मणिपुर, मिजोरम, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के नौ राज्यों में 202 ग्रा.पं., एक ब्लॉक तथा पाँच जिलों में कुल ₹ 25.19 करोड़ के 56,916 रोपण कार्यों को पौधों के गैर-अनुरक्षण के कारण अपव्ययी प्रस्तुत किया था। रोपण कार्यों के भौतिक निरीक्षण ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों का समर्थन किया। व्यौरे अनुबंध-४७ तथा मामला अध्ययन में दिए गए हैं।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2012) कि इसने सलाहकारी दिनांक 10 सितम्बर 2012 के माध्यम से सभी राज्यों को मनरेगास के अंतर्गत कार्यान्वयन हेतु 'सङ्क के किनारे रोपण हेतु मुजफ्फरपुर माडल' का प्रचार किया था। कथित माडल में, निकटवर्ती गांवों के बुढ़े, विधवा, अपंग तथा महिला जॉब-कार्डधारियों, जिन्होंने वन पोषकों के रूप में कार्य किया को मनरेगास के अंतर्गत सङ्क के किनारे वृक्षारोपण को बढ़ाने तथा देखभाल करने के काम में लगाया गया था। इसने ग्रामवासियों में अपनेपन तथा स्वामित्व का भाव उत्पन्न किया और पौधों के चारों ओर भौतिक बाड़ की कोई आवश्यकता नहीं थी। इन वृक्षारोपणों की उत्तर जीवन दर भी उच्च थी। इसके अतिरिक्त, राज्यों को अपूर्ण निर्माण कार्यों के गैर-समापन हेतु कारणों का पता लगाने तथा उनके समापन को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक उपाय करने को कहा गया था।

मामला अध्ययन: झारखण्ड

झारखण्ड के गुमला जिले में, 2007-08 के दोरान मनरेगास के अंतर्गत 18 ग्रा.सं. को ₹ 19.41 करोड़ की अनुमानित लागत पर 10,435.419 एकड़ में आम के पेड़, जट्रोफा विभिन्न प्रकार के फलों के बगान, मिश्रित घना लाख फलोद्यान, सफेद मूसली तथा स्टेविया के रोपण से संबंधित 24 कार्य आवंटित किए। यह पाया गया था कि जि.ग्रा.वि.अ. गुमला ने रोपण कार्य के समापन हेतु ₹ 13.00 करोड़ जारी किए। शेष राशि को बागवानी के अनुरक्षण हेतु आने वाले वर्षों में जारी किया जाना था। लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

- स्टेविया कृषि रोपण तथा सफेद मूसली खेती जैसे कार्यों को ग्रा.वि.मं. के स्पष्टीकरण के अनुसार नहीं किया जाना था।
- इन 24 रोपण कार्यों में से कोई भी ग्राम सभा द्वारा स्वीकृत नहीं था परंतु जिला कार्यक्रम समन्वयकर्ता द्वारा स्वीकृत थे।

- ₹ 4.92 करोड़ के स्टेविया तथा सफेद मूसली रोपण के कार्य को संविदा आधार पर मेसर्स बहमानन्द फार्मस तथा अनुसंधान केन्द्र, जमशेदपुर को सौंपा गया था जिसमें से ₹ 4.86 करोड़, अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन में जारी किए गए थे।
- 679.34 एकड़ में जट्रोफा रोपण हेतु ₹ 69.00 लाख की अनुमानित लागत के प्रति ₹ 59.00 लाख एक गै.स.सं. को जारी किए गए थे।
- जिला प्रशासन ने अभिकरणों के साथ सभी स.ज्ञा. तथा करारों को रद्द कर दिया तथा इनके प्रति (गै.स.सं. 'प्रदान' को छोड़कर) वानस्पतिक खाद की फर्जी खरीद हेतु प्र.सू.रि. दर्ज की (जुलाई 2008)। इसके पश्चात, विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन किए गए थे (अगस्त 2008 से फरवरी 2009) तथा यह पाया गया था कि 10,435.419 एकड़ के स्वीकृत क्षेत्र के प्रति केवल 2,433.74 एकड़ (23 प्रतिशत) पर रोपण किए गए थे। भौतिक सत्यापन के दौरान, संस्वीकृत 74.73 लाख पौधों के प्रति 13 लाख पौधों का उत्तरजीवन सूचित किया गया था।
- सत्यापन के परिणामस्वरूप, सभी अभिकरणों के खिलाफ उनको अदा किए ₹ 10.13 करोड़ की वसूली हेतु मामले दर्ज किए थे। जून 2012 तक धनराशि वसूल नहीं की गई थी।

जिला विकास आयुक्त, गुमला ने बताया कि उन गै.स.सं. के प्रति प्र.सू.रि. दर्ज कर दी गई थी तथा सरकारी धन की वसूली हेतु प्रमाणपत्र मामले^{*} भी दर्ज किए गए थे। यद्यपि जिला प्रशासन द्वारा प्रभावी कार्रवाई प्रारम्भ की गई फिर भी ₹ 13 करोड़ की पूर्ण जारी राशि निष्कल प्रस्तुत हुई थी।

* प्रमाण-पत्र मामले का तात्पर्य है राज्य लोक मांग वसूली अधिनियम के अंतर्गत वसूली मामला

8.7 स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन

जैसा पहले उल्लिखित है, स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन योजना का एक मुख्य उद्देश्य था जैसा कि अधिनियम में सूचीबद्ध किया गया है। इसके अतिरिक्त, परिचालनात्मक दिशानिर्देश योजना के अंतर्गत सृजित परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण हेतु भी प्रावधान करते हैं। तथापि, यह देखा गया था कि मिजोरम, पश्चिम बंगाल तथा पुडुचेरी के दो राज्यों तथा एक सं.शा.क्षे. में 148 ग्रा.पं. तथा गुजरात, केरल तथा तमिलनाडु के तीन राज्यों में सभी नमूना जांच की गई इकाइयों में कुल ₹ 6,547.35 करोड़ के 3,91,951 निर्माण कार्यों से सृजित परिसम्पत्तियाँ स्थायी प्रवृत्ति की नहीं थीं। निर्माण कार्यों में बोरीबांधों², मिट्टी की सड़कों का निर्माण आदि सम्मिलित थे। इन निर्माण कार्यों के बारे में अनुबंध-8ज में दिए गए हैं।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2012) कि मनरेगा के अंतर्गत सृजित परिसम्पत्तियों की स्थायित्व तथा गुणवत्ता मॉनीटरिंग पर नए ड्राफ्ट परिचालनात्मक दिशानिर्देशों (अध्याय 15: मनरेगा निर्माण कार्यों का गुणवत्ता प्रबंधन) में जोर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने राज्यों को परिसम्पत्तियों के स्थायित्व को बढ़ाने हेतु नए कार्यक्रमों के साथ मनरेगा के अभिसरण को लागू करने को कहा था। राज्यों को परिसम्पत्तियों का स्थायित्व सुनिश्चित करने हेतु उनकी गुणवत्ता का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र निजी राज्य गुणवत्ता परिवेक्षकों (रा.गु.प.) को नियुक्त करने के लिए कहा गया था। इन रा.गु.प. में सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता तथा कार्यकारी अभियन्ता शामिल होंगी।

² मानसून के दौरान जल भण्डारण और इसके भू-तल में रिसाव, जिससे जल-स्तर ऊर आए, हेतु मौसमी नालों के चारों तरफ मिट्टी/बालू से भरी बोरियों को इकट्ठा कर बनायी गयी छोटी संरचना।

8.8 प्रापण प्रक्रियाएं

सामान्य वित्तीय नियमावली बोलियों अथवा निविदा के बिना केवल ₹ 15,000 के सामान की खरीद अनुमत करती है। ₹ 15,000 से अधिक की खरीद में आवश्यक रूप से बोलियां/निविदाएं शामिल होनी थी जबकि ₹ एक लाख से अधिक की खरीद हेतु सीमित अथवा विज्ञापित निविदा जांचों के माध्यम से बोलियाँ प्राप्त की जानी थीं।

परिचालनात्मक दिशानिर्देश (पैरा 6.2) भी मनरेगा के अंतर्गत प्रापण हेतु पारदर्शी तथा उचित प्रक्रिया को अपनाने का प्रावधान करते हैं। लेखापरीक्षा ने पाया कि पांच राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, नागालैण्ड तथा उत्तर प्रदेश में 73 ग्रा.प., 10 ब्लॉकों तथा सात जिलों तथा एक संबद्ध विभाग ने ₹ 24.90 करोड़ की कीमत की सामग्री का निर्धारित नियमों/प्रक्रियाओं का अनुपालन किए बिना मनमाने ढंग से प्रापण किया था। ब्यौरे अनुबंध-8ज्ञ तथा मामला अध्ययन में दिए गए हैं।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2012) कि यह राष्ट्रीय स्तरीय परिवेक्षकों/राज्य स्तरीय पर्यवेक्षकों (जब इन्हें कोई जांच सौंपी जाए) तथा मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी योजना के अधीन जांच/निरीक्षण का एक मापदंड था।

अस्वीकार्य, खराब निष्पादित निर्माण कार्यों तथा स्थायी परिसम्पत्तियों के गैर-सृजन के फोटोग्राफ



ग्राम भोंड, ब्लॉक बस्तर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ में चारदीवारी का निर्माण



मनरेगा के अंतर्गत निर्मित दूटी हुई मिट्टी की सड़क, ग्राम पंचायत, खालीसपुर,
ब्लॉक चिरईगाँव, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश



महताबंधा की जल एकत्रण संरचना, ब्लॉक टांगी के कुजरी ग्रा.पं. में जारीपुट गाँव,
खुदा जिला, ओडिशा



अतर सिंह की धानी, ग्रा.पं. बजना, ब्लॉक राजाखेड़ा, जिला धोलपुर, राजस्थान में ढूटा हुआ बाँध

2013 की प्रतिवेदन सं. 6

मामला अध्ययन: निविदा तथा उद्धरण को प्राप्त किए बिना सामग्री का प्राप्तण

झारखण्ड:

झारखण्ड वित्तीय नियमावली उद्धरणों/निविदाओं को प्राप्त करके ₹ 15,000 से अधिक के सामान की खरीद निर्धारित करती है। इसके अतिरिक्त, झारखण्ड ग्रामीण विकास विभाग ने निर्देश दिया (मई 2010) कि ₹ 50,000 तक की कीमत वाली सामग्रियों की खरीद उद्धरण/खुली निविदा को आमंत्रित करने के माध्यम से की जाए। सभी जि.का.स. को खुली निविदाएं आमंत्रित करने के पश्चात जिला स्तर पर सामग्री की दर को निर्धारित करना अपेक्षित था तथा अभिकरणों/फर्मों के ब्लॉक-वार पैनल के नाम को ब्ला.वि.अ. को उपलब्ध करना था। संबद्ध विभागों सहित सभी कार्यान्वयन अभिकरणों को केवल सूचीबद्ध फर्मों से ही सामग्री खरीदनी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि चार जिलों में चार नमूना जाँच किए ब्लॉकों (26 ग्रा.पं. में 128 निर्माण कार्यों) तथा तीन संबद्ध विभागों ने 2007-12 के दौरान दस्ती रसीद पर अपंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से ₹ 1.95 करोड़ की कीमत की सामग्री खरीदी थी जो निर्धारित मापदण्डों के उल्लंघन में थी।

राज्य सरकार ने अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इसके अतिरिक्त, जि.का.स., पाकुर ने बताया कि पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं की पहचान कर ली गई थी तथा उनसे सामग्री का प्राप्तण करने हेतु अनुदेश जारी कर दिए गए थे।

8.9 त्रुटिपूर्ण भण्डार अनुरक्षण पद्धतियाँ

किसी भी हानि अथवा चोरी से बचने हेतु भण्डार/कच्चे माल का उचित अनुरक्षण अनिवार्य है। लेखापरीक्षा ने पाया कि अनुबंध-8ज में दिए गए व्यौरों के अनुसार दो राज्यों, आन्ध्र प्रदेश तथा असम, के मामले में कार्य स्थलों पर ₹ 50.88 करोड़ की सामग्री को दर्ज नहीं किया गया था।

यह पाया गया था कि तीन राज्यों में ₹ 1.05 करोड़ की सामग्री का आवश्यकता से अधिक में प्रापण किया गया था। व्यौरे तालिका-14 में दिए गए हैं। आधिक्य सामग्री या तो खराब थी या फिर अनुपयोगी स्थिति में थी।

तालिका-14 : सामग्री की अधिक खरीद

(₹ करोड़ में)

क्र. सं	राज्य का नाम	जिला	ब्लॉक	ग्रा. पं.	खरीदी गई मर्दं	राशि
1	असम	1 1	- -	- -	प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स दो लाख जॉब कार्डों का मुद्रण	0.09 0.17
2	ओडिशा	-	-	3	खरीदे गए आधिक्य सिमेंट बैग	0.01
3	राजस्थान	-	4	-	अधिक टैंट, चिकित्सा किट, झूला तथा पानी की टंकी का प्रापण	0.78
योग		2	4	3	1.05	

8.10 प्रत्येक कार्य हेतु विशिष्ट संख्या

परिचालनात्मक दिशानिर्देशों के पैरा 6.2.1 के अंतर्गत, द्विगुनीकरण से बचने हेतु प्रत्येक कार्य को एक विशिष्ट पहचान संख्या दी जानी थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि 13 राज्यों तथा एक सं.शा.क्षे. अर्थात् अस्लानाचल प्रदेश, विहार, गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा लक्षद्वीप में 66 जिलों (182 नमूना जांच किए गए जिलों में से 36.26 प्रतिशत) में प्रत्येक कार्य को विशिष्ट पहचान संख्या निर्धारित नहीं की गई थी। दिलचस्प रूप से, कुछ राज्यों में, विशिष्ट संख्या को मॉ.सू.प्र. में डाटा डालते समय उत्पन्न किया गया था। तथापि, यह संख्या किसी भी मूल अभिलेखों जैसे वार्षिक योजना, मस्टर रोल आदि में प्रदर्शित नहीं की गई थी। इसलिए, ऐसे मामलों में निर्माण कार्यों के द्विगुनीकरण की संभावना को नहीं निकाला जा सकता। इसके अतिरिक्त, मॉ.सू.प्र. में डाले निर्माण कार्यों के डाटा की यथार्थता भी संदेहास्पद थी। व्यौरे अनुबंध-8ट में दिए गए हैं।

2013 की प्रतिवेदन सं. 6

8.11 ग्राम पंचायतों को तकनीकी सहायता

परिचालनात्मक दिशानिर्देशों के पैरा 6.3.3 के अनुसार, लोक निर्माण कार्य विभाग, वन, विभाग, जल संसाधन विभाग, बाढ़ नियंत्रण विभाग आदि जैसे संबद्ध विभाग की भूमिका अनुमानों, मापन तथा निष्पादित निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण के माध्यम से तकनीकी सहायता प्रदान करना था। निर्माण कार्यों को जॉब कार्ड धारकों द्वारा निष्पादित किया जाना था तथा मस्टर रोलों का अनुरक्षण किया जाना था। इस कार्य हेतु किसी भी संबद्ध विभाग को अतिरिक्त प्रभार नहीं दिया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि केरल, मिजोरम, नागालैण्ड तथा उत्तर प्रदेश के चार राज्यों में नमूना जांच किए गए 27 जिलों में से किसी में भी ग्रा.पं. द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों में उन्होंने संबद्ध विभाग की तकनीकी सहायता की माँग नहीं की गई थी। (अनुबंध-8ठ)

इसके अतिरिक्त, अभिलेखों की नमूना जांच ने प्रकट किया कि मध्य प्रदेश के पांच नमूना जांच किए जिलों में कार्यान्वयन अभिकरण (ग्रामीण इंजीनियरिंग सेवा) को उनकी तकनीकी सहायता हेतु कुल ₹ 73 लाख के अतिरिक्त प्रभार अदा किए गए थे।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2012) कि इसने राज्यों को अनुबंध आधार पर ग्राम रोजगार सहायकों (प्रत्येक ग्रा.पं. हेतु एक), तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियंता (कुछ ग्रा.पं. हेतु एक क.आ. जो निर्माण कार्यों की संख्या, पहुंच, व्यय आदि पर निर्भर करती है) तथा पंचायत विकास अधिकारियों (पं.वि.अ.) की पदों को सृजित करने तथा भरने को कहा था। व्यय को योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु राज्यों को प्रदान छः प्रतिशत प्रशासनिक व्ययों से पूरा किया जाना था।

अच्छा अभ्यास: त्रिपुरा

रा.सू.के. की राज्य इकाई ने ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से ऑनलाईन तकनीकी अनुमान तैयार करने, तकनीकी संस्थाकृति प्रदान करने तथा कार्य आदेश को ऑनलाईन जारी करने हेतु एक प्र.सू.प्र. उपाय नामतः ग्रामीण सॉफ्ट को अभिकल्पित तथा विकसित किया था।

इस उद्देश्य हेतु, प्रणाली में लॉगिंग करने हेतु सभी क.अ./त.स./स.अ./का.अ./ अ.अ. को व्यक्तिगत यूजर आई.डी. तथा पासवर्ड प्रदान किए गए थे। राज्य सरकार द्वारा अपनाया गया अभ्यास अनुमानों को अधिक यथार्थता तथा पारदर्शिता के साथ तैयार किए जाने को सुनिश्चित करेगा।

8.12 ठेकेदारों का उपयोग

जैसा पहले पाया गया, कि अधिनियम मनरेगस निर्माण कार्यों के निपादन में ठेकेदारों के उपयोग को वर्जित करता है। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि पांच राज्यों अर्थात् असम, छत्तीसगढ़, केरल, नागालैण्ड तथा उत्तर प्रदेश में दो ग्रा.पं., एक ब्लॉक तथा सात जिलों में कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा अधिनियम के उल्लंघन में कुल ₹ 4.83 करोड़ के निर्माण कार्यों को ठेकेदारों की नियुक्ति द्वारा निपादित किया गया था। व्यौरे अनुबंध-8ठ में दिए गए हैं।

8.13 मशीनरी का उपयोग

परिचालनात्मक दिशानिर्देश मनरेगस के अंतर्गत निर्माण कार्यों हेतु मशीनरी के उपयोग को अनुमत नहीं करते हैं। ₹ 18.21 करोड़ की कीमत के उत्खनन आदि जैसे ग्रामीण संयोजकता निर्माण कार्यों के निपादन के दौरान मशीनरी के उपयोग के कुछ उदाहरण छः राज्यों अर्थात् बिहार, कर्नाटक, मणिपुर, ओडिशा, पंजाब तथा त्रिपुरा में 40 ग्रा.पं., एक ब्लॉक तथा चार जिलों में पाए गए थे। व्यौरे अनुबंध-8ठ में दिए गए हैं।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2012) कि अधिनियम की अनुसूची I में पैराग्राफ 12, जहाँ तक लागू हो, के अनुसार योजना के अंतर्गत वित्तपोषित एक कार्य को शारीरिक श्रम का उपयोग करके तथा न की मशीनों का उपयोग करके निष्पादित किया जाना था। मशीनरी जो श्रम को हटा सकती है, उसका योजना के अंतर्गत कार्यों को निष्पादित करने में उपयोग नहीं किया जाना था।

8.14 निर्माण-कार्यों की पूर्व संस्थीकृति

परिचालनात्मक दिशानिर्देशों के पैरा 6.4.1 निर्धारित करती है कि सभी निर्माण कार्यों को प्रस्तावित कार्यान्वयन के पूर्वगत वर्ष के दिसम्बर तक पहले ही प्रशासनिक/तकनीकी संस्थीकृति अपेक्षित होगी। लेखापरीक्षा ने पाया कि छ: राज्यों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, मिजोरम, ओडिशा तथा उत्तर प्रदेश में 53 ग्रा.पं., 14 ब्लाकों तथा एक जिले में ₹ 22.37 करोड़ के 334 निर्माण कार्यों तथा एक रोपण कार्य को अपेक्षित संस्थीकृतियों को प्राप्त किए बिना निष्पादित किया गया था। मामलों का **अनुबंध-8ण** में विवरण प्रस्तुत किया गया है।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि पाँच राज्यों अर्थात् हरियाणा, झारखण्ड, मेघालय, नागालैण्ड तथा पश्चिम बंगाल में नमूना जांच की गई इकाईयों में से आठ ग्रा.पं. तथा एक ब्लाक में 124 निर्माण कार्यों पर संस्थीकृत राशि के आधिक्य में कुल ₹ 78 लाख का व्यय किया गया था। कार्यान्वयन अभिकरणों ने संशोधित संस्थीकृति प्राप्त करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की थी। और **अनुबंध-8त** में दिए गए हैं।

8.15 पारदर्शिता आवश्यकताएं

परिचालन दिशानिर्देशों के पैरा 6.6.5 के अनुसार, मनरेगा के प्रतीक सहित नागरिक सूचना पट्ट को सभी कार्य स्थलों पर स्थापित किया जाना था। इसमें आवश्यक सूचना जैसे, कार्य का अनुमान, कार्य को प्रारम्भ करने की तिथि, कार्य के समापन की निर्धारित तिथि, द.अ., कार्य की स्थिति आदि शामिल होनी थी। यह निर्धारण मनरेगास के अंतर्गत प्रारम्भ निर्माण कार्यों की पारदर्शिता को सुधारने के लिए था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नौ राज्यों अर्थात् गुजरात, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैण्ड, ओडिशा, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में 59 जिलों (नमूना जांच किए सभी जिलों के 32.41 प्रतिशत) में नागरिक सूचना बोर्ड प्रदर्शित नहीं किया गया था। और **अनुबंध-8थ** में दिए गए हैं।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2012) कि राज्यों को अपेक्षित प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु बार-बार अनुरोध किया गया था।

8.16 दरों की अनुसूची (द.अ.)

परिचालन दिशानिर्देशों के पैरा 6.7.2 के अनुसार, राज्य सरकारें द.अ. को तैयार करने हेतु विस्तृत कार्य, समय तथा गति अध्ययनों को प्रारम्भ करें। द.अ. मनरेगास के अंतर्गत किए निर्माण कार्यों हेतु स्पष्ट मजदूरी दर को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक हैं।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि अरुणाचल प्रदेश, बिहार, केरल, मणिपुर, पंजाब तथा सिक्किम के छ: राज्यों में 35 जिलों में द.अ. को संकलित करने हेतु अपेक्षित विस्तृत कार्य, समय तथा गति अध्ययनों को प्रारम्भ नहीं किया था। और **अनुबंध-8द** में दिए गए हैं। ऐसे अध्ययनों के अभाव में इन निर्माण कार्यों हेतु लागू दरों का औचित्य संदेहास्पद था।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2012) कि केरल ने राज्य विनिर्दिष्ट द.अ. तैयार करने हेतु 2011 के दौरान पालाक्कड़, वायांद, इडुक्की तथा कसरगोड़ में समय तथा गति अध्ययन किए थे। एकत्रित डाटा के आधार पर, वर्तमान में द.अ. को पालाक्कड़ जिले के एक ब्लॉक में प्रथम चरण में प्रारम्भ किया जा रहा था। द्वितीय चरण में, डाटा राज्य के शेष 10 जिलों में वैधीकृत होगा।

8.17 मापन पुस्तिकाएं

परिचालन दिशानिर्देशों के पैरा 6.7.5 के अनुसार, कार्य के मापन को कार्य-स्थलों पर प्रभारी योग्य तकनीकी कार्मिक द्वारा अनुरक्षित मापन पुस्तिकाओं में दर्ज किया जाना है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि छ: राज्यों अर्थात् असम, बिहार, झारखण्ड, केरल, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश में 53 ग्रा.पं. तथा दो ब्लॉकों में नमूना जांच किए 709 निर्माण-कार्यों में कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा ₹ 11.43 करोड़ का भुगतान निर्माण कार्यों के मापन अथवा गैर-तकनीकी कार्मिकों द्वारा कार्यों के मापन के बिना किया गया था। और अनुबंध-8ध में दिए गए हैं। उचित मापन के अभाव में, निर्माण कार्यों की यथातथ्यता को निर्धारित नहीं किया जा सका।

8.18 कार्यस्थल सुविधाएं

परिचालन दिशानिर्देशों के पैरा 6.8.1 के साथ पठित अधिनियम के संलग्न अनुसूची ॥ में पैरा 27 तथा 28 के अनुसार, कार्यान्वयन अभिकरणों को श्रमिकों हेतु पर्याप्त कार्यस्थल सुविधाएं प्रदान करनी थीं। इसमें चिकित्सा सहायता, सुरक्षित पेय जल, बच्चों एवं विश्राम के समय के लिए छाया, आपातकालीन उपचार एवं अन्य स्वास्थ्य संकटों हेतु पर्याप्त सामग्री सहित प्राथमिक चिकित्सा बाक्स तथा एक क्रेच, यदि छ: वर्ष की आयु से कम वाले पांच से अधिक बच्चे हों, शामिल होने थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सात राज्यों तथा एक सं.शा.क्षे. अर्थात् गुजरात, केरल, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा पुडुचेरी में 40 जिलों (सभी नमूना जांच किए जिलों का 22 प्रतिशत) में इन कार्यस्थल सुविधाओं में कमियां थीं। और अनुबंध-8न में दिए गए हैं।

8.19 परियोजना समापन रिपोर्ट

परिचालनात्मक दिशानिर्देशों के पैरा 6.9 के अनुसार, प्रत्येक परियोजना के समापन पर, निर्माण-कार्य पंजिका में निर्धारित प्रारूप के अनुसार एक परियोजना समापन रिपोर्ट (प.स.रि.) तैयार की जानी थी तथा उसमें दर्ज और एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सत्यापित होना था। कार्य के प्रारम्भ-पूर्व, मध्य-कार्य तथा पश्च कार्य परियोजना स्थिति को तस्वीरों सहित दर्ज किया जाना था। प.स.रि. को कार्य से संबंधित फाईल में कार्यालय कार्यान्वयन अभिकरण को कार्य की समाप्ति के सत्यापन के अभिलेख के रूप में प्रस्तुत किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 10 राज्यों तथा दो सं.शा.क्षे. अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, असम, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, लक्ष्मीप तथा पुडुचेरी में 55 जिलों (नमूना जांच किए जिलों का 30 प्रतिशत) तथा पूरे कर्नाटक राज्य में तीन अवस्था पर तस्वीरें अर्थात् पूर्व, मध्य तथा पश्च, समाप्त कार्यों की फाईलों में उपलब्ध नहीं थीं। इस प्रकार जांच की परियोजनाओं की स्थिति अभिलेखों से अनिश्चय थी। और अनुबंध-8प में दिए गए हैं।

यह भी पाया गया कि 14 राज्यों तथा एक सं.शा.क्षे. अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा पुडुचेरी में 75 जिलों (सभी नमूना जांच किए जिलों का 41 प्रतिशत) तथा पूरे कर्नाटक राज्य में 5,92,280 निर्माण कार्यों की समाप्ति के पश्चात प.स.रि. तैयार नहीं की गई थीं। और अनुबंध-8फ में दिए गए हैं।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2012) कि इसने राज्यों को मॉ.सू.प. (नरेगासॉफ्ट) में समाप्त निर्माण-कार्यों की स्थिति का अद्यतन करने हेतु 28 मार्च 2012 को एक परामर्श जारी किया था।

8.20 संदिग्ध दुर्विनियोजन

184 ग्रा.प., 15 ब्लाकों तथा 18 जिलों में लेखापरीक्षा तथा कार्यान्वयन अभिकरणों के अधिकारियों द्वारा कुल 21.78 करोड़ के 794 निर्माण-कार्यों के संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षण ने 10 राज्यों, यथा, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, ओडिशा तथा राजस्थान में संदिग्ध लेन-देनों को प्रकट किया। ये निर्माण-कार्य या तो प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध नहीं थे अथवा निर्माण दुबारा दिखाये गये थे जो अनियमित था। इसके अतिरिक्त, कार्य की समाप्ति के पश्चात सामग्री खरीदे जाने अथवा मापन-पुस्तिकाओं में गलत प्रविष्टियों अथवा कार्य के निष्पादन के बिना धन के आहरण के कुछ मामले भी पाए गए थे। इस प्रकार, यह भुगतान संदिग्ध थे तथा जांच की मांग करते थे। व्यौरे अनुबंध-8ब में दिए गए हैं।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2012) कि इसने रा.रो.गा.नि. के लेखाओं तथा अन्य अभिलेखों/दस्तावेजों के आधार पर राज्य के अंश को निर्धारित करने में राज्य को सहायता प्रदान करने हेतु स.ले./स.ले. प्रतिष्ठानों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया था। इस संबंध में 22 जून 2012 को राज्य को एक परामर्श जारी की गई थी। राज्य को निधियों, जिनकी पूर्ति न की गई हो, के दुर्विनियोजन हेतु अतिरिक्त देयताओं (उसके अतिरिक्त जो मनरेगा की धारा 22 द्वारा अनिवार्य की गई है) को वहन करना होगा।

8.21 अधिनियम के उल्लंघन में ₹ 1,935.49 करोड़ का व्यय

आन्ध्र प्रदेश में, 2009 में एक कार्य निष्पादन सदस्य (का.नि.स.) की एक प्रणाली प्रारम्भ की गई थी। इस प्रणाली के अंतर्गत ग्रा.प. को सड़कों के निर्माण तथा राजीव गांधी भारत निर्माण सेवा केन्द्रों (रा.गा.भा.नि.से.के.) हेतु अपने संकल्प के माध्यम से ग्राम पंचायत के सरपंच/सदस्य/अन्य कोई उपयुक्त व्यक्ति में से का.नि.स. के रूप में एक उपयुक्त व्यक्ति की पहचान करनी थी। राज्य ने 2009-2012 के दौरान (अगस्त 2012 तक) का.नि.स. के माध्यम से सामग्री घटकों पर ₹ 1,935.49 करोड़ तथा इन निर्माण कार्यों पर मजदूरी घटक पर केवल ₹ 54.51 करोड़³ का व्यय किया था। लेखापरीक्षा ने इस प्रणाली में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई:

- मंत्रालय द्वारा की गई आंतरिक लेखापरीक्षा ने प्रकट किया कि कार्य निष्पादन सदस्य द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों में मजदूरी-सामग्री अनुपात जलबद्ध पक्की सड़क के मामले में 5.25:94.75, राजीव गांधी भारत निर्माण सेवा केन्द्रों के मामले में 0.27:99.73 तथा निकासी सहित सीमेंट कंक्रीट सड़कों के मामले में 2:98 थे।
- कार्य निष्पादन सदस्य कार्यान्वयन अभिकरण की श्रेणी में नहीं आते हैं जैसा कि अधिनियम में विनिर्दिष्ट है। इसे राज्य सरकार तथा कार्य निष्पादन सदस्य के बीच निष्पादित समझौता ज्ञापन के माध्यम से नियुक्त किया गया था। वित्तीय नियमावली के उल्लंघन में रोकड़ में आगे आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने हेतु निधियों को कार्य निष्पादन सदस्य के निजी बैंक खाते में अंतरित किया गया था। कार्य निष्पादन सदस्य को उसकी सेवाओं हेतु 2.5 प्रतिशत पर्यवेक्षण प्रभार (अभिकरण आयोग) अदा किए गए थे। कार्य निष्पादन सदस्य की नियुक्ति संविदा की प्रवृत्ति में थी जिसने अधिनियम का उल्लंघन किया।

³ 2009-10- ₹ 3.86 करोड़, 2010-11- ₹ 1,098.89 करोड़, 2011-12- ₹ 637.68 करोड़ तथा 2012-13- ₹ 195.06 करोड़- (अगस्त 2012 तक)

- सामग्रियों के प्रापण में सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के प्रावधानों की अनुपालना नहीं की गई थी तथा सामग्री के प्रापण हेतु बिलों एवं वाउचरों को आगे के निरीक्षण हेतु अनुरक्षित नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात आन्ध्र प्रदेश सरकार (फरवरी 2012) ने निविदा के माध्यम से सामग्री प्रापण हेतु अलग आदेश प्रस्तुत किए।
- आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ने भी पाया कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों की नहीं थी।

इस प्रकार, कार्य निष्पादन सदस्यों की नियुक्ति करना गलत था तथा मजदूरी रोजगार प्रदान करने के अधिनियम के मूल उद्देश्य को भी विफल किया क्योंकि ₹ 1,990 करोड़ के कुल व्यय का केवल 2.74 प्रतिशत मजदूरियों पर किया गया था।

यह आगे पाया गया था कि जबकि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने जून 2012 में कार्य निष्पादन सदस्य प्रणाली को हटा दिया था, फिर भी निम्नलिखित अनियमितताओं को अभी भी सुधारा जाना था:

- सामग्री पर ₹ 1139.49 करोड़ के अधिक व्यय को राज्य से वसूला जाना था। यह अनुमानित था कि अगर निर्धारित मजदूरी सामग्री अनुपात की अनुपालना की गई होती तो सामग्री पर अधिक व्यय का परिणाम अतिरिक्त 10.63 करोड़ श्रम दिवसों के सृजन में हो सकता था।
- चूंकि पर्यवेक्षण प्रभार अधिनियम के अंतर्गत स्वीकार्य नहीं थे, इसलिए इन्हें निर्धारित किया जाना तथा वसूला जाना था।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार करते समय बताया कि राज्य सरकार से स्पष्टीकरण की माँग की गई थी।

अनुशंसा:

मंत्रालय सख्ती से निर्धारित मजदूरी सामग्री अनुपात के अनुरक्षण को मॉनीटर करे। राज्य सरकारों को 60:40 के अनुपात के आधिक्य में व्यय की राशियों को लाभदायक बनाने हेतु कहा जाए।

अध्याय 9

अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण

9.1 प्रस्तावना

परिचालनात्मक दिशानिर्देश (पैरा 14.1.1) मनरेगस निधियों के अन्य योजनाओं तथा स्रोतों से निधियों के साथ स्थायी संपत्तियों के निर्माण हेतु अभिसरण की अनुमति प्रदान करते हैं। कार्यान्वयन के पास अन्य स्रोतों (जैसे कि राष्ट्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, राज्य विभागों) से उपलब्ध निधियों तथा अन्य केंद्रीय अथवा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को भी मनरेगस निधियों के साथ, मनरेगस के तहत अनुमत स्थायी सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण/निर्माण कार्यों के साथ जोड़ा जा सकता है।

मनरेगस के परिचालनात्मक दिशानिर्देश, स्कीम निधियों के विभिन्न विभागों तथा अभिकरणों की योजना निधियों के विकल्प के रूप में प्रयोग का भी निषेध करते हैं। मनरेगस के तहत अनुमत कार्यों हेतु अन्य कार्यक्रमों से निधियों को मनरेगस निधियों के साथ मिलाया जा सकता है परंतु दूसरी ओर अनुमत नहीं था। इसके अतिरिक्त, राज्य की अभिसरण गतिविधियों से संबंधित सभी पहलुओं को राज्यों की परिप्रेक्ष्य योजनाओं में सम्मिलित किया जाना था। अभिसरण की सभी पहल कदमियों को मनरेगस के मापदण्डों के भीतर होना था और उनसे श्रम-सघन कार्यों की रूपरेखा बनाने की आवश्यकता को पूरा करने की अपेक्षा थी।

9.2 अभिसरण गतिविधियों का अभाव

परिचालनात्मक दिशानिर्देश (पैरा 14.1.1) अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण की परिकल्पना करते हैं। तथापि, लेखापरीक्षा ने 13 राज्यों, अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैण्ड, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल में पाया कि अभिसरण के अंतर्गत कोई परियोजना शुरू नहीं की गयी थी।

तीन राज्यों अर्थात् असम, जम्मू एवं कश्मीर तथा मणिपुर में मनरेगस के साथ अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के साथ अभिकरण के लिए कोई दिशानिर्देश नहीं बनाये गये थे। कर्नाटक एवं राजस्थान में, दिशानिर्देश बनाये गये थे परन्तु किसी भी नमूना-परीक्षित जिले में अभिसरण गतिविधियां नहीं देखी गयी। कर्नाटक में, अभिसरण से संबद्ध योजना दिशानिर्देशों को कार्यान्वयन अधिकारियों को प्रेषित कर दिया गया था और जि.प. को पशुपालन एवं मत्स्यपालन के कार्यक्रमों का मनरेगस के साथ अभिसरण करने का निर्देश दिया गया था। तथापि, नमूना जिलों में कोई ऐसी गतिविधि नहीं पाई गयी थी। जम्मू एवं कश्मीर में, अभिसरण के अध्ययन हेतु मार्च 2012 में एक समिति गठित की गयी थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने बताया कि अभिसरण के लिए दिशानिर्देश बना लिये गये थे लेकिन ग्रामीण विकास विभाग की सभी योजनाओं को सम्मिलित करते हुए विस्तृत परिप्रेक्ष्य योजनाएं नहीं बनायी गयी

थीं। तथापि दिशानिर्देश, लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये थे तथा चयनित ग्रा.पं. में कोई अभिसरण गतिविधि नहीं पायी गयी थी।

समेकित जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम (स.ज.प्र.का.) को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा के साथ अभिसरण हेतु एक महत्वपूर्ण योजना के रूप में चिह्नित किया गया था चूंकि 50 प्रतिशत से अधिक मनरेगा कार्य मिट्टी तथा जल संरक्षण से संबंधित थे। मई 2009 में संयुक्त अभिसरण दिशानिर्देश राज्यों को मनरेगा एंव स.ज.प्र.का. के मध्य अभिसरण हेतु जारी किये गये थे। दिशानिर्देशों में आरेखित महत्वपूर्ण उपायों में से एक जिला स्तर पर जलग्रहण विभाग, कृषि विभाग, जल संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग तथा पंचायती राज के प्रतिनिधित्व के साथ ज्ञान प्रसारित करने, नियोजन, संचार, प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता, संसाधन एकत्रण तथा मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन हेतु जिला संसाधन समूह का सृजन करना था। हमने पाया कि मणिपुर एवं नागालैण्ड में नमूना परीक्षित जिलों में कोई जिला संसाधन समूह नहीं बनाया गया था। महाराष्ट्र के नौ चयनित जिलों में से आठ में जिला संसाधन समूह नहीं बनाया गया था।

इसके अतिरिक्त, मनरेगा एवं स.ज.प्र.का. के संयुक्त दिशानिर्देशों के अंतर्गत, जलग्रहण विकास दल/परियोजना कार्यान्वयन प्राधिकरण को जलग्रहण विकास परियोजना का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ग्राम सभा को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना था जिसमें मनरेगा हेतु प्रस्तावित गतिविधियों/संरचनाओं/कार्यों का विवरण निहित होना था। मनरेगा की एक परिप्रेक्ष्य योजना एंव वार्षिक कार्य योजना की इन गतिविधियों/संरचनाओं/कार्यों को सम्मिलित करना था तथा इसे विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के साथ ही ग्राम सभा के कार्यक्रम के समुचित अभिसरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तुत करना था। हमने पाया कि मिजोरम में, मनरेगा निधियों का अन्य स्रोतों से प्राप्त निधियों के साथ स्थायी सम्पत्तियों के सृजन हेतु अभिसरण की प्रक्रिया आरम्भ नहीं की गई थी तथा नमूना परीक्षित जिलों में परिप्रेक्ष्य योजनाओं में दर्शायी गई थीं। नागालैण्ड में जिले हेतु परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की गई तथा मनरेगा कार्यों के साथ ही विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों¹ के तहत अभिसरण हेतु संसाधनों की उपलब्धता का आकलन किया गया था। तथापि, तीन नमूना जांच किए गए जिलों (दीमापुर, मोन तथा तेनसंग) में यह परिप्रेक्ष्य योजना तक ही सीमित रहा और वास्तविक अभिसरण हेतु कोई प्रयास नहीं किये गये थे। अरुणाचल प्रदेश में अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम के साथ कोई अभिसरण नहीं था।

इस प्रकार, सभी राज्यों में महत्वपूर्ण हस्तक्षेप काफी हद तक अनुपस्थित था।

मंत्रालय ने अभिसरणों में कमियों पर अपने उत्तर में बताया कि दिशानिर्देश परामर्शी प्रकृति के थे और राज्यों से उन्हें अधिनियम के कार्यान्वयन के प्रबंधन प्रणाली की स्थापना में प्रयुक्त करने की अपेक्षा की गयी थी। इस प्रकार परिचालनात्मक दिशानिर्देश एक मानक रूपरेखा को दर्शाते थे जिसके लिए राज्यों को प्रयास करना था। इस प्रकार, परिचालनात्मक दिशानिर्देश का गैर-अनुपालन उल्लंघन के जैसा नहीं था।

मंत्रालय का उत्तर उसके अपने ही परिचालनात्मक दिशानिर्देशों के मूल भाव की संगति में नहीं है जो अभिसरण के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार सृजन की परिकल्पना करता है।

¹ स्था.क्षे.वि.का. (स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम) कृषि, बागवानी, आर.एण्ड.बी. विद्यालयी शिक्षा एंव वन कार्यक्रम

9.3 खराब ढंग से निष्पादित अभिसरण गतिविधियां

9.3.1 मनरेगस से वित्त पोषित संपूर्ण लागत

परिचालनात्मक दिशानिर्देशों (पैरा 14.1.2) के अनुसार, मनरेगस निधियों को विभिन्न विभागों एवं अभिकरणों की विभागीय योजना निधियों के स्थानापन्न के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। मनरेगस के अंतर्गत अनुमत कार्यों हेतु निधियों को मनरेगस निधियों के साथ मिलाया जा सकता था, किन्तु मनरेगस निधियों को अन्य कार्यक्रमों हेतु नहीं।

झारखण्ड और उत्तराखण्ड में, ऐसे मामले पाए गये जहां अभिसरण परियोजना की पूरी लागत मनरेगस निधियों से पूरी की गई। परिचालनात्मक दिशानिर्देश मनरेगस के तहत केवल श्रम घटक के वित्तपोषण की अनुमति देते हैं, जबकि आरम्भ किया गया कार्य किसी अन्य योजना से संबद्ध हो। विवरण तालिका 15 में दिये गये हैं।

तालिका 15-मनरेगस से गलत वित्तपोषण

राज्य का नाम	विवरण
झारखण्ड	<p>मंत्रालय ने अधिनियम की अनुसूची-I पैरा 1(छ) के अंतर्गत कार्यों की विषयवस्तु के विस्तारण, भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र (भा.नि.रा.गा.से.के.) के निर्माण को शामिल करने के लिए, पर दिशानिर्देश जारी किया था। दिशानिर्देशों के अंतर्गत, भा.नि.रा.गा.से.के. के निर्माण की अनुमति उन जिलों में थी जहां पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि योजना (पि.क्षे.अ.नि.) का कार्यान्वयन इस शर्त के साथ हुआ था कि सामग्री घटकों की पूर्ति पि.क्षे.अ.नि. से होगी और श्रम घटकों की मनरेगस से पि.प्र.अ.नि. से प्राप्त सामग्री घटक के अपर्याप्त होने के मामले में वह मनरेगस से अनुमत था बशर्ते सामग्री घटक जिला स्तर पर 40 प्रतिशत तक सीमित हो।</p> <p>लेखापरीक्षा में पाया गया कि रांची जिले के 18 ब्लॉकों में 18 भा.नि.स.गा.से.के. के निर्माण के लिए 2010-12 के दौरान मनरेगस एवं पि.प्र.अ.नि. के बीच निर्माण की लागत का आवंटित किये बगैर ₹ 3.35 करोड़ पूर्ण रूप से मनरेगस से व्यय किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि, पि.प्र.अ.नि. के अंतर्गत पर्याप्त निधियां (2009-10 एवं 2010-11 के समाप्त पर क्रमशः ₹ 12.47 करोड़ एवं ₹ 11.05 करोड़) उपलब्ध थीं, ₹ 2.70 करोड़ सामग्री घटक पर मनरेगस से व्यय किया था, जो कि अनियमित था क्योंकि रांची पि.प्र.अ.नि. में शामिल था और सामग्री की लागत की पूर्ति पि.प्र.अ.नि. से होनी थी।</p>
उत्तराखण्ड	<p>संबंधित विभागों (वनविभाग, पशुपालन, सिंचाई, कृषि विभाग, आदि) ने अभिसरण के नाम पर निर्माण कार्य कराया और निर्माण पर मार्च 2012 के समाप्त पर ₹ 2.57 करोड़ का व्यय पूर्णतः मनरेगस से किया गया था। आगे, पूरे किये गये 26 कार्यों में मजदूरी-सामग्री अनुपात को विश्लेषण ने उद्घटित किया कि सामग्री घटक 41 से लेकर 86 प्रतिशत तक परिवर्तनशील अर्थात्, मनरेगस के उल्लंघन में थे।</p>

मंत्रालय ने बताया कि अधिनियम, के अनुसार, संबंधित विभाग भी मनरेगस निर्माण कार्यों को कार्यान्वित कर सकते थे तथा ऐसे निर्माण हेतु परिचालनात्मक दिशानिर्देश लागू होंगे। कुछ संबंधित विभागों के पास विभागीय योजनाओं के तहत समान कार्य थे और इन कार्यों में संबंधित विभागों के दिशानिर्देश लागू होंगे। आगे यह बताया

गया था कि भा.नि.रा.गां.से.के. का निर्माण मनरेगा के अंतर्गत स्वीकार्य कार्य था जिसमें भा.नि.रा.गां.से.के. हेतु दिशानिर्देशों में नियत मापदण्ड लागू होंगे तथा वह मनरेगा के तहत भी पूरी इमारत निर्मित कर सकते हैं।

मंत्रालय का उत्तर विश्वसनीय नहीं है क्योंकि झारखण्ड ने भा.नि.रा.गां.से.के. दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किया था और उत्तराखण्ड ने मनरेगा निधियों का उपयोग अपने नियमित विभागीय कार्यों के लिए किया था जिसमें मजदूरी-सामग्री अनुपात का अनुरक्षण अभिसरण के तहत आरम्भ किए गए कार्यों में नहीं किया गया था।

9.3.2 अभिसरण के अंतर्गत कम उपलब्धि

छत्तीसगढ़ एवं झारखण्ड में, ऐसे मामले देखे गये जहां योजना के अभिसरण में परियोजनाएं आरम्भ की गयी थीं, लेकिन उनका समापन लंबित था अथवा उन्हें समयपूर्व रोक दिया गया था। विवरण तालिका -16 में दिये गये हैं।

तालिका 16: अभिसरण गतिविधियों के अंतर्गत अपूर्ण कार्य

राज्य का नाम	विवरण
छत्तीसगढ़	मनरेगा के अंतर्गत, बस्तर जिले के बस्तर ब्लॉक में 157 हेक्टेयर में काजू बगान कार्य को 41.02 लाख के लिए भोंड और लमकर ग्राम पचायतों में अनुमोदित किया गया था। कार्य को राष्ट्रीय बागवानी मिशन के साथ अभिसरण में जुलाई 2009 में पूरा करना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि 41.02 लाख की अनुमोदित राशि के प्रति केवल 8.02 लाख (20 प्रतिशत) ही व्यय किया गया था और पूर्णता प्रमाणपत्र जारी किए गये। भोंड में निरीक्षण में ग्रा.पं. अधिकारियों ने देखा कि किया गया वृक्षारोपण सफल नहीं हो पाया था। लमकर में, पौधों की संख्या और स्थान जहाँ वृक्षारोपण किया गया था उस भूमि के विवरण अभिलेखों में नहीं थे, इसलिए पूर्ण किए गये कार्यों की वास्तविकता लेखापरीक्षा में स्थापित नहीं की जा सकी। इंगित करने पर, विभाग ने बताया कि लाभार्थियों द्वारा रुचि के अभाव के कारण 100 प्रतिशत वृक्षारोपण का कार्य निष्पादित नहीं किया जा सका था।
झारखण्ड	छ.: पिछड़ा प्रदेश अनुदान निधि जिलों में, 2010-11 तथा 2011-12 हेतु क्रमशः 380 तथा 540 के निर्माण के लक्ष्य के प्रति मनरेगा के अभिसरण विकल्प के अंतर्गत मार्च 2012 तक केवल 98 भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों को पूर्ण किया गया था।

मंत्रालय ने बताया कि चूंकि मनरेगा मांग आधारित था, कार्य को पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सकता था तथा कार्य को रोजगार की मांग के अनुसार निष्पादित किया जा सकता था।

9.3.3 अभिसरण के अंतर्गत परिचालनात्मक दिशानिर्देशों का उल्लंघन

परिचालनात्मक दिशानिर्देशों (पैरा 14.1.3) के अनुसार अभिसरण की सभी पहलों को मुख्य रूप से श्रम-सधन कार्यों की स्परेखा तैयार करने की आवश्यकता तथा ठेकेदारों पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित करने को मनरेगा के मापदण्डों के अंतर्गत रहना था।

मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश के आठ चयनित जिलों में, 2010-11 तथा 2011-12 में मुख्यमंत्री सङ्कर योजना (मु.मं.स.यो.) तथ पि.प्र.अ.नि. के साथ अभिसरण में ₹ 252.90 करोड़ के 570 सङ्कर निर्माण कार्य लिए अनुमोदित किए गए थे। कार्यान्वयन अभिकरणों ने ₹ 36.45 करोड़ का व्यय सूचित किया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि कार्य निष्पादन परिचालन दिशानिर्देशों के उल्लंघन में हुआ था क्योंकि मजदूरी-सामग्री अनुपात 60:40 को केवल मनरेगा निधियों के हिस्से में अनुरक्षण किया गया था ना कि संपूर्ण राशि पर था। मुख्यमंत्री सङ्कर योजना तथा पि.प्र.अ.नि. के हिस्से से निर्माण कार्य निष्पादन पर ठेकेदारों की नियुक्ति तथा भारी मशीनरी का उपयोग अतिरिक्त रोजगार के सृजित नहीं होने का कारण बना। यह भी पाया गया कि इन निर्माण के प्रशासनिक /तकनीकी संस्थीकृतियों में ग्रा.प. के नाम जहाँ निर्माण किया जाना था अथवा लाभार्थियों तथा मजदूरी भुगतान का विवरण शामिल नहीं था। आगे, यद्यपि 59 सङ्करे बन गयी थी, फिर भी इन संपत्तियों में से किसी को भी संबंधित ग्रा.प. के सुपुर्द नहीं किया गया था।

उपरोक्त के इंगित किए जाने पर, राज्य सरकार ने उत्तर दिया कि उन्होंने मुख्यमंत्री ग्राम सङ्कर योजना कही जाने वाली एक उपयोजना बनायी थी, जिसमें अकुशल श्रमशक्ति द्वारा किए जाने वाले निर्माण कार्य को मनरेगा के अंतर्गत संचालित किया जा सकेगा तथा जिन निर्माण कार्यों में मशीनों का व्यापक उपयोग या सामग्री के अधिक घटक शामिल दोनों अपेक्षित थे, उन्हें राज्य संसाधनों से प्राप्त निधियों या पि.प्र.अ.नि. से संचालित किया जाना था। उन्होंने इसके अतिरिक्त बताया कि (क) निर्माण के अनुबंध के माध्यम से रोजगार सृजन के अभिलेखों का अनुरक्षण राज्य नियमों के अनुसार अनिवार्य नहीं था, (ख) 60:40 का अनुपात, यद्यपि मनरेगा घटक के लिए वैध था एवं उसका अनुरक्षण किया जाता था, संपूर्ण निर्माण कार्य के लिए अनिवार्य नहीं था, तथा, (ग) बन चुकी सङ्करों की सुपुर्दगी समय से कर दी जाएगी।

उत्तर मनरेगा के परिचालनात्मक दिशानिर्देशों की आवश्कताओं को ध्यान में रखकर नहीं दिया गया था कि मनरेगा तथा मु.मं.स.यो./पि.प्र.गा.नि. के अंतर्गत उपलब्ध कुल निधियों पर मजदूरी तथा सामग्री के मध्य 60:40 का अनुपात अनुरक्षित किया गया था तथा ठेकेदारों पर प्रतिबन्ध को सुनिश्चित किया गया था।

उत्तर प्रदेश में, ₹ 178.69 करोड़ के नियमित विभागीय कार्यों (अर्थात् वनीकरण, बाढ़ सफाई, राम गंगा कमान परियोजना आदि) के लिए मनरेगा निधियों से जिला कार्यक्रम समन्वयकों (जि.प.का.स.) द्वारा नमूना परीक्षित सभी 18 जिलों में संबंधित विभागों द्वारा 37,236 परियोजनाओं के लिए अनियमित रूप से उपयोग किया गया था। दिशानिर्देशों एवं उद्देश्यों के सकल उल्लंघन में, राज्य सरकार ने 2010-12 के दौरान संपूर्ण राज्य हेतु मनरेगा निधियों से निर्माण के निष्पादन के लिए इसके विभिन्न संबंधित विभागों को ₹ 6438.12 करोड़ का वित्तीय लक्ष्य नियत किया था। इन विभागों ने उन्हें जारी 1675.25 करोड़ में से वास्तविक रूप से 1432.14 करोड़ व्यय किये। यह भी पाया गया कि राज्य सरकार ने मनरेगा निधियों को राज्य निधियों के रूप में प्रयोग किया। उदाहरण के लिए, मुख्य सचिव ने दिनांक 30 सितम्बर 2009 के एक पत्र के माध्यम से संबंधित प्राधिकारियों को मनरेगा से पर्याप्त निधियों के सिंचाई विभाग के लिए पूरक बजट के रूप में आवंटन का प्रबंध करने का निर्देश दिया था। एक अन्य मामले में, मुख्य सचिव द्वारा बुलायी गयी एक बैठक में यह निर्णय लिया गया कि भा.स. द्वारा वित्त पोषित योजनाओं से अधिकाधिक निधियाँ, राज्य द्वारा संचालित योजना हेतु निधियों की बचत के लिए, प्राप्त करने के लिए प्रयास किये जाने चाहिए।

उपर्युक्त मामले स्पष्टतः प्रदर्शित करते हैं कि अधिकतर राज्यों ने अभिसरण की महत्वता को नहीं पहचाना था, जैसा मनरेगा के तहत परिकल्पित था। राज्य सरकारों ने अभिसरण गतिविधियों के संचालन हेतु बहुत कम प्रयास किये या अभिसरण को राज्य सरकार योजनाओं के वित्त पोषण की एक गतिविधि के रूप में उपयोग किया था।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया कि, अधिनियम के प्रावधान केवल मनरेगास निधि से किए गए निर्माण पर ही लागू होता था, राज्य सरकार उसी निर्माण के लिए अतिरिक्त राशि का संबंधित योजनाओं के मानदंडों के अनुसार उपयोग कर सकती थी। उदाहरण के लिए, अगर सड़क का निर्माण मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत हुआ था, 60:40 का अनुपात मनरेगास निधि के अंतर्गत किए गये कार्य के लिए लागू होगा, तथा राज्य अन्य योजनाओं से अतिरिक्त धन का उपयोग कर सकता है। आगे, यह बताया गया कि अभिसरण एक विकसित हो रही प्रक्रिया थी तथा जबकि केन्द्र सरकार द्वारा व्यापक सिद्धांत निर्धारित किये जा सकते थे, अभिसरण की रूपरेखा क्षेत्रीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों की प्रकृति और मात्रा द्वारा निर्धारित होगी।

मंत्रालय का उत्तर विश्वसनीय नहीं था क्योंकि परिचालनात्मक दिशानिर्देश यह परिकल्पित करते थे कि अभिसरण के अंतर्गत सभी पहलें, मनरेगास के मापदंडों के भीतर होंगी।

10.1 प्रस्तावना

परिचालनात्मक दिशानिर्देशों का पैरा 9.1.1 मनरेगा के कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण सफलता घटक के रूप में अभिलेखों के उचित अनुरक्षण को निर्धारित करता है। महत्वपूर्ण निविष्टियों, प्रक्रियाओं, निर्गम तथा निष्कर्षों पर जानकारी को सजगता से जिला कार्यक्रम समन्वयकर्ता (जि.का.स.), कार्यक्रम अधिकारी (का.आ.), ग्राम पंचायत (ग्रा.प.) एवं अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों के स्तर पर निर्धारित पंजिकाओं में दर्ज करना होता है, ताकि 100 माँग पर दिनों के रोजगार की तथा योजना के अन्य प्रत्याशित निष्कर्षों की अनुपालन को सुनिश्चित किया जा सके। परिचालनात्मक दिशानिर्देशों ने विभिन्न स्तरों पर अनुरक्षित किए जाने वाले अभिलेखों तथा पंजिकाओं के ब्यौरे विनिर्दिष्ट किए हैं। उपयुक्त अभिलेख अनुरक्षण किसी भी जवाबदेही तंत्र हेतु अनिवार्य है। लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावकारिता भी बहुत पैमाने पर अभिलेखों के अनुरक्षण पर निर्भर करता है।

विशेष रूप से, परिचालनात्मक दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नलिखित आवश्यक अभिलेखों को अनुरक्षित किया जाना अपेक्षित था:

पंजिका का नाम	अभिलेख का उद्देश्य	अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी प्राधिकरण
मस्टर रोल निर्गम पंजिका	मस्टर रोल्स को जारी करना तथा प्राप्ति को दर्ज करता है (का.आ. से ग्रा.प./कार्यान्वयन अभिकरण को)	ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी
मस्टर रोल प्राप्ति पंजिका	ग्रा.प. द्वारा मस्टर रोल्स की प्राप्ति को दर्ज करता है	ग्राम पंचायत
जॉब कार्ड आवेदन पंजिका	आवेदक का नाम, आवेदन/अनुरोध की दिनांकित रसीद को दर्ज करता है। यह जॉब कार्ड जारी न होने के मामले में कारणों को भी शामिल करता है।	ग्राम पंचायत/कार्यक्रम अधिकारी
जॉब कार्ड पंजिका	परिवारों के सदस्यों के विवरण दर्ज करता है जिन्हे जॉब कार्ड जारी किए गए हैं।	ग्राम पंचायत/कार्यक्रम अधिकारी
रोजगार पंजिका	प्रत्येक पंजीकृत परिवार हेतु, माँग किए गए रोजगार, आवंटित किए गए रोजगार तथा वास्तव में प्रारम्भ किए रोजगार के ब्यौरे, कार्य का निष्पादन तथा श्रमिकों को अदा की गई मजदूरी अथवा बेरोजगारी भत्ते को दर्ज करता है।	ग्राम पंचायत/कार्यक्रम अधिकारी

अभिलेख का उद्देश्य	अभिलेख का उद्देश्य	अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी प्राधिकरण
निर्माण कार्य पंजिका	यह पंजिका में संस्थीकृत आदेश की संख्या एवं तिथि, समापन तिथि, किया गया व्यय, सामाजिक लेखापरीक्षा की तिथि तथा कार्य की पूर्व-मध्य-पश्च परियोजना स्थिति आदि के ब्यौरे दर्ज करती हैं।	कार्यक्रम अधिकारी/ग्राम पंचायत/अन्य कार्यान्वयन अभिकरण
परिस्पत्ति पंजिका	संस्थीकृत, निष्पादित तथा समाप्त सभी निर्माण कार्यों को दर्ज करता है। इसमें परिस्पत्तियों के ब्यौरे, उसकी लागत, स्थान, वर्तमान स्थिति आदि भी शामिल है।	कार्यक्रम अधिकारी/ग्राम पंचायत/अन्य कार्यान्वयन अभिकरण
शिकायत पंजिका	की गई शिकायतों और शिकायत पर की गई कार्रवाई के ब्यौरे तथा अंतिम निपटान की तिथि को दर्ज करता है।	जि.का.स./कार्यक्रम अधिकारी/ग्राम पंचायत/अन्य कार्यान्वयन अभिकरण
मासिक आवंटन तथा उपयोग प्रमाण-पत्र निगरानी पंजिका	आवंटन, व्यय, कार्यान्वयन अभिकरण के पास उपलब्ध शेष की तिथिवार सूचना तथा उपयोग प्रमाणपत्र के प्रस्तुतीकरण तथा लंबित होने के संबंध में ब्यौरे दर्ज करता है।	जि.का.स./कार्यक्रम अधिकारी/ग्राम पंचायत/अन्य कार्यान्वयन अभिकरण

आर उल्लेखित पंजिकाओं के अतिरिक्त दो अन्य मूल दस्तावेज जिन्हे प्रत्येक कार्यान्वयन अभिकरण को अनुरक्षण करना अपेक्षित है, वे हैं:

- मस्टर रोल्स: उसमें कार्य किए गए दिनों, अनुपस्थित दिनों आदि के ब्यौरे दर्ज करते हैं।
- रोकड़ बही: निधियों के सभी बहिर्गमन तथा अन्तर्वाह को दर्ज करती हैं।

10.2 अभिलेखों का गैर-अनुरक्षण

लेखापरीक्षा ने पाया कि 28 राज्यों तथा चार सं.शा.क्षे. के कुल नमूना जांच किए 182 जिलों, 458 ब्लॉकों तथा 3848 ग्रा.पं. में से अधिकांश मामलों में मूल अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था। खराब अभिलेख अनुरक्षण न केवल ग्राम पंचायत स्तर पर था जहाँ क्षमता की कमी को कारण के रूप में बतायी गयी थी। ब्लॉक तथा जिला स्तर पर वैसी ही गम्भीर कमियाँ थीं। अभिलेखों के गैर-अनुरक्षण से संबंधित निष्कर्षों का सारांश नीचे प्रस्तुत किया गया है:

क्र. सं.	अनुरक्षित किए जाने वाली पंजिका का प्रकार	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं कर रही ग्रा.पं. की प्रतिशतता
1.	जॉब कार्ड आवेदन पंजिका	आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा दादरा एवं नागर हवेली (15 राज्यों तथा एक सं.शा.क्ष.) में 56 जिलों में 1,205 ग्रा.पं./ग्रा.वि.बो./ग्रा.प.वि.स. तथा 165 ब्लॉकों में जॉब कार्ड आवेदन पंजिका/आवेदन पंजीकरण पंजिका का अनुरक्षण नहीं किया गया था।	31.31
2.	जॉब कार्ड पंजिका	आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, त्रिपुरा तथा उत्तर प्रदेश (10 राज्यों) में 4 जिलों में 482 ग्रा.पं./ग्रा.वि.बो. तथा 43 ब्लॉकों में जॉब कार्ड पंजिका का अनुरक्षण नहीं किया गया था।	12.53
3.	रोजगार पंजिका	आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दादरा एवं नागर हवेली तथा पुदुचेरी (16 राज्यों तथा दो सं.शा.क्ष.) में 37 जिलों में 1,111 ग्रा.पं./ग्रा.वि.बो. तथा 108 ब्लॉकों में रोजगार पंजिका का अनुरक्षण नहीं किया गया था।	28.87
4.	परिसम्पत्ति पंजिका	आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, गोवा, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा दादरा एवं नागर हवेली (15 राज्यों तथा दो सं.शा.क्ष.) में 48 जिलों में 1,063 ग्रा.पं. तथा 167 ब्लॉकों में परिसम्पत्ति पंजिका का अनुरक्षण नहीं किया गया था।	27.62
5.	मस्टर रोल निर्गम/प्राप्ति पंजिका	अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा दादरा एवं नागर हवेली (14 राज्यों तथा एक सं.शा.क्ष.) में 42 जिलों में 885 ग्रा.पं. तथा 74 ब्लॉकों में मस्टर रोल निर्गम/प्राप्ति पंजिका का अनुरक्षण नहीं किया गया था।	22.99
6.	शिकायत पंजिका	असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, गोवा, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दादरा एवं नागर हवेली तथा पुदुचेरी (15	33.78

क्र. सं.	अनुरक्षित किए जाने वाली पंजिका का प्रकार	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं कर रही ग्रा.पं. की प्रतिशतता
		राज्यों तथा दो सं.शा.क्ष.) में 1,300 ग्रा.पं., 111 ब्लाकों तथा 34 जिलों में शिकायत पंजिका का अनुरक्षण नहीं किया गया था।	
7.	निर्माण कार्य पंजिका	आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैण्ड, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दादर एवं नागर हवेली तथा पटुचेरी (17 राज्यों तथा दो सं.शा.क्ष.) में 46 जिलों में 1,665 ग्रा.पं. तथा 200 ब्लाकों में निर्माण कार्य पंजिका का अनुरक्षण नहीं किया गया था।	43.26
8.	मासिक आवंटन तथा उपयोग प्रमाणपत्र निगरानी पंजिका	आन्ध्र प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालैण्ड, पंजाब, दादरा एवं नागर हवेली तथा लक्ष्मीप (सात राज्यों तथा दो सं.शा.क्ष.) में 442 ग्रा.पं., 56 ब्लाकों तथा 10 जिलों में मासिक आवंटन तथा उपयोग प्रमाणपत्र निगरानी पंजिका का अनुरक्षण नहीं किया गया था।	11.48

इस प्रकार, यह पाया गया था कि महत्वपूर्ण रूप से अधिकांश कार्यान्वयन अभिकरणों में मनरेगस हेतु मूल अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया जा रहा था जो योजना के कार्यान्वयन की प्रभावकारिता तथा पारदर्शिता के संबंध में गम्भीर संदेह पैदा करते हैं। राज्य/सं.शा.क्ष. वार ब्यौरे **अनुबंध-10क** में दिए गए हैं।

10.3 अभिलेखों का गलत अनुरक्षण

आवश्यक अभिलेखों तथा पंजिकाओं को विश्वसनीय बनाने हेतु उनका अनुरक्षण नियमित रूप से किया जाना अपेक्षित है। अभिलेखों के गैर-अनुरक्षण के अतिरिक्त, अभिलेखों के गलत अनुरक्षण के कई मामले भी लेखापरीक्षा के ध्यान में आए थे। इसमें पंजिकाओं/अभिलेखों का अद्यतन न किए जाने, उचित प्रविष्टियां नहीं की जा रही थीं, पंजिकाओं में कालमों को खाली छोड़ा गया था आदि के उदाहरण शामिल थे। इन्हें नीचे सारांशीकृत किया गया है:

क्र. सं	अभिलेख का प्रकार	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	गलत प्रकार से अभिलेखों का अनुरक्षण कर रही नमूना जांच की गई ग्रा.पं. में से ग्रा.पं. की प्रतिशतता
1.	जॉब कार्ड आवेदन पंजिका	हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड तथा दादरा एवं नागर हवेली (8 राज्यों तथा एक सं.शा.क्ष.) में 564 ग्रा.पं. तथा 39 ब्लॉकों में जॉब कार्ड आवेदन पंजिका का अनुरक्षण उचित रूप से नहीं किया गया था।	14.66

क्र. सं	अभिलेख का प्रकार	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	गलत प्रकार से अभिलेखों का अनुरक्षण कर रहीं नमूना जांच की गई ग्रा.पं. में से ग्रा.पं. की प्रतिशतता
2.	जॉब कार्ड पंजिका	झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, ओडिशा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल तथा दादरा एवं नागर हवेली (सात राज्यों तथा एक सं.शा.क्षे.) में 892 ग्रा.पं. तथा 51 ब्लॉकों में जॉब कार्ड पंजिका का अनुरक्षण उचित रूप से नहीं किया गया था।	23.18
3.	रोजगार पंजिका	असम, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, ओडिशा, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल तथा दादरा एवं नागर हवेली (10 राज्यों तथा एक सं.शा.क्षे.) में 957 ग्रा.पं. तथा 41 ब्लॉकों में रोजगार पंजिका का अनुरक्षण उचित रूप से नहीं किया गया था।	24.87
4.	परिसम्पत्ति पंजिका	आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, ओडिशा, सिक्किम, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल तथा दादरा एवं नागर हवेली (12 राज्यों तथा एक सं.शा.क्षे.) में 736 ग्रा.पं. तथा 42 ब्लॉकों तथा दो जिलों में परिसम्पत्ति पंजिका का अनुरक्षण उचित रूप से नहीं किया गया था।	19.12
5.	मस्टर रोल निर्गम/प्राप्ति पंजिका	झारखण्ड, कर्नाटक, मणिपुर, मध्य प्रदेश तथा सिक्किम (पांच राज्यों) में 442 ग्रा.पं. तथा 36 ब्लॉकों में मस्टर रोल निर्गम/प्राप्ति पंजिका का अनुरक्षण उचित रूप से नहीं किया गया था।	14.86
6.	शिकायत पंजिका	आन्ध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर तथा ओडिशा (सात राज्यों) में 11 जिलों, 473 ग्रा.पं. तथा 57 ब्लॉकों में शिकायत पंजिका का अनुरक्षण उचित रूप से नहीं किया गया था।	12.29
7.	निर्माण कार्य पंजिका	झारखण्ड, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, ओडिशा, उत्तराखण्ड तथा दादरा एवं नागर हवेली (सात राज्यों तथा एक सं.शा.क्षे.) में 10 जिलों में 551 ग्रा.पं. तथा 43 ब्लॉकों में निर्माण कार्य पंजिका का अनुरक्षण उचित रूप से नहीं किया गया था।	14.31
8.	मासिक आवंटन तथा उपयोग प्रमाणपत्र निगरानी पंजिका	हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड तथा मध्य प्रदेश (तीन राज्यों) में 255 ग्रा.पं. तथा 15 ब्लॉकों में मासिक आवंटन तथा उपयोग प्रमाणपत्र निगरानी पंजिका का अनुरक्षण उचित रूप से नहीं किया गया था।	6.62

अभिलेखों के गलत अनुरक्षण के राज्य/सं.शा.क्षे.-वार व्यौरे **अनुबंध-10ख** में दिए गए हैं।

इस प्रकार, अभिलेखों के गैर-अनुरक्षण तथा गलत अनुरक्षण से संबंधित दोनों कमियां नमूना जांच की गई सभी ग्रा.पं. के 18 से 54 प्रतिशत के बीच थीं। ऊर उल्लेखित पंजिकाओं में यह देखा गया था कि केवल मासिक आवंटन तथा उपयोग प्रमाणपत्र निगरानी पंजिका का अनुरक्षण पर्याप्त रूप से किया गया था। सभी अन्य पंजिकाओं के संबंध में गैर-अनुरक्षण अथवा गलत अनुरक्षण की कमियां पर्याप्त रूप से अधिक थीं।

10.4 अभिलेखों में अन्य अपर्याप्ताएं

ऊर उल्लेखित पंजिकाओं के अतिरिक्त, कुछ अन्य मूल अभिलेखों जैसे मस्टर रोल्स तथा रोकड़ बहियों का भी अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित था। तथापि इन अभिलेखों के अनुरक्षण में भी कुछ कमियां पाई गई थीं। परिवालनात्मक दिशानिर्देशों में अपेक्षित हैं कि प्रत्येक मस्टर रोल में एक अनन्य संख्या होनी चाहिए तथा इसमें कार्य पर व्यक्ति का नाम, जॉब कार्ड संख्या, कार्य किए दिवस, अनुपस्थित दिवस तथा अदा की गई मजदूरी शामिल होनी चाहिए। लाभार्थी के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे के निशान को भी मस्टर पर दर्ज किया जाना था। उपस्थिति ले रहे व्यक्ति द्वारा मस्टर रोल को हस्ताक्षरित किया जाना था।

मस्टर रोल्स का अनुरक्षण: यह देखा गया था कि गोवा, गुजरात तथा नालगोड़ जिले के पूचमपल्ली ब्लॉक, विशाखापट्टनम जिले के बूचायपेटा ब्लॉक तथा आन्ध्र प्रदेश के नालगोड़ ब्लॉक तथ रंगा रेडी जिलों के सभी नमूना जांच किए ब्लॉकों मण्डलों में मस्टर रोल्स का अनुरक्षण उचित रूप से नहीं किया गया था। असम के चिरांग जिले तथा लक्षद्वीप में यह पाया गया था कि मस्टर रोल्स का निर्धारित प्रारूप में अनुरक्षण नहीं किया गया था।

रोकड़ बहियों का अनुरक्षण: उत्तराखण्ड तथा दादरा एवं नागर हवेली (ग्रा.पं. स्तर पर) में रोकड़ बही के अनुरक्षण में त्रुटियाँ पाई गई थीं। अधिकांश वित्तीय लेन-देनों को कार्यालय अध्यक्ष द्वारा साक्षांकित नहीं किया गया था, योग सत्यापित नहीं थे, काट कर दोबारा लिखे जाने तथा शोधन को सक्षम प्राधिकारी द्वारा साक्षांकित नहीं किया गया था तथा कई राशियों को पेंसिल द्वारा दर्ज किया गया था।

जि.का.स. देहरादूर की रोकड़ बही, मनरेगास के प्रारम्भ से वार्षिक आधार पर बंद नहीं की जा रही थी।

अभिलेख अनुरक्षण से संबंधित अन्य राज्य विशिष्ट मामलों को **अनुबंध-10ग** में दिया गया है।

अभिलेखों के अनुरक्षण में विशाल त्रुटियों ने, जैसा कि ऊर वर्णित किया गया है, योजना के निर्गमों तथा परिणामों के किसी भी सत्यापन को एक असंभव कार्य प्रस्तुत किया। अभिलेखों के अभाव ने यह निर्धारित करने को भी कठिन किया कि क्या लाभार्थियों ने अपने वैधिक अधिकारों का उपयोग किया था। इसके अतिरिक्त, योजना की पारदर्शिता तथा जवाबदेही की आवश्यकताओं से गंभीरता से समझौता किया गया था। उदाहरणार्थ, रोकड़ बही का गलत अनुरक्षण, जो कि योजना के अंतर्गत की गई प्राप्तियों तथा व्ययों का एक मूल अभिलेख है, धन लेन-देनों को असत्यापनीय प्रस्तुत करेगा। जिससे वित्तीय उत्तरदायित्व का निर्धारण असंभव होगा।

जैसा कि ऊर पाया गया, जॉब कार्ड पंजिका 1,205 ग्रा.पं. में उपलब्ध नहीं थी तथा 564 ग्रा.पं. में इसका अनुचित रूप से अनुरक्षण किया गया था। जॉब कार्ड आवेदन पंजिका सभी परिवारों जिन्होंने योजना में पंजीकृत होने के लिए आवेदन किया है, का एक अभिलेख है। यह दस्तावेज यह सत्यापित करने हेतु आवश्यक था कि क्या वह सभी जो

जॉब कार्ड चाहते थे वह ऐसा करने में समर्थ थे। इसके अभाव में, लेखापरीक्षा यह निर्धारित नहीं कर पाई कि सभी प्रभावी लाभार्थियों को शामिल किया गया था।

मंत्रालय ने बताया कि उसने मानव संसाधनों के आवर्धन हेतु राज्यों को समर्थ बनाने के लिए प्रशासनिक व्यय को मार्च 2007 में दो प्रतिशत से चार प्रतिशत तक तथा मार्च 2009 में चार प्रतिशत से छः प्रतिशत तक बढ़ाया था।

तथ्य यह रहा कि प्रशासनिक व्ययों की मात्रा में वृद्धि का परिणाम अभिलेखों के अनुरक्षण में कोई नैतिक सुधार में नहीं हुआ था।

10.5 मॉनीटरिंग सूचना प्रणाली (मॉ.सू.प्र.)

मंत्रालय ने राज्य तथा जिला स्तरों पर डाटा प्रविष्टी तथा योजना के वित्तीय तथा भौतिक पहलुओं से संबंधित सूचना का संकलन करने हेतु एक वैब आधारित मॉनीटरिंग सूचना प्रणाली-नरेगासोफ्ट को कार्यान्वित किया था। मनरेगा जैसी विशाल एवं जटिल योजना में एक कम्प्यूटरीकृत मॉ.सू.प्र. का उपयोग केवल सुविधा प्रदान करना नहीं था बल्कि यह मूल अभिलेखों में सृजित सूचना का संकलन करने हेतु एक अर्थपूर्ण माध्यम है। मॉ.सू.प्र. को मंत्रालय तथा राज्यों दोनों द्वारा योजना के कार्यान्वयन हेतु एक साधन के रूप में उपयोग किया गया था। इसके अतिरिक्त, मॉ.सू.प्र. एकत्रित सूचना के विस्तृत प्रसार को सुनिश्चित करके, पारदर्शिता हेतु एक साधन है।

लेखापरीक्षा ने मॉ.सू.प्र. में प्रविष्टि डाटा तथा विभाग/जि.का.स. के पास अनुरक्षित वास्तविक कागजी अभिलेखों/उपलब्ध सूचना के बीच बड़ी विसंगतियां पायी थी। यह विसंगतियां सभी प्रकार के अभिलेखों जैसे कि पंजीकृत परिवारों की संख्या, जारी जॉब कार्डों की संख्या, जॉब कार्ड संख्या, माँगा गया रोजगार, प्रदत्त रोजगार, कार्यों की संख्या, व्यय, कार्यों के निरीक्षणों की संख्या, सामाजिक लेखापरीक्षाओं की संख्या आदि में पाई गई थीं। कुछ विसंगतियों पर नीचे चर्चा की गई है:

- असम, गोवा, गुजरात, झारखण्ड, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान तथा लक्ष्मीप, (सात राज्य तथा एक सं.शा.क्षे.) के मामले में मॉ.सू.प्र. में प्रविष्ट की गई लाभार्थियों के जॉब कार्ड संख्या वास्तविक अभिलेखों से मेल नहीं खाती थीं। विवरण **अनुबंध-10घ** में दिए गए हैं।
- आन्ध्र प्रदेश, गोवा, केरल, महाराष्ट्र तथा नागालैंड (पाँच राज्यों) के मामले में मॉ.सू.प्र. में प्रविष्ट की निधि शेषों की स्थिति बैंक पासबुक तथा अन्य मूल अभिलेखों में प्रविष्ट शेषों से मेल नहीं खाती थी। विवरण **अनुबंध-10ड** में दिए गए हैं।
- बिहार, गोवा, गुजरात, झारखण्ड, केरल, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखण्ड तथा पुदुचेरी (नौ राज्यों तथा एक सं.शा.क्षे.) के मामले में मॉ.सू.प्र. में दर्ज रोजगार सृजन आंकड़े वास्तविक अभिलेखों में दिए गए आंकड़ों से मेल नहीं खाते थे। विवरण **अनुबंध-10च** में दिए गए हैं।
- असम, बिहार, गोवा, गुजरात, झारखण्ड, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा लक्ष्मीप, (सात राज्यों तथा एक सं.शा.क्षे.) के मामले में मॉ.सू.प्र. में दिए गए व्यय आंकड़ों तथा मासिक प्रगति रिपोर्ट में उपलब्ध आंकड़ों में विभिन्नता थी। इन मामलों के विवरण **अनुबंध-10छ** में दिए गए हैं।

डाटाबेस में की गई गलत प्रविष्टियों के अतिरिक्त, कई ऐसे मामले पाए गए थे जहाँ राज्य नियमित आधार पर डाटा की प्रविष्टि नहीं कर रहे थे। यह कमियां अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखण्ड, जम्मू एवं कश्मीर, मिजोरम, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, उत्तराखण्ड तथा दादर एवं नागर हवेली (11 राज्यों तथा एक सं.शा.क्षे.) में पाई गई थीं।

मॉ.सू.प्र. में डाटा की वास्तविकता को सुनिश्चित करने हेतु एक आवश्यक कदम वास्तविक अभिलेखों के साथ डाटा की पुनः जांच करने तथा पाई गई किसी भी गलती को सुधारने के लिए एक तंत्र स्थापित करना है। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल तथा पुदुचेरी (11 राज्यों तथा एक सं.शा.क्षे.) में प्रणाली में प्रविष्ट किए गए वास्तविक डाटा की मॉ.सू.प्र. का अद्यतन करने से पहले जांच नहीं की गई थी।

उपरोक्त कमियां के अतिरिक्त, मॉ.सू.प्र. में उपलब्ध डाटा की गुणवत्ता की नमूना जांच करते समय कई राज्य विशिष्ट मामले पाए गए थे। यह कमजोर नियंत्रण के स्पष्ट संकेतक हैं तथा मॉ.सू.प्र. में समाहित संपूर्ण डाटा की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लगाते हैं। सोफ्टवेयर की सू.प्र. लेखापरीक्षा से संबंधित अध्याय में प्रोग्रामिंग लाजिक तथा नरेगासोफ्ट के आंतिरिक नियंत्रणों से संबंधित मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई है। राज्य विशिष्ट कमियों से संबंधित विवरण **अनुबंध-10** में दिए गए हैं।

अच्छा अभ्यास: आन्ध्र प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक मर्स्टर तथा मापन प्रणाली

आन्ध्र प्रदेश सरकार ने मर्स्टर रोल्स में गम्भीर कमियों का निपटान करने हेतु, चरणबद्ध तरीके से, एक इलेक्ट्रॉनिक मर्स्टर तथा मापन प्रणाली (इ.म.मा.प्र.) प्रारम्भ की थी। सभी कार्यान्वयन कार्यकर्ताओं को “ऑन योअर मोबाइलकु योजना के अंतर्गत जी.पी.एस. - समर्थ मोबाइल फोन प्रदान किए थे तथा जी.पी.आर.एस. - इंटरनैट संयोजकता सहित क्लोस यूजर्स ग्रुप सिम भी प्रदान किए गए थे। ई-मर्स्टर हेतु मोबाइल आधारित अनुप्रयोग भी विकसित किया गया था- वि.स. द्वारा अपने मोबाइल फोन पर कार्यस्थल पर समूह-वार, कार्य-वार उपस्थिति लेना तथा म.रो. की तुरंत अपलोडिंग; ई-मापन - कार्यस्थल पर समूह-वार कार्य मापन लेना तथा मापनों की तुरंत अपलोडिंग; ई-मर्स्टर सत्यापन - निर्दिष्ट मर्स्टर सत्यापन अधिकारियों द्वारा उनके मोबाइल फोनों पर मर्स्टर तिथि की सत्यापन तथा सत्यापन डाटा की तुरंत अपलोडिंग; ई-जांच मापन - निर्दिष्ट जांच मापन अधिकारियों द्वारा उनके मोबाइल फोनों पर कार्य मापन का सत्यापन तथा तुरंत अपलोडिंग। इसके अतिरिक्त, फिंगरप्रिट आधारित बायो-मैट्रिक तथा जी.पी.एस. आधारित ई - म.मा.प्र. निजामाबाद जिले में कार्यान्वित की गई थी। जिसके द्वारा मोबाइल फोन के बजाए फिंगरप्रिट समर्थ उपकरणों के माध्यम से मर्स्टर उपस्थिति डाटा को दर्ज किया जा रहा था।

अनुशंसा:

भौतिक अभिलेखों का अभाव तथा ग्रा.पं. स्तर पर उनका गलत अनुरक्षण, योजना की उपलब्धियों के सत्यापन को एक अत्यधिक कठिन कार्य बनाता है; यह निधियों के दुर्विनियोजन के जोखिम को भी बढ़ाता है। ग्रा.पं. स्तर पर अभिलेख अनुरक्षण को सुव्यवस्थित बनाने की आवश्यकता है। अभिलेख अनुरक्षण को सभी स्तरों पर करीब से मॉनीटर किया जाना चाहिए तथा जारी की गई निधि को अभिलेखों के उचित अनुरक्षण से जोड़ा जाना चाहिए।

अध्याय 11


मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन क्रियाविधि

11.1 मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन ढांचा


दो लाख ग्रा.प. में मनरेगा के कार्यान्वयन के साथ पूरे देश में इसके कार्यान्वयन में शामिल निधियों की पर्याप्त राशि योजना की मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन को चुनौतीपूर्ण बनाती है। इसलिए योजना की एक संतुलित एवं प्रभावी मॉनीटरिंग, मूल्यांकन एवं समीक्षा क्रियाविधि होना अत्यावश्यक था। इसके अतिरिक्त, विभिन्न पण्धारियों द्वारा कार्यक्रम के निष्पादन में जवाबदेही तथा पारदर्शिता हेतु बढ़ी हुई माँग है।

अधिनियम तथा परिचालनात्मक दिशानिर्देश योजना के सभी स्तरों पर आंतरिक तथा बाह्य मॉनीटरिंग क्रियाविधियों की एक बहुशाखादार तथा विस्तृत प्रणाली की अभिकल्पना करते हैं। केन्द्र तथा राज्य स्तर पर मॉनीटरिंग क्रियाविधि को नीचे चार्ट-10 तथा 11 में अंकित किया गया है:

चार्ट-10: केन्द्र स्तर पर मॉनीटरिंग ढांचा



चार्ट-11: राज्य स्तर पर मॉनीटरिंग ढांचा



योजना के अंतर्गत मॉनीटरिंग, मूल्यांकन तथा समीक्षा से संबंधित लेखापरीक्षा निकार्हों पर नीचे चर्चा की गई है।

11.2 केन्द्रीय मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन

11.2.1 केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद (के.रो.गा.प.)

अधिनियम की धारा 10(1) में केन्द्र सरकार को केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद (के.रो.गा.प.) स्थापित करना अपेक्षित है। के.रो.गा.प. की भूमिका अधिनियम के कार्यान्वयन को मॉनीटर करने की होगी तथा योजना को सुधारने हेतु मंत्रालय को दिशाएं बताएंगी। तदनुसार, मंत्रालय ने सितम्बर 2006 में के.रो.गा.प. की स्थापना को अधिसूचित किया।

के.रो.गा.प. केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता के अंतर्गत कार्य करती है। इसमें भा.स. का संयुक्त सचिव या उपर के पद के 12 सरकारी सदस्य, राज्य सरकार के सचिव के पद के छः राज्य प्रतिनिधित्व तथा पंचायती राज संस्थानों, श्रमिक संगठनों तथा अहित समूहों का प्रतिनिधित्व कर रहे 15 तक गैर-सरकारी सदस्य शामिल हैं। के.रो.गा.प. के मुख्य कार्यों को नीचे बाक्स में सारांश दिया गया है।

अधिनियम के अनुसार के.रो.गा.प. के कार्य:

- (क) एक केन्द्रीय मूल्यांकन तथा मॉनीटरिंग प्रणाली स्थापित करना;
- (ख) अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित सभी मामलों पर केन्द्र सरकार को सलाह देना;
- (ग) समय-समय पर मॉनीटरिंग तथा निवारक क्रियाविधि की समीक्षा करना तथा अपेक्षित सुधारों की सिफारिश करना;
- (घ) अधिनियम के अंतर्गत योजनाओं के संबंध में सूचना के विस्तृत संभव प्रसार को उन्नत करना;
- (ड) अधिनियम के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग;
- (च) अधिनियम के कार्यान्वयन पर केन्द्र सरकार द्वारा संसद के पटल पर प्रस्तुत की जाने वाले वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना; तथा
- (छ) केन्द्र सरकार द्वारा सौंपे गए अन्य कर्तव्य अथवा कार्य।

आगे अधिनियम प्रावधान करता है कि केन्द्रीय परिषद को इस अधिनियम के अंतर्गत तैयार विभिन्न योजनाओं का मूल्यांकन करने का प्राधिकार होना चाहिए तथा इस उद्देश्य हेतु ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं योजना के कार्यान्वयन से संबंधित सांख्यिकियाँ एकत्रित करें।

अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत के.रो.गा.प. को एक केन्द्रीय मूल्यांकन तथा मॉनीटरिंग प्रणाली स्थापित करना अपेक्षित है। लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि पिछले छः वर्षों हेतु के.रो.गा.प. की बैठकें केन्द्रीय परिषद नियमावली, 2006 के अनुसार की गई थीं फिर भी परिषद द्वारा एक केन्द्रीय मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन प्रणाली स्थापित करने हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए थे।

मंत्रालय ने बताया कि केन्द्र स्तर पर मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन, वेब आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली तथा राष्ट्रीय सांस्थानिक नेटवर्क जिसमें आई.आई.टी., आई.आई.एम., कृषि विश्वविद्यालय, एन.आई.आई.टी., आई.सी.एस.एस.आर. तथा संबंधित संस्थान आदि शामिल हैं, द्वारा किए गए नियमित मूल्यांकन अध्ययनों के माध्यम से किया जा रहा था। मंत्रालय ने राज्यों/सं.शा.क्षे. द्वारा पी.आर.सी. बैठकों, क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों के दौरान तथा क्षेत्र अधिकारियों के दौरों के माध्यम से वेब आधारित मॉनीटरिंग सूचना प्रणाली पर डाले गए डाटा को दृढ़ता से मॉनीटर किया था तथा आगे, कार्य को मॉनीटर करने हेतु फील्ड दौरों के बाद विभिन्न संस्थानों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों को के.रो.गा.प. के सदस्यों के बीच बाँटा गया था।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अधिनियम के.रो.गा.प. को एक अलग निकाय के रूप में पंजीकृत करता है तथा परिषद को एक निजी मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन क्रियाविधि स्थापित करने हेतु अपेक्षित करता है। वर्तमान अभ्यास अधिनियम के अंतर्गत अभिकल्पित क्रियाविधि की प्रतिस्थायी नहीं हो सकती।

यह भी पाया गया था कि जहाँ तक योजना की मॉनीटरिंग का संबंध था परिषद ने बहुत ही सीमित भूमिका निभाई। परिषद के सदस्यों ने निष्पादन लेखापरीक्षा के अंतर्गत अवधि के दौरान छ: राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश (4), गुजरात (3), मध्य प्रदेश (2), ओडिशा (2), कर्नाटक (1) तथा राजस्थान (1) में कुल 13 फील्ड दौरे किए। व्यारै अनुबंध-11क में दिए गए हैं।

परिषद के सदस्यों द्वारा फील्ड दौरों से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा ने निम्नलिखित कमियाँ प्रकट की:-

1. कुल 13 दौरों (2010-11 के दौरान तीन दौरे तथा 2009-10 के दौरान 10) में से केवल दो राज्य सरकारों अर्थात् उत्तर प्रदेश (महोबा) तथा गुजरात (दाहोद) से अक्तूबर 2012 को कार्यवाही रिपोर्ट प्राप्त की गई थीं। यह इस तथ्य के बावजूद था कि सदस्यों ने अपनी फील्ड रिपोर्टों में अन्य गम्भीर अनियमितताओं के बीच संदिग्ध गबन के मामले इंगित किए। यह परिषद द्वारा अप्रभावी अनुसरण को दर्शाता है।
2. लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रक्रिया में मनमानी तरीके से तथा के.रो.गा.प. के कार्य के लिए सदस्यों द्वारा किए जाने वाले फील्ड दौरों हेतु राज्य के चयन, के लिए कोई परिभाषित कार्यप्रणाली अपनाई नहीं गई थी। परिषद ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के अपने उत्तर (मई 2012) में स्वीकार किया कि के.रो.गा.प. के सदस्यों के राज्यों के दौरों हेतु एक कार्यप्रणाली निर्धारित करने की आवश्यकता महसूस हुई थी। जैसा कि किए गए 13 फील्ड दौरों के विश्लेषण से सुस्पष्ट था कि सदस्य बार-बार विशेष राज्यों के दौरे कर रहे थे।
3. राज्य सरकारों द्वारा दौरों की रिपोर्ट अथवा इन दौरों पर कार्यवाही रिपोर्टों को आमतौर पर परिषद की बैठकों में चर्चा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया था।

उत्तर में, मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2012) कि परिषद के सदस्यों के प्रत्येक दौरे हेतु एक अलग फाईल का अनुरक्षण किया गया था। इन फाईलों में संबंधित राज्य सरकारों के साथ पत्राचार का अनुसरण शामिल है। के.रो.गा.प. के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों को राज्य सरकारों को शोधक उपायों सहित उनकी टिप्पणियों तथा कार्रवाई हेतु भेजा गया था। गम्भीर अनियमितताओं के मामले में, मंत्रालय जाँच तथा मंत्रालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु राष्ट्रीय स्तरीय परिविक्षकों (रा.स्त.प.) को नियुक्त करता था। मंत्रालय ने आगे बताया कि परिषद के सदस्यों द्वारा उजागर मामलों तथा फील्ड दौरों के दौरान उनकी अभ्युक्तियों की निष्पादन समीक्षा समिति (नि.स.स.) बैठकों में, क्षेत्र अधिकारी द्वारा फील्ड दौरों के दौरान, क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों, मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा दौरों तथा श्रम बजट पर अधिकृत समिति बैठकों में भी समीक्षा की गई थीं।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि यह के.रो.गा.प. को एक स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में पंजीकृत करने में विफल रहा तथा इसके अतिरिक्त, इसने पर्याप्त समय प्रदान किए जाने के बावजूद भी इन रिपोर्टों पर अंतिम कार्रवाई प्रदान नहीं की है।

उपरोक्त तथ्य ने प्रकट किया कि परिषद द्वारा एक उपयुक्त मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन क्रियाविधि विकसित नहीं की गई थी तथा अधिनियम के कार्यान्वयन की कोई सफल और कारगर मॉनीटरिंग प्रारम्भ नहीं की गई थी जिसने इस प्रकार उद्देश्य को विफल किया जिसके लिए परिषद की स्थापना की गई थी।

परिषद में पाई गई कमियों के कारण को, अंशतः कार्यकारी समिति (का.स.) के कार्य न करने को आरोपित किया जाए जैसा कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (केन्द्रीय परिषद) नियमावली 2006 में परिभाषित है। कार्यकारी समिति को परिषद के निर्णयों को लागू करना, अधिनियम के कार्यान्वयन की गुणवत्ता को सुधारने हेतु तकनीकी सहायता एवं सलाह के लिए विशेषज्ञ समूहों की नियुक्ति तथा परिषद के प्रशासनिक एवं वित्तीय मामलों को संभालना है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि का.स. गठित की गई थी फिर भी 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान समिति की केवल चार बैठकें की गई थीं। इसके पश्चात, समिति की कोई बैठक नहीं की गई थी जो कि केन्द्रीय परिषद नियमावली 2006 की धारा 10(2) के अंतर्गत अपेक्षित है। इस प्रकार, कार्यकारी समिति नियमावली के अनुसार कार्य नहीं कर रही थी। इसके अतिरिक्त, परिषद एक निकाय से वंचित रहा जो इसके निर्णय को लागू कर सकेगा।

परिषद का संबंधित परिणाम जिसमें प्रशासनिक सहायता नहीं है को इस तथ्य से देखा जा सकेगा कि के.रो.गा.प. के अपने स्वयं के वित्तीय मामलों का खराब प्रबंधन तथा मॉनीटरिंग थी। परिषद 2006-07 में इसको दिए ₹ पांच करोड़ के अपने प्रारम्भिक कोर्पस में से निधियों का उपयोग कर रही थी तथा इसके पश्चात उसने कभी वार्षिक अनुदानों की माँग नहीं की थी। परिषद ने अपने कार्य हेतु लेन-देनों को दर्ज करने के लिए रोकड़ बही का भी अनुरक्षण नहीं कर रही थी।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया (नवम्बर 2012) कि के.रो.गा.प. की कार्यकारी समिति गठित कर ली गई थी।

परिषद को अभिकल्पित सहायता के अभाव में, यह सुस्पष्ट था कि योजना की मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन में परिषद की भूमिका समग्र रूप से अपर्याप्त थी।

11.2.2 राष्ट्रीय स्तरीय परिवीक्षक (रा.स्त.प.)

गम्भीर प्रकृति की शिकायतों हेतु, मंत्रालय शिकायतों की जांच करने के लिए राष्ट्रीय स्तरीय परिवीक्षकों (रा.स्त.प.) को नियुक्त करता है। रा.स्त.प. की रिपोर्टों को शोधक कार्रवाई करने हेतु संबंधित राज्य सरकारों के साथ बाँटा जाता है।

मंत्रालय ने सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों तथा अकादमी सदस्यों जो एक सार्वजनिक कारण हेतु स्वैच्छिक सेवाएं प्रदान करने के इच्छुक थे, को शामिल करके रा.स्त.प. की प्रणाली विकसित की है। मूल आधार-'वाक्य था कि तीसरे दल स्वतंत्र परिवीक्षकों को शामिल करके निष्पक्ष तथा उद्देश्य मॉनीटरिंग को प्राप्त किया जा सकता है।

मंत्रालय ने रा.स्त.प. द्वारा मॉनीटरिंग हेतु आरूप अभिकल्पित किए थे। मंत्रालय ने रा.स्त.प. द्वारा निरीक्षण हेतु दिशानिर्देश भी तैयार किए थे। दिशानिर्देश बताते हैं कि सभी आवश्यक ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को मॉनीटर करने हेतु रा.स्त.प. को जिलों के त्रैमासिक दौरे करने चाहिए। यह अभिकल्पना की गई थी कि ऐसे प्रत्येक दौरे में लगभग 150 जिलों को शामिल किया जाना चाहिए। इसका यह मतलब होगा कि देश के सभी जिलों को एक वर्ष

में आवृत्त किया जा सकता था।

अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि रा.स्त.प. के माध्यम से केन्द्रीय स्तर पर नियमित मॉनीटरिंग में वर्ष 2008-09 से 2010-11 में देश के सभी जिलों को शामिल नहीं किया जा सका। देश में 622 जिलों, जहाँ मनरेगा को कार्यान्वित किया जा रहा था, में से रा.स्त.प. वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान क्रमशः केवल 171,225,251 तथा 479 जिलों को शामिल कर सका। ब्यौरे अनुबंध-11ख में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 2010-11 तक रा.स्त.प. द्वारा 18 राज्यों में 39 जिलों को एक बार भी आवृत्त नहीं किया गया था। विवरण अनुबंध-11ग में दिए गए हैं।

11.2.3 रा.स्त.प. की रिपोर्ट पर अप्रभावी अनुसरण कार्रवाई

केन्द्र स्तर पर, ग्रा.वि.मं. द्वारा प्राप्त शिकायतों की रा.स्त.प. द्वारा पूछताछ की जाती हैं जो अपनी रिपोर्ट ग्रा.वि.मं. को प्रस्तुत करते हैं। ग्रा.वि.मं. राज्य सरकारों को मामले की जांच करने तथा विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध करता है। निधियों के दुर्विनियोजन/मनरेगा के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार के संबंध में कुल 85 मामलों की फाईलों में से केवल 21 फाईलें लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराई गई थीं। यह पाया गया था कि आठ मामलों में, अक्तूबर 2012 को राज्य सरकार की ओर से रा.स्त.प. की रिपोर्टों पर कार्रवाई 13 से 46 महीनों के बीच तक विलम्बित थीं। सात मामलों में, अंतिम परिणाम/पथभ्रष्ट अधिकारियों के प्रति कार्रवाई प्रारम्भ करने अर्थात् वसूलियाँ, उपयुक्त प्र.सू.रि. दर्ज करने के संबंध में स्थिति 19 से 35 महीनों तक विलम्बित थी। छ: मामलों में शिकायतें गलत, असत्यापनीय थीं। मंत्रालय ने कोई समय सीमा भी निर्धारित नहीं की थी जिसके भीतर राज्य सरकारों द्वारा कार्रवाई की जानी थी।

कुल 21 मामलों में से 5 मामलों के प्रत्युत्तर में मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2013) कि इसने संबंधित राज्य सरकारों को कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे तथा अधिकांश मामलों में कार्रवाई रिपोर्ट अभी भी प्रतीक्षित थी।

मामला अध्ययन: उत्तर प्रदेश में रा.स्त.प. पूछताछ

जिला चन्दौली, उ.प्र. के श्री भरत सिंह तथा राजीव कुमार सिंह को मनरेगा के कार्यान्वयन में कुछ अनियमिताओं में उच्च स्तरीय पूछताछ के लिए अनुरोध किया गया। राष्ट्रीय स्तर परिपीक्षक (रा.स्त.प.) के रूप में श्री जी.आर. गुप्ता को अनियमिताओं की जांच करने हेतु 5-9 जुलाई 2010 के दौरान नियुक्त किया गया था।

रा.स्त.प. ने जाँच की तथा बताया कि शिकायतें गलत थीं। तथापि जुलाई 2010 को श्री भरत ने एक प्रस्तुतीकरण किया जिसमें रा.स्त.प. श्री गुप्ता के निष्कर्षों पर आपत्तियाँ उठाई तथा आरोपित किया कि रा.स्त.प. ने दुर्भावनापूर्ण इरादे के साथ सूचित किया था तथा रिश्वत ले कर गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

इसके पश्चात 20-24 दिसम्बर 2010 से मामले की ताजा जांच करने हेतु एक दल ((i) परामर्शी कार्य, मनरेगा प्रभाग, ग्रा.वि.मं. (ii) रा.स्त.प. तथा (iii) व.उपायुक्त, ग्रा.वि. प्रभाग, उ.प्र. सरकार) को नियुक्त किया गया था। 10 में से, दल ने सात आरोपों का सही तथा तीन का गलत होना पाया।

चूंकि वित्तीय अनियमिताएं रथायी थीं इसलिए, मंत्रालय ने 20 मार्च 2012 को फिर से राज्य सरकार से स्पष्टीकरण की माँग की कि क्या उनके प्रति जो दोषी पाए गए थे राशि की वसूली के अतिरिक्त आपराधिक कार्यवाही तथा विभागीय जांच प्रारम्भ की गई थी।

चूंकि राज्य सरकार ने जिम्मेदार अधिकारियों के प्रति या तो एफ.आई.आर. दर्ज करके या फिर विभागीय जांच प्रारम्भ करके कोई कार्रवाई नहीं की थी इसलिए मंत्रालय ने 13 सितम्बर 2012 को राज्य सरकार को फिर से जल्द से जल्द कार्रवाई करने तथा नई का.रि. प्रस्तुत करने को कहा। तथापि, अक्टूबर 2012 तक कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

इस प्रकार, रा.स्त.प. ने प्रारम्भ में न केवल अविश्वसनीय रिपोर्ट प्रस्तुत की थी बल्कि नई जांच रिपोर्ट की प्राप्ति से एक वर्ष तथा नौ महीनों के बीत जाने के पश्चात भी राज्य सरकार की ओर से लम्बित थी। मंत्रालय ने भी अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत राज्य सरकार को निर्देश जारी करने के मामले में, मंत्रालय ने भी प्रभावी उपाय नहीं किए थे।

11.2.4 राष्ट्रीय गुणवत्ता परिवीक्षकों (रा.गु.प.) द्वारा मॉनीटरिंग

योजना के परिचालनात्मक दिशानिर्देशों (पैरा 10.3.2) में निर्धारित मॉनीटरिंग पद्धतियों के अनुसार, सत्यापन तथा गुणवत्ता लेखापरीक्षा को बाह्य परिवीक्षकों द्वारा भी किया जाना चाहिए। बाह्य परिवीक्षकों को केन्द्र, राज्य तथा जिला स्तरों पर मॉनीटरिंग करना अपेक्षित है। इस उद्देश्य हेतु राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय गुणवत्ता परिवीक्षकों (रा.गु.प.) को केन्द्रीय परिषद की स्वीकृति सहित ग्रा.पि.मं. द्वारा पदनामित किया जाना था।

मंत्रालय ने बताया कि उसने नरेगस के कार्यान्वयन में प्रक्रिया के स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन के साथ-साथ कार्यों की गुणवत्ता मॉनीटरिंग के संचालन के लिए रा.स्त.प. की नियुक्ति की थी।

उत्तर यह जानने के लिए विफल रहा कि रा.गु.प. विशिष्ट उद्देश्य अर्थात् मनरेगस के अंतर्गत गुणवत्ता लेखापरीक्षा के लिए नियुक्त किए जाते थे। रा.स्त.प. प्रणाली का प्रारंभ मुख्यतः प्राप्त शिकायतों को देखने तथा जिला के दौरे के समय मंत्रालय द्वारा संचालित सभी योजना की सामान्य मॉनीटरिंग करने के उद्देश्य से किया गया था। रा.स्त.प. को न ही कार्यों की गुणवत्ता लेखापरीक्षा करना अपेक्षित था और न ही गतिविधि के लिए कोई प्रतिमान नियत किए गए थे। इसलिए, रा.स्त.प. प्रणाली रा.गु.प. के लिए प्रतिस्थापी नहीं थी जिसे परिचालनात्मक दिशानिर्देशों के अंतर्गत विशिष्ट कार्य करना आवश्यक था।

11.3 राज्य स्तरीय मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन

जैसा कि चार्ट-11 में पाया गया कि राज्य तथा कार्यान्वयन स्तर पर योजना के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग राज्य रोजगार गारंटी परिषद, राज्य गुणवत्ता परिवीक्षकों, कार्यों का अनिवार्य आंतरिक सत्यापन, सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समितियों (स.मॉ.स.) तथा सामाजिक लेखापरीक्षाओं द्वारा की जानी थी। राज्यों में मॉनीटरिंग क्रियाविधि में पाई गई कमियों पर नीचे चर्चा की गई है।

11.3.1 राज्य रोजगार गारंटी परिषद (रा.रो.गा.प.)

अधिनियम राज्य स्तर पर योजना के कार्यान्वयन की नियमित मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन हेतु राज्य रोजगार गारंटी परिषद (रा.रो.गा.प.) की स्थापना निर्धारित करता है। राज्य में रा.रो.गा.प. की भूमिका केन्द्र में के.रो.गा.प. की भूमिका के अनुस्तुप है।

रा.रो.गा.प. की भूमिका तथा कार्य हैं:

- क) योजना तथा इसके कार्यान्वयन से संबंधित सभी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना;
- ख) प्रस्तुत कार्यों का निर्धारण करना;
- ग) मॉनीटरिंग एवं सुधारक क्रियाविधियों की समीक्षा करना तथा सुधारों की सिफारिश करना;
- घ) अधिनियम तथा योजनाओं के संबंध में सूचना के प्रसार को बढ़ावा देना;
- ङ) अधिनियम के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग तथा केन्द्रीय परिषद के साथ समन्वय करना;
- च) राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाले वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना; तथा
- छ) केन्द्रीय परिषद अथवा राज्य सरकार द्वारा इसको सौंपे गए अन्य कोई कर्तव्य अथवा कार्य आदि।

परिषद के पास राज्य में परिचलित योजनाओं का मूल्यांकन करने का अधिकार होगा तथा इस उद्देश्य हेतु ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा राज्यों में योजनाओं एवं कार्यक्रमों से संबंधित सांख्यिकियों को एकत्रित करना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि सभी राज्यों ने रा.रो.गा.प. की स्थापना की थी फिर भी रा.रो.गा.प. के कार्यों में निम्नलिखित कमियाँ पाई गई थीं:

1. 10 राज्यों अर्थात् गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, कर्नाटक, मिजोरम, पंजाब, सिक्किम, उत्तराखण्ड तथा पश्चिम बंगाल में रा.रो.गा.प. निर्धारित अवधि के भीतर स्थापित नहीं की गई थीं। दादरा एवं नागर हवेली सं.शा.क्षे. ने दिसम्बर 2012 तक परिषद की स्थापना नहीं की थी।
2. कर्नाटक तथा महाराष्ट्र की रा.रो.गा.प. ने क्रमशः 2006-07 से 2011-12 तथा 2008-09 से 2009-10 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किए। इन प्रतिवेदनों को राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था।

अपने उत्तर में, मंत्रालय ने बताया कि रा.रो.गा.प. के प्रभावी कार्यों पर सलाहकार सभी राज्यों/सं.शा.क्षे. को जारी कर दिए गए थे तथा रा.रो.गा.प. के कार्य निष्पादन समीक्षा समिति (नि.स.स.) बैठकों तथा मंत्रालय द्वारा की गई क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों में समीक्षा हेतु एक नियमित कार्यसूची मद्दें थी।

11.4 फील्ड स्तर पर कार्यों का आंतरिक सत्यापन

परिचालनात्मक दिशानिर्देशों के पैरा 10.3.1 के अनुसार, निम्नलिखित त्रैमासिक लक्ष्यों को सरकारी कार्यकर्ताओं द्वारा फील्ड स्तर पर कार्यों के आंतरिक सत्यापन हेतु निर्धारित किया गया था:

- ब्लाक स्तर पर 100 प्रतिशत कार्यों
- जिला स्तर पर 10 प्रतिशत कार्यों
- राज्य स्तर पर दो प्रतिशत कार्यों

लेखापरीक्षा विश्लेषण ने प्रकट किया कि सात राज्यों तथा एक सं.शा.क्षे. अर्थात् अस्साचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश तथा पुदुचेरी में निरीक्षणों के संबंध में, जैसा ऊर वर्णित किया गया है, अभिलेख अनुरक्षण में कमियां थीं। और **अनुबंध-11घ** में दिए गए हैं। उचित अभिलेखों के अभाव में आंतरिक सत्यापन के संबंध में उपलब्धि को सत्यापित करना संभव नहीं था।

इसके अतिरिक्त, 11 राज्यों में, दिशानिर्देशों में निर्धारित लक्ष्यों, जैसे ऊर वर्णित किया गया है, के संबंध में कार्यों के निरीक्षणों में कमियां थीं कमी राज्य स्तर पर 82 और 100 प्रतिशत के बीच जिला स्तर पर 37 और 76 प्रतिशत तथा ब्लाक स्तर पर 2 और 71 प्रतिशत के बीच थी जैसा कि **अनुबंध-11ड** में ब्यौरे दिए गए हैं।

मंत्रालय ने बताया कि कार्य की भौतिक स्थिति को सत्यापित करने हेतु, स्वीकृत योजना एवं अनुमान के अनुसार कार्य के निष्पादन का निर्धारण करने हेतु, मशीनों के उपयोग की जाँच तथा ठेकेदारों की नियुक्ति आदि हेतु मनरेगा कार्यों की गणना आन्ध्र प्रदेश (विजियानगरम), मध्य प्रदेश (उमारिया), ओडिशा (देवगढ़) तथा राजस्थान (सिरोही) प्रत्येक में एक जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (रा.ग्रा.वि.सं.) द्वारा प्रारम्भ की गई थी।

मंत्रालय का उत्तर कार्यों के आंतरिक सत्यापन के मामले का निपटान नहीं करता है। आगे, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा किया गया अध्ययन केवल चार जिलों में था।

11.5 राज्य तथा जिला गुणवत्ता परिवेक्षकों की नियुक्ति

सत्यापन तथा गुणवत्ता लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए, राज्य स्तर पर राज्य गुणवत्ता परिवेक्षकों (रा.गु.प.) को राज्य परिषद की स्वीकृति सहित, राज्य सरकार द्वारा पदनामित किया जाना था। प्रत्येक जिले को भी राज्य सरकार की स्वीकृति से जिला गुणवत्ता परिवेक्षकों (जि.गु.प.) की पहचान करनी थी (परिचालनात्मक दिशानिर्देशों का पैरा 10.3.2)।

अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि छ: राज्यों अर्थात् अस्साचल प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, मिजोरम, नागालैंड तथा तमिलनाडु में रा.गु.प. तथा जि.गु.प. नियुक्त नहीं किया गया था जबकि अन्य तीन राज्यों अर्थात् असम, कर्नाटक तथा मेघालय में रा.गु.प. की नियुक्ति नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त जम्मू एवं कश्मीर (पूँछ जिले में), उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में जि.गु.प. नियुक्त नहीं किए गए थे।

मंत्रालय ने बताया कि राज्यों में गुणवत्ता मॉनीटरिंग प्रणाली की समीक्षा नि.स.स. की बैठकों में की गई थीं। 15-16 अक्टूबर 2012 को हुई नि.स.स. की बैठक में सभी राज्यों को गुणवत्ता मॉनीटरिंग प्रणाली को आगे बढ़ाने तथा सभी रा.गु.प. की रिपोर्टों को वैबसाईट पर डालने के निर्देश दिए गए थे।

योजना के कार्यान्वयन के सात वर्षों के पश्चात भी रा.गु.प. तथा जि.गु.प. के माध्यम से मॉनीटरिंग की प्रक्रिया, प्रभावी नहीं थी।

11.6 सतर्कता तथा मॉनीटरिंग समितियां

परिचालनात्मक दिशानिर्देशों के पैरा 10.1.2 के अनुसार, योजना के अंतर्गत स्वीकृत प्रत्येक कार्य हेतु कार्य, जब यह प्रगति में था, की प्रगति तथा गुणवत्ता को मॉनीटर करने के लिए आस-पास अथवा ग्राम के नौ सदस्यों से बनी एक स्थानीय सतर्कता तथा मॉनीटरिंग समिति (स.मा.स.) होनी चाहिए। ग्राम सभाओं को समिति के सदस्यों का

चुनाव करना था तथा कार्यक्रम अधिकारी यह सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी थे कि स्थानीय स.मा.स. गठित थीं। समिति की अंतिम रिपोर्ट को कार्य समापन प्रमाणपत्र के साथ संलग्न किया जाना अपेक्षित था।

यह पाया गया कि छ: राज्यों में 24 प्रतिशत जांच किए गए ग्रा.पं., जहाँ कार्य प्रगति में था, (अनुबंध-11च में स.भा.स. नियुक्त नहीं की गई थी। आन्ध्र प्रदेश, बिहार तथा ओडिशा के मामले में, अधिकांश सभी नमूना जांच की गई ग्रा.पं. में स.मा.स. गठित नहीं की गई थीं।

इसके अतिरिक्त, गोवा (परनेम ब्लॉक) तथा दादरा एवं नागर हवेली में, स.मा.स. रिपोर्ट कार्य समापन रिपोर्ट के साथ उपलब्ध नहीं थीं। इसलिए, इन क्षेत्रों में स.मा.स. के कार्य संदेहास्पद थे।

11.7 पारदर्शिता तथा जवाबदेही

उपरोक्त अतिरिक्त मॉनीटरिंग क्रियाविधियों के अतिरिक्त अधिनियम तथा दिशानिर्देश योजना के कार्यान्वयन में परिवद्धित पारदर्शिता तथा जवाबदेही हेतु क्रियाविधियों का एक अलग सेट स्थापित करना भी अनिवार्य करते थे। इनका नीचे तालिका में सार दिया गया है:

तालिका 17: पारदर्शिता तथा जवाबदेही

सक्रिय प्रकटीकरण	सामाजिक लेखापरीक्षा	शिकायत निवारण	नागरिक घोषणापत्र
केन्द्र तथा राज्यों/ सं.शा.क्षे. में क्रमशः संसद तथा राज्य विधान सभाओं में प्रस्तुत की जाने वाले निष्कर्षों पर वार्षिक प्रतिवेदन	मनरेगा के अंतर्गत ग्रा.पं. द्वारा किए गए सभी कार्यों तथा गतिविधियों की सामाजिक लेखापरीक्षाएं	ब्लाक तथा जिला स्तर पर स्थापित किए जाने वाला एक शिकायत निवारण सैल जिसे लोकपाल द्वारा मानीटर किया जाना था	कार्यान्वयन में शामिल अधिकारियों के निष्पादन के मानकों को तय करना

11.8 सामाजिक लेखापरीक्षा

मनरेगा निरंतर सार्वजनिक जवाबदेही के माध्यम के रूप में सामाजिक लेखापरीक्षाओं को एक केन्द्रीय भूमिका प्रदान करता है। अधिनियम की धारा 17 ग्राम सभाओं को ग्राम पंचायत के भीतर प्रारम्भ योजनाओं के अंतर्गत सभी परियोजनाओं की नियमित सामाजिक लेखापरीक्षाओं हेतु अपेक्षित करता है। इसके अतिरिक्त, परिचालनात्मक दिशानिर्देश की धारा 12.4.1 के अंतर्गत ग्राम सभा को सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया के भाग के रूप में आवधिक सभाओं का आयोजन करना अपेक्षित है। इसे “सामाजिक लेखापरीक्षा अदालत” के रूप में संदर्भित किया गया है। दिशानिर्देशों के अनुसार, इन अदालतों का प्रत्येक छ: माह में कम से कम एक बार आयोजन किया जाना है तथा अनिवार्य न्यूनतम कार्यसूची के अनुसार सामाजिक लेखापरीक्षा की जानी है। परिचालनात्मक दिशानिर्देश यह भी अपेक्षित करते हैं कि दिनांक, समय तथा कार्यसूची के संबंध में विस्तृत प्रचार किया जाना चाहिए तथा सामाजिक लेखापरीक्षा को सभी अभिलेख उपलब्ध कराने चाहिए। कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी सभी अधिकारियों को ग्राम सभा के सदस्यों से प्रश्नों का उत्तर देने हेतु सामाजिक लेखापरीक्षा अदालत में उपस्थित होना चाहिए।

11.8.1 सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई

मंत्रालय ने योजना नियमावली 2011 की मनरेगा लेखापरीक्षा को अधिसूचित करके सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु प्रावधानों की सुदृढीकरण किया। यह नियमावली राज्य सरकारों को ग्राम सभाओं द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा करने को सुविधा प्रदान करने हेतु एक स्वतंत्र संगठन नामतः सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई की पहचान अथवा स्थापना अपेक्षित करती हैं। सामाजिक लेखापरीक्षा इकाईयों के कार्य थे:

- सामाजिक लेखापरीक्षा करने हेतु ग्राम सभाओं की क्षमताओं का निर्माण, सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया हेतु सामाजिक लेखापरीक्षा रिपोर्टिंग प्रारूपों, संसाधन सामग्री, दिशानिर्देशों तथा नियमपुस्तिकाओं को तैयार करना;
- श्रमिकों में अधिनियम के अंतर्गत उनके अधिकारों तथा पात्रताओं के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करना;
- प्राथमिक पण्धारियों तथा कार्य स्थलों पर अभिलेखों के सत्यापन को सुविधा प्रदान करना;
- ग्राम सभाओं द्वारा जांच करने तथा उचित चर्चाओं के पश्चात निर्णयों को अंतिम रूप देने हेतु सुगम सामाजिक लेखापरीक्षा करने की सुविधा प्रदान करना; तथा,
- सार्वजनिक क्षेत्र में कार्रवाई रिपोर्टें सहित सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की मेजबानी करना।

लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया था कि 10 राज्यों और चार सं.शा.क्षे. अर्थात अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, हरियाणा, मेघालय, नागालैंड, तमिलनाडु, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, दादरा एवं नागर हवेली, लक्ष्मीप तथा पुदुचेरी राज्य सरकारों ने इन सामाजिक लेखापरीक्षा इकाईयों को गठित नहीं किया था।

ओडिशा के मामले में, सामाजिक लेखापरीक्षा को सुविधा प्रदान करने हेतु राज्य सरकार ने अप्रैल 2012 में एक स्वायत्त समिति नामतः ओडिशा सामाजिक लेखापरीक्षा, जवाबदेही तथा पारदर्शिता समिति (ओ.सा.ले.प.ज.पा.स.) गठित की थी, जबकि सिक्किम के मामले में सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई से संबंधित कार्य को गै.स.सं. को सौंपा गया था।

सामाजिक लेखापरीक्षा करने में इंगित की कमियों के प्रत्युत्तर में, मंत्रालय ने बताया कि उसने जुलाई 2012 में सभी उत्तर-पूर्वी राज्यों को मनरेगा कार्यों की सामाजिक लेखापरीक्षा एक विस्तृत परामर्शी जारी की थी। मंत्रालय ने अगस्त 2012 में सभी राज्यों/सं.शा.क्षे. को सामाजिक लेखापरीक्षा इकाईयों की स्थापना करने को भी लिखा था।

11.8.2 सामाजिक लेखापरीक्षा करने में कमी

जैसा पाया गया, कि ग्राम सभा को ग्रा.प. में योजना के अंतर्गत सभी परियोजनाओं/निर्माण कार्यों की नियमित सामाजिक लेखापरीक्षा करनी थी। लेखापरीक्षा में यह पाया गया था कि 11 राज्यों और एक सं.शा.क्षे. में, सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिमानों के अनुसार नहीं की गई थी जिसका परिणाम कमी में हुआ। विवरण **अनुबंध-11** में दिए गए हैं।

मंत्रालय ने उत्तर दिया कि उसने राज्यों/सं.शा.क्षे. को सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई के संस्थापन हेतु मनरेगा के अंतर्गत प्रशासनिक प्रभार हेतु छः प्रतिशत की स्वीकार्य सीमा के भीतर एक प्रतिशत का व्यय करने की अनुमति प्रदान की थी (अगस्त 2012)।

11.8.3 सामाजिक लेखापरीक्षा अदालत बैठकों हेतु प्रावधानों की गैर-अनुपालना

परिचालनात्मक दिशानिर्देश के पैरा 12.5.2 के अनुसार, सामाजिक लेखापरीक्षा अदालत को अपनी बैठकों, जिसकी अध्यक्षता पंचायत अध्यक्ष अथवा वार्ड सदस्य द्वारा नहीं की जानी चाहिए, की अध्यक्षता करने हेतु पंचायत के बाहर से एक व्यक्ति का चयन करना चाहिए। अदालत का सचिव ग्रा.पं. के बाहर से कर्मचारी होना चाहिए।

लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया था कि इन प्रावधानों को केरल 34 ग्रा.पं. तथा ओडिशा में एक ग्रा.पं. (केटूआपल) के संबंध में नहीं पाया गया था।

11.8.4 सामाजिक लेखापरीक्षाओं पर की गई कार्रवाई

परिचालनात्मक दिशानिर्देशों के पैरा 11.5 के अनुसार सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों सहित सभी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की एक प्रति तत्काल कार्रवाई को सुनिश्चित करने हेतु संबंधित राज्य सरकार को भेजी जानी थी।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि दो राज्यों और एक सं.शा.क्षे. नामतः हरियाणा, ओडिशा तथा अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में 163 ग्रा.पं. में कार्रवाई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी। इसके अतिरिक्त, हरियाणा तथा अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में सभी नमूना जांच की गई ग्रा.पं. में सामाजिक लेखापरीक्षा पर कार्रवाई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी।

मामला अध्ययन: झारखण्ड में सामाजिक लेखापरीक्षा पर की गई कार्रवाई

डी.आर.डी.ए., पश्चिम बंगाल सिंहभूम की सामाजिक लेखापरीक्षा के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि जुलाई तथा अगस्त 2009 के दौरान की गई सामाजिक लेखापरीक्षा में जाली मस्टर रोलों को तैयार करने के प्रभारों तथा मजदूरियों के गैर-भुगतान को विभिन्न अधिकारियों के प्रति बराबर किया गया था। बाद में प्रभारों को जिला कार्यक्रम समन्वयकर्ता द्वारा गठित विशेष जांच दल (वि.जां.द.) द्वारा साबित किया गया था। इसके अतिरिक्त, वि.जा.द. की रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात तीन दोषी अधिकारियों पर कुल ₹ 1000 प्रत्येक के जुर्माने का उद्ग्रहण किया गया था। जि.का.स. ने दो संबंधित अधिकारियों के निलम्बित करने की सिफारिश भी की। तथापि, दोषी अधिकारियों से राशि की वसूली की गई थी। इसके अतिरिक्त संबंधित नियंत्रण विभाग को फार्मट K (आरोप-पत्र तैयार करने के लिए अपेक्षित) प्रस्तुत नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर जिला विकास आयुक्त पश्चिम सिंहभूम ने बताया (जून 2012) कि संबंधित व्यक्तियों से राशि वसूलने हेतु कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई थी।

11.8.5 जिला आंतरिक लेखापरीक्षा सैल

परिचालनात्मक दिशानिर्देश के पैरा 11.3.6 के अनुसार ग्राम सभा द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा की रिपोर्टों की प्रक्रिया हेतु ग्राम सभा की रिपोर्टों की संवीक्षा करने तथा यदि आवश्यक हो, तो विशेष लेखापरीक्षा करने के कार्यालय जिला कार्यक्रम समन्वयकर्ता (जि.का.स.) में एक जिला आंतरिक लेखापरीक्षा सैल का गठन किया जाना था।

नौ राज्यों और दो सं.शा.क्षे. में 32 प्रतिशत नमूना जांच किए गए जिलों में सामाजिक लेखापरीक्षा अभिलेखों की जांच करने हेतु आंतरिक सैल गठित नहीं किया गया था जैसा कि अनुबंध-11ज में व्यौरे दिए गए हैं। यह भी पाया गया कि चार राज्यों और दो सं.शा.क्षे. (बिहार, झारखण्ड, मणिपुर, ओडिशा, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह तथा पुदुचेरी) में किसी भी नमूना जांच किए गए जिलों में आंतरिक लेखापरीक्षा सैल गठित नहीं किया गया था।

इन राज्यों/सं.शा.क्षे. द्वारा प्रावधानों की गैर-अनुपालना, जैसा कि ऊर दर्शाया गया है, ने निरंतर सार्वजनिक सतर्कता तथा पारदर्शिता एवं जवाबदेही को सुनिश्चित करने हेतु एक माध्यम के रूप में सामाजिक लेखापरीक्षा की भूमिका पर गम्भीर सीमाएं लगाती हैं।

11.9 शिकायत निवारण क्रियाविधि

अधिनियम की धारा 19 के अनुसार, राज्य सरकारों को जिला तथा ब्लाक स्तरों पर उपयुक्त शिकायत निवारण क्रियाविधि निर्धारित करनी है। दिशानिर्देश कार्यक्रम अधिकारी (का.अ.) तथा जिला कार्यक्रम समन्वयकर्ता (जि.का.स.) को क्रमशः ब्लाक तथा जिला स्तरों पर शिकायत निवारण अधिकारी होना अपेक्षित करते हैं। शिकायतों की पावती दी जानी है तथा याचिकाकार्ता को निपटान सूचित किया जाना है। शिकायत निवारण के ब्यौरों को साप्ताहिक आधार पर इंटरनेट पर डाला जाना है। इसके अतिरिक्त, सितम्बर 2009 में, भा.स. ने सभी राज्यों/सं.शा.क्षे. की तीन महीने के अंतर्गत मनरेगा संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु एक स्वतंत्र क्रियाविधि के रूप में लोकपाल कार्यालयों की स्थापना के निर्देश दिए।

11.9.1 शिकायतों के निपटान में विलम्ब

लेखापरीक्षा ने पाया कि सात राज्यों, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में प्राप्त कुल शिकायत मामलों के 17 प्रतिशत निपटान हेतु लंबित थे जैसा कि अनुबंध-11ज्ञ में ब्यौरे दिए गए हैं। आगे आन्ध्र प्रदेश में वर्ष 2009 के दो मामले तथा वर्ष 2010 के 64 मामले अभी भी लंबित थे तथा पंजाब में शिकायतों के निपटान में विलम्ब 1 से 673 दिनों के बीच पाए गए थे।

11.9.2 लोकपाल की गैर-नियुक्ति

अधिनियम की धारा 27 के अनुसार मंत्रालय ने राज्यों/सं.शा.क्षे. को आदेश की तिथि से तीन महीनों के भीतर एक जिले में लोकपाल के रूप में एक अथवा अधिक व्यक्ति, परंतु तीन से अधिक नहीं, की नियुक्ति हेतु निर्देश (सितम्बर 2009) दिए थे। लोकपाल एक स्वतंत्र शिकायत जांच प्राधिकारी होना था जो दोषी दलों के प्रति मौके पर जांच, एफ.आई.आर. दर्ज करने के साथ-साथ निवारण, अनुशासनिक तथा दण्डात्मक कार्रवाई का निर्देश देने हेतु प्राधिकृत है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि दो राज्यों और दो सं.शा.क्षे., अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दादरा एवं नागर हवेली तथा पुदुचेरी सरकारों ने लोकपाल की नियुक्ति नहीं की थी। असम के 27 जिलों में से 12, हरियाणा के 21 जिलों में से सात तथा मेघालय के सात जिलों में से एक में लोकपाल की नियुक्ति नहीं की गई थी। जम्मू एवं कश्मीर में, पूछ जिले में लोकपाल नियुक्त नहीं किया गया था। इसी प्रकार, बिहार में राज्य सरकार ने 38 जिलों में से केवल 13 जिलों में लोकपाल की नियुक्ति की थी। केरल तथा त्रिपुरा सरकार ने क्रमशः मई तथा जून 2012 में लोकपाल नियुक्ति किया। उपरोक्त राज्यों में लोकपाल की गैर-नियुक्ति/विलम्बित नियुक्ति ने शिकायत निवारण क्रियाविधि तथा योजना के कार्यान्वयन से संबंधित शिकायतों के निपटान को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (नवम्बर 2012) कि असम ने 27 जिलों में से 22 में लोकपाल की नियुक्ति की है परंतु यह पाया गया था कि अधिसूचना दिनांक 15 नवम्बर 2011 के अनुसार, केवल 12 जिलों में लोकपाल की नियुक्ति की गई थी।

11.10 नागरिक घोषणा पत्र

परिचालनात्मक दिशानिर्देशों के पैरा 11.6 के अनुसार एक प्रारूप नागरिक घोषणा पत्र विकसित किया जाना था जिसमें अधिनियम के अंतर्गत पंचायतों तथा कर्मचारियों के कर्तव्यों के सभी पहलुओं को शामिल किया गया हो। नागरिक घोषणापत्र को अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन में सम्मिलित विशिष्ट चरणों का वर्णन करना चाहिए तथा संबंधित पंचायतों तथा अधिकारियों पर इन प्रावधानों द्वारा अनिवार्य न्यूनतम सेवा स्तरों को निर्धारित करना चाहिए।

तथापि, अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि आठ राज्यों और एक सं.शा.क्षे. अर्थात् असम, हरियाणा, झारखण्ड, मणिपुर, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, पश्चिम बंगाल तथा दादरा एवं नागर हवेली राज्य सरकारों ने अभी भी नागरिक घोषणापत्र विकसित नहीं किया था तथा परिणामस्वरूप इन राज्यों में मनरेगा को अब तक र.सा.सं. तथा कार्यान्वयन अभिकरणों के निष्पादन हेतु विशिष्ट कर्तव्यों तथा समय सीमाओं के बिना कार्यान्वित किया गया था।

अच्छा अभ्यास: आन्ध्र प्रदेश

आन्ध्र प्रदेश सरकार ने हाल में (जनवरी 2012) एक परिपत्र जारी किया था जिसमें विभिन्न कार्यों की समाप्ति हेतु समय सीमाओं, उत्तरदायी कार्यकर्ताओं तथा विलम्ब का हिसाब लगाने हेतु प्रारम्भ एवं समाप्ति तिथियों के परिकलन हेतु पद्धति का व्यौरा दिया गया है। विनिर्दिष्ट अवधि से अधिक विलम्ब के मामले में, कार्यकर्ताओं से विलम्बित मजदूरियों का 0.3 प्रतिशत प्रति दिन वसूला जाना था तथा अपने आप श्रमिकों को अंतरित किया जाएगा; वसूलियों को कटौतियों की सूची की प्राप्ति के 24 घण्टों के भीतर परियोजना निदेशक, जिला जल प्रबंधन अभिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

2013 की प्रतिवेदन सं. 6

11.11 प्रभाव निर्धारण

परिचालनात्मक दिशानिर्देश के पैरा 10.4 के अनुसार, मनरेगा हेतु व्ययों को कुछ परिणामों में बदला जाना था। परिणामों का निर्धारण करने हेतु विनिर्दिष्ट मनरेगा कार्यों के नियमित मूल्यांकन तथा नमूना सर्वेक्षण किए जाने थे। रा.रो.गा.प. द्वारा मनरेगा निर्धारण मापदण्ड सहित मूल्यांकन अध्ययनों हेतु विस्तृत दिशानिर्देश तैयार किए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त, रा.रो.गा.प. को प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से अपनी स्वयं की मूल्यांकन प्रणाली विकसित करनी चाहिए तथा अन्य अभिकरणों द्वारा किए मूल्यांकनों की समीक्षा करनी चाहिए (परिचालनात्मक दिशानिर्देशों का पैरा 10.4.4)। के.रो.गा.प. द्वारा स्वीकृत पैमानों पर अभिकरणों के माध्यम से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मूल्यांकन अध्ययनों के निष्कर्षों को रा.रो.गा.प., जिला पंचायतों तथा अन्य संस्थानों द्वारा शोधक कार्रवाई प्रारम्भ करने हेतु उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, परिषद को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने हेतु राज्य में मनरेगा के कार्यान्वयन पर एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना चाहिए।

जैसा कि पहले (पैरा 11.2.1) चर्चा की गई है कि केन्द्र स्तर पर, के.रो.गा.प. न केवल एक केन्द्रीय मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन क्रियाविधि स्थापित करने हेतु बल्कि वास्तव में योजना के कार्यान्वयन को मॉनीटर करने हेतु

उत्तरदायी है। यह पाया गया था कि परिषद ने अपने अस्तित्व के छः वर्षों के बावजूद भी एक केन्द्रीय मूल्यांकन तथा मॉनीटरिंग प्रणाली स्थापित करने के कोई कदम नहीं उठाए हैं। के.रो.गा.प. ने मूल्यांकन करने हेतु पैरामीटर निर्धारित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए थे, जैसा कि दिशानिर्देशों में अपेक्षित है।

मंत्रालय ने उत्तर दिया कि इसके प्रतिच्छित संस्थानों के माध्यम से प्रभाव निर्धारण/ मूल्यांकन अध्ययन किए थे तथा ऐसे 50 अध्ययनों की सूची प्रेषित की थी।

तथापि, के.रो.गा.प. द्वारा केन्द्रीय मूल्यांकन तथा मॉनीटरिंग प्रणाली का एक राष्ट्रीय महत्व होना था तथा किसी भी अध्ययन ने पूर्ण देश को आवृत्त नहीं किया था न ही योजना के प्रभाव का निर्णय करने हेतु उनके एकरूप उद्देश्य अथवा एकरूप मापदण्ड भी नहीं थे। यह अध्ययन भी मंत्रालय द्वारा अधिकृत थे तथा न की के.रो.गा.प. द्वारा।

लेखापरीक्षा के दौरान यह भी देखा गया था कि रा.रो.गा.प. द्वारा किसी भी राज्य में मूल्यांकनों की एक नियमित प्रणाली स्थापित नहीं की गई थी। बहुत कम राज्यों ने ही मूल्यांकन अध्ययन किए थे तथा उनमें से ज्यादातर कुछ जिलों तक सीमित थे। यह देखा गया था कि आठ राज्यों और एक सं.शा.क्षे. नामतः अरुणाचल प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा पुदुचेरी में संबंधित रा.रो.गा.प. ने राज्यों में योजना के प्रभाव तथा कार्यान्वयन के परिणाम हेतु मूल्यांकन अध्ययनों को अधिकृत नहीं किया था।

अनुशंसाएः:

- के.रो.गा.प. तथा मंत्रालय को योजना के उचित कार्यान्वयन हेतु इसकी गहन मॉनीटरिंग को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। उन्हें सत्यापन एवं कार्य की लेखापरीक्षा हेतु एक प्रणाली की रूपरेखा तैयार करने की आवश्यकता है।
- मंत्रालय अथवा के.रो.गा.प. योजना के राष्ट्र स्तरीय, व्यापक, स्वतंत्र मूल्यांकन प्रारम्भ करने पर विचार करें।

अध्याय 12

नरेगासॉफ्ट की सू.प्रौ. लेखापरीक्षा

12.1 प्रस्तावना

परिचालनात्मक दिशानिर्देशों में योजना के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं की योजना, क्रियान्वयन तथा निगरानी में सूचना प्रौद्योगिकी (सू.प्रौ.) के व्यापक उपयोग की परिकल्पना की गयी थी। सू.प्रौ. के उपयोग को निर्दिष्ट किया गया है कि सभी स्तरों पर

- आरंभ किए गए कार्यों/परियोजनाओं के क्रियान्वयन की योजना;
- रोजगार के लिए नामांकन तथा श्रमिकों को भुगतान; एवं
- व्यय के लेखांकन के लिए निधियों का हस्तांतरण।

सू.प्रौ. उपकरणों का उपयोग परिचालनों की दक्षता में वृद्धि एवं पारदर्शिता बढ़ाने के लिए करना था। परिचालनात्मक दिशानिर्देश आगे बताते हैं कि सू.प्रौ. का संचार, सूचना तक पहुँच, शिकायत निवारण तथा मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन के क्षेत्रों में उपयोग किया जाएगा। यह भी परिकल्पित किया गया है कि कार्यों का डाटाबेस, संसाधन आवश्यकताओं, पंजीकृत परिवारों, मजदूरियों के भुगतान, प्रदत्त श्रम दिवस, प्राप्त की गयी एवं विभिन्न स्तरों पर व्यय की गयी निधियों को योजना के अंतर्गत सू.प्रौ. पहल के महत्वपूर्ण भाग के रूप में सूजित किया जाएगा।

मंत्रालय द्वारा 2005 में राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (रा.सू.वि.के.) को उपर्युक्त सू.प्रौ. आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु एक प्रणाली विकसित करने के लिए नियुक्त किया गया था। योजना के आधिकारिक पोर्टल¹ के माध्यम से कार्यशील यह वेब आधारित सॉफ्टवेयर अथवा मॉनीटरिंग एवं सूचना प्रणाली डाटा प्रविष्टि, प्राधिकरण (कार्यों एवं व्यय का), मॉनीटरिंग तथा सामान्य सूचना जैसी सुविधाओं को योजना के सभी पण्धारियों तथा कार्यकर्ताओं तक पहुँच प्रदान करता है। रा.सू.वि.के. ने बताया कि योजना से संबंधित सभी सूचना को इस प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन प्रबंधित किया जा रहा था, जो वर्तमान में पण्धारियों से निविष्टियों के रूप में लगभग एक जीबी डाटा प्रतिदिन, सूजित कर रहा था। इस डाटाबेस की कुल मात्रा लगभग दो टेराबाइट डाटा की है।

मॉनीटरिंग एवं सूचना प्रणाली/नरेगासाफ्ट के महत्व को साफ्टवेयर में निहित सूचना के अनुप्रयोग के द्वारा देखा जा सकता है जिसमें सम्मिलित है:

- मंत्रालय द्वारा आंतरिक मॉनीटरिंग;
- राज्यों/जिलों को जारी की गई निधि;
- संसदीय प्रश्नों के उत्तर;
- मनरेगा समीक्षा जैसे विभिन्न निष्पादन प्रतिवेदनों के लिए डाटा सूजित करना; तथा

¹ <http://www.nrega.nic.in>

- स्वैच्छिक प्रकटीकरण एवं सू.अ. के अंतर्गत सूचना प्रदान करना।

इसके अतिरिक्त, मॉ.सू.प्र. योजना पर समेकित सूचना का एकमात्र स्रोत है जो सार्वजनिक डोमेन में आसानी से उपलब्ध है। नरेगासॉफ्ट लाभार्थियों, अनुसंधान संगठनों, शिक्षाविदों तथा अन्य पण्धारियों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।

12.2 सू.प्रौ. लेखापरीक्षा के उद्देश्य

मनरेगस की निष्पादन लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में इस सॉफ्टवेयर की एक सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा (सू.प्रौ.ले.प.) यह जांच करने के लिए की गयी थी कि क्या सॉफ्टवेयर:

- (i) सभी आवश्यक नियंत्रणों एवं उपयोगकर्ता भूमिकाओं को सम्मिलित करने में सक्षम है;
- (ii) प्रविष्टि करने/प्राधिकृत करने वाले सभी कार्यकर्ताओं की समुचित जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम है;
- (iii) शुरू किए गये निर्माणों, संलग्न श्रमिकों, मजदूरी के भुगतान, संपत्तियों के सृजन एवं आय सृजन के क्षेत्रों में भौतिक प्रगति के सभी तथ्यों का सही रूप से अभिलेखन एवं सूचित करने में सक्षम है;
- (iv) वित्तीय आंकड़ों को सही रूप से अभिलेखित एवं सूचित करने में सक्षम है तथा क्या सॉफ्टवेयर द्वारा अभिलेखित वित्तीय आंकड़े भौतिक प्रगति को परिपुष्ट करते थे
- (v) अधिनियम के अनुसार योजना के समुचित रूप से कार्य करने हेतु अपेक्षित ढंग से सभी पण्धारियों द्वारा उपयोग किया जा रहा था।

12.3 सू.प्रौ. लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

12.3.1 वेबसाइट की जाँच

चूंकि प्रणाली मुख्य रूप से वेबसाइट के माध्यम से कार्यान्वयन पदानुक्रम के विभिन्न स्तरों पर उपयोगकर्ताओं द्वारा निविष्टियों पर आधारित थी, योजना की वेबसाइट <http://www.nrega.nic.in> को सूचना प्रवाह की तीव्रता, सच्चाई तथा विस्तार क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करने की दृष्टि से जांचा गया था। वेबसाइट पर निविष्ट प्रपत्रों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या ये एक उपयोगकर्ता के कार्यान्वयन पदानुक्रम में इसकी भूमिका हेतु सामान्य कामकाज के लिए आवश्यक सूचना/क्षमताओं को उपलब्ध कराते थे। यह भी सत्यापित किया गया कि क्या सॉफ्टवेयर विभिन्न उपयोगकर्ता द्वारा रखी गयी सूचना की गोपनीयता को सुरक्षित रखने में सक्षम था। निविष्ट प्रपत्रों को वैध मूल्यों से असंगत डाटा को अलग करने के लिए निविष्ट नियंत्रणों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए भी जाँचा गया था।

12.3.2 डाटा की जाँच

योजना की कार्यान्वयन प्रक्रिया में सृजित डाटा रा.सू.वि.के. के सर्वर में एकत्रित होता है तथा नरेगासॉफ्ट वेबसाइट पर उपलब्ध सभी संक्षिप्त प्रतिवेदनों को तैयार करने में उपयोग होता है। यह डाटा योजना के महत्वपूर्ण पहलुओं की मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन हेतु आवश्यक सूचना सृजित करने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। डाटाबेस की प्रासंगिक तालिकाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए सूचना की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए लेखापरीक्षा में जाँचा गया था। डाटा विश्लेषण के दौरान निम्न पहलुओं को शामिल किया गया था।

क. क्या डाटा के विभिन्न अंतः संबंधी तत्व लेखांकन तर्क की संगति में हैं, की जाँच के लिए परीक्षाएं।

ख. क्या डाटा के विभिन्न तत्व कार्य की वास्तविक प्रगति को पंजीकृत करते हुए वैध सूचना दर्शाते हैं, की जाँच के लिए परीक्षाएं।

12.3.3 अभ्युक्ति एवं साक्षात्कार

इस प्रणाली के विकास, अनुरक्षण तथा रख रखाव हेतु उत्तरदायी रा.सू.वि. के दल के सदस्यों का साक्षात्कार लिया गया था और उन्हें लेखापरीक्षा ज्ञापनों के माध्यम से प्रश्नावलियाँ, इस पैमाने की डाटाबेस प्रणाली की स्थिरता, दोष सहिणता, मापनीयता, दक्षता तथा भितव्ययिता से संबंधित जोखिमों के बारे में उनकी जागरूकता को सुनिश्चित करने के लिए दी गयी थी। रा.सू.वि.के. दल से यह भी सुनिश्चित किया गया था कि क्या प्रणाली आधुनिक समय के इंटरनेट सार्वजनिक डोमेन वातावरण द्वारा उत्पन्न सामान्य खतरों का सामना करने में सक्षम थी।

12.4 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

12.4.1 डाटा में प्रविष्टि/प्राधिकृत करते अस्पष्ट उपयोगकर्ता

डाटा प्रविष्टि/प्राधिकरण के कार्य में जवाबदेही सुनिश्चित करने और उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए, परिचालनात्मक दिशानिर्देश विनिर्दिष्ट करते हैं कि "वहाँ पर डाटा के प्रमाणीकरण की एक प्रणाली होनी चाहिए जो स्पष्टतः उस व्यक्ति की पहचान करे जिसने डाटा को तैयार किया एवं जांचा है तथा वह तिथि जिस पर डाटा तैयार किया एवं जांचा गया हैं।" इस परिचालनात्मक आवश्यकता को पूरा करने लिए "के द्वारा प्रविष्टि" खाने (सभी प्रमुख तालिकाओं में) तथा "के द्वारा प्रमाणित" खाने (पंजीकरण एवं आवेदक तालिकाओं) को साफ्टवेयर की रूपरेखा तैयार करने के चरण में सृजित किया गया था। तथापि, कार्य की प्रगति संबंधी डाटा के जाँच के दौरान, यह पाया गया था कि अभिलेखों की काफी बड़ी संख्या अर्थात् 20 राज्यों में 56,24,004 अभिलेख, (**अनुबंध-12क**) में ये खाने या तो रिक्त छोड़े गये थे या "अतिथि", "जांच", "कम्प्यूटर आई.पी. पता", संख्या या एक/दो वर्णाक्षरों आदि जैसी अस्पष्ट डाटा से भरे गये थे। अतः उपयोगकर्ताओं की पहचान करना तथा उसके प्रवर्तक को वापस हस्तांतरणों का पता लगाना संभव नहीं था। सॉफ्टवेयर में सभी उपयोगकर्ता को विशिष्टतः पहचानने के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए केवल प्राधिकृत उपयोगकर्ताओं को ही आंकड़ा प्रविष्टि की अनुमति थी के लिए कोई प्रणाली नहीं थी। अतः त्रुटिपूर्ण आंकड़ा प्रविष्टि-जानबूझकर या अन्यथा के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करना बहुत मशिल होगा। यह सॉफ्टवेयर के रूपरेखा एवं कार्यान्वयन में गंभीर दोष से उत्पन्न कमजोर नियंत्रण को इंगित करता है।

मंत्रालय ने बताया कि नरेगासॉफ्ट का अनुप्रयोग पण्धारियों संस्थाओं के लिए विशिष्ट "उपयोगकर्ता आईडी" तथा पासवर्ड की परिकल्पना करता था तथा इसमें संस्था की पहचान एवं प्रविष्टि तिथि को दर्ज के लिए एक तंत्र निहित था। इसके अतिरिक्त, बहु उपयोगकर्ता संस्थानों के लिए प्रणाली में "के द्वारा प्रविष्टि" क्षेत्र मौजूद था। गलत/अस्पष्ट उपयोगकर्ता की समस्या का पहचान करते हुए, मंत्रालय ने बताया कि एक ऑफलाइन मोड्यूल तथा "के द्वारा प्रविष्टि" के साथ आई.पी. पते का पता लगाने का ऑनलाइन तंत्र लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का ध्यान रखने के लिए काफी थे।

मंत्रालय का उत्तर परिचालनात्मक दिशानिर्देश जो आंकड़ा बनाने और उसकी समीक्षा करने वाले व्यक्ति की पहचान को स्पष्टतः परिकलित करते हैं, से सुसंगत नहीं था। यह नरेगासॉफ्ट द्वारा दर्ज वर्तमान डाटा से संभव नहीं

था आई.पी. पते का पता लगाने की अतिरिक्त व्यवस्था केवल आंकड़ा प्रविष्टि के स्थान अथवा प्रमाणीकरण की जानकारी देती थी तथा यह उपयोगकर्ता की पहचान करने की विधि नहीं थी। परिस्थितियों के अंतर्गत, कुछ पण्डारियों के बीच स्रोत आंकड़े को छुपाने की दुरभिसंधि का खतरा था।

12.4.2 अमान्य लाभार्थी, निर्माण कार्य एवं निर्माण कार्य प्रगति विवरण

नरेगासॉफ्ट जैसे विशाल ऑनलाइन डाटाबेसों के पास सामान्यतः एक बड़ी संख्या में पुष्टिकरण एवं नियंत्रण होते हैं, जो पृष्ठभूमि में कार्यशील होते हैं। ऐसे नियंत्रणों का प्रयोजन है कि:

- डाटाबेस में केवल पूर्ण एवं मान्य सूचना की प्रविष्टि को सुनिश्चित करना;
- जब कभी भी गलत आंकड़ा प्रविष्टि किया गया हो उसकी चेतावनी देना; तथा
- पूर्व-निर्धारित मापदंडों पर आंकड़े की वैद्यता तथा सत्यता की आवधिक रिपोर्ट देना।

नरेगासॉफ्ट में निहित डाटा के विश्लेषण ने उद्घटित किया कि सॉफ्टवेयर न केवल अमान्य तथा अपूर्ण सूचना स्वीकृत करता है अपितु ऐसी किसी घटना के होने पर कोई चेतावनी देने में भी विफल रहा। लेखापरीक्षा के दौरान निम्न मामले सामने आये थे:

- पंजीकृत लाभार्थियों (18 राज्यों में 1,23,949 अभिलेखों) के अस्पष्ट/अमान्य नाम (संख्या अथवा विशेष वर्णों से युक्त) देखे गये। विवरण अनुबंध-12ख दिये गये हैं। इस प्रकार, इन मामलों में पंजीकृत व्यक्तियों के नामों को चुनाव आयोग, जनगणना, बी.पी.एल. जनगणना आदि जैसे अन्य डाटाबेसों के साथ प्रतिपरीक्षण करना संभव नहीं होगा। इन मामलों में, डाटा एक ही लाभार्थी के एक से अधिक बार पंजीकरण प्राप्त करने की घटनाओं को नियंत्रित करने में भी अनुपयुक्त था।

मंत्रालय ने बताया कि नरेगासॉफ्ट यूनीकोड संबद्धित है जो स्थानीय भाषाओं, तथा (ए-जेड) वर्ण समुच्च के अलावा कुंजी आघात का उपयोग करते हैं, में कार्य करने में सक्षम था। इसलिए क्षेत्र को (ए-जेड) वर्ण तक सीमित करना संभव नहीं था। इस विशिष्टता के कारण नामों के साथ आंकड़ा प्रविष्टि संचालक की जानकारी के बिना विशेष वर्ण जुड़ जाते हैं। एक ही नाम से बहु जॉब कार्डों की संभावना को पहचानते हए, मंत्रालय ने बताया कि प्रणाली में एक रिपोर्ट इन मामलों की पहचान करने और उन्हें राज्य सरकारों को सूचित करने के लिए विद्यमान थी।

मंत्रालय का उत्तर एक या दो अक्षरों वाले, कभी-कभी केवल विशेष वर्णों से युक्त (अनुबंध-12ख) नामों की मौजूदगी का कारण बताने में असफल रहा। इसके अलावा, मंत्रालय का उत्तर कि विशेष वर्ण आंकड़ा प्रविष्टि, संचालक की जानकारी के बगैर नामों के साथ जुड़ गये, आंकड़ा प्रविष्टि माड्यूल में एक गंभीर अभिकल्प दोष का संकेत करता है। लाभार्थियों के विशेष वर्णों से युक्त नामों की इलेक्ट्रॉनिक रूप से आंकड़ों के अन्य स्रोतों अथवा बैंक अभिलेखों से सत्यापित नहीं किया जा सकता। इस डाटा का उपयोग कर, एक ही लाभार्थी को गलती से जारी हो गये कई जॉब कार्डों की पहचान करना भी संभव नहीं होगा, चूंकि नाम कभी भी विशेष वर्णों से युक्त नाम से मेल नहीं खाएगा।

- लेखापरीक्षा ने पंजीकृत परिवारों के अनुपस्थित/अवैध मकान संख्याएं (19 राज्यों में 6,42,14,836 मामले) पाई। विवरण अनुबंध-12ग में दिये गये हैं। वैध मकान संख्या के अभाव में, लाभार्थियों की भौतिक उपलब्धता को सुनिश्चित करना संभव नहीं होगा। डाटा, इन मामलों में यह सुनिश्चित करने में अनुपयुक्त था कि क्या पंजीकृत लाभार्थी एक स्थानीय निवासी था, जैसा कि अधिनियम के तहत अपेक्षित था।

मंत्रालय ने बताया कि 'मकान संख्या' क्षेत्र को प्रणाली में अनिवार्य नहीं रखा गया था, चूंकि कुछ गांवों में कुछ मकान बिना संख्या के भी हो सकते थे। इसके अतिरिक्त गांव कोड, पंचायत कोड ब्लॉक कोड तथा जिला कोड जो कि जॉब कार्ड, संख्या का भाग थे, वे लाभार्थियों की आवासीय स्थिति को दर्शाने हेतु काफी थे।

मंत्रालय का उत्तर कि कुछ गांवों में बिना मकान संख्या वाले मकान हो सकते हैं, सही प्रतीत नहीं होता क्योंकि अनुपस्थित/अमान्य मकान संख्याओं की संख्या (छः करोड़ से ऊरे) दर्शाती है कि मामलों के एक बड़े प्रतिशत में आंकड़ों की प्रविष्टि नहीं/गलती से प्रविष्टि की गयी थी। वैध मकान संख्याओं का अभाव लाभार्थियों के तत्काल सर्वेक्षण के लिए आंकड़ों को अनुपयुक्त बना देता है, तथा अवैध/अस्पष्ट नामों के साथ मिलकर, अपात्र व्यक्तियों द्वारा योजना का लाभ उठाने की समस्या के प्रति यह प्रणाली को संवेदनशील बनाता है।

- प्रगति पर निर्माण कार्यों के अनुपस्थित भूखंड संख्या/खाता संख्या के मामले (20 राज्यों में 53,08,149 मामले) पाए गये थे। विवरण अनुबंध-12 घ में दिये गये हैं। वैध भूखंड संख्या/'खाता' संख्या के अभाव में, कार्य की भौतिक प्रगति सत्यापित नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त, यह एक ही स्थान पर एक ही निर्माण के बार-बार किये जाने की घटनाओं की जांच के लिए आंकड़ों को अनुपयुक्त बना देता है।

मंत्रालय ने बताया कि 'खाता संख्या' एवं जांच 'भूखंड संख्या' के क्षेत्र प्रणाली में अनिवार्य नहीं रखे गये थे क्योंकि कुछ निर्माण उन क्षेत्रों में किये जा रहे थे जिनका सर्वेक्षण नहीं हुआ था, दोहरे निर्माण कार्यों की समस्या को पहचानते हुए, मंत्रालय ने बताया था अक्षांश/देशांतर अथवा निर्माण स्थल के लिए क्षेत्र दिये गये थे गुजरात में जिन्हें प्रायोगिक आधार पर 17,226 निर्माणों में दर्ज किया गया था।

मंत्रालय का उत्तर लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये मुद्दे को पूरी तरह स्वीकार नहीं करता। 'खाता संख्या'/ 'भूखंड संख्या' के बिना निर्माण कार्यों की बड़ी संख्याएं इंगित करती हैं कि समस्या कुछ निर्माण कार्यों, जिन्हें उन क्षेत्रों में किया गया था जिनका अभी तक सर्वेक्षण नहीं किया गया था, तक ही सीमित नहीं थी। दोहरे निर्माण कार्यों के खतरे की पहचान एवं लागत प्रभावी जी.पी.एस. समन्वय रिकॉर्डिंग उपकरणों की उपलब्धता के बावजूद केवल एक राज्य को शामिल करने वाली प्रायोगिक परियोजना एक चिन्हित खतरे के शमन में उदासीन दृष्टिकोण दर्शाती है। अपने वर्तमान रूप में डाटा वास्तविक रूप से किये निर्माणों के लिए किसी प्रकार के सर्वेक्षण अथवा एक ही स्थान पर एक ही निर्माण के बार-बार दिखाए जाने के मामले की जांच के लिए उपयुक्त नहीं था।

- संस्वीकृत निर्माण के संबंध में अनुपस्थित दोहरी वित्तीय संस्वीकृति संख्याएं (17 राज्यों में 13,59,816 मामले) पाई गयी थीं। विवरण अनुबंध-12घ में दिये गये हैं। वित्तीय संस्वीकृति को अनिवार्य रूप से आवश्यकता के लिए अथवा दोहरी वित्तीय संस्वीकृति संख्या को रोकने के लिए किसी नियंत्रण का अभाव डाटा को किये गये निर्माण कार्य के साथ-साथ वित्तीय संस्वीकृतियों के आरेखन हेतु अनुपयुक्त कर देता है।

मंत्रालय ने बताया कि दोहरे वित्तीय संस्वीकृति संख्या का होना तकनीकी रूप से संभव था परंतु इसने स्पष्टतः बताया कि ऐसी कोई स्थिति नहीं हो सकती जहाँ वित्तीय संस्वीकृति संख्या अनुपस्थिति हो।

तथापि, मंत्रालय के उत्तर को ध्यान में रखते हुए की पुनः जांच करते हुए, नमूना परीक्षित डाटा में अनुपस्थित/अस्पष्ट (शून्य, 0,00 या एक अथवा दो विशेष वर्ण) 46,893 मामले (अनुबंध-12ड) पाए गये।

- संस्वीकृत निर्माण कार्यों (18 राज्यों में 46,06,482 मामले) में निर्माण के नाम की अनुपस्थिति के मामले पाए गये थे। निर्माण कार्य का अभाव में, निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति सत्यापित नहीं की जा सकती थी। विवरण अनुबंध-12च में दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त, यह एक ही निर्माण कार्य के अलग-अलग निर्माण कार्यों के रूप में दिखाये जाने के मामलों को रोकने के लिए डाटा को अनुपयुक्त बना देना है।

मंत्रालय ने बताया कि निर्माण कार्यों का सभी विवरण, नामों सहित को निर्माण कार्य तालिका में अनुरक्षित किया गया था जो द्वारा निर्माण कार्य कोड का प्रयोग कर अन्य तालिकाओं द्वारा पहुंच के भीतर थे। कुछ कार्यात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्माण संस्वीकृति तालिका में निर्माण कार्य का नाम बाद के चरण में जोड़ा गया था।

मंत्रालय का उत्तर बड़ी संख्या में नामों की अनुपस्थिति के कारण विश्वसनीय नहीं था जिसके परिणामस्वरूप अभिप्रेत परिचालन आवश्यकताएं पूरी नहीं की जा सकी। मंत्रालय के उत्तर को देखेत हुए नमूना आंकड़ों की जांच पर दुहरे/अनुपस्थित निर्माण कोड के 20361 मामले पाए गए जो दर्शाते हैं कि इन मामलों में आंकड़ों (अनुबंध-12च) से कार्य एवं संस्वीकृति के बीच कोई स्पष्ट संबंध स्थापित नहीं किया सकता था।

उपर्युक्त मामले स्पष्टतः अपर्याप्त जांचों के कारण प्रणाली में कमजोर नियंत्रणों को दर्शाते हैं। ऐसे अवरोधों एवं अनुसमर्थनों का अभाव मॉ.सू.प्र. में आंकड़ों की विश्वसनीयता पर संदेह उत्पन्न करते हैं। एक विश्वसनीय मॉ.सू.प्र. के अभाव में, मॉ.सू.प्र आंकड़ों के आधार पर निकाले गये किसी भी निष्कर्ष में महत्वपूर्ण त्रुटियां होने का खतरा था।

12.4.3 दोषपूर्ण प्रोग्रामिंग लॉजिक

एक कम्प्युटर आधारित लेन-देन अभिलेखन प्रणाली में सही डाटा के अनुरक्षण के लिए मूलभूत परिकलन करने के लिए तथा विभिन्न परस्पर संबंधी सूचना सूक्ष्म रूपों को फिर से जांच करने के लिए प्रोग्रामिंग तत्व निहित है। यह सरसरी तौर पर गलत डाटा की गलत आंकड़ों में की प्रविष्टि/पहले से ही प्रविष्टि होने पर सर्तक करने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। एकत्रित आंकड़ों के विश्लेषण के दौरान यह देखा गया था कि सॉफ्टवेयर में लेखांकन लॉजिक की संगति में मूलभूत परिकलन करना भी प्रोग्रामिंग लॉजिक की कमी थी। डाटा के जांच के दौरान निम्नलिखित मामले ध्यान में आये:

- 18 राज्यों में 94,56,599 मामलों ने मजदूरी की गलत गणना का संकेत दिया जिसे 'कुल मजदूरी=मजदूरी दर ऊशम दिवस' का तर्क प्रयुक्त कर किया जा सकता था। विवरण अनुबंध-12च में दिये गये हैं।

मंत्रालय ने बताया कि प्रणाली मजदूरों को भुगतान की गयी राशि को मजदूरी दर, उपस्थिति एवं या.भ./म.भ., जहाँ अनुमेय हो, के आधार पर परिकलित करता है, परंतु उस क्षेत्र को वास्तविक भुगतान के मामलों का अभिलेखित करने के लिए, तब भी यदि यह परिकलित राशि से ज्यादा या कम था, संपादन करने योग्य रखा गया था मंत्रालय ने एक प्रतिवेदन की ओर ध्यान आकृष्ट किया जो ऐसे मामलों को सूचीबद्ध करता था जहाँ मजदूरी, 'मजदूरी दर X उपस्थिति + या.भ./म.भ.' सूत्र से अधिक/कम दी गयी थी।

सरल 'मजदूरी दर X उपस्थिति + या.भ./म.भ.' सूत्र के अलावा अन्य राशियों को दर्ज करने के पीछे का तर्क विश्वसनीय नहीं था। इसके अतिरिक्त, वहाँ श्रमिकों को देय या.भ./म.भ. को दर्ज करने के लिए एक अलग क्षेत्र था, जिसमें या.भ./म.भ. की राशि को, कुल नकद भुगतान में केवल जोड़ देने के स्थान पर, दर्ज किया जा सकता था। उल्लिखित सूत्र के गैर-अनुपालन का कोई भी मामला यह संकेत करेगा कि प्रचलित मजदूरी दर के अनुसार मजदूरी नहीं दी गयी थी। एक ऐसे परिदृश्य में, तत्काल चिन्हित करें और इन त्रुटियों को समयबद्ध तरीके से सुधारने की एक व्यवस्था, जहाँ कहीं भी ये उत्पन्न हुई हो, वांछित थी।

- आठ राज्यों में 1,13,723 मामलों में क्रय की गयी सामग्री की राशि के त्रुटिपूर्ण परिकलन को दर्शाया था जिसे 'राशि = दर X परिमाण' का तर्क अपनाकर ठीक किया जा सकता है। विवरण अनुबंध-12ज में दिये गये हैं।

मंत्रालय ने बताया कि प्रणाली 'दर X परिमाण' के तर्क का प्रयोग कर राशि परिकलित करता है परंतु क्षेत्र को वास्तविक संख्या की प्रविष्टि, जो मू.व.क., चुंगी आदि अन्य उदग्रहणों को शामिल कर सकता है, को सुविधा प्रदान के लिए सम्पादन-योग्य रखा गया था। मंत्रालय ने एक प्रतिवेदन की तरफ ध्यान भी आकृष्ट किया जिसमें उन मामलों को सूचीबद्ध किया गया था जहाँ परिकलित राशि 'दर X परिमाण' के सूत्र से मेल नहीं खाती थी।

मंत्रालय का उत्तर प्रणाली के सामग्री लागत अभिलेखन माड्यूल में एक गंभीर रूपरेखा दोष का संकेत करता है चूंकि यह लागत के मू.व.क., चुंगी आदि सभी अवयवों को चिन्हित करने में विफल रहा है। इसके अतिरिक्त, कर तत्वों की अलग से देखभाल कर प्राधिकारियों को संग्राहक विक्रेता द्वारा कर लेने पर उसे जमा नहीं कराये जाने के मामलों को रोकने में सक्षम करने के लिए कर तत्वों को अलग व्यवस्था देने की वैधानिक आवश्यकता का भी उल्लंघन करता है। डाटा के मौजूदा रूप में सामग्री के बिलों में अशुद्ध गणनाओं की उन मामलों से, जहाँ अंतिम राशि मू.व.क, चुंगी, आदि जैसे सामग्री लागतों के अन्य अवयवों को सम्मिलित करके परिकलित की गयी थी, से पृथक नहीं किया जा सकता था।

- 12 राज्यों में 19,11,102 मामलों में गलत शेष अथवा गलत राज्य, जिला, ब्लॉक तथा पंचायत लेखा तालिकाओं में अंत शेष को दर्शाया जिसे 'अंत शेष = प्रारंभिक शेष + सभी-अंतर्वाह सभी बाहिर्वाह' के तर्क को अपनाकर परिकलित किया जा सकता था। विवरण अनुबंध-12झ में दिये गये हैं।

मंत्रालय ने बताया कि मॉ.सू.प्र. में प्रदर्शित होने वाले दो प्रकार के प्रारंभिक शेष (विगत वर्ष का अंत शेष और लेखापरीक्षित प्रारंभिक शेष) थे जिन्हें अलग-अलग क्रियाविधियों का प्रयोग कर प्राप्त किया गया था। मंत्रालय ने आगे बताया कि कई राज्यों में मॉ.सू.प्र. में वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए प्रविष्ट की गयी प्रारंभिक शेष, राज्यों के उपयोग प्रमाण-पत्र में दिखाए गये प्रारंभिक शेष से भिन्न थे। जिसके लिए उपचारी कार्रवाई की जा रही थी।

मंत्रालय का उत्तर विश्वसनीय नहीं था क्योंकि अलग-अलग क्रिया-विधियों को अपनाना एक स्पष्ट लेखांकन तर्क के अभाव को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, प्रारंभिक एवं अंत शेष के मध्य भिन्नता उ.प्र. के साथ ऐसे शेषों के समाधान न होने के साथ संपूर्ण वित्तीय डाटा को संदिग्ध और व्यर्थ कर देता है।

ऐसे मूलभूत प्रोग्रामिंग तत्वों का अभाव न केवल डाटा प्रविष्टि कर रहे व्यक्ति के ऊपर बोझ बढ़ा देते हैं, अपितु उनके द्वारा मनमाने निर्णय की गुंजाइश भी छोड़ देती है जो परिहार्य त्रुटियों में परिणत होते हैं। प्रोग्रामिंग तत्वों के अभाव में

बड़ी संख्या में गलतियों ने डाटा की विश्वसनीयता को प्रतिकूलतः प्रभावित किया। इन गलतियों की मात्रा कम हो सकती है हालांकि, नमूना जांच डाटा में गलतियों की इतनी बड़ी संख्या का आशय जब पूर्ण रूप से देखा जाए तो छोटी त्रुटियाँ भी एक जटिल प्रभाव उत्पन्न करेगी।

12.4.4 बुनियादी स्तर के सू.प्रौ. कार्मिकों का अनुपयुक्त प्रशिक्षण

सॉफ्टवेयर के उपभोक्ताओं को इसकी आलोचनात्मकता, प्रासंगिकता, तथा उनके कार्य के क्षेत्र पर शिक्षित करने तथा उन्हें संभावित गलतियों के बारे में और उनके संपूर्ण प्रणाली पर इन गलतियों के प्रभाव के बारे में आगाह करने के लिए प्रशिक्षण आवश्यक था। डाटा ऐन्ट्री आपरेटरों को समुचित प्रशिक्षण खास तौर से महत्वपूर्ण था चूंकि यह कागजी अभिलेखों के कम्प्यूटरीकृत अभिलेखों में रूपांतरण के दौरान अनेकों सरल गलतियों से बचने में मदद कर सकता है। लेखापरीक्षा ने देखा कि डाटा की प्रविष्टि प्रोग्राम की कार्य प्रणाली से अनभिज्ञ व्यक्तियों द्वारा आंकड़ों की प्रवृष्टि की गयी थी और वह सामान्य प्रविष्टि त्रुटियों के प्रति भी जागरूक नहीं थे।

डाटा के विश्लेषण के दौरान यह देखा गया था कि कार्य की प्रगति की ग्रामीण संयोजकता, जल संसाधन, बाढ़ नियंत्रण तथा सूखा बचाव, आदि के संबंध में इकाईयों का डाटा ऐन्ट्री आपरेटरों द्वारा अतिकतर गलत समझ लिया जाता था और दर्ज की गई प्रविष्टियां असंगत थी। उदाहरण के लिए, प्रत्येक कार्य के तहत बनाये गये सड़क की लम्बाई से संबंधित डाटा में कई बार इकाईयों की किलोमीटर के रूप में समझकर आंकड़ा प्रविष्टि की गयी थी और कई बार मीटर को इकाई मानकर तालिका में आंकड़े एक से कम से लेकर 1,500 से अधिक तक दर्ज किए गए थे। अतः यदि माप की इकाई के किलोमीटर माना जाए तो इसका मतलब होगा कि मनरेगास की तहत एक एकल निर्माण के अंतर्गत 1,500 कि.मी. से अधिक माप वाली सड़कें बनाई गयी थी। इस प्रकार यह दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी से अधिक होगा। अगर मीटर को इकाई माना जाता, तो इसका मतलब होगा एक मीटर से कम की माप वाली सड़कें भी बनायी गयी थीं। दोनों ही स्थितियाँ असंभाव्य थीं। इसी प्रकार, वित्तीय प्रबंधन मॉड्यूल में निहित संख्याएं लाख में लग रही थीं और अन्य अवसरों पर हजार रूपयों में। नौ राज्यों में, ग्रामीण संयोजकता हेतु निर्मित सड़क की कुल दूरी में मूल्य, निम्न तालिका में दिखाये गये हैं:

तालिका-18: ग्रामीण संयोजकता हेतु दर्ज संडकों की स्तरीयकृत दूरियां

दर्ज की गयी कुल दूरी	अभिलेखों की संख्या
एक से कम	9,25,274
1 से 5	2,59,928
5 से 10	87,703
10 से 15	3,408
15 से 50	3,199
50 से 100	3,397
100 से 1,000	9,618
1,000 से 1,500	1,279
1,500 से अधिक	1,121

जैसा कि उपर्युक्त तालिका दर्शाती है, यदि माप की इकाई किलोमीटर के रूप में ली गयी थी, मनरेगास के तहत 1,500 किलोमीटर से अधिक लब्बे सड़कों के बनाये जाने के 1,121 मामले थे। प्रत्यक्ष अस्पष्टता के समान उदाहरण जल संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण तथा सूखा प्रतिरोधी कार्यों के लिए दर्ज मापों में भी विद्यमान थे।

लेखापरीक्षा ने इस प्रकार देखा कि नरेगासॉफ्ट में डाटा कार्य की प्रगति के विस्तार को समझने और संपत्तियों के सूजन के विवरणों को निर्धारित करने के लिए विश्वसनीय नहीं था।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के उत्तर में मंत्रालय ने विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण प्रयासों के ब्यौरे दिये। मंत्रालय ने यह भी बताया कि उन इकाईयों की प्रविष्टि से रोकने के लिए जो कार्य मापदंडों से अधिक थी, नियंत्रण प्रभावी कर दिया गया है।

तथापि, तथ्य यह है कि वास्तविक रूप से डाटा प्रविष्टि कर रहे तथा इन डाटा को प्राधिकृत कर रहे व्यक्ति, डाटा प्रविष्टि माड्यूल में प्रयुक्त माप की इकाईयों जैसे मूलभूत तत्वों से अनभिज्ञ थे, जिसने डाटा को विभिन्न निष्पादन मापदण्डों के आधार पर मापने के लिए अनुपयुक्त कर दिया था।

12.4.5 स्रोत दस्तावेजों के संदर्भ दिये बिना डाटा में हेर-फेर

परिचालनात्मक दिशानिर्देश निर्दिष्ट करते हैं कि "डाटा प्रविष्टि ब्लॉक स्तर से ऊर नहीं की जानी चाहिए और दस्तावेजों को ब्लॉक के बाहर न ले जाया जाये।" इस प्रावधान का कारण यह था कि सभी मूलभूत अभिलेख ब्लॉक स्तर अथवा निचले स्तर पर विद्यमान होते हैं। प्रखंड स्तर के बाहर की गयी कोई भी डाटा प्रविष्टि अथवा रूपांतरण इन अभिलेखों की सुलभता के बिना होगा।

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया था कि, मंत्रालय ने मॉ.सू.प्र. डाटा सेटों की एक प्रति राज्य सरकारों को उनके आंतरिक उपयोग हेतु, संबंधित वर्ष के डाटा प्रविष्टि की समाप्ति के बाद अग्रेषित की थी। लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, मॉ.सू.प्र. डाटा सेट कर्नाटक और ओडिशा के मामले में, राज्य ग्रामीण विकास विभागों से भी प्राप्त किये गये थे। मंत्रालय द्वारा प्रदान किये गये डाटा और राज्य सरकारों के पास उपलब्ध डाटा की तुलना करने पर कि डाटा के मिटाने के अप्राधिकृत मामले और कुछ मामलों में मूल्यों के संशोधन का पता चला। कुछ मामले नीचे रूपांतरण किये गये हैं:

- कर्नाटक से संबंधित सामग्री की खरीद हेतु 2008-2011 की अवधि के लिए भुगतान की गयी कुल राशि से संबंधित मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराये गये डाटा 3,562 मामलों में परिवर्तित किये हुए लगे।
- ओडिशा के मामले में, मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराये गये मस्टर रोल डाटा में यह देखा गया था कि ओडिशा राज्य ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गए डाटा से मिलान करने पर काम कर चुके लोगों में 57,780 कम लोगों को दिखाया गया था। यह सृजित रोजगार में 6,10,331 श्रम-दिवसों की कमी का भी कारण बना। आंकड़े के विश्लेषण ने उजागर किया कि अभिलेखों को एक बार में मिटा दिया गया था। इसका आशय यह होगा कि उनका मिटाया जाना फील्ड अभिलेखों पर आधारित नहीं था।
- यह पाया गया था कि मस्टर रोल, जो एक-साथ ही कई कार्य-स्थलों पर कार्यरत व्यक्तियों में से कुछ प्रविष्टियां केन्द्रीय मॉ.सू.प्र. से भी मिटायी गयी थीं। दिलचस्प रूप से, ऐसे मामलों में यद्यपि जॉब कार्ड संख्या खाली थी, भुगतान खाना अभी भी ऐसे लाभार्थियों को किये गये भुगतान को दिखा रहा था।

- कर्नाटक के राज्य ग्रामीण विकास विभाग डाटा में प्रदर्शित कम उम्र के लाभार्थियों के कई मामलों में, मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराये गये डाटाबेस में इन लाभार्थियों की आयु को 18 वर्ष तक अद्यतित कर दिया गया था।

मंत्रालय ने ऐसे कई मामलों के बारे में बताया जहाँ बैकएंड में आंकड़ों में परिवर्तन अनिवार्य होता था और नरेगासॉफ्ट के डाटा की अविश्वसनीयता के प्रति अपनी जानकारी को स्वीकार किया। मंत्रालय के आंकड़ों को राज्य के साथ साझा करने के प्रयासों और राज्यों द्वारा सूचित अभिलेखों में असंतुलन को भी मंत्रालय द्वारा सविस्तर बताया गया। मंत्रालय ने यह भी बताया कि राज्य डाटाबेस आधार व्यवस्थापकों (रा.डा.आ.व्य.) को भी साझे बैकअप में अभिलेखों को मिटाने या अद्यतित करने का अधिकार था तथा वह मिटाये गये अभिलेखों को पुनः स्थापित भी कर सकते थे। मंत्रालय ने 2009-10 एवं 2010-11 से संबंधित डाटा में, राज्य सरकारों द्वारा अथवा उनके अनुरोध की प्राप्ति पर परिवर्तन प्रविष्टि के मामलों का भी उल्लेख किया था।


मंत्रालय के पास लेखापरीक्षा द्वारा इंगित मामलों में राज्यों से डाटा के मिटाने/अद्यतन/प्रविष्टि के लिए किए गए विशिष्ट संवादों को साझा करने के लिए एक अनुरोध अग्रेषित किया गया था। उत्तर में, मंत्रालय ने 2009-11 की अवधि से संबंधित लंबित बिलों की प्रविष्टि करने के लिए व्यवस्था करने की मांग करते हुए कर्नाटक सरकार को एक पत्र अग्रेषित किया। ओडिशा के मामले में, मंत्रालय ने उल्लेख किया कि राज्य डा.आ.व्य. को सभी वित्तीय वर्षों की सूचना के संपादन प्रविष्टि पर नियंत्रण प्राप्त था, तब भी जब राज्य डाटा प्रविष्टि बंद हो गयी थी।

केन्द्र स्तर पर ऐसे पूर्ण-स्लैषेण परिवर्तनों की आवश्यकता उन परिवर्तनों की प्रमाणिकता पर संदेह उत्पन्न करता है। सॉफ्टवेयर में एक समुचित लेखापरीक्षा जाँच की अनुपस्थिति लेखापरीक्षा के लिए यह सत्यापित करना असंभव कर देती है कि किसने वास्तविक बदलाव किये अर्थात् केन्द्रीय डा.आ.व्य. अथवा राज्य डा.आ.व्य./मंत्रालय का उत्तर इस मुद्दे पर भी ध्यान नहीं देता कि राज्य के उच्चतर दावे ऐसे डाटा पर आधारित होंगे जिन्हें बाद की तिथि में बिना किसी अनुवर्ती कार्रवाई के परिवर्तन किया गया था। इसके अतिरिक्त साझे बैकअप आंकड़ों में कई प्राधिकारियों अर्थात् राज्य डा.आ.व्य. के साथ-साथ मंत्रालय प्राधिकारियों द्वारा पूर्णरूपेण परिवर्तन आंकड़े की प्रमाणिकता पर गंभीर संदेह उत्पन्न करता है।

12.4.6 आंकड़ा प्रविष्टि त्रुटियों के नियंत्रण का अभाव

पैरा 12.4.5 में उल्लिखित त्रुटिपूर्ण डाटा प्रविष्टि के मामले वर्ष 2005-06 से 2011-12 के दौरान भी जांचे नहीं गए। यह दर्शाता है कि वहाँ कोई मॉनीटरिंग प्रणाली नहीं थी। इसका आशय होगा कि नरेगासॉफ्ट ने या तो ऊपर सूचित किसी भी मामले में आवश्यक चेतावनी जारी नहीं की थी या गलतियों को सुधारने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की थी। वास्तव में, लेखापरीक्षा ने देखा कि गलतियों की दर वर्ष दर वर्ष बढ़ती रही। उदाहरण के लिए, झारखण्ड की पंचायत लेखा तालिका के शेषों की प्रारंभिक/समापन आंकड़ों में असंतुलन के बढ़ते मामले स्पष्ट प्रवृत्ति का संकेत करते हैं कि सरल गलितियाँ वाँच के साथ बढ़ती रही। योजना कार्यान्वयन के सभी अन्य मापदण्डों में यह प्रवृत्ति मौजूद थी।

झारखण्ड की पंचायत टेबल में प्रारंभिक/अंत शेषों में बेमेल मामलों की संख्या
 (अंत शेष = प्रारंभिक शेष + सभी अंतवहि - सभी बहिवहि)



मंत्रालय ने जॉब कार्डों को सत्यापित करने, श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने, सामग्री बिलों को 'दर X परिणाम' मानदंड पर जाँचने, ग्राम पंचायत के प्रतिदिन व्यय और अप्रयुक्त जॉब कार्डों को जाँचने के लिए नरेगासाफ्ट एप्लीकेशन द्वारा जारी चेतावनी की संख्या के बारे में सूचित किया।

तथापि, डाटा में उपभोक्ता परिचय, खाता शेषों, अदायगी परिकलन, कार्य प्रगति आदि से संबंधित पहलुओं में अस्पष्टता के मामलों की निरंतर मौजूदगी प्रणाली द्वारा जारी चेतावनी पर कार्रवाई करने हेतु तंत्र की सीमित प्रभावकारिता दर्शाती है।

अनुशंसा:

मंत्रालय को सॉफ्टवेयर रूपरेखा में उपर्युक्त वर्णित त्रुटियों की जाँच करे एवं उसका समाधान करें, और नरेगासॉफ्ट में आवश्यक परिवर्तन करें। प्रमाणीकरण और डाटा प्रविष्टि के समापन के उपरांत डाटा परिवर्तन के लिए अधिक सख्त नियंत्रणों की आवश्यकता है।

अध्याय 13

लाभार्थी सर्वेक्षण के निष्कर्ष

13.1 प्रस्तावना

लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान, परीक्षित लाभार्थियों से योजना को लेकर उनकी अनुभूति एवं अनुभवों के आंकलन हेतु उनका साक्षात्कार लिया गया था।

सर्वेक्षण हेतु नमूनाकरण योजना, निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु अपनाई गई योजना, अर्थात् प्रतिवेदन के ग्राम पंचायत (ग्रा.प.) स्तर (परिचालन दिशानिर्देशों के पैरा 2.1.4) तक, के समान थी। प्रत्येक चयनित ग्रा.प. में, चयनित ग्रामों में चयनित ग्राम पंचायतों के लाभार्थियों की समेकित सूची में से व्यवस्थित यादृच्छित नमूनाकरण प्रक्रिया द्वारा 10 लाभार्थियों का चयन किया गया था। लाभार्थियों का साक्षात्कार, स्थानीय भाषा में एक संरचित प्रश्नावली द्वारा लिया गया था।

27 राज्यों तथा तीन संघ शासित क्षेत्रों में 3,837 ग्राम पंचायतों से 38,376 लाभार्थियों (26,115 पुरुषों तथा 12,261 महिलाओं) का साक्षात्कार लिया गया था। राज्य/सं.शा.क्षे. के नमूनों के आकार दादर एवं नागर हवेली में 50 से उत्तर प्रदेश में 4600 तक भिन्न थे।

13.2 प्रश्नावली

सर्वेक्षण प्रश्नावली में, लाभार्थी (उम्र, शिक्षा स्तर, जाति समूह, आदि) तथा परिवार (मुख्य व्यवसाय, वार्षिक आय, व्यस्क सदस्यों की संख्या, आवासीय इकाई का प्रकार और घरेलू संपत्ति के प्रकार) के बारे में मूल जानकारी को प्राप्त करने के अलावा निम्नलिखित को प्राप्त करने की अपेक्षा रखता था:

- क) लाभार्थी के जागरूकता के स्तर
- ख) पंजीकरण एवं जॉब कार्ड से संबंधित मुद्दे
- ग) निर्माण स्थल की दूरी, सुविधाएं, पर्यवेक्षण, मशीनों का उपयोग तथा मस्टर रोल
- घ) मजदूरी-आधार, सामरिक भुगतान, तथा भुगतान का माध्यम
- ङ) ग्राम सभा बैठकें
- च) पारदर्शिता एवं मॉनीटरिंग
- छ) प्रभाव विश्लेषण

मनरेगस की निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के नियुक्त लेखापरीक्षा दलों के सदस्यों द्वारा सर्वेक्षण का संचालन किया गया था। यदि एक विशेष लाभार्थी उपलब्ध नहीं था तो उसी परिवार के अन्य सदस्य का साक्षात्कार लिया गया था।

13.3 बाध्यताएं

इस कार्य में लेखापरीक्षा दल को बड़ी संख्या में बाध्यताओं का सामना करना पड़ा जिन्हें नीचे दिया गया है:

- जिस जनसंख्या में से नमूना चयन किया गया था, उसमें केवल लाभार्थी समाविष्ट थे। योजना से अपवर्जित संभावित लाभार्थियों या व्यक्तियों को सर्वेक्षण में आवृत नहीं किया गया था।
- इस रिपोर्ट में सिक्किम तथा लक्षद्वीप का लाभार्थी डाटा शामिल नहीं किया जा सका था।
- लाभार्थियों का स्वतंत्र रूप से साक्षात्कार किए जाने के प्रयोजन के बावजूद, अक्तम ग्राम सरपंच या किसी पंचायत अधिकारी की उपस्थिति में साक्षात्कार लिए जाने, के कारण लाभार्थियों की प्रतिक्रियाओं में कुछ पक्षपात हो सकते हैं।
- भौतिक पहुँच तथा सुरक्षा कारणों की कठिनाइयों के कारण कुछ चयनित क्षेत्रों को अभ्यास में शामिल नहीं किया गया था, और प्रतिस्थापित कर दिया गया था।
- कई बार, सर्वेक्षण दलों को लाभार्थियों का अकेले में साक्षात्कार लेने में कठिनाई हुई। लाभार्थी, समूह से अलग होने में अनिच्छुक थे। यह फिर से साक्षात्कार लिए गए लाभार्थियों की प्रतिक्रियाओं में पक्षपात की संभावना उत्पन्न कर सकता था।
- जैसा कि ऊर बताया गया है, कि यदि लाभार्थी उपस्थित नहीं था, तो परिवार के किसी अन्य सदस्य का साक्षात्कार लिया गया था। ऐसे मामलों में, वास्तविक लाभार्थी का दृष्टिकोण, दर्ज किए गए से भिन्न हो सकता था।

13.4 लाभार्थी स्वरूप

लाभार्थियों की औसत उम्र 41 वर्ष थी। 65 प्रतिशत घरों के पास बिजली का अलग कनेक्शन था। 55 प्रतिशत लाभार्थियों के पास बी.पी.एल. कार्ड था। लगभग एक तिहाई (31.95 प्रतिशत) लाभार्थी महिलाएं थी एवं 52 प्रतिशत अ.जा. या अ.ज.जा. श्रेणियों से संबंधित थे। विस्तृत लाभार्थी स्वरूप नीचे बॉक्स में दिया गया है:

लाभार्थी स्वरूप

औसत उम्र: 38,376 सर्वेक्षित लाभार्थियों हेतु औसत उम्र 41 वर्ष थी (रेंज: झारखंड हेतु 36 वर्ष से ओडिशा हेतु 48 वर्ष)

लिंग: अखिल भारतीय स्तर पर कुल लाभार्थियों में लगभग एक तिहाई महिलाएं थीं। परंतु गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, मध्य प्रदेश, मिजोरम, ओडिशा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में यह अनुपात पांचवे भाग से कम था।

साक्षरता दर: 43 प्रतिशत लाभार्थियों ने अपने आप को अनिरक्षर सूचित किया।

अ.ज./अ.ज.जा./अ.पि.जा.: अखिल भारतीय स्तर पर 26 प्रतिशत लाभार्थी अ.ज. से, 26 प्रतिशत अ.ज.जा. से संबंधित थे तथा 30 प्रतिशत ने सूचित किया कि वे अ.पि.जा. से संबंधित थे। इस प्रकार

साक्षात्कार लिए गए लाभार्थियों की एक महत्वपूर्ण प्रतिशतता (81 प्रतिशत), समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित थी।

परिवार का आकार: अखिल भारतीय स्तर पर व्यस्क सदस्यों की औसत संख्या तीन थी, नागालैण्ड में अधिकतम पांच तथा तमिलनाडु, दादर एवं नागर हवेली और पुडुचेरी में दो की कमी के साथ।

वार्षिक घरेलू आय: अखिल भारतीय स्तर पर लाभार्थियों द्वारा सूचित वार्षिक औसत घरेलू आय ₹ 20,047 थी। मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के आंकड़े औसत से अधिक थे (सभी ₹ 30,000 से अधिक के वार्षिक आय के साथ) तथा गुजरात, कर्नाटक, केरल, ओडिशा तथा दादर एवं नागर हवेली, में सूचित वार्षिक घरेलू आय ₹ 11,000 और ₹ 13,000 के बीच थी।

मुख्य व्यवसाय: सूचित मुख्य व्यवसाय थे- स्वरोजगार (कृषि)- 34 प्रतिशत, स्वरोजगार (गैर-कृषि)- छ: प्रतिशत, अस्थायी मजदूर-55 प्रतिशत, अन्य-दो प्रतिशत। इस प्रकार, लाभार्थियों का एक महत्वपूर्ण अनुपात (लगभग 90 प्रतिशत) या तो अस्थायी मजदूरों या फिर छोटे और सीमांत किसानों का था।

राशन कार्ड: लगभग 55 प्रतिशत के पास बी.पी.एल. कार्ड थे तथा 22 प्रतिशत के पास ए.पी.एल. राशन कार्ड थे। शेष लाभार्थियों के पास या तो राशन कार्ड नहीं थे या फिर अन्य प्रकार (अन्नपूर्णा, अन्त्योदय, इत्यादि) के राशन कार्ड थे। 80 प्रतिशत बी.पी.एल राशन कार्ड से अधिक के उत्तरदाता वाले राज्य/सं.शा.क्षे. थे - आन्ध्र प्रदेश, मिजोरम, तमिलनाडु, दादर एवं नागर हवेली और पुडुचेरी। दूसरी ओर, 50 प्रतिशत से अधिक के ए.पी.एल. कार्डों के साथ सूचित राज्य/सं.शा.क्षे. थे- गोवा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड, तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह। पूरे भारत में, औसतन सात प्रतिशत उत्तरदाताओं ने किसी प्रकार के राशन कार्ड का न होना सूचित किया, लेकिन झारखण्ड, मणिपुर, मेघालय एवं ओडिशा, में 20 प्रतिशत से अधिक लाभार्थियों ने किसी भी प्रकार का राशन कार्ड न होना सूचित किया।

आवासीय इकाई का प्रकार: 55 प्रतिशत के पास कच्चा या अस्थायी मिट्टी के छत वाले घर, 24 प्रतिशत के पास अर्द्ध-कच्ची इकाईयां थीं और 16 प्रतिशत के पास पक्का या स्थायी पत्थर/ईंट प्रकार की आवासीय इकाई थी। झारखण्ड और त्रिपुरा में 95 प्रतिशत से अधिक लाभार्थी कच्चे घरों में रह रहे थे, और आन्ध्र प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में 10 से 20 प्रतिशत लाभार्थी कच्चे घरों में रह रहे थे। पक्का या स्थायी आवासीय इकाईयों में गोवा के लाभार्थी 80 प्रतिशत से अधिक पक्के घरों के साथ, सूची में सबसे ऊर थे। आन्ध्र प्रदेश तथा पंजाब में लगभग 40 प्रतिशत पक्के घरों में रहते थे। कुल 79 लाभार्थियों के पास अस्थायी या अर्द्ध-अस्थायी आवासीय इकाईयां थीं।

परिवारों में अन्य परिसंपत्तियां: अपने परिवारों में 65 प्रतिशत के पास बिजली की सुविधा थी, 27 प्रतिशत के पास टी.वी. थे, 37 प्रतिशत के पास शौचालय थे, 35 प्रतिशत के पास साइकिलें थीं तथा 6 प्रतिशत के पास मोटरसाइकिलें थीं।



त्रिपुरा में मनरेगा लाभार्थी का सर्वेक्षण किया जा रहा है

2013 की प्रतिवेदन सं. 6

13.5 लाभार्थियों के जागरूकता स्तर

योजना के जागरूकता स्तरों की जांच चार सीधे सवालों द्वारा की गई:

- एक वर्ष में उन दिनों की संख्या जिसमें परिवार का एक सदस्य कार्य करने का हकदार था,
- न्यूनतम मजदूरी दर पर,
- निर्धारित मजदूरी भुगतान अनुसूची पर, तथा
- न्यूनतम मजदूरी को सुनिश्चित करने हेतु कार्य की मात्रा पर।

लाभार्थियों के उत्तरों के आधार पर जागरूकता स्तर को फील्ड में साक्षात्कर्ता द्वारा उच्च, मध्यम या निम्न सूचित किया गया। रिपोर्ट में इस विश्लेषण के "उच्च" तथा "मध्यम" जागरूकता के स्तरों को जागरूक के रूप में माना गया था।

यह देखा गया कि केवल 39 प्रतिशत लाभार्थी, अधिनियम के चार मुख्य पहलुओं के प्रति जागरूक थे।

लाभार्थियों में जागरूकता का निम्न स्तर उनके अपने अधिकारों का पूर्ण रूप से उपयोग करने की क्षमता को घटा देगा।

योजना के व्यक्तिगत पहलुओं पर जागरूकता से संबंधित परिणाम नीचे दिए गए हैं:

13.5.1 100 दिनों का कार्य

लगभग 72 प्रतिशत लाभार्थी रोजगार के उन दिनों के बारे में जागरूक थे जिनके लिए वह हकदार थे। बिहार (52 प्रतिशत), गुजरात (28 प्रतिशत), महाराष्ट्र (57 प्रतिशत), और ओडिशा (43 प्रतिशत), राज्यों में जागरूकता स्तर निम्न थे। तथापि, छोटे राज्यों/सं.शा.क्षे. केरल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा एवं पुडुचेरी, में जागरूकता का स्तर ऊपर था (90 प्रतिशत या अधिक)।

13.5.2 मजदूरी एवं न्यूनतम मजदूरी दर का सामयिक भुगतान

लगभग 70 प्रतिशत उत्तरदाता उस सामयिकता के बारे में जानते थे जिसमें मजदूरी का भुगतान किया जाना था। तथापि, न्यूनतम मजदूरी का जागरूकता स्तर 77 प्रतिशत था।

लेखापरीक्षा ने लाभार्थियों के नमूना सेट में यह भी पाया कि, मजदूरी के भुगतान हेतु निर्धारित अवधि के बारे में जो जागरूक थे, वह लगभग उनके समान (0.93 सहसंबंध गुणांक) थे जो अपने 100 दिनों के रोजगार के प्रति जागरूक थे।

13.5.3 प्रतिदिन कार्य का भार एवं मजदूरी गणना

साक्षात्कार लिए गए लाभार्थियों में से केवल आधे, उस निर्धारित कार्य की मात्रा के बारे में जागरूक थे जोकि उन्हें पूरी मजदूरी भुगतान के लिए हकदार बनाते थे। उसी प्रकार, केवल 56 प्रतिशत लाभार्थी मजदूरी गणना के तरीके के बारे में जागरूक थे।

यह राज्यों/सं.शा.क्षे. को सूचना, शिक्षा तथा संचार गतिविधियों को सुधारने की आवश्यकता को दर्शाता है। इस प्रतिवेदन के पैरा 4.7 में जैसा कि उल्लिखित है, सात वर्ष बीत जाने के बावजूद, 12 राज्यों और दो सं.शा.क्षे. को सू.शि.सं. योजनाएं बनानी थीं और पांच राज्यों एवं सं.शा.क्षे. में इन गतिविधियों के लिए प्राप्त निधियों का कम उपयोग हुआ था।

13.6 पंजीकरण

रोजगार हेतु पंजीकरण से संबंधित मुद्दों के मूल्यांकन हेतु, तीन प्रश्न तैयार किए गए थे:

- क्या पंजीकरण हेतु मौखिक अनुरोध की सुनवाई की गई थी,
- क्या पंजीकरण प्रक्रिया पूरा वर्ष होती थी, तथा,
- पंजीकरण हेतु कितने धन का भुगतान किया गया था।

लगभग 30 प्रतिशत लाभार्थियों ने बताया कि मौखिक अनुरोधों की सुनवाई नहीं की गई थी।

पूरे भारत में, 43 प्रतिशत ने बताया कि उन्होंने वास्तव में एक लिखित अनुरोध प्रस्तुत किया था। केवल 37 प्रतिशत लाभार्थियों को अनुरोध के प्रति रसीद प्रदान की गई थी।

पंजीकरण प्रक्रिया हेतु धन दिए जाने के एकाध उदाहरण थे।

13.7 जॉब कार्ड

जॉब कार्डों का यह देखने हेतु जाँच की गई कि क्या आवश्यक विवरण दर्ज किए गए थे। जांचे किए गए विवरण थे:

- क्या लाभार्थी की तस्वीर/संयुक्त तस्वीर संलग्न थी
- क्या लाभार्थी के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप जॉब कार्ड पर थी, तथा,
- क्या रोजगार एवं भुगतान विवरणों का नियमित रूप से अद्यतन किया जा रहा था।

55 प्रतिशत मामलों में, यह देखा गया कि जॉब कार्डों में एक या अधिक कमियां थीं।

व्यस्क सदस्य जो आवेदक थे उनकी तस्वीरें जॉब कार्डों में संलग्न की जानी थी। तस्वीरों समेत जॉब कार्ड की लागत को कार्यक्रम की लागत के हिस्से के रूप में वहन किया जाना था। सर्वेक्षित व्यक्तियों में केवल 35 प्रतिशत के पास संयुक्त तस्वीरों के साथ जॉब कार्ड थे तथा पूरे देश में लगभग 14 प्रतिशत के पास बिना तस्वीर के जॉब कार्ड थे। जम्मू एवं कश्मीर (64 प्रतिशत) और ओडिशा (63 प्रतिशत) में 60 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं के जॉब कार्डों पर तस्वीर नहीं थी। इसी प्रकार, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र एवं पश्चिम बंगाल में लगभग एक तिहाई से एक चौथाई तक के उत्तरदाताओं के जॉब कार्डों पर कोई तस्वीर नहीं थीं।

जांचे गए जॉब कार्डों में एक तिहाई से अधिक में यह देखा गया कि हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप नहीं थे। 39 प्रतिशत जॉब कार्डों में अद्यतित भुगतान प्रविष्टियां भी नहीं थीं, तथा 33 प्रतिशत में अद्यतित कार्य प्रविष्टियां नहीं थीं।

जम्मू एवं कश्मीर में, मुख्य रूप से, जॉब कार्डों में निम्नलिखित प्रविष्टियां अद्यतित नहीं थीं:

- 99.87 प्रतिशत मामलों में भुगतान प्रविष्टियां
- लगभग 80 प्रतिशत मामलों में कार्य प्रविष्टियां
- 66 प्रतिशत मामलों में हस्ताक्षर कॉलम रिक्त था।

यह सभी कमियां, जॉब कार्डों को अद्यतित करने हेतु नियमित प्रणाली की अनुपस्थिति दर्शाती हैं।

13.8 निर्माण कार्य एवं रोजगार

13.8.1 रोजगार के दिनों की संख्या

केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद के आंकड़ों के अनुसार, 2011-12 में प्रदान किए गए रोजगार के दिनों की औसत संख्या 43 थी। परीक्षित लाभार्थियों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर अखिल भारतीय स्तर पर वर्ष 2011-12 हेतु रोजगार के दिनों की औसत संख्या, को 53 दिनों के रूप में मूल्यांकित किया गया था।

मणिपुर, मिजोरम एवं त्रिपुरा में लाभार्थियों ने वर्ष 2011-12 में प्रत्येक परिवार को 80 दिनों से अधिक का रोजगार प्राप्त होना। अन्य राज्य/सं.शा.क्षे. जैसे अरुणाचल प्रदेश (21 दिन), असम (28 दिन), छत्तीसगढ़ (33 दिन), ओडिशा (32 दिन), पश्चिम बंगाल (25 दिन), एवं पुडुचेरी (28 दिन) एक सीमित हद तक वार्षिक रोजगार प्रदान कर पाए थे।

13.8.2 कार्य प्रदान का प्रतिक्षा समय

औसतन, लाभार्थियों को जॉब के अनुरोध के नौ दिनों के पश्चात कार्य प्रदान किया गया था। तथापि, जिन 99 प्रतिशत लाभार्थियों को 15 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान नहीं किया गया था, उन्हें वैधानिक बेरोजगारी भत्ते का भुगतान नहीं किया गया था।

13.8.3 कार्य-स्थल की दूरी

निर्माण स्थल, आबादी से 2.6 कि.मी. की औसत दूरी पर था। हरियाणा, मिजोरम, नागालैण्ड, त्रिपुरा, तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में लाभार्थियों ने कार्य हेतु चार कि.मी. से अधिक की यात्रा सूचित की। केवल 18 प्रतिशत मामलों में लाभार्थी ने कार्य हेतु पांच किलोमीटर से अधिक की यात्रा करने हेतु अधिदेषित अतिरिक्त मजदूरी प्राप्त की थी।

13.8.4 मशीनरी का उपयोग

हालांकि मनरेगा निर्माण कार्यों में मशीनरी का उपयोग स्वीकृत नहीं था लेकिन 14 राज्यों में लाभार्थियों ने मशीनरी का उपयोग सूचित किया।

13.8.5 निर्माण स्थल पर सुविधाएं

परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, निर्माण स्थल पर कुछ मूल सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। इनमें सम्मिलित हैं:

- पीने का पानी
- आश्रय
- प्राथमिक चिकित्सा, एवं
- क्रेच (यदि पांच से अधिक बच्चे छः वर्ष की आयु से कम हैं)

लगभग अस्सी प्रतिशत लाभार्थियों ने सूचित किया कि इन सुविधाओं में से एक या उससे अधिक सुविधाएं निर्माण स्थलों पर प्रदान नहीं की गई थी। मुख्य रूप से, केवल 18 प्रतिशत लाभार्थियों ने कहा कि क्रेच की सुविधा प्रदान की गई थी। आगे, केवल लाभार्थियों के 50 प्रतिशत ने सूचित किया कि निर्माण स्थलों पर प्राथमिक चिकित्सा एवं आश्रय हेतु सुविधाएं प्रदान की गई थी तथा एक चौथाई ने सूचित किया कि निर्माण स्थल पर पीने के पानी की सुविधा प्रदान नहीं की गई थी।

13.8.6 निर्माण स्थल पर मस्टर रोल

निर्माण स्थल पर मस्टर रोल उपलब्ध एवं अनुरक्षित होने चाहिए। अठहत्तर प्रतिशत लाभार्थियों ने सूचित किया कि निर्माण स्थल पर मस्टर रोल रखे गए थे तथा उनपर उपस्थिति अंकित की गयी थी। तथापि, गोवा (43 प्रतिशत), जम्मू एवं कश्मीर (31 प्रतिशत), एवं उत्तराखण्ड (40 प्रतिशत) के मामले में उपस्थिति का अंकन 50 प्रतिशत से कम था जो प्रणालीगत चूकों को दर्शाते हैं।

13.9 मजदूरी का भुगतान

13.9.1 आधार

टुकड़ा दर (कार्य के माप के आधार पर) या दैनिक दर के आधार पर मजदूरी के भुगतान हेतु निर्देश हैं। कुल, 34 प्रतिशत ने टुकड़ा दर आधार पर भुगतान सूचित किया। अतः मजदूरी भुगतान हेतु किए गए कार्य की मात्रा प्रमुख मापदंड नहीं थी। वह राज्य/सं.शा.क्षे. जहाँ मुख्य रूप से 'काम किए गए दिनों की संख्या' भुगतान का आधार (जहाँ 80 प्रतिशत से अधिक लाभार्थियों ने उत्तर दिया कि मजदूरी का आधार केवल दिनों की संख्या थी) था, वे थे-असम, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, तथा अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह। इसके विपरीत वह राज्य/सं.शा.क्षे. जहाँ टुकड़ा दर भुगतान के आधार रखे गये थे, वे थे- आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, दादर एवं नागर हवेली तथा पुडुचेरी।

13.9.2 सामयिक प्राप्ति

देश भर में पैसठ प्रतिशत लाभार्थियों ने सूचित किया कि उन्हें भुगतान की प्राप्ति कार्य के 15 दिनों के भीतर हुई थी, 16 प्रतिशत ने 30 दिनों के अन्दर भुगतान की प्राप्ति सूचित की, 11 प्रतिशत ने 30 से 60 दिनों के भीतर, चार प्रतिशत ने मजदूरी की प्राप्ति में काफी विलंब सूचित किए (60 से 90 दिन) एवं दो प्रतिशत ने अपनी मजदूरी की प्राप्ति में बहुत अधिक विलंब (90 दिनों से अधिक) सूचित किए।

मजदूरी के भुगतान की कुशलता कुछ राज्यों सं.शा.क्षे. जैसे मिजोरम, नागालैण्ड, तमिलनाडु, त्रिपुरा तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में ज्यादा थी (80 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं ने 15 दिनों के भीतर भुगतान की प्राप्ति सूचित की)। इन राज्यों के अलावा, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, एवं उत्तर प्रदेश के 75 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं द्वारा सामयिक भुगतान (जैसे 15 दिनों के भीतर भुगतान की प्राप्ति) सूचित किया गया था। छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल एवं पुडुचेरी से लाभार्थियों की बड़ी संख्या (50 प्रतिशत से अधिक) ने विलंबित भुगतान सूचित किए।

13.9.3 भुगतान का साधन

आन्ध्र प्रदेश (19 प्रतिशत), अस्सीचल प्रदेश (73 प्रतिशत), मणिपुर (53 प्रतिशत), मेघालय (70 प्रतिशत), मिजोरम (26 प्रतिशत), तमिलनाडु (98 प्रतिशत) एवं पुडुचेरी (28 प्रतिशत), से नकद भुगतान की काफी संख्या सूचित की गई। कुल 13 प्रतिशत लाभार्थियों ने उत्तर दिया कि उन्हें भुगतान नकद में प्राप्त हुए थे।

भुगतान के अन्य माध्यमों हेतु बैंकों द्वारा भुगतान अधिकतम था (41 प्रतिशत) उसके पश्चात डाकघरों (25 प्रतिशत) एवं बैंक सहसंबंधी (7 प्रतिशत) थे। बिहार, गुजरात एवं झारखण्ड में 70 प्रतिशत से अधिक लाभार्थियों को डाकघर के द्वारा भुगतान प्राप्त हुआ जबकि त्रिपुरा ने अपने भुगतान हेतु बैंक सहसंबंधी का इस्तेमाल किया।

13.10 ग्राम सभा की भूमिका

ग्राम सभा की अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत किए जाने वाले संभावित निर्माण कार्यों के एक शेल्फ का निर्माण करता है। ग्राम सभा को निर्माण कार्यों के निष्पादन को मॉनीटर भी करना था एवं योजना के

अंतर्गत सभी परियोजनाओं की नियमित सामाजिक लेखापरीक्षाओं का संचालन करना था। इन गतिविधियों हेतु, यह आवश्यक था कि ग्राम सभा की बैठकें नियमित रूप से हों तथा लाभार्थियों की सक्रिय भागीदारी हो।

राष्ट्रीय औसत के अनुसार, ग्राम सभा की प्रतिवर्ष तीन बैठकें सूचित की गई थी। महाराष्ट्र के लाभार्थियों ने पांच ग्राम सभा बैठकें सूचित की थी, जबकि जम्मू व कश्मीर तथा पश्चिम बंगाल से उन्होंने वर्ष में औसतन एक बैठक सूचित की थी। देश हेतु समग्र रूप से किसी भी ग्राम सभा बैठक में भौतिक भागीदारी 63 प्रतिशत थी।

मनरेगस निर्माण-कार्यों हेतु वार्षिक योजना तथा ग्राम हेतु निर्माण कार्यों के शेल्फ की चर्चा ग्राम सभा बैठकों में की जानी थी। तथापि, ग्राम स्तरीय नियोजन एवं भागीदारी में केवल 56 प्रतिशत प्रतिभागियों ने बताया कि ग्राम सभा बैठकों में मनरेगस निर्माण-कार्यों की चर्चा की जाती थी जो ग्राम स्तर पर नियोजन एवं भागीदारी में महत्वपूर्ण अन्तर की ओर संकेत करता है। आन्ध्र प्रदेश, असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु एवं पश्चिम बंगाल में 50 प्रतिशत से भी कम प्रतिभागियों ने बताया कि ग्राम सभा बैठकों में मनरेगस निर्माण कार्यों पर चर्चा की गई थी।

13.11 पारदर्शिता एवं मॉनीटरिंग

पारदर्शिता के तंत्रों को विभिन्न तरीकों अर्थात् अद्यतित विवरणों को दीवारों/सार्वजनिक स्थानों पर चिपकाने, विभागीय अधिकारियों द्वारा नियमित दौरे, सामाजिक लेखापरीक्षा के तंत्र, नियमित शिकायत निवारण तंत्र की उपस्थिति द्वारा सुनिश्चित किए जाने की मांग की जानी थी। प्रश्नावली द्वारा इनकी समीक्षा की गई थी।

केवल 46 प्रतिशत प्रतिभागियों ने सूचित किया कि मनरेगस निर्माण कार्यों के विवरण सार्वजनिक दीवारों पर चिप्रित या फिर चिपकाए गये थे। यह कार्य अस्लाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, ओडिशा, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह तथा दादर व नागर हवेली में लगभग अनुपस्थित थी, लेकिन हरियाणा, मेघालय एवं राजस्थान में उल्लेखनीय रूप से अधिक थी।

ग्राम मॉनीटरिंग समितियों द्वारा, तथा ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों द्वारा 100 प्रतिशत मॉनीटरिंग परियालनात्मक दिशानिर्देशों की आवश्यकता थी। इसके अलावा, जिला एवं राज्य स्तर पर भी मॉनीटरिंग होनी थी। ब्लॉ.वि.अ., कार्यक्रम अधिकारी, सहायक अभियंता, कार्यकारी अभियंता, स.मॉ.स. सदस्य एवं जिला स्तर कार्यकर्ता के संयोजन द्वारा प्रत्येक निर्माण स्थल का दौरा करना था। इसका मतलब है कि प्रत्येक परियोजना का दौरा अनेक अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए। यह तंत्र अनुपस्थित था क्योंकि साक्षात्कारों में 24 प्रतिशत लाभार्थियों ने सूचित किया कि निर्माण स्थल का एक भी कार्यकर्ता द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया था। यह मॉनीटरिंग प्रक्रिया में काफी कमियां दर्शाता है।

योजना के अंतर्गत परिकल्पित सामाजिक लेखापरीक्षा की संकल्पना का अभी भी बनना शेष था। केवल 22 प्रतिशत ने सूचित किया कि मनरेगस की सामाजिक लेखापरीक्षा उनके गाँव में की गई थी। आन्ध्र प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूहों के लाभार्थियों ने अधिक सामाजिक लेखापरीक्षा सूचित की थीं। हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, नागालैण्ड, त्रिपुरा तथा दादर व नागर हवेली में ग्राम स्तर पर की गई सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रतिशतता शून्य थी।

13.12 मनरेगस का प्रभाव

यह अभ्यास लाभार्थियों के जीवन पर मनरेगस के प्रभाव को मापने की भी मांग करता था। 31 प्रतिशत लाभार्थियों को लगा कि मनरेगस उनके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव नहीं लाया।

तथापि, राज्यों में इन आंकड़ों में भारी अन्तर है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, त्रिपुरा तथा अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह जैसे छोटे राज्यों/सं.शा.क्ष. में, 90 प्रतिशत लाभार्थियों को लगा कि मनरेगस ने महत्वपूर्ण तरीके से उनकी मदद की है। तथापि, असम, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं पश्चिम बंगाल में योजना के लाभकारी होने की भावना कम थी, क्योंकि आधे से ज्यादा लाभार्थियों को लगा कि मनरेगस ने महत्वपूर्ण रूप से उनकी मदद की है।

तिरसठ प्रतिशत लाभार्थियों ने बताया कि मनरेगस ने काम की खोज में प्रवास से बचने में उनकी मदद की है। इसके अलावा, 53 प्रतिशत लाभार्थियों को भी लगा कि जिन कार्यों को वह नहीं करना चाहते थे उनसे बचने में मनरेगस ने उनकी मदद की थी।

आगे, लगभग 71 प्रतिशत उत्तरदाताओं को लगा कि मनरेगस के द्वारा उनके गावों में उपयोगी संपत्ति का सृजन हुआ है। तथापि, अस्सीचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, केरल एवं तमिलनाडु में आधे से कम लाभार्थियों को लगा कि योजना के अंतर्गत उपयोगी संपत्ति का सृजन हुआ था।

अंत में, परिवारिक आय में सुधार के प्रश्न पर 75 प्रतिशत लाभार्थियों को लगा कि उनके परिवारिक आय में कोई सुधार नहीं हुआ था या फिर सुधार केवल मामूली था।

मनरेगा, शारीरिक श्रम करने को तैयार प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी देता है। निष्पादन लेखापरीक्षा ने उजागर किया कि इच्छुक लाभार्थी पूर्ण रूप से अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाए थे।

लेखापरीक्षित ग्राम पंचायतों में, श्रमिकों के पंजीकरण से संबंधित विभिन्न कमियां एवं विलंब या जॉब कार्डों को जारी न किया जाना पाया गया था। यह भी देखा गया कि एक जॉब कार्ड को प्राप्त करना ही लाभार्थी द्वारा मांगे जाने पर रोजगार में स्वतः परिवर्तित नहीं हो जाता। नमूना परीक्षित ग्राम पंचायतों में, यह पाया गया कि 47,687 से अधिक मामलों में, लाभार्थियों को न तो मांग पर रोजगार प्रदान किया गया और न ही बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया गया था।

इसके अतिरिक्त, रोजगार प्राप्त होने के पश्चात भी, 23 राज्यों में भुगतान न किए जाने एवं मजदूरी के विलंबित भुगतान के उदाहरण पाए गए थे। यह मामले दिखाते हैं कि पर्याप्त आजीविका सुरक्षा प्रदान करने के लिए गहन प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। सभी स्तरों पर अभिलेख अनुरक्षण में व्यापक तथा अत्यधिक कमियों के कारण आजीविका सुरक्षा प्रदान करने में अपर्याप्तता के पैमाने को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। 18 से 54 प्रतिशत नमूना परीक्षित ग्रा.पं. में आधारभूत अभिलेखों के अनुरक्षण न किए जाने या गलत अनुरक्षण किया जाना पाया गया। ऐसी स्थिति में, मांग करने पर 100 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी तथा योजना के कार्यान्वयन के अन्य पहलू पूर्ण रूप से सत्यापनीय नहीं थे।

मनरेगस के अंतर्गत शुरू किए गए निर्माण कार्यों में भी कमियां पाई गई थीं। निर्माण कार्यों को बीच में छोड़ देने तथा लंबी अवधि तक पूर्ण न किए जाने के उदाहरण पाए गए थे। योजना के अंतर्गत ₹ 2,252.43 करोड़ के निर्माण कार्य जिन्हें योजना के अंतर्गत प्रारम्भ किया गया था, अनुमेय नहीं थे। यह देखा गया कि कुल ₹ 4070.76 करोड़ के 7,69,575 निर्माण कार्य, एक से पांच वर्षों के पश्चात भी अपूर्ण थे। यह भी पाया गया था कि ₹ 6,547.35 करोड़ की राशि का निर्माण कार्यों पर व्यय का परिणाम स्थायी परिसंपत्तियों के सृजन में नहीं हुआ था। राज्यों की बड़ी संख्या में, अन्य उपयोगों हेतु निधियों के विपथन के मामले भी देखे गए थे।

निर्माण कार्यों के संबंध में, सांविधिक 60:40 मजदूरी-सामग्री अनुपात का गैर-अनुपालन बड़ा मुद्दा था। अधिनियम, जो यह अनुबंधित करता है कि प्रत्येक निर्माण कार्य हेतु इस अनुपात को बनाए रखा जाना चाहिए, के उल्लंघन में मंत्रालय ने इस प्रावधान में ढील की। मंत्रालय द्वारा जारी परिचालनात्मक दिशानिर्देश ने वर्णित किया कि इस अनुपात को “अधिमानतः ब्लॉक एवं जिला स्तर पर ग्राम पंचायत में बनाए रखा जाना चाहिए था। 12 राज्यों एवं एक सं.शा.क्षे. में सीमित प्रमात्रीकरण अभ्यास में, यह देखा गया था कि इस अनुपात के गैर-अनुपालन के कारणवश लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान 15.03 करोड़ श्रमदिवसों का कम सृजन हुई।

अधिनियम योजना की मॉनीटरिंग तथा इसके उचित कार्यान्वयन हेतु आवश्यकता अनुसार राज्यों को निर्देश देने हेतु मंत्रालय को वैधानिक रूप से उत्तरदायी बनाता है। वास्तव में, अधिनियम यह अपेक्षा करता है कि मंत्रालय एक केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद स्थापित करे जो योजना की मॉनीटरिंग एवं सुधारों के सुझाव हेतु स्वयं उत्तरदायी हो। परिषद, ग्रामीण विकास के मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करती थी तथा अन्य पण्डारी इसमें शामिल थे। तथापि, यह देखा गया था कि परिषद ने योजना की मॉनीटरिंग के मामले में बहुत कम कार्य किया था। छ: वर्षों के अपने अस्तित्व में, परिषद के कुछ सदस्यों ने केवल 13 फैल्ड दौरे किए थे तथा अधिनियम द्वारा अपेक्षित, मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन की प्रभावी प्रणाली स्थापित नहीं की थी।

मंत्रालय के मॉनीटरिंग तंत्रों में, जैसाकि परिचालनात्मक दिशानिर्देशों में परिकल्पित है, सत्यापन तथा गुणवत्ता लेखापरीक्षा तथा ऑनलाइन मॉ.सू.प्र. नरेगासॉफ्ट हेतु, राष्ट्रीय गुणवत्ता परिवीक्षकों की प्रणाली भी शामिल थी। यह देखा गया था कि मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता परिवीक्षकों की प्रणाली को अभी परिचालनात्मक किया जाना था। कमजोर आंतरिक नियंत्रण तथा किसी भी पुनः सत्यापन की कमी ने मॉ.सू.प्र. में डाटा की सत्यता और विश्वसनीयता को गम्भीरता से नष्ट भी कर दिया था। लेखापरीक्षा में डाटा हेर-फेर के उदाहरण मिले जोकि बिना किसी आधार के प्रतीत होते हैं।

अधिनियम एवं परिचालनात्मक दिशानिर्देशों में अपेक्षित है कि योजना के कार्यान्वयन को राज्य एवं पंचायती राज संस्थाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के तरीकों से मॉनीटर किया जाना चाहिए। राज्यों की बड़ी संख्या में परिकल्पित मॉनीटरिंग तंत्रों में अंतर पाए गए थे। राज्य अधिकारियों द्वारा निर्माण कार्यों के सत्यापन काफी कम थे। कुछ राज्यों में गुणवत्ता परिवीक्षकों तथा सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समितियां नियुक्त नहीं की गई थीं। सामाजिक लेखापरीक्षा बड़े पैमाने तक अप्रभावी रहीं क्योंकि सामाजिक लेखापरीक्षा इकाईयां स्थापित नहीं की गई थीं। कई राज्यों में सामाजिक लेखापरीक्षा में कमियां पाई गई थीं।

मंत्रालय द्वारा निधियों को जारी करने एवं अनुमोदन में कमियां थीं। कई उदाहरण पाए गए जिनमें मंत्रालय ने मांग से अधिक तथा स्वयं की शर्तों के उल्लंघन में अनुदान जारी किए थे। वास्तव में, 2010-11 में, मंत्रालय ने निधियों को जारी करने से संबंधित सभी शर्तों (उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के अलावा) ढील बरती। मंत्रालय द्वारा इस निर्णय हेतु कोई आधार प्रदान नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, केवल मार्च 2011 के माह में उचित वित्तीय नियंत्रण अपनाए बिना ही ₹ 1,960.45 करोड़ जारी किए गए थे।

मंत्रालय को योजना के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए निर्णायक कदम उठाने की आवश्यकता है। इसे गहन मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन प्रणालियों को विकसित करने पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है।

केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद द्वारा प्रदत्त डाटा के विश्लेषण ने कुछ प्रतिकूल प्रवृत्तियां को उजागर किया। योजना के अंतर्गत किया गया व्यय पिछले तीन वर्षों से स्थिर था तथा वास्तव में 2011-12 में इसमें मामूली गिरावट दर्ज की गई। हमने पाया कि वर्षों तक मजदूरी में प्रगतिशील वृद्धि को ध्यान में रखते हुए व्यय में गिरावट से रोजगार सृजन पर अधिक प्रभाव होगा। सृजित रोजगार 2009-10 में 283.59 करोड़ श्रमदिवसों से 2011-12 में 216.34 करोड़ श्रमदिवस तक घटा। 2011-12 में निर्माण कार्यों के समापन में भी महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई थी।

समीक्षा के अंतर्गत अवधि हेतु राज्यों को किए गए निर्गमों एवं गरीबी डाटा के विश्लेषण ने दर्शाया कि तीन राज्यों-बिहार, महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश में भारत के 46 प्रतिशत ग्रामीण गरीब थे किन्तु योजना के अंतर्गत जारी कुल निधियों का केवल 20 प्रतिशत ही दर्ज किया गया था। यह इंगित करेगा कि गरीबों में से गरीब, मनरेगा के अंतर्गत अपने अधिकारों का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पाए थे।

(रॉय मथुरानी)

महानिदेशक लेखापरीक्षा
केन्द्रीय व्यय

नई दिल्ली

दिनांक: 19 मार्च 2013

प्रतिहस्ताक्षरित

(विनोद रॉय)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली

दिनांक: 20 मार्च 2013

अनुबन्ध

अनुबंध-1क
रोजगार, गरीबी की स्थिति तथा निधियों के निर्गम के राज्य-वार विवरण
(पैरा 1.5 के संदर्भ में)

राज्य	रोजगार प्रदान किये गये परिवारों की औसत संख्या*	गरीबों की संख्या#	निर्गम की गयी कुल निधि (₹ करोड़ में)@
आन्ध्र प्रदेश	41,75,350	1,27,90,000	17,267.41
अरुणाचल प्रदेश	7,293	2,70,000	172.07
असम	14,39,779	1,05,30,000	3,295.50
बिहार	19,27,579	4,98,70,000	6,292.44
छत्तीसगढ़	24,84,636	1,08,30,000	6,959.36
गोवा	9,105	60,000	15.20
गुजरात	11,36,895	91,60,000	2,219.80
हरियाणा	2,23,447	30,40,000	715.10
हिमाचल प्रदेश	4,84,126	5,60,000	1,880.34
जम्मू एवं कश्मीर	2,17,661	7,30,000	1,446.04
झारखण्ड	16,85,494	1,02,20,000	5,468.85
कर्नाटक	24,70,768	97,40,000	5,662.81
केरल	11,86,135	21,60,000	2,390.88
मध्य प्रदेश	37,95,298	2,16,90,000	15,717.43
महाराष्ट्र	8,07,898	1,79,80,000	1,711.60
मणिपुर	1,64,736	8,80,000	1,832.02
मेघालय	2,74,920	3,50,000	843.37
मिजोरम	1,54,793	1,60,000	1,007.94
नागालैण्ड	3,23,848	2,80,000	2,060.01
ओडिशा	15,54,758	1,35,50,000	4,401.29
पंजाब	2,60,448	25,10,000	483.75
राजस्थान	53,42,937	1,33,80,000	17,928.73

2013 की प्रतिवेदन सं. 6

सिक्किम	46,833	70,000	281.13
तमिलनाडु	58,29,489	78,30,000	8,128.97
त्रिपुरा	5,66,777	5,40,000	2,858.82
उत्तर प्रदेश	73,69,867	6,00,60,000	20,425.74
उत्तराखण्ड	4,20,241	10,30,000	1,154.13
पश्चिम बंगाल	52,76,742	1,77,80,000	8,307.31
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	9,783	0	34.91
चण्डीगढ़	0	0	0.65
दादरा एवं नागर हवेली	0	1,00,000	2.77
दमन एवं दीव	0	20,000	1.12
लक्ष्द्वीप	2,287	0	7.76
पुडुचेरी	27,472	0	40.06

* 2009-10 से 2011-12 के वर्षों के लिए औसत, स्रोत: नरेगासॉफ्ट मॉ.सू.प्र.

2009-10, स्रोत: योजना आयोग

@ 2007-12 की अवधि हेतु स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय

अनुबंध-2क
नमूना चयन का संक्षिप्त विवरण
(पैरा 2.1.4 का संदर्भ लें)

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिला	व्लॉक	ग्रा.पं.
1	आन्ध्र प्रदेश	5	15	150
2	अरुणाचल प्रदेश	4	9	43
3	असम	8	21	83
4	बिहार	15	54	252
5	छत्तीसगढ़	6	14	140
6	गोवा	2	4	14
7	गुजरात	6	15	150
8	हरियाणा	6	12	114
9	हिमाचल प्रदेश	4	9	90
10	जम्मू एवं कश्मीर	6	12	113
11	झारखण्ड	6	17	167
12	कर्नाटक	8	16	157
13	केरल	4	13	39
14	मध्य प्रदेश	13	29	290
15	महाराष्ट्र	9	24	240
16	मणिपुर	4	9	90
17	मेघालय	4	8	90
18	मिजोरम	2	4	39
19	नागालैण्ड	3	7	54
20	ओडिशा	8	20	200
21	पंजाब	6	13	118
22	राजस्थान	8	18	180
23	सिक्किम	2	4	8
24	तमिलनाडु	8	23	230
25	त्रिपुरा	2	6	60
26	उत्तर प्रदेश	18	46	460
27	उत्तराखण्ड	4	10	100
28	पश्चिम बंगाल	5	15	120

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिला	ब्लॉक	ग्रा.पं.
29	अंडमान एवं निकाबार द्वीपसमूह	2	4	14
30	दादरा एवं नागर हवेली	1	1	10
31	लक्ष्मीप	1	3	3
32	पुडुचेरी	2	3	30
कुल		182	458	3,848

अनुबंध-2ख

नमूना चयन का संक्षिप्त विवरण

(पृष्ठ 2.1.4 का संदर्भ ले)

क्र.सं	राज्य का नाम	जिले का नाम	ब्लॉक का नाम	ग्रा.पं. के नाम
1.	आन्ध्र प्रदेश	नालगोड़ा, रंगा रेड्डी, कुट्टूल, विशाखापट्टम, विजयनगरम (पाँच)	कृष्णगिरिज तुमाली, चागलमारी, गत्यादा, गुर्ला, कुरुम, कोटोराटला, बत्यायापटा, सञ्जवस्स, पेचपल्ली, नेरेद्वेरला, विटापल्ली, यलाल, यचारम, मोमिनपेट(15)	भीमनपल्ली, घोसेकोपाड़ा, वनकामामिदी, शिवरेड्डीगुड़म, बेट्टाटंडा, बोथलापलेम, गुड्गुन्टलापलेम, बहाड़, कोमाटीकुटा, मुकुद्युस्स, मुक्षिवेदुसिंगरम, पलकीडू रवि पहाड़, सामवस्स, चितापल्ली, किस्तारामपल्ली, गद्या गोरारम, कुरमपल्ली, मदनापुर, मल्लारेड्डीपल्ली, मेलवालपल्ली, वरकल, विन्जमूर, तीकिदू, अग्नूर, अक्कमपल्ले, बेन्नूर, चेन्नारम, देवनूर, दोलापुर, जंतपल्ले, नागसमन्दू, रसनुम, संगमकुदू, चितापाटला, चौदर पल्ली, गद्दामलड्याहयुड़ा, कोथापल्ली, कुरमिदा, मल्ल, नानकनगर, नन्दीवाना पर्थ, थारीपर्थी, तुले खुर्द, आमरदीकला, देवरमपल्ली, इच्छा विटमपल्ली, केंद्रारम, कोलकोन्डा, मेकावानामपल्ली, मामीनपेट, वेलचाल, येन्कथला, यंकिपल्ली, आलमकोड़ा, लक्ष्मकासागस्स, पोथुगल, शो येरुड्डि, तल्ला गोकुलपाड़ु, थोगारचेड़ु, येलकलाचेल्लु, चेन्नमपल्ले, युटी येशुगुड़ी, पेन्डेकल्लू, रामपल्ली, रसना, सभाषपुरम, तुगली, कदमकुतला, पगिडीरोय, उपरलापल्ली, मल्लेवेमुला, गोडीगन्नूर, पेड्डजवागली, नीलमपाड़ु, सेटटीवील्लू डी. वानीपेट्टा, मुत्तलापाड़ु, चागलामरी, महुरु, गोतलूर, बुडाचनामाल्ली, गंतायादा, जिनाळु, किर्थुवारकी, कोणडातमाल्ली, मुरापाका, नरावा, पेटाशीरमपुरम, रामप्रद्युस्स, रामावस्स, दमरिसेगी, गुडेम, गुर्ला, जम्मू केल्ला, कोडागनरेहू, पेंडंतपल्ली, तीरीपुडी, तेतारी, वल्लापुम, बिच्चालवलसा, गुज्जवर्कू, कुरुम, मर्शपल्ली, नीलकंठपुरम, पेडागोतील्ली, थीरीरी, वलसबल्लू, वूसाकोपाड्डा, उदयापुम, येण्डापल्ली, थांगेहू रामचन्द्रालेम, पीपल्लाकोठापल्ले, पंकुरु, नीलगुंटा, चिन्नाबोल्लेपल्ले, कोजावतीपुडी, बोधपलेम, आकाशहेवपट, हृव्यपेट, चिन्नायापलेम, गुन्तेमपुडी, कोडापलेम, मल्लम, पेजुपुडी, राजम, आर चिवारमपुरम, तुरकालपुडी, विजयरामराजपेटा, अन्ताकापल्ली, अशाकापलेम, बंगारमपलेम, बठाजांलापलेम, गुल्लेपल्ले, नल्लारेगुलापलेम, नारपाड़ु, रायापूरा अग्नहस्म, तेकालीपलेम(150)
2.	अरुणाचल प्रदेश	पापुमपेरे, पछिचम शियांग, लोअर तिवांग वैली, अंजाव (चार)	दोईमुख, सागली, आलो पूर्व, बरार, लिरोमोबा, रोइंग-कोरेश, हुनली-दीशली, हथुलियांग, हवाई-वलांग(नी)	बैंडरेस्या, बैट, दोईमुख, गंगा, लोबिया, बोकारियांग-। खील, कीर्णी, लैंगपंग, लैच-तावियो, दोर्जी जेल्ली, कोम्बो पोमटे, नीचली लोपम जीनी, असी लोपम जीनी, पक्कम-। तारसू नोबर्क-। डाली, विशी, गालू-साईब, गोरि-। जाइम/जिदो, पाडी-। पेगी/कामदक एवररेस्ट, इस्सी युप, पोक्तो/लिंगो/बोटू, राइज/दोर्दी/लेंगी/बोटू, बालेक, ब्लॉग-।। ल्लॉग-।।। इंताया, जिया-।।। जिया-।।। मायू-।।। सिका-।।। पर्सुक, एलोप, हुनली, आमलीयांग, ब्रेंगांग, सुपलांग जोमीसी, लोतूल, मिचोंग, वालंग(43)
3.	असम	चिराग, कार्बी एगांग, डीबूगढ, जोरहाट, गोलपाड़ा, कमलकू(ग्रामीण), काचर, हैलाकंडी(आठ)	दोईबाजार, सिदली विरंग, बोरोबाजार, बारलावांग, डीबूगढ, जोरहाट, निलीप, लैंगसोमेपी, होराघाट, निलीप, खोवांग, टिंखांग, उत्तर पश्चिम जोरहाट, जोरहाट(बागचुया), हाजो, चामरिया, कमलपुर, गोरोइमरी, मतीया, कुशधोवा, अलगापुर, हैलाकंडी, पालोनघाट,	अमगुडी, बागडांगाव, बारलावांग, हकुआ सरफग, कुमारसाली बाताबाई, मालीपाडा, बमुनाव-दत्तापुर, बेसोखाडी-नांगलबंगा, खुनरीग, मालीविता, ओगुडी, पाताबाडी, रंचाईर्धाम, तुकराझार, हावराघाट, लांधीन, फुलोनी, हावराघाट, लैंगफर, लांधीन, देवपानी, डुआर बागोडी, निलीप, बामनबाडी, गजपुरिया, हल्दीबाडी, नहरानी, धामन, कोनवाडी गांव, महमोरा/बोरपथर, सलमाली, 38 ने. बालीगांव, 31 ने. मध्य चरिंगांव, 44 ने. मध्य सारुमारी, 45 ने. पश्चिम सारुचारय, 37 ने. रोजाहोली, 54 ने. सीनानोडा, 60 ने. मरियानी बगीचा, 66 ने. पचीम थांगल, 64 ने. पब थांगल, 57 ने. उत्तर गड्डमूर बगीचा, 48 ने. उत्तर नमोनी चारीबाई, बरसी, बोंगलपाडा, दामपुर, सोनीयादी, हेकरा जोगीपाडा, किस्मत काथमी, महटोली, पिंपुरा, बोडसील, बोडका सरागाव, केंद्रकोना, अचलपाडा, जोड्डीमुकु, मेजरटाप, काठीपाड़ा,

तपांग, राजाबाजार, उधरखोदा(21)	सिथावाडी, श्री सुर्यगिरि, दृष्टनाई, दारशीरी, लेला, कलीनगर, पंचग्राम, सैयदबोदे, सुदर्शनपुर/वंदकमाना, कंचनपुर, गंगपरधुमकरथ/लखीवरबोद, निताइनगर, भूबनहिल, मोहनखल/रम्मानिकपुर, इंद्राघर, कथाल, तपांग, हरिनगर, जोयपुर कामरंगा, लोबग, खासपुर, काशीपुर, मधुरा, सलगोगा(83)	तपांग, राजाबाजार, उधरखोदा(21)
4.	विहार	<p>मुंगेर, जहानाबाद, बांका, दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय, भमुआ, मुजफ्फरपुर, भोजपुर, नालंदा, औरंगाबाद, असरिया, सीतामढी, पश्चिमी चंपारण, किशनगंज(15)</p> <p>असरगांज, ध्रहरा, हुलासगंज, मधुसूदनपुर, अमरपुर, चंदनन, शंभूज, बहेडी, बिरोल, हुनुमन नगर, तारखीह, जले, बासोपट्टी, लखनोर, बिरकी, कलुआही, जयनगर, बलिया, नवाकोठी, दंडरी, खोदबंधपुर, बीरपुर, कटेया, पश्चिम, गीरपुर, केटीया, नहास क्षेत्री उत्तर परसोनी उत्तर, रहतोस, सुदुलापुर, हीलिपुर उत्तर, देवदा मध्य, दोभर, बेलही पूर्व, बलिया लखमनिया-।। बलिया लखमनिया-।। भगतपुर, नुरगामपुर, ताजापुर, फूफुरु, महेश्वर, रजकपुर, कठाही, करत्रमाला दक्षिण, वैक, विरायाएर पश्चिम, खोदबंधपुर, बारा, विएरु पश्चिम, गेनहपुर, मावानन्दपुर, पचपोखरा, मेडरा, दरवर, चिलबिल, अहिवास, बरोरा, साहुका, अमनप, बेलनव, कुरारी, हसिंहपुर लोतन, महमदपुर, विद्यामुपुर, मनिका विष्णुचन्द दस, दुमरी, अङ्गुलनगर/मधेपुर शेषपुर, प्रह्लादपुर, पताही, नवानगर निजमत, हलीमपुर, मधेपुर हजारी, जगदीहपुर, सरेया, परसोनी ईस्मी, बहितवारा ल्यानाथ दक्षिण, चकना, दातापुर पचमिरा, मदवा पाकर, रामपुर कुरारी, रामपुर बलली, रीवा बसन्तपुर उत्तर, घाघा, पी. चकवास महाव, पीपरा जगदीशपुर, अफुना, बकासी, कुसुमी, सरथुआ, खुताहन, सरना, सुहिंदा, हरिहरपुर, झानवा बेलवनिया, अहिपुर, जमुआनव, सदेश, माधपुर, कल्वई, गंगोर, सरथा, वसनवियान, कोलावन, पोवारी, तिलमर, वेशवक, संदा, रानीपुर, सकरी, नोरीजीह, अच्छान्ना, जनादेशपुर तियारी, नीरुर, सलपुर, पैशोर, राहुड, सोसंझी, सुपासंग, मरुब, दीहरा, कंचनपुर, ओवरा, रतनपुर, दीनदीर, ताल, अहिपुर, शुसरी, कजपा, बालीगंज, भद्रकी कला, तोसीला, सिल्ली, बतार, कुट्टा, मुरिपुर, रोकनतरी, भीडभीली, सिमसिया, सिमुना, कुरसेल, भगवानपुर, चिराह, ध्रुवा, महियारी, बाजपट्टी, बनांव दक्षिण, हुमायंपुर, मधुबन बारहा पूर्व, रतवारा, बाथ आसाली, जानिपुर, नन्हापुर दक्षिण, शिरसी, गुरदह, बगही रामनगर, निधा फुतवरिया, अठरी, बरहेटा, बलुआ, दिवाना बुजुर्ग, मेशा फडकपुर, बरोली, दीवासी मलोना, मताही, पतनपुर, विष्व, सिसवनिया, लीरिया, गोबरोरा, राजा भर, लाला सराय, महनवा रामपुरवा, महनवा नी, मोहम्मदपुर, रतनमाला, झलाही, हर्दी तेरहा, शिकापुर, केमसिया, पुरनिया हसरी, परेहा, वरवा बरोली, गोकुला, पथर घाटी, तरावारी पदमपुर, मनगरु, सिधिमारी, कोत्था, सरोगोरा, पानसी, छतराच्छ, जगहगिरु, उदारा, सोनपुर पगरी(252)</p>
5.	छत्तीसगढ़	<p>दुर्ग, महासमुद, जशपुर, कंडरी, वरसना, पिथौरा, कामावल, पाथलगांव, बैकुंधपुर मनेश्वर, वसर, काकोर (छ.)</p> <p>जमगांव, भोइनपापर देवरामात, जमरु, झुंगेरा, लालबोर, लोणी, नवारीकला, परसोदा, तरोद, अमाली, भेंडसर, बोदेगांव, विरेपोती, गुप्तीडीह, कटरो, कोलिहपुरी, नामपुर, रसमारा, रावेलीडीह, भट्टाव, दंगनिया, गुदवा, कहर्वा, मात्रा, ओडिआ, सहस्रपुर, सोरी, तिरियमट, उमरवनगर, बदेमारी, बेलतिकरी, विचिया पी. विरसिहपाली, चिमारकेल, गनेकर, खेमद, लैन्बर, पालसापाली ए, सरकंडा, बडे लोरम, भीखापाली, वीजेमल, धनोरा, गोपालपुर, जन्धनोरा, कोदोपाली, मोहनाज, पिलवापली, साविप्रीप, बजार, चिदेय, फ्रसाजुदवेन, कटामखर, खुटेय, कुमुमताल, पत्रापाली, पांगर, सजापानी, तगरांग, बागवहार, बवबहार, घर्जियावथान, काकोर, कक्केल ऊजिरी, मधुवन, पालीडी, राजा आमा, रोकबहार, विरसोथ, आमपार,</p>

			बड़गांव, बारपारा, बुडार, चिल्का, दक्षिणपारा, गडबडी, कट्टमनारा, खोंद, सालबा, दंडेली, चरवाही, दुगला, हर्स, कचौड़, लालपुर, महाय, नारायणपुर, पारसगढ़ी, रोकड़ा, बर्द, चित्कांग, किंजोली, मंगलपाल, रेतावंड, तुरपुर, सतोसा, तोंगकांगेरा, बकेल, भैंड, दुर्जमरांव, करमरी, केशरपाल, कुंगरपाल, लामकेर, मंडलपाल, रेतावंड, तुरपुर, बडेघोर्सडा, बारबदा, भीरगांव, धार्ली, जरान्डी, कोसाहरडुली, मकड़ी, पथरी, तमरवंद, थेमगांव, आवरी, भानपुरी, देदकोहाका, गीतपहार, जेप्रा, किलेपार, पंद्रीपानी, लिलेझार, अमोदा, भेसमंडी, चारमट्टी, देवीनवागांव, धनेसरा, गोतियावाही, कुन्ना, मारामपानी, रिसेवडा, सरंवंदी, सखुनवागांव(140)	
6.	गोवा	उत्तरी गोवा, दक्षिणि गोवा(दो)	परसेम, सतारी, केनाकोना, सेंगुणम(चार)	कैसने-अमरे-पारेस्कोडेम, टेम्बाकडीम-मण्पु-उगावेम, ओजोरीम, क्वेशीम-तरखोल, पेलीयम, कोतोरेम, मोरलेम, नगराव, अगोडा, कोला, पोइ-इयुइम, संकोरेम, रिवोना, मोल्लेम(14)
7.	गुजरात	बनासकंठा, दहोरात्, सुरेस्टनगर, वलसाड, अहमदाबाद, एवं पाटन (छ.)	धरमपुर, वलसाड, वरवाला, स्नापुर, साणद, पाटन, हलवाड, लिमबाडी, दंतीवडा, देवदार, पालनपुर, गरबडा, सायला, सिर्फ्पुर(15)	भद्राली (जट), भिलाचल, दंतीवडा, लवाना, ओडा, रेया, रावेल, सरदारपुरा (जासेली), वडिया, वतनपूरा, चित्रसानी, धांगधा, गढ, हथिद्रा, करत्तोडा, मोता, मदना (गढ), रतनपुर, सुधा, वासना (जगाना), अभालोद, आबली, छ्याछोदा, दादुर, गुणर्दी, मातचा, नेलसर, पंतवडा, वादवा, जारी-बुर्ज, विचोर, ऊंगर, हिन्डोलिया, करोडिया, लखनपुर, मोती-दाघेली, सागदपदा, सरसावा (पूर्वी), वंदेशिया (पूर्वी), चारदवा, धनाला, न्नानश्यमपुर, कवाडिया, खेतर्दी, कोवेया, मानकवाडा, नवा घनश्यमगढ, सिरेली, वंकिया, एकेवालिया, भगवानपार, भगवन, भोजपडा, धलवाना, जिल्याला, करटिया, नानी कटाची, परनाला, छिडियाली, धमकशाला, धिंगवाली, गोशला, खिंतला, मोतासाखपार, समाधियाला, सपर सुदामदा, अमातलत, भेंसदार, गुडिया, कंगती, खडा, मनाईचोडी, पाठव-चादक, पेंडा, रनवेश, तानाडिया, अंजलव, भागल, डांडी, धानोरी, कलवाडी, कपाडिया, मालवन, पंचालाई, सरेन, वालवच, चंचिया, धाघोदर्स, हेवतपुर, कापशियाली, पिपरिया, रामपुरा, रामपरी, रेवदा, संगसार, सानलापुर, अलाउ बोदिया, चारंकी, गुंजा, गधिया-देसदी, नानी-वादवी, राजपुर, संगलपुर, उमरला, अनियारी, अंदेज, चारल, गराडिया, घोदवी, खोर्ज, कुंडल, गविदा, मखियाव, ल्लवरी, वनालिया, अजीमाना, बालवा, धारपुर, हाजीपुर, खानपुरदा, महमदपुर, राखव, सगोदिया, वचलन्न, वासनी, चतावज, गेनेशपुरा, काकोशी, खोलवाडा, लुखासन, मेलोज, नागवासन, संदेसरी, सुजानपुर, उमरक (150)
8.	हरियाणा	सिर्सा, फतेहाबाद, मेवात, पलवल, अच्छाला, कुरुक्षेत्र(छ)	अम्बाला-।, साहा, भट्टू कलां, रातिया, बाबेन, थानेसर, फिरोजपुर दिरका, तौरु, पलवल, हसनपुर, बारागढ़ा, ओडान(12)	जासुई, बरेला, कालेरान, रौलान, अमीपुर, मोहरा, शेखुपुर, जागोली, भुरंगपुर, केसरी, सामलेही, खेडा, साबगा, अकबपुर, तूर्द, शेरगढ, ज्ञाक माजरा, चुडियाली, साहा, खाबरा कलां, सिरधान, धांद, मेंहुवाला, बौमनडोरी, जंदवाला बानार, सरवरपुर, देयर, भट्टू कलां, पीली मंडेरी, सहनाल, अहरवन, बादलवा, सोतर, रत्ताखेजा, कामना, आतिका, बीर सुजरा, बर्थला, बिन्द, झोडेला, काशीथल, नखरोजपुर, फलसान्दा, रायरान, बरगट, महुआ खेडी, बारना, भासी माजरा, गमरी जटन, खासपुर, अजराना कलां, झीवरहेडी, तिमडी, खालसा, उंटसाल, मिर्जपुर, दौलतपुर, झारुरी, दुंगोजा, बालखेडा, साबपुर, मलाका, समरिवार, चितोजा, सुलेला, शेखपुर, पंचालाव, निजामपुर, हसनपुर, शिकापुर, बावला, परा, उत्तेन, डीगरहेडी, भागोह, सिल्वेन, घोरी, परेली, कलवाका, बाधा, कासना, चिखाई, जोधपुर, अलावलपुर, द्वारपुर, थेरकी, हसनपुर, माहोली, बाट, रेदास्का, करटको नगर, टिकरी गुजर, कवारका, सहनोली, कुशक, झीरी, शिराज, भागसर, बुर्ज कम्पनगढ, शेखपुरिया, कुरुगानावाली, सुखरेवैन, लंगोवाला, आलिका, मलिकपुरा, ओडान, चोस्मर खेडा, चुकानवाली, रोहिन्नावाली, खत्रवान, हास्सू, सलामखेडा, खेववाली, तिगडी(114)

9.	हिमाचल प्रदेश	शिवमला, कांगड़ा, लाहौल एवं स्थिती, सोलन(चार)	भावना, देहरा, इंद्रेग, काजा, लाहौल, बसन्तपुर, नारकंजा, धरमपुर, कुनिहर(ती)	फारें, वांधीयार, विद्वान, चारें, पारें, गोपालपुर, भट्टू समुला, बागेरा, भुगार, दराती, पनाही, जसाई मजियार, सारें, सापेह, नारीआल, चौरु, बाधरेल, चारेन डी धर, तापे, डिमी, बरण, धरेग, दरवियर, उतपुर वारियान, टिककर तुड़ा, व्यार्टु, आरवन्दल मुड़ु, दावरा, पसाया, टिककर तुड़ा, कोटिल, आरवियर, भरना, तापुखद्वारा, गंगथ, दाह कुलाश, राजा खासा, मोहताली, माजरा, देकवान, भाष्टु मंड मियानी, घोल्स्न, कोटला, माझीवाड़, चानावाग, नीन, ओखरु, घियाना, ओगली, बलदेवयान, जूनी, खुंदीयान, घालौर, कोपरा, हिरान, जेकलहाद, घुरकल, आलुह, बैगोली, तिहोराय, धाकियाना, धाकियानी, नारायणी, धाकियाना, तुधर करेटा, आंजी माटला, दरवान, रोअरी, सानन, पलोग, कुनिहर, गियाना, बनोह बेरल, कोटली, मंजु कोठी, दानोघाट, दरोतीबाला(90)
10.	जम्मू एवं कश्मीर	पुलवामा, सोपियान), केल्लर (स.वि.आ.सोपियान), सोपियान, खारु, लेह, सासपाल, दंगी, राजोरी, सुंदरबानी, मेंदर, पूंछ, चेनानी, उधमपुर(12)	अंझेला, बाधोन ए, बलजार, उंगरी, डी गोरेन, एफ खास, कलाल कास, कोटेखर, एम गुरुजन, मुश्तुपुर, ए दक्षिण, बागला, देहरिया, धनवान, डी ब्राह्मण, दोगानी, कल्लर, ल्कोट, नाद्याला, एस कोटे, बन्चियान, दुर्भुध, वारिपाच, ककवाथल, चंदेसा, कालान्ता, नौपेरा, बुलहम, खेतांग, वारोरा बी, वारपेरा ए, वारपोरा बी, जनवारा, जात्रा ५, दंगेपोरा, मालापोन्पो, शिवा ५, दंगेपोरा, नाथिपोरा, मुँडजी, चारी, गंदाला, गरसई, तिरस्सी, कल्लेर रेहम्बल, मंडीएस्ट, मानसर, पाइन टिकरी, बात्रा, घंटवाल, काललाह, कोसार, लाडा, ल्माधा, माटलोवा, पचोटे, आर पूर्व, सत्याला, अजोते, बनवात ढोकरी, चाकत्रु, चंदक, देवार, इस्तमावाद, खानेतर देलेरा, खानेतर दुपरिया, कुनियान, नूना बंदी, मालीधर, चक बनोला, घानी निचली, गोहलाद, मुस्तका नारा, युस्साई हरसुता, युस्साई मूर्शी, गुरसाई फमवानर, कलावान, सागरा, सालवाह उपरी, लेतपोरा ५, लाहो बी, अंडुस्तु सेमपोरा ५, मंडलपाल, हातीवारा, पाहु, लेरो, काकपोरा ५, परिगाम ५, वेगम, गुद्रा, मारवल, गुंजिपोरा, रत्नपोरा, रत्नपोरा बी, वासो, चोगलाम ५, चोगलाम बी, लिकिए नेय, नीम, फ्यां, साबू, स्पीतुक, तारु, चेमडे, इगू नारिसेतंग, शाकित ए, सारा, गिया(113)	
11.	झारखण्ड	पश्चिम सिंहभूम, रांची, उमका, पाठुर, गुमला, पलामू (छ.)	चाईबासा, चकधरपुर, झिंकपानी, अगारा, चाह्नो, कावरी, डुमका, जार्मुंजी, पाकुर, हिरानपुर, भरनो, गुमला, सिसाई, चैनपुर, डालटनगंज, लेगलीगंज (17) चिलियामारवा, हरीला, करलाजोड़ी, कुरसी, लोपुणगुड़ नारसंडा, ठोन्टो, लुईबीर, बुद्धी, सिम्बिया, भर्निया, हथिया, होयहात्प इटोड, कीर्की, कुलीतोरां, शिलकोरी, सुरुरा, बैपी, गोपीनाथपुर, अमूर, चोया, जोदपोखर, केलेन्द्र, कुपाहातू नवागंव, दृदगुट्ट, चतरा, गेतलसूट, हसातू, कुच्छु नवागढ, राजाडेरा, सुरुस्तु याटी, अंगरा, बीसा, चोरेया, सुंडी, पडरी, रुद्धनथपुर, शेल्ल, ताला, तागेर, तंसा, बाघु, गारी, कामदे, मालसीरिंग, पिथोरिया, सुकुरहुतु (दक्षिण), उपरकोकी, उस्कुट्टु अस्से, लोस्या, बारताली, घासीपुर, हरिपुर, करवानी, लाखीकुर्मी, मालभान्द्री, परसिम्ला, रामपुर, आसनसोल, भुरकुंडा, आसनसोल कुर्क्का, भैरावपुर, छक्कीलापाथर, चिकानिया, लागल, नाचनगिड्या, तपसी, थानपुर, सिकतिया, सिमण, बरसासा, चमरा बहियार, हथनामा, खरविला, पाहरीडीह, पुतली डाबर, सिंघनी, टेकचा, घोंघा, हरीपुर बाजार, शंकपरुर भवानीपुर, हिरानदपुर, जगकिस्तपोर उर्फ नारायणखोर, कालीदासपुर, कुमारपुर, नारसीपुर, स्तितापहरी, मदन मोहनपुर, नवादा, बाबुपुर, बडातल्ला, दंपाडो, धारधरजानी, हथकाटी, मझल लीह, मुगांदांग, वधिशा, कैंडुआ, सुंदरपुर अटाकारा, डुम्बो, दुरेया, करंज, करेंदाजोर, मारसिल्ली, दक्षिण भरनो, सुषा, अमलिया उत्तर भरनो, अस्सा, ब्रिन्दा, घटगांव, कर्मीरा, कतरी, कोटम, कुम्हरिया, सिलाकारी, आंजन, टोटे, बरांव, भद्रीली, बोन्दो, लकेया, मुर्म् नागर, पञ्चिया, रेस्या, घाघरा, शिवनाथपुर, अवसाने, बांसडीह, बसिया कला, चंदो, हुरार, महुगांव, ओरनार, रामगढ़ चैनपुर पूर्वजीह, बारालोटा उत्तर, झाबर, जोनर, कौडिया, लहरहटे, पोलपोलकला, सरजा, सिंगारुचुर्द, चियाकी, जमुने, चौरा, डबरा, हरतुआ, जामुडीह, कुंदरी, नोहीहा, पूनाडीह, संगंग, कोटचास, लेसलीगंज(167)	

12.	कर्नाटक	चिकबल्लपुर, शिमगा, बांगेपल्ली, गुडीबेडे, होमानगर, बीजापुर, गदाग, वेलारी, रायबूर, चामराजनगर, हस्सन(आठ)	देवराणुडीपल्ली, गुलुर, कोट्टाकोटे, भितेमारी, नल्लपाड्डी, पल्ली, नसदेपल्ली, परागोडु, पथापाल्या, राखचारापु सोमनाथपुरा, बीचनगानहल्ली, हंपशांद्रा, सोमनहल्ली, तिळ्सनी, उल्लुहु अमुथा, बलुरु, होसुरु (सम्पर्करी), हुन्ना, केरीमाने, मेलिनविसिंग, नितुक, गुरायेमनें, रेपानपट, यादुरु, बैन्नर, चित्रुक द्यावनहल्ली, गुडी, हेच, जाडे, सामनवल्ली, सिंगा, तलगड्डी, येळकोप्पा, आलू, बेवर, भंटानुरु, बिदराकुंडी, धावालमी, हिल्ल, कोलुरु, मुकिहाल, रककासागी, तुम्बागी, वेकिनाल, बोम्मनहल्ली, कोंडागुली, मन्नूर, रामपुर पा, यलागोड, याकाची, यासाल बीके, बनाइटी, भिसाहटटी, चिककानारापुड, हादली, हिस्कोप्पा, हंसिकरी, कोन्नूप, सिरोल, सुरकोड, अरावाकट्टी, बालेहोसुरु, बन्नीकोप्पा, बेलाटटी, चेबी, दोहरु, कोगानुर, माझी, सिंगली, वादवी, 114, दानापुर, बुकासागरा, बायलुवाहिरेशी, गडीगानुर, मालापानागडी, मरियामनहल्ली, नागेनहल्ली, नै.10 मुदपुर, रामसागरा, सीथाराम थदा, बनावीकल्लू, चौदपुर, गुदेकोटे, हिरेहादल, हुरालीहल, ह्याल्या, के, अच्युहल्ली, कंडागल्लू, निवलागोरी, रामपुर, अरकेण, ब-गनकल, निंवोडी, गनाधल (द्विदुग्गी), हिंसुर सिद्धपुर, जालाहल्ली, मालाडका, रामदुर्गा, बन्नीगोल, बय्यपुर, द्यरापुर, हुती, काचापुर, कलापुर, कन्नाल, नारकलादिन्नी, रेडलांबदा (यू.क.पी.), अरकलवाडी, बदानपुणे, देमाहल्ली, होन्नाली, कागलवाडी, मादपुर, मालीयुलु, नंजेवनपुरा, पुनाजातुक देवीनदुवाडी, येलमाला, कोवेल्ली, कुंचुरु कुरतीहेशुरु, मनगल्ली, मरतल्ली, पाल्या, सिंगलब्बु, शुलेशिपाल्या, बिककाड़ चीकनहल्ली, घाटडहल्ली, हासीर, हालेबीडु, मालतल्ली, पाल्या, सासीहल्ली, थोलालू, यमसडी, चन्नांगीहल्ली, डोड्डागेनीगिरी, गोलू, हुमुरपुरा, होन्नावरा, कोसालेहोसाहल्ली, शांतीग्रामा, तेजुर(157)
13.	केरल	तिळ्सनन्तपुरम, कोट्टायम, मलपुरुम, पलककड(चार)	अथियान्नपुर, वामनपुरम, वरकरा, एकुमानुर, कांजीरापल्ली, लालम, एकुमानुर, कांजीरापल्ली, लालम, कोन्नेती, मनकड, मनकड, मनकड, मनकड, अम्बालाप्पा, नेल्लया, वलापुझा, नागालारसेशी, श्रीथला(13)
14.	मध्य प्रदेश	बालाधाट, शाहडोल, चिकनापुर, सोराबी, तिळा, अमगा, धनसुआ, पारस्वडा, कटांगी, भारवेली, बैरी, मीरापुर, स्वर्ण, पंजार, खेरी, खेरलांजी, चतोरा, टेमनी, सिलोतपर, घोटी, मोहांकखुर्द, पराडे, बककर, दाहेडी, जमादीमेता, कसांगी, लवेरी, मुदेसर, पिपलागाव, सरद, चुनिया, सांसंगुर, अरामुल्ला, बोदी, धन्नूर, जम्हूर, केलमानिया खुर्द, सिंदूरी चुनिया, धुमादैल, रायकोवा, बैरिहा, छंडाई, गोदिनबूद्य, कठकोना, कुर्डी, नवतोला, साकन्य, कंधर, पत्थर वडा,, बैडिया गो, वोरथ्य, इगारिया, केदवा, नसांव, पीपालिया बुर्जन, रहेण्वा, सुन्दरेल, घटी, पीपरखेड, बालगांव, भीखेड बुर्जन, देवली, जगन्नाथ पुरा, लारवी, नाजिहेशी, राजपुरा, सोलना, सोहेला, अरगत, देवरी, तिणाना, जिणाना, माजातोलवा, नारायणपुर नादो, गोसरारी, भरतपुर, तेलनी, पीपरितोला, हरदी, लालपुर, केलहोरा, बैतवा, नायगांव, भाटवा, कारोदिकाला, वीरपुर, खरवर्दी, जमली, मलहेरा, देवली बी, धोला लुनुमान, सीरोंज, जलोख्या, पुरा, बलवरिकाला, छु-च्या, घोलीबावडी, पदला, भुवडा, कालीबावडी, रालामडल, उखलदा, घनेरा, कुवाद, कोठडा, वादिया, अम्बापुरा, बागडिया, ग्यानपुरा, मुसापुर, चांदवाड, खरस्पुर, सिद्धुकुवा, मार्किपुरा, चतुर्थिया, सदाचियाकुवां, केनवारा, खोजीबापी, बामासिंकां, झाना, धेचरी, झानर, खोकर्सी, मेरकावाद, रुक्माला, सिंघाजा, घनोदिया, आरोन, नवनी, आकेत, वारी, गोधन, खानपुर, ललोइतंका, मुरादपुर पिपरेड, सिंघपुर चालदा, बड्डोती, कुलाश्या, अजीतपुरा, सतेरा, विन्दवा, भालका, मुस्तरा, सुनारी, मैथनपोज, गोदन, विलासपुर, इगोई, जुहाडुपुरा, कंजोली, विलाना, ल्हेहरा, करेल्ला, नेहला, अतरेता, बर्च, एलकापुर, खापा, नद्दतामा, रंगारी,	

		<p>देवली, पंगाई, सतनूर, गंगतवाडा, मेहरखाडा, तुकरखेल, खमतार, सलधना, मोहरिया, अंडेल, सुखपुरु, भोइपार, सेजवाडा, सुरला, चोपना, गोडवारी, घावादीखपा, पंडोनी, भाजीपानी, जूनवानी, लोनादेही, सिल्लेवानी, मोरडोगंगरि, सवजपानी, छवाई, चिमनखापा, अर्निया, बावलिया खुई, असशवाद बुरुंग, बुरानखेड़ी, गोगकखेड़ी, खटी पीपालया, नैनोद पीपालद, शिवनी, उपरीखेडा, पीरनालवासा, कटाकोदा, अरोदाकोट, बीरगोडा, फकोदा, हरनासा, करादिया, नेवडी, रलायता,, सेमडा, नयापुरा, बलेनदिया, आमलानोबाद, मुखेड़ी, धबलामाता, फणिया, खांत्रियांडेंगी, मोलगा, नीलखेडा, सोहनखेडा, सीलखेडा, वैसिया, बरखेडा, शास्त्रखेडा, लेलखेडा, निपानिया, सास्त्रखेडा, सोंदा, नीमखेडा, पीपालिया अंजीत, पीपल खेडा, थार, करादिया अहमदपुर, शाजाखेड़ी, बरौ, चितारिया, काढुला, हरेखेडी, पारखेडी, नेहरा, तालापार, गुडवाल, रेशनपीपिया, इश्खेडी, सिमरचन, केवरखेडी, सिरवली, कच्चिकुम्हारिया, बर्चा, टांचा पिंडोनिया, बोर्सी, बिरादो, हरन गाँव, लदावद, नीचमा, पीपलेला, तिलावड, गोविंद, सतगांव, जयसिंह पुरा, बराई, सारा खेडी, गुरादिया बेलोड, झोटा, खजुरी बडेल, लोधा खेडी, पीपलिया घाट, उमरपुर, अमलीखेडा, विसलवास सोंगरा, छांया, हरनावडा, कनकखेडा, पीपलियाबाग, सावन, सेमलीमेवाद, सीखेडा, सोनियाना, भाडवास, बकखुट्टी, भगोरी, लेंखाल, हंसपुर, खेतपालिया, मोकाई, पतासिया, तलाकु तमोती(290)</p>
15.	महाशाल्प	<p>बहिवाडी, धमनगांव अवारी, धमनगांव पत, गणदर्ती, करालवा, लवहाली ओतूर, पलभुन्डे, पिंपलगांव निपानी, शेनखेल, उंचखडक ख, चिनकोली गुरुव, ज्यालेवालेश्वर, लाहोर, नन्दूर खंडभसल, पारेगांव वी.के., पारेगांव क्ष, पिम्परीलोकी आजमपुर, स्वारखेड, तालेगांव, वरदार्जी ख, आपेगांव, वहदेपुर, धोन्देवाडी (एन.वी.), जवलाके, मधी वी.के., रंजनगांव देशन, शिरसगांव, तकाली तेस, येसगांव, भगादरी, भगरपानी, घंटनी, काकड्हुट, मोगरा, ओहाता, पोरंबी, सिंदूरी, वार्डफली, वेली, असलोध, भागपुर, लेंडवाले, काकारेद दिगार, कथरादे दिगार लम्बोला, लंगाडी भवानी, नंदे, सहाण, उधालोद, कोठा, गुंदूर, मुंडेवार्दी, कोटकालम, वर्वत, पोखरणी, नवरापुरा, हिंसरशाह, धरमापुरी, माजरे, हवाला, सधी भोदे, बेनाल, उमारदरी, वधुर, बावनावडी, औरत, विंचागांव, सावली, खेळा, बहमणवाडा, भांडार, सिद्धनाथ, धानेगांव, लिष्णपुरी, लिम्बांगव, यू गाव, नीला, सोमेश्वर, कालहाल, बोरेल, दियोनी (बृह वेलान्व, ज्यालगा, लासोना, नागरल, तेलेगाव, वालेदी, दवानी हमराग, सेयतपुर, आसी, चमरगा, दियार, कलमगांव, सेन्ड्च, तेरगाव, उज्जेड, येशेल, अजनी वी, सकोल, असलखेडा, भौकम्प, गावन, कोट्हगांव, मोटेवाड, तलनी, दरझी बोरांग, लकमपुर, बोरी, देवहाडी, गोन्हीतोल, कोष्टी, मांनाली (के), पश्ची, सिहोर वाहिनी, सिच्यापुरी, येशली, अलेसर डिघोरी, गोंडी, केसालवाडा (वोंग), लोहार, मोसांच, पेंडी, सेलमात, पिंपलगांव (साडक, सेलोटी, खिसानी, दहेली, खरद, मोहा, मानपुर, रटचंदना, सवाराड, साकुर, वाघडा, यवाली, धरना, चिकालवार, चंचा, भट्टर, खरद, मोहा, वचाथा, वायी, अली, मंडवी, दुर्गा जमनी, अडकोली, भेडला, लिंगोटी, जम्कोला, मुलागावाहन, आदेली, आदेला, चिंचपुर पद्व, बारखेडी, करबरखेड, कोली गुलार, महरुमी जाहगिरी, तकाली, तकाली घाडेकर, उबालखेड, वाडांग ख, परखेड, अम्बीकापुर, चितोडा, गरदगांव, हिवारखेड, कालेगांव, कोंती, कून्बेपहल, पिंपलगांव राजा, वजर, वरुद, अधरखरद, गजखेड, गानपुर, कल्याणा, मोहाना ख, मुंडेफल, रतनापुर हिवार सबतेह, विश्वि, वरवंद, आयरे, देंगाचिमत, भूरिटेक, गोख्यन, वापरे, जेप, वलवंद, वडोली, घिवांद, एने, मोज, अवजे, विपास, केतवन, नविनी, सेज, गोरद, चाम्बर, विलधर, अवाडा, शेलगाव, मनीवाली (छु), मर्दी, खानीवेर, नघाई, म्हसा, फनसोली, टेम्बर (बृह, डेंगरहवे, बालगांव, अम्बोली, भलवल, कलमविष्ट, कोलगांव, मालगांव, निरवादे, स्तरदार, वफोली, चारथा, चोकुल, आयनाल, हलकुल बड़क, कालसुई, नागवे, ओसारगांव, ऐसेकमते, शिरवल, वगाड, दारिसते, कॉरल (240)</p>

16.	मणिपुर	इमफाल ईस्ट, थोबल, टमेनलांग, चुड़ाचंद्रदुर (चार)	इमफाल ईस्ट । इम्फाल ईस्ट । थोबल, कॉकचिंग, टमेनलांग, चुड़ाचंद्रदुर (नौ.)	हेयिंगं, खुरई चिंगांगबम ल्यीकर्ई खुरई नंदीबम ल्यीकर्ई, लुवानशनबम, नीलाकुरी, पुंगाँड़गबम, तखेल, वैटोन, लाइकम खुनोउ, कैंग, बगोनकामपुर, चनम सेंडोरेक, काइरो मेकटिंग, काइरो, कियमगेई मुसालिम अरापती, नहारप, थोंगजू पीटी-॥।, टैप नारिया, दुमुखोंग मोइशानारेल, उचकान नारपाव, हेर्साक पीटी॥। कांगबरम, खागबरक पीटी॥। लिशाथेम ओईनाम स्वामबंग, संगाईयुफम पीटी॥। तुरल आहम्बी, चांगखेम, लिरागथेल निंगल, मेईबम उछिवा, चेरल, आयंगबंद लंगमेईडंग, स्पंगलांगजाओ, सेकायायजिन, स्पिरेत, वेखांग, चांग धू, लिंगदाई, गुड्होलांग, हेपी विला-ए, खांगचियोलान, मॉखल विलेज, रिटानलांग, सालेम न्यू, टाऊबम, तामेरलाना विलेज, मधुअम, रांगडाई, थिंगा, टोडाईजंग, लुगावा एच क्यु खोंगसांग, चरोई, चरोई ॥। छेंपांग, लोगमाई (नौने), पुड़लोन (कैंचिरेन), बंगमेल, भोरकास वेंग, गोचिखुरेंग, हिंयागतम लामका, एचक्यू वेंग, माता मीलटम, सिमवेंग, चेनोनम, जेनांग लामका, ऐकाई, डॉगियांग, हेंकेन, एल, गणीमोल, मस्तुओ, मांगोलेलकाई, एलोह, टी. लेलोइफाई, तुड़तम वजांग, सांगलकोट, तुड़तम, वजांग, हैंगतुंगपुंजी, कम्पूराली, कैंगरिंग, नुंगसेकपुंजी, फिलियांगथंग पुंजी, तहारुईमोहन, शिगपुई कोल, तुईसेन, सिमापुरी फल (अनंखासुआ), कांगरंगदोर (90)
17.	मेघालय	पूर्व खारी हिल्स, पश्चिम खारी हिल्स, पश्चिम खारी हिल्स, पश्चिम गारो, हिल्स एंड दक्षिण गारो हिल्स (चार)	चोकपेट, गास्पूरारा, मेयरग, माफलांग, माथ्डेशन, रोगराम, शैल-भोलांगज, टीकरीकिला (आरु)	मदन उमसा पाइलन, रेशकन, उरुर, फुक्सायडोंग, लमथुररी, मावरीपीह "ए" मर्णना, नौमसेप, मापुरेंग, मापनद्यौंग, लेटमावपन, मदानविला, मातप पाइलन, तिवाह, व्रासेतखली, लेन डेंजरांग, उमसो "ए", मदनकोर, डांगसुरोक लेटुध, लस्सकुल माफु, मासमई, मामलुह, शाईरंग, पाइडेंग नानलोरी, पाइडेंग लोबाव, नौंगरंग, नौंगखला, लाकिन्तेर तानकाइट्रैग, नारथाइलडेंग, डंगबर, उमथलांग, मदन वाइथर, लेटकेश, मांगांग, मावलांगपु, माकोहलु, लाबिरटुन, नौंगलेट, नौंगशिलेंग, मरकासा, असानंग, जेनद्रेग्र, अलानगर, रिंगगरे, चंदीघे, चोकाघे, गोडेंग, रोबाघे, चिकासिंग, अनोघे, वारिखोकगे, गलवाघे, डानाकघे, रेंगखानघे, मारकपारा, मौंगालयै, निचली सबानगे, जुगीखर, नगुआपारा, नीचली रेखीघे, पेडालाडेवा, बुंडुकमाली, फोटामारी, इतीरी, टीकरीकिला, चंगुआपारा, ओडालगरी, ताँकोलेघे, सीमपारा-ए, सीमपारा-वी, जटराकोना, डीमपार-ए, डीमपार-वी, कपासिपारा-ए, टालीकाली, रामछोंगा-ए, रामछोंगा-वी, वोकोंगपारा, चोकपाठ्ये, डागल वेजबाकघे, डाजी टेक्सराघे, गांधोकलक, गोगंगे, मीतपापे, रेंगप्रेगे, सांगनिये, वर्तसिमाघे (90)
18.	मिजोरम	तुनगलेई, लागटलेई (दो)	तंगसेन, द्वाधियाँल, लांवंतलाय, बंगलांग "एस" (चार)	वैराकर्ई, सिफरलांग, उपरी लंगप्रेंग, लंगप्रेंग, नौसी, ख्वामी, विदासोरा, लंगसेन, जोदिन, सेरहुआ, टिप्पराठ, चेनाकाशुई, छुमधुम, फेर्लाकाई, दक्षिण साउथ वेनलेफाई, पंगजाल, इश्वर, रोपुई, नाथियाँल "एन", नाथियेल "एस", जोछाझुआ, इस्तोकिट्रैक वेंग, बजार, दितलाय, एओसी वेंग, चांगतेलुई, चांगतेलुई, तुईदंततेलंग, कॉलजेवेंग, लांगलेई ॥।, विखुलुई, वारसेकाई, कानकुआ (सेकुलकाई), तुईचारतेंग, मुतुअम, बंगलांग "एस", कर्तुई (39)
19.	नागालैण्ड	मोन, तुएनसेंग विमापुर (3)	चेन, तोबु, संगसेंग-न्यू नोकलाक, चेसोर, धननशीर मीडजिफ्मा (7)	चाओहा विंगन्यू चेनलोसिआ, चोकान्यू जेकान्यू, नौनविंग, वांगती, मानिकपु, पिसाओ, उच्चा, यक्शु, हकवंग, हेलीपांग, माक्षा, मोमिंग, सोगसनज्यू, सोच्यू चेसोर गाव, किप्पस्थूकिर, कुथर शिपोगर, इखाओ, केपन्यू नक्याक, न्यू पांगशा, पांसो वी, टक्कन्यू, यखाव, चिमपंग, दिशापु, दोयापु, खेकीयो, कीधेटो, रुजाफ, रुजाफ, वासा, शिगसीजन, तोशजो, ओयनीति, बंगांसेन, दरेनापथर, दीफुप, हीखेव, इंडस्ट्रीयल गाव, खोपानाला, खरिएजेफ, मोलवाम, नागरजन, पगलापहाड़, फाईफिंग, समाग्नुरी, सिथेकमा, सोडजिलेह योविमा, शिलिक्सु टोलवी (54)
20.	ओडिशा	केन्द्रपारा, खोर्खा, अंगुल, भटक, गंजाम साक्षलपुर	अल, राजनगर, बालीअंता, खोर्खा, तांगी, अंगुल, कृष्णपुर, बोलापुर, चंदबली, गंजाम,	अटाला, चांदीय गाई, दीमल, केतुपाला, माहु मेंधा पुर, साहीय, सोगिरी, टोंगा, ब्राह्मसाही दंगामाला, दीया, ईश्वरपुर, कर्ननीय, कोलीपुर, बैन्युआ, बैन्यानी, बैन्युआ, ओसरीय, राजनगर, रांगानी, बलीयंता, बेंगपुर, जगनाथपुर, प्रतापरखपुर, पुर्णपरधन, उमादेवधुरपुर, सारकाना, झीतिसासन, बजापुर, धोली मुहान, गढ़ हालादीय, जंकिय, कानपुर

23.	सिविकिम	इस्ट शिकिक्म, साउथ शिकिक्म (2)	पक्षयोग, रेझु, नामची, तेमी ताग्यु (4)
24.	तमिलनाडु	कोमबटेर, इरोद, पेरामबहलू, पुडुकोटटी, वेल्लोर, विस्क्काल्लू, सिवागांगी, विरुद्धनगर, (8)	पोलंची साउथ, किंडुकादावु, सुलानपट, अलंगायम, थिमरी, थिम्पातूर, कादमबाड़, चीलिवाकम, पौदी, भवानीसागर, ठी एन पलायम, कुदुमदी, अलाथुर, वेपुर, मानमधुरर, एस पुडुर, कन्नपुडीर, वेमवकोटाई करियापटटी, राजापुलायम, थिस्यम, पोनामरावरी, विरालीमलाय, (23)
			अहो यांगतान, कारसोक नमवेहोग, अरीतर, दलापचन, अरसंगांग, मनीराम, बेन नमपरीक, तेमी (8)
			वीरालपथी, नाईकेनपलायम, गोमानगलम, अमवास्यपलायम, गोमानगलमपुरु, थीनोकोमारपलायम, नलूर (एस) वारकरमपलायम, जमीनकोटटमपटटी, शुनडमपुरु, पानापटटी, कवीलपलायम, अरासपलायम, करकाटवु, सीरुकलांडाई, सोलावंपलायम, एण्डीपलायम, सोलाकानूर कुमाण्णलायम, वरापटटी, सलाकेचिल, वदवेदपपति, वोगमपति, सेन्वर्यपुडुर, एस अयमपलायम, कलपलायम, पाजपलायम, वीमालूलम, पूगमपटूनाडु, गोविन्दपुरम, गीरासमुद्दिम, नीकन्नमलाय, अलायनाग्राम, मडानावेरी, पुडुमाडु, पेचावेपमापटु, वीजीलापुस्स, पाली, परियमंगल, मेलानायकनपलायम, मंबकम्म, सोरायु, सेनासामुर्दम, दुग्म, माजायुर, वीमवी, अनेसी, पुडुकोट्य, कवकमपलायम, आलनपटटी, कुस्मबकेसी, मिटुर, ए के मुटुर, थांशमवालासीई, कविषरामपटटी, मदापल्ली कोन्डावेरी, पेटीवालकम, रामानकोइल, कोपुर, कादमबाथुर, वेल्लरीयांगल, पुडुमवीलंग, चित्रावक्कम, कीलावेरी, मापेटु, पालावेटु, अव्यपावक्कम, पामधुकुलाम, अदयपलामपटटु वेलावेरी, पोन्स्क्कवरकम, वेनागराम, करालापारकम, अलाथुर, कलवई, ईरेयुर ठीबी पुस्म, पेळुतेसी, माय्यूर, रामातीगपुस्म, इल्लापानैपेटटी, थिल्लेर, गोनीपलायम, नामपककम, देसीपलायम, करापंदी, कवेलीपलायम, मथमपलायम, नल्लूर, नोचीकुटटे, पेरियाकल्लीपटटी, पुन्नर, कोथांगलम, पानायमपल्ली, अवकरेकोदीवेर्य, अशककंकोटटे, नंजयपुलीपटटी, ओदयार्गादेनपलायम, पेलमुग्हई, पुल्लाप्पनैचेपलायम, पुजश्चरेयम पालायम, कोंगारपलायम, अंजूर, अद्यमपलायम, अवुदेयपारे, एलनझीमगलम, इचिपलायम, कोल्लथुपलायम, कोदालम, कोंगदेयमपलायम, नंजयकोल्लानाली, वालीपुस्म, इलैंडपाटटी, अधान्तुर, अद्यान्तुर, अद्यान्तुर, नाशनमंगलम, इलैंडकुजी, मावेलारी, कोलाथुर, पादालपूर, इरुर, किजामाथुर, थेराती, अंधुरै, अंधुर, वादावकरबूर, पेरम्मापलायम, किझुमाथुर, वारापूर, कुन्नाम, आमूर, सिलमाथुर, किलाप्पालै, काटटीकुलाम, थांजाकुर, सन्नाथीपुकुलाम, पेल्मचेरी, एम, करीसालकुलाम, वाग्जी, करलकुरीची, थेरुक्कु, चांथानुर, सेवलाथुर, कुलुथुपटटी, मानतुर, पिरनापटटी, पुलथीपटटी, कुन्नाथुर, के पुडुपटटी, मेलावानरीरुपु, उराशुपटटी, उलागमपटटी, मुसुदापटटी, हुनमानथानुरी, कुडवेर, थिरप्पाककोटटी, पुशुरानी, कन्नानी, थाथनी, वेगालोर, कंदीयूर, कन्ननपुर्जी, सिलवाची, ए. लक्ष्मीयपुरम, अलामुलम, युगनपराइ, जेगावीरपटटी, कुन्नाइपु, सेवालपटटी, थुलुकांकुरीची, वेट्टरीलेयूरानी, सुब्रमण्यपुरम, एलायीरामपन्नाई, यारालेटटी, मुस्तकुर्ली, काम्बीकुडी, वक्कानानाकुलम, अलागियानल्लूर, वी. नंगूर, मानथोपे, चेतीकुलम, जामीन नलामगलम, अयाकोल्लाकोडन, सुंदरनाचियापुस्म, वेंगानल्लूर (द), मुहायुरु, मीनाचीपुस्म, गणधर्मी सुंदरनाचियापुरम, चत्रपति, चोलापुरम, सुंदराजापुरम, कन्नानुर, कुझीप्राय, मेलूर, नाचांदूटटी, कुरुविकोडमपटटी, राशपुरम, कोटूर, शुलेयानुर, मारावमदुरै, अलीमगलम, कोजापटटी, कोनायपटटी, कोनायपटटी,

25.	त्रिपुरा	पश्चिम त्रिपुरा, दक्षिण त्रिपुरा(दो)	जिरानिया, हेजमरा, तोलियामुरा, काकराबान, किल्ला, माताबासी (छ.)	मेलामेलनिताय, नागण्टटी, नेटलोर, वेदमपटटी, चिरकलमपूर, लेयुमनमपटटी, पेशमबलूर तुयाकुडी, विरालीमलाय, मीनावेली, केशवान्तूर, कुमारामंगलम, वर्दुदपटटी, थेरावूर, पाकुडी(230)
26.	उत्तर प्रदेश	आजमगढ़, कुशी नगर, इलाहाबाद, गोंडा, बलरामपुर, सुल्तानपुर, वाराणसी, बरेली, मुरादाबाद, बुलंदशहर, गाजियाबाद, सीलापुर, उन्नाव, लखनऊ, जालोन, बांदा, चित्रकूट(18)	अहिरोला, महशरजनंज, कोइलम, रामकोला, पद्मोना, केटननंज, सोरोव, चाका, उरवा, इटियाठोक, बामनजोत, कठरावाड़ार, द्वेषपुर देस्तपुर, भावनीपटटी, भद्रोली, कम्हालीपुर, पुर, केशवपुर, फसा, लाला चपरा, मोतीपकड़, भथाही बुजुर्ग, तरफुलवा, परेहा, कुमुर्ही, अद्भुल चक इस्लाम, पिदरी, देविया वाष्प, जंगल हनुमाननंज, गंगरानी, लमहा केवल चपरा, सुखपुरा, नदाह, सराताही बुजुर्ग, शहुआधीह, कल्यान छपर, जंगल नहरधरा, साखोपर, पमाली, पकड़ी, कुंडुर, गंगर्द, मुंडेय, केटननंज, बलुआ, सुधियानी, पदखोरी, गोहरी, सराय बहार, सहाजी पुर, सारय लाल खातून शिव गढ़, पड़ेरेया, राजा पुर मल्हाहा, गोरा, जालपुर, मलक चतुरी, रिंगार पुर दम्पव, नीबी खुद, बालापुर, बारा मार, धोधा पुर, चंपत पुर, चाक पुरे खुद, भद्राय, नेवाला चमोगर लवायन कला, दिलविला, अकोधा, लेहाई, कंजतोली, चौकोठा, लेहाई, अकोधा, लेहाई, तिवारिया, पटटी नाथ याय, उपरोक्त, वरवा, राम नगर अमितिया, बेलवा शुक्ला, करुआगाड़ा, सिघाया पुर लखनी पुर, स्मापुर नायक, अर्जुनपुर, वीरखेह, बेलवा बहटा, बहेर कुन्हा, ज्ञानपुर खडिहा, भावपुर, मुवारक पुर गाट, इटावा खुद, बडहरा, धोदतुरु, पीपा इरमाइल, गोरा बुजुर्ग, इजाई पुर, पीपा बरखना, सेहरिया कला, सरेया, नादनवा, बसभरिया, पीपरी मझा, बावपुर, नाखा, देपुरवा, मेहरबाना बाद तेरी, बुधोलिया, वाथर, गुरचीहवा, 'मुसर उच्चा, आद्यमतरा, लौख्या, मनकापुर, चोरसी, गोभारी, बान्नार पीपरी, महमद नगर, कपउवाशेषपुर, धोवाडाबर, बेलाई बुजुर्ग, वैभित, वामनपुरवा, धमेली, मुजेहना, अगाया बुजुर्ग, चंदनपुर, बैजापुर, रामापुर, चांसी, दहरी तुमारकुपुर, कटकोली, बीवीनंज, लौहर पश्चिम, जेतापुर, कैविला कला, लौहर दक्षिण, मुस्तका बडकला, सुखउपर असरफपटटी, बानी, सरिया मुस्तका बाद, गोड्डी, इमलीगावं, पहाड़ पुर रायपटटी, बहमरोली, अर्जुनपुर कटरा चुपुर, करोरा, पीथीपुर, बेलसडा, करोरी, कुचमुच, अलीपुर, अभिया कला, उंचाहार, सरयाचल, महेसुवा, अलतोपुर तिलमपुर, सुल्तानपुर, द्वारसी, बरई, दीनापुर, सोनवरसा, मोकलपुर, सरेया विश्वपुरा, खालीसपुर, परमानन्दपुर, पलियांसंम्पुर, काकलपुर, लोडन, गुहरा, ओशन पुर मोहावन, कोहासी, हरिललभपुर, दिवना, पिपरियामुश्तकिल, पहचाँडुगामुस्तकिल, सिमारिया, बुन्हाईमुस्तकिल, वालुपुरा, सिरेंदीअंगदपुर, तिलमास, मोहमदगजमुश्तकिल, नगरियाकल्याणपुर, पंनवलियाएलाकाजलालपुर, मरणापुमरगारेया, पहाडपुरमगवतीपुर, सुराजपुर परोरिया, दिमरी, माटकापुर, करुआसाहबांज, ज्वरी ड्वरा, अंबरपुर, गुलरियालेखराज, दरलुआपुर, मजनपुर, कन्नांगाव, चाडपुर नवादिया, सिहुलिया, रखूला, नकरपुर, भोजपुर, विलेसी, डिकोई, पगोना, फरेहपुर सरीक नगर, विसराद मुलहेटा, वरदिया, चोपा, बहरेती	

		<p>ताहपुर, मैथारा अतलपुर, किरणी, भावन, देंगोरा खास, धरम पुर कुहरा, लखनेटा, कुट फतेह नगर, नगिला जाट, मालेह पुर सिधारी, अटवा चेचरी, मालेह पुर भवानी, धरम पुर रट्टा, अहलाद पुर खेन उर्क रायपुर, सोनकुपुर, उमरी, वकैनिया मफी, उतम पुर बहलाल पुर बरबर माजरा, लोदिपुर राजपूत, मंगपुरा, सलपुर उनवती, भैत्सिया, थीकरी, भाटपुरा तरन, बेदपुर, पिपलिया महतो, मुडिया कर्ला, तहसी खाजा, चरद्यान, आहरे, जिठनिया जागीर, दलकी, सितोरा, मद्यान बुदेपुर, घोलसर, लोदिपुर, नवाबांज, उदयपुर जागीर, रायपुर लोहरिया, छंडेली, रेवना, मितरपुर अहोओला, किशनखेड, करनपुर कर्ला, रूपवत्स, बग्सरा, हसनपुर बागर, सलातमपुर, खनेडा, विवियाना, सुनाना, पहाड़पुर, तातारपुर, अख्यारपुर, मिरपुर अगोता, नीमचना, बगवाला, जासनवाली कर्ला, खेरी, बारी, पवसर, सनीता सप्तपुर, धररी, खुर्जा देहत, बिछा, असामपुर, दस्तुरा, भगवानपुर सिकरी, मैना कलद्वा गढी, अख्यारपुर, जलालपुर तिनद्वा, सरना मुराद नार, मनोली, सिखेद हजारी, रेवडी रेवडा, हुसेनपुर, नेकपुर फिरोजपुर, धेंगा, बड़का आसिकपुर, लहदरा, धाना, चितोडा नहिउदीनपुर, धोलपुर, सदुलापुर लोदी, वर्लनर, बागडुपुर, करिमपुर, यालापुर, उल्हरा, हैस खेड, गुजरहता, अनोगी, सिसेंची, बिजुबमउ, फतेह नार, गढी, बरसंधिया, मिर्जपुर दक्षिणी, केउठी कर्ला, कटेसर, बड़खेडवा, वजीएपुर, सोमरी भान, रोशन, गुर्खापा, मदनपुर, बरियाईह, निगोहन, उदनापुर कर्ला, मीसनगर, नक्सोही, मिसेपुर, मोहरेया कर्ला, कैमहरा वजीरपुर, खदनिया, गोसिया कर्ला, शाहपुर डलावल, चांदपुर, मस्दन पुर, बरथा, अहेसा, बरथा कर्ला, बहवा, गजोली, खानपुर, नारी चक, महरानी खेडा, मुरंझी, कर्झीदी, अनुप पुर, बडियान खेडा, भैराई कोयल, रानिपुर, विभेषा चन्दन पुर, टिकरी गणेश, रावत पुर, मवईया माफी, छरिहा, अलीपुर मिचलोला, लाहक, टिकरा बाझो, समद, टिकरा समद, मैनी भावखेडा, कवरेयी, रामपुर खंडजडी, बहाडुपुर खंडजडी, सीमापुर दयाल पुर, बिन्देवा, गढी महदेली, दहियार, पासरपुर ठट्टह, बालासिंह खेडा, समसी, सालसामउ हिलगी, हसनपुर कर्नेसी, निगोहन, मिहितमउ, सेकलपुर, जेहत्या, सरेसा भरेसा, अमथ्या सलेमपुर, सलेमपुर पतोरा, सरथम पराज, कुसमोय हुतुआ पुर, सेता, पहिया आजमपुर, आंडा, पहाड गांव, पनयारा, मरसुंजा, गुमवली, बिरगावान बुजुर्ग, सामी, कंथी, कुर्ड, जमरेही खुर्द, मकरंद पुर, धनोरा कर्ला, नागरी, कुशमार, मोहन पुर कुदरी, सारंग पुर, गधेला, हरकोटी, उडा मल्ल, अलई पुर, भुजरख बंबिया लोमर, लिंघोली, अत्राहट, बरेसी कला, चिरहटा, तरही माफी, गोधनी, घोखिडिया, रुहस्त, नारी, खरेच, मरीपुर, बदह शोधा, बरुखा स्पथा, प्रेम पुर, दुर्गापुर, बचेही, अनधुवा, नाधीधाट, स्मायापुर, बेहर, हरिहरपुर, कावदर गंज, इत्खारी, खुटा, भंभाई, बारामाफी, भागनपुर बंधिया, देवकली, बघारा, नागर, अरवरा, कोटा कंडेला, बगदारी, नीही, रायपुर, इत्या दुरेला(460)</p>
27.	उत्तराखण्ड	<p>पौड़ी, देहरादून, पिथोरागढ, अल्मोड़ा (चार)</p> <p>आयाल, धनाउ मल्ला, बी धंडरी, बौंसारी, उज्जादी, नानकोट, गुर्माई, गढ का मासांव, बाला, क्यार्क कोथरी, मारखोज, गजेली, सुमादी, जलेता, स्वीट, धारिणांव, बदेशु, मिदनांव, कोलथा, ड्युल्ड, विनजोली, सागलाकोटी, मटबोरी, मालेथी, नौगंव, मथाना, गोली, पाथार, वाथेली, माहस्तक, रजानू, बेहमू, पैनवा, बुल्हड, खरेदा, जादी, कुनवा, अटल, मुंडोल, ढकरपानी, बावन धार, फतेहपुर, जामन खाता, माजरी, काता पाथार, मातोगी, बाबूगढ, बरागीवाला, सभावाला, बजेटा, धामीगांव, कुइरी, टिगु खसियावाडा, कोटियूर, मानीटुंडी, तिगनिया, चौना भादेली, लड्स्पता, लरखीगाव, दुनाकोट सितोली, दुर्लेख, जखोलेत, कंदमन सिंह, लेपार्थी, नानपापे, माला झुला, सात्याल गाव, पीपल गाव, इंदा, मायेली, बाजन, सिमाली, बुधाली, पालीथोली, उगालिया, नेकाना, खडक, सुतार गाव, नोलाकोट, टोडरार, कुई, कुलसिनी, रावादी, इदा रेय, छना, बावन, सकुनी, खोला, मादम, मानी अगर, कोथुलीपुंछ, गुरदाबाज, दुनार्थ, नामांव, चौन डुगरी, फलीचा,</p>

अनुबन्ध-3क
वार्षिक योजना/विकास योजना
(पैरागाफ 3.2 के संदर्भ में)

दस्तावेजित वार्षिक योजना तैयार नहीं की गई या अपूर्ण थी		ग्रा.स. स्तर पर बैठकें नहीं की गई		जिला वार्षिक योजना तैयार नहीं की गई थी		ब्लाक-वार परियोजनाओं की शैल्प तैयार नहीं की गई थी		सृजित श्रमदिवस इंगित नहीं किये गए थे		प्रत्येक योजना की पूर्ण लागत इंगित नहीं की गई थी		
राज्य	ग्रा.प.	राज्य/सं.शा.क्षे.	ग्रा.प.	राज्य/सं.शा.क्षे.	जिला	राज्य	ग्रा.प.	राज्य/सं.शा.क्षे.	ग्रा.प.	राज्य/सं.शा.क्षे.	जिला	
आन्ध्र प्रदेश	150	कर्नाटक		128	आन्ध्र प्रदेश	5	अरुणाचल प्रदेश	4	आन्ध्र प्रदेश	4	অসম	3
अरुणाचल प्रदेश	43	ਪंजाब		17	अरुणाचल प्रदेश	4	गोवा	2	অসম	3	হরিয়ানা	2
गोवा	14	পश्चिम বাংগাল		83	অসম	1	গুজরাত	6	বিহার	15	নাগালেণ্ড	3
গুজরাত	150	লক্ষ্মীপ		3	গোবা	2	কেরল	4	হরিয়ানা	2	ਪੰਜਾਬ	3
জ্ঞারখণ্ড	167			গুজরাত	6	পঞ্জাব	1	জ্ঞারখণ্ড	6	তমিলনাড়ু	1	
মহারাষ্ট্র	240			সিকিম	2	তমিলনাড়ু	2	কর্নাটক	3			
মেঘালয়	89			তমিলনাড়ু	7	উত্তর প্রদেশ	14	মধ্য প্রদেশ	9			
নাগালেণ্ড	54			উত্তর প্রদেশ	18	পশ্চিম বাংগাল	5	ओডিশা	8			
পঞ্জাব	56			পশ্চিম বাংগাল	3	দাদরা এবং নাগর হয়েলী	1	তমিলনাড়ু	6			
সিকিম	8			দাদরা এবং নাগর হয়েলী	1	পুড়ুচেরী	2	পুড়ুচেরী	2			
তমিলনাড়ু	200											
পুড়ুচেরী	30											
12	1201	4	231	10	19	10	41	10	58	5	12	

अनुबन्ध-३ख
वार्षिक योजना/विकास योजना
(पैरागाफ 3.2 के संदर्भ में)

जिला योजना में परिणामों को नहीं दिया गया		योजना में क्रॉप पैट्रन डाटा का प्रयोग नहीं किया गया था		जिला योजना ने ग्राम सभा द्वारा निष्पादित 50 प्रतिशत निर्माण कार्यों को सुनिश्चित नहीं किया		विशिष्ट कार्यकोड योजना में निर्माण कार्यों को आबंटथत नहीं किया गया था	
राज्य	जिला	राज्य	जिला	राज्य	जिला	राज्य	जिला
आन्ध्र प्रदेश	4	असम	6	बिहार	1	असम	8
असम	3	बिहार	15	हरियाणा	6	बिहार	15
बिहार	15	झारखण्ड	6	महाराष्ट्र	2	झारखण्ड	5
हरियाणा	6	केरल	3	पंजाब	1	केरल	4
झारखण्ड	6	महाराष्ट्र	9			महाराष्ट्र	9
कर्नाटक	8	नागालैण्ड	3			मिजोरम	2
केरल	2	राजस्थान	2			नागालैण्ड	3
मध्य प्रदेश	9	उत्तर प्रदेश	18			राजस्थान	1
नागालैण्ड	3	पश्चिम बंगाल	5			तमिलनाडु	6
ओडिशा	8					उत्तराखण्ड	4
राजस्थान	1					लक्षद्वीप	1
उत्तर प्रदेश	18						
उत्तराखण्ड	4						
13	87	9	67	4	10	11	58

अनुबन्ध 3ग(i)
ग्रा.पं. स्तर पर वार्षिक योजना/विकास योजना तैयार करने में विलम्ब
(पैरागाफ 3.2.8 के संदर्भ में)

क्र.सं .	राज्य जहां वार्षिक योजना तैयार करने में विलम्ब पाये गये	ग्रा.पं. की संख्या	15 अक्टूबर की निर्धारित तिथि के संबंध में विलम्ब (महिनों में)
1.	असम	14	2 से 6
2.	बिहार	250	योजना बिना तिथि के थी
3.	छत्तीसगढ़	140	अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गये
4.	हिमाचल प्रदेश	90	तैयार करने की तिथियां नहीं दी गई थी
5.	झारखण्ड	167	तैयार करने की तिथियां नहीं दी गई थी
6.	कर्नाटक	157	तैयार करने की तिथियां प्रस्तुत नहीं की गई थी
7.	केरल	13	1.5 से 4
8.	मध्य प्रदेश	56	1 से 21
9.	महाराष्ट्र	240	योजना में तिथियां दज नहीं की गई थी
10.	ओडिशा	200	योजना में तिथियां दज नहीं की गई थी
11.	त्रिपुरा	60	1 से 10
12.	उत्तर प्रदेश	140 54 266	योजनाओं का अदिनांकित प्रस्तुतीकरण 4 से 12 तिथि उपलब्ध नहीं थी
13.	उत्तराखण्ड	100	तिथियां दज नहीं की गई थी

अनुबन्ध-3ग(ii)
ग्रा.पं. स्तर पर वार्षिक योजना/विकास योजना तैयार करने में विलम्ब
(पैरागाफ 3.2.8 के संदर्भ में)

क्र.सं .	राज्य जहां वार्षिकयोजना तैयार करने में विलम्ब पाये गये थे	ब्लाक	30 नवम्बर की निर्धारित तिथि के संबंध में विलम्ब (महीनों में)
1.	असम	4	2 से 8
2.	बिहार	54	बिना तिथि के योजना
3.	छत्तीसगढ़		अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए थे
4.	गोवा	4	कोई योजना नहीं केवल ग्रामीण बजट
5.	हिमाचल प्रदेश	9	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए थे
6.	झारखण्ड	1	5 से 12
7.	कर्नाटक	16	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए थे
8.	केरल	13	वास्तविक तिथियां उपलब्ध नहीं थी
9.	मध्य प्रदेश	10	1 से 11
10.	महाराष्ट्र	24	तिथियां दर्ज नहीं की गई थी
11.	नागालैण्ड	7	2 से 4 माह
12.	ओडिशा		तिथियां उपलब्ध नहीं थी
13.	पंजाब	2	3
14.	त्रिपुरा	6	3 से 7
15.	उत्तर प्रदेश	10	अदिनांकित योजना
		7	1 से 9
		29	तिथियां उपलब्ध नहीं थी
16.	उत्तराखण्ड	10	1 से 4

अनुबन्ध-3ग(iii)
जिला स्तर पर वार्षिक योजना/विकास योजना तैयार करने में विलम्ब
(पैरागाफ 3.2.8 के संदर्भ में)

क्र.स.	राज्य जहां वार्षिकयोजना तैयार करने में विलम्ब पाये गये थे	जिलों की संख्या	31 दिसम्बर की निर्धारित तिथि के संबंध में विलम्ब (महीनों में)
1.	असम	1	5
2.	बिहार	8	12
3.	छत्तीसगढ़		अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गये थे
4.	हिमाचल प्रदेश	4	तिथियां प्रस्तुत नहीं की गई थी
5.	झारखण्ड	2	4 से 9
6.	कर्नाटक	8	तिथियां लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई थी
7.	केरल	1	2.5
8.	मध्य प्रदेश	7	1 से 11
9.	नागालैण्ड	3	2 से 8
10.	ओडिशा		उ.न.
11.	राजस्थान	8	0.3 से 5.5
12.	त्रिपुरा	2	3 से 5
13.	उत्तराखण्ड	4	3 से 6

अनुबन्ध-3ग (iv)
ग्रामीण बजट तैयार करने में विलम्ब

(पैरागाफ 3.2.8 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य जहां ग्रामीण बजट तैयार करने में विलम्ब पाये गये	31 जनवरी की निर्धारित तिथि के संबंध में विलम्ब (महीनों में)
1.	बिहार	2 से 6
2.	गोवा	2 से 10
3.	गुजरात	लेखापरीक्षा को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए थे
4.	कर्नाटक	लेखापरीक्षा को तिथियां उपलब्ध नहीं कराई गई थी
5.	केरल	1 से 2
6.	राजस्थान	0.3 से 5.5
7.	त्रिपुरा	2 से 4
8.	उत्तर प्रदेश	0.7 से 2.5
9.	उत्तराखण्ड	1 से 2.8
10.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	3 से 9

अनुबंध-३घ
वार्षिक योजना के बाहर निर्माण कार्यों का निष्पादन
(पैराग्राफ 3.4 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य जहां वार्षिक योजना के बाहर निर्माण कार्यों का निष्पादन किया गया	जिलों की संख्या	निर्माण कार्यों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
1.	असम	2	97	401.81
2.	बिहार	6	144	376.25
3.	छत्तीसगढ़	2	34	443.00
4.	हिमाचल प्रदेश	4	3,859	9,727.24
5.	झारखण्ड	4	58	2,244.24
6.	राजस्थान	3	474	2,426.98
7.	उत्तराखण्ड	3	94	89.94
8.	पश्चिम बंगाल	1	147	174.06
योग		25	4,907	15,883.52

अनुबंध-3ड
वार्षिक योजनाओं का अप्रभावी निष्पादन
(पैराग्राफ 3.5 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य	वार्षिक योजना में अनुमोदित निर्माण कार्य		संस्वीकृत निर्माण कार्य		पूर्ण निर्माण कार्य	
		सं.	राशि (₹करोड़ में)	सं.	राशि (₹करोड़ में)	सं.	राशि (₹करोड़ में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	55,83,401	51,086.07	55,83,401	51,086.07	19,32,414	12,225.38
2.	অসম	2,32,535	10,516.17	89,345	3,451.47	65,945	2,914.11
3.	छत्तीसगढ़	4,75,521	7,732.28	4,25,136	4,799.07	2,34,289	2,404.51
4.	गोवा	3,003	31.05	3,003	31.05	1,296	15.25
5.	हरियाणा	25,179	242.07	21,900	292.21	12,371	272.02
6.	कर्नाटक	17,42,186	650.94	डाटा उपलब्ध नहीं	डाटा उपलब्ध नहीं	4,71,633	332.84
7.	केरल	6,38,152	3,681.70	5,60,954	3,647.59	4,03,076	2,188.18
8.	मध्य प्रदेश	9,24,305	12,176.89	99,634	1,915.12	39,294	396.72
9.	मेघालय	46,024	922.66	46,024	922.66	27,756	553.32
10.	राजस्थान	19,06,786	24,235.51	1,56,859	10,805.96	53,908	1,464.17
11.	त्रिपुरा	34,929	344.40	11,584	100.72	11,511	98.56
12.	उत्तर प्रदेश	9,71,061	10,430.29	6,56,808	5,916.73	4,69,767	3,948.57
13.	उत्तराखण्ड	1,79,904	1,766.79	1,52,292	825.14	1,00,631	438.01
14.	पश्चिम बंगाल	1,56,419	3,102.54	48,416	654.74	41,232	539.69
15.	लक्ष्मीपुर	2,562	41.75	253	16.40	11	0.80
योग		1,29,21,967	1,26,961.11	78,55,609	84,464.93	38,65,134 (30 प्रतिशत)	27,792.13 (22 प्रतिशत)

अनुबंध-3च
जिला परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करना

(पैराग्राफ 3.6 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य जहां जि.प.यो. नहीं बनाई गई	जिला	प्राप्त राशि (₹ लाख में)	जि.प.यो. तैयार करने में किया गया व्यय (₹ लाख में)	अप्रयुक्त राशि (₹ लाख में)
1.	অসম	2	20	9.80	10.20
2.	বিহার	7	70	9.20	60.80
3.	छत्तीसगढ़	5	50	2.17	47.83
4.	ગુજરાત	1	10	5.26	4.74
5.	હરિયાણા	2	20	5.39	14.61
6.	હિમાચલ પ્રદેશ	4	40	0	40.00
7.	જમ્મૂ એવં કશ્મીર	3	30	3	27.00
8.	झારખણ્ડ	6	60	4.70	55.30
9.	કર્નાટક	8	80	ડાટા ઉપલબ્ધ નહીં	ડાટા ઉપલબ્ધ નહીં
10.	મધ્ય પ્રદેશ	5	40	22.06	17.94
11.	મહારાષ્ટ્ર	8	50	13.79	36.21
12.	મणિપુર	1	10	0	10.00
13.	મેઘાલય	1	10	0	10.00
14.	પંજાਬ	3	30	8.21	21.79
15.	રાજસ્થાન	6	60	0	60.00
16.	તમિલનાડુ	7	70	0	70.00
17.	ઉત્તર પ્રદેશ	10	70	6.52	63.48
18.	અંડમાન એવં નિકોબાર દ્વીપસમૂહ	2	20	0	20.00
19.	લક્ષ્ણીપ	1	10	4.49	5.51
20.	પુરુચેરી	2	10	0	10.00
योग		84	760	94.59	585.41

अनुबंध-३४
जिला परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करना
(पैराग्राफ 3.6 के संदर्भ में)

क्र. सं.	जि.प.यो. तैयार की गई किन्तु रा.रो.गा.प. द्वारा अनुमोदित नहीं की गई	जिलों की संख्या	प्राप्त राशि (₹ लाख में)	जि.प.यो. तैयार करने में किया गया व्यय (₹ लाख में)	अप्रयुक्त राशि (₹ लाख में)
1.	असम	6	60	49.52	10.48
2.	बिहार	2	20	15.33	4.67
3.	गुजरात	3	30	24.48	5.52
4.	हरियाणा	4	20	7.47	12.53
5.	केरल	3	30	26	4.00
6.	मध्य प्रदेश	8	30	8.07	21.93
7.	महाराष्ट्र	1	डाटा उपलब्ध नहीं	5.08	डाटा उपलब्ध नहीं
8.	मणिपुर	3	30	32.45	-2.45
9.	पंजाब	3	30	4.95	25.05
10.	राजस्थान	1	10	3.02	6.98
11.	त्रिपुरा	3	30	8.20	21.80
12.	उत्तराखण्ड	4	40	22.19	17.81
13.	पश्चिम बंगाल	1	10	7.12	2.88
योग		42	340	213.88	133.65

अनुबंध-4क
राज्य नियमावलियों को सूचित करने में विलम्ब
(पैराग्राफ 4.2 के संदर्भ में)

क्र.स.	राज्य	राज्य नियमावलियों के विधान की पेय तिथि	राज्य नियमावलियों के विधान की तिथि	नियमावलियों के विधान में विलम्ब
1.	अरुणाचल प्रदेश	फरवरी, 2007	मार्च 2011	चार वर्षों से अधिक
2.	हिमाचल प्रदेश	फरवरी, 2007	दिसम्बर 2009	एक वर्ष से अधिक
3.	केरल	फरवरी, 2007	जुलाई 2009	2 वर्ष
4.	मिजोरम	फरवरी, 2007	सितम्बर 2007	7 माह
5.	सिक्किम	फरवरी, 2007	नवम्बर 2010	3 वर्षों से अधिक

अनुबंध-4ख
तकनीकी सहायता में कमियां
(पैरा 4.5 के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्य/सं.शा.क्षे. के नाम	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां (जिला एवं ब्लॉक स्तरों पर मान्यता प्राप्त अभियंताओं के पैनल की स्थिति)
1.	अरुणाचल प्रदेश	राज्य सरकार ने अधिकृत अभियन्ताओं के पैनल की स्थापना नहीं की।
2.	असम	नमूना परीक्षित जिलों कचर एवं कामरूप (ग्रामीण) में जुलाई 2009 से 2009 के दौरान क्रमशः 58 तथा 124 (सिविल अभियांत्रिकी डिप्लोमा धारी) मान्यता प्राप्त अभियंता संलग्न थे और तदंतर अप्रैल 2010 से उनकी सेवा से छंटनी कर दी गयी थी क्योंकि उनके पास नियत कार्य के लिए आवश्यक तकनीकी ज्ञान नहीं था जो उनके परिश्रमिक के प्रति क्रमशः ₹ 15.62 लाख और ₹ 29.80 लाख के निष्फल व्यय में परिणत हुई थी।
3.	बिहार	राज्य सरकार ने अधिकृत अभियन्ताओं के पैनल की स्थापना नहीं की।
4.	गुजरात	राज्य सरकार ने अधिकृत अभियन्ताओं के पैनल की स्थापना नहीं की।
5.	हरियाणा	राज्य सरकार ने अधिकृत अभियन्ताओं के पैनल की स्थापना नहीं की।
6.	हिमाचल प्रदेश	राज्य सरकार ने अधिकृत अभियन्ताओं के पैनल की स्थापना नहीं की।
7.	झारखण्ड	राज्य सरकार ने अधिकृत अभियन्ताओं के पैनल की स्थापना नहीं की।
8.	कर्नाटक	राज्य सरकार ने मान्यता प्राप्त अभियंताओं के पैनल का गठन नहीं किया था। तथापि, राज्य सरकारों द्वारा सृजित अभियंताओं के पदों के 82 से 97 प्रतिशत मार्च 2012 तक रिक्त पड़े रहे।
9.	महाराष्ट्र	राज्य सरकार ने अधिकृत अभियन्ताओं के पैनल की स्थापना नहीं की।
10.	मणिपुर	मान्यता प्राप्त अभियंताओं का पैनल गठित नहीं हुआ था। जि.ग्रा.वि.अ. अभियंताओं की सेवाएं मनरेगस निर्माण-कार्यों के लिए उपयोग की गयी थीं। राज्य सरकार ने अनुबंध आधार पर तकनीकी सहायता स्टाफ सभी चार चयनित जिलों में तैनात किया था, जिसे जि.का.स. द्वारा तमेंगलोंग एवं थौबल जिलों में अपर्याप्त बताये गये थे।
11.	मेघालय	राज्य सरकार ने अधिकृत अभियन्ताओं के पैनल की स्थापना नहीं की।
12.	मिजोरम	राज्य सरकार ने दो नमूना परीक्षित जिलों और उनके अंतर्गत आठ ब्लॉकों में निर्माण अनुमान तथा निर्माण-कार्य को मापने में सहयोग के प्रयोजन हेतु मान्यता प्राप्त अभियंताओं के पैनल का गठन नहीं किया था।
13.	नागालैण्ड	तीन नमूना परीक्षित जि.का.स. तथा ब्लॉकों में मान्यता प्राप्त अभियंताओं का पैनल गठित नहीं किया गया था। केवल जि.का.स./ब्लॉक कार्यालय में नियुक्त नियमित अभियंताओं को निर्माण के अनुमान और निर्माण कार्यों को मापने में लगाया गया था।
14.	ओडिशा	राज्य सरकार ने अधिकृत अभियन्ताओं के पैनल की स्थापना नहीं की।

क्र. सं.	राज्य/सं.शा.क्षे. के नाम	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां (जिला एवं ब्लॉक स्तरों पर मान्यता प्राप्त अभियंताओं के पैनल की स्थिति)
15.	राजस्थान	तीन नमूना परीक्षित जिलों अर्थात्, भीलवाड़ा, चुरु तथा धोलपुर में मान्यता प्राप्त अभियंताओं का पैनल गठित नहीं हुआ था।
16.	त्रिपुरा	जिला एवं प्रखंड स्तर पर मान्यता प्राप्त अभियंताओं के पैनल गठित नहीं हुए थे। ग्रामीण विभाग के अभियंताओं की सेवाएं उपयोग में लायी गयी थीं।
17.	पश्चिम बंगाल	राज्य सरकार ने जिला एवं ब्लॉक स्तर पर मान्यता-प्राप्त अभियंताओं के पैनल गठित नहीं किये।

अनुबंध-4ग
नियोजन, रूपांकन, मॉनीटरिंग, मूल्यांकन एवं गुणवत्ता लेखापरीक्षा
हेतु तकनीकी सहायता
(पैराग्राफ 4.5 के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्य/ सं.शा.क्षे. के नाम	अभ्युक्तियां
1.	असम	तकनीकी संसाधन सहायता प्रणाली गठित नहीं हुई थी। यह भी देखा गया था कि प्रयोजन के लिए प्राप्त की गयी ₹ 32.70 लाख की राशि में से ₹ 12.28 लाख स्टेशनरी वस्तुओं की खरीद, वाहनों को किराये पर लेने, यात्रा भत्तों के भुगतान एवं असमी दीवार कैलेप्डर के मुद्रण आदि के लिए आयुक्तालय द्वारा प्रयोग किया गया था जो अनियमित एवं अप्राधिकृत व्यय में परिणित हुआ।
2.	बिहार	राज्य सरकार ने राज्य/जिला स्तर पर किसी तकनीकी संसाधन सहायता प्रणाली गठित नहीं किया था।
3.	हरियाणा	राज्य सरकार ने राज्य /जिला स्तर पर किसी तकनीकी संसाधन सहायता प्रणाली गठित नहीं किया था।
4.	कर्नाटक	राज्य सरकार ने राज्य तथा जिला स्तरों पर तकनीकी संसाधन सहायता प्रणाली नियुक्त नहीं किया था।
5.	महाराष्ट्र	तीन जिलों अर्थात्, अहमदनगर, भण्डारा और नांदेड़ में तकनीकी संसाधन सहायता प्रणाली मौजूद नहीं थी।
6.	मेघालय	राज्य सरकार ने तकनीकी संसाधन सहायता प्रणाली गठित नहीं की थी।
7.	मिजोरम	राज्य सरकार ने तकनीकी संसाधन सहायता प्रणाली गठित नहीं की थी।
8.	नागालैण्ड	राज्य सरकार ने तकनीकी संसाधन सहायता प्रणाली गठित नहीं की थी।
9.	सिक्किम	तकनीकी संसाधन सहायता प्रणाली का गठन नहीं हुआ था। राज्य गुणवत्ता मॉनीटरिंग तथा तकनीकी सहायता समिति ने तकनीकी सहयोग एवं पर्यवेक्षण के अभाव के कारण निर्माण की असंतोषजनक गुणवत्ता भी दर्ज की (जून 2011)
10.	उत्तर प्रदेश	राज्य सरकार ने तकनीकी संसाधन सहायता प्रणाली विकसित करने के लिए कदम नहीं उठाया था। तथापि, राज्य सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग के अधीन तकनीकी लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ (त.ले.प.प्र.) के अभियंताओं की सेवाएं लीं और जनवरी 2011 से लेकर मार्च 2012 तक की अवधि के लिए उनके वेतन और भत्ते हेतु, वाहन आदि पर व्यय को छोड़कर मनरेगास के प्रशासनिक व्यय से भा.स. के आदेशों के उल्लंघन में, ₹ 2.04 करोड़ का भुगतान किया था। आगे यह भी देखा गया कि त.ले.प.प्र. के अभियंताओं का बल केवल 20 था और वे ग्रामीण विकास विभाग के मंडल और राज्य स्तरीय कार्यालयों में नियुक्त थे। इनमें से, पांच अभियंताओं के पास मंडलों के दौहरे प्रभार थे। त.ले.प.प्र. के 72 जिलों के लिए संलग्न बीस अभियंता पर्याप्त नहीं थे। लेखापरीक्षा में देखा गया कि भा.स. ने तकनीकी संसाधन सहायता प्रणाली विकसित करने के लिए प्रथम भाग के रूप में ₹ 54.20 लाख जारी किया (2008) परन्तु राज्य स्तर पर यह राशि बैंक खातों में अव्ययित पड़ी रही।
11.	पश्चिम बंगाल	तकनीकी संसाधन सहायता प्रणाली राज्य एवं जिला स्तरों पर गठित नहीं की गयी थी। प्रत्येक स्तर पर मौजूदा स्टाफ में से तकनीकी व्यक्तियों ने अनुमान बनाने और निर्माण-कार्य को मापने में सहयोग किया।

अनुबंध-4घ
तकनीकी सहायक
(पैराग्राफ 4.5 के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्य/सं.शा.क्षे.	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
1.	आन्ध्र प्रदेश	4,478 तकनीकी सहायकों की आवश्यकता के प्रति 217 की कमी थी।
2.	अरुणाचल प्रदेश	जि.ग्रा.वि.अ. स्टाफ तकनीकी सहायकों के रूप में कार्य कर रहे थे। पूर्ण-कालिक नियमित तकनीकी सहायकों को संलग्न नहीं किया गया था।
3.	बिहार	2,218 तकनीकी सहायकों की आवश्यकता के प्रति 925 (41 प्रतिशत) की कमी थी।
4.	छत्तीसगढ़	1,168 तकनीकी सहायकों की आवश्यकता के प्रति 466 की कमी थी।
5.	गुजरात	राज्य स्तर पर तकनीकी सहायक की कमी थी (54 प्रतिशत)। जिलों के लिए, कमी आठ प्रतिशत (दाहोद) तथा 70 प्रतिशत (अहमदाबाद) के बीच थी।
6.	जम्मू एवं कश्मीर	यहां 69 प्रतिशत तकनीकी सहायकों की कमी थी।
7.	मध्य प्रदेश	राज्य में अभियंताओं के 2,817 संस्थीकृत पदों के प्रति, केवल 1,447 अभियंता (51 प्रतिशत) ही राज्य के 23,336 ग्रा.पं. को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए नियुक्त किये गये थे। अतः औसतन, प्रत्येक अभियंता को मनरेगा निर्माण-कार्यों को निष्पादित करने के लिए 16 ग्रा.पं. का पर्यवेक्षण करना पड़ रहा था।
8.	महाराष्ट्र	कनिष्ठ अभियंताओं को 240 नमूना परीक्षित पंचायतों के 10 से 15 ग्रा.पं. के चयनित समूह के तकनीकी पर्यवेक्षण हेतु अतिरिक्त प्रभार दिये गये थे। बुल्डाना जिले में 18 तकनीकी सहायकों की आवश्यकता के प्रति चार की कमी थी।
9.	ओडिशा	पंचायल समिति में विशिष्टतः ग्रा.पं. के मनरेगा कार्यों हेतु चार कनिष्ठ अभियंता एवं दो तकनीकी सहायक थे, लेकिन उन्हें ग्रा.पं. ने अन्य योजनाओं में निर्माण-कार्यों के निरीक्षण भी सौंपा गया था।
10.	ਪंजाब	2,555 की आवश्यकता के प्रति, पूरे राज्य (पांच ग्रा.पं. के लिए एक) के केवल 74 तकनीकी सहायक ही नियुक्त थे जिससे 2,481 तकनीकी सहायकों (97 प्रतिशत) की कमी छुट रही थी। नमूना परीक्षित जिले में तकनीकी सहायकों की कमी 89 तथा 98 प्रतिशत के मध्य थी।
11.	उत्तर प्रदेश	7,931 तकनीकी सहायकों की आवश्यकता के प्रति 2,533 की कमी थी।

अनुबंध-4ड
प्रशिक्षण में कमी
(पैराग्राफ 4.6 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य	मनरेगा के तहत कर्मचारियों की कुल संख्या				प्रशिक्षण प्रदान किये गये कर्मचारियों की संख्या				प्रशिक्षण पर किया गया व्यय (₹ लाख में)
		ग्रा.पं. स्तर	व्लॉक स्तर	जिला स्तर	कुल	ग्रा.पं. स्तर	व्लॉक स्तर	जिला स्तर	कुल	
1.	गोवा	36	30	34	100	36	22	20	78	2.63
2.	हरियाणा	650	65	11	726	650	53	9	726	24.13
3.	राजस्थान	27,265	डाटा उपलब्ध नहीं	डाटा उपलब्ध नहीं	27,265	21,190	डाटा उपलब्ध नहीं	डाटा उपलब्ध नहीं	21,190	113.60
4.	उत्तर प्रदेश	85	122	45	252	डाटा उपलब्ध नहीं	डाटा उपलब्ध नहीं	डाटा उपलब्ध नहीं	डाटा उपलब्ध नहीं	56.42
योग		28,036	217	90	28,343	21,876	75	29	21,994	196.78

अनुबंध-4च
सूचना, शिक्षा एवं संचार (सू.शि.सं.) गतिविधियां
(पैराग्राफ 4.7 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य	जिला	प्राप्त निधियां (₹ लाख में)	सू.शि.सं. पर किया गया व्यय (₹ लाख में)
1.	गोवा	2	14.00	6.79
2.	गुजरात	2	14.00	11.00
3.	हरियाणा	6	84.5	38.78
4.	केरल	3	17.30	17.40
5.	पंजाब	6	40.39	28.69
6.	राजस्थान	5	45.00	23.87
7.	त्रिपुरा	2	18.00	18.00
8.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	2	5.00	1.88
9.	दादरा नागर एवं हवेली	1	5.00	4.05
10.	लक्ष्मीप	1	7.00	5.84
11.	पुडुचेरी	2	7.00	2.89
योग		32	257.19	159.19

अनुबंध-5क
अव्ययित शेष का समायोजन के बिना मंत्रालय द्वारा निधियों का अधिक निर्गम
(पैराग्राफ 5.5 के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य	31.03.2010 तक अव्ययित शेष प्रावधानिक आंकड़े	31.03.2010 तक अव्ययित शेष लेखापरीक्षित आंकड़े	अव्ययित शेष को ध्यान में रखे बिना किए गए निर्गम	निर्गम की तिथि
1.	आंध्र प्रदेश	874.36	1,169.51	1,012.43	15.04.2010
2.	हिमाचल प्रदेश	66.63	103.87	147.12	15.04.2010
3.	कर्नाटक	503.37	821.87	773.05	16.04.2010
4.	मध्य प्रदेश	2,539.98	2,664.92	995.80	15.04.2010
5.	ओडिशा	44.12	85.22	308.49	16.04.2010
6.	पंजाब	90.06	90.99	34.28	28.04.2010
7.	राजस्थान	1,992.25	3,659.25	1,610.43	16.04.2010
8.	उत्तर प्रदेश	1,275.55	1,196.55	1,419.40	16.04.2010
9.	पश्चिम बंगाल	361.78	312.53	432.25	16.04.2010
कुल		7,748.10	10,104.71	6,733.25	

अनुबंध-5ख
अव्ययित शेष का समायोजन के बिना मंत्रालय द्वारा निधियों का अधिक निर्गम
(पैराग्राफ 5.5 के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य	31.03.2011 तक अव्ययित शेष प्रावधानिक आंकड़े	31.03.2011 तक अव्ययित शेष लेखापरीक्षित आंकड़े	अव्ययित शेष को ध्यान में रखे बिना किए गए निर्गम	निर्गम की तिथि
1.	कर्नाटक	1,095.53	1,095.93	658.57	1.04.2011
2.	मध्य प्रदेश	1,895.17	1,894.25	434.34	1.04.2011
3.	तमिलनाडु	509.14	502.79	509.84	1.04.2011
4.	पश्चिम बंगाल	237.58	265.94	837.25	1.04.2011
कुल		3,737.42	3,758.91	2,440.00	

अनुबंध-5ग
मंत्रालय द्वारा निधियों का अधिक निर्गम
(पैराग्राफ 5.6 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य	वर्ष	अभ्युक्तियां
1.	आंध्र प्रदेश	2009-10	केन्द्रीय देयता को कुल लागत के 96 प्रतिशत तक सीमित न करने के कारण 2009-10 के दौरान द्वितीय भाग हेतु ₹ 75.10 करोड़ के अधिक निर्गम
		2010-11	केन्द्रीय देयता को कुल लागत के 96 प्रतिशत तक सीमित न करने के कारण 2010-11 के दौरान द्वितीय किस्त हेतु ₹ 89.48 करोड़ के अधिक निर्गम इसके अतिरिक्त, 1 अप्रैल 2010 तक अथ शेष को कम बताए जाने के कारण ₹ 108.90 करोड़ का अधिक निर्गम किया गया था। यह मंत्रालय द्वारा स्वीकार किया गया था।
		2011-12	केन्द्रीय देयता के रूप में ₹ 146.24 ¹ की अधिक निर्गम को कम अव्ययित शेष का समायोजन करके निर्धारित किया गया था।
2.	गुजरात	2010-11	मंत्रालय ने ₹ 492.02 करोड़ की राशि जारी की थी (फरवरी 2011) जिसमें ₹ 184.64 करोड़ की बकाया देयता शामिल थी, जोकि राज्य द्वारा पहले ही अपने मांग प्रक्षेपण में समायोजित कर दिया गया था।
		2011-12	इसी प्रकार, 2011-12 में, मंत्रालय ने ₹ 87.43 करोड़ की राशि जारी की थी (फरवरी 2012) जिसमें ₹ 43.2 करोड़ (45 करोड़ का 96 प्रतिशत) बकाया देयता के रूप में शामिल थी, जिसे राज्य द्वारा वर्ष हेतु अपने मांग प्रक्षेपण में शामिल कर लिया गया था।

1

क्र.सं.	विवरण	₹ करोड़ में
01.	श्रम बजट में संरचीकृत राशि	8,272.00
02.	केन्द्रीय देयता (8,272 करोड़ का 96%)	7,941.12
03.	पहला भाग अर्थात् केन्द्रीय देयता का 50%	3,970.56
04.	1.4.2011 तक कम उपलब्ध शेष	3,655.96
05.	राज्य को जारी की जाने वाली निधियां	314.60
06.	मंत्रालय द्वारा निर्गम वास्तविक राशि	460.84
07.	अधिक निर्गम	146.24

क्र.सं.	राज्य	वर्ष	अभ्युक्तियां
3.	हिमाचल प्रदेश	2009-10	₹ 100.35 करोड़ के अव्ययित शेष के समायोजन बिना ₹ 228 करोड़ का निर्गम
4.	मध्य प्रदेश	2010-11	01.04.2010 तक अथ शेष को ₹ 2,435.45 करोड़ मानते हुए मंत्रालय ने ₹ 303.18 करोड़ का निर्गम किया, जबकि लेखापरीक्षित लेखों के अनुसार, अथ शेष ₹ 2,664.92 करोड़ था। इस प्रकार ₹ 229.47 करोड़ का अनुचित/अधिक निर्गम हुआ था।
5.	राजस्थान	2010-11	मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2010 तक ₹ 1,992.25 करोड़ को अथ शेष मानते हुए ₹ 1,178.39 करोड़ का निर्गम किया था (जून 2010) तथापि, लेखापरीक्षित लेखों के अनुसार अथ शेष ₹3,659.25 करोड़ था। इस प्रकार ₹ 1,178.39 करोड़ का अनुचित/अधिक निर्गम हुआ था।
6.	पश्चिम बंगाल	2009-10	मंत्रालय ने मार्च 2010 में, फरवरी 2010 में उसी तिमाही हेतु ₹ 219.09 करोड़ के निर्गम का समायोजन किए बिना, 2009-10 वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही की आवश्यकता हेतु ₹439.27 करोड़ का निर्गम कर दिया था।
अधिक निर्गमों की कुल राशि			₹ 2,374.86 करोड़

अनुबंध-5घ
राज्य के हिस्से का कम निर्गम
(पैराग्राफ 5.8 के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य	राज्य का बकाया हिस्सा	जारी किया गया राज्य का हिस्सा	कम निर्गम
1.	असम (संपूर्ण राज्य)	336.87	307.52	29.35
2.	मणिपुर (संपूर्ण राज्य)	182.30	59.11	123.19
3.	मिजोरम (संपूर्ण राज्य)	105.43	83.52	21.91
4.	नागालैंड (संपूर्ण राज्य)	208.42	91.85	116.57
5.	राजस्थान (तीन जिले)	88.96	78.84	10.12
6.	सिक्किम (संपूर्ण राज्य)	30.79	8.47	22.32
7.	त्रिपुरा (संपूर्ण राज्य)	232.67	99.58	133.09
कुल				456.55

अनुबंध-5ङ्
राज्य के हिस्से के निर्गम में विलम्ब
(पैराग्राफ 5.9 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	दिनों में विलम्ब
1.	असम	47 से 354
2.	बिहार	9 से 313
3.	छत्तीसगढ़	5 से 139
4.	झारखण्ड	5 से 293
5.	हिमाचल प्रदेश	15 से 170
6.	मणिपुर	21 से 249
7.	मेघालय	18 से 174
8.	मिजोरम	9 से 317
9.	पंजाब	3 से 527
10.	राजस्थान	17 से 331
11.	सिक्किम	34 से 252
12.	त्रिपुरा	5 से 222
13.	उत्तराखण्ड	8 से 211

अनुबंध-5च
सं.ग्रा.रो.यो. तथा रा.का.ब.अ.का. से निधियों के हस्तांतरण न किए जाना/विलंब
(पैराग्राफ 5.11 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	अभ्युक्तियां	राशि (₹ करोड़ में)	विलंब की अवधि
1.	बिहार	<p>11 नमूना परीक्षित जिलों (अररिया, बेगूसराय, भभुआ, भोजपुर, दरभंगा, जहानाबाद, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, सीतामढी, और पश्चिम चंपारण) में सं.ग्रा.रो.यो. तथा रा.का.ब.अ.का. के ₹ 21.48 करोड़ को मनरेगस को हस्तांतरित नहीं किया गया था।</p> <p>सं.ग्रा.रो.यो./रा.का.ब.अ.का. के अंतर्गत ₹ 77.36 करोड़ के अप्रयुक्त खाद्यान्नों की लागत को चूककर्ता सा.वि.प्र. विक्रेताओं से प्राप्त नहीं किया जा सका और इसलिए मनरेगस को हस्तांतरित नहीं किया जा सका।</p>	21.48 77.36	अभी तक हस्तांतरित नहीं किया गया था
2.	छत्तीसगढ़	महासमुंद (₹ 1 करोड़) तथा कांकेर (₹ 0.22 करोड़) जिलों में, पांच वर्षों से अधिक के विलंब के पश्चात भी निधियों को मनरेगस खाते में हस्तांतरित नहीं किया गया था।	1.22	अभी तक हस्तांतरित नहीं किया गया था
3.	झारखण्ड	तीन नमूना परीक्षित जिलों (पलामू, रांची, गुमला) में, सं.रो.ग्रा.यो. (खाद्यान्नों को संभावना तथा परिवहन) तथा रा.का.ब.अ.का. ₹ 4.43 करोड़ की निधियों को मनरेगस को हस्तांतरित नहीं किया गया था।	4.43	अभी तक हस्तांतरित नहीं किया गया था
4.	मध्य प्रदेश	लेखापरीक्षा ने पाया कि 13 नमूना परीक्षित जिलों में से सात ने विलम्ब के साथ सं.ग्रा.रो.यो. तथा रा.का.ब.अ.का. की ₹ 6.73 करोड़ की शेष राशि को हस्तांतरित किया था।	6.73	एक से पांच वर्ष
5.	ओडिशा	सं.ग्रा.रो.यो. तथा रा.का.ब.अ.का. के अंतर्गत ₹ 2.91 करोड़ (मार्च 2008 तक) की अप्रयुक्त राशि को, मनरेगस को हस्तांतरित नहीं किया गया था।	2.91	अभी तक हस्तांतरित नहीं किया गया था
6.	राजस्थान	नमूना परीक्षित जिलों, ब्लॉकों तथा ग्रा.पं. में, सं.ग्रा.रो.यो. तथा रा.का.ब.अ.का. के अंतर्गत ₹ 2.33 करोड़ की राशि के अव्ययित शेष को हस्तांतरित नहीं किया गया था तथा विलंब के साथ ₹ 4.99 करोड़ को हस्तांतरित किया गया था।	2.33 4.99	अभी तक हस्तांतरित नहीं किया गया था

क्र.सं.	राज्य का नाम	अभ्युक्तियां	राशि (₹ करोड़ में)	विलंब की अवधि
				5 महीनों से 40 महीनों तक के विलंब
7.	उत्तर प्रदेश	सीतापुर जिले के दो नमूना परीक्षित संबंधित विभागों में, ₹0.41 करोड़ तक की राशि का रा.का.ब.अ.का. के शेष को मनरेगा को हस्तांतरित नहीं किया गया था।	0.41	अभी तक हस्तांतरित नहीं किया गया था
8.	पश्चिम बंगाल	दक्षिण 24 परगना जिले के भंगर ब्लॉक में सं.रो.ग्रा.यो. के अंतर्गत ₹ 0.08 करोड़ के अप्रयुक्त शेष को मनरेगा को हस्तांतरित नहीं किया गया था।	0.08	अभी तक हस्तांतरित नहीं किया गया था

अनुबंध-5छ
अस्वीकार्य मदों पर ब्याज आय का गैर लेखांकन अथवा उपयोग
(पैराग्राफ 5.12 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	नमूना जिले/ब्लॉक/ग्रा.पं.	राशि (₹ करोड़ में)	अभ्युक्ति
1.	असम	डीबूगढ़ तथा जोरहाट जिलों के अंतर्गत 13 ग्रा.पं. तथा तीन विकास ब्लॉक	0.18	कार्यालय लेखन सामग्री के प्रापण, बिलों के भुगतान, चारदीवारी के निर्माण, कार्यालय परिसर पर मिट्टी की भराई, जिराँक्स मशीन के प्रापण आदि हेतु उपयोग किया गया।
2.	जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू	0.14	फरवरी 2012 तक अर्जित 0.97 करोड़ की ब्याज आय में से 0.14 करोड़ का विभाग द्वारा या.भ. दावों, पी.ओ.एल., लेखन सामग्री आदि पर व्यय किया गया था।
		तीन जि.वि.अ. तथा एक सहायक आयुक्त (विकास)	0.16	राशि को पुस्तिकाओं में दर्ज नहीं किया गया था क्योंकि निधियों पर ब्याज को बैंकों में जमा कराया गया था।
3.	ओडिशा	आठ में से चार जिले (बोलांगिर, भद्रक, गंजम तथा खुर्दा)	0.38	मार्च 2012 को ब्याज को रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया था।
4.	पंजाब	होशियारपुर (टांडा ब्लॉक) के नमूना जांच किए जिले, अमृतसर जिला, बरनाला जिला (तीन ग्रा.पं., ब्लॉक बरनाला तथा जिला)	-- 0.02 0.11	होशियारपुर (टांडा ब्लॉक) में, योजना के अंतर्गत बचत खाते में उपलब्ध निधियों पर बैंक द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया गया था। अमृतसर जिले में यह पाया गया था कि संबद्ध विभाग द्वारा मनरेगस निधियों पर अर्जित ₹ 0.02 करोड़ के ब्याज संबद्ध विभाग द्वारा अ.उ.आ.(वि.) को वापस नहीं किया गया था। बरनाला जिले में, मनरेगस निधि पर अर्जित ब्याज को रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया था।
5.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद जिले का संबद्ध विभाग (लोक निर्माण कार्य विभाग)	0.27	ब्याज की राशि को जि.ग्रा.वि.अ. के लेखे में दर्ज नहीं किया गया था।
कुल ब्याज			1.26	

अनुबंध-5ज
अधिक प्रशासनिक व्यय
(पैराग्राफ 5.13.1 के संदर्भ में)

राज्य	अवधि	जिलों की संख्या	जिलों का नाम	राशि (₹ करोड़ में)
बिहार	2007-12	7	बंका, बेगुसराय, भभुआ, भोजपुर, मधुबन्धी, मुंगेर तथा मुजफ्फरपुर	10.40
झारखण्ड	2007-08	1	दुमका	0.82
केरल	2007-11	4	तिर्लवनंतपुरम, कोट्टायम, मलप्पुरम और पलक्कड़	6.57
महाराष्ट्र	2007-11	1	बुलधाना	0.30
नागालैण्ड	2007-09	2	मोन	0.26
	2008-09		दीमापुर	0.70
ओडिशा	2007-12	2	केन्द्रपदा तथा सम्बलपुर	0.95
राजस्थान	2010-12	4	बुंदी, धोलपुर, जैसलमेर तथा जालौर	5.02
उत्तर प्रदेश	2007-09	1	गोंडा	6.09
दादरा एवं नागर हवेली	2008-11	1	दादर एवं नागर हवेली	0.12
लक्ष्मीप	2009-12	1	लक्ष्मीप	0.81
कुल		24		32.04

अनुबंध-5ज्ञ
अस्वीकार्य मदों पर व्यय
(पैराग्राफ 5.14 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	निधियों का विपथन	राशि (₹ करोड़ में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम जिले के कोटारउठला ब्लॉक में पंचायती राज अभियांत्रिकी प्रभाग ने आधिक्य में मापन पुस्तिकाएँ खरीदी जिनका उपयोग मनरेगा निर्माण कार्यों के अतिरिक्त, करार पुस्तिकाओं, कम्प्यूटर तथा फर्नीचर की खरीद के लिए किया गया था।	0.14
2.	अरुणाचल प्रदेश	परियोजना निदेशक, निचली दिबांग घाटी द्वारा स्टाफ के वेतन के प्रति	0.08
3.	असम	जिला कर्बी एगलोंग में रा.स्त.प. के दौरां, गोदाम के किराया, स्वतंत्रता दिवस व्यय, कार्यालय कक्ष के निर्माण तथा वाहनों की मरम्मत पर व्यय के प्रति जिला हैलाकंडी में ब्लॉक गोदाम की मरम्मत, वाहनों की मरम्मत तथा मतदान व्ययों आदि जैसे आकस्मिक व्यय के प्रति	0.45
4.	बिहार	अररिया तथा मुंगेर जिलों में व्यय ग.रे.नी. सर्वेक्षण कार्य के उद्देश्य हेतु तथा जि.ग्रा.वि.अ. तथा जिला परिषद के आकस्मिक व्यय के रूप में किया गया था।	0.86
5.	छत्तीसगढ़	जिला परिषद, बस्तर ने 150 कम्प्यूटर खरीदे जिन्हें ग्राम पंचायतों को संवितरण नहीं किया गया था।	0.46
6.	जम्मू एवं कश्मीर	तीन स.आ.वि., एक ब्लॉ.वि.प्रा. तथा निदेशक (ग्रामीण विकास), जम्मू ने मनरेगा से गैर-संबंधित कार्यों जैसे कि जम्मू लेह, पूछ तथा राजौरी के जिलों में चुनाव प्रक्रिया, कार्यालयों में टाईलों का निर्धारण, डी.जी. सैट, पे.ते.लू. की खरीद आदि, पर व्यय किया था।	1.06
7.	मध्य प्रदेश	₹ 22.15 लाख का व्यय नीजि प्रीटिंग प्रैस के माध्यम से 11 विभिन्न बैंकों की 1.96 लाख पास बुकों के मुद्रण पर किया गया था तथा इन्हें लाभार्थियों को जारी करने के लिए संबंधित बैंकों के सुपुर्द किया गया था।	0.22
8.	पंजाब	लैपटॉप, सोफा सेटों, फोटोकॉपी मशीनों, इंवर्टरों, एल.सी.डी.टी.वी., स्टेबलाईजरों आदि की खरीद के प्रति	0.28
9.	राजस्थान	फर्नीचर एवं उपस्कर, वातानुकूलन आदि की खरीद के प्रति	0.02
10.	सिक्किम	वाहनों की मरम्मत तथा अनुरक्षण के प्रति	0.03
11.	तमिलनाडु	उप ब्ला.वि.अ. जिसकी सेवाओं का मनरेगा हेतु उपयोग नहीं किया गया था, के वेतन एवं भत्तों के प्रति	0.49
12.	त्रिपुरा	6,035 ग्रामीण शरण गृहों, स्टील फुट ब्रिजों, आर.सी.सी. कैंटीलीवन ब्रिजों, मार्केट स्टॉल, एस.एच.जी. कौशल उन्नयन केन्द्र, बालगृह, पम्प हाउस आदि का निर्माण	21.87
योग			25.96

अनुबंध-5ज
निधियों का विपथन
(पैराग्राफ 5.14 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	क्षेत्र/योजनाएं जिनको निधियों का अपवर्तन किया गया था	राशि (₹ करोड़ में)
1.	झारखण्ड	राँची जिले के कनके ब्लॉक में इंदिरा आवास योजना को। दुमका जिले में सां.स्था.क्षे.वि., सू.प्र.क्षे.का. तथा इ.आ.यो. योजनाओं के लेखापरीक्षा शुल्क के भुगतान के प्रति	0.76
2.	कर्नाटक	अन्य योजना के अंतर्गत ऊरी कृष्णा परियोजना के नारायणपुर राईट बैंक कैनल की सर्विस सङ्क तथा निरीक्षण मार्गों हेतु प्रापण की गई सामग्रियों, सीमेंट कंक्रीट सङ्कों के निर्माण के प्रति।	1.98
3.	ओडिशा	अन्य योजनाओं अर्थात् बाढ़ राहत, ग्रा.पं. निधियाँ, इ.आ.यो. तथा वृद्ध पेंशन तथा लो.सं.प्र. के प्रति	2.07
4.	राजस्थान	पुस्तकों की खरीद, दो सहायक अभियंताओं के वेतन निर्धारण बकायों, पंचायती राज का स्वर्ण जयंती उत्सव तथा अन्य योजनाओं के प्रति। चार नमूना जांच किए गए जिलों में 2007-12 की अवधि हेतु केशव बाड़ी योजना के प्रति। बढ़े हुए मानदेय के भुगतान तथा जिला परिषद एवं ब्लॉक के सदस्यों सहित जिला प्रमुख, प्रधान तथा सरपंच के भत्तों को पूरा करने के प्रति	0.09 85.17 43.44
5.	उत्तर प्रदेश	विविध प्रशासनिक व्यय, अन्य योजनाओं का आकस्मिक व्यय विकास भवन में सम्मेलन कक्ष के नवीकरण एवं विद्युतीकरण, प्राथमिक विद्यालय तथा हरिजन आवास का निर्माण, कार्यालय व्यय तथा दोपहर के भोजन की योजना के प्रति	1.51
योग			135.02

अनुबंध-5ट
निधियों का संदिग्ध/सुनिश्चित दुर्विनियोजन
(पैराग्राफ 5.15 के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	अभ्युक्ति	राशि (₹ करोड़ में)	टिप्पणियाँ
1.	असम	कार्यालय प्र.नि., जि.ग्रा.वि.अ. कामरूप ने ब्ला.वि.अ., हाजो विकास ब्लॉक को ₹ 0.03 करोड़ की राशि अदा की। जबकि इस राशि को ब्ला.वि.अ., हाजो ब्लॉक की रोकड़ बही में दर्ज नहीं पाया गया था, फिर भी इसे प्र.नि., जि.ग्रा.वि.अ. कामरूप की बैंक पास बुक में आहरित पाया गया था।	0.03	अभिलेखों के गैर-अनुरक्षण के कारण संदिग्ध दुर्विनियोजन का मामला
		अ.आ. सह जि.का.स., काछर ने अ.प्र.प. प्रस्तुत करते समय कालेन विकास ब्लॉक में ₹ 1.59 करोड़ के गबन का उल्लेख किया।	1.59	दुर्विनियोजन/गबन का सुनिश्चित मामला
		₹ 0.049 करोड़ की राशि का ग्रा.पं. तूकरापारा, कामरूप (ग्रामीण) जिले द्वारा मनरेगस के अंतर्गत आं.प. स्तरीय ‘एफ.ए. अहमद महाविद्यालय का भूमि विकास’ के निष्पादन हेतु व्यय किया गया था। तथापि, पूर्ण व्यय के समर्थन में लेखापरीक्षा को ₹ 0.022 करोड़ के मर्टर रोल वाउचर उपलब्ध कराए गए थे।	0.03	अभिलेखों के गैर-अनुरक्षण के कारण संदिग्ध दुर्विनियोजन का मामला
2.	बिहार	कार्यकारी अभिकरणों को विभिन्न योजनाओं के निष्पादन हेतु ₹ 0.64 करोड़ अदा किए गए थे। लेखापरीक्षा ने ₹ 0.64 करोड़ को लम्बी अवधि तक अप्रयुक्त रहा पाया। इसमें से ₹ 0.41 करोड़ को लेखापरीक्षा दृष्टांत पर वसूला गया था तथा शेष ₹ 0.23 करोड़ वसूल किए जाने हेतु रहे।	0.23	कार्यान्वयन अभिकरणों ने बिना उद्देश्य के लंबी अवधि तक निधियाँ रखीं
3.	ગुजरात	दाहोद जिले के फतेपुर तथा दोहोद में अभिलेखों की संवीक्षा ने 2009-11 के दौरान ₹ 5.79 करोड़ (फतेपुर) तथा ₹ 0.29 करोड़ (दाहोद) के दर्ज न किए गए व्यय को प्रकट किया। इन व्ययों को न तो रोकड़ बही में दर्ज किया गया था न ही का.अ. के पास व्यय के समर्थन में वाउचर उपलब्ध थे।	6.08	अभिलेखों के गैर-अनुरक्षण के कारण संदिग्ध दुर्विनियोजन का मामला
4.	हरियाणा	2009-10 के दौरान, 0.12 करोड़ की राशि सरपंच, अर्जन कलां (जिला कुरुक्षेत्र) द्वारा योजना के बैंक खाते से आहरित की गई थी। जिसमें से, 0.074 करोड़ का व्यय जुलाई-अगस्त 2009 में सामग्री घटक हेतु किया गया था फिर भी मॉ.सू.प्र. में व्यय को फरवरी में किया गया दर्शाया गया था। इसके अतिरिक्त, कार्य के भौतिक सत्यापन पर लेखापरीक्षा ने पाया कि सामग्री घटक का उपयोग नहीं किया जा सका था।	0.08	अभिलेखों के गैर-अनुरक्षण के कारण संदिग्ध दुर्विनियोजन का मामला

क्र. सं.	राज्य का नाम	अभ्युक्ति	राशि (₹ करोड़ में)	टिप्पणियाँ
5.	झारखण्ड	<p>रा.ग्रा.रो.का.-II प्रभाग राँची में, दो अवसरों अर्थात् 31 मई 2011/1 जून 2011 तथा 30 जून 2011/1 जुलाई 2011 में अंत शेष/अथ शेष में ₹ 2.12 करोड़ का अंतर पाया गया था जबकि अग्रिमों का कोई समायोजन अथवा वापसी नहीं थी। इसलिए, निधियों के दुर्विनियोजन की संभावना थी।</p> <p>अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि गुमला तथा राँची में, ₹ 11.63 करोड़ की राशि को 2007-12 के दौरान मनरेगा के अंतर्गत निर्माण कार्यों को निष्पादित करने हेतु पाँच कार्यान्वयन अभिकरणों के बन रेंज अधिकारी (व.रे.अ.) को प्रदान की गई थी परंतु न तो रोकड़ बही में इसकी प्रविष्टियां की गई थीं और न ही अनुवर्ती अग्रिम जारी करते समय कोई समायोजन वाउचरों की मांग की गई थी। इसका परिणाम ₹ 11.63 करोड़ के गैर-समायोजित अस्थायी अग्रिम के संचयन में हुआ।</p> <p>इसी प्रकार, 2009-10 की अवधि के दौरान जिला बोर्ड, खुंटी तथा विशेष निर्माण कार्य प्रभाग, खुंटी में समायोजन वाउचरों अथवा वापसियों की मांग किए बिना अनुवर्ती अग्रिम प्रदान की थीं जिसने ₹ 10.16 करोड़ की सीमा तक मनरेगा निधियों के दुर्विनियोजन को दर्शाया।</p>	2.12	अभिलेखों के गैर-अनुरक्षण के कारण संदिग्ध दुर्विनियोजन का मामला
		<p>अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि गुमला तथा राँची में, ₹ 11.63 करोड़ की राशि को 2007-12 के दौरान मनरेगा के अंतर्गत निर्माण कार्यों को निष्पादित करने हेतु पाँच कार्यान्वयन अभिकरणों के बन रेंज अधिकारी (व.रे.अ.) को प्रदान की गई थी परंतु न तो रोकड़ बही में इसकी प्रविष्टियां की गई थीं और न ही अनुवर्ती अग्रिम जारी करते समय कोई समायोजन वाउचरों की मांग की गई थी। इसका परिणाम ₹ 11.63 करोड़ के गैर-समायोजित अस्थायी अग्रिम के संचयन में हुआ।</p> <p>इसी प्रकार, 2009-10 की अवधि के दौरान जिला बोर्ड, खुंटी तथा विशेष निर्माण कार्य प्रभाग, खुंटी में समायोजन वाउचरों अथवा वापसियों की मांग किए बिना अनुवर्ती अग्रिम प्रदान की थीं जिसने ₹ 10.16 करोड़ की सीमा तक मनरेगा निधियों के दुर्विनियोजन को दर्शाया।</p>	21.79	अभिलेखों के गैर-अनुरक्षण के कारण संदिग्ध दुर्विनियोजन का मामला
		<p>अप्रैल 2008 तथा अगस्त 2009 के बीच ब्ला.वि.अ. द्वारा सेल्फ चैक पर तथा दो ब्लॉक कार्मिकों के नाम पर ₹ 0.02 करोड़ का आहरण किया गया था। इसी प्रकार, भार्ना ब्लॉक, गुमला जिले में, नवम्बर 2007 तथा अक्टूबर 2011 के बीच लाभार्थियों, समितियों, बैंक, डाक घर तथा ब.क्षे.ब.उ.स. के पक्ष में 45 चैकों के माध्यम से ₹ 0.027 करोड़ का आहरण किया गया था। तथापि, किए गए भुगतान के समर्थन में ब्लॉक के पास कोई वाउचर उपलब्ध नहीं थे।</p>	0.29	अभिलेखों के गैर-अनुरक्षण के कारण संदिग्ध दुर्विनियोजन का मामला
		<p>नमूना जाँच की गई जिला परिषद, पश्चिम सिंहभूम जिले में, 2007-11 की अवधि के दौरान रोकड़ बही में ₹ 30.03 करोड़ को ₹ 31.68 करोड़ की अग्रिम के प्रति समायोजित किया दर्शाया गया था। तथापि ₹ 30.03 करोड़ हेतु समायोजन वाउचरों तथा संबंधित मापन पुस्तिकाओं को लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था। सनदी लेखाकार ने रोकड़ बही में भी पाया (24.10.2011) कि सत्यापन हेतु इसको कोई सहायक वाउचर तथा मापन पुस्तिकाएं प्रस्तुत नहीं की गई थीं।</p>	30.03	अभिलेखों के गैर-अनुरक्षण के कारण संदिग्ध दुर्विनियोजन का मामला

क्र. सं.	राज्य का नाम	अभ्युक्ति	राशि (₹ करोड़ में)	टिप्पणियाँ
6.	कर्नाटक	बीजापुर के नमूना जांच किए गए जिले में, 0.13 करोड़ के चैकों को भुगतान से संबंधित सहायक दस्तावेजों के बिना मई 2009 से मार्च 2010 के दौरान चार व्यक्तियों को जारी किए गए थे। इसके अतिरिक्त, चिकवालापुर के नमूना जांच किए गए जिले में, ग्रा.पं. थिर्लमनी के बैंक खाते की पास बुक के अनुसार 2010-12 के दौरान 18 मामलों में 0.09 करोड़ का अंतरण किया गया था। तथापि, ऐसे लेन-देनों को ग्रा.पं. की पास बुक में दर्ज नहीं किया गया था। ग्रा.पं. के सचिव के कथन (मई 2012) के अनुसार, इन लेन-देनों से संबंधित कोई अभिलेख ग्रा.पं. में उपलब्ध नहीं था।	0.22	अभिलेखों के गैर-अनुरक्षण के कारण संदिग्ध दुर्विनियोजन का मामला
7.	मणिपुर	2007-10 के दौरान, जि.का.स., तैमनलौंग ने तैमनलौंग तथा नूगबा ब्लॉकों के का.अ. को क्रमशः 0.11 करोड़ तथा 0.16 करोड़ के चैक जारी किए। तथापि जारी राशि को संबंधित का.अ. की पास बुकों में प्राप्त के रूप में नहीं दर्शाया गया था।	0.27	अभिलेखों के गैर-अनुरक्षण के कारण संदिग्ध दुर्विनियोजन का मामला
8.	नागालैण्ड	जि.का.स. दीमापुर द्वारा 2011-12 के दौरान योजना के प्रति जारी की गई 1.68 करोड़ की राशि को का.अ. धानसीटीपार के पास प्रचालित मनरेगस बैंक खाते में दर्ज नहीं किया गया था। तथापि, का.अ. धानसीटीपार के अन्तर्गत आठ नमूना जांच की गई ग्रा.पं. की पुनः जांच तथा सत्यापन ने उजागर किया कि का.अ. धानसीटीपार द्वारा रोकड़ बही में ऐसी कोई राशि दर्ज नहीं की गई थी। इसलिए, 1.68 करोड़ के दुर्विनियोजन को निर्धारित नहीं किया जा सका।	1.68	अभिलेखों के गैर-अनुरक्षण के कारण संदिग्ध दुर्विनियोजन का मामला
		तीन नमूना जिलों में सात नमूना परीक्षित का.अ. ने 2007-12 के दौरान 54 ग्रा.पं. को 114.52 करोड़ आवंटित किए थे। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि 54 ग्रा.पं. ने केवल 49.14 करोड़ ही प्राप्त किए थे। मनी ट्रेल के लेखापरीक्षा विश्लेषण ने उजागर किया कि का.अ. के अभिलेखों के अनुसार प्रत्येक ग्रा.पं. को चैक संख्या तथा दिनांक सहित जारी राशियों की प्रविष्टियों को दर्ज किया गया था जबकि का.अ. द्वारा बताई गई राशि वास्तव में ग्रा.पं. खाते में जमा नहीं की गई थी। इस प्रकार, निधियों के हस्तांतरण के दौरान 65.38 करोड़ के वित्तीय रिसाव को निर्धारित नहीं किया जा सका।	65.38	अभिलेखों के गैर-अनुरक्षण के कारण संदिग्ध दुर्विनियोजन का मामला
9.	पंजाब	स.वि.आ. के कार्यालय द्वारा प्रस्तुत सूचना तथा अभिलेखों/शिकायत मिसिल के अनुसार यह पाया गया कि योजना के अंतर्गत 0.65 करोड़ की राशि की जारी निधियों को अमृतसर, भटिण्डा, पटियाला तथा मुक्तसर के जिलों में ग्रा.पं. पर दुर्विनियोजन किया गया था।	0.65	दुर्विनियोजन/गबन का सुनिश्चित मामला

क्र. सं.	राज्य का नाम	अभ्युक्ति	राशि (₹ करोड़ में)	टिप्पणियाँ
10.	राजस्थान	ब्लॉक धोलपुर (ग्रा.पं. बसर्ई नीम) में अभिलेखों के समाधान की समीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि फर्जी मजदूरी सूची तैयार की गई थी तथा श्रमिकों को भुगतान हेतु डाक घर भेजी गई थी। डाकपाल ने 0.21 करोड़ का भुगतान किया था जो कि जाली था क्योंकि निर्माण कार्य निष्पादित नहीं किया गया था।	0.21	दुर्विनियोजन/गबन का सुनिश्चित मामला
11.	उत्तर प्रदेश	2.06 करोड़ (2010-11 से संबंधित) तथा 1.25 करोड़ (2011-12 से संबंधित) की वसूलनीय राशि सहित 198 मामलों में 2010-12 के दौरान अनियमितताएं पाई गई थीं परंतु राज्य प्राधिकरणों द्वारा केवल 0.71 करोड़ की वसूली की गई थी। मार्च 2012 को 2.60 करोड़ की वसूली नहीं की जा सकी थी।	2.60	दुर्विनियोजन/गबन का सुनिश्चित मामला
योग				
क्र.सं.	मामलों के प्रकार	राज्यों की संख्या	राशि	
1.	संदिग्ध दुर्विनियोजन के मामले	8	128.23	
2.	दुर्विनियोजन के सुनिश्चित मामले	4	5.05	

अनुबंध-6क
घर-घर जाकर सर्वेक्षण नहीं किया गया
(पैराग्राफ 6.2.1 के संदर्भ में)

क्र.सं .	राज्य का नाम	ग्रा.पं./ब्लॉक/ जिलों की संख्या	लेखापरीक्षा टिप्पणी
1.	असम	7 ग्रा.पं.	घर-घर जाकर सर्वेक्षण नहीं किया गया था। दलों को पूर्वाभमुखीकरण प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया।
2.	बिहार	250 ग्रा.पं.	पंजीकृत होने के इच्छुक व्यक्तियों की पहचान करने हेतु घर-घर जाकर कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था।
3.	छत्तीसगढ़	140 ग्रा.पं.	घर-घर जाकर सर्वेक्षण नहीं किया गया था।
4.	हरियाणा	38 ग्रा.पं.	घर-घर जाकर सर्वेक्षण नहीं किया गया था।
5.	जम्मू एवं कश्मीर	1 जिला	गांवों में घर-घर जाकर कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था।
6.	झारखण्ड	6 जिले	नमूना जांच किए गए किसी भी गाँव में घर-घर जाकर कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था।
7.	कर्नाटक	157 ग्रा.पं.	घर-घर जाकर किए सर्वेक्षण के विवरण उपलब्ध नहीं थे।
8.	केरल	39 ग्रा.पं.	घर-घर जाकर सर्वेक्षण नहीं किया गया था।
9.	मिजोरम	39 ग्रा.पं.	घर-घर जाकर सर्वेक्षण नहीं किया गया था इसलिए इच्छुक व्यक्ति पंजीकरण हेतु स्वयं ग्राम परिषद आये थे।
10.	नागालैण्ड	33 ग्रा.पं.	घर-घर जाकर सर्वेक्षण नहीं किया गया था।
11.	ओडिशा	199 ग्रा.पं.	योजना के अंतर्गत आवृत्त किए जाने वाले परिवारों का पंजीकरण करने हेतु घर-घर जाकर सर्वेक्षण नहीं किया गया था।
12.	पंजाब	79 ग्रा.पं.	घर-घर जाकर सर्वेक्षण नहीं किया गया था।
13.	राजस्थान	40 ग्रा.पं.	घर-घर जाकर सर्वेक्षण नहीं किया गया था।
14.	सिक्किम	8 ग्रा.पं.	योजना के अंतर्गत पंजीकृत होने के इच्छुक व्यक्तियों की पहचान हेतु घर-घर जाकर सर्वेक्षण नहीं किया गया था।
15.	त्रिपुरा	30 ग्रा.पं.	घर-घर जाकर सर्वेक्षण नहीं किया गया था।
16.	उत्तर प्रदेश	420 ग्रा.पं.	घर-घर जाकर सर्वेक्षण नहीं किया गया था। ब्लॉक/जिला स्तर पर सर्वेक्षण दलों को कोई पूर्वाभमुखीकरण प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था।
	योग	1479 ग्रा.पं. तथा 7 जिले	

अनुबंध-6ख
पंजीकरण सूची का गैर-अद्यतन/प्रदर्शन
(पैराग्राफ 6.2.2 के संदर्भ में))

क्र.सं.	राज्य का नाम	सूची के गैर-अद्यतन के संबंध में विवरण			सूची के गैर-प्रदर्शन के संबंध में विवरण		
		ग्रा.पं./ ब्लॉक/ज़िलों की सं.	नमूना जांच किए गए	प्रतिशत	ग्रा.पं./ ब्लॉक/ज़िलों की सं.	नमूना जांच किए गए	प्रतिशत
1.	असम	--	--	--	6 ज़िले	8 ज़िले	75.0
2.	नागालैण्ड	12 ग्रा.पं.	54 ग्रा.पं.	22.2	34 ग्रा.पं.	54 ग्रा.पं.	63.0
3.	ओडिशा	--	--	--	199 ग्रा.पं.	199 ग्रा.पं.	100.0
4.	तमिलनाडु	--	--	--	3 blocks	23 ब्लॉकों	13.0
5.	त्रिपुरा	--	--	--	60 ग्रा.पं.	60 ग्रा.पं.	100.0
6.	उत्तर प्रदेश	176 ग्रा.पं.	460 ग्रा.पं.	38.3	436 ग्रा.पं.	460 ग्रा.पं.	94.8
7.	पश्चिम बंगाल	31 ग्रा.पं.	120 ग्रा.पं.	25.8	34 ग्रा.पं.	120 ग्रा.पं.	28.3
	योग	219 ग्रा.पं.	634 ग्रा.पं.		763 ग्रा.पं., 3 ब्लॉक तथा 6 ज़िले	893 ग्रा.पं., 23 ब्लॉक तथा 8 ज़िले	

अनुबंध-6ग
बहुल जॉब कार्डों का अनियमित निर्गत
(पैराग्राफ 6.3.2 के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	ग्रा.पं./ ब्लॉक/जिलों की सं.	परिवारों की सं.	निर्गत कार्डों की सं.	ड्यूप्लिकेट कार्डों की सं.	अभ्युक्तियाँ
1.	बिहार	91 ग्रा.पं.	2,849	5,748	2,899	कुछ मामलों में एक ही व्यक्ति के नाम पर जारी 3 अथवा 4 जॉब कार्ड
2.	झारखण्ड	1 ज़िला (राँची)	2,73,904	2,88,668	14,764	संदेहस्पद जॉब कार्ड जारी किए गए थे।
		एक ब्लॉक की 10 ग्रा.पं.	--	--	620	ड्यूप्लिकेट जॉब कार्ड जारी किए गए थे।
3.	राजस्थान	7 ग्रा.पं.	--	--	40	दो जॉब कार्ड जारी किए गए थे।
4.	उत्तर प्रदेश	1 ग्रा.पं. (धर्मपुर क्षान)	--	--	2	मूल तथा ड्यूप्लिकेट जॉब कार्ड दोनों में कार्य आवंटित किया गया था।
	योग	109 ग्रा.पं. तथा 1 ज़िला			18,325	

* प्र.सू.प्र. डाटा के अनुसार

अनुबंध-6घ
जॉब कार्ड जारी करने में विलम्ब
(पैराग्राफ 6.3.3 के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	ग्रा.पं./ ब्लॉक/जिलों की सं.	जॉब कार्डों की सं.	विलम्ब
1.	असम	1 ब्लॉक (टींगखोक)	912	10 से 528 दिन
		1 ब्लॉक	39	2 से 523 दिन
2.	झारखण्ड	1 ग्रा.पं.	66	11 से 197 दिन
3.	महाराष्ट्र	8 ग्रा.पं.	79	1 से 51 महीने
4.	ओडिशा	3 ज़िले	232	112 से 1,460 दिन
5.	पंजाब	4 ग्रा.पं.	126	14 से 17 दिन
6.	राजस्थान	8 ग्रा.पं. (धोलपुर ज़िला)	6,224	2 से 65 दिन
		5 ग्रा.पं. (राजाखेरा, ब्लॉक धोलपुर ज़िला)	4,210	3 से 75 दिन
7.	उत्तर प्रदेश	2 ग्रा.पं. (बुलन्द शहर ज़िला)	120	25 से 45 दिन
	योग	28 ग्रा.पं., 1 ब्लॉक तथा 4 ज़िला	12,008	

अनुबंध -6ड
जॉब कार्डों में अन्य विसंगतियां
(पैराग्राफ 6.3.4 के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	ग्रा.पं. / ब्लॉक/जि लों की सं.	मामलों की सं. जिनमें फोटो चिपकाई गई नहीं पाई गई			मामलों की सं. जिनमें पंजीकरण पंजिका पर फोटो नहीं चिपकाई गई	मामलों की सं. जिनमें पंजीकरण सं./जॉब कार्ड जारी करने की तिथि नहीं पाई गई	मामलों की सं. जिनमें हस्ताक्षर नहीं पाए गए (ग्रा.पं./ब्लॉकों/जिलों की सं.)		मामलों की सं. जिनमें भुगतान की प्रविष्ट्य जॉब कार्ड में की गई प्रविष्टि के साथ मेल नहीं खाती	जॉब कार्डों की सं. जो परिवारों की अभिरक्षा में नहीं है
			कोई भी फोटो नहीं है	संयुक्त फोटो नहीं है	पंजीकरण प्राधिकारी के हस्ताक्षर			परिवारों के सदस्यों के हस्ताक्षर	सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर		
1.	अरुणाचल प्रदेश	4 ज़िले	15	139	--	--	--	33	396 (378+18)	--	--
2.	असम	--	536 (15 GPs)	232 (1ज़िला - चिरांग)	--	--	--	274 (2 ग्रा.पं.)	--	--	840 (1 ग्रा.पं.)
3.	बिहार	13 ज़िले	731	--	516	1,053	--	335	523	--	
4.	हिमाचल प्रदेश	27 ग्रा.पं.	614	--	--	--	--	1,097	1,621	--	--
5.	झारखण्ड	1 ग्रा.पं. (चियांक)	--	--	247	599	90	--	--	--	--
6.	महाराष्ट्र	2 ज़िले (अहमदनगर और सिंधुदुर्ग)	3,83,021	--	--	--	--	--	--	--	--
7.	मणिपुर	1 ग्रा.पं.	80	20	--	--	--	--	--	--	--
8.	राजस्थान	--	49,531 (100 ग्रा.पं.)	--	--	37,707 (58 ग्रा.पं.)	17,754 (50 ग्रा.पं.)	--	--	--	--
9.	उत्तराखण्ड	100 ग्रा.पं.	--	--	6,309	--	2,444	2,013	--	--	--
10.	उत्तर प्रदेश	14 ग्रा.पं.	--	--	960	--	--	--	--	--	--
11.	दादर तथा नागर हवेली	10 ग्रा.पं.	--	--	685	--	610	637	--	--	--
	योग		4,32,528 (143 ग्रा.पं. तथा 19 ज़िलों में)	391 (1 ग्रा.पं. तथा 5 ज़िलों में)	8,717 (125 ग्रा.पं. तथा 13 ज़िलों में)	39,359 (59 ग्रा.पं. तथा 13 ज़िलों में)	22,302 (190 ग्रा.पं. तथा 4 ज़िलों में)	5,002 (137 ग्रा.पं. तथा 17 ज़िलों में)	523 (13 ज़िलों में)	840 (1 ग्रा.पं. में)	

अनुबंध-६च
जॉब कार्ड तथा रोजगार से संबंधित अभिलेखों का अनुरक्षण
(पैराग्राफ 6.4 के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	जॉब कार्ड आवेदन पंजिका				जॉब कार्ड पंजिका				पंजीकरणों की सं. जिन्हें का.अ. को नहीं भ्जा गया
		निम्न में अनुरक्षित नहीं		निम्न उचित रूप से अनुरक्षित नहीं		निम्न में अनुरक्षित नहीं		Not properly maintained in		
		ग्रा.पं.	ब्लॉक	ग्रा.पं.	ब्लॉक	ग्रा.पं.	ब्लॉक	ग्रा.पं.	ब्लॉक	ग्रा.पं.
1.	आन्ध्र प्रदेश	150	-	-	-	150	-	-	-	-
2.	असम	28	7	-	-	-	-	-	-	-
3.	बिहार	250	54	-	-	-	-	-	-	-
4.	गुजरात	150	15	-	-	-	-	-	-	-
5.	हरियाणा	13	-	-	-	18	-	-	-	-
6.	हिमाचल प्रदेश	-	-	20	-	-	-	-	-	-
7.	जम्मू एवं कश्मीर	113	12	-	-	113	12	-	-	-
8.	झारखण्ड	40	7	127	10	46	8	121	9	-
9.	कर्नाटक	26	-	117	-	-	-	133	-	-
10.	केरल	10	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	मध्य प्रदेश	167	17	100	10	13	5	248	29	-
12.	मणिपुर	-	-	90	9	-	-	90	9	-
13.	मेघालय	89	8	-	-	-	8	-	-	-
14.	नागालैण्ड	23	-	-	-	12	-	-	-	-
15.	ओडिशा	-	-	-	-	-	-	199	--	199
16.	पंजाब	53	6	-	-	37	4	-	-	-
17.	सिक्किम	-	-	8	4	-	-	8	4	-
18.	त्रिपुरा	-	-	-	6	-	6	-	-	-
19.	उत्तराखण्ड	-	-	100	-	-	-	-	-	-
20.	उत्तर प्रदेश	7	39	-	-	93	-	-	-	202
21.	पश्चिम बंगाल	83	-	-	-	-	-	83	-	41
22.	दादर एवं नागर हवेली	3	-	2	-	-	-	10	-	-
योग		1,205	165	564	39	482	43	892	51	442
कुल योग		1,769 ग्रा.पं. और 204 ब्लॉक				1,374 ग्रा.पं. और 94 ब्लॉक				442 ग्रा.पं.

अनुबंध-6छ
रोजगार गारंटी दिवस का आयोजन नहीं किया गया
(पैराग्राफ 6.5 के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	ग्रा.पं./ ब्लॉक/जिलों की सं.
1.	अस्सिनाचल प्रदेश	43 ग्रा.पं.
2.	महाराष्ट्र	7 जिले
3.	नागालैण्ड	38 ग्रा.पं.
4.	ओडिशा	199 ग्रा.पं.
5.	तमिलनाडु	4 जिले
6.	उत्तर प्रदेश	446 ग्रा.पं.
7.	पश्चिम बंगाल	69 ग्रा.पं. ग्रा.पं.
8.	लक्ष्मीप	3 ग्रा.पं.
	योग	798 ग्रा.पं. और 11 जिले

अनुबंध-7क
बेरोजगारी भत्ते का गैर भुगतान
(पैराग्राफ 7.2.1 के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्यों के नाम	ग्रा.पं./ब्लॉक /जिलों की संख्या	मजदूरों की संख्या जिनके बेरोजगार भत्ते भुगतानर नहीं किए गए थे	विलम्ब (दिनांक में)	बेरोजगार भत्ते की राशि (₹ लाख में)
1.	असम*	2 जिले	37,229	--	--
2.	बिहार	1 जिले	77	23 से 87	1.93
3.	छत्तीसगढ़	10 ग्रा.पं.	10,041	2 से 407	--
4.	झारखण्ड	3 जिले	206	33 से 1,218	22.63
5.	केरल	1ग्रा.पं.	46	30	0.52
6.	महाराष्ट्र	1ब्लॉक	77	9 से 201	0.82
7.	पंजाब	1 ग्रा.पं.	11	6 से 427	0.50
	कुल	12 ग्रा.पं. 1 ब्लॉक और 6 जिले	47,687		26.40

* मासिक विकास रिपोर्ट के अनुसार डाटा

अनुबंध-7ख
अभिलेखों के गैर अनुरक्षण/खराब अनुरक्षण
(पैराग्राफ 7.2.2 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्यों के नाम	निम्न में आवेदनों की दिनांकित प्राप्तियां जारी नहीं की गई/अभिलेख का अनुरक्षण न ही किया गया	रोजगार पंजिका का अनुरक्षण				
			ग्रा.पं./ब्लॉक	ग्रा.पं.	ब्लॉक	ग्रा.पं.	ब्लॉक
1.	आन्ध्र प्रदेश	150 ग्रा.पं.	150				
2.	असम	-	-	-	-	83	-
3.	बिहार	250 ग्रा.पं.	250	54			
4.	गोवा	-	-	-	14	-	
5.	गुजरात	150 ग्रा.पं.	150	15	-	-	
6.	हरियाणा	6 ग्रा.पं.	6	-	-	-	
7.	हिमाचल प्रदेश	-	32	-	38	-	
8.	जम्मू एवं कश्मीर	-	-	12	-	-	
9.	झारखण्ड	-	50	8	117	9	
10.	कर्नाटक	-	75		72	-	
11.	केरल	21 ग्रा.पं.	09	-	-	-	
12.	मध्य प्रदेश	-	10	4	220	23	
13.	महाराष्ट्र	-	160	-	-	-	
14.	मणिपुर	--	-	-	90	9	
15.	मेघालय	8 ब्लॉक	89	8	-	-	
16.	मिजोरम	39 ग्रा.पं.	-	-	-	-	
17.	नागालैण्ड	-	26	-	-	-	
18.	ओडिशा	-	-	-	199	-	
19.	ਪंजाब	-	62	7	-	-	
20.	तमिलनाडु	230 ग्रा.पं.			-	-	
21.	उत्तराखण्ड	-	-	-	100	-	
22.	उत्तर प्रदेश	443 ग्रा.पं.	7	-	-	-	
23.	पश्चिम बंगाल	83 ग्रा.पं.	3	-	19	-	
24.	दादर एवं नगर हवेली	-	2	-	5	-	
25.	पुडुचेरी	30 ग्रा.पं.	30	-	-	-	
		1,402 ग्रा.पं. और 8 ब्लॉक	1,111 ग्रा.पं.	108 ब्लॉक	957 ग्रा.पं.	41 ब्लॉक	

अनुबंध -7ग
मजदूरियों का गैर भुगतान
(पैराग्राफ 7.3.1 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्यों के नाम	ग्रा.पं./ब्लॉक/ज़िलों की संख्या	मजदूरी की गैर भुगतान राशि (₹ लाख में)	भुगतान की गई मजदूरी की अवधि	गैर भुगतान के कारण/अभ्युक्तियां
1.	आन्ध्र प्रदेश	1 ब्लॉक	1.20	जुलाई से नवम्बर 2010	सॉफ्टवेयर में विसंगतियों के कारण
2.	बिहार	13 ज़िले	117.85	2007-12	खातों का नहीं खुलना, निधियों की उपलब्धता और मानवीय चक्र
3.	गोवा	1 ग्रा.पं.	4.05	फरवरी से मार्च 2012	173 लाभार्थियों के संबंध में
4.	गुजरात	2 ब्लॉक	0.43	2009-12	मार्च 2012 तक भुगतान नहीं किया गया
5.	हरियाणा	1 ज़िला	207.47	2011-12	निधियों की कमी के कारण
6.	झारखण्ड	16 ग्रा.पं. और 1 ब्लॉक	4.92	2007-12	मई 2012 तक भुगतान नहीं किया गया
7.	पंजाब	4 ब्लॉक और 1 सम्बद्ध विभाग	118.39	2009-12	निधियों के न जारी करने के कारण
8.	उत्तर प्रदेश	1 ब्लॉक	1.30	180 दिन	मई 2012 तक भुगतान नहीं किया गया
9.	पश्चिम बंगाल	1 ज़िला	6.80	--	मई 2012 तक भुगतान नहीं किया गया
		7 ग्रा.पं.	497.00	जनवरी से मई 2012	मई 2012 तक भुगतान नहीं किया गया
	कुल	24 ग्रा.पं.; 9 ब्लॉक/मंडलें, 15 ज़िले और 1 सम्बद्ध विभाग	959.41		

अनुबंध-7घ
मजदूरी-पर्चियों का जारी न किया जाना
(पैराग्राफ 7.3.2 के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्यों के नाम	ग्रा. पं./ब्लॉक/जिलों की संख्या	नमूना जाँच किये	नमूना जाँच किए का प्रतिशत	अभ्युक्तियाँ
1.	असम	83 ग्रा.पं.	83 ग्रा.पं.	100	मजदूरी पर्चियां जारी नहीं की गई
2.	बिहार	14 जिले	15 जिले	93.3	काई मजदूरी पर्चियां जारी नहीं की गई
3.	गुजरात	15 ब्लॉक	15 ब्लॉक	100	काई मजदूरी पर्चियां जारी नहीं की गई
4.	हिमाचल प्रदेश	90 ग्रा.पं.	90 ग्रा.पं.	100	काई मजदूरी पर्चियां जारी नहीं की गई
5.	जम्मू व कश्मीर	12 ब्लॉक	12 ब्लॉक	100	मजदूरी पर्चियां जारी नहीं की गई, मजदूरी के भुगतान में विलम्ब को सत्यापित नहीं किया जा सका।
6.	झारखण्ड	167 ग्रा.पं.	167 ग्रा.पं.	100	मजदूरी पर्ची के अभाव में मजदूरी का भुगतान किसी अन्य व्यक्ति को हो जाने के जोखिम से परिपूर्ण था।
7.	कर्नाटक	157 ग्रा.पं.	157 ग्रा.पं.	100	इन ग्राम पंचायत द्वारा श्रमिकों की सूचना हेतु कोई मजदूरी पर्ची सृजित नहीं की गई थी।
8.	केरल	37 ग्रा.पं.	39 ग्रा.पं.	94.9	मजदूरी पर्ची के अभाव में बैंक खाते में जमा मजदूरी की राशि के विवरण को सूनिश्चित नहीं किया जा सका।
9.	मध्य प्रदेश	247 ग्रा.पं.	290 ग्रा.पं.	85.2	मजदूरी पर्ची के अभाव में किये गये भुगतान की प्रामाणिकता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।
10.	महाराष्ट्र	9 जिले	9 जिले	100	मजदूरी पर्ची को जारी किए बिना मजदूरों को उनके खाते में जमा की गई मजदूरी के बारे में सूचित किए जाने हेतु कोई तंत्र नहीं था।
11.	नागालैंड	54 ग्रा.पं.	54 ग्रा.पं.	100	मजदूरी पर्ची न तो सृजित की गई थी और न ही दर्ज की गई थी।
12.	सिक्किम	2 जिले	2 जिले	100	मजदूरी पर्चियों को श्रमिकों को उनके द्वारा अर्जित की गई सही मजदूरी जानने हेतु सृजित नहीं किया गया था।

क्र. सं.	राज्यों के नाम	ग्रा. पं./ब्लॉक/जिलों की संख्या	नमूना जाँच किये	नमूना जाँच किए का प्रतिशत	अभ्युक्तियाँ
13.	उत्तराखण्ड	100 ग्रा.पं.	100 ग्रा.पं.	100	मजदूरी पर्ची के अभाव में भुगतान की प्रामाणिकता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।
14.	पश्चिम बंगाल	83 ग्रा.पं.	120 ग्रा.पं.	69.2	मजदूरी पाने के इच्छुकों को मजदूरी पर्ची को नहीं दिया गया/नहीं सृजित किया गया।
15.	लक्ष्मीप	3 ग्रा.पं.	3 ग्रा.पं.	100	कोई मजदूरी पर्ची जारी नहीं की गई।
	योग	1,021 ग्रा.पं., 27 ब्लॉक और 26 जिले			

अनुबंध-7ड
मजदूरी का कम भुगतान
(पैराग्राफ 7.3.3. के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्यों के नाम	ग्रा.पं./ब्लॉक/ज़िलों की संख्या	न्यूनतम मजदूरी दर(₹ में)	भुगतान की गई मजदूरी@ (₹)	मजदूरी का कम भुगतान कम दर के कारण
1.	असम#	2 ज़िले	130	100	112.79 (3,75, 976 श्रम दिवस 30)
2.	बिहार	8 ग्रा.पं.	104 से 144	75 से 120	--
3.	हिमाचल प्रदेश	5 ग्रा.पं.	100 से 120	24 से 105	1.44 (5,328 श्रम दिवस के लिए)
4.	झारखण्ड	16 ग्रा.पं.	92 से 120	90 से 100	1.25 (10,178 श्रम दिवस के लिए)
5.	कर्नाटक*	8 ज़िले	--	--	2,371.00
6.	मणिपुर	28 ग्रा.पं.	126	81.40	127.68
7.	मेघालय	8 ब्लॉक	100 से 117	70 से 100	84.18
8.	त्रिपुरा	19 ग्रा.पं.	118	100	34.50
9.	उत्तर प्रदेश	17 ग्रा.पं., 6 ब्लॉक, 2 ज़िले और 1 संबद्ध विभाग	80 से 120	58 से 100	4.50
10.	पश्चिम बंगाल	1 ग्रा.पं.	195	130	1.10
	योग	94 ग्रा.पं., 14 ब्लॉक 12 ज़िले और 1 संबद्ध विभाग			2,738.44

मासिक प्रगति प्रतिवेदन के आधार पर आंकड़े

* मॉनीटरिंग सूचना प्रणाली के आधार पर आंकड़े

अनुबंध-7च
मजदूरी के भुगतान में विलम्ब हेतु क्षतिपूर्ति का भुगतान न होना
(पैराग्राफ 7.3.4 के संदर्भ में)

क्र.सं .	राज्यों के नाम	ग्रा.पं./ब्लॉक/ जिलों की संख्या	कार्यों की संख्या	मजदूरी के भुगतान में 15 दिनों से परे विलम्ब	जाँब कार्ड धारकों की संख्या	मजदूरी की राशि (₹ लाख में)	क्षतिपूर्ति की गैर भुगतान राशि (₹ लाख में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	23 ग्रा.पं.	--	5 से 1,100 दिन	3,226	12.19	--
2.	अरुणांचल प्रदेश	1 ब्लॉक	4	1 से 3 महीने	1,244	7.81	--
3.	असम	13 ग्रा.पं.	43	4 से 159 दिन	6,263	47.06	93.95 (₹ ॥ 1,500 द्रव्यघट्ट रुपये)
4.	बिहार	172 ग्रा.पं., 3 ब्लॉक, 3 जिले तथा 2 संबद्ध विभाग	657	1 से 700 दिन	--	507.61	--
5.	छत्तीसगढ़	8 ब्लॉक	83	1 से 376 दिन	12,426 म.रो.	959.87	--
6.	गोवा	1 ब्लॉक	--	15 से 310 दिन	3,355	80.93	--
7.	गुजरात	12 ब्लॉक	923	1 से 685 दिन	11,527 म.रो.	1,681.54	--
8.	हरियाणा	8 ब्लॉक	36	8 से 331 दिन	--	54.24	--
9.	हिमाचल प्रदेश	11 ग्रा.पं.	373	15 दृढ़ 795 दिन	7,773	110.15	--
10.	झारखण्ड	79 ग्रा.पं.	324	1 से 468 दिन	--	215.39	--
11.	केरल	13 ग्रा.पं.	50	23 से 138 दिन	28,738	39.44	--
12.	मध्य प्रदेश	11 जिले	152	2 से 292 दिन	2,027 म.रो.	472.88	--
13.	महाराष्ट्र	4 जिले	175	15 से 345 दिन	--	7,293.23	--
14.	नागालैंड	1 जिला	--	356 दिन	3,347	256.96	--

क्र.सं .	राज्यों के नाम	ग्रा.पं./ब्लॉक/ जिलों की संख्या	कार्यों की संख्या	मजदूरी के भुगतान में 15 दिनों से पहले	जाँच कार्ड धारकों की संख्या	मजदूरी की राशि (₹ लाख में)	क्षतिपूर्ति की गैर भुगतान राशि (₹ लाख में)
15.	ओडिशा	17 ब्लॉक	1,567	3 से 270 दिन	315	166.72	--
16.	ਪंजाब	48 ग्रा.पं.	107	2 से 790 दिन	13,117	98.95	--
17.	राजस्थान	1 ग्रा.पं. और 15 ब्लॉक	--	812 दिनों तक	--	11,813.10	--
18.	तमिलनाडु	22 ग्रा.पं.	--	30 से 482 दिन	--	88.78	--
19.	उत्तराखण्ड	100 ग्रा.पं.	500	1 से 669 दिन	13,278	382.86	199.17 (@ ₹ 1,500 प्रति परिवार)
20.	उत्तर प्रदेश	91 ग्रा.पं., 05 ब्लॉक, 04 जिले, और 04 संबद्ध	362	1 से 273 दिन	14,885	144.17	--
21.	पश्चिम बंगाल	04 जिले	--	11 से 810 दिन	--	43,788.73	--
22.	दादर नगर हवेली	05 ग्रा.पं.	5	1 से 123 दिन	251 मस्टर रोल	23.34	--
23.	पुडुचेरी	02 ब्लॉक	--	137 दिनों तक	1,882 मस्टर रोल	426.05	--
	कुल	574 ग्रा.पं., 72 ब्लॉक 27 जिले और 6 संबद्ध विभाग				68,672.00	

अनुबंध-7छ
मजदूरियों का अनियमित नकद भुगतान
(पैराग्राफ 7.3.5 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्यों के नाम	ग्रा.पं./ब्लॉक/जिलों की संख्या	मजदूरी के नकद भुगतान की राशि	अवधि
1.	आन्ध्र प्रदेश	2 ग्रा.पं.	0.09	2009-10 और 2011-12
2.	बिहार	2 ग्रा.पं.	0.67	जनवरी 2009 से दिसम्बर 2009
3.	महाराष्ट्र	1 जिला (थाना)	30.52	2009-10
		1 जिला (बुलधाना)	29.09	सितम्बर 2008 से जुलाई 2009
4.	मणिपुर	20 ग्रा.पं.	1,143.38	2009-10 से 2011-12
5.	पंजाब	4 ग्रा.पं.	6.80	मार्च 2011 से अगस्त 2011
6.	राजस्थान	27 ग्रा.पं.	463.98	अक्टूबर 2008 से मार्च 2009
	योग	55 ग्रा.पं. और 2 जिले	1,674.53	

अनुबंध -7ज
मैटस की नियुक्ति
(पैराग्राफ 7.4 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्यों के नाम	ग्रा.पं./ब्लॉक/जिलों की संख्या	अनियमितताओं का सारांश
01.	असम	38 ग्रा.पं.	2007-12 के दौरान मैटस की नियुक्ति नहीं की गई थी।
02.	केरल	6 ग्रा.पं.	2007-12 के दौरान मैटस को बारी-बारी नहीं लगाया गया था।
		1 ग्रा.पं.	मैटस को मजदूरी के भुगतान को अकुशल मजदूरी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।
03.	महाराष्ट्र	9 जिले	नमूना जांच किए जिलों में मैटस की नियुक्ति नहीं की गयी थी।
04.	मिजोरम	39 ग्रा.पं.	2007-12 के दौरान मैटस को नहीं लगाया गया था।
05.	राजस्थान	11 ब्लॉक	मैटस की मजदूरी पर रु. 4.26 करोड़ को मजदूरी घटक के अंतर्गत गलत वर्गीकृत किया गया था। परिणामस्वरूप सही मजदूरी-सामग्री अनुपात को सुनिश्चित नहीं किया जा सका तथा राज्य ने उत्तरदायित्व को केन्द्रीय सरकार पर डाल दिया।
06.	उत्तराखण्ड	100 ग्रा.पं.	899 नमूना जांच किए गए निर्माण कार्यों में किसी मैट को नहीं लगाया गया।
07.	पश्चिम बंगाल	10 ग्रा.पं.	2007-12 के दौरान मैटस को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया।

अनुबंध -7झ
मस्टर रोल के साथ छेड़छाड़
(पैराग्राफ 7.5.1 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्यों के नाम	ग्रा.पं./ब्लॉक/जिलों की संख्या	मस्टर रोल की संख्या	राशि (₹ लाख में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	11 ग्रा.पं.	93	4.32
2.	बिहार	24 ग्रा.पं.	213	7.84
3.	हरियाणा	14 ग्रा.पं.	22	3.44
4.	झारखण्ड	46 ग्रा.पं.	321	17.85
5.	कर्नाटक	29 ग्रा.पं.	127	7.94
6.	केरल	9 ग्रा.पं.	26	1.95
7.	मणिपुर	1 ग्रा.पं.	128	9.20
8.	नागालैण्ड	5 ग्रा.पं.	6	10.31
9.	ओडिशा	4 ब्लॉक	78	23.73
10.	उत्तर प्रदेश	61 ग्रा.पं. और 1 ब्लॉक	259	27.00
	योग	200 ग्रा.पं. और 5 ब्लॉक	1,273	113.58

अनुबंध -7ज
मस्टर रोल में काल्पनिक मजदूरों का दर्ज होना
(पैराग्राफ 7.5.3 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्यों के नाम	ग्रा.पं./ब्लॉक/जिलों की संख्या	काल्पनिक मजदूरों की संख्या	सत्यापित काल्पनिक मजदूरों की संख्या	शामिल राशि (₹ लाख में)
1.	असम*	2 ग्रा.पं.	189	2,016	20.59
2.	हरियाणा	1 ग्रा.पं.	1	1	0.02
3.	झारखण्ड	2 ग्रा.पं.	50	61	2.28
4.	कर्नाटक*	8 जिले	1,659	3,077	23.14
5.	ओडिशा	4 ब्लॉक	5	170	3.34
6.	पंजाब	4 ग्रा.पं.	7	34	0.53
7.	राजस्थान	2 ग्रा.पं.	21	82	--
8.	पश्चिम बंगाल	4 ग्रा.पं.	--	29	0.20
	योग	15 ग्रा.पं., 4 ब्लॉक और 8 जिले	1,932	5,470	50.10

*मॉ.सू.प्र. के पैरा के अनुसार

अनुबंध -7ट

समान अवधि के दौरान विभिन्न मर्टर रोलों के अंतर्गत मजदूरों की तैनाती (पैराग्राफ 7.5.4 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्यों के नाम	ग्रा.पं./ब्लॉक/जिलों की संख्या	मर्टर रोलों की संख्या	दौहरी तैनाती के साथ मजदूरों की संख्या (ओवरलेपिंग प्रविष्टियों के साथ)	शामिल राशि (₹ लाख में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	24 ग्रा.पं.	75	80	--
2.	असम	2 ग्रा.पं.	57	559	4.90
3.	बिहार	9 ग्रा.पं. तथा 1 जिला	104	159	1.04
4.	गुजरात	7 ब्लॉक	99	201	1.21
5.	हरियाणा	1 ग्रा.पं.	3	3	0.03
6.	झारखण्ड	11 ग्रा.पं.	55	238	2.11
7.	कर्नाटक।	8 ग्रा.पं.	1,154	3,081	54.05
8.	केरल	3 ग्रा.पं.	7	48	0.81
9.	ओडिशा	2 ब्लॉक	4	170	1.22
10.	पंजाब	1 ब्लॉक	2	7	0.22
11.	पश्चिम बंगाल	2 ग्रा.पं. तथा 1 जिला	5	5	0.06
12.	लक्ष्मीप	1 ग्रा.पं.	2	2	0.04
योग		61 ग्रा.पं., 10 ब्लॉक तथा 2 जिलें	1,567	4,553	65.69

* मॉ.सू.प्र. के पैरा के अनुसार

अनुबंध-7ठ
बिना हस्ताक्षर के मजदूरी का भुगतान
(पैराग्राफ 7.5.5 के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्यों के नाम	ग्रा.पं./ब्लॉक / जिलों की संख्या	मस्टर रोल/कार्यों की संख्या	मामलों की संख्या	बिना हस्ताक्षर के किया गया भुगतान	शामिल राशि (₹ लाख में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	1 ग्रा.पं.	1 म.रो.	4	परिवार	0.07
2.	झारखण्ड	7 ग्रा.पं.	29 म.रो.	95	-वही-	0.52
3.	कर्नाटक	7 ग्रा.पं.	123 म.रो.	1627	-वही-	21.24
4.	मणिपुर	1 ग्रा.पं.	76 म.रो.	82	-वही-	0.46
5.	ओडिशा	5 ब्लॉक	728 म.रो.	5069	-वही-	57.81
6.	पंजाब	6 ग्रा.पं.	17 म.रो.	218	-वही-	1.51
7.	उत्तर प्रदेश	14 ग्रा.पं. तथा 1 जिला	153 म.रो.	2837	-वही-	30.24
योग		36 ग्रा.पं., 5 ब्लॉक तथा 1 जिला	1127 म.रो.	9932		111.85
8.	आन्ध्र प्रदेश	1 ग्रा.पं.	1 म.रो.	9	सक्षम अधिकारी	0.05
9.	झारखण्ड	21 ग्रा.पं.	376 म.रो.	--	-वही-	22.08
10.	तमिलनाडु	21 ग्रा.पं.	35 कार्य	--	-वही-	64.10
योग		43 ग्रा.पं.	377 म.रो. तथा 35 कार्य			86.23

अनुबंध-7ड
मजदूरी का संदिग्ध दुर्विनियोजन
(पैराग्राफ 7.5.6 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्यों के नाम	ग्रा.पं./ब्लॉक/ जिलों की संख्या	मर्स्टर रोल/कार्यों की संख्या	भुगतान के संदिग्ध दुर्विनियोजन के कारण	राशि (₹ लाख में)
1.	बिहार	15 ग्रा.पं.	64 म.रो. (20 कार्य)	कार्य समापन के उपरान्त मजदूरों का लगाया जाना	7.47
2.	गुजरात	2 ब्लॉक	--	म.रो. मा.प. तथा वाऊरों जैसे किसी सहायक दस्तावेजों के बिना भुगतान	607.39
3.	हिमाचल प्रदेश	2 ग्रा.पं.	13 म.रो. (127 मामले)	अवकाश के दिन किया गया भुगतान	0.14
4.	कर्नाटक	18 जिले	2,021 म.रो.	श्रमिकों के लगाए जाने के अंतिम दिन से पहले किया गया भुगतान	568.46
		1 ब्लॉक	24 म.रो.	का.अ. द्वारा कार्य समापन के उपरान्त जारी किए गए मा.रो.	24.48
5.	पंजाब	3 ग्रा.पं.	3 म.रो.	29 फरवरी 2011 के हेतु भुगतान को 31 सितम्बर 2011 को किया गया।	0.05
		2 ग्रा.पं.	2 म.रो.	कार्य निष्पादन से पहले भुगतान किया गया	0.51
6.	उत्तर प्रदेश	1 ग्रा.पं.	1 कार्य	कार्य निष्पादन से पहले भुगतान किया गया	0.04
		11 ग्रा.पं.	250 म.रो. (43 कार्य)	कार्य मापन से पहले / के बिना भुगतान किया गया	22.29
योग		33 ग्रा.पं., 3 ब्लॉक तथा 8 जिले			1,230.83

* मॉ.सू.प्र. के अनुसार आंकड़े

अनुबंध-7द
मस्टर रोलों में अपेक्षित विवरणों का दर्ज न किया जाना
(पैराग्राफ 7.5.7 के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्यों के नाम	ग्रा.प./ब्लॉक/ जिले की संख्या	मस्टर रोलों की संख्या	मस्टर रोलों की कमियां	भुगतान की राशि (₹ लाख में)
1.	बिहार	7 ज़िले	--	विशिष्ट पहचान संख्या मस्टर रोलों में नहीं दी गई थी, केवल मुद्रित क्रम संख्या दर्ज	--
2.	हिमाचल प्रदेश	20 ग्रा.पं.	724	म.रो. में वि.प.सं. नहीं थी।	--
3.	झारखण्ड	1 ग्रा.पं.	17	श्रमिकों के नाम दर्ज नहीं थे	0.66
		12 ग्रा.पं.	85	कार्य की अवधि दर्ज नहीं थी	5.35
4.	कर्नाटक	5 ग्रा.पं.	21	जॉब कार्ड संख्या नहीं दी गई	1.34
5.	मणिपुर	1 ग्रा.पं.	322	कार्य का नाम, मजदूरी भुगतान और तिथि आदि दर्ज नहीं थे।	31.46
6.	पंजाब	37 ग्रा.पं.	--	विशिष्ट पहचान संख्या दर्ज नहीं थी	--
7.	सिक्किम	4 ब्लॉक और 8 ग्रा.पं.	--	विशिष्ट पहचान संख्या दर्ज नहीं थी	--
8.	तमिलनाडु	230 ग्रा.पं.	---	विशिष्ट पहचान संख्या दर्ज नहीं थी	--
9.	लक्ष्मीप	3 ग्रा.पं.	35	विशिष्ट पहचान संख्या दर्ज नहीं थी	--
		317 ग्रा.पं., 4 ब्लॉक और 7 ज़िले			

अनुबन्ध 8-क
निर्माण कार्य की कुल लागत के 40 प्रतिशत तक सामग्री घटक के प्रतिबंधित किए बिना निष्पादित किए गए निर्माण कार्य
(ऐराग्राफ 8.2 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिला	ब्लॉक	ग्रा. प.	राशि (₹ करोड़ में)	अभियुक्तियाँ
1.	आश्च प्रदेश	सम्पूर्ण राज्य	-	-	1,139.49	सामग्री एवं मजदूरी पर क्रमशः ₹1935.49 करोड़ तथा ₹ 54.51 करोड़ व्यय किए गए थे। सामग्री पर ₹1139.49 करोड़ अधिक खर्च किए गए थे जिनमें 10.63 करोड़ श्रम दिवसों सूजन किया जा सकता था।
2.	असम	7	-	-	46.70	सामग्री पर ₹ 46.70 करोड़ कार्य की निषियाँ का अधिक उपयोग होने से 42.64 लाख श्रम दिवसों का कम सूजन हुआ।
3.	बिहार	5	7	19	7.94	
4.	गुजरात	-	1	-	0.54	25 जल निकासी कार्य पर (फरवरी 2011) ₹. 0.90 करोड़ का सम्पूर्ण व्यय सामग्री घटक पर किया गया था।
5.	झारखण्ड	2	2	34	33.72	ब्लॉक एवं ग्रा.पं.स्तर पर ₹ 50.06 लाख सामग्री घटक पर अधिक खर्च किए गए थे। जिला रत्न पर सामग्री पर ₹ 33.22 करोड़ का अधिक व्यय करने के परिणामस्वरूप 38.073 लाख कम श्रम दिवसों का सूजन हुआ।
6.	पंजाब	1	1	30	2.98	-
7.	राजस्थान	3	7	101	36.31	जिला रत्न पर ₹ 14.28 करोड़ ब्लॉक रत्न पर ₹ 7.32 करोड़ तथा ग्रा.पं. रत्न पर 14.71 करोड़ सामग्री घटक पर अधिक व्यय किए गए थे।
8.	सिक्किम	1	-	2	1.11	सामग्री पर ₹11.11 करोड़ का अधिक व्यय करने से पूर्वी सिक्किम जिले में 1.56 लाख कम श्रम दिवसों का सूजन हुआ।
9.	त्रिपुरा	2	-	-	4.66	
10.	उत्तर प्रदेश	-	-	460	10.95	
11.	उत्तराखण्ड	4	-	-	0.26	सामग्री पर ₹ 0.26 करोड़ का अधिक व्यय करने से 21603 कम श्रम दिवसों का रोजगार सूजन हुआ।
12.	दादरा व नागर हवेली	-	-	3	0.07	
	योग	25	18	649	1,284.73	

अनुबन्ध 8-ख
अमान्य निर्माणकार्यों का निष्पादन
(ऐराग्राफ 8.3 के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	जिला	दलाक	ग्रा.पं.	निर्माणकार्य की अमान्य सं.	निषादित निर्माणकार्य का प्रकार	राशि (₹ करोड़ में)	अभ्युवृत्तयाः
1.	अस्सियाचल प्रदेश	4	-	-	55	सीमेंट कंक्रीट सड़कें	2.96	--
2.	असम	1	-	-	8	मिट्टी की सड़क	0.07	आठ सड़कों का निर्माण मजबूती हेतु कंक्रीट/पत्थर के बिना किया गया था।
3.	बिहार	-	3	-	10	पश्चिमों तथा अन्य जानवरों के लिए उचित फ्लेटफार्म का निर्माण	0.58	--
		-	4	-	10	शमशान खुमि का विकास कार्य	0.35	--
		-	2	-	15	मिट्टी/कच्ची सड़कें	1.22	--
	1जिला तथा 1 संबद्धविभाग	2	12	49	जनरेटर शैल, पकड़ा एलेटफार्म, जन सेवा अधिकार केन्द्र, पवरही सीमेंट कंक्रीट सड़कें	2.11	--	
		-	3	-	52	वृक्षारोपण कार्य	0.45	विहार सरकार द्वारा जारी मनत्रायस दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके ल्लॉक स्टर पर वृक्षारोपण कार्य का निषादन किया गया था। इन दिशानिर्देशों के अनुसार वृक्षारोपण कार्य के बल था पं. रसर पर किया जाना था।
4.	छत्तीसगढ़	1		6	आगचुकों का स्थागत करने के लिए राष्ट्रीय/राज्यीय राजमार्गों पर सूचना बोर्ड तथा प्रवेश द्वारों का प्रतिस्थापन	0.31		

5.	गोवा	-	-	14	146	कर्त्त्वी सङ्कर्क आदि	1.60	62 कर्त्त्वी साझको पर किए गए ₹ 0.70 करोड़ के व्यय सहित	
6.	गुजरात	3	-	1	377	मिट्टी की सङ्कर्क, सीमेंट कंक्रीट सङ्कर्क तथा साझक निर्माणकार्य	6.68	मिट्टी की साझको पर ₹ 2.44 करोड़, 7 सीमेंट कंक्रीट की सङ्कर्कों पर ₹ 0.31 करोड़ तथा साझक निर्माण कार्य पर ₹ 3.93 करोड़ का व्यय किया गया था।	
7.	हरियाणा	-	-	25	31	मिट्टी की सङ्कर्क	1.06	अर्थी सतह को मजबूत करने तथा निकासी जल के लिए पर्याप्त प्रावधान किए बिना निर्माण कार्य का निषादन किया गया था।	
8.	हिमाचल प्रदेश	-	-	16	27	सीमेंट कंक्रीट/इंटरलॉकिंग पेवर द्वारा की सङ्कर्क	0.80	-	
9.	झारखण्ड	6	-	-	26	97	कर्त्त्वी सङ्कर्क	0.98	अर्थी सतह को मजबूत करने तथा जल निकासी और पुलियाँ के लिए पर्याप्त प्रावधान किए बिना निर्माण कार्य का निषादन किया गया था।
10.	कर्नाटक*	समर्पण राज्य	-	-	723	साझकों की मरम्मत एवं अनुस्थान	42.15	तीन जिलों में, जि.का.म. जो ग्राम्य नहीं थे, में सङ्कर्कों की मरम्मत तथा अनुस्थान के 723 निर्माण कार्यों, लिए हिमाचल प्रदेश लो.नि.वि. को ₹ 42.15 करोड़ संरचित किए थे।	
11.	केरल	2	2	-	15	ई.एम.एस. तथा इ.आ.यो. आवास योजना के अंतर्गत मकानों समुद्र भूक्षण विशेषी	0.97	मकानों के कांडेशन कार्य पर ₹ 0.40 करोड़, समुद्र भूक्षण विशेषी कार्य पर ₹ 0.56 करोड़ तथा पौधारोपण पर 0.007 करोड़ का व्यय किया गया था।	
12.	मध्य प्रदेश	-	-	1	-	559 मिट्टी की सङ्कर्क	2.22	--	
		-	-	69	132	मिट्टी मुर्म निर्माणकार्य/मिट्टी की सङ्कर्क	4.90	मिट्टी मुर्म सङ्कर्क उचित सुसंबद्धता, साइड दलानों, साइड नालियों, डुरक्ष का निकासी जल तथा अन्य अपेक्षित तकनीकी निविष्टियों के बिना निर्मित की गई थी।	
		-	-	10	10	सनान घाटों/सोडियो का निर्माण	0.34	--	
		-	-	34	38	सीमेंट कंक्रीट साझक	0.66	--	

		-	-	7	10	शमशान भूमि में चबूतरे का निर्माण, समतल बनाना तथा चारदीवारी बनाना	0.22	--
		-	-	8	11	जेट्रोफा वृक्षारोपण	0.09	--
13.	महाराष्ट्र	-	2	-	26	मिट्टी की सड़कें	0.85	लखनी ल्लाक में, ₹ 0.73 करोड़ के 22 निर्माणकार्य तथा खेमगाव में ₹ 0.12 करोड़ के चार निर्माण कार्यों का निष्पादन किया गया था।
14.	मणिपुर	6	-	-	5,160	ग्रामीण सायोजकता	46.32	संयुक्त प्रत्यक्ष सत्यापन करने पर निर्मित की गई सड़कें सभी नोसम में पहुंच सड़क होना नहीं पाई गई थी।
15.	मिजोस्स	2	-	-	43	मिट्टी की सड़कें	10.73	संयुक्त प्रत्यक्ष सत्यापन करने पर नमूना जांच किए गए 119 निर्माण कार्य सभी नोसमां में पहुंच सड़क होना नहीं पाई गई थी।
16.	नागालैण्ड	3	-	-	45	सीमेंट कंक्रीट/ल्लाक टॉपिंग झारा सड़क का मुद्दीकरण	10.01	--
17.	ओडिशा	3	-	-	127	मिट्टी की सड़कें	17.09	--
18.	पंजाब	-	-	10	-	568 सीमेंट कंक्रीट -सड़कें तथा मिट्टी की सड़कें	13.18	मिट्टी की सड़कों के निर्माण पर ₹ 12.36 करोड़ तथा सीमेंट कंक्रीट सड़कों पर ₹ 0.82 करोड़ का व्यय किया गया था। सुनित की गई परिसंपत्तिया टिकाऊ प्रकृति की नहीं थी।
19.	राजस्थान	-	-	-	48	सीमेंट कंक्रीट सड़कों, विश्राम गृह निर्माण तथा कार्यालयी भवन की मरम्मत	5.62	--

		-	-	29	37	संयोजकता के बिना कंकड़ीली सड़क	2.56	लेखापरीक्षा ने पाया कि 37 सड़कों के निर्माणकार्य का गांवों को संयोजकता किए बिना निषादन किया गया था तथा जनता के लिए उसका कोई लाभ नहीं था।
20.	तमिलनाडु	समूर्ण राज्य	-	-	62,588	ग्रामीण संयोजकता कच्ची सड़क	1919.88	लेखापरीक्षा ने पाया कि 62,588 सड़क निर्माणकार्य का सामग्री का उपयोग किए बिना निषादन किया गया था।
21.	त्रिपुरा	-	-	60	2,825	ऊरी सरह के खिरिकरण के बिना कच्ची सड़कें तथा जंगल कटाई कार्य	2765	कच्ची सड़क के निर्माण पर ₹ 5.29 करोड़ तथा 60 जंगल कटाई कार्य पर ₹ 0.50 करोड़ का व्यय किया गया था।
22.	उत्तर प्रदेश	-	-	393	2,265	मिट्टी की सड़कें	15.60	--
		2 जिले तथा 1 संबद्ध विभाग	12	84	272	पौधों की खरीद, इंटरलॉकिंग कार्य, मिट्टी भराई, आदर्श तालाबों का निर्माण तथा पानी अन्दर आने तथा बाहर जाने की जगह के बिना तालाब का निर्माण तथा पानी के स्रोत का अभाव	10.26	--
23.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	2	-	-	259	ग्रामीण संयोजकता	8.66	ग्रामीण संयोजकता निर्माणकार्य किसी सामग्री घटक के बिना निषादित किए गए थे।
24.	पुडुचेरी	-	1	-	155	जंगल कटाई कार्य	0.64	--
	योग	40 जिले तथा 2 संबद्ध विभाग	41	940	1,01,995		2,250.41	

* आंकड़े मा.सू.प्र. के अनुसार

अनुबन्ध - 8-ग
अयोग्य व्यक्तियों की भूमि पर निषादित किए गए निर्माणकार्य
 (पैराग्राफ 8.4 के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	जिला	लोक	ग्रा.पं.	आधुक्तिया
1.	असम	-	-	2	ग्रा.पं. के अध्यक्ष के पिता तथा आंचलिक परिषद सदस्य (अयोग्य लाभार्थियों की भूमियों पर क्रमशः ₹ 1.35 लाख तथा ₹ 1.40 लाख की लागत पर दो निर्माणकार्यों का निषादन किया गया था। इसके अतिरिक्त, इन निर्माणकार्यों को जि.का.स. /गा.प. द्वारा वार्षिक योजना में समाविष्ट नहीं किया गया था।
2.	गोवा	-	-	6	पानी के टैंक जैसे अनुमेय निर्माण कार्य अयोग्य व्यक्तियों की भूमि पर निषादित किया गया था तथा ₹ 11.44 लाख के गेर अनुमेय कार्य जैसे कि संस्करण दीवार, कच्चे सड़क, फुटपाथ अहारे की दीवार आदि अयोग्य व्यक्तियों के स्वामित्वाली भूमि पर निषादित किया गया था।
3.	कर्नल	-	-	1	भूमि विकास कार्य उस मालिक की भूमि पर किया गया था जिके पास पांच एकड़ से अधिक की भूमि थी।
4.	उत्तर प्रदेश	-	-	52	निर्माणकार्यों का निषादन व्यक्तियों की स्थिति की पहचान किए बिना उनकी भूमि पर किया गया था।
	योग	-	-	61	

अनुबन्ध-8 -घ
परित्याग किए गए निर्माणकार्यों के विवरण
(ऐताग्राफ 8.5के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	जिला	ब्लॉक	ग्रा.प.	अधूरे छोड़े गए निर्माण कार्य	निष्पादित किए गए निर्माणकार्य के प्रकार	बच्चे की गई राशि (₹ करोड़ में)	अमृतियां
1.	असम	-	-	1	1	सार्वजनिक मस्थपालन की खुलाई	0.04	निष्पादित भाग जलमग्न होने के कारण निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया था।
		-	-	1	1	पुजाली बील के निकट पुजाली क्षेत्र में वनरोपण तथा बागवानी फार्म	0.08	--
		-	-	1	1	कट्टराजन की सफाई	0.04	सार्वजनिक बाधाओं के कारण निर्माणकार्य पूरा नहीं किया गया था।
		-	-	3	3	सड़क तथा एप्री बंध का निर्माण	0.07	सार्वजनिक बाधाओं के कारण निर्माणकार्य पूरा नहीं किया गया था।
1	-	-	-	-	40	ग्रामीण संयोजकता तथा लघु सिंचाई नहरें आदि	3.24	--
		-	-	1	1	बाढ़ संस्करण बांध का प्रमुख भाग	0.31	नदी के किनारे पर प्रारम्भिक एहतियाती संस्करण कार्य का निष्पादन न करने के कारण निर्माण कार्य बाढ़ के पासी में बह गया था।
2.	छत्तीसगढ़	6	-	-	4,700	विभिन्न प्रकार के निर्माणकार्य	164.59	लोखापरीका ने पाया कि विभिन्न समस्याओं के कारण 4,700 निर्माणकार्य ₹ 164.59 करोड़ का निष्पादन व्यय करने के पश्चात रद्द कर दिये थे।
3.	गोवा	2	-	-	13	ग्रामीण संयोजकता, बाढ़ नियंत्रण तथा पांचकिंचि जल निकायों का नवीकरण	0.10	--
4.	जम्मू एवं कश्मीर	-	8	-	484	सभी प्रकार के निर्माण कार्य	2.92	अनुबन्धी वर्षों में श्रम की अनुपलब्धता, भूमि विवाद, वन सफाई आदि प्रतीक्षित होने के कारण निर्माणकार्य बीच में छोड़ दिए गए थे।

5.	झारखण्ड	-	-	244	2,472	सिंचाई कुओं का निर्माण		1.72	इसके कारण कार्यनिष्ठादन के दौरान कठोर चट्टान रसरों का प्रकट होना तथा कार्य आदेश जारी करने में विलम्ब होना बताए गए थे।
6.	केरल	-	-	1	5	पानी सांचित क्षेत्र में बाढ़ राहत कार्य	0.04	--	--
7.	महाराष्ट्र	2	-	-	1,423	नाला सरलीकरण निर्माणकार्य तथा फार्म तालाब	34.22	1203 नाला सरलीकरण निर्माणकार्य के निष्ठादन के दौरान नाला सरलीकरण निर्माण कार्य को अनुज्ञय कर्य से हटा दिया था। निर्माणकार्य पर ₹ 33.72 करोड़ का निष्कल व्यय करके उसे बीच में ही छोड़ दिया गया था। 220 फार्म तालाओं के कार्य निष्ठादन के दौरान श्रम समस्या तथा कठोर रसर उत्सन्न हुआ। ₹ 0.05 करोड़ का निष्कल व्यय करके निर्माणकार्य बीच में ही छोड़ दिया गया था।	
		-	-	1	1	पेयजल के लिए सावधनिक कुरंग	0.01	--	--
8.	ओडिशा	-	6	-	23	ग्रामीण संचालकता	0.49	--	--
9.	पंजाब	-	-	2	4	जंगली खर-पतवार की सफाई, तालाब का नवीकरण	0.03	--	--
10.	उत्तर प्रदेश	2	-	1	47	ईट कार्य, खरंजा कार्य, पुलिया, पहुंच सड़क तथा जमीन की खुदाई	1.65	--	--
11.	लक्ष्मीपुर	-	1	-	1		0.02	--	--
	योग	13	15	256	9,220		209.57		

अनुबंध-8-डू
निर्माणकार्य पर निष्कल व्यय के विवरण
(पैराग्राफ 8.5 के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	जिला	ब्लॉक	ग्रा. प.	निष्कल निर्माणकार्य की सं.	निष्कादित किए गए निर्माण कार्य का प्रकार	राशि रु. करोड़ में	अभ्युक्तियाँ
1.	असम	-	-	1	1	पुथीमारी सिंग बंद तटवर्ध में जाँच कार्ड धारकों को कार्च पर लगाकर दरारे जोड़ना	0.08	निर्माणकार्य अधूरा छोड़ दिया था क्योंकि रिंग बंध बाढ़ में बह गया था।
2.	बिहार	-	-	1	20	दृश्यरोपण कार्य	0.13	नदी के तटों को चौड़ा करने के लिए बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा दृश्यरोपण हटा दिया गया था।
3.	छत्तीसगढ़	-	-	1	7	10 लाभार्थियों की भवि पर कुएं	0.03	निष्कादित किए गए निर्माणकार्य गिर गए थे।
4.	गुजरात	-	-	1	1	तालाब को गहरा करना	0.24	संयुक्त प्रत्यक्ष सत्यापन करने पर यह पाया गया था कि तालाब में पानी अन्दर आने और बाहर जाने की जगह नहीं थी अतः तालाब को गहरा करने से तालाब की भाँड़रण क्षमता को नहीं बढ़ाया जा सका इस प्रकार किया गया व्यय निष्कल था।
5.	केरल	-	-	1	1	कॉन्ट्रू बांध का निर्माण	0.37	निर्माणकार्य भौतिक रूप से विद्यमान नहीं था।
6.	पंजाब	-	-	1	1	तालाब का नवीकरण	0.02	तालाब का अनुरक्षण न किए जाने के कारण जंगली खर-पतवार पुनः आ गई थी तथा तालाब के नवीकरण पर किया गया व्यय निष्कल सिद्ध हुआ।
7.	राजस्थान	-	-	3	4	नहरों का निर्माण	0.68	नहरों को जल के स्तरों से जोड़ दिना उनका निर्माण किया गया था।
	योग	-	-	16	44		2.36	

अनुबंध-8-च
अपूर्ण निर्माणकार्य
(ऐराग्राफ 8.5 के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	जिला	दलालक	ग्रा. पं.	अपूर्ण निर्माण कार्यों की सं.	निष्पादित किए गए निर्माणकार्य का प्रकार	राशि (₹ करोड़ में)	अमुक्तियां
1.	आन्ध्र प्रदेश	-	-	86	188	सभी प्रकार के निर्माणकार्य	4.73	-
2.	অসম	-	-	8	10	भूमि विकास, ग्रामीण संयोजकता तथा माजाबड़ी की नहर प्रणाली	1.10	भूमि विवाद तथा निधियों की प्राप्ति न होने के कारण निर्माणकार्य पूर्ण नहीं किया गया था।
3.	बिहार	3 जिले तथा 3 संबद्धविभाग	10	41	754	मिट्टी की ईटें, पुलिया जैसे पकड़े निर्माणकार्य	12.64	--
4.	छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़	6	-	-	29,636	सभी प्रकार के निर्माणकार्य	902.37	संबद्धविभाग अर्थात् लो.नि.वि. डब्ल्यू.आर.डी., आर.ई.एस, वन, कृषि तथा ऐश्मकीट पालन विभाग और ग्राम.पं. को दिए गए निर्माणकार्य अधूरे थे।
		2	-	-	98	वाटर वांड मैकेडेम (वा.बा.मै.) सड़क का निर्माण	4.47	--
		1	-	-	399	साइक निर्माण कार्य, तालाबों /टैंकों का उन्नयन, भूमि विकास आदि	3.26	पर्याप्त सारकारी भूमि तथा टोस कार्य हेतु समय पर रोलर की गैर उपलब्धता के कारण निर्माणकार्य अपूर्ण थे।
5.	गुजरात	-	4	-	392	सार्वजनिक कुआं	5.25	--
6.	झारखण्ड	6	-	-	2,949	कुआं, तालाबों, सड़को आदि का निर्माण	27.91	निर्माणकार्य, गलत नियोजन कार्य की धीमीप्रगति, बहु निर्माणकार्यों में एक ग्राम रोजगार सहायक को लाने से अपूर्ण रहे।
7.	कर्नाटक*	सम्पूर्ण राज्य	-	-	7,33,897	सभी प्रकार के निर्माण कार्य	3,057.11	--

8.	मणिपुर	-	2	-	5	सार्वजनिक कुओं का निर्माण तथा रबड़ पौधरोपण	0.17	--
9.	ओडिशा	-	8	-	266	अ. जा./अ. ज. जा./ग.रे. नी. परिवारों तथा इ.गा.आ. योजना के लाभार्थियों की भूमि पर सिंचाई की सुविधा देने के लिए बहुउद्देशीय फार्म तालाबों की खुदाई, बागवानी पोषणरोपण तथा भूमि विकास सुविधा	0.53	--
10.	राजस्थान	-	-	76	205	कंकड़ीली सड़क	7.04	--
		-	-	174	664	सभी प्रकार के निर्माणकार्य	36.58	निर्माणकार्य 2008-09 से अधूरे थे।
11.	त्रिपुरा	-	2	-	26	सभी प्रकार के निर्माणकार्य	1.87	निर्माणकार्य खल समस्या, आरम्भ करने में विलब्व निर्माण कार्य की धीमी प्रगति, इसी की समय पर आपूर्ति न होने के कारण एक से चार वर्ष तक अधूरे थे।
12.	उत्तर प्रदेश	2	1	8	23	ईट मिट्टी कार्य, खरचा कार्य, पुलिया, पहुंच सड़क तथा जमीनी कार्य	0.29	--
13.	पुडुचेरी	-	-	10	63	तालाबों को गहरा तथा गाढ़ रहित करना	5.44	निर्माणकार्य दो वर्ष से अधिक समय तक अपूर्ण रहे।
	योग	20 जिले तथा 3 संबद्ध विभाग	27	403	7,69,575		4,070.76	

अनुबंध 8-छ
वृक्षारोपण योजना पर निष्कल व्यय के विवरण
(ऐराग्राफ 8.6 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिला	खँडक	गा.पं.	निष्कल रोपण कार्यों की सं.	शाखि (₹ करोड़ में)	अभ्युक्तियाँ
1.	आश्च प्रदेश	-	-	21	49	0.42	छोटे पौधे तथा आम के रोपण जीवित नहीं रह सके क्योंकि कार्य का असमय निष्कादन किया गया था और पानी की कमी थी।
2.	बिहार	-	-	66	882	2.06	--
3.	गुजरात	-	-	5	8	0.03	वृक्षारोपण उसका अनुक्षण् न होने के कारण जीवित नहीं रह पाए।
4.	केरल	-	-	7	47	0.24	--
5.	मणिपुर	-	-	3	4	0.11	--
		-	-	5	6	0.27	--
		4	-	-	124	4.35	--
6.	मिजोरम	-	1	-	123	3.24	खानीय रस से उपलब्ध विभिन्न प्रकार के बीजों के ₹ 5.82 लाख के वृक्षारोपण जीवित नहीं रह पाए।
7.	राजस्थान	-	-	49	329	1.15	केवल 0 से 23 प्रतिशत तक के वृक्षारोपण कार्य जीवित थे।
8.	उत्तर प्रदेश	-	-	46	55,344	0.32	--
	जोड़	4	1	202	56,916	12.19	

अनुबंध-8ज
टिकाऊ परिसम्पत्तियों का सूजन न करना
(ऐराग्राफ 8.7 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिला	खाँक	प्रा.पं.	कार्य की सं.	कार्य की प्रकार	(राशि ₹ करोड़ में)	अभ्युक्तियां
1.	आनंद प्रदेश	समूहीन राज्य	-	-	2,64,652	प्रत्येक ल्लाक में 1000 बेरीबांधों का निर्माण	101.25	निर्माणकार्य भौतिक रूप से विद्यमान नहीं था।
2.	केरल	समूहीन	-	-	-		2,483.90	राज्य सरकार के निर्देशानुसार निर्माणकार्य सामग्री घटक के बिना निषादित किए गए थे।
3.	मिजोरम	-	-	27	27	बाढ़ नियंत्रण हेतु साइड जलनिकासों का निर्माण बाढ़ नियंत्रण हेतु 27 साइड जलनिकासों का निर्माण सामग्री घटक के बिना आरंभ किया गया था।		
4.	तमिलनाडु	समूहीन राज्य	-	-	1,24,598	तालाबों, लधु सिंचाई टैंकों, आपूर्ति चैनलों तथा सिंचाई कुओं की गाद निकालना	3,921.87	निर्माणकार्य सामग्री घटक के बिना निषादित किए गए थे।
5.	पश्चिम बंगाल	-	-	24	293	मिट्टी की सड़कें	6.53	--
6.	पुडुचेरी	-	-	97	2,381	तालाबों को गहरा करना, चैनलों की गाद निकालना, जंगल की कटाई आदि	33.18	--
	योग	-	-	148	3,91,951		6,547.35	

अनुबंध-8-झ
सामग्री की खरीद में अनियमितताएं
(पैराग्राफ 8.8 के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	जिला	ब्लॉक	ग्रा. प	खरीदी गई मद का प्रकार	खरीदी गई मद का राशि (₹ करोड़ में)	अभियुक्तिया
1.	आश्च प्रदेश 1 संबद्ध विभाग	1 जिला तथा 1 संबद्ध विभाग	-	-	पॉलीथिन बैगों, पानी भएजारण टैंक, सागोन स्टम्प, पानी देने वाले चल टैंकरों की आपर्टी	3.37	मदों/सामग्री की खरीद हेतु बोलियां आमंत्रित नहीं की गई थी।
2.	जम्मू एवं कश्मीर	6	-	-	या.सं.प. निर्माणकार्यों में साईन बोर्ड की आपूर्ति हेतु नरसरी तथा ग्रामीण संचालकता परियोजना (या.सं.प.) निर्माणकार्य	0.07	नरसरी तथा ग्रा.सं.प. निर्माण कार्यों के संबंध में भुगतान आपूर्तिकर्ता/डिव्यूट.एम. के अलावा अन्य फर्मों को किए गए थे।
3.	झारखण्ड	1	-	-	जल के ल्यास्टिक कंटेनरों का अधिग्रापण	0.30	अधिग्रापण हेतु निर्धारित प्रतिमान /प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था।
4.	नागालैंड	1	-	47	सामग्री की अधिग्रापण औजारों तथा उपकरणों की अधिग्रापिति	0.66	अधिग्रापण हेतु निर्धारित प्रतिमान/प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था।

5.	उत्तर प्रदेश	1	-	954	₹ 2,350 की दर पर स्टील अलमारी	0.24	अलमारियां निविदाएँ आपत्रित किए बिना खरीदी गई थी।
		1	-	21	₹13990 की दर पर लौहियो कैमरे की खरीद	0.03	लौहियो कैमरे निविदाएँ आपत्रित किए बिना खरीदे गए थे।
		1	-	970	₹ 5,300 की दर पर लिजिटल कैमरे की खरीद	0.51	लिजिटल कैमरे निविदाएँ आपत्रित किए बिना खरीदे गए थे।
		-	3	-	निमाण तामगियों की खरीद	1.04	निमाण सामग्री निविदाएँ आपत्रित किए बिना खरीदी गई थी।
योग		7 जिले तथा 1 संबद्ध विभाग	10	47		22.95	

अनुबन्ध - 8ज
स्थल पर सामग्री का लेखांकन न करना
(ऐरा 8.9 के संदर्भ में)

क्र. स.	राज्य का नाम	जिला	ब्लॉक	ग्रा. पं.	सामग्री की खरीद का प्रकार	(₹ करोड़ में)	शाखा	आयुक्तियाँ
1.	आन्ध्र प्रदेश	1	-	-	बीज/बालवृक्षों का अधिप्रापण			डी एफ ओ, हैदराबाद ने स्टॉक की वार्साविक प्राप्ति/स्टॉक प्राप्त करने से पूर्व स्टॉक सुनिश्चित किए बिना आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किया था।
2.	असम	-	-	14	कंकड़ीली रेत, स्टोन चिप्स, सीमेंट, बलौक वॉयर, बांस तकड़ी का तख्ता आदि	6.12		ग्रा.पं. स्तरों पर अधिग्राप्त सामग्री के संबंध में कोई स्थल लेखा अनुरक्षित नहीं किया गया था तथा इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.12 करोड़ मूल्य की सामग्रियां अलेखाबद्ध रहीं।
	-	2	11		कंकड़ीली रेत, स्टोन चिप्स, सीमेंट, बलौक वॉयर, लकड़ी का तख्ता आदि	43.28		--
	-	-	11		27 योजनाएं	0.53		लेखापरीक्षा ने पाया कि 27 योजनाओं में कोई स्टॉक पुस्तिका तथा स्थल लेखे का अनुरक्षण किए बिना सामग्री के अधिग्रापण पर ₹ 0.53 करोड़ खर्च किए गए।
	योगा	1	2	36		50.88		

अनुबन्ध-४-ट
अनन्य पहचान संख्या दिए बिना निष्पादित किए गए निर्माणकार्य
(पैराग्राफ 8.10 के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	विवर	आशुद्धिकार्य
1.	अरुणाचल प्रदेश	4	--
2.	बिहार	15	विकास योजना में अनन्य पहचान संख्या अंतर्विट नहीं थी तथापि मौ.सू.प्र. में प्रविष्टि करते समय वह दी गई थी।
3.	गुजरात	6	मौ.सू.प्र. में प्रविष्टि करते समय अनन्य पहचान संख्या प्रणाली द्वारा उत्पन्न कर दी गई थी, तथापि श्रम बजट अनुमान बनाते समय तकनीकी और प्रशासनिक संस्कीर्ति के समय काई पहचान संख्या नहीं दी गई थी।
4.	जम्मू एवं कश्मीर	6	अनन्य पहचान संख्या न तो वार्षिक कार्य योजनाओं में और न ही प्रगति प्रतिवेदनों में दर्शाई गई थी।
5.	कर्नाटक	4	वार्षिक कार्य योजना में अनन्य पहचान संख्या नहीं दी गई थी। तथापि, प्रत्येक निषादन कार्य हेतु मौ.सू.प्र. में विशिष्ट पहचान संख्या गई थी।
6.	महाराष्ट्र	2	अनन्य पहचान संख्या मननग्रास की मौ.सू.प्र. में मस्टर रोल प्रविष्ट करते समय दी गई थी। तथापि विकास योजना में विशिष्ट पहचान संख्या अंतर्विट नहीं थी।
7.	मणिपुर	4	--
8.	नागालैण्ड	3	वर्ष के दोणन या अनुवर्ती वर्ष में, चारणबद्ध रूप में निष्पादित किए गए एक ही निर्माणकार्य के लिए विशिष्ट पहचान संख्या दी गई थी।
9.	पंजाब	2	स्थलों, जहाँ निर्माणकार्य निष्पादित किए जाने थे, कि प्लाट संख्या दर्शाने की कोई प्रणाली नहीं थी इसलिए प्रत्येक निर्माणकार्य का कोई विशिष्ट स्थल संख्या नहीं है।
10.	राजस्थान	1	जैसलमेर जिले में, संस्थीकृति के समय प्रत्येक निर्माणकार्य के लिए कोई अनन्य पहचान संख्या उत्तन नहीं की गई थी।
11.	तमिलनाडु	6	--
12.	त्रिपुरा	2	वार्षिक कार्य योजना तथा परियोगिति पंजिका में शामिल प्रत्येक निर्माणकार्य के प्रति अनन्य पहचान संख्या दर्शाई नहीं गई थी। तथापि, मौ.सू.प्र. में जटा प्रविष्ट करते समय में ये संख्याएं उत्पन्न की गई थी।
13.	उत्तर प्रदेश	10	--
14.	लक्ष्मीपुर	1	--
	योग	66	

अनुबंध -8-ट
संबद्ध विभाग के सहयोग के बिना निषादित निर्माणकार्य
(पैराग्राफ 8.11 के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	जिला	आवृत्तिशार्य
1.	केरल	4	--
2.	मिजोरम	2	राज्य सरकार ने ग्राम परिषद के अलावा सरकार के संबद्ध विभाग को कार्यान्वयन अधिकरण के रूप अधिसूचित किया। तथापि, यह पाया गया था कि ग्राम परिषदों द्वारा सभी निर्माणकार्य किसी संबद्ध विभाग को शामिल किए जाना निषादित किए गए थे।
3.	नागालैण्ड	3	--
4.	उत्तर प्रदेश	18	--
	योग	27	

अनुबंध-8ड
ठेकेदारों द्वारा निषादित किए गए निर्माणकार्य
(पैराग्राफ 8.12 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिला	ज़िल्हा	ग्रा.पं.	राशि (₹ करोड़ में)	अध्यक्षिता
1.	असम	1	-	-	0.21	लकड़ी के पुल के निर्माण हेतु जल संसाधन विभाग द्वारा ठेकेदार को नियुक्त किया गया था।
2.	छत्तीसगढ़	5	-	-	3.96	मॉ.सू.प्र. में डाटा प्रविष्ट करने के लिए एक प्रतिष्ठान को ठेका दिया गया था।
3.	केरल	1	-	-	0.22	मॉ.सू.प्र. में डाटा प्रविष्ट करने के लिए एक प्रतिष्ठान को ठेका दिया गया था।
4.	नागालैण्ड	-	-	1	0.03	जिला कृषि फार्म, गीतिशिमाला में छप्पर डालने वाले शैरों तथा शौचालयों के निर्माण हेतु ठेकेदार को नियुक्त किया गया था।
5.	उत्तर प्रदेश	-	-	1	0.39	सफाई जलनिकासी के निर्माण हेतु ₹ 33.80 लाख तथा सिंचाई की नहर के निर्माण के लिए ₹ 5.26 लाख की निविधा विश्राम गृह तथा प्राथमिक स्वाच्छा केन्द्र भवन के निर्माण के लिए निपटित कर दी गई थी। इसके अतिरिक्त, यह पाया गया था कि विश्राम गृह तथा पी.एच.सी. भवनों के निर्माण हेतु ठेकेदार को लगाया गया था।
	चोग	7	1	2	4.83	

अनुबंध-8-हृ
निर्माणकार्यों का मशीनरी उपयोग के साथ निष्पादन
(ऐराग्राफ 8.13 के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	जिला	व्लॉक	आ.प.	राशि (₹ करोड़ में)	अभ्युक्तियाँ
1.	बिहार	-	-	33	0.23	50 निर्माणकार्यों के लिए ट्रैक्टर का उपयोग किया गया था।
2.	कर्नाटक	संपूर्ण राज्य	-	-	15.94	ग्रामीण संयोजकता निर्माण कार्यों पर जे.सी.बी. मशीनों का प्रयोग किया गया था।
3.	मणिपुर	3	-	-	1.56	नमूना जांच किए गए 600 निर्माणकार्यों में से 9 निर्माणकार्यों में भारी मशीनरी का उपयोग किया गया था।
4.	ओडिशा	-	1	1	0.06	एक तालाब के निर्माण हेतु जे.सी.बी. मशीन तथा ट्रैक्टरों का उपयोग किया गया था।
5.	पंजाब	-	-	6	0.02	आठ निर्माणकार्यों में जे.सी.बी. मशीन तथा मिक्सर मशीन का उपयोग किया गया था।
6.	त्रिपुरा	1	-	-	0.40	तीन निर्माणकार्यों में मशीनरी का उपयोग किया गया था।
	जोग	4	1	40	18.21	

अनुबंध-8ण
प्रशासनिक तथा तकनीकी संरचीकति के बिना निर्माणकार्य का निष्पादन
(पैराग्राफ 8.14 के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	जिला	व्लॉक	ग्रा. पं.	निषादित किए गए निर्माणकार्यों की संख्या/प्रकार	राशि (₹ करोड़ में)
1.	अरुणाचल प्रदेश	-	1	-	14	2.18
2.	असम	-	-	1	(i) नयापुरा से बहाटी लो.नि.सि. रोड तक सड़क का निर्माण तथा (ii) नयापारा हाई मदरसा से डाबपुर तक सड़क का निर्माण	0.10
		-	-	1	डंडपुर निकट जमुना नदी पर कटाव संरक्षण कार्य	0.28
		-	-	6		0.32
3.	छत्तीसगढ़	-	-	1	40 हेक्टरेर क्षेत्र में एक लाख पौधों का रोपण	1.08
4.	मिजोरम	-	-	27		3.61
5.	ओडिशा	-	7	-	69	1.55
6.	उत्तर प्रदेश	1	6	17	237	13.25
	योग	1	14	53	334	22.37

अनुबंध-8-त
परियोजना पर संखीकृत अनुमान से अधिक आधिक्य व्यय
(पैराग्राफ 8.14 के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	जिला	लॉक	ग्र.पं.	निर्माणकार्य की सं.	व्यय की गई आधिक्य राशि (₹. करोड में)	आस्तित्यां
1.	हरियाणा	-	-	1	1	0.02	तालाब के उत्तरवन्न पर ₹ 0.04 करोड के संखीकृत अनुमान के प्रति ₹ 0.06 करोड का व्यय किया गया था।
2.	झारखण्ड	-	-	3	4	0.04	₹ 0.24 करोड के संखीकृत अनुमान के प्रति ₹ 0.28 करोड का व्यय किया गया था।
3.	मेघालय	-	1	-	112	0.40	112 परियोजनाओं पर अंतिम व्यय संखीकृत अनुमान से ₹ 0.40 करोड तक बढ़ गया था।
4.	नागालैण्ड	-	-	-	2	0.26	दो आधास्त परियोजनाएं ₹ 0.14 करोड की अनुमानित राशि के प्रति ₹ 0.40 करोड की लागत पर पूर्ण की गई थी।
5.	पश्चिम बंगाल	-	-	4	5	0.06	--
	योग	-	1	8	124	0.78	

अनुबंध-8-थ
कार्यस्थल बोर्ड का प्रदर्शन किए बिना निर्माणकार्य
(पैराग्राफ 8.15 के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	जिला	अभ्यवित्तियाँ
1.	गुजरात	6	परियोजनाओं का प्रत्यक्ष सत्यापन करने पर यह पाया गया था कि कार्य आरम्भ होने की तिथि, पूर्ण होने की तिथि तथा कार्य का अन्य तकनीकी विवरण दर्शाने वाला कार्यस्थल बोर्ड प्रदर्शित नहीं किया गया था।
2.	महाराष्ट्र	9	1,164 निर्माणकार्यों में कार्यस्थल बोर्ड प्रदर्शित नहीं किए गए थे।
3.	मणिपुर	4	कार्यस्थल बोर्ड पर कार्य आरम्भ करने की तिथि, कार्यपूर्ण होने की तिथि तथा कार्य के अन्य तकनीकी विवरण नहीं दर्शाएं गए थे।
4.	नागालैण्ड	3	परियोजनाओं का प्रत्यक्ष सत्यापन करने पर यह पाया गया था कि कार्य स्थल बोर्ड प्रदर्शित नहीं किए गए थे।
5.	ओडिशा	8	नमूना जांच किए गए 573 निर्माणकार्यों में कार्यस्थल बोर्ड पाए नहीं गए थे।
6.	राजस्थान	8	नमूना जांच किए गए 1190 निर्माणकार्यों में कार्यस्थल बोर्ड नहीं पाए गए थे।
7.	त्रिपुरा	2	234 सामलों में कार्यस्थल बोर्ड नहीं पाए गए थे।
8.	उत्तर प्रदेश	18	नमूना जांच किए गए 3599 निर्माणकार्यों में पूर्ण विवरण सहित कार्यस्थल बोर्ड प्रदर्शित नहीं किए गए थे।
9.	पश्चिम बंगाल	1	जलपाइ गुँड़ी जिले में सभी चयनित कार्यस्थलों पर कार्यस्थल बोर्ड नहीं पाए गए थे।
	योग	59	

अनुबंध-8-द
राज्य/जिला दर-अनुसूची (द.अ.) का नई बनाया जाना
 (पैराग्राफ 8.16 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिला	अस्थिरित्या
1.	अरुणाचल प्रदेश	4	राज्यों/जिलों के लिए मनरेगा निर्माणकार्य हेतु कोई द.अ. तेयार नहीं की गई थी। ब्लॉकों द्वारा निर्माणकार्य के अनुमान लो.नि.वि. की मद दर्शे के आधार पर तेयार किए गए थे।
2.	बिहार	15	राज्य सरकार ने, मनरेगा निर्माणकार्य के लिए द.अ. तेयार नहीं की थी। लोक निर्माण विभाग की द.अ. को कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा अपनाया गया था।
3.	केरल	4	नमूना जांच किए गए चार जिलों में से, मनरेगा हेतु जिला द.अ. केवल कोहटायम में दी बनाई गई थी।
4.	मणिपुर	4	मनरेगा निर्माणकार्य हेतु कोई पृथक दर अ. निर्धारित नहीं की गई थी(विस्तृत कार्य, समय तथा गति अध्ययनों पर आधारित)। राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा तेयार की गई मणिपुर दर अनुसूची (म.द.अ.) का मनरेगा निर्माणकार्य के अनुमान तेयार समय उपयोग किया गया था।
5.	पंजाब	6	राज्य द्वारा मनरेगा हेतु कोई पृथक द.अ. तेयार नहीं की गई थी।
6.	सिक्किम	2	कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा सिक्किम लो.नि.. निर्माणकार्य की 2006 की द.अ. को अपनाया गया था।
गोपा		35	

अनुबंध-8-ध
निर्माणकार्यों के मापन के बिना भुगतान
(पैराग्राफ 8.17 के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	जिला	ब्लॉक	ग्रा. पं.	निर्माण कार्यों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	अभ्यन्तरिक्षयां	
							निर्माण कार्यों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	असम	-	-	1	4	0.07	क.अ./स.अ. द्वारा निर्माणकार्यों की माप दर्ज किए बिना श्रमिकों को मजदूरी दी गई थी।	
	-	-	-	6	21	0.70	21 निर्माणकार्यों में, मा.पु. में माप दर्ज किए बिना ₹ 0.70 करोड़ का व्यय किया गया था।	
2.	बिहार	-	1	8	27	0.68	--	
3.	झारखण्ड	-	-	20	587	9.16	निर्माणकार्य के मापन को योग्य तकनीकी कार्मिकों द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था।	
	-	-	1	-	1	0.19	यदि निर्माणकार्य का मूल्य ₹ 1.00 लाख से बढ़ जाता है तो निर्माणकार्य के माप का अंतिम रूप से कार्यकर्ता अभियंता द्वारा अनुमोदित किया जाना अपेक्षित था। तथापि, यह पाया था कि भाज्नो ब्लॉक में कार्यकारणी अभियंता को कार्यकारी अभियंता के अनुमोदन के बिना ₹ 0.19 करोड़ का भुगतान किया गया था।	
4.	केरल	-	-	1	45	0.13	निर्माणकार्य के निषादन के दौरान माप लिए बिना ₹ 0.13 करोड़ का भुगतान किया गया था। यह भी देखा था कि मा.पु. में कार्यस्थल के स्थान के उचित विवरण के बिना माप दर्ज किए गए थे तथा इस प्रकार निर्माणकार्यों को भौतिक रूप से सत्यापित नहीं किया जा सका।	
5.	तमिलनाडु	-	-	4	7	0.29	मर्टर रोल भुगतानों के संबंध में तकनीकी स्टफ द्वारा माप न तो दर्ज किए गए और न ही प्रमाणिक किए गए थे।	
	-	-	8	8	0.12	₹ 0.12 करोड़ मूल्य के मर्टर रोल पारित करके उनका भुगतान किया गया। यह पाया था कि निर्माणकार्यों की मा.पु. में ब्लॉकों के कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा मर्टर रोल भुगतानों हेतु पारित आदेश पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे।		
6.	उत्तर प्रदेश	-	-	5	9	0.09	भुगतान निर्माणकार्यों के माप के बिना किए गए थे।	
	योग	-	2	53	709	11.43		

अनुबंध-8-न
कार्यस्थल सुविधाओं का अभाव
(पैराग्राफ 8.18 के संदर्भ में)

क्र.सं	चालू का नाम	जिला	आनुकूलितया
1.	गुजरात	5	कार्यस्थल सुविधाएं उपलब्ध नहीं करायी गई थी
2.	केरल	4	बालबाड़ी के अतिरिक्त कार्यस्थल सुविधाएं उपलब्ध करायी गई थी।
3.	राजस्थान	1	लेखापरीक्षा ने पाया कि जिला परिषद से दिसंबर 2010 की समाप्ति तिथि वाली ₹ 0.36 लाख की 100 चिकित्सा किटे 19 जून 2010 को प्राप्त की गई थी तथा इहें मननेगास श्रमिकों को दिसंबर 2010 से जून 2011 के बीच चिकित्सा किया गया था।
4.	सिक्किम	2	छ: वर्ष से कम की आयु वाले बच्चों के लिए बालबाड़ी उपलब्ध नहीं करायी गयी थी।
5.	तमिलनाडु	3	कार्यस्थल सुविधाएं जेसे शेड तथा बालबाड़ी उपलब्ध नहीं कराए गए थे।
6.	उत्तर प्रदेश	18	पेयजल के अलावा कोई कार्यस्थल सुविधा उपलब्ध नहीं करायी गई थी।
7.	पश्चिम बंगाल	5	नमूना जांच किए गए ग्रा.प. में किसी में भी कार्यस्थलों पर वर्चों हेतु बालबाड़ी उपलब्ध नहीं करायी गयी थी।
8.	पुडुचेरी	2	कार्यस्थल पर कार्यस्थल सुविधाएं जैसे पेय जल, शेड प्राथमिक चिकित्सा तथा बालबाड़ी उपलब्ध नहीं करायी गयी थी।
योग		40	

अनुबंध-8-प
स्तरीय फोटोग्राफ के बिना निर्माणकार्य
(पैराग्राफ 8.19 के संदर्भ में)

आमनुदित्यां			
क्र.सं.	राज्य का नाम	जिला	
1.	अरुणाचल प्रदेश	4	निर्माणकार्यों की पूर्व-मध्य-पश्च कार्य परियोजना स्तरों को फोटोग्राफ सहित दर्ज नहीं किया गया था।
2.	असम	2	निर्माणकार्यों की पूर्व-मध्य-पश्च स्तरों के कोई फोटोग्राफ दर्ज नहीं किए गए थे।
3.	गुजरात	6	नमूना जांच कए गए किसी भी निर्माणकार्य में तीन स्थितियों वाले फोटोग्राफ दर्ज नहीं पाए गए थे।
4.	कर्नाटक*	सम्पूर्ण राज्य	पूर्ण किए गए 5.25 लाख निर्माणकार्यों के संबंध में पूर्व-मध्य-पश्च निर्माणकार्यों की स्तरों के फोटोग्राफ अपलोड नहीं किए गए थे। अत्यः 10490 निर्माणकार्यों के संबंध में केवल एक या दो स्तरों के फोटोग्राफ अपलोड किए गए थे।
5.	केरल	4	2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 में कार्यस्थल के फोटोग्राफ नहीं लिए गए थे।
6.	महाराष्ट्र	9	बुलडाना में वन विभाग द्वारा किए गए निर्माणकार्य के अतिरिक्त पूर्व-मध्य-पश्च स्तरों के फोटोग्राफ नहीं लिए गए हैं।
7.	मणिपुर	2	टेंगलोंग तथा थोबाल जिलों के 40 ग्रा.पं. में पूर्व-मध्य-पश्च स्तरों के फोटोग्राफ नहीं लिए गए थे।
8.	नागालैण्ड	3	नमूना जांच किए गए 54 ग्रा.पं. में से 15 ग्रा.पं. में पूर्व-मध्य-पश्च स्तरों के फोटोग्राफ नहीं लिए गए थे।
9.	ओडिशा	8	प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षित 1333 निर्माणकार्यों में से 1098 निर्माणकार्यों में पूर्व-मध्य-पश्च स्तरों के फोटोग्राफ उपलब्ध नहीं थे।
10.	तमिलनाडु	2	निर्माणकार्यों के पूर्व-मध्य-पश्च स्थितियों के फोटोग्राफ नहीं लिए गए थे।
11.	उत्तर प्रदेश	12	निर्माणकार्यों का संयुक्त प्रत्यक्ष सत्यापन करने के दौरान यह पाया गया था कि 2169 निर्माणकार्यों के पूर्व-मध्य-पश्च स्तरों के फोटोग्राफ नहीं लिए गए थे। और संबंधित निर्माणकार्य मिसलों के साथ संलग्न नहीं पाए गए थे।
12.	त्रिपुरा	1	ग्रा.प. द्वारा निर्माणकार्यों की पूर्व-मध्य-पश्च स्तरों के फोटोग्राफ नहीं लिए। अनुरक्षित नहीं किए गए थे। इसलिए लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे।
13.	पुडुचेरी	2	निर्माणकार्यों के पूर्व-मध्य-पश्च स्तरों के फोटोग्राफ नहीं लिए गए थे।
	योग	55	

* आंकड़े मा.सू.प्र. के अनुसार

अनुबंध-8-प
परियोजना समापन प्रतिवेदन (प.स.प.) का जारी न किया जाना
 (पैराग्राफ 8.19 के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	जिला	निषादित निर्माणकार्यों की संख्या	अभ्युक्तियां
1.	अरुणाचल प्रदेश	4	-	पूर्ण हुए निर्माणकार्यों के संबंध में परियोजना समापन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं थे।
2.	असम	2	-	कामरूप (आर) तथा परवी एंगलोग जिलों में प.स.प्र. तैयार नहीं किए गए थे।
3.	बिहार	15	-	पूर्ण हुए किसी भी निर्माणकार्य में प.स.प्र. संतान नहीं पाए गए थे।
4.	झुजरात	6	923	नमूना जांच किए गए किसी भी निर्माणकार्य के अभिलेख में प.स.प्र. नहीं पाए गए थे।
5.	हिमाचल प्रदेश	4	15,366	₹ 120.41 करोड़ के पूर्ण हुए दर्शाएं गए 15,366 निर्माणकार्यों के संबंध में प.स.प्र. तैयार नहीं किए गए थे और अभिलेख में नहीं रखे गए थे। निमंदार अधिकारी द्वारा विवित रूप से सत्यापित किसी प.स.प्र. के अभाव में पूर्ण किए गए निर्माणकार्यों की प्रमाणिकता को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका।
6.	कर्नाटक*	सम्पूर्ण राज्य	5,69,000	2008-12 के दोसरा पूर्ण हुए दर्शाएं गए 5.59 लाख निर्माण कार्यों में से 4.07 लाख के संबंध में प.स.प्र. सूची में अपलोड नहीं किए गए थे।
7.	केरल	2	-	प.स.प्र. तैयार नहीं किए गए थे।
8.	नागालैण्ड	3	145	13 ग्राम. में 145 निर्माणकार्यों के संबंध में प.स.प्र. उपलब्ध नहीं थी।
9.	पंजाब	3	2,446	वर्यनित ग्राम. में किसी भी निर्माणकार्य के संबंध में प.स.रि. तैयार नहीं की गई थी।
10.	राजस्थान	7	307	307 निर्माणकार्य पूर्ण हुए दर्शाएं गए थे लेकिन उनकी प.स.प्र. जारी नहीं किए गए थे।
11.	सिक्किम	2	80	प.स.प्र. अभिलेख में नहीं रखे गये थे।
12.	तमिलनाडु	2	322	प.स.प्र. तैयार नहीं रखे गये थे।
13.	त्रिपुरा	2	600	मरठर रोल के आवरण पृष्ठ के रिकार्ड बनाने के अतिरिक्त पृथक प.स.प्र. जारी नहीं किये गये थे।
14.	उत्तर प्रदेश	16	3,091	₹ 38.22 करोड़ के 3091 निर्माणकार्यों के संबंध में प.स.प्र. निर्माणकार्य की संबंधित फाईलों में नहीं रखे गये थे।
15.	पश्चिम बंगाल	5	-	प.स.प्र. प्राप्त करने की कोई प्रणाली नहीं थी।
16.	पुडुचेरी	2	-	प.स.प्र. प्राप्त करने की कोई प्रणाली नहीं थी।
	योग	75	5,92,280	

* आंकड़े मा.सू.प्र. के अनुसार

अनुबंध-8फ
संदेहास्पद/डुलीकेट निर्माणकार्य का निषादन/संदिध भुगतान
(पैराग्राफ 8.20 के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	दिल्ला	ब्लॉक ग्रा. पं.	निर्माणकार्य की सं. तथा प्रकार	राशि (₹ करोड़ में)	आवृत्तियाँ	
1.	आच्छ प्रदेश	-	8	- सिल्ट ले जाने के लिए ट्रैक्टरों का वाहन प्रभार	3.05	ग्रा.पं. द्वारा निर्माणकार्य कार्यकारी सदस्यों (नि.का.स.) के रूप में नामित किए जाने के उपरान्त, सामग्री भुगतानों के उद्देश्य हेतु भारी धनराशियां सारंच, वार्ड तथा मंडल परिषद क्षेत्रीय परिषद सदस्यों, के बैंकखातों में क्रेडिट की गई थी। खिल्ट -परिवहन के उद्देश्य हेतु सरपंच /तकनीकी साहायक के आठ संयुक्त खातों में इस प्रकार के भुगतान ₹ 3.05 करोड़ के थे जिनके या तो कोई अभिलेख नहीं थे या असत्य/जाली अभिलेख सुनित किए गए थे।	
2.	असम	-	1	-	0.13	दो आंचलिक परिषद तरर के निर्माणकार्यों का संयुक्त भौतिक सत्यापन करने के द्वारा यह पाया गया कि निर्माण कार्य भौतिक रूप से विद्यमान नहीं थे।	
		-	1	-	0.21	संयुक्त भौतिक सत्यापन करने के द्वारा यह पाया गया था कि बागवानी के 12 निर्माणकार्य विद्यमान नहीं थे। संबंधित अनुमान मा.पु. तथा वार्डचर भी लेखापरिषा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे।	
		1	-	-	0.22	संयुक्त भौतिक सत्यापन और लाभार्थी सर्वेक्षण के द्वारा यह पाया गया था कि आ.प. /जि.प. द्वारा निष्पादित दर्शाए गए ₹ 0.22 करोड़ के 10 निर्माणकार्य (ग्रामीण संघेजकत) भौतिक रूप से विद्यमान नहीं थे।	
		-	1	-	0.16	तीन सड़कों के निर्माण पर ₹ 0.23 करोड़ का व्यय किया गया था जिसमें से ₹ 0.16 करोड़ ककड़ीरी रेत की अधिप्रस्ति करने पर व्यय किए गए थे। तथापि, लेखापरिषा ने पाया कि मस्टर रोल में कंकड़ीरी रेत का उपयोग करने की कोई प्रविष्टि नहीं थी। संयुक्त भौतिक सत्यापन करने पर पाया गया कि इन सड़कों पर कंकड़ीरी रेत का छिड़काव नहीं किया गया था।	
		-	-	1	-	0.02	नदी के कटाव से उदालगुड़ी गांव तथा उसके 10 निकटवर्ती गावों के संस्थान निर्माणकार्य के संबंध में ₹. 0.02 करोड़ के मस्टर रोल बिल भुगतान हेतु पारित किए गए थे। यह पाया गया था कि इन म.रो. बिलों में 188 लाभार्थियों के नाम उनकी पहचान संख्या तथा बैंक/डाक घर खाता संख्या दर्शाए विना दर्ज किए गए थे।
		-	-	8	21	0.31	क्षेत्रीय विकास तथा ग्रामीण संघेजकता के 18 पूर्ण निर्माणकार्यों का संयुक्त भौतिक सत्यापन करने के दोरन यह पाया गया था कि निर्माणकार्यों का अनुमानों के अनुसार निषादन नहीं किया गया था। निष्पादित किए गए निर्माणकार्यों की लम्बाई, चौड़ाई तथा ऊँचाई में कमियां थीं। इस प्रकार निर्माणकार्य का ₹ 0.24 करोड़ तक कम निषादन हुआ था। भूमि विकास के तीन निर्माणकार्यों में भी ₹. 0.07 करोड़ तक कम निषादन किया गया था।
		-	-	11	12	0.09	₹ 0.09 करोड़ मूल्य की सामग्री निर्माणकार्य पूर्ण होने के बाद अधिप्राप्त की गई थी।

3.	बिहार	-	-	18	-	0.22	निर्माणकार्य हेतु सामग्री निर्माणकार्य पूर्ण होने के बाद अधिप्राच की गई थी।
		12	-	548	2.00	निर्माणकार्य के निष्ठादान हेतु अधिकरणों को ₹ 2.00 करोड़ का अधिम दिया गया था। अधिकरणों द्वारा निर्माणकार्य का निष्ठादान नहीं किए जाने के बावजूद और अधिम राशि बसूल नहीं की गई थी।	
		-	-	14	-	0.08	निर्माणकार्य पूर्ण होने के बाद भी श्रमिकों को कार्य पर लगाया गया था।
		-	-	4	-	0.06	₹ 0.06 करोड़ की राशि बिना किसी कार्य के आहरित की गई थी।
		-	-	5	-	0.03	--
4.	हरियाणा	-	-	1	-	0.01	₹ 0.02 करोड़ के व्यय के दावे में से केवल ₹ 0.01 करोड़ का व्यय मापन पुस्तिका में दर्शाया गया था।
		-	-	1	1	0.04	डल्लू बी.एम. साझे भौतिक रूप से विद्यमान नहीं थी। सङ्करनिमण से संबंधित अभिलेखों के साथ रोकड वही लेखापरिका को प्रस्तुत नहीं किए गए थे।
5.	झारखण्ड	-	1	-	20	0.05	2007-08 के दैरान तीन माह के भीतर 20 निर्माणकार्यों को पूर्ण करने के लिए दिये गये ₹ 0.05 करोड़ के अधिम को रोकड वही में अंतिम व्यय के रूप में माना गया था। इन निर्माणकार्यों को न तो आंसं किया गया और न ही अधिम को दूसरा करने के लिए सङ्खम प्राधिकरी द्वारा कोई कार्रवाई की गई।
		-	2	-	5	0.01	जि.का.स. ने 15 फीट व्यास तथा 35 फीट गहराई के विनिर्देशन वाले कुएं के मॉडल अनुमान का अनुमोदन किया था। सिंचाई कुओं के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दैरान यह पाया गया था कुओं की गहराई निर्धारित गहराई से 2'6" से 6'3". तक कम थी।
6.	मध्य प्रदेश	-	-	5	-	0.09	निर्माणकार्य पूरा होने के तीन से बारह माह के बाद तक सामग्री खरीदी गई थी।
		-	-	1	3	0.07	संयुक्त भौतिक सत्यापन करने के दैरान यह पाया गया था कि सामदायिक बागवानी के तीन निर्माणकार्य भौतिक रूप से विद्यमान नहीं थे।
		-	-	1	-	1.06	निर्माणकार्य का मूल्यांकन तथा भौतिक सत्यापन (कार्यकारी अभियंता, डल्लू आर.डी. सरतना द्वारा संचालित) के दैरान यह पाया गया था कि व्यय किए दर्शाएं गए ₹ 3.00 करोड़ में से केवल 1.94 करोड़ के निर्माणकार्य निष्पादित किए गए थे।
7.	मणिपुर	3	-	-	19	1.05	संयुक्त भौतिक सत्यापन करने के दैरान यह पाया गया था कि 19 निर्माणकार्य भौतिक रूप से विद्यमान नहीं थे।
		1	-	-	2	0.24	दो निर्माणकार्यों के निष्ठादान हेतु ₹ 0.25 करोड़ कार्यान्वयन अधिकरण को दिए गए थे। तथापि कार्यान्वयन अधिकरण ने ₹ 0.01 करोड़ के केवल जर्मीनी कार्य ही किया।
8.	नागालैण्ड	-	-	54	83	7.65	चयनित ग्रा.पं. में सृजित परिसंपत्तियों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दैरान यह पाया गया था कि दिमापुर जिले में ₹ 4.22 करोड़ के 60 निर्माणकार्य, मोन जिले में ₹ 1.70 करोड़ के सात निर्माणकार्य तथा तस्मैसेंग जिले में ₹ 1.73 करोड़ के 16 निर्माणकार्य भौतिक रूप से विद्यमान नहीं थे।

	-	54	23	4.73	निर्माणकार्य की संयुक्त भौतिक सत्यापन करने के दोरान यह पाया गया। कि उस उद्देश्य हेतु किए गए आवंटनों के प्रति निर्माणकार्य में यूनिट के निष्पादन के साथ-साथ दीमापुर जि�ले में ₹ 0.49 करोड़, मौन जिले में ₹ 2.00 करोड़ तेनरेंसग जिले में ₹ 2.24 करोड़ की सामग्री लागत देना चै कर्मी थी।
9.	ओडिशा	-	1	1	0.02 लेखाधिकारा ने पाया कि ग्रा.पं. टैक के उत्थनन का कार्य लगातार दो वर्षों में प्रति का ₹ 0.02 करोड़ की लागत पर दो बार किया गया था।
10.	राजस्थान	-	1	1	0.02 एक निर्माणकार्य (आर्वती सागर) के निष्पादन हेतु ₹0.02 करोड़ का भुगतान माप की जांच किए गया था।
	जोड़	18	15	184	0.16 संयुक्त भौतिक सत्यापन करने पर यह पाया गया कि 150.50 मीटर की दर्ज मापन प्रविष्टि के प्रति केवल 144.7 मीटर माप वाले छ. निर्माणकार्य का निर्माण किया गया था तथा तीन निर्माणकार्यों की आंशिक मात्र विद्यमान नहीं पाई गई थी जो जाती व्यय को इसित करती है।
					21.78

अनुबंध-10क अधिलेखों के गैर-अनुरक्षण की स्थिति

(ऐताग्राफ 10.2 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	निम्न में जाँच कार्ड पंजिका का अनुरक्षण नहीं किया गया	निम्न में जाँच कार्ड पंजिका का अनुरक्षण नहीं किया गया	निम्न में रोजगार पंजिका का अनुरक्षण् गया	निम्न में रोजगार पंजिका का अनुरक्षण नहीं किया गया	निम्नमें परस्पर शेल निगम/प्राप्ति पंजिका का अनुरक्षण नहीं किया गया	निम्नमें कार्य पंजिका का अनुरक्षण नहीं किया गया	निम्न में शिक्षात परिसम्पत्ति पंजिका का अनुरक्षण नहीं किया गया			निम्न में शिक्षात पंजिका का अनुरक्षण नहीं किया गया			निम्न में शिक्षात पंजिका का अनुरक्षण नहीं किया गया		
								जिला	लॉक	ग्रा.पं.	जिला	लॉक	ग्रा.पं.	जिला	लॉक	ग्रा.पं.
1.	आनंद प्रदेश	-	-	150	-	-	150	-	-	-	-	-	-	14	-	-
2.	आस्थाचाल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	असम	4	7	28	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	9	-
4.	बिहार	15	54	250	-	-	15	54	250	15	54	250	15	39	196	1
5.	गोवा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	14	2
6.	गुजरात	6	15	150	-	-	6	15	150	-	150	-	-	15	150	-
7.	हरियाणा	-	13	-	-	18	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	32	-	-	-	-	-	90	-	-
9.	जम्मू एवं कश्मीर	12	113	-	12	113	-	12	-	-	12	-	-	-	12	-
10.	झारखण्ड	4	7	40	4	8	46	4	8	50	4	10	65	-	9	56
11.	कर्नाटक	-	-	26	-	-	-	75	-	16	121	-	-	126	-	137
12.	केरल	-	-	10	-	-	-	-	9	-	1	-	13	11	-	13
13.	मध्य प्रदेश	-	17	167	-	5	13	-	4	10	-	8	57	-	24	162
14.	महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	6	-	160	-	-	2	6	60	-	-
15.	मेघालय	4	8	89	-	8	89	-	8	89	-	8	89	4	8	89
16.	नागार्जुपट्ट	-	23	-	-	12	-	26	-	-	12	-	-	38	-	38
17.	ओडिशा	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
18.	पंजाब	4	6	53	-	4	37	-	7	62	-	7	62	-	7	62
19.	तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	23	230	8	23	230
20.	त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	उत्तर प्रदेश	18	39	7	-	93	-	-	7	18	1	73	18	16	377	18
22.	पश्चिम बंगाल	-	-	83	-	-	-	3	-	-	-	-	83	-	-	-
23.	यादव एवं नागर हवेली	1	-	3	-	-	-	-	2	-	1	-	1	1	-	3
24.	योग	56	165	1205	4	43	482	37	108	1111	42	74	885	46	200	1665
														167	1063	48
														34	111	30
														3	30	1
														3	3	30
														10	111	1300
														56	442	-

अनुबंध-10 ख
अभिलेखों के गलत अनुरक्षण की स्थिति
(ऐराग्राफ 10.3 के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	जाँच कार्ड आवेदन पंजिका	जाँच कार्ड पंजिका	रोजगार पंजिका	मस्टर रोल निर्गम/शाप्ति पंजिका			कार्य पंजिका	परिसम्पति पंजिका	शिकायत पंजिका	भारिक आवंटन तथा उ.प.प. निमानी पंजिका		
					खाँक	ग्रा.पं.	खाँक	ग्रा.पं.	खाँक	ग्रा.पं.	जिला	खाँक	ग्रा.पं.
1.	आनंद प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	15
2.	अस्सीयाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
3.	असम	-	-	-	83	-	-	-	-	1	-	-	-
4.	गोवा	-	-	-	14	-	-	4	14	-	-	-	-
5.	हिमाचल प्रदेश	-	20	-	38	-	-	-	-	90	-	9	90
6.	झारखण्ड	10	127	9	121	9	117	7	102	-	8	111	-
7.	कर्नाटक	-	117	-	133	-	72	-	31	-	20	-	8
8.	मध्य प्रदेश	10	100	29	248	23	220	20	191	-	11	98	-
9.	मणिपुर	9	90	9	90	9	90	9	90	2	-	2	3
10.	ओडिशा	-	-	-	199	-	199	-	8	20	199	-	199
11.	सिक्किम	4	8	4	8	-	-	8	-	-	8	-	-
12.	त्रिपुरा	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	उत्तराखण्ड	-	100	-	-	100	-	-	100	-	-	100	-
14.	पश्चिम बंगाल	-	-	-	83	-	19	-	-	-	-	17	-
15.	दारारा एवं नागर हवेली	-	2	-	10	-	5	-	-	9	-	3	-
	रोग	39	564	51	892	41	957	36	422	10	43	551	2
													255
													15

अनुबंध-10ग
अभिलेखों में अन्य अनियमितताएं
(पैराग्राफ 10.4 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	आपत्ति की प्रकृति
1.	बिहार	<p>मासिक प्रगति रिपोर्ट (मा.प्र.रि.) की संवीक्षा ने निम्नलिखित विसंगतियां प्रकट की:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ मुंगेर जिले में 2007-12 के दौरान मा.प्र.रि. में दर्शाए गए व्यय को सनदी लेखाकार की रिपोर्ट की तुलना में ₹ 34.19 करोड़ तक अधिक बताया गया था। ➤ यह पाया गया था कि पश्चिम चम्पारन जिले में संबद्ध विभाग तथा जिला परिषद द्वारा ₹ 8.96 करोड़ की मॉ.सू.प्र. प्रविष्टि नहीं की गई थी।
2.	मध्य प्रदेश	जैसा कि परिचालनात्मक दिशानिर्देशों के पैरा 9.22 में निर्धारित है, ग्रा.पं. के रोजगार सृजन डाटा की पाक्षिक रिपोर्टों को ब्लॉक स्तर पर समेकित नहीं किया गया था। इसलिए, योजना के अंतर्गत सृजित रोजगार का वास्तविक डाटा निष्पादन के किसी भी स्तर पर उपलब्ध नहीं था। विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों ने केवल मॉ.सू.प्र. डाटा पर विश्वास किया जिसका सृजन के वास्तविक डाटा के वास्तविक डाटा के साथ समाधान नहीं किया जा रहा था।
3.	राजस्थान	मस्टर रोल की प्राप्ति तथा निर्गम पंजिका का सभी नमूना जांच किए गए ब्लॉकों तथा ग्रा.पं. में अनुरक्षण किया गया था। तथापि, 310 तथा 180 मस्टर रोलों को चक्षु तथा फागी के संबंधित ब्लॉकों के 12 ग्रा.पं. ¹ की प्राप्ति पंजिका में दर्ज नहीं किया गया था तथा काथवाल ग्रा.पं. (ब्लॉक; चक्षु) की मस्टर रोल पंजिका लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई थी। मस्टर रोल की गैर-प्राप्ति के अभाव में दुरुस्थी की संभावना को नकारा नहीं जा सकता।
4.	तमिलनाडु	2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 के लिए मॉ.सू.प्र. में उपलब्ध डाटा दर्शाता है कि राज्य द्वारा क्रमशः 324 दिनों, 1,65,284 दिनों तथा 1,75,406 दिनों के बेरोजगारी भत्ता अदा किए जाने हेतु बकाया थे। तथापि, विभाग के उत्तर के अनुसार बेरोजगारी भत्ते का भुगतान उत्तपन्न नहीं हुआ था क्योंकि कार्य मांग पर तुरंत प्रदान किए गए थे। इस प्रकार, डाटा बेस तथा विभाग के उत्तर के बीच गंभीर विसंगति थी। राज्य सरकार ने बताया (जून 2012) कि मॉ.सू.प्र. डाटा में प्रविष्टियां डाटा इंटरी आपरेटरों द्वारा की गई गलतियों के कारण थीं।

¹ जिला, जयपुर; ब्लॉक, चक्षु (छ: ग्रा.पं. : 31 म.रो.) तथा फागी (छ: ग्रा.पं. : 180 म.रो.)

अनुबंध-10घ
मॉ.सू.प्र. में डाले डाटा तथा जॉब कार्डों के अनुसार वास्तविक स्थिति के बीच विभिन्नता
(पैराग्राफ 10.5 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम/सं.शा.क्षे.	विसंगति की प्रकृति	लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए डाटा के अनुसार (आंकड़े लाख में)	मॉ.सू.प्र. में डाले डाटा के अनुसार (आंकड़े लाख में)	निम्न में पाई गई विसंगति		
					जिला	ब्लॉक	ग्रा.पं.
1.	असम	जारी जॉब कार्डों की संख्या	0.84	0.90	1 (कामरूप)	4	51
2.	गोवा	जारी परिवार जॉब कार्डों की संख्या	0.32	0.29	2	-	-
3.	गुजरात	जारी परिवार जॉब कार्डों की संख्या	2.65	3.25	1	-	-
		परिवारों की संख्या	0.25	0.35	-	1	-
4.	झारखण्ड	जारी जॉब कार्डों की संख्या	13.37	13.25	6	-	-
5.	नागालैण्ड	जारी जॉब कार्डों की संख्या	0.006	0.007	-	-	पांसा बी ग्रा.पं.
6.	ਪंजाब	जारी जॉब कार्डों की संख्या-	23.93	25.10	-	-	-
7.	राजस्थान	जॉब कार्डों की संख्या (2009-12)	27.69	28.07	8	8	-
8.	लक्ष्मीप	जारी परिवार जॉब कार्ड	0.09	0.08	1	-	-
		परिवार जिन्होंने रोजगार की मांग की	0.05	0.04	1	-	-
		परिवार जिन्हें रोजगार प्रदान किया	0.05	0.04	1	-	-
		परिवार जिन्होंने 100 दिन पूरे किए	0.003	0.001	1	-	-
		सृजित ग्राम दिवस	1.71	1.64	1	-	-

अनुबंध-10ड

मॉ.सू.प्र. में डाला गया डाटा तथा अथ/अंत शेषों के अनुसार वास्तविक स्थिति में विभिन्नता
(पैराग्राफ 10.5 के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	विसंगति की प्रकृति	लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए डाटा के अनुसार आंकड़ा (आंकड़े करोड़ में)	मॉ.सू.प्र. में डाले गए डाटा के अनुसार आंकड़ा (आंकड़े करोड़ में)	अभ्युक्तियां
1.	आन्ध्र प्रदेश	रो.गा.यो. कार्यालय में योजना निधि 2009-10 में अथ शेष	0.84 (सनदी लेखाकार द्वारा लेखापरीक्षित लेखों के अनुसार)	1,107.74	राज्य स्तर
		रो.गा.यो. कार्यालय में योजना निधि 2010-11 में अथ शेष	973.03 (सनदी लेखाकार द्वारा लेखापरीक्षित लेखों के अनुसार)	1,169.51	
		रो.गा.यो. कार्यालय में योजना निधि 2009-10 में अंत शेष	973.03 (सनदी लेखाकार द्वारा लेखापरीक्षित लेखों के अनुसार)	1,169.51	
		रो.गा.यो. कार्यालय में योजना निधि 2010-11 में अंत शेष	3,519.24 (सनदी लेखाकार द्वारा लेखापरीक्षित लेखों के अनुसार)	3,645.75	
2.	गोवा	3132012 को अंत शेष (निधि) (₹ लाख में)	2.19	2.34	2 जिले
3.	केरल	केन्द्रीय निर्गम	1,084.26	951.05	राज्य स्तर
		राज्य का भाग	25.10	25.00	
		विविध प्राप्ति	8.75	7.78	
		व्यय	1,003.83	1,054.90	
4.	महाराष्ट्र	जि.का.स. के अनुसार अंत शेष	10.51	31.16	नांदेड यौतमल भान्दा लथूर लुधियाना
		जि.का.स. के अनुसार अंत शेष	3.83	20.68	
		जि.का.स. के अनुसार अंत शेष	15.39	7.04	
		जि.का.स. के अनुसार अंत शेष	5.23	1.34	
		जि.का.स. के अनुसार अंत शेष	8.25	1.26	
5.	नागालैण्ड	2009-12 के दौरान प्राप्त राशि के संबंध में बैंक पास बुक तथा मॉ.सू.प्र. के बीच मेल न होना	49.14	92.86	3 जिले

अनुबंध-10च
रोजगार सृजन के संबंध में डाटा मॉ.सू.प्र. में डाला गया तथा
डाटा स्थिति/अनुरक्षित वास्तविक डाटा के बीच विभिन्नता
(पैराग्राफ 10.5 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य/ सं.शा.क्षे. का नाम	विसंगति की प्रकृति	लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए डाटा के अनुसार आंकड़ा (आंकड़े लाख में)	मौ.सू.प्र. में डाले गए डाटा के अनुसार आंकड़ा (आंकड़े लाख में)	निम्न में पाई गई विसंगतियां			अभ्युक्तियां
					जिला	ब्लॉक	ग्रा. पं.	
1.	बिहार	श्रम दिवसों के अनुसार मॉ.सू.प्र. प्रविष्टि तथा मॉ.प्र.रि. विभिन्नता	830	555.11	14	-	-	
2.	गोवा	31.03.2012 को कुल परिवारों में विभिन्नता जिन्होंने रोजगार की मांग की (सं.में)	0.28	0.31	2	-	-	
		31.03.2012 को कुल परिवारों में विभिन्नता जिन्हें रोजगार प्रदान किया गया (सं.में)	0.28	0.32	2	-	-	
3.	गुजरात	श्रम दिवसों के अनुसार मॉ.सू.प्र. प्रविष्टि तथा मा.प्र.रि. के बीच विभिन्नता (2009- 12)	403.31	382.87	6	-	-	
		कुल परिवारों में विभिन्नता जिन्हें जॉब कार्ड जारी किए गए (2009-12)	13.16	13.26	6	-	-	
		परिवार जिन्हें रोजगार प्रदान किया गया (2009-12)	11.25	10.48	6	-	-	
4.	झारखण्ड	(2008-12) के दौरान सृजित कुल श्रम दिवसों में विभिन्नता	974.67	885.38	6	-	-	
		(2008-12) के दौरान कुल परिवारों में विभिन्नता जिन्होंने 100 दिवस पूरे किए	1.51	1.59	6	-	-	
		परिवारों में विभिन्नता जिन्होंने रोजगार की मांग की (राज्य स्तर)	69.61	63.83	-	-	-	
		परिवारों में विभिन्नता जिन्होंने रोजगार की मांग की (जिला स्तर)	22.25	21.20	6	-	-	
		परिवारों में विभिन्नता जिन्होंने रोजगार की मांग की (राज्य स्तर)	69.56	63.53	-	-	-	
		परिवारों में विभिन्नता जिन्होंने रोजगार की मांग की (जिला स्तर)	22.22	21.09	6	-	-	

5.	केरल	पंजीकृत परिवार	18.79	18.68	-	-	-	राज्य स्तर
		परिवार जिन्हें जॉब कार्ड जारी किए	18.60	18.72	-	-	-	
		परिवार जिन्होंने रोजगार की मांग की	14.18	14.19	-	-	-	
		परिवार जिन्हें रोजगार प्रदान किया गया	14.16	14.17	-	-	-	
		वर्ष के दौरान समाप्त निर्माण कार्य	1.49	1.48	-	-	-	
		भूमि विकास	0.51	0.52	-	-	-	
		जल संरक्षण	0.24	0.23	-	-	-	
		ग्रामीण संयोजकता	0.11	0.04	-	-	-	
		अ.जा./अ.ज.जा./ग.रे.नी./इ.आ.यो. को सिंचाई सुविधा	0.06	0.05	-	-	-	
6.	पंजाब	परिवार जिन्होंने रोजगार की मांग की	8.09	7.85	-	-	-	राज्य स्तर
		परिवार जिन्हें रोजगार प्रदान किया गया	8.08	7.81	-	-	-	
		सृजित श्रम दिवसों की संख्या	216.65	205.22	-	-	-	
		परिवार जिन्होंने 100 दिन पूरे किए	0.17	0.14	-	-	-	
7.	राजस्थान	परिवार जिन्हें रोजगार प्रदान किया गया (2011-12)	13.88	13.51	8	8	-	
		सृजित श्रम दिसंवर्नों की संख्या	636.73	665.16	8	8	-	
		परिवार जिन्होंने 100 दिवस पूरे किए	1.14	1.19	8	8	-	
8.	तमिलनाडु	पंजीकृत कुल परिवार (2009-12)	54.85	55.95	8	-	-	
		कुल परिवार जिन्हें जॉब कार्ड जारी किए गए	54.85	58.42	8	-	-	
		कुल परिवार जिन्होंने रोजगार की मांग की	40.62	40.98	8	-	-	
		कुल परिवार जिन्हें रोजगार प्रदान किया गया	40.62	40.84	8	-	-	
		सृजित कुल श्रम दिवस	2,059.96	1,920.06	8	-	-	
		कुल परिवार जिन्होंने 100 दिन पूरे किए	7.76	3.88	8	-	-	
		की गई सामाजिक लेखापरीक्षा	0.26	0.004	8	-	-	
9.	उत्तराखण्ड	कुल परिवार जिन्होंने रोजगार की मांग की (2009-12)	6.34	4.67	4	-	-	
		कुल परिवार जिन्हें रोजगार प्रदान किया गया	6.34	4.63	4	-	-	
		सृजित कुल श्रम दिवस	201.07	159.29	4	-	-	
10.	पुडुचेरी	परिवार जिन्हें रोजगार के 100 दिवस प्रदान किए गए (2008-12)	0.006	0.004	2	-	-	

अनुबंध-10छ
मॉ.सू.प्र. में डाले गए डाटा तथा व्यय के अनुसार वास्तविक स्थिति के बीच विभिन्नता
(पैराग्राफ 10.5 के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्य/सं. शा. क्षे. का नाम	विसंगति की प्रकृति	लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए डाटा के अनुसार आंकड़ा (आंकड़े लाख में)	मॉ.सू.प्र. में डाले गए डाटा के अनुसार आंकड़ा (आंकड़े लाख में)	निम्न में पाई गई विसंगतियां			अभ्युक्तियां
					मा.प्र.रि.	मा.सू.प्र.	जिला	
1.	असम	मजदूरी में विभिन्नता (2008-12)	67.57	58.85	1	1	4	आफलाईन रिपोर्ट के अनुसार
		सामग्री में विभिन्नता (2008-12)	38.46	38.18				
		मजदूरियों में विभिन्नता (2010-12)	32.59	30.61	1	1	4	
		सामग्री में विभिन्नता (2010-12)	18.74	24.29	1	1	4	
2.	बिहार	व्यय में विभिन्नता (2009-12)	1,64,951.82	1,40,974.21	14	-	-	-
3.	गोवा	2008-12 के दौरान कुल व्यय में विभिन्नता	2,428.14	2,192.27	उत्तर और दक्षिण गोवा			
4.	गुजरात	कुल व्यय	63,754.5	59,396.51	6	-	-	
5.	झारखण्ड	मजदूरियों में विभिन्नता (2008-12)	97,421.43	89,244.23	6	-	-	
		सामग्री पर व्यय में विभिन्नता (2008-12)	61,132.19	64,491.90	6	-	-	
		व्यय में विभिन्नता (2008-12)	22,548.14	21,523.92	गुमला	-	-	
		व्यय में विभिन्नता (2008-12)	20,061.93	17,276.64	पालामू	-	-	
		व्यय में विभिन्नता (2008-12)	31,190.82	29,506.17	पश्चिम सिंगभूम	-	-	
		व्यय में विभिन्नता (2008-12)	1,63,769.54	1,59,401.29	6 नमूना जांच किए गए जिले	-	-	
		व्यय में विभिन्नता (2008-12)	5,14,533.61	4,91,360.10	24	-	-	

2013 की प्रतिवेदन सं. 6

6.	पंजाब	निधियों की कुल उपलब्धता में विभिन्नता	63,477.65	66,023.85	-	-	-	राज्य स्तर
		कुल व्यय में विभिन्नता	47,172.20	32,943.39	-	-	-	
		पूण् किए निर्माण कार्यों की संख्या (2011-12)	0.07	0.09	-	-	-	
		पूर्ण किए निर्माण कार्यों पर व्यय में विभिन्नता (2011-12)	5,648.95	8,697.34	-	-	-	
		चालू/स्थगित निर्माण कार्यों की संख्या में विभिन्नता (2011-12)	0.11	0.09	-	-	-	
		चालू/स्थगित निर्माण कार्यों के व्यय में विभिन्नता (2011-12)	9,293.91	6,517.34	-	-	-	
7.	उत्तर प्रदेश	2009-12 के दौरान मॉ.सू.प्र. प्रविष्टि तथा व्यय के अनुसार मा.प्र.रि. के बीच विभिन्नता						
		श्रम	18,196	13,291	गोंडा	-	-	-
		प्रशिक्षित तथा अर्ध-प्रशिक्षित	386	87	गोंडा	-	-	-
		सामग्री	9,822	7,814	गोंडा	-	-	-
		व्यय (2010-12)	20,411	19,996	जलाऊँ	-	-	-
		व्यय (2007-12)	353.22	229.92	-	-	6 ग्रा.पं.	-
		व्यय (2009-11)	17,122	16,918	लखनऊ	-	-	-
		2009-12 के दौरान कुल प्राप्ति	116.23	101.23	मुरादाबाद	-	-	रोकड़ बही के अनुसार कुल प्राप्ति रु. 110.44 लाख थी।
8.	लक्ष्मीप	2009-12 के दौरान कुल व्यय	104.83	105.07	मुरादाबाद	-	-	रोकड़ बही के अनुसार कुल व्यय रु. 110.27 लाख था।
		कुल व्यय में विभिन्नता	302.59	161.63	1	-	-	-

अनुबंध-10ज
राज्य विशिष्ट निष्कर्ष
(पैराग्राफ 10.5 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	टिप्पणियां
1.	असम	<ul style="list-style-type: none"> वर्ष 2011-12 के दौरान मॉ.सू.प्र. प्रणाली में मनरेगस डाटा डाले गए थे परन्तु मॉ.सू.प्र. सूचना शीट में डाला गया डाटा की विश्वसनीयता संदेहास्पद पाई गई थी क्योंकि मर्स्टर रोल (म.रो.) बिलों में प्रकट हो रहे जॉब कार्ड धारकों के नाम तथा अन्य आई.डी. संख्याएं या तो नाम अथवा आई.डी. संख्यों जिन्हें मॉ.सू.प्र. में डाला गया था, से मेल नहीं खाती थीं। इसके अतिरिक्त, मा.रो. बिलों में दर्शाए गए निर्माण कार्यों की अवधि मॉ.सू.प्र. में डाले गए डाटा से मेल नहीं खाती थी जिसने काल्पनिक/फर्जी जॉब कार्ड धारकों की उपस्थिति के 2,016 मामले दर्शाए। म.रो. संख्या जिनके प्रति भुगतान किए गए थे, चार मामलों में मॉ.सू.प्र. के साथ मेल नहीं खाती थी जिससे योजना निधियों के संभावित दुर्विनियोजन के साथ वास्तविक रोजगार सृजन के संबंध में चिंता को बढ़ाया। म.रो.बिलों में दर्शाए निर्माण कार्यों के नाम तथा अवधि तिथि के साथ मेल नहीं खाती थी जिसे मॉ.सू.प्र. में डाला गया था जिससे ₹ 20.59 लाख के व्यय की कुल राशि सहित काल्पनिक जॉब कार्ड धारकों की उपस्थिति को दर्शाया।
2.	जम्मू एवं कश्मीर	2011-12 के दौरान मनरेगस निर्माण कार्यों पर व्यय की गई ₹77,671.91 लाख की राशि के प्रति केवल ₹36,396.73 से संबंधित डाटा डाला गया था। कमी को स्टाफ की कमी, बार-बार पावर कटों, खराब वैब संयोजकता आदि को आपरोपित किया गया था।
3.	केरल	मॉ.सू.प्र. डाटा के साथ मा.प्र.रि. के डाटा की कोई दोहरा सत्यापन नहीं था जो डाटा प्रविष्टि में गलतियों के सुधार की सभावना को नकारता है। यद्यपि ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी को ग्रा.पं. द्वारा प्रेषित डाटा को सत्यापित करना है फिर भी लेखापरीक्षा द्वारा यह पाया गया था कि ऐसे सत्यापन उच्चतर स्तरों को मूल अभिलेखों/मा.प्र.रि. के गैर-प्रेषण के कारण या तो ब्लॉक स्तर या फिर जिला स्तर पर नहीं किए गए थे। मूल आंकड़ों के साथ पुनः जांच किए जाने पर मॉ.सू.प्र. में डाले गए आंकड़ों तथा जॉब कार्ड निर्गम, रोजगार सृजन व्यय की गई निधि, मजदूरी भुगतानों आदि से संबंधित विभिन्न विवरणियों में विसंगतियों की पर्याप्त संख्या पाई गई थीं।
4.	मध्य प्रदेश	शाहडोल जिले में, वर्ष 2011-12 के लिए ₹ 265.21 लाख का व्यय मॉ.सू.प्र. से बाहर रहा क्योंकि वर्ष 2011-12 के लिए मॉ.सू.प्र. फीडिंग बंद थी (जून 2012)
5.	पंजाब	अमृत जिले में, 93 लाभार्थियों (अलनाता ब्लॉक में 45 तथा वैर्का ब्लॉक में 58) को जॉब कार्डों के निर्गम को मॉ.सू.प्र. में दो बार डाला गया था।
6.	त्रिपुरा	<ul style="list-style-type: none"> मॉ.सू.प्र. के अनुसार निधियों का अंत शेष अगले वर्ष के अथ शेष से मेल नहीं खाता था। आधिक्य में अग्रेषित राशि ₹ 0.30 लाख से ₹ 366.34 लाख के बीच थी तथा अग्रेषित शेष में कमी ₹ 32.32 लाख से 11,066.06 लाख के बीच थी। 2007-08 से 2010-11 की अवधि के दौरान लेखापरीक्षित लेखों से तुलना करने पर मॉ.सू.प्र. में ₹ 1,633.93 लाख तक व्यय को कम बताया गया था तथा ₹ 323.78 लाख तक व्यय का अधिकथन था।
7.	पुडुचेरी	मनरेगा साईट में डाले गए श्रम बजट ने प्रकट किया कि 2010-11 में कराइकल जिले में विद्यमान 16154 कुल ग्रामीण परिवारों के प्रति 20,773 परिवारों को जॉब कार्ड जारी कर गए हैं को दर्शाया गया था।

अनुबंध -11 क
के.रो.ग.प. के सदस्यों द्वारा किये गये फील्ड दौरे
(पैराग्राफ 11.2.1 के संदर्भ में)

क्र. सं.	सदस्य का नाम	दौरा किया गया स्थल	दौरे की तिथि	क्या राज्य से कार्यवाई प्रतिवेदन प्राप्त किया गया
1.	संजय दीक्षित	बुलन्द शहर, उत्तर प्रदेश	1 से 3.06.2010	नहीं
2.	संजय दीक्षित	कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश	11 से 13.02.2010	नहीं
3.	मधुसूदन मिस्त्री	पोरबन्दर गुजरात	अक्टूबर 2010	नहीं
4.	संजयदीक्षित	सोनभद्रा, उत्तर प्रदेश	5 से 7.07.2010	नहीं
5.	अश्विनी कुमार	धार, मध्य प्रदेश	17 से 21.11.2009	नहीं
6.	के.एस.गोपाल	भुवनेश्वर, उड़ीसा	8 से 11.12.2009 8 से 10.01.2010 21 से 24.01.2010	नहीं
7.	अश्विनी कुमार	क्योनझार, भुवनेश्वर, उड़ीसा	2 से 4.02.2010	नहीं
8.	संजय दीक्षित	महोबा, उत्तर प्रदेश	25 से 26.09.2009	हाँ
9.	मधुसूदन मिस्त्री	दाहोद, गुजरात	27 से 29.01.2010	हाँ
10.	मधुसूदन मिस्त्री	राजगढ़, शिवपुरी तथा गुना, मध्य प्रदेश	10 से 12.11.2009	नहीं
11.	मधुसूदन मिस्त्री	कच्छ तथा सब्रकंठा, गुजरात	3 से 4.11.2009	नहीं
12.	आर. ध्रुव नारायण	मैसूर तथा चामराज नगर, कर्नाटक	16.10.2009	नहीं
13.	आर. ध्रुव नारायण	भीलवाड़ा, राजस्थान	23.10.2009	नहीं

अनुबंध -11 ख
रा.स्त.मॉ. का आच्छादन
(पैराग्राफ 11.2.2 के संदर्भ में)

राज्य/सं.शा.क्षे. का नाम	जिले जहां रा.स्त.मॉ. ने 2007-08 के दौरान दौरे किये	जिले जहां रा.स्त.मॉ. ने 2008-09 के दौरान दौरे किये	जिले जहां रा.स्त.मॉ. ने 2009-10 के दौरान दौरे किये	जिले जहां रा.स्त.मॉ. ने 2010-1 के दौरान दौरे किये	मनरेगस के अंतर्गत कुल जिले
आन्ध्र प्रदेश	22	9	8	13	16
अरुणांचल प्रदेश	16	3	1	4	8
असम	27	8	10	5	22
बिहार	38	9	14	24	29
छत्तीसगढ़	18	6	8	11	15
गोवा	2	0	0	0	2
गुजरात	26	7	9	6	25
हरियाणा	21	4	13	4	16
हिमाचल प्रदेश	12	2	4	3	10
जम्मू एवं कश्मीर	22	4	1	6	18
झारखंड	24	10	8	14	12
कर्नाटक	30	9	14	8	21
केरल	14	4	7	6	12
मध्य प्रदेश	50	13	24	26	40
महाराष्ट्र	33	10	10	15	30
मणिपुर	9	3	2	2	5
मेघालय	7	2	2	2	6
मिजोरम	8	2	4	3	8
नागालैण्ड	11	1	3	4	11
ओडीशा	30	7	14	13	24
पंजाब	20	9	6	3	18

2013 की प्रतिवेदन सं. 6

राजस्थान	33	9	15	13	26
सिक्किम	4	1	1	2	4
तमिलनाडु	31	8	14	13	19
त्रिपुरा	4	2	2	1	4
उत्तर प्रदेश	71	22	23	34	55
उत्तराखण्ड	13	4	3	6	12
पश्चिम बंगाल	19	3	5	10	10
अं.नि.द्वीप समूह	3	-	-	-	-
दा. एंव ना. हवेली	1	-	-	-	-
लक्षद्वीप	1	-	-	-	1
पुडुचेरी	2	-	-	-	-
योग	622	171	225	251	479

अनुबंध -11ग
2007-2011 के दौरान रा.स्त.मॉ. द्वारा आच्छादित न किए गए जिले
(पैराग्राफ 11.2.2 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य/सं.शा.क्षे.	जिलों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	2
2.	अरुणांचल प्रदेश	6
3.	असम	4
4.	बिहार	2
5.	छत्तीसगढ़	2
6.	हरियाणा	2
7.	हिमाचल प्रदेश	1
8.	जम्मू एवं काश्मीर	3
9.	कर्नाटक	1
10.	मध्य प्रदेश	3
11.	महाराष्ट्र	1
12.	मणिपुर	2
13.	ओड़िशा	1
14.	पंजाब	1
15.	राजस्थान	2
16.	तमिलनाडु	1
17.	उत्तर प्रदेश	3
18.	पश्चिम बंगाल	2
योग		39

अनुबंध-11 घ

क्षेत्रीय स्तर पर कार्य की आन्तरिक जांच हेतु राज्यवार विवरण जहां कोई अभिलेख अनुरक्षित /उपलब्ध नहीं कराए गए

(पैराग्राफ 11.4 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य/सं.शा.क्षे.	टिप्पणियां
1.	अरुणांचल प्रदेश	राज्य सरकार द्वारा निर्माण कार्यों (जिला स्तर का 10 प्रतिशत तथा राज्य स्तर का 2 प्रतिशत) का भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं थी/मॉनीटर नहीं किया गया था।
2.	छत्तीसगढ़	चयनित इकाइयों में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं थे जिनसे यह सुनिश्चित किया जा सके कि बस्तर जिले में निरीक्षण किया गया था।
3.	गोवा	कोई जाँच प्रतिवेदन जि.ग्रा.वि.अ. (उत्तरी गोवा) अनुरक्षित/उपलब्ध न हीं थे।
4.	हरियाणा	यह पाया गया कि ब्लाक स्तर पर निर्माण कार्यों की जांच से संबंधित अभिलेखों का अनुरक्षण/उपलब्ध नहीं कराया जा रहा था।
5.	मध्य प्रदेश	ग्रा.पं. में विभिन्न स्तरों पर निर्माण कार्यों की जांच के कोई स्थाई अभिलेख नहीं बनाए गए थे तथा नमूना जांच की गई ग्रा.प., ब्लाक तथा जिलों में से किसी में भी निर्माण कार्यों की जांच की कोई जांच प्रतिवेदन नहीं पाई गई थी।
6.	ओडिशा	क.आ., जिला स्तर अधिकारियों तथा राज्य स्तर अधिकारियों ने भौतिक रूप से निर्माण कार्यों की 100, 10 तथा 2 प्रतिशत जांच नहीं की थी जैसा कि समीक्षा की अवधि के दौरान मासिक प्रगति प्रतिवेदन से देखा गया।
7.	उत्तर प्रदेश	अभिलेखों में निरीक्षण तथा नमूना जांच संचालित किये जाने के संबंध में कुछ नहीं था।
8.	पुडुचेरी	निगरानी के कोई अभिलेख अनुरक्षित नहीं किए गए अथवा लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

अनुबंध-11
राज्य, जिला तथा ब्लाक स्तर पर जांच में कमी
(पैराग्राफ 11.4 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	राज्य (प्रतिशत)	जिला (प्रतिशत)	ब्लाक (प्रतिशत)
1	बिहार ¹	उ.न.	63	62
2	गुजरात ²	उ.न.	37	2
3	झारखण्ड	उ.न.	शून्य	42
4	कर्नाटक	98	50	71
5	केरल	94	56	25
6	मणिपुर	94	शून्य	51
7	मेघालय	100	72	39
8	मिजोरम	100	उ.न.	शून्य
9	नागालैण्ड	82	76	53
10	पंजाब	90	-	-
11	उत्तराखण्ड	94	शून्य	48

¹ डाटा, कुल 15 चयनित जिलों में से केवल 8 जिलों के संबंध में उपलब्ध था

² वर्ष 2009-10 के संदर्भ में कमी।

अनुबंध-11च
राज्य जहां स.म.स. की संस्थापना नहीं की गई थी
(पैराग्राफ 11.6 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	नमूना जांच की गई ग्रा.प. की संख्या जहां स.म.स. की नियुक्ति नहीं की गई	नमूना जांच की गई ग्रा.प. की कुल संख्या	ग्रा.प. की प्रतिशतता जहां स.म.स. की नियुक्ति नहीं की गई
1.	आन्ध्र प्रदेश	150	150	100
2.	बिहार	252	250	99
3.	ओडिशा	200	199	99
4.	तमिलनाडु	230	170	74
5.	उत्तर प्रदेश	460	57	12
6.	पश्चिम बंगाल	120	83	69
	योग	1,412	909	--

अनुबंध -11छ
संचालित सामाजिक लेखापरीक्षा की स्थिति
(पैराग्राफ 11.8.2 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य/सं.शा.क्षे. का नाम	नमूना जांच किए गए ग्रा.पं. में की जाने वाली कुल लेखापरीक्षा	वार्स्टव में नमूना जांच किये गए ग्रा.पं. में की गई कुल लेखापरीक्षा
1.	आन्ध्र प्रदेश	1,500	610
2.	बिहार	2,380	528
3.	हिमाचल प्रदेश	730	313
4.	झारखण्ड ³	11,786	5,660
5.	कर्नाटक	1,416	232
6.	नागालैंड	488	280
7.	ओडिशा	1,890	938
8.	पंजाब	1,073	978
9.	राजस्थान	1,560	1,360
10.	सिक्किम ⁴	64	24
11.	उत्तर प्रदेश	4,200	982
12.	पुडुचेरी	240	53

³ चयनित जिलों में सभी ग्रा.पं. से संबंधित डाटा

⁴ 2008-09 में संचालित की गई सामाजिक लेखापरीक्षाओं की संख्या को उपलब्ध नहीं कराया गया था।

अनुबंध -11ज
आन्तरिक लेखापरीक्षा कक्ष की संस्थापना नहीं की गई
(पैराग्राफ 11.8.5 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य/सं.शा.क्षे. का नाम	जिले जहां आन्तरिक लेखापरीक्षा कक्ष की संस्थापना नहीं की गई	नमूना जांच किये गये कुल जिले	नमूना जांच किये गए जिलों की प्रतिशतता जहां आंतरिक लेखापरीक्षा कक्ष की संस्थापना नहीं की गई
1.	बिहार	15	15	100
2.	गुजरात	6	2	33
3.	झारखण्ड	6	6	100
4.	मणिपुर	4	4	100
5.	नागालैंड	3	1	33
6.	ओडिशा	8	8	100
7.	पंजाब	6	3	50
8.	राजस्थान	8	1	13
9.	उत्तर प्रदेश	18	14	77
10.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2	2	100
11.	पुडुचेरी	2	2	100
योग		78	58	--

अनुबन्ध -11 झ

2007-2012 की अवधि के दौरान प्राप्त एवं निपटाई गई शिकायतों की स्थिति
 (पैराग्राफ 11.9.1 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य	प्राप्त शिकायतों की संख्या	निपटाई गई शिकायतों की संख्या
1	असम	180	110
2	बिहार	2,419	1,835
3	छत्तीसगढ़	475	51
4.	कर्नाटक	1,953	1,620
5.	मध्य प्रदेश	6,537	5,428
6	पंजाब	612	548
7.	उत्तर प्रदेश	1,18,043	98,215
योग		1,30,219	1,07,807

अनुबंध-12क
कार्य प्रगति तालिका में गुम/अस्पष्ट उपयोगकर्ता पहचान हेतु प्रविष्टियां
(पैराग्राफ 12.4.1 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	अभिलेखों की संख्या
1.	असम	29,663
2.	बिहार	4,34,972
3.	गोवा	3,414
4.	गुजरात	54,671
5.	हरियाणा	9,774
6.	हिमाचल प्रदेश	2,52,091
7.	झारखण्ड	2,92,378
8.	कर्नाटक	11,53,017
9.	केरल	79,091
10.	मणिपुर	1,463
11.	मध्य प्रदेश	14,41,259
12.	महाराष्ट्र	67,027
13.	मेघालय	25,232
14.	नागालैंड	30,399
15.	ओडिशा	6,815
16.	पंजाब	10,629
17.	राजस्थान	5,74,053
18.	सिक्किम	1,002
19.	तमिलनाडु	90,787
20.	उत्तर प्रदेश	10,66,267
योग		56,24,004

अनुबंध-12ख
पंजीकरण तालिका में लाभार्थियों के अमान्य नाम
(पैराग्राफ 12.4.2 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्यों का नाम	अभिलेखों की संख्या	
		विशिष्ट चिन्हों के साथ नाम	एक अथवा दो शब्दों या केवल विशिष्ट चिन्हों के नाम
1.	असम	84	-
2.	बिहार	352	228
3.	गुजरात	633	399
4.	हरियाणा	136	85
5.	हिमाचल प्रदेश	91	-
6.	झारखण्ड	3,940	353
7.	कर्नाटक	626	-
8.	केरल	1,01,463	6,112
9.	मध्य प्रदेश	7,475	-
10.	महाराष्ट्र	1,685	943
11.	मणिपुर	57	52
12.	मेघालय	891	-
13.	ओडिशा	11	-
14.	पंजाब	56	54
15.	राजस्थान	2,092	-
16.	सिक्किम	40	1
17.	तमिलनाडु	3,441	2,670
18.	उत्तर प्रदेश	776	-
योग		1,23,849	10,897

अनुबंध -12ग
गुम/अमान्य मकान संख्या पंजीकरण तालिका
(पैराग्राफ 12.4.2 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्यों का नाम	अभिलेखों की संख्या
1.	असम	10,16,918
2.	बिहार	1,22,51,203
3.	गोवा	531
4.	गुजरात	36,33,287
5.	हरियाणा	6,08,293
6.	हिमाचल प्रदेश	8,73,270
7.	झारखण्ड	33,41,044
8.	कर्नाटक	55,86,655
9.	केरल	2,857
10.	महाराष्ट्र	58,82,400
11.	मणिपुर	70,127
12.	मेघालय	3,05,109
13.	नागालैंड	46,736
14.	ओडिशा	1,47,385
15.	पंजाब	7,75,004
16.	राजस्थान	91,27,735
17.	सिक्किम	40
18.	तमिलनाडु	56,50,099
19.	उत्तर प्रदेश	1,48,96,143
	योग	6,42,14,836

अनुबंध-12घ
कार्य प्रगति तालिका में गुम/खत्ता संख्या
(पैराग्राफ 12.4.2 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	अभिलेखों की संख्या
1.	असम	67,100
2.	बिहार	4,37,931
3.	गोवा	3,342
4.	गुजरात	1,51,770
5.	हरियाणा	33,133
6.	हिमाचल प्रदेश	2,49,526
7.	झारखण्ड	1,32,494
8.	कर्नाटक	3,47,500
9.	केरल	1,95,072
10.	मध्य प्रदेश	9,83,944
11.	महाराष्ट्र	2,30,017
12.	मणिपुर	9,984
13.	मेघालय	32,744
14.	नागालैंड	30,224
15.	ओडिशा	8,010
16.	पंजाब	19,902
17.	राजस्थान	6,01,627
18.	सिक्किम	7,963
19.	तमिलनाडु	2,02,795
20.	उत्तर प्रदेश	15,63,071
	योग	53,08,149

अनुबंध-12ड
कार्य अनुमोदन तालिका में गुम/डुप्लिकेट वित्तीय संस्थीकृतियां
(पैराग्राफ 12.4.2 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	अभिलेखों की संख्या	
		डुप्लिकेट वित्तीय संस्थीकृतियां	गुम/अस्पष्ट (नल/0/00/एक/दो विशिष्ट चिन्ह) वित्तीय संस्थीकृति
1.	असम	1,908	-
2.	बिहार	2,40,949	6,115
3.	गोवा	824	-
4.	गुजरात	66,979	324
5.	हरियाणा	3,714	18
6.	हिमाचल प्रदेश	66,439	-
7.	झारखण्ड	1,22,712	697
8.	कर्नाटक	2,53,566	-
9.	केरल	1,04,338	314
10.	मध्य प्रदेश	2,06,904	36,929
11.	महाराष्ट्र	32,775	262
12.	मणिपुर	2,124	-
13.	मेघालय	6,644	-
14.	ओडिशा	8,740	-
15.	पंजाब	8,748	30
16.	राजस्थान	1,23,796	1,148
17.	तमिलनाडु	1,08,656	1,056
	योग	13,59,816	46,893

अनुबंध-12च
निर्माण कार्य संस्थीकृतियों में कार्य के नाम नहीं दिये गये
(पैराग्राफ 12.4.2 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	अभिलेखों की संख्या	
		विना नाम के कार्य	विना वर्क कोड के
1.	असम	22,770	-
2.	बिहार	4,34,342	272
3.	गोवा	2,821	0
4.	गुजरात	2,98,336	137
5.	हरियाणा	38,664	1
6.	हिमाचल प्रदेश	95,425	7
7.	झारखण्ड	1,63,694	47
8.	कर्नाटक	9,62,791	-
9.	केरल	3,00,706	1,071
10.	मध्य प्रदेश	14,00,673	18,648
11.	महाराष्ट्र	3,64,548	168
12.	मणिपुर	11,164	6
13.	मेघालय	31,690	-
14.	नागालैंड	31,734	1
15.	ओडिशा	6,724	-
16.	पंजाब	18,521	1
17.	राजस्थान	2,22,314	1
18.	तमिलनाडु	1,99,565	1
	योग	46,06,482	20,361

अनुबंध-12छ
गलत मजदूरी गणना
(पैराग्राफ 12.4.3 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	अभिलेख
1.	असम	12,031
2.	बिहार	4,967
3.	गुजरात	14,209
4.	हरियाणा	1,560
5.	हिमाचल प्रदेश	99,481
6.	झारखण्ड	2,74,045
7.	कर्नाटक	5,765
8.	केरल	41,614
9.	मध्य प्रदेश	34,16,879
10.	महाराष्ट्र	5,39,309
11.	मणिपुर	304
12.	मेघालय	28,651
13.	नागालैंड	90,940
14.	ओडिशा	58,610
15.	पंजाब	1,787
16.	राजस्थान	48,03,463
17.	तमिलनाडु	10,610
18.	उत्तर प्रदेश	52,374
	योग	94,56,599

अनुबंध-12ज
क्रय की गई सामग्री में गलत बिल राशि की गणना
(पैराग्राफ 12.4.3 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	अभिलेखों की संख्या
1.	बिहार	52
2.	गोवा	41
3.	गुजरात	2,013
4.	हिमाचल प्रदेश	188
5.	झारखण्ड	38,909
6.	कर्नाटक	3,562
7.	ओडिशा	645
8.	उत्तर प्रदेश	68,313
योग		1,13,723

अनुबंध-12झ
**राज्य, जिला, ब्लाक अथवा पंचायत लेखों में प्रारम्भिक शेष/अंतिम शेष आंकड़ों की
गलत गणना के उदाहरण**
(पैराग्राफ 12.4.3 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	अभिलेखों की संख्या
1.	असम	1,37,729
2.	बिहार	6,836
3.	गोवा	1,909
4.	गुजरात	29,762
5.	हिमाचल प्रदेश	2,57,124
6.	झारखण्ड	13,685
7.	मणिपुर	3,014
8.	महाराष्ट्र	65,631
9.	मेघालय	85,052
10.	पंजाब	60,751
11.	राजस्थान	4,83,040
12.	उत्तर प्रदेश	7,66,569
योग		19,11,102

अनुबंध-13 राज्य विशिष्टताएं

आन्ध्र प्रदेश

➤ पृष्ठभूमि

राज्य में 23 जिले हैं, जिसमें से मनरेगा के अंतर्गत केवल 22 जिले आवृत्त हैं। पहले चरण में, अर्थात्, 2 फरवरी 2006 से मनरेगा के अंतर्गत 13 जिले आवृत्त किए गए। बाद में, 1 अप्रैल 2007 से छः जिले तथा शेष तीन 1 अप्रैल 2008 से आवृत्त किए गए थे। 2007-12 की अवधि के दौरान, मनरेगा के अंतर्गत राज्य को ₹ 17267.14 करोड़ जारी किए गए थे। नीचे दी गई तालिका 2007-12 के दौरान राज्य में कुछ प्रमुख क्रियान्वयन मापदंडों को दर्शाता है:

जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता	संचयी व्यय (रुकरोड़ में)	पंजीकृत परिवारों की संख्या	सृजित संचयी श्रमदिवस (लाख में)
8,46,65,533	5,63,11,788	66.51	18,506.08	1,24,00,996	14,604.34

शुरू किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की प्रतिशतता	शेष सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	संचालित सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	पूर्ण किए गए सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रतिशतता
1,30,07,471	17,64,042	13.56	10,850	4,779	44

➤ नियोजन

- राज्य रोजगार गारंटी परिषद (रा.रो.गा.प.) वास्तव में कार्यात्मक नहीं था।
- लेनदेन की बड़ी मात्रा और भिन्न गतिविधियों की समसबद्ध प्रकृति को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए, ब्लॉक एवं ग्रा.पं. स्तर पर विभिन्न संवर्गों में काफी रिक्तियां थीं।
- मनरेगा के विषय में सूचना, शिक्षा एवं प्रसार हेतु राज्य सरकार द्वारा आरंभ की गई गतिविधियों तथा प्रशिक्षण मॉड्यूल /सामग्री काफी हद तक पर्याप्त थे।

➤ रोजगार सृजन व मजदूरी

- परिवारों को ठीक ढंग से एकल परिवारों में अलग नहीं किया गया था, अतः प्रति परिवार के 100 दिनों के रोजगार के उनके सांविधिक वार्षिक अधिकरों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।
- जॉब कार्डों के महत्वपूर्ण अनुपात में तस्वीरें नहीं चिपकी थीं।
- मस्टर रोल प्रविष्टियों में अतिव्याप्ति के उदाहरण थे अर्थात् एक ही मजूदर को एक ही तिथि पर अलग निर्माण कार्यों हेतु दो मस्टर रोलों पर दिखाया गया था।

➤ निर्माण कार्य व संपत्ति सृजन

- 80 से लेकर 100 तक, ग्रा.पं. में बड़ी संख्या में कार्य-प्रगति पर थे। इन निर्माण कार्यों में अधिकांश में निरंतरता के बिना, रोजगार के श्रमदिवसों की काफी कमी थी।

➤ वित्तीय प्रबंधन

- अगस्त 2011 में ₹ 34.82 लाख की बेमेल राशि का गैर-संसाधन एवं बैंक खातों का अनियमित रूप से खोलना पाया गया।
- 31 मार्च 2011 तक, विभिन्न अभिकरणों को ₹ 262.32 करोड़ की उन्नत राशि समायोजन हेतु लंबित थी। राज्य निधि हेतु लंबित थी। राज्य निधि हेतु लेखारीक्षक की रिपोर्टों में दर्शाए गए अग्रिमों में जिला/ब्लॉक स्तर पर बकाया अग्रिम सम्मिलित नहीं थे।
- रंगारेड्डी जिले में, ₹ 2.54 लाख (जुलाई 2009) का प्रारंभिक शेष ₹ 2.00 करोड़ से अधिक (जून 2010) एवं ₹ 4.00 करोड़ (मार्च 2012) तक वर्धित हुआ था। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कई करोड़ रूपयों की पर्याप्त राशि व्यापार सहसंबंधी के पास रखी गई थी, बैंक/व्यापार कोरेस्पॉन्डेन्ट को अनुचित लाभ दर्शाता है।
- मंत्रालय द्वारा जारी की गई निधियों को राज्य के अनुपातिक हिस्से को जारी करने में कमियां और विलंब दोनों थे।

➤ मॉनीटरिंग और मूल्यांकन

- राज्य ने शिकायत/याचिका को दर्ज कराने तथा उस पर कार्रवाई हेतु एक औपचारिक प्रणाली की शुरूआत की, किन्तु शिकायत निवारण की स्थिति को मॉ.सू.प्र. की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया था।

➤ अन्य

- नमूना परीक्षित ग्रा.पं. में, परिचालन दिशानिर्देशों में परिकल्पित रजिस्टरों का अनुरक्षण नहीं किया जा रहा था।

अरुणाचल प्रदेश

➤ पृष्ठभूमि

राज्य में 16 जिले हैं। मनरेगा के प्रथम चरण, अर्थात् 2 फरवरी 2006 से, में एक जिले को शामिल किया गया था। तदनुपरांत, 2 जिलों को 1 अप्रैल 2007 से आगे शामिल किया गया था एवं शेष 13 को 1 अप्रैल 2008 से। 2007-12 की अवधि के लिए राज्य को मनरेगा के तहत ₹ 172.07 करोड़ जारी किया गया था। नीचे की तालिका 2007-12 के दौरान राज्य में प्रमुख क्रियान्वयन मापदण्डों में से कुछ को दर्शाती हैं:

जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता	संचयी व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत परिवारों की संख्या	सृजित संचयी श्रमदिवस (लाख में)
13,82,611	10,69,165	77.32	181.40	1,78,220	147.79

शुरू किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की प्रतिशतता	शेष सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	संचालित सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	पूर्ण किए गए सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रतिशतता
11,576	4,933	42.60	--	--	--

➤ नियोजन

- 3350 पं.रा.सं. पदाधिकारियों के लक्ष्य के समक्ष केवल 2239 (66.84 प्रतिशत) को प्रशिक्षण दिया गया था। सतर्कता एवं हितधारकों की मॉनीटरिंग के प्रशिक्षण का लक्ष्य 1777 था जिसके प्रति उपलब्धि 419(23.58 प्रतिशत) थी।

➤ रोजगार सृजन एवं मजदूरी

- औसत वाषिक रोजगार सृजन 15 से 18 श्रम दिवस थे तथा 100 दिनों का रोजगार प्रदान किये गये परिवारों का प्रतिशत 0.04 से 18.18 था।

➤ निर्माण तथा संपत्ति सृजन

- ₹ 6.21 लाख की लागत वाले दो निर्माणों को जिल्हे पहले ही पूरा कर लिया गया था, फिर से ₹ 21.79 लाख के लिए संचालित किया गया और 7.49 लाख की लागत पर किये गये आठ सड़क निर्माण, संदिग्ध स्थायित्व वाले थे।
- 55 गैर-अनुमेय निर्माणों पर ₹ 2.96 करोड़ का व्यय किया गया था।
- ₹ 2.18 करोड़ राशि के 14 निर्माण किसी प्रशासनिक अनुमोदन अथवा तकनीकी संस्थाकृति के बगैर किये गये थे।

➤ मॉनीटरिंग एंव मूल्यांकन

- मनरेगा के तहत भौ.सू.प्र. एवं भौ.सू.प.सं.प्रौ. उपकरणों को भौ.सू.प्र. को विकेन्द्रित नियोजन, श्रम बजट बनाने, कार्यक्रम क्रियान्वयन संपत्ति मॉनीटरिंग, तथा मूल्यांकन के साथ संबद्ध करने हेतु राज्य द्वारा प्रयुक्त नहीं हुए थे।
- निर्माणों के रिपोर्टों का प्रत्यक्ष सत्यापन (जिला स्तर पर 10 प्रतिशत एवं राज्य स्तर पर दो प्रतिशत) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध /शुरू नहीं किये गये थे।
- मंत्रालय ने राज्य के गुणवत्ता मॉनीटरों हेतु प्रयोग के लिए संदर्भ के विस्तृत इंगित शर्तों को बनाया था, परन्तु राज्य सरकार ने राज्य गुणवत्ता मॉनीटरों तथा जिला गुणवत्ता मॉनीटरों को जिला स्तर पर नियुक्त नहीं किया था।

असम

➤ पृष्ठभूमि

राज्य में 27 जिले हैं। मनरेगा के तहत प्रथम चरण, अर्थात् 2 फरवरी 2006 से सात जिले, 6 जिले 1 अप्रैल 2007 के आगे से और शेष 14 जिले 1 अप्रैल 2008 से शामिल किये गये थे। 2007-12 की अवधि के लिए, मनरेगा के तहत ₹ 3295.50 करोड़ राज्य को जारी किया गया था। नीचे की तालिका राज्य में 2007-12 के दौरान प्रमुख कार्यान्वयन मानदण्डों में से कुछ को दर्शाया गया है:

जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता	संचयी व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत परिवारों की संख्या	सृजित संचयी श्रमदिवस (लाख में)
3,11,69,272	2,67,80,516	85.92	4,060.40	39,20,558	1895.55

शुरू किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की प्रतिशतता	शेष सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	संचालित सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	पूर्ण किए गए सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रतिशतता
1,15,691	65,945	57.00	15,870 (2007-08 व 2008-09 उपलब्ध नहीं कराया गया)	14,391 (2007-08 उपलब्ध नहीं कराया गया)	-

➤ नियोजन

- जागरूकता उत्पन्न करने के लिए सूचना, शिक्षा तथा संचार गतिविधियां पर्याप्त नहीं थीं और लाभार्थी अपनी हकदारियों से काफी हद तक अनजान थे।
- पूर्णकालिक कार्यक्रम अधिकारियों की नियुक्ति में कमियां देखी गयी थीं और ग्राम रोजगार सहायक/साथियों आदि के विलंगित /गैर-परिनियोजन के मामले भी पाये गये थे। अयोग्य कार्मिकों की मान्यता प्राप्त अभियंताओं को परिनियोजन और बाद में उनकी छठनी ₹ 45.42 लाख के निष्पल व्यय में परिणित हुआ।
- समुचित तकनकी सहायता के माध्यम से योजना की गणवत्ता एवं लागत प्रभावकारिता के उन्नयन का उद्देश्य काफी हद तक प्राप्त होने से रह गया यद्यपि राज्य सरकार द्वारा ₹ 32.70 लाख खर्च किया गया था।

- वार्षिक योजना एवं जिला परिप्रेक्ष्य योजना (जि.प.यो.) तैयार करने में भी त्रुटियां थीं। जिलों द्वारा ₹ 59.32 लाख की राशि जि.प.यो. बनाने के लिए खर्च की गयी थी। परन्तु यह रा.रो.गा.प. द्वारा अनुमोदित नहीं किये गये थे।

➤ रोजगार सृजन व मजदूरी

- 88.15 लाख परिवारों में से, जिन्होंने 2007 से 2012 के दौरान रोजगार की मांग की थी, केवल 3.54 लाख परिवारों को 100 दिनों का रोजगार दिया गया था।
- जॉब कार्ड जारी करने में अनियमितताएं थीं, यथा: अज्ञात व्यक्तियों को जॉब कार्ड प्रदान करना, पं.रा.सं. सदस्य तथा ग्राम रोजगार सहायक, जॉब कार्ड धारियों का बैंक/डाक घर खाते न खुलना तथा पंजीकरण सूची का अधितत न होना।
- चार जिलों में, जॉब कार्ड-धारियों के परिवारों की पारिवारिक तस्वीरें न तो जॉब कार्ड पर और न ही कार्य पंजी पर चिपकाई गयी थी। अन्य 15 ग्रा.पं. में 536 मामलों में जॉब कार्डों पर परिवार के मुखिया की तस्वीर भी नहीं लगायी गयी थी।
- आठ जिलों में, बेरोजगारी भत्ते की योग्यता तथा परिणाम, आवेदनों के विवरणों एवं अन्य अभिलेखों के अभाव में सत्यापनीय नहीं थी। दो जिलों में 37229 जॉब कार्ड-धारियों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जा रहा था। दो जिलों में मजदूरी के विलंबित भुगतान के 6263 मामले भी थे जिसके लिए ₹ 93.95 लाख के बकाया मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया था।

➤ निर्माण एवं संपत्ति सृजन

- नौ प्रखंडों में, योजना एवं नरेगा निर्माण स्थल नियमावली से परे ₹ 2.15 करोड़ को निर्माण किये गये थे।
- लागत के अनुसार न्यूनतम 50 प्रतिशत निर्माणों के ग्राम पंचायतों के माध्यम से निष्पादन के मानदंड को दो जिलों में पूरा नहीं किया गया जो अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों को ₹ 1.82 करोड़ के अतिरिक्त अनुमोदन में परिणत हुआ।
- सामग्री की अधिप्राप्ति से संबंधित सा.वि.नि. की व्यवस्था का 25 ग्रा.पं. में पालन नीहं किया गया था और स्. 6.65 करोड़ की राशि की अधिप्राप्ति बिना किसी स्थल लेखा के अनुरक्षण के की गयी थी। ₹ 43.28 करोड़ मूल्य की सामग्री 11 ग्रा.पं. एवं दो प्रखंडों में निर्माण स्थल पर लेखाबद्ध नहीं की गयी थी।
- 15 मिट्टी की /कच्ची सड़कें ₹ 1.22 करोड़ के व्यय पर 2008-09 से 2010-11 की अवधि के दौरान एक जिले के दो प्रखंडों में बनायी गयी थी जो योजना के अंतर्गत अनुमेय नहीं था।
- एक जिले और सात ग्रा.पं. में 2007-08 से लेकर 2011-12 तक शुरू किये गये 42 निर्माण कार्य की 3.78 करोड़ खर्च करने के बाद अपर्याप्त तकनीकी सुविधाओं, भूमि विवाद, सार्वजनिक बाधा एवं बाढ़ के कारण परिव्यक्त छोड़ दिये गये थे।

- एक प्रखंड में 21.00 लाख व्यय करने के बाद 12 वृक्षारोपण कार्य उपलब्ध नहीं पाये गये थे।

➤ वित्तीय प्रबंधन

- मार्च 2007 तक सं.ग्रा.रो.यो. के अंतर्गत ₹ 31.07 लाख का अप्रयुक्त शेष का दो जिलों में मनरेगास में निधियों के हस्तांतरण से बचने के लिए अनियमित रूप से उपयोग किया गया था।
- केन्द्र एवं राज्य दोनों के हिस्से का गैर/कम निर्गम हुआ था। कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा अनियमित प्रशासनिक व्ययों, संदेहास्पद व्ययों, निधियों के कम उपयोग के मामले और डाक घर खातों के गैर-मिलान के मामले देखे गये थे।

➤ मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन

- राज्य सरकार ने निर्माणों की गुणवत्ता के निरीक्षण हेतु राज्य गुणवत्ता मॉनीटरों को निर्दिष्ट नहीं किया था। राज्य, जिला तथा प्रखंड स्तरों पर निर्माण/सर्तकता के निरीक्षण की स्थिति भी निम्न स्तर की थी जो एक जिले में का.अ. के स्तर पर ₹ 4.88 लाख की मजदूरी के जाली भुगतान में पराणित हुआ।
- सामाजिक लेखापरीक्षा के संचालन में कमियां थीं हालांकि अधिकांश मामलों में, सामाजिक लेखापरीक्षा संचालित करने के लिए एक वर्ष में ग्राम सभी की दो बैठकें बुलायी गयी थीं। राज्य सरकार ने न ता सामाजिक लेखापरीक्षा निदेशालय का गठन किया था न ही निदेशक और आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति ही की थी।
- रा.रो.गा.प. ने न ता किसी दिशानिर्देश का रूपायन किया था न ही मूल्यांकन अध्ययन हेतु किसी मूल्यांकन प्रणाली विकसित की।

बिहार

➤ पृष्ठभूमि

राज्य में 38 जिले हैं जिसमें से 23 जिले मनरेगा के तहत प्रथम चरण में अर्थात् 2 फरवरी 2006 से तथा शेष 15 जिले 1 अप्रैल 2007 के बाद से शामिल किये गये थे। 2007-12 की अवधि के लिए, ₹ 6292.44 करोड़ मनरेगा के अंतर्गत राज्य का जारी किया गया था। नीचे की तालिका 2007-12 के दौरान राज्य में प्रमुख कार्यान्वयन मापदण्डों में से कुछ को दर्शाता है:

जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता	संचयी व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत परिवारों की संख्या	सृजित संचयी श्रमदिवस (₹ करोड़ में)
10,38,04,637	9,20,75,028	88.70	8,110.84	1,33,81,535 *	52.97

*जॉब कार्ड धारक

शुरू किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की प्रतिशतता	शेष सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	संचालित सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	पूर्ण किए गए सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रतिशतता
7,44,309	3,05,783	41.08	84,630	71,467 (को छोड़कर 2007-08)	-

➤ नियोजन

- वार्षिक योजना विलंब के साथ और श्रम आकलनों के बगैर बनायी गयी थी। जिला परिप्रेक्ष्य योजना नहीं बनायी गयी थी। छ: जिलों में, ₹ 3.76 करोड़ के व्यय को शामिल करते हुए 144 निर्माण कार्यों का निष्पादन वार्षिक योजना के परे किया गया था।
- श्रम बजट को यथार्थवादी तरीके से नहीं बनाया गया था क्योंकि श्रम दिवसों के सुजन में गिरावट (27 से 98 प्रतिशत) देखी गयी थी।

➤ रोजगार सृजन व मजदूरी

- 1997 लाभार्थियों के जॉब-कार्ड सत्यापन के दौरान, 20 प्रतिशत जॉब कार्ड में तस्वीरें नहीं चिपकायी गयी थीं और 26 प्रतिशत मामलों में जॉब कार्ड में प्रविष्ट मजदूरी के भुगतान उनके खातों में जमा राशि के साथ मेल नहीं खा रहे थे।
- मजदूरी के विलंबित और गैर-भुगतान के अनेक मामलों में श्रमिकों को कोई क्षति-पूर्ति नहीं की गयी थी। मांग के अनुसार रोजगार प्रदान नहीं किये जाने के भी मामले थे। अधिकतर मामलों में रोजगार मांगने वालों के मौखिक अनुरोध पर रोजगार प्रदान किये गये थे और रोजगार की मांग के आवदनों को लेखित नहीं किया गया था।

- बकाया मजदूरी तथा लंबित सामग्री बिलों के कारण ₹ 79.54 करोड़ की देनदारियां देखी गयी और मजदूरी के भुगतान में विलम्ब एक से चार वर्षों तक फैल हुए थे।
- प्रति परिवार औसत मजदूरी जिलों में ₹ 513 से ₹ 5407 वार्षिक रूप से थी तथा वार्षिक रूप से राज्य मजदूरी औसत 2007-12 के दौरान ₹ 1717 से ₹ 3788 थे जो राष्ट्रीय मजदूरी औसत की तुलना में कम थे।
- राज्य सरकार के साथ ही कार्यान्वय अभिकरणों को डाक घरों के माध्यम से मजदूरी के भुगतान में समस्याओं का सामना करना पड़ा जिससे मजदूरी के भुगतान में विलम्ब हुआ।

➤ निर्माण एवं परिसम्पत्ति सृजन

- ₹ 21.48 करोड़ के अनुदान की अव्ययित राशि एवं सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना/राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम के ₹ 77.36 करोड़ की राशि के अनाज की अप्रयुक्त मात्रा की लागत मनरेगस खातों में हस्तांतरित नहीं किये गये थे। 1127 अपूर्ण निर्माण कार्यों के सफलतापूर्वक समापन हेतु कदम नहीं उठाये गये थे।
- अधिकतर मामलों में, निम्न प्राथमिकता निर्माण कार्यों जैसा कि (अधिनियम के अनुसूची 1 में निर्दिष्ट है), को उच्च प्राथमिकता दी गयी थी और ₹ 2.11 करोड़ राशि के गैर-अनुमेय निर्माण कार्यों का निष्पादन किय गया था।

➤ वित्तीय प्रबंधन

- प्रशासनिक व्यय अनुमेय सीमाओं की अधिकता में था।
- राज्य सरकार उपलब्ध अनुदानों को पूरी तरह से उपयोग करने में असफल रही और 2007-12 के दौरान 26 से 40 प्रतिशत तक का अव्ययित शेष पाया गया था।

➤ मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन

- राज्य एवं जिला स्तरों पर मॉनीटरिंग प्रणाली प्रभावशाली नहीं थी। राज्य एवं जिला स्तरों पर गुणवत्ता मॉनीटरों की नियुक्ति नहीं की गयी थी।

➤ अन्य

- समुचित देखभाल के अभाव में तथा स्थल के गलत चुनाव के कारण ₹ 3.12 करोड़ का व्यय कर किया गया वृक्षारोपण (1.76 लाख पौधे) सफल नहीं हुआ।
- सरकार को सूचित डाटा (व्यय/श्रम दिवस) तथा मॉनीटरिंग एवं सूचना प्रणाली (मा.सू.प्र.) में की गयी प्रविष्टियों में बड़ी भिन्नताएं थीं।

छत्तीसगढ़

➤ पृष्ठभूमि

राज्य में 18 जिले हैं। 11 जिले मनरेगा के तहत प्रथम चरण में अर्थात्, 2 फरवरी 2006 के बाद से और शेष तीन 1 अप्रैल 2008 से जोड़े गये थे। 2007-12 की अवधि के लिए, मनरेगा के अंतर्गत ₹ 6959.36 करोड़ राज्य को जारी किया गया था। नीचे की तालिका राज्य में 2007-12 के दौरान कुछ प्रमुख कार्यान्वयन मापदण्डों को दर्शाता है:

जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता	संचयी व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत परिवारों की संख्या	सूजित संचयी श्रमदिवस (लाख में)
2,55,40,196	1,96,03,658	76.75	7,839.05	41,20,054	4,595.28

शुरू किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की प्रतिशतता	शेष सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	संचालित सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	पूर्ण किए गए सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रतिशतता
6,09,942	3,35,524	55.00	79,360	30,042	37.85

➤ नियोजन

- 2007-08 से 2011-12 की अवधि के लिए जिला परिप्रेक्ष्य योजना नमूना परीक्षित जिलों में नहीं बनायी गयी थी।

➤ रोजगार सृजन एवं मजदूरी

- एक जिले में, लाभार्थियों को बैंक/डाक घर पास बुक, बैंक/डाक घर में खाता होने के बावजूद जारी नहीं किये गये थे।
- 10 ग्रा.पं. में, 10041 परिवारों को 15 दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया था तथा उन्हें बेरोजगारी भत्ता भी नहीं दिया गया था।
- जशपुर जिले में, 100 दिनों से अधिक का रोजगार प्रदान किया गया था और मजदूरी का भुगतान मजदूरी रसीदों के साथ छेड़-छाड़ कर किया गया था।
- 14 चयनित प्रखंडों में से आठ में, ₹ 9.58 करोड़ 1 से 376 दिनों के विलम्ब के साथ गयी थी।
- ₹ 69.90 करोड़ रराशि के चैक श्रमिकों को बैंको/डाक घरों की वजाय सीधे भुगतान करने के लिए अनियमित रूप से सरपंच को जारी किये गये थे।

➤ निर्माण एवं सम्पत्ति सृजन

- ₹ 1.69 करोड़ एवं 0.31 करोड़ के गैर-अनुमेय निर्माण-कार्य (चारदीवारी का निर्माण) दो जिलों में किये गये थे।
- मौजूदा कर्मचारियों से काम कराने के बजाय ₹ 4.18 करोड़ ठेकेदारों को मा.सू.प्र. प्रविष्टि हेतु अनुबंध आधार पर दिया गया था।
- दो जिलों में, कुल ₹ 902.37 के 29636 निर्माण कार्य अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों के पास अधूरे पड़े थे।
- बस्तर जिले में, ₹ 4.30 करोड़ राशि के समापन प्रमाण-पत्र 154 अधूरे निर्माण कार्यों के लिए जारी किये गये थे।

➤ मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन

- अन्य अभिकरणों द्वारा किये गये निर्माण कार्यों पर सामाजिक लेखापरीक्षा में चर्चा नहीं की गयी थी।

गोवा

➤ पृष्ठभूमि

राज्य में दो जिले हैं। दोनों जिले 1 अप्रैल 2008 से शामिल किये गये थे। 2007-12 की अवधि के लिए ₹ 15.20 करोड़ राज्य को मनरेगस के अंतर्गत जारी किया गया था। नीचे तालिका 2007-12 के दौरान के कुछ प्रमुख कार्यान्वयन मापदण्डों को दर्शाती है:

जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता	संचयी व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत परिवारों की संख्या	सृजित संचयी श्रमदिवस (लाख में)
14,57,723	5,51,414	37.83	26.31	4,437	8.62

शुरू किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की प्रतिशतता	शेष सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	संचालित सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	पूर्ण किए गए सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रतिशतता
3,003	1,296	43.16	1,134	709	62.52

➤ नियोजन

- राज्य रोजगार गारंटी परिषद (रा.रो.गा.प.) की बैठकें बहुत कम अवसरों पर हुई और रा.रो.गा.प. को लगभग गैर-कार्यात्मक कर दिया था।
- योजना का कार्यान्वयन राज्य में 2008-09 में हुआ था, लेकिन वार्षिक योजना तथा परियोजना शेल्फ किसी भी वर्ष के लिए तैयार नहीं किया गया था।

➤ निर्माण एवं संपत्ति सृजन

- ₹1.60 करोड़ की राशि के 146 गैर-अनुमेय निर्माण (कच्ची सड़कों को शामिल करते हुए 14 ग्राम पंचायतों में किये गये थे।
- योजना के अंतर्गत 14 चयनित ग्राम पंचायतों में अधिकतर-निर्माण-कार्यों में मजदूरी-सामग्री अनुपात का पाल नहीं किया गया था।
- ₹ 11.44 लाख मूल्य की संपत्ति कुछ पंचायतों में निजी व्यक्तियों को लाभ देने के लिए सृजित की गयी थी।

➤ वित्तीय प्रबंधन

- श्रम बजट निर्धारित प्रारूप के अनुसार नहीं था और आंकड़े मा.सू.प्र. में अपलोड किये गये मासिक प्रगति रिपोर्ट के साथ मेल नहीं खा रहे थे।

➤ मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन

- परनेम प्रखंड में स्थानीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति की कार्यशीलता संदिग्ध थी। जन जागरूकता की कमी, निरंतर जन सतर्कता एवं योजना के कार्यान्वयन का सामाजिक लेखापरीक्षा के माध्यम से कम मॉनीटरिंग के मामले थे।

ગુજરાત

➤ પૃષ્ઠભૂમિ

રાજ્ય મેં 26 જિલે થે। છે: જિલે મનરેગસ કે તહુત પ્રથમ ચરણ, અર્થાત 2 ફરવરી 2006 સે, તીન જિલે 1 અપ્રૈલ 2007 કે બાદ સે ઔર શેષ 17 જિલે 1 અપ્રૈલ 2008 સે શામિલ કિયે ગયે થે। 2007-12 કી અવધિ કે લિએ ₹ 2219.80 કરોડ રાજ્ય કો મનરેગસ કે તહુત જારી કિયે ગયે થે। નીચે કી તાલિકા 2007-12 કે દૌરાન કે કુછ પ્રમુખ કાર્યાન્વયન માપદંડોં કો દર્શાતી હૈ:

જનસંખ્યા	ગ્રામીણ જનસંખ્યા (2011 કી જનગણના કે અનુસાર)	ગ્રામીણ જનસંખ્યા કી પ્રતિશત્તમાં	સંચયી વ્યય (₹ કરોડ મેં)	પંજીકૃત પરિવારોં કી સંખ્યા	સૃજિત સંચયી શ્રમદિવસ (લાખ મેં)
6,03,83,628	3,46,70,817	57.41	2,105.17	40,76,332	1,691.15

શુરુ કિએ ગાએ નિર્માણ કાર્યો કી સંખ્યા	પૂર્ણ કિએ ગાએ નિર્માણ કાર્યો કી સંખ્યા	પૂર્ણ કિએ ગાએ નિર્માણ કાર્યો કી પ્રતિશત્તમાં	શેષ સામાજિક લેખાપરીક્ષા કી સંખ્યા	સંચાલિત સામાજિક લેખાપરીક્ષા કી સંખ્યા	પૂર્ણ કિએ ગાએ સામાજિક લેખાપરીક્ષા કી પ્રતિશત્તમાં
6,38,692	3,81,021	59.65	57,128	70,379	100

➤ નિયોજન

- રાજ્ય રોજગાર ગારંટી પરિષદ કે ગરુન મેં તીન વર્ષોં કા વિલમ્બ થા।
- જિલોં ને વાર્ષિક યોજના એવં પરિયોજના શેલ્ફોં કો તૈયાર નહીં કિયા થા।
- ચરણ II એવં III મેં, જિલે જિન્હેં 2008-12 કી અવધિ હેતુ જિલા પરિયોજના બનાને કે લિએ નિધિયાં દી ગયી થોં, ઉન્હોને ઇસે નહીં બનાયા થા।

➤ રોજગાર સૃજન એવં મજદૂરી

- શ્રમ બજટ મેં અનુમાનિત રોજગાર કી ઉપલબ્ધિ મેં 18 તથા 47 પ્રતિશત કે બીચ ગિરાવટ થી।
- સાત પ્રખંડો મેં 201 કાલ્પનિક શ્રમિકોં કો ભુગતાન કે મામલે પાયે ગયે થે।
- મસ્ટર રોલોં કા ગલત અનુરક્ષણ કિયા ગયા થા। મસ્ટર રોલોં પર શ્રમિકોં કે હરસ્તાક્ષર નહીં થે।
- દાહોદ તાલુકે મેં ₹ 3.59 કરોડ કા સંદિગ્ધ દુર્વિનિયોજન થા। મસ્ટર રોલ પર મજદૂરી ભુગતાન કિયા ગયા જો ઉસ તાલુકે મેં જારી નહીં કિયે ગયે થે।
- યોજના કે અંતર્ગત પરિવારોં કે પંજીકરણ દર્શાને વાલે ડાટા અસંગતિ થી। કાર્યક્રમ અધિકારી કે પાસ પંજીકરણ હેતુ આવેદનોં કે ભૌતિક અભિલેખ નહીં થે। ઑનલાઇન ડાટા ગલત થા ક્યોંકિ દિખાયેગ ગયે ઑનલાઇન જોંબ કાર્ડ મૌજૂદ નહીં થે।

- दुहरे जॉब कार्ड संख्याओं और दुहरे खाता संख्याओं के मामले पांच जिलों में थे।
- रोजगार की मांग और प्रदान किये गये रोजगार का कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था। जॉब कार्डों पर कोई प्रविष्टि नहीं की गयी थी।
- मजदूरी के भुगतान में 1 दिन से लेकर 685 दिनों के विलम्ब थे और विलम्ब थे और विलम्ब के लिए कोई क्षतिपूर्ति नहीं की गयी थी।

➤ निर्माण कार्य एवं सम्पत्ति सृजन

- अहमदाबाद जिले में भूमिगत जलनिकासी, जिसमें मनरेगस श्रमिक संलग्न नहीं थे, के लिए ₹ 90 लाख का व्यय हुआ था।
- ₹ 101.25 करोड़ का व्यय 2,64,652 बोरी बांधों, मानसून के दौरान पानी के भण्डारण के लिए कीचड़ और बालू की एक सरंचना के निर्माण तथा जलस्तर को ऊर उठाने के लिए इसका भूमिगत रिसाव का व्यवस्था पर हुआ जो टिकाऊ नहीं था।
- ₹ 5.25 करोड़ की लागत पर संस्वीकृत दाहोद जिले में 392 कुएं अपूर्ण थे।
- योजना के अंतर्गत सृजित सम्पत्तियों के अनुरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी। अहमदाबाद में, ₹ 3.38 लाख की लागत पर किया गया जिला वृक्षारोपण कार्य गैर-अनुरक्षण के कारण सफल नहीं हुआ।

➤ वित्तीय प्रबंधन

- वित्तीय प्रबंधन प्रणाली निपुण नहीं थी और रिपोर्ट असंगत थे।
- दाहोद जिले के दो तालुकों में ₹ 6.07 करोड़ का व्यय हुआ था जो लेखाबद्ध नहीं था।

➤ मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन

- शिकायत निवारण तंत्र निपुण नहीं था क्योंकि शिकायतों के निपटान से संबंधित कोई रिपोर्ट नहीं था।
- राज्य सरकार के पास उपलब्ध मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन सांख्यिकी आंकड़ों को जिलों एवं तालुकों के मौलिक अभिलेखों से पुष्ट नहीं किया गया था।

हरियाणा

➤ पृष्ठभूमि

राज्य में 21 जिले थे। दो जिलों को मनरेगा के तहत प्रथम चरण अर्थात्, 2 फरवरी 2006 से शामिल किया गया था। तदुपरांत दो जिले 1 अप्रैल 2007 के बाद से और शेष 17 को 1 अप्रैल 2008 से शामिल किया गया था। 2007-12 की अवधि के लिए, ₹ 715.10 करोड़ राज्य को मनरेगा के अंतर्गत जारी किया गया था। नीचे की तालिका 2007-12 के दौरान राज्य में कुछ प्रमुख कार्यान्वयन मापदण्डों को दर्शाती है:

जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता	संचयी व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत परिवारों की संख्या	सृजित संचयी श्रमदिवस (लाख में)
2,53,53,081	1,65,31,493	65.20	837.38	4,85,817 *	7,002.60

*जॉब कार्ड जारी किये गये परिवार

शुरू किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की प्रतिशतता	शेष सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	संचालित सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	पूर्ण किए गए सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रतिशतता
46,779	26,818	57.32	24,160	उ.न.	उ.न.

➤ रोजगार सृजन एवं मजदूरी

- छ: ग्रा.पं. द्वारा काम की मांग के लिए आवेदनों की दिनांकित रसीद जारी नहीं की गयी थी।
- मजदूरी के भुगतान में 8 से 331 दिनों के विलम्ब देखे गये थे।
- मस्टर रोलों को काट कर, दुबारा लिखकर, मिटाकर, आदि के द्वारा छेड़-छाड़ के इककीस मामले देखे गये थे।

➤ निर्माण कार्य एवं सम्पत्ति सृजन

- सभी मौसमों में उपयोग न की जा सकने वाली मिट्टी की सड़कें ₹ 1.06 करोड़ की लागत पर बनायी गयी थीं।
- योजना के अंतर्गत ₹ 55.90 लाख की लागत पर तालाबों की खुदाई पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित किये गये थे।

➤ वित्तीय प्रबंधन

- अव्ययित सं.ग्रा.रो.यो. निधियों को मनरेगस खाता में हस्तांतरित नहीं किया गया था।
- जनवरी 2009 से मार्च 2010 में राज्य के हिस्से का ₹ 10.06 करोड़ से कम निर्गम किया गया था।
- सम्पत्तियों के अनुरक्षण हेतु कोई धनराशि खर्च नहीं की गयी थीं।

➤ मॉनीटरिंग एवं मल्यांकन

- वन विभाग द्वारा किये गये ₹ 25.76 करोड़ राशि के निर्माण कार्य के मामले में सतर्कता जांच लम्बित थी।

हिमाचल प्रदेश

➤ पृष्ठभूमि

राज्य में 12 जिले हैं मनरेगा के अंतर्गत दो जिले प्रथम चरण में अर्थात् 2 फरवरी 2006 से शामिल किए गए थे। तदन्तर दो जिले 1 अप्रैल 2007 के बाद से तथा शेष आठ जिले 1 अप्रैल 2008 से कवर किए गए थे। मनरेगा के अंतर्गत राज्य को 2007-12 की अवधि के लिए ₹ 1880.34 करोड़ जारी किए गए थे। निम्न तालिका राज्य में 2007-12 के दौरान प्रमुख कार्यान्वयन मापदंडों में से कुछ का सारांश प्रस्तुत करती हैं

जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता	संचित व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत परिवारों की संख्या	सृजित संचयी श्रमदिवस (लाख में)
68,56,509	61,67,805	89.95	2,016.41	11,45,000 *	1,068.32

* परिवारों को जारी किए गए जॉब कार्ड

शुरू किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की प्रतिशतता	शेष सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	संचालित सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	पूर्ण किए गए सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रतिशतता
उ.न.	1,34,988	उ.न.	29,432	11005 (2007-08 हेतु आंकड़े उ.न.)	

➤ नियोजन

- राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य रोजगार गारंटी परिषद का गठन किया (जुलाई 2006)। स.रो.गा.प. ने अपेक्षित दस बैठकों के प्रति जनवरी 2009 में केवल एक बैठक की जिसने यह दर्शाया कि नियोजन प्रक्रिया, निर्माण कार्यों का निष्पादन, निर्माण कार्यों की शेल्फ की तैयारी, कार्य प्राथमिकताओं को सुनिश्चित करने में उपयुक्त जांच नहीं की गई थी।
- नमूना जांच किए गए जिलों में जिला परिप्रेक्ष्य योजना नहीं बनाई गई थी।

➤ रोजगार उत्पादन एवं मजदूरी

- मजदूरों को ₹ 1.10 करोड़ की मजदूरी 15 दिनों से 795 दिनों के विलम्ब से दी गई थी।
- 25 ग्रा.पं. में 876 मस्टर रोलों में विशिष्ट पहचान संख्या नहीं दी गई थी।

➤ निर्माणकार्य एवं परिसम्पत्ति सूजन

- नमूना जांच किए गए जिलों में, सम विभागों द्वारा 3859 निर्माणकार्यों के निष्पादन हेतु ₹ 97.27 करोड़ का व्यय किया था। यह पाया गया था कि ये निर्माण न तो संबंधित ग्रा.पं. कीपरियोजनाओं के वार्षिक शुल्क में थे और न ही ग्राम सभा की अनुशंसाओं पर थे।
- निर्माण कार्य प्राथमिकता सूची के अनुसार आरम्भ नहीं किए गए थे। ग्रामीण संयोजकता का निर्माण कार्य जो प्राथमिक सूची में सबसे नीचे था उसे उच्च प्राथमिकता दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण निर्माणकार्यों जैसे सूखा बचाव, वनरोपण तथा भू-संरक्षण का निष्पादन नहीं हुआ।

➤ वित्तीय प्रबंधन

- निधि प्रबंधन में वित्तीय रिसाव के जोखिम को कम करने तथा पारदर्शिता और यथार्थता के बढ़ाने के लिए लेखे का मासिक वर्गकरण किया जाना था। लेखाओं के मासिक वर्गकरण की प्रथा किसी भी स्तर पर यह सत्यापित करने के लिए, कि निर्मुक्त की गई धनराशि को तीन शीर्षों अर्थात् विभिन्न स्तरों पर बैंक खाते में रखी राशि, कार्यान्वयन या भुगतान एजेंसियों को आरम्भ तथा व्यय वाऊचर के अंतर्गत लेखाबद्ध किया गया था, लागू नहीं की गई थी।

जम्मू एवं कश्मीर

➤ पृष्ठभूमि

राज्य में 22 जिले हैं। मनरेगा के अंतर्गत तीन जिले प्रथम चरण अर्थात् 2 फरवरी 2006 से कवर किए गए थे। तदन्तर दो जिले 1 अप्रैल 2007 के बाद से तथा शेष 17 जिले 1 अप्रैल 2008 से कवर किए गए थे। मनरेगा के अंतर्गत राज्य को 2007-12 की अवधि के लिए ₹ 1446.04 करोड़ जारी किए गए थे। निम्न तालिका राज्य में 2007-12 के दौरान प्रमुख कार्यान्वयन पैरामीटरों में से कुछ का सारांश प्रस्तुत करती है।

जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता	संचित व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत परिवारों की संख्या	सूजित संचयी श्रमदिवस (लाख में)
1,25,48,926	91,34,820	72.79	1,501.58	10,05,904 *	851.15

* परिवारों को जारी किए गए जॉब कार्ड

शुरू किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की प्रतिशतता	शेष सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	संचालित सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	पूर्ण किए गए सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रतिशतता
1,98,627	1,30,449	65.67	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

➤ नियोजन

- योजना के कार्यान्वयन के प्रारंभिक वर्षों में जिला परिप्रेक्ष्य योजना नहीं बनाई गई थी तथा मंत्रालय को काफी विलम्ब से श्रम बजट प्रस्तुत किया गया था।
- योजना के अंतर्गत विभिन्न पदों के स्टाफ को कार्य पर लगाने में कुल मिलाकर 76 प्रतिशत (4225 कार्मिक) की कमी पाई गई थी। स्टाफ को प्रशिक्षण देने में कमी 28 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच थी। 785 अनुमोदित निर्माण कार्यों का निष्पादन किया गया था तथा वार्षिक योजना में शामिल ₹ 27.79 करोड़ राशि के 2950 निर्माण कार्यों को आरम्भ नहीं किया गया था।

➤ रोजगार उत्पादन एवं मजदूरी

- नमूना जांच किए गए 245 मामलों में मजदूरों को मजदूरी का भुगतान करने में 3 से 547 दिनों के बीच का विलम्ब था।
- परिवारों के पंजीकरण तथा रोजगार की मांग करने वालों से संबंधित अभिलेखे अनुरक्षित नहीं किए गए थे। नौ प्रतिशत परिवारों को न तो रोजगार उपलब्ध कराया गया और न ही उनको बेरोजगार भत्ता दिया गया था।

➤ निर्माण कार्य एवं परिसम्पत्तियों का सूजन

- कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किए गए कुल निर्माण कार्य का 78 प्रतिशत अधिनियम की अनुसूची-1 के अनुसार उच्च प्राथमिकता निर्माण कार्यों की श्रेणी में नहीं आता है। 484 निर्माण कार्यों पर ₹ 2.92 करोड़ खर्च करने के बाद उन्हें बीच में ही छोड़ दिया था।

➤ वित्तीय प्रबंधन

- अव्ययित शेष ₹ 7.07 करोड़ (अप्रैल 2007) से बढ़कर ₹ 127.66 करोड़ (मार्च 2012) हो गए थे। निधियों के अवरोधन, विलम्बित निर्गमन तथा विपथन के मामले पाए गए थे।
- यद्यपि राज्य रोजगार गारंटी निधि का गठन किया गया था, जैसाकि फरवरी 2012 तक नियत था, उसको काम में नहीं लाया गया था। निधि में ₹ 15.69 करोड़ का अवितरित शेष था जो मुख्यतः मजदूरी में अन्तर के बकाया को निरुपित करता है।

➤ मॉनीटरिंग एवं मल्यांकन

- पूछ जिले में, जिला गुणवत्ता प्रबोधक तथा ओमबड़समैन नियुक्त नहीं किए गए थे।

झारखण्ड

➤ पृष्ठभूमि

राज्य में 24 जिले हैं। मनरेगा के अंतर्गत बीस जिले प्रथम चरण अर्थात् 2 फरवरी 2006 से कवर किए गए थे। तदनन्तर दो जिले 1 अप्रैल 2007 के बाद से तथा शेष दो जिले 1 अप्रैल 2008 से आवृत किए गए थे। मनरेगा के अंतर्गत 2007-12 के दौरान ₹ 5,468.85 करोड़ राज्यों को दिए गए थे। मनरेगा के अंतर्गत राज्य को 2007-12 के दौरान प्रमुख कार्यान्वयन पैरामीटरों में से कुछ का सारांश प्रस्तुत करती है:

जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता	संचित व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत परिवारों की संख्या	सृजित संचयी श्रमदिवस (लाख में)
3,29,66,238	2,50,36,946	75.94	5951.65	3,54,609 *	3,653.85

*केवल नमूना जांच किए गए जिलों के आंकड़े

शुरू किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की प्रतिशतता	शेष सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	संचालित सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	पूर्ण किए गए सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रतिशतता
9,84,080	2,69,251	27.36	43,670	13,226	30.28

➤ नियोजन

- राज्य में योजना के अंतर्गत नियोजन प्रक्रिया लोगों की सहभागिता को प्रकाश में लाए बिना औपचारिक तथा अपूर्ण रही।
- नमूना जांच किए गए जिलों में श्रम बजट को बनाने में कमियों के कारण उत्पादित व्यक्तिदिवसों में वास्तविक उपलब्धियां श्रम बजट के प्रेक्षणों के अनुस्र नहीं थीं।

➤ रोजगार उत्पादन व मजदूरी

- नमूना जांच किए गए छ: जिलों में, मजदूरी के भुगतान में 1 से 468 दिनों के विलम्ब होने के बावजूद मजदूरों को किसी क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया गया था।

➤ वित्तीय प्रबंधन

- 2009-12 के दौरान श्रम बजट में प्रक्षेपित व्यक्तिदिवसों के प्रति केवल 40 से 59 प्रतिशत व्यक्ति दिवस उत्पादित किए गए थे।
- तीन जिलों में एस.जी.आर.वार्ड. निधि तथा एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी. निधियों से संबंधित ₹ 4.43 करोड़ मनरेगा में नहीं मिलाए गए थे।
- 2007-12 के दौरान ₹ 2,994.71 करोड़ की उपलब्ध राशि में से केवल ₹ 2,070.01 करोड़ (69 प्रतिशत) छ: जिलों द्वारा व्यय किया गया था जिसके परिणामस्वरूप अव्ययित शेष रहे।

कर्नाटक

➤ पृष्ठभूमि

राज्य में 30 जिले हैं। मनरेगा के अंतर्गत प्रथम चरण में अर्थात् 2 फरवरी 2006 से पांच जिले आवृत किए गए थे। तदन्तर 1 अप्रैल 2007 के बाद से छः जिले तथा 1 अप्रैल 2008 से शेष 19 जिले आवृत किए गए थे। मनरेगा के अंतर्गत राज्य का 2007-12 की अवधि के लिए ₹ 5,662.81 करोड़ जारी किए गए थे। निम्न तालिका राज्य में 2007-12 के दौरान प्रमुख कार्यान्वयन पैरामीटरों में से कुछ का सारांश प्रस्तुत करती है:

जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता	संचित व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत परिवारों की संख्या	सृजित संचयी श्रमदिवस (लाख में)
6,11,30,704	3,75,52,529	61.43	6,271.82	55,83,423	4,100.93

शुरू किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की प्रतिशतता	शेष सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	संचालित सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	पूर्ण किए गए सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रतिशतता
17,42,186	4,71,633	27.07	23,130	18,592	80

➤ नियोजन

- नियोजन को सरल बनाने के लिए जिला परिप्रेक्ष्य योजना नहीं बनाई गई थी।
- 2009-12 के दौरान मंत्रालय को श्रम बजट भेजने में भारी विलम्ब किया गया था।

➤ रोजगार उत्पादन एवं मजदूरी

- जॉब कार्ड आवेदन की प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के भीतर जारी करने अपेक्षित थे। 2007-12 के दौरान जॉब कार्ड जारी करने में 10 प्रतिशत तक की कमी थी।
- नमूना जांच किए गए जिलों में 3.49 लाख योग के अभिलेखे गलत प्रविष्टियों के आधार पर स्थायी रूप से हटा दिए गए थे। तथापि, इन मामलों में हटाने की तिथि तक ₹ 22.48 करोड़ योग की मजदूरी वितरित की गई थी।
- 2008-12 के दौरान 19.67 लाख व्यक्तियों के संबंध में हटाने की पर्ची लगाई गई तथापि ₹ 156.10 करोड़ की मजदूरी का भुगतान किया गया था।
- 2009-12 के दौरान एम.आई.एस. आंकड़ों के अनुसार 18 वर्ष से कम तथा 90 वर्ष के बराबर या इससे अधिक की आयु वाले व्यक्तियों को निर्माण कार्यों पर लगाया गया था तथा क्रशम: ₹ 3.26 लाख तथा ₹ 2.65 लाख की मजदूरी प्राप्त की।

- नमूना जांच किए गए ग्रा.पं. में कोई मजदूरी पर्चियां नहीं बनाई गई थी।
- 2007-12 के दौरान मनरेगा निर्माण कार्यों पर लगाए गए ₹ 98.58 लाख व्यक्तियों के संबंध में बैंक खाते/ डाक घर के बौरे उपलब्ध नहीं थे।
- चिक्का बालापुर जिले के गुड़ीबंदे तालुक के सात ग्रा.पं. द्वारा निर्माण कार्यों हेतु प्रयोग किए गए मस्टर रोलों में कार्यक्रम अधिकारी के हस्ताक्षर तथा मजदूरों के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान नहीं लगवाए गए थे।

➤ निर्माण कार्य एवं परिसम्पत्ति सृजन

- दो जिलों में कृष्णा भाग्य जिला निगम लि.मि. (कृ.भा.ज.नि.लि.) निर्माण कार्यों पर ₹ 1.12 करोड़ मूल्य की सामग्री पर व्यय योजना निधि में से किया गया था जो सरकार के अनुदेश के विपरित था क्योंकि सामग्री संघटक पर व्यय कृ.भा.ज.नि. निधियों से किया जाना था।
- सामग्री के प्रति किसी समर्थित वाउचरों के बिना निर्माण कार्यों को ₹ 213.05 लाख डेबिट किए गए थे।

➤ वित्तीय प्रबंधन

- राज्य निधि ने दर्शाया कि पी.आर.आई.एस. के बैंक खाते में अंतरित की गई भारी राशियां विभिन्न कारणों से निधि में वापस क्रेडिट की गई थी जिसका अभी तक समाशोधन नहीं किया गया था।
- सिंदागई तालुक में, मार्च 2009 से मार्च 2010 के दौरान चार व्यक्तियों को ₹ 12.61 लाख के चैक जारी किए गए थे जिनके लिए कोई समर्थित दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। तीन ग्रा.पं. द्वारा ₹ 19.30 लाख के स्वयं चैक आहरित किए गए थे। गुड़ीबंदे तालुक में, एक ग्रा.पं. द्वारा बिना किसी समर्थित दस्तावेज के तथा रोकड़ बही में प्रविष्टियां किए बिना किसी अनजान खाते में ₹ 9.48 लाख की राशि अंतरित की।

➤ मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन

- 2007-12 के दौरान 1416 सामाजिक लेखापरीक्षाओं की निर्धारित सीमा के प्रति दो सौ बत्तीस सामाजिक लेखापरीक्षाएं की गई थीं। डाटा का कोई सारांश तैयार करके सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु की गई बढ़ैक में ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था।

केरल

➤ पृष्ठभूमि

राज्य में 14 जिले हैं। मनरेगस के अंतर्गत प्रथम चरण में अर्थात् 2 फरवरी 2006 दो जिले आवृत किए गए थे। तदन्तर 1 अप्रैल 2007 के बाद से दो जिले तथा 1 अप्रैल 2008 से शेष 10 जिले आवृत किए गए थे। मनरेगस के अंतर्गत राज्य को 2007-12 की अवधि के लिए ₹ 2,390.88 करोड़ जारी किए गए थे। निम्न तालिका राज्य में 2007-12 के दौरान प्रमुख कार्यान्वयन पैरामीटरों में से कुछ का सारांश प्रस्तुत करती है:

जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता	संचित व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत परिवारों की संख्या	सूजित संचयी श्रमदिवस (लाख में)
3,33,87,677	1,74,55,506	52.28	2,483.90	18,78,518	1,678.45

शुरू किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की प्रतिशतता	शेष सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	संचालित सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	पूर्ण किए गए सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रतिशतता
5,40,073	4,03,076	74.63	1,63,013	1,56,341	95.91

➤ नियोजन

- नियमावली बनाने में 4 से 6 वर्षों तक का विलम्ब था।
- सभी ग्रा.पं. में, अनुमानित मांग तथा वास्तविक रोजगार उत्पादन के बीच भारी अन्तर थे। निर्माण कार्यों की प्रेक्षित लागत तथा व्यय, वास्तविक (व्यय) की तुलना में बहुत अधिक था।

➤ रोजगार उत्पादन एवं मजदूरी

- अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण कराने के इच्छुक व्यक्तियों की पहचान करने के लिए 39 ग्रा.पं. में द्वार से द्वार सर्वेक्षण नहीं किया गया था।
- दो मामलों के अतिरिक्त, किसी में बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया था।
- थिरुवनंतपुरम में सभी ग्रा.पं. में मस्टर रोलों में पाया गया था।
- अधिकांश ग्रा.पं. में, मजदूरी भुगतान में 23 से 138 दिनों तक का विलम्ब किया गया था।
- निर्माण कार्यों का माप किए बिना ₹ 12.86 लाख का भुगतान किया गया था।
- 39 ग्रा.पं. में से 37 ग्रा.पं. में मजदूरी स्लिपों नहीं बनाई गई थी।

- अधिकांश ग्रा.पं. में जॉब कार्ड पर मजदूरी के ब्यौरे दर्ज नहीं किए गए थे।

➤ निर्माण कार्य परिसम्पत्ति सृजन

- निर्माण कार्यों की सामग्री संघटक कुल निर्माण कार्य लागत के 2.5 प्रतिशत से कम था। परिणामतः ₹ 299.48 करोड़ का व्यय करने के पश्चात सृजित परिसम्पत्तियों की उपयोगिता की सीमा संदेहपूर्ण हो गई।
- राज्य ने 2007-12 के दौरान ₹ 349.59 करोड़ मूल्य के 87,280 निर्माण कार्य छोड़ दिए।
- एक ग्रा.पं. में, निजी भूमि पर किए गए निर्माण कार्य, जिनमें मुख्यतः पौधों को उखाड़ना (₹ 32.37 लाख) शामिल था, को जल संरक्षण तथा जल सिंचाई के प्राथमिक कार्य के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।
- सिंचाई विभाग के समुद्र विरोधी भूक्षरण विंग को शामिल न होने के परिणास्वरूप ₹ 55.82 लाख का व्यय करने के पश्चात समुद्र रोक भूक्षरण का उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ।

➤ मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन

- सोशल आडिट बैठकें उस व्यक्ति, जो पंचायत का सदस्य न हो, की अध्यक्षता में की जानी थी तथा पंचायत से बाहर के व्यक्ति को सोशल आडिट फोरम का सचिव बनाया जाना था। तथापि, 34 ग्रा.पं. में अध्यक्ष तथा सचिव पंचायत के भीतर से ही थे।
- ब्लॉक, जिला तथा राज्य स्तर पर निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन करने में क्रमशः 100 प्रतिशत, 10 प्रतिशत तथा दो प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य के प्रति कमी थी।

मध्य प्रदेश

➤ पृष्ठभूमि

राज्य में 50 जिले हैं। मनरेगस के अंतर्गत प्रथम चरण में अर्थात् 2 फरवरी 2006 से अठारह जिले आवृत किए गए थे। तदन्तर 1 अप्रैल 2007 के बाद से 13 जिले तथा 1 अप्रैल 2008 से शेष 19 जिले आवृत किए गए थे। राज्य को मनरेगस के अंतर्गत 2007-12 की अवधि के लिए ₹ 15,717.43 करोड़ जारी किए गए थे। निम्न तालिका 2007-12 के दौरान राज्य में कुछ प्रमुख कार्यान्वयन पैरामीटरों का सारांश प्रस्तुत करती है:

जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता	संचित व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत परिवारों की संख्या	सृजित संचयी श्रमदिवस (लाख में)
7,25,97,565	5,25,37,899	72.36	17,193.12	1,18,60,150	11,719.52

शुरू किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की प्रतिशतता	शेष सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	संचालित सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	पूर्ण किए गए सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रतिशतता
30,94,945	8,42,629	27.22	1,92,666	86,459	45

➤ नियोजन

- योजना के बारे में लाभार्थियों में जागरूकता की कमी के कारण, राज्य में रोजगार की गारंटी पर आधारित योजना के रूप में इसे कार्यान्वित नहीं किया जा सकता था।

➤ रोजगार सृजन एवं मजदूरी

- राज्य सरकार ने योजना के अंतर्गत सभी ग्रामीण परिवारों का पंजीकरण करना आवश्यक बनाया तथा उनको जॉब कार्ड जारी किए जिसके कारण चुनिदा जिलों में 13.35 लाख से 19.74 लाख अपात्र लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया था।
- सम विभागों द्वारा किसी मुआवजे का भुगतान किए बिना 2 से 292 दिनों तक के विलम्ब से ₹ 472.88 लाख की मजदूरी वितरित की गई थी।

➤ निर्माण कार्य एवं परिसम्पत्ति सृजन

- सम विभागों द्वारा निष्पादित किए गए निर्माण कार्य ग्रा.पं. की परियोजनाओं के शेल्फ में शामिल नहीं थे। इस प्रकार, इन निर्माण कार्यों द्वारा रोजगार उत्पादन के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं थी।

- एक ब्लॉक में जिला परियोजना रिपोर्ट की तैयारी पर ₹ 24.03 लाख का निष्फल व्यय किया गया।
- योजना के अंतर्गत अननुज्ञेय निर्माण कार्यों का निष्पादन हुआ पाया गया था।
- रोपण हेतु तथा बॉयो कम्पोस्ट निर्माण कार्यों की तैयारी के लिए चिन्हित निधियों को शौचालयों के निर्माण हेतु विपरित किया गया था।
- भौतिक सत्यापन के दौरान निष्पादित निर्माण कार्यों की अविधमानता पाई गई थी।

➤ वित्तीय प्रबंधन

- डी.पी.सी. (शाहडोल) द्वारा लाभार्थियों के बैंक पास बुक के मुद्रण पर ₹ 22.15 लाख का व्यय किया गया था।

महाराष्ट्र

➤ पृष्ठभूमि

राज्य में 33 जिले हैं। मनरेगा के अंतर्गत प्रथम चरण में अर्थात् 2 फरवरी 2006 से बारह जिले, 1 अप्रैल 2007 के बाद से छः जिले तथा 1 अप्रैल 2008 से शष 15 जिले आवृत किए गए थे। राज्य को मनरेगा के अंतर्गत 2007-12 की अवधि के लिए ₹ 1,711.60 करोड़ जारी किए गए थे। निम्न तालिका राज्य में 2007-12 के दौरान कुछ प्रमुख कार्यान्वयन पैरामीटरों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है:

जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता	संचित व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत परिवारों की संख्या	सूजित संचयी श्रमदिवस (लाख में)
11,23,72,972	6,15,45,441	54.76	2,820.81	67,35,119	1,595.02

शुरू किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की प्रतिशतता	शेष सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	संचालित सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	पूर्ण किए गए सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रतिशतता
1,21,977	39,294	32.21	480	370	77.08

➤ नियोजन

- शिकायत निवारण तंत्रविधि, बेरोजगार भत्ता आदि से संबंधित नियमावली नहीं बनाई गई थी। राज्य रोजगार गारंटी परिषद की केवल एक बाद बैठक हुई तथा वह विधानसभा में वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रही।
- आठ जिलों में, जिला परिप्रेक्ष्य योजनाएं नहीं बनाई गई थीं। श्रम बजट में प्रक्षेपित श्रम मांग का निर्धारण अवास्तविक था।

➤ रोजगार उत्पादन एवं मजदूरी

- पांच किलोमीटर से अधिक दूरी पर सौंपे गए निर्माण कार्य के कारण देय ₹ 3.27 लाख राशि की अतिरिक्त मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, एक ब्लॉक में ₹ 0.82 लाख के बेरोजगार भत्ते का भी भुगतान नहीं किया गया था।

➤ निर्माण कार्य एवं परिसम्पत्ति सृजन

- योजना के अंतर्गत सर्वेक्षण की कमी के कारण निर्माण कार्य छोड़ दिए गए थे तथा अननुज्ञेय निर्माण कार्यों को भी आरम्भ किया गया था। निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने में कमी थी।

➤ मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन

- सितम्बर 2011 में पदनामित मनरेगा आयुक्तालय को महत्वपूर्ण पदों में रिक्तियों को देखते हुए अभी उचित कार्य करने थे। शिकायत निवारण सामाजिक लेखापरीक्षा आदि हेतु विशिष्ट नियमावली का अभाव भी पाया गया था।

मणिपुर

➤ पृष्ठभूमि

राज्य में नौ जिले हैं। मनरेगस के अंतर्गत प्रथम चरण में अर्थात् 13 अप्रैल 2006 एक जिला, 1 अप्रैल 2007 के बाद से नौ जिले तथा 1 अप्रैल 2008 से शेष छः जिले आवृत किए गए थे। राज्य को मनरेगस के अंतर्गत 2007-12 की अवधि में ₹ 1,832.02 करोड़ जारी किए गए थे। निम्न तालिका 2007-12 के दौरान राज्य में कुछ प्रमुख कार्यान्वयन मापदंडों का सारांश प्रस्तुत करती है:

जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता	संचित व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत परिवारों की संख्या	सूजित संचयी श्रमदिवस (लाख में)
27,21,756	18,99,624	69.79	1,853.08	18,06,027	1,312.13

शुरू किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की प्रतिशतता	शेष सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	संचालित सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	पूर्ण किए गए सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रतिशतता
38,430	34,709	90.32	24,288	17,019	70.07

➤ नियोजन

- किसी भी नमूना जिले में, जिला परिप्रेक्ष्य योजना (जि.प.यो.) नहीं बनाई गई थी।

➤ निर्माण कार्य एवं परिसम्पत्ति सूजन

- तीन जिलों में, 19 निर्माण कार्यों का निष्पादन किए बिना ₹ 1.05 करोड़ का भुगतान किया गया था।
- 52 ग्रा.पं. में, ₹ 10.73 करोड़ पर निष्पादित 119 सड़क निर्माण कार्यों ने सुगम रास्ता उपलब्ध नहीं कराया।

➤ वित्तीय प्रबंधन

- तीन जिलों (चराचांदपुर, इम्फाल पूर्वी तथा टेमेंगलोंग) में, प्रशासनिक खर्च के लिए चिह्नित निधियों में से उप आयुक्त के बंगले पर निर्माण कार्यों, हॉल के निर्माण आदि ₹ 5.85 करोड़ का व्यय किया गया था।

➤ मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन

- राज्य सरकार ने पूर्णकालिक समर्पित कार्यक्रम अधिकारियों को नियुक्त नहीं किया था। चुराचांदपुर तथा टेमेंगलांग जिलों में ग्राम रोजगार सहायक नियुक्त नहीं किया गया था। नौ नमूना ब्लॉकों में पर्याप्त तकनीकी सहायकों/क.अ. की नियुक्ति नहीं की गई थी। निर्माण कार्यों के अनुमान तथा मापन में सहयोग देने के लिए मान्यता प्राप्त इंजीनियरों का पैनल नहीं बनाया गया था।

मेघालय

➤ पृष्ठभूमि

राज्य में सात जिले हैं। मनरेगा के अंतर्गत प्रथम चरण में अर्थात् 2 फरवरी 2006 से दो जिले, 1 अप्रैल 2007 के बाद से तीन जिले तथा 1 अप्रैल 2008 से शेष दो जिले आवृत्त किए गए थे। मनरेगा के अंतर्गत राज्य को 2007-12 की अवधि के लिए ₹ 843.37 करोड़ जारी किए गए थे। निम्न तालिका राज्य में 2007-12 के दौरान कुछ प्रमुख कार्यान्वयन पैरामीटरों का सारांश प्रस्तुत करती है।

जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता	संचित व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत परिवारों की संख्या	सृजित संचयी श्रमदिवस (लाख में)
29,64,007	23,68,971	79.92	597.72	2,60,353	175.39

शुरू किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की प्रतिशतता	शेष सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	संचालित सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	पूर्ण किए गए सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रतिशतता
46,024	27,756	60	30,957	957	3

➤ नियोजन

- ईस्ट खासी हिल्स ने 2006-2011 के दौरान जिला परिप्रेक्ष्य योजना नहीं बनाई थी।

➤ रोजगार उत्पादन एवं मजदूरी

- जॉब कार्ड विनिर्देशनों के अनुसार मुद्रित नहीं किए गए थे।
- आठ चुनिंदा ब्लॉकों में ₹ 84.18 लाख राशि की मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया था।

➤ निर्माण कार्य एवं परिसम्पत्ति सृजन

- रोंग्राम ब्लॉक में 112 परियोजनाओं के संबंध में ₹ 39.94 लाख का आधिक्य व्यय किया गया था।

➤ वित्तीय प्रबंधन

- जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा राज्य सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा मंत्रालय को श्रम बजट के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब होने के कारण मंत्रालय द्वारा राज्य को कब निधियां जारी की गई जिसका परिणाम देयताओं में हुआ।

मिजोरम

➤ पृष्ठभूमि

राज्य में आठ जिले हैं। मनरेगा के अंतर्गत प्रथम चरण में अर्थात् 2 फरवरी 2006 से दो जिले, 1 अप्रैल 2007 के बाद से दो जिले तथा 1 अप्रैल 2008 से शेष चार जिले आवृत किये गये थे। मनरेगा के अंतर्गत राज्य को 207-12 की अवधि में ₹ 1,007.94 जारी किये गये थे। निम्न तालिका राज्य में 2007-12 के दौरान कुछ प्रमुख कार्यान्वयन पैरामीटरों का सारांश प्रस्तुत करती है:

जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता	संचित व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत परिवारों की संख्या	सृजित संचयी श्रमदिवस (लाख में)
10,91,014	5,29,037	48.49	1,104.32	1,74,749	664

शुरू किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए ^{गए} निर्माण कार्यों की प्रतिशतता	शेष सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	संचालित सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	पूर्ण किए गए ^{गए} सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रतिशतता
16,284	12,441	76	182	6,770	100

➤ निर्माण कार्य एवं परिसम्पत्ति सृजन

- दो जिलों (लुंगलई तथा लांगतलाई) में मनरेगा का अन्य योजना के साथ अभिसरण की प्रक्रिया आरम्भ नहीं की गई थी।

➤ वित्तीय प्रबंधन

- राज्य सरकार ने ₹ 105.43 करोड़ के सदृश हिस्से के प्रति ₹ 83.52 करोड़ जारी किए। इसके परिणामस्वरूप आठ जिलों को ₹ 21.91 करोड़ कम जारी किये गये।
- राज्य सरकार ने लुंगलई तथा लांगतलाई जिलों को उसके हिस्से के क्रमशः ₹ 17.89 करोड़ तथा 13.87 करोड़ 9 से 317 दिनों के विलम्ब से जारी किए।

➤ मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन

- राज्य सरकार ने परिचालनात्मक दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य के अनुसार निर्माण कार्यों का निरीक्षण तथा भौतिक सत्यापन नहीं किया था।

नागालैण्ड

➤ पृष्ठभूमि

राज्य में 11 जिले हैं। प्रथम चरण में अर्थात फरवरी 2006 से मनरेगा के अंतर्गत एक जिला, 1 अप्रैल 2007 से चार जिले और 1 अप्रैल 2008 से शेष छः जिले आवृत्त थे। 2007-12 की अवधि हेतु मनरेगा के अंतर्गत राज्य को ₹ 2060.01 करोड़ जारी किए गए थे। नीच दी गई तालिका में 2007-12 के दौरान राज्य में कुछ प्रमुख कार्यान्वयन मापदंडों को दर्शाता है:

जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता	संचयी व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत परिवारों की संख्या	सृजित संचयी श्रमदिवस (लाख में)
19,80,602	14,06,861	71.03	2,098.32	3,74,925	518

शुरू किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की प्रतिशतता	शेष सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	संचालित सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	पूर्ण किए गए सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रतिशतता
32,878	28,000	85.16	9,874	4,432	44.89

➤ नियोजन

- दो वर्षों के विलंब के साथ राज्य रोजगार गारंटी परिषद स्थापित की गई थी।
- प्रशिक्षण की कमी के परिणामस्वरूप सभी स्तरों पर अभिलेखों का खराब अनुरक्षण हुआ।
- का.अ. से जि.का.स. द्वारा श्रमिक बजट के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब 2 से 4 माह तक तथा जि.का.स. से रा.रो.ग.प. 2 से 8 माह तक का था।

➤ रोजगार सृजन व मजदूरी

- ₹ 10.31 लाख के मजदूरी भुगतान को शामिल करते हुए 54 ग्रा.पं. में से पांच ग्रा.पं. में काटने, अधिलेखन, मिटाने और कागजों को चिपकाकार मस्टर रोल से छेड़छाड़ पाई गई।

➤ निर्माण कार्यों व संपत्ति सृजन

- तीन जिलों ने योजना के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में 36 हल्के वाहनों की प्राप्ति हेतु ₹ 2.21 करोड़ का व्यय किया। आगे, इन जिलों ने नई इमारतों के निर्माण हेतु ₹ 58.90 लाख का व्यय किया। जि.का.स. दीमापुर द्वारा मॉ.सू.प्र. में डाटा प्रविष्टि हेतु जिन कम्प्यूटरों की प्राप्ति की गई थी, वह ग्रा.पं. स्तर पर अधिकारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिए जाने का प्रावधान न होने के कारण निष्क्रिय रहे।

- परिप्रेक्ष्य योजना में ₹ 63.99 करोड़ के नियोजित 273 ग्रामीण संयोजकता योजना की अपेक्षा में, 54 ग्रा.पं. ने ₹ 87.82 करोड़ के ग्रामीण संयोजकता हेतु 514 निर्माण कार्य किए गए थे। आगे, इन 54 ग्रा.पं. ने परिप्रेक्ष्य योजना से बाहर ₹ 23.83 करोड़ की राशि के 241 ग्रामीण संयोजकता निर्माण कार्य पूर्ण किए थे।
- ₹ 7.65 करोड़ के तिरासी परियोजनाओं का पूरा होना सूचित किया गया था, मौजूद नहीं थे जोकि 54 ग्रा.पं. में ₹ 7.65 करोड़ का संभावित दुर्विनियोजन दर्शाता है। 23 निर्माण कार्यों के मामलों में गैर-अनुमेय निर्माण कार्यों की विचलन राशि द्वारा कम निष्पादन की कीमत ₹ 4.73 करोड़ तथा ₹ 10.01 करोड़ की कीमत के 45 गैर-अनुमेय निर्माण कार्यों का निष्पाद भी संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाया गया था।
- राज्य स्तर के अधिकारी पिछले पांच वर्षों के दौरान 137 निर्माण कार्यों के लक्ष्य की अपेक्षा में केवल 25 निर्माण कार्यों (18 प्रतिशत) का सत्यापन कर पाए। जिला स्तर अधिकारियों ने 684 निर्माण कार्यों के लक्ष्य की अपेक्षा में केवल 165 निर्माण कार्यों (24 प्रतिशत) का निरीक्षण किया था जबकि 6,837 लक्षित निर्माण कार्यों की अपेक्षा में ब्लॉक अधिकारियों ने 3,217 निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया था।

➤ वित्तीय प्रबंधन

- 2007-08 से 2011-12 के दौरान नागालैण्ड की सरकार द्वारा ₹ 116.57 करोड़ के अनुपातिक हिस्से को जारी करने में कमी थी जिसने उस हद तक योजना के कार्यान्वयन को प्रभावित किया।
- 2007-08 एवं 2008-09 के दौरान, जि.का.स. मोन एवं दीमापुर ने मंत्रालय द्वारा तय स्वीकार्य प्रशासनिक व्यय से बढ़कर ₹ 96 लाख का अतिरिक्त व्यय किया।
- 2011-12 के दौरान जि.का.स., दीमापुर द्वारा, कार्यक्रम अधिकारी (का.अ.) धानसिरीपर को जारी की गई ₹ 1.68 करोड़ की निधियों का दुर्विनियोजन संदिग्ध था। का.अ. द्वारा संचालित मनरेगा बैंक खाते में निधियों को लेखाबद्ध नहीं किया गया था।
- तीन जिलों में सात नमूना परीक्षित का.अ. द्वारा 54 नमूना परीक्षित ग्रा.पं. में निधियों के संचरण के दौरान ₹ 65.39 करोड़ की संदिग्ध वित्तीय रिसाव देखा गया था।

➤ मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन

- 54 ग्रा.पं. में 488 सामाजिक लेखापरीक्षा बैठकों की आवश्यकता की अपेक्षा में 280 सामाजिक लेखापरीक्षा (57 प्रतिशत) आयोजित की गई थी। तीन जिलों और सात ब्लॉकों में, 2007-08 से 2011-12 के दौरान क्रमशः 46 प्रतिशत एवं 44 प्रतिशत सामाजिक लेखापरीक्षा संचालित की गई थी।

➤ अन्य

- चूंकि ग्राम रोजगार सहायक (ग्रा.रो.स.) नियुक्त नहीं किए गए थे, पंचायत सचित द्वारा अभिलेखों का अनुरक्षण किया गया था। 28 ग्रा.पं. में अभिलेखों का गैर/खराब अनुरक्षण पाया गया था।

ओडिशा

➤ पृष्ठभूमि

राज्य में 30 जिले हैं। मनरेगा के अंतर्गत पहले चरण अर्थात्, 2 फरवरी 2006 से 19 जिले, 1 अप्रैल 2007 से पांच जिले और 1 अप्रैल 2008 से शेष छः जिले आवृत्त किए गए थे। 2007-12 की अवधि हेतु, मनरेगा के अंतर्गत राज्य को ₹ 4401.29 करोड़ जारी किए गए थे। नीच दी गई तालिका 2007-12 के दौरान राज्य में कुछ प्रमुख कार्यान्वयन मापदण्डों को दर्शाती है:

जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता	संचयी व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत परिवारों की संख्या	सृजित संचयी श्रमदिवस (लाख में)
4,19,47,358	3,49,51,234	83.32	5,369.29	62,18,651	3,123.09

शुरू किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की प्रतिशतता	शेष सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	संचालित सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	पूर्ण किए गए सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रतिशतता
3,26,535	1,69,265	51.84	24,936 (2010-11 एवं 2011-12 के लिए आंकड़े)	23,452 (2010-11 एवं 2011-12 के लिए आंकड़े)	--

➤ नियोजन

- मनरेगा निर्माण कार्यों हेतु अपर्याप्त स्टाफ होने के कारण संस्थागत व्यवस्थाएं कमजोर पाई गई थीं।
- महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को प्रदान किया गया प्रशिक्षण अपर्याप्त था जिसके परिणामस्वरूप क्षमता निर्माण कमजोर हुई।
- ग्रा.पं. को शामिल किए बिना वाषिक कार्य योजना की तैयारी की गई थी।
- प्रभावी निधि प्रबंधन हेतु परिक्रामी निधि का सृजन नहीं किया गया था।

➤ रोजगार सृजन व मजदूरी

- पंजीकरण हेतु पात्र परिवारों की पहचान के लिए किसी घर-घर के सर्वेक्षण को संचालित नहीं किया गया था।
- जॉब कार्डों को जारी करने में विलम्ब थे। जॉब कार्डों के साथ जॉब कार्ड रजिस्टर में तस्वीरें नहीं चिपकाई गई थीं जिससे जॉब कार्डों के दुरुपयोग की संभावना बनती थी।
- मजदूरी के भुगतान में विलंब हुआ था।

➤ निर्माण कार्य व संपत्ति सृजन

- मस्टर रोल के उपयोग में नियंत्रण की कमी के परिणामस्वरूप योजना निधियों का दुर्विनियोजन/गलत उपयोग हुआ।
- कम प्राथमिकता के मिट्टी के निर्माण कार्यों की शुरूआत की गई जिसके परिणामस्वरूप अस्थायी संपत्ति का सृजन हुआ।
- संपत्ति के भौतिक सत्यापन करने पर निर्माण कार्यों के निष्पादन में मशीन का उपयोग पाया गया।

➤ वित्तीय प्रबंधन

- बैंक जमा से अर्जित ब्याज को रोकड़ पुरितिका में लेखाबद्ध नहीं किया गय था।
- बंद की गई स.ग्रा.रो.यो. योजना के अंतर्गत निधियों को मनरेगा में हस्तांतरित नहीं किया गया था।
- मनरेगा से निधियों का विचलन पाया गया जिनकी मार्च 2012 तक प्रतिपूर्ति नहीं की गई थी।
- श्रमिक बजट को अवास्तविक पाया गया क्योंकि अनुमानित आंकड़ों एवं वास्तविक व्यय में काफी विविधताएं थीं।

➤ मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन

- सामाजिक लेखापरीक्षा को उचित रूप में संचालित नहीं किया गया था।
- राज्य/जिला/ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों द्वारा अपर्याप्त मॉनीटरिंग के परिणामस्वरूप निर्माण कार्यों/परियोजनाओं की बड़ी संख्या को पूरा नहीं किया जा सका।

पंजाब

➤ पृष्ठभूमि

राज्य में 22 जिले हैं। मनरेगस के अंतर्गत प्रथम चरण में अर्थात् 2 फरवरी 2006 से एक जिला, 1 अप्रैल 2007 के बाद से तीन जिले तथा 1 अप्रैल 2008 से शेष 18 जिले आवृत किये गये थे। मनरेगस के अंतर्गत राज्य को 2007-12 की अवधि के लिए ₹ 483.75 करोड़ जारी किए गए थे। निम्न तालिका राज्य में 2007-12 के दौरान कुछ प्रमुख कार्यान्वयन पैरामीटरों का सारांश प्रस्तुत करती है:

जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता	संचयी व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत परिवारों की संख्या	सृजित संचयी श्रमदिवस (लाख में)
2,77,04,236	1,73,16,800	62.51	569.30	8,65,656*	277.59

*परिवारों को जारी किए गए जॉब कार्ड

शुरू किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की प्रतिशतता	शेष सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	संचालित सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	पूर्ण किए गए सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रतिशतता
45,680	18,062	39.54	95,709	85,364	89.19

➤ नियोजन

- मनरेगस स्टाफ की 45 से 93 प्रतिशत तक कमी थी।
- चयनित तीन जिलों में वार्षिक योजनाएं, श्रम बजट तथा ग्राम पंचायतों से निर्माणकार्यों की लागत पर विचार किए बिना बनाई गई थी।
- छ: जिलों में से तीन ने जिला परिप्रेक्ष्य योजना नहीं बनायी थी।

➤ रोजगार उत्पादन एवं मजदूरी

- पांच जिलों के 79 ग्रा.पं. में पंजीकरण हेतु कोई घर-घर जाकर सर्वेक्षण नहीं किया गया था।
- 48 ग्रा.पं. में लाभार्थियों को 790 दिनों तक के विलम्ब से मजदूरी का भुगतान किया गया था। विलम्बित भुगतानों के लिए कोई क्षतिपूर्ति नहीं की गई थी।

➤ निर्माण कार्य एवं परिसम्पत्ति सृजन

- 52 ग्रा.पं. में ₹ 1.20 करोड़ राशि के 67 गैर-अनुमेय निर्माण कार्यों का निष्पादन किया गया था।

- मजदूरी सामग्री का 60:40 का अनुपात नहीं रखा गया था जिसके परिणामस्वरूप सामग्री संघटक पर आधिकाय व्यय किया गया था।

➤ मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन

- शिकायतों का 15 दिनों के निर्धारित समय के भीतर निपटान नहीं किया गया था। चुनिंदा जिलों में शिकायतों के निपटान में 673 दिनों तक का विलम्ब हुआ था।
- तीन जिलों में, सामाजिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों की जांच करने तथा उस पर उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए आंतरिक इकाई का गठन नहीं किया गया था।
- सामाजिक लेखापरीक्षा करने में कमी थी।
- राज्य रोजगार गारंटी परिषद ने जिलावार मूल्यांकन अध्ययन नहीं किया था।

➤ अन्य

- चार जिलों में चुनिंदा ग्रा.पं. द्वारा मस्टर रोल प्राप्ति रजिस्टर, जॉब कार्ड आवेदन रजिस्टर, रोजगार रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, शिकायत रजिस्टर, मासिक आबंटन तथा उ.प्र. निगरानी रजिस्टर, जॉब कार्ड रजिस्टर तथा परिसम्पत्ति रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया था।

राजस्थान

➤ पृष्ठभूमि

राज्य में 33 जिले हैं। मनरेगा के अंतर्गत प्रथम चरण में अर्थात् 2 फरवरी 2006 से छः जिले, 1 अप्रैल 2007 के बाद से छः जिले तथा 1 अप्रैल 2008 से शेष 21 जिले कवर किए गए थे। मनरेगा के अंतर्गत राज्य को 2007-12 की अवधि में ₹ 17,928.73 करोड़ जारी किए गए थे। निम्न तालिका राज्य में 2007-12 के दौरान कुछ प्रमुख कार्यान्वयन पैरामीटरों का सारांश प्रस्तुत करती है:

जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता	संचयी व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत परिवारों की संख्या	सृजित संचयी श्रमदिवस (लाख में)
6,86,21,012	5,15,40,236	75.11	19,841.04	1,01,55,775	16,140.36

शुरू किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की प्रतिशतता	शेष सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	संचालित सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	पूर्ण किए गए सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रतिशतता
6,76,105	3,16,156	46.76	45,885	45,532 (2007-09 के लिए आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए)	-

➤ नियोजन

- नियम नहीं बनाए गए थे तथा आयोजित की गई रा.बे.गा.प. की बैठकों की संख्या अपर्याप्त थी। स्टाफ की कमी, सूचना, शिक्षा तथा संचार क्रियाकलापों तथा प्रशिक्षण में कमी पाई गई थी।
- वार्षिक योजनाओं की तैयारी विलम्बित तथा अवास्तविक थी।
- आंकलन तथा वास्तविक रोजगार में विभिन्नता देखी गई थी।
- जिला परिप्रेक्ष्य योजनाएं नहीं बनाई गई थीं।
- ₹ 24.27 करोड़ शामिल होने वाले निर्माण कार्य, जो वार्षिक योजनाओं के हिस्से नहीं थे, संस्थीकृत किए गए थे।
- सं.ग्रा.रो.यो. तथा रा.का.ब.अ.का. के अव्ययित शेषों को योजना लेखे में अंतरित नहीं किया गया था।

➤ रोजगार उत्पादन एवं मजदूरी

- परिवारों के पंजीकरण तथा जॉब कार्ड जारी करने में अनियमितताएं पाई गई थी।
- मजदूरों को ₹ 4.64 करोड़ की मजदूरी का नकद भुगतान किया गया था। मजदूरी का भुगतान करने में भी विलम्ब हुआ था।
- ₹ 118.13 करोड़ की निधियों का गलत वर्गीकरण पाया गया था।

➤ निर्माण कार्य एवं परिसम्पत्ति सृजन

- निर्माण कार्यों के निष्पादन में मजदूरी और सामग्री के अनुपात का अनुरक्षण नहीं किया गया था।
- ₹ 36.58 करोड़ राशि के निर्माण कार्य अपूर्ण रहे।
- ₹ 1.49 करोड़ का व्यय निष्फल पाया गया।
- ₹ 15.52 लाख मूल्य के निर्माण कार्य विद्यमान नहीं थे।
- ₹ 1.15 करोड़ के पौधारोपण उत्तरजीवित नहीं थे।

➤ वित्तीय प्रबंधन

- ₹ 128.7 करोड़ राशि की निधियों का विपथन पाया गया था।
- तीन जिलों में, राज्य द्वारा ₹ 10.12 करोड़ की राशि कम जारी की पाई गई थी।
- निधियों के अंतरण में विलम्ब पाया गया था।
- ₹ 5.02 करोड़ का आधिक्य प्रशासनिक व्यय किया गया था।
- डाक घर में ₹ 70.55 लाख मूल्य की निधियां वसूल न की गई/असमायोजित पाई गई थी।

सिविकिम

➤ पृष्ठभूमि

राज्य में चार जिले हैं। मनरेगा के अंतर्गत प्रथम चरण में अर्थात् 02 फरवरी 2006 से एक जिला, 1 अप्रैल 2007 के बाद से दो जिले तथा 1 अप्रैल 2008 से शेष एक जिला आवृत्त किया गया था। मनरेगा के अंतर्गत राज्य को 2008-12 की अवधि हेतु, ₹ 281.12 करोड़ जारी किए गए थे। निम्न तालिका राज्य में 2007-12 के दौरान कुछ प्रमुख कार्यान्वयन मापदण्डों का सारांश प्रस्तुत करती है:

जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता	संचयी व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत परिवारों की संख्या	सृजित संचयी श्रमदिवस (लाख में)
6,07,688	4,55,962	75.03	291.09	3,46,971	81.41

शुरू किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की प्रतिशतता	शेष सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	संचालित सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	पूर्ण किए गए सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रतिशतता
10,181	5,029	49.40	1,202 (2007-08 हेतु आंकड़े प्रदान नहीं किए गए)	601 (2007-08 हेतु आंकड़े प्रदान नहीं किए गए)	50

➤ नियोजन

- ग्रा.पं. ब्लॉक तथा जिलों से कोई इनपुट प्राप्त किए बिना जिला परिप्रेक्ष्य योजना बनाई गई थीं। ग्राम सभाओं द्वारा वार्षिक योजनाएं श्रम मांग, आय उत्पन्न करने वाली परिसम्पत्तियों, वंचित वर्गों को प्राथमिकता तथा सृजित परिसम्पत्तियों का अनुरक्षण आदि के किसी संदर्भ के बिना औपचारिक रूप से बनाई गई थीं।
- वार्षिक कार्य योजना तथा श्रम बजट त्रुटिपूर्ण तथा अवास्तविक थे क्योंकि उत्पादन किए जाने वाले प्रत्याशित व्यक्तिदिवसों को कभी प्राप्त नहीं किया गया था। व्यय, वार्षिक कार्य योजना के 83 तथा 88 प्रतिशत के बीच था।

➤ रोजगार उत्पादन एवं मजदूरी

- मजदूरी का भुगतान पन्द्रह दिनों के भीतर नहीं किया गया था तथा 15 दिनों से तीन माह तक का विलम्ब पाया गया था।

➤ निर्माण कार्य एवं परिसम्पत्ति सृजन

- जि.का.स. द्वारा मजदूरी और सामग्री के 60:40 के निर्धारित अनुपात का सख्ती से पालन नहीं किया गया था।
- कई परियोजनाओं में कार्यस्थल सुविधाएं जैसे प्रथम उपचार पेयजल, शेड तथा बालवाड़ी उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

➤ वित्तीय प्रबंधन

- राज्य का हिस्सा न तो पूरा और न ही समय पर जारी किया गया था। जिला कार्यक्रम समन्वयकों ने ₹ 5.14 करोड़ से ₹ 38.64 करोड़ की निधियां न केवल वर्ष के अंत तक रोक रखी बल्कि ब्लॉकों को 2 से 131 दिनों के विलम्ब से निधियां जारी की।

➤ अनुश्रवण तथा मूल्यांकन

- भारत सरकार को मासिक प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से सूचित व्यय, लेखापरीक्षित रिपोर्ट तथा वास्तविक व्यय में दर्शाए गए के अनुरूप नहीं था।

➤ अन्य

- योजना का अन्य सोशल सेक्टर कार्यक्रमों के साथ अभिसरण का कार्य आरम्भ नहीं किया गया था। केवल मु.मं.ग्रा.आ. योजना, जो त्रुटिपूर्ण थी क्योंकि योजना निधि का सामग्री की लागत के भुगतान के प्रति उपयोग किया गया था, के मामले में अभिसरण प्रक्रिया का प्रयास किया गया था। अभिसरण का अतिरिक्त रोजगार उत्पादन में कोई योगदान नहीं हुआ।
- अभिलेखों का अनुरक्षण दोषपूर्ण था। आवेदन पत्र रजिस्टर पंजीकरण रजिस्टर, जॉब कार्ड रजिस्टर, रोजगार रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मस्टर रोल, एम आर निर्गम/प्राप्ति रजिस्टर तथा शिकायत रजिस्टरों का उचित ढंग से अनुरक्षण नहीं किया गया था तथा इसलिए विश्वसनीय नहीं थे।

तमिलनाडु

➤ पृष्ठभूमि

राज्य में 31 जिले हैं। मनरेगस के अंतर्गत पहले चरण अर्थात्, 2 फरवरी 2006 में छः जिले, 1 अप्रैल 2007 से चार जिले और 1 अप्रैल 2008 से शेष 21 जिले आवृत्त थे। 207-12 की अवधि हेतु, मनरेगस के अंतर्गत राज्य को ₹ 8128.96 करोड़ जारी किए गए थे। 2007-12 के दौरान राज्य में कुछ मुख्य कार्यान्वयन मापदण्डों को नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता	संचयी व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत परिवारों की संख्या	सृजित संचयी श्रमदिवस (करोड़ में)
7,21,38,958	3,71,89,229	51.55	8,510.44	76,48,556	101.31

शुरू किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की प्रतिशतता	शेष सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	संचालित सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	पूर्ण किए गए सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रतिशतता
2,57,002	1,11,727	43.47	93,252	1,84,845	100

➤ नियोजन

- 2011-12 में राज्य में योजना के अंतर्गत पंजीकृत 76.49 लाख परिवारों में से, केवल 58.16 लाख परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया था। इनमें से, 100 दिनों का रोजगार केवल 14.08 लाख परिवारों (24 प्रतिशत) को प्रदान किया गया था।
- दरों की अनुसूची में वृद्धि प्राप्त वास्तविक औसत दैनिक मजदूरी, न्यूनतम गारंटीकृत मजदूरी से कम थी, क्योंकि मजदूरी का भुगतान, वास्तविकता में किए गए कार्य की मात्रा के आधार पर किया जाता था।

➤ निर्माण कार्य संपत्ति सृजन

- 1.25 लाख निर्माण कार्य (कुल निर्माण कार्यों का 48 प्रतिशत), जोकि 2007-12 के दौरान ₹ 3921.87 करोड़ की लागत पर ग्राप पंचायतों द्वारा निष्पादित किए गए थे, वह तालाबों की गाद हटाने, लघु सिंचाई टैंक, आपूर्ति चैनल तथा सिंचाई कुओं की श्रेणियों में आते थे। ऐसे निर्माण कार्यों ने स्थायी संपत्ति के सृजन में योगदान नहीं किया।
- सड़क संयोजनकर्ता के अंतर्गत सभी मौसमों में उपयोगि सड़कों को प्रदान करने की बजाय, मौजूदा जल बाध्य रोड़ी की सड़कों की साइड बर्मों के संघनन और सुधार के बिना मिट्टी की सड़कों के निर्माण का निष्पादन किया गया था। 2007-12 के दौरान इस श्रेणी के अंतर्गत

₹ 1,919.88 करोड़ की लागत पर 62,588 सड़क निर्माणों (कुल निर्माण कार्यों का 24 प्रतिशत) को निष्पादित किया गया था।

➤ वित्तीय प्रबंधन

- 2007-12 के दौरान निधियों की उपयोगिता की प्रतिशतता 56 से लेकर 82 तक थी। 31 मार्च 2012 तक ₹ 9194.04 करोड़ में से सम्पूर्ण योजना की लागत अकुशल श्रमिक के मजदूरी भुगतान हेतु थी, योजना को 2007-12 की अवधि के दौरान राज्य का हिस्सा (₹ 878.11 करोड़) जारी किया जाना अनावश्यक था।

त्रिपुरा

➤ पृष्ठभूमि

राज्य में चार जिले हैं। मनरेगस के अंतर्गत पहले चरण अर्थात्, 2 फरवरी 2006 से एक जिला, 1 अप्रैल 2007 से दो जिले और 1 अप्रैल 2008 से शेष एक जिला आवृत्त था। 2007-12 की अवधि हेतु मनरेगस के अंतर्गत राज्य को ₹ 2858.82 करोड़ जारी किए गए थे। नीच दी गई तालिका में 2007-12 के दौरान कुछ प्रमुख कार्यान्वयन मापदंडों को दर्शाया गया है:

जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता	संचयी व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत परिवारों की संख्या	सृजित संचयी श्रमदिवस (लाख में)
36,71,032	27,10,051	73.82	2,996.33	6,69,164	490.13

शुरू किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की प्रतिशतता	शेष सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	संचालित सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	पूर्ण किए गए सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रतिशतता
6,57,713 (2007-08 हेतु आंकड़े प्रदान नहीं किए गए)	2,83,539	43.11	600	513	86

➤ नियोजन

- योजना के सभी आवश्यक सरंचनात्मक तंत्र योजना के परिचालन हेतु राज्य रोजगार गारंटी निधि को छोड़कर सभी आवश्यक सरंचनात्मक तंत्र स्थापित किए गए थे, जिन्हे 2012-13 के दौरान परिचालनात्मक किया गया था।
- निर्माण कार्यों को केवल वार्षिक योजनाओं के आधार पर ही निष्पादित किया गया था क्योंकि जिला परिष्रेक्ष्य योजनाओं को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। वार्षिक योजनाओं के अनुमोदन की प्रलेखन प्रक्रिया संतोषजनक नहीं थी।

➤ रोजगार सृजन एवं मजदूरी

- जिन्होंने रोजगार मांग की उन सभी को राज्य ने कथित रूप से रोजगार प्रदान किया था। तथापि, यह सत्यापन योग्य नहीं है क्योंकि विवरण प्रलेखित नहीं थे।
- 2.80 लाख परिवारों को 100 दिनों से अधिक का रोजगार प्राप्त हुआ था। परन्तु ₹ 10.22 करोड़ की अतिरिक्त लागत को राज्य द्वारा वहन करने की बजाय कैन्ट्रीय हिस्से से पूर्ण की गई थी। न्यूनतम मजदूरी का ₹ 34.50 लाख का कम भुगतान किया गया था।

➤ निर्माण कार्यों एवं संपत्ति सृजन

- 41 प्रतिशत निर्माण कार्यों में, पांच ब्लॉकों में अधिनियम के शब्द और भाव में श्रमिकों को रोजगार प्रदान नहीं दिया गया था।
- इंदिरा आवास योजना (इं.आ.यो.) के अंतर्गत ₹ 16.60 करोड़ की निधियों को निर्माण कार्य हेतु विचलन किया गया था और अन्य सरंचनात्मक विकास योजनाओं के अंतर्गत आवृत्त उद्देश्य हेतु ₹ 5.27 करोड़ का व्यय किया गया था।
- सभी मौसमों में उपयोग न किए जा पाने वाली कच्ची सड़कों का ₹ 5.29 करोड़ की लागत पर निर्माण किया गया था।
- निर्माण कार्यों में उपयोग किए जाने वाली मशीनों की लागत ₹ 1.56 करोड़ थी।
- 1 से लेकर 4 वर्षों की अवधि हेतु ₹ 17 लाख की लागत के पांच कार्य अधूरे रह गए।
- कार्य रजिस्टरों में निर्माण कार्यों के विशिष्ट पहचान संख्या नहीं पाई गई थी।

➤ वित्तीय प्रबंधन

- योजना के अंतर्गत निधियों का उपयोग अच्छा और 93.74 से लेकर 98.85 प्रतिशत तक था।
- गलत सूत्र, जोकि छः प्रतिशत के प्रशासनिक लागत का हिसाब लगाने में असफल रहा, को अपनाने के कारण राज्य का हिस्सा ₹ 133.09 करोड़ से कम था।
- 5 से लेकर 222 दिनों में 78 में से 20 किस्तों में राज्य हिस्से को जारी करने में विलम्ब हुआ था, जबकि कुछ मामलों में, इसे अग्रिम भी प्रदान किया गया था।

➤ अन्य

- सहायक अभिलेखों का अनुरक्षण अपूर्ण था।
- मॉ.सू.प्र. में भौतिक त्रुटियां शामिल हैं और इसलिए यह विश्वसनीय नहीं था।
- विभिन्न अच्छे अभ्यास जैसे कि मजदूरी के भुगतान हेतु बैंक सहसंबंधी मॉडल, अनुमानों की तैयारी हेतु सॉफ्टवेयर का उपयोग, सतर्कता समिति द्वारा जांच करने के पश्चात भुगतान, सृजित संपत्ति की अच्छी स्थिति, आदि भी लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई थी।

उत्तर प्रदेश

➤ पृष्ठभूमि

राज्य में 72 जिले हैं। 22 जिलों को मनरेगा के तहत प्रथम चरण अर्थात् 2 फरवरी 2006 से, 17 जिलों को 15 मई 2007 के बाद से तथा शेष 33 जिलों को 1 अप्रैल 2008 से शामिल किया गया था। 2007-12 की अवधि के लिए ₹ 20,425.74 करोड़ राज्य को मरनेगा के अंतर्गत जारी किया गया था। नीचे की तालिका 2007-12 के दौरान राज्य में कुछ प्रमुख कार्यान्वयन मापदंडों को दर्शाती है:

जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता	संचयी व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत परिवारों की संख्या	सूचित संचयी श्रमदिवस (लाख में)
19,95,81,477	15,51,11,022	77.72	22,174.35	1,42,81,748	13,342.64

शुरू किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की प्रतिशतता	शेष सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	संचालित सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	पूर्ण किए गए सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रतिशतता
36,15,602	15,55,093	43.01	4,200*	2,341*	55.74

*आँकड़े केवल नमूना परीक्षित जिलों के लिए

➤ नियोजन

- राज्य सरकार नियमावलियों को, हालाँकि वे अनुमोदित (11 अगस्त 2008) हो गए थे, अधिनियम के प्रावधानों को संचालित करने के लिए सूचित करने में विफल रहीं।
- राज्य रोजगार गारंटी परिषद (रा.रो.गा.प.) में और गैर सरकारी सदस्यों को 19 माह के विलम्ब के बाद शामिल किया गया था।
- राज्य सरकार ने राज्य रोजगार गारंटी निधि स्थापित नहीं की थी जिसके फलस्वरूप जिलों को 18 सितम्बर 2009 तक मंत्रालय से सीधे निधियां जारी की गयी थीं।
- राज्य के 820 प्रखंडों में, पूर्ण-कालिक कार्यक्रम अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की गई थी। 23 प्रतिशत सहायक कार्यक्रम अधिकारियों के पद भी रिक्त थे।
- 18 जिलों में, जिला वार्षिक योजना बनाने के लिए पण्डारियों को प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था। 14 जिलों ने परियोजना शेल्फों का निर्माण नहीं किया था।
- श्रम बजट की प्रस्तुति में 23 से लेकर 74 दिनों का विलम्ब था, परिणामस्वरूप केन्द्रीय हिस्सा 5 से 25 भागों में और राज्य का हिस्सा 2 से 10 भागों में जारी किया गया था।

➤ रोजगार सृजन एवं मजदूरी

- पंजीकरण हेतु लोगों की पहचान करने के लिए घर-घर सर्वेक्षण नहीं कराया गया था।
- जॉब कार्डों के निर्गम में 25 से 45 दिनों का विलम्ब था।
- जॉब कार्ड आवेदन पंजियों के अनुरक्षण में कमिया थीं। सात ग्राम पंचायतों तथा 39 ब्लॉक पंचायतों में, इनका अनुरक्षण नहीं किया गया था।
- मजदूरी भुगतान में विभिन्न अनियमियतताएँ थी यथा, मजदूरी भुगतान में विलंब न्यूनतम मजदूरी दरों से कम पर भुगतान किया जाना, निर्माण कार्यों के निष्पादन के पहले भुगतान, एक ही दिन दो स्थलों पर मौजूद श्रमिकों को भुगतान, आदि।
- मस्टर रोलों में अनियमियतताएँ देखी गयी थी यानी, प्राप्ति के प्रतीक के रूप में हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लिए बगैर भुगतान किए गए थे। काटे गए और काट कर लिखे गए को भी सत्यापित नहीं किया गया था।

➤ निर्माण कार्य एवं संपत्ति सृजन

- 84 ग्रा.प., 12 ब्लॉकों, दो जिलों और एक संबंधित अभिकरण द्वारा 2007-12 के दौरान ₹ 10.26 करोड़ राशि के गैर अनुमेय निर्माण किये गये थे। 18 जिलों के 393 ग्रा.प. में 2265 मिट्टी की सड़के बनाने पर ₹ 15.60 करोड़ खर्च किये गये थे, जो सभी मौसमों में उपयोगी नहीं थी।
- 460 ग्रा.प. में 60:40 के निर्धारित मजदूरी सामग्री अनुपात का पालत नहीं किया गया था। 170 ग्रा.प. में ₹ 6.75 करोड़ का अधिक अनुमान देखा गया था।
- उन्नाव जिले में, अलमारी, हैण्डीकैम एवं डिजिटल कैमरे के लिए ₹ 78 लाख के क्रय आदेश, निविदाएँ आमंत्रित किये बगैर और क्रय प्रक्रिया का पालन किए बगैर जारी किये गये थे। सीतापुर जिले में, ₹ 1.04 करोड़ मूल्य की निर्माण सामग्री निविदा/निविदा भाव आमंत्रित किये बिना खरीदी गई थी।
- सात जिलों में ₹ 13.25 करोड़ को 237 निर्माण कार्य बिना किसी प्रशासनिक और तकनीकी संस्थीकृति के किये गये थे।
- 10 जिलों में, ₹ 13.26 करोड़ के लिए निष्पादित 1199 निर्माण कार्यों को वि.प.स. नहीं दिये गये थे।
- एक ग्रा.प. और दो जिलों में, ₹ 1.65 करोड़ राशि के 47 निर्माण कार्य परित्यक छोड़े गए थे। ₹ 29 लाख राशि के 23 निर्माण कार्य, आठ ग्रा.प., एक ब्लॉक और दो जिलों में अधूरे पड़े थे।
- 16 ग्रा.प. में 3091 निर्माण-कार्यों के समापन रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थे।
- 444 ग्रा.प. में, 4242 निर्माण-कार्यों को उपभोक्ता-समूहों को नहीं सौंपा गया था।

➤ वित्तीय प्रबंधन

- राज्य सरकार ने निधियों के हस्तांतरण और उपयोग के लिए कोई ठोस वित्तीय प्रबंधन प्रणाली नहीं बनायी गई थी। ग्रा.प. को निधि जारी करने के लिए किसी मानदंड की स्थापना नहीं की गई थी।
- ₹ 1.51 करोड़ की निधि का विविध प्रशासनिक व्यय, अन्य योजनाओं के आकस्मिकता व्यय, विकास भवन के सम्मेलन कक्ष के नवीकरण एवं विद्युतीकरण, प्राथमिक विद्यालय और हरिजन आवास के निर्माण, कार्यालय व्यय तथा मध्याह्न भोजन योजना के लिए विपथन हुआ था।
- श्रम बजट राज्य स्तर पर समीक्षा के बगैर मंत्रालय को अग्रेषित किया गया था। श्रम बजट और मा.प्र.रि. में सूचित वास्तविक व्यय के मध्य तथा राज्य एवं जिला स्तर पर आँकड़ों के मध्य विविधताएं थी। दो जिलों में, श्रम बजट परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं बनाया जाना था।
- निधियों के निर्गम में सभी स्तरों पर विलंब थे।
- सीतापुर जिले के दो संबंधित विभागों ने राष्ट्रीय काम के लिए अनाज कार्यक्रम निधि के ₹ 41 लाख के अव्यवित शेषों के मनरेगा में हस्तांतरित नहीं किया था।
- एक जिले में 2007-09 के दौरान प्रशासनिक व्यय चार प्रतिशत निर्धारित सीमा से अधिकता में किये गये थे।

➤ मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन

- शिकायतों को एक समय बद्ध तरीके से निवारण के लिए लोकपालों को नियुक्त नहीं किया गया था।
- योजना के अंतर्गत शुरू किये गये निर्माण -कार्यों की प्रगति एवं गुणवत्ता के मानीटरिंग के लिए उत्तरदायी ग्राम मानीटरिंग समितियों को 57 ग्रा.प. में स्थापित नहीं किया गया था।

उत्तराखण्ड

➤ पृष्ठभूमि

राज्य में 13 जिले हैं। मनरेगा के अंतर्गत पहले चरण, अर्थात्, 2 फरवरी 2006 से तीन जिले, 01 अप्रैल 2007 से दो जिले और 1 अप्रैल 2008 से शेष 8 जिले आवृत किये गए थे। 2007-12 की अवधि हेतु, मनरेगातस के अंतर्गत राज्य को 1154.13 करोड़ जारी किए गए थे। 2007-12 के दौरान राज्य में कुछ प्रमुख कार्यान्वयन मापदंडों को नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता	संचयी व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत परिवारों की संख्या	सूजित संचयी श्रमदिवस (लाख में)
1,01,16,752	70,25,583	69.45	1,312.88	10,10,169	813.09

शुरू किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की प्रतिशतता	शेष सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	संचालित सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	पूर्ण किए गए सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रतिशतता
1,52,292	1,00,631	66.07	65,092	28,557	44

➤ नियोजन

- राज्य रोजगार गारंटी परिषद को स्थापित किया गया था परन्तु नियमित अंतरालों पर बैठकें नहीं हुई थीं जिसके कारणवश प्रमुख नीति निर्णय नहीं लिए जा सके।
- मंत्रालय द्वारा सुझाए गए प्रशासनिक प्रतिमान अधिसूचित किया गया था लेकिन विभिन्न संवर्गों में स्टाफ की नियुक्ति नहीं हुई थी। कुल कमियाँ 45 से लेकर 90 प्रतिशित तक थीं।
- जिला परिषेक्ष्य योजनाएं केवल चार जिलों द्वारा प्रस्तुत की गई थीं और रा.रो.ग.प. द्वारा अभी तक अनुमोदित किया जाना था।

➤ रोजगार सूजन एवं मजदूरी

- अनुमानित तथा वास्तविक रूप से सूजित श्रमदिवसों में 23 से 61 प्रतिशत तक की काफी विभिन्नताएं थीं।
- श्रमिकों को सामायिक भुगतान नहीं किए गए थे तथा 01 से लेकर 699 दिनांक तक के विलंब पाए गए थे। 500 निर्माण कार्यों में, 74 दिनों का औसत विलंब था। नमूना परीक्षित ग्रा.प. में किसी भी श्रमिक को विलंब हेतु प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं की गई थी।

➤ वित्तीय प्रबंधन

- निर्धारित समय सीमा में राज्य का हिस्सा जारी नहीं किया गया था। चार जिलों में 8 से 211 दिनांक का विलंब पाया गया था।

➤ मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन

- निर्माण कार्यों के निरीक्षण में राज्य स्तर पर 94 प्रतिशत तथा कार्यक्रम अधिकारियों के स्तर पर 48 प्रतिशत की कमी पाई गई थी।

➤ अन्य

- देहरादून जिले के अलमोड़ा एवं चक्रता ब्लॉक के घौलादेवी एवं द्वारहाट ब्लॉकों में ₹ 1.73 करोड़ की देयताएं पाई गई जाकि मार्च 2012 तक भुगतान नहीं किया गया था।
- मनरेगा वेबसाइट पर अपलोड किए गए डाटा की प्रमाणिकता को सत्यापित करने हेतु किसी तंत्र की गैर-मौजूदगी पाई गई क्योंकि माँ.सू.प्र. एवं मासिक प्रगति रिपोर्ट डाटा के मध्य 1 से लेकर 71 प्रतिशत भिन्नताएँ थीं।

पश्चिम बंगाल

➤ पृष्ठभूमि

राज्य में 19 जिले थे। दस जिले मनरेगा के अंतर्गत प्रथम चरण, अर्थात्, 2 फरवरी 2006 से, सात जिले 1 अप्रैल 2007 के बाद से और शेष दो जिले 1 अप्रैल 2008 से शामिल किये गये थे। 2007-12 की अवधि के लिए, राज्य को मनरेगा के अंतर्गत ₹ 8307.31 करोड़ जारी किया गया था। नीचे तालिका 2007-12 के दौरान कुछ प्रमुख कार्यान्वयन मापदंडों को दर्शाती है:

जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता	संचयी व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत परिवारों की संख्या	सृजित संचयी श्रमदिवस (लाख में)
9,13,47,736	6,22,13,676	68.11	7,409.20	1,10,34,713*	6,353.84

*जॉब कार्ड जारी किया गया

शुरू किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की प्रतिशतता	शेष सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	संचालित सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	पूर्ण किए गए सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रतिशतता
राज्य द्वारा उपलब्ध नहीं कराये गये	5,58,938	उपलब्ध नहीं	1,43,404	73,700	51.39

➤ नियोजन

- मनरेगा के लिए कोई सूचना, शिक्षा तथा संचार योजना नहीं बनायी गयी थी।
- रा.रो.गा.प. ने मनरेगा के योजना कार्यान्वयन के निष्पादन एवं इसके प्रभाव को मूल्यांकन नहीं किया था।
- अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण कराने के इच्छुक व्यक्तियों की पहचान करने के लिए घर-घर सर्वेक्षण नहीं कराया गया था।
- अधिकांश जिलों ने परिप्रेक्ष्य योजना नहीं बनायी थी और चयनित 83 ग्रा.पं. में से किसी में परियोजना -शेल्फ नहीं देखा गया था।
- वार्षिक योजना में सम्मिलित करने के लिए निर्माण कार्यों को प्राथमिकता देने और अनुशंसा करने के लिए उत्तरदायी ग्राम सभा बैठकें, चयनित ग्रा.पं. में से किसी में भी 2 अक्तूबर को आयोजित नहीं की गयी थीं।

- पांच जिलों में श्रम बजट अवास्तविक तरीके से बनाया गया था क्योंकि श्रम दिवसों का वास्तविक सृजन श्रम बजट में उनके अनुमान का 35 से 125 प्रतिशत था।

➤ रोजगार सृजन एवं मजदूरी

- चयनित ग्रा.पं. में, पंजीकरण पंजी और काम के लिए आवेदनों की पंजी का अनुरक्षण नहीं किया गया था। 41 ग्रा.पं. में पंजीकरण सूची सूचना पट पर प्रदर्शित नहीं की गयी थी।
- पांच जिलों में अधिकतर जॉब कार्डों पर तस्वीरें नहीं चिपकायी गयी थीं।
- मा.सू.प्र. ने 2010-12 के दौरान ₹ 437.89 करोड़ राशि की मजदूरी के विलम्बित भुगतान दिखाया लेकिन कोई क्षति-पूर्ति नहीं की गयी थी। मजदूरी के भुगतान में 11 से 810 दिनों के विलम्ब चार जिलों में देखा गया था।
- बेरोजगारी भत्ता के रूप में ₹ 83.007 की राशि केवल 218 श्रमिकों को दी गयी थी जबकि यह 2007-12 के दौरान 1,10,161 परिवारों के लिए बकाया था।

➤ निर्माण-कार्य एवं संपत्ति सृजन

- सङ्क निर्माण-कार्य (कुल निर्माण-कार्य का 29 प्रतिशत) कुल व्यय के 39 प्रतिशत के लिए किये गये। सभी चयनित ग्रा.पं. ने मिट्टी की सङ्कों जैसे अस्थायी संपत्तियों का निर्माण किया था। 32 ग्रा.पं. में मजदूरी-सामग्री अनुपात का अनुरक्षण नहीं किया गया था।
- किसी भी चयनित ग्रा.पं. में निर्माण पंजियों का अनुरक्षण नहीं किया गया था।
- बांकुड़ा, 24 परगना तथा मुर्शिदाबाद जिलों में, ₹ 6.37 लाख मूल्य का वृक्षारोपण कार्य सफल नहीं हुआ।

➤ वित्तीय प्रबंधन

- सं.ग्रा.रो.यो. के अंतर्गत ₹ 8.42 लाख के अव्ययित शेष मई 2012 तक मनरेगा में हस्तांतरित नहीं किया गया था।

➤ मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन

- मुर्शिदाबाद, बांकुड़ा, जलपाइगुड़ी और दक्षिण 24 परगना जिले के 48 ग्रा.पं. में, ग्रा.पं. के खाते सामाजिक लेखापरीक्षा के समक्ष समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये थे।

➤ अन्य

- मनरेगा का ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के साथ अभिसरण किसी चयनित ग्रा.पं. ने प्रमाणित नहीं था।

अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह

➤ पृष्ठभूमि

संघ शासित क्षेत्र (सं.शा.क्षे.) में तीन जिले हैं जो कि 1 अप्रैल 2008 से मनरेगा के अंतर्गत आवृत्त थे। 2007-12 की अवधि हेतु, मनरेगा के अंतर्गत सं.शा.क्षे. को ₹ 34.91 करोड़ जारी किए गए थे। 2007-12 के दौरान सं.शा.क्षे. के प्रमुख कार्यान्वयन मापदंडों को नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता	संचयी व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत परिवारों की संख्या	सृजित संचयी श्रमदिवस (लाख में)
3,79,944	2,44,411	64.33	39.79	41,512	19.66

शुरू किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की प्रतिशतता	शेष सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	संचालित सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	पूर्ण किए गए सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रतिशतता
1,314	1,093	83.18	608	356	58.55

➤ नियोजन

- सं.शा.क्षे. हेतु रोजगार गारंटी परिषद (रो.गा.प.) को फरवरी 2008 में गठित किया गया था। परिषद 2008-09 और 2011-12 के मध्य एक वित्तीय वर्ष में केवल एक ही बार मिली है।
- जिलों द्वारा कोई परिप്രेक्ष्य योजना तैयार नहीं की गई थी जबकि जिला परिप्रेक्ष्य योजना की तैयारी हेतु अनुदान जारी कर दिए गए थे। केवल वार्षिक योजनाएं तैयार की गई थी।
- परियोजनाओं के शेल्फ की तैयारी तदर्थ आधार पर की गई थी।

➤ रोजगार सृजन एवं मजदूरी

- कार्य हेतु आवेदन देने के 15 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान न किए जाने के मामले थे। बेरोजगारी भत्ते का भुगतान भी नहीं किया गया था।
- 100 दिनों का रोजगार केवल 5.05 प्रतिशत मामलों में प्रदान किया गया था।
- सभी ग्राम पंचायतों में मजदूरी के विलम्बित भुगतान पाए गए थे।
- “राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना” (रा.स्वा.बी.यो.) के अंतर्गत कोई लाभार्थी आवृत हीं था। जबकि सं.शा.क्षे. के पास काफी लाभार्थी थे जो वर्ष में 15 दिनों से अधिक काम करते थे।

➤ निर्माण कार्य एवं सम्पत्ति का सृजन हुआ था।

- केवल अस्थायी सम्पत्ति का सृजन हुआ था।

➤ वित्तीय प्रबंधन

- वित्तीय प्रबंधन की त्रुटिपूर्ण प्रणाली, बढ़े हुए सं.शा.क्षे. के हिस्से का कारण बनी।
- कुशल और अर्ध-कुशल श्रमिकों की सामग्री एवं मजदूरी हेतु सं.शा.क्षे. के हिस्से के 25 प्रतिशत को जारी न किए जाना एवं तथ्यात्मक रूप से गलत उपयोगिता प्रमाणपत्र पाए गए थे।

➤ मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन

- “रोजगार गारंटी निधि” की लेखापरीक्षा नहीं की गई थी तथा सं.शा.क्षे. प्रशासन ने जिलों हेतु लेखों का कोई प्रारूप निर्धारित नहीं किया था।
- सामाजिक लेखापरीक्षा की स्वतंत्रता सुनिश्चित नहीं की गई थी। योजना की गतिविधियों को समन्वित करने हेतु केंद्रक व्यक्ति निदेशक/ग्रा.वि., पं.रा.सं. व यू.एल.बी., को सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु राज्य स्तरीय नोडल अधिकार नियुक्त किया गया था।

➤ अन्य

- अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण नहीं किया गया था।
- अभिलेखों का अनुरक्षण (मुख्यतः दक्षिण अण्डमान जिले में) खराब था।
- मॉ.सू.प्र. में अपलोड किए गए डाटा को जांचने एवं सत्यापित करने हेतु पर्याप्त तंत्र बनाया नहीं गया था। पंचायती राज संगठनों (प.रा.सं.) में उपलब्ध सूचना, मॉनीटरिंग एवं सूचना प्रणाली (मॉ.सू.प्र.) आंकड़ों से नहीं मिलती थी।
- भा.नि.म.ले.प. की पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट में प्रकाशित की गई कमियां, अभी भी थीं।

दादर एवं नागर हवेली

➤ पृष्ठभूमि

संघ शासित क्षेत्र (स.शा.क्षे.) में एक जिला है जो कि 01 अप्रैल 2008 से मनरेगा के अंतर्गत आवृत है। 2007-12 की अवधि हेतु, मनरेगा के अंतर्गत सं.शा.क्षे. को ₹ 2.77 करोड़ जारी किए गए थे। 2007-12 की अवधि के दौरान सं.शा.क्षे. के कुछ प्रमुख कार्यान्वयन मापदंडों को नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता	संचयी व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत परिवारों की संख्या	सृजित संचयी श्रमदिवस (लाख में)
3,42,853	1,83,024	53.38	4.71	11,697	2.11 (2007-08 हेतु आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए)

शुरू किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की प्रतिशतता	शेष सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	संचालित सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	पूर्ण किए गए सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रतिशतता
127	30	23.62	44	30	68.18

➤ नियोजन

- संघ शासित क्षेत्र में रोजगार गारंटी परिषद (रो.गा.प.) को गठित नहीं किया था।
- प्रारम्भिक एवं सू.शि.स. गतिविधियों का संचालन नहीं किया गया था।
- संघ शासित क्षेत्र के प्रशासन ने वार्षिक योजना एवं परियोजनाओं के शेल्फ तैयार नहीं किये थे।
- संघ शासित क्षेत्र प्रशासन ने 2007-12 की अवधि हेतु न तो परिष्रेक्ष्य योजना तैयार की थी तथा न ही इस कार्य को किसी अभिकरण को सौंपा था।

➤ रोजगार सृजन व मजदूरी

- पाँच ग्रा.प. में जॉब कार्ड आवेदन रजिस्टर अनुरक्षित/उचित रूप से अनुरक्षित नहीं किए गए थे तथा 10 ग्रा.प. में जॉब कार्ड रजिस्टर अनुरक्षित नहीं किये गये थे।
- जारी किए गए जॉब कार्डों पर श्रमिकों की तस्वीरें नहीं थीं और बिना प्राधिकार एवं श्रमिकों के हस्ताक्षर के बिना जारी कर दिए गए थे।

- ग्रा.पं. में रोजगार रजिस्टर अनुरक्षित नहीं किए गए थे।
- मजदूरी के भुगतान में 1 से लेकर 123 दिनों तक के विलम्ब थे तथा विलम्ब हेतु कोई प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया गया था।

➤ वित्तीय प्रबंधन

- वित्तीय प्रबंधन प्रणाली अप्रभावी थी और रिपोर्ट के ऑँकडे असंगत थे। स.शा.क्ष.रो.गा.नि. को गठित नहीं किया गया था।
- वित्तीय रिपोर्टिंग अप्रभावी था तथा लेखापरीक्षित लेखों तथा मा.प्र.रि. डाटा के मध्य विभिन्नताएं थी।
- सामग्री हेतु ग्रा.पं. को दिए गए ₹ 37.08 लाख के अव्ययित शेष को व्यय के रूप में माना गया था।
- 2008-11 के दौरान अतिरिक्त प्रशासनिक व्यय हुआ था।

➤ मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन

- ग्रा.पं. के पास समाजिक लेखापरीक्षा अभिलेख उपलब्ध नहीं थे।
- ग्रा.पं. में सर्तकता एवं मॉनीटरिंग समितियाँ निर्मित थीं लेकिन किसी भी ग्रा.पं. में अभिलेख उपलब्ध नहीं थे।
- शिकायत निवारण तंत्र प्रभावी नहीं था और किसी भी स्तर पर शिकायत रजिस्टर अनुरक्षित नहीं किया गया था।

लक्ष्यद्वीप

➤ पृष्ठभूमि

संघ शासित क्षेत्र (सं.शा.क्षे.) में 1 अप्रैल 2008 से मनरेगस के अंतर्गत एक जिला आवृत है। 2007-12 की अवधि हेतु, मनरेगस के अंतर्गत सं.शा.क्षे. को ₹ 7.76 करोड़ जारी किए गए थे। 2007-12 के दौरान सं.शा.क्षे. में कुछ प्रमुख कार्यान्वयन मापदंडों को नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता	संचयी व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत परिवारों की संख्या	सूजित संचयी श्रमदिवस (लाख में)
64,429	14,121	21.92	10.47	8,886	6.49

शुरू किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए ¹ गए निर्माण कार्यों की प्रतिशतता	शेष सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	संचालित सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	पूर्ण किए गए ¹ सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रतिशतता
828	17	2.05	80	40	50

➤ नियोजन

- सं.शा.क्षे. रोजगार गारंटी परिषद, आज तक केवल दो बार ही मिली थी, जिसने पसंदीदा निर्माण कार्यों के चयन, योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा, प्रक्रिया एवं परिणामों के मूल्यांकन, सभी स्तरों पर जवाबदेही एवं पारदर्शिता को प्रतिफूल रूप से प्रभावित किया था।
- नमूना परीक्षित ग्रा.पं. में, पूर्णकालिक समर्पित का.अ. को नियुक्त नहीं किया गया था। योजना के कार्यान्वयन हेतु स्टाफ नियुक्त नहीं किया गय था तथा ब्लॉक स्तर पर योजना से संबंधित कोई अभिलेख अनुरक्षित नहीं किया गया था।
- मनरेगस के अंतर्गत निर्माण कार्यों के चयन हेतु अलग ग्राम सभा बैठकें नहीं की गई थीं।

➤ रोजगार सृजन एवं मजदूरी

- नमूना परीक्षित ग्रा.पं. में, न तो आवेदन रजिस्टर अनुरक्षित किए गए थे और न ही परिवारों को दिनांकित रसीदें जारी की गई थीं।
- नमूना परीक्षित ग्रा.पं. में मस्टर रोलों एवं भुगतान आदेशों की संवीक्षा से पता चला कि मजदूरी के भुगतानों में 15 से लेकर 65 दिनों के विलम्ब थे।
- का.अ. को जॉब कार्ड रजिस्टर में वृद्धि और विलोपन की सूची के बारे में सूचित नहीं किया गया था।

➤ निर्माण कार्य एवं सम्पत्ति सूजन

- 92:08 के मजदूरी सामग्री अनुपात को अपनाकर अनुमान तैयार किए गए थे। नमूना परीक्षित ग्रा.पं. हेतु अनुमानों के सत्यापन से पता चला कि केवल मजदूरी रोजगार को ध्यान में रखकर ही अनुमानों को तैयार किया गया था। कुशल श्रमिकों और सामग्री की अनुपस्थिति के कारणवश स्थायी सम्पत्ति का सूजन नहीं हो पाया था।
- अधिनियम में परिकल्पित निर्माण कार्यों के पूर्व -मध्य-उत्तर चरणों की तस्वीरों को ग्रा.पं. द्वारा लिया/अनुरक्षित नहीं किया गया था।

➤ वित्तीय प्रबंधन

- 2009-10 से 2011-12 के दौरान मनरेगास का प्रशासनिक व्यय ₹ 81.00 लाख से अधिक था।

पुङ्कुचेरी

➤ पृष्ठभूमि

संघ शासित क्षेत्र (सं.शा.क्षे.) में दो जिले हैं जो कि मनरेगा के अंतर्गत 1 अप्रैल 2008 से आवृत्त थी। 2007-12 की अवधि हेतु, मनरेगा के अंतर्गत सं.शा.क्षे. को ₹ 40.06 करोड़ जारी किए गए थे। 2008-12 के दौरान सं.शा.क्षे. में कुछ प्रमुख कार्यान्वयन मापदण्डों को नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता	संचयी व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत परिवारों की संख्या	सृजित संचयी श्रमदिवस (लाख में)
12,44,464	3,94,341	31.69	35.50	67,120	35.21

शुरू किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की प्रतिशतता	शेष सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	संचालित सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	पूर्ण किए गए सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रतिशतता
3,478	2,383	68.52	776	159	20.49

➤ नियोजन

- ग्राम पंचायतों ने परियोजनाओं के शैलक तथा वार्षिक योजना को तैयार नहीं किया था। जि.ग्रा.वि.अ. एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, करैकल ने दीर्घकालिक रोजगार सृजन एवं सतत विकास हेतु जिला परिप्रेक्ष्य योजना तैयार नहीं की थी।
- दिसम्बर 2011 में गठित सं.शा.क्षे. रोजगार गारंटी परिषद की एक बार भी बैठक नहीं हुई।

➤ रोजगार सृजन एवं मजदूरी

- रोजगार हेतु आवेदन प्राप्त करने, दिनांकित रसीदों को जारी करने एवं रोजगार रजिस्टर के अनुरक्षण हेतु कोई औपचारिक प्रणाली नहीं थी।
- मजदूरी के भुगतान में किसी भी विलम्ब का सूचित करने हेतु कोई तंत्र नहीं था। कोई क्षतिपूर्ति नहीं की गई थी, यद्यपि, मजदूरी के भुगतान में 137 दिनों तक के विलम्ब पाए गए थे।

➤ निर्माण कार्य एवं सम्पत्ति सृजन

- 2008-12 के दौरान सं.शा.क्षे. द्वारा सामग्री लागत पर कोई व्यय नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप अस्थायी सम्पत्ति का सृजन हुआ था।

- 2008-12 के दौरान शुरू किए गए 2502 निर्माण कार्यों में से, 63 निर्माण कार्य पिछले दो वर्षों से प्रगति में हैं।

➤ वित्तीय प्रबंधन

- मार्च 2011 तक अव्ययित शेषों के संचय, के परिणामस्वरूप ₹ 31.28 करोड़ की आवश्यकता के प्रति 2011-12 हेतु एक करोड़ का टोकन संकेतक अनुदान के रूप में दिया गया।